त्रयोदश माला, खंड 28, अंक 10

FOR REFERNCE ONLY.

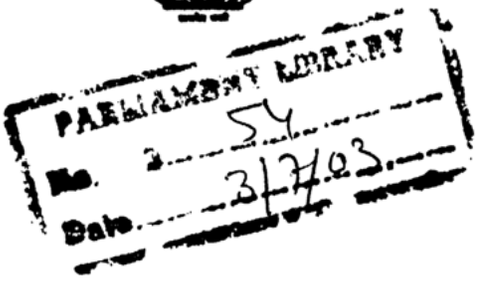
सोमवार, 2 दिसम्बर, 2002
11 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)





(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 10, सोमवार, 2 दिसम्बर, 2002/11 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	182 और 184	2-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	185 से 201	28-57
अतारांकित प्रश्न संख्या	1983 से 2212	57-442
सभा पटल पर रखे गए पत्र		443-452
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति		
पांचवां प्रतिवेदन		452
कार्य मंत्रणा समिति		
तैंतालीसवां प्रतिवेदन		452
कोलकाता और गंगटोक में केन्द्रीय सरकार मुद्रणालय को बंद करने के कथित निर्णय के बारे में		463-464
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन पूरी की गई परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा आयोजित उद्घाटन समारोहों में स्थानीय सांसदों को सम्मिलित न किए जाने के बारे में		471-474
नियम 377 के अधीन मामले		480-490
(एक)	वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु रसोई गैस को बदले जाने योग्य सिलिंडरों का उपयोग कर ऑटो ईंधन के रूप में इसके इस्तेमाल को शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए. नरेन्द्र	480-481
(दो)	किसानों के हितार्थ एक व्यापक फसल बीमा योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री शिवराज सिंह चौहान	481
(तीन)	छावनी क्षेत्र विशेषकर मध्य प्रदेश के सागर तथा महू से लोगों को हटाए जाने संबंधी निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	481-482

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय — कॉलम

(चार) धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को आकाशवाणी भवन में स्थानान्तरित करने तथा वहां से मेट्रो चैनल के प्रसारण को शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास रूपला गावित 482-483

(पांच) मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सतनामी समुदाय को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले 483

(छह) इलाहाबाद तथा देहरादून, बरास्ता लखनऊ और हरिद्वार के बीच हरिप्रयाग एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह 483-484

(सात) पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर के जल वितरण संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी 484

(आठ) उड़ीसा में ढेंकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय प्राचीन मंदिरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव 485

(नौ) कर्नाटक में तम्बाकू की अनधिकृत खेती को रोकने की आवश्यकता

श्री वाई. वी. राव 485-486

(दस) उत्तर प्रदेश विशेषकर आगरा क्षेत्र में जल संसाधनों के संरक्षण हेतु समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 486-487

(ग्यारह) कपास के आयात पर शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त गुढ़े 487

(बारह) उत्तर प्रदेश में मऊ जंक्शन से नई दिल्ली, बरास्ता आजमगढ़ के बीच प्रस्तावित रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान 487-488

(तेरह) तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एम्प्लाईज पेंशन फंड ट्रस्ट को भारतीय जीवन बीमा निगम की वार्षिक योजना से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी 488

विषय		कॉलम
(चौदह)	पृथक बोडोलैंड राज्य का गठन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	489
(पन्द्रह)	पश्चिमी बंगाल में अंदल और चितरंजन के बीच यात्री रेलगाड़ी की सेवा पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विकास चौधरी	489-490
जैव विविधता विधेयक		490-571
विचार करने के लिए प्रस्ताव		490, 549
	श्री टी. आर. बालू	490-493, 541-549
	श्री शिवराज वि. पाटील	493-506
	श्री बिक्रम केशरी देव	506-509
	प्रो. आर. आर. प्रमाणिक	509-515
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	516-519
	श्री के. पी. सिंह देव	519-523
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	523-526
	श्री प्रबोध पण्डा	526-528
	श्री रमेश चेन्नितला	528-532
	श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	532-535
	श्री एस. मुरुगेसन	535-537
	श्री वरकला राधाकृष्णन	537-539
	श्री हरीभाऊ शंकर महाले	539-541
	खंड 2 से 63 और 1	549-571
	पारित करने के लिए प्रस्ताव	571
अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल)—2002-2003		571-621
	श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	572-577
	श्री बसुदेव आचार्य	577-582
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	582-584

डा. मन्दा जगन्नाथ 584-588

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल 588-590

श्री के. मलयसामी 590-594

श्री अकबर अली खांदोकर 594-595

श्री भर्तृहरि महताब 595-598

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 598-603

श्री रामपाल सिंह 603-604

श्री चन्द्रकांत खैरे 604-606

श्री के. एच मुनियप्पा 606

श्री प्रबोध पण्डा 606-607

प्रो. ए. के. प्रेमाजम 607-609

श्री रमेश चेन्नितला 609-610

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 610

श्री भास्करराव पाटील. 610-611

श्री रामदास आठवले. 611-612

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम 612-613

श्री नीतीश कुमार 613-621

विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2002

विचार करने के लिए प्रस्ताव 621-624

श्री नीतीश कुमार 621-622

खंड 2, 3 और 1 622

पारित करने के लिए प्रस्ताव 623

लोक सभा

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2002/11 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, हम प्रश्न काल में बाधा नहीं डालना चाहते हैं। किंतु प्रधान मंत्री ने कल राष्ट्रव्यापी चेतावनी दी थी कि कई और मंदिरों पर हमले किये जा सकते हैं। संसद पर हमले के दो दिन पूर्व भी प्रधान मंत्री ने कहा था कि संसद पर हमला किया जा सकता है।

महोदय, यदि प्रधानमंत्री को इस बात की चिन्ता है कि और अधिक मंदिरों पर हमला किया जा सकता है। तो उन्हें हमें और राष्ट्र को उन निवारक उपायों के बारे में बताना चाहिए। जिसे इस देश के मंदिरों और लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इस प्रकार की बातों को हल्के तौर पर नहीं कहा जाना चाहिए और ना ही इसे हल्के तौर पर लिया जाना चाहिए। पिछले वर्ष 13 दिसम्बर को संसद पर हमला किया गया था। ग्यारह दिसम्बर को उन्होंने कहा कि संसद पर पुनः आक्रमण किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को "शून्य काल" में उठा सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह गम्भीर मामला है। रोजाना आप सुनते हैं कि सरकार के पास सूचना है। ऐसे में सरकार को उन उपायों के बारे में राष्ट्र को बताना चाहिए जिसे उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है ...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। इधर उधर कुछ वक्तव्य दिये गये हैं। और हम सदन में दर्शकों की भांति बैठे रहते हैं यह एक गंभीर बात है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री को सभा के साथ इस संबंध में सूचना और इससे उत्पन्न खतरों को बांटना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि वह क्या कदम उठा रहे हैं। एक मंत्री कहता है कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे क्योंकि यह सब उस ओर से हो रहा है, एक दूसरे मंत्री कहते हैं कि हमारे पास ऐसी सूचना है कि मंदिरों पर हमले किए जाएंगे और सभा दर्शक की भांति बैठी है। जबकि हम इन मुद्दों पर सरकार का समर्थन करते हैं तो प्रधानमंत्री को राष्ट्र और यहां के लोगों की सुरक्षा के बारे में हमें विश्वास दिलाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मुद्दे को 'शून्य काल' के दौरान उठाएं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बिल्कुल ठीक, महोदय।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा हेतु कानून

+

***182. श्री के. मुरलीधरन :**

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम संबंधी दूसरे राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट पर कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ कोई विधान लाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (एन सी एल) ने विभिन्न मुद्दों पर व्यापक सिफारिशें की हैं जिसमें अन्य सिफारिशों के साथ–साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षा प्रदान किया जाना भी शामिल है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर श्रमिक संघों, नियोक्ता संगठनों, श्रम कानून याचिकाकर्ताओं,

जाने–माने व्यक्तियों, शिक्षाविदों आदि के साथ व्यापक परामर्श तथा वैचारिक आदान–प्रदान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट पर, 28–29 सितम्बर, 2002 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें सत्र में चर्चा की गई थी। साथ ही, असंगठित क्षेत्र संबंधी सिफारिशों पर 7–8 नवम्बर, 2002 को आयोजित असंगठित क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक निश्चित स्तर के संरक्षण तथा कल्याण हेतु राष्ट्रीय श्रम आयोग ने व्यापक विधान की सिफारिश की है। बजट सत्र में इस विषय पर एक विधान लाए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन : महोदय, यह सच है कि देश में बहुत से उद्योगों के विनिवेश के कारण कुशल और अकुशल क्षेत्रों में कामगारों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या विनिवेश वाले क्षेत्र के कुशल और अकुशल कामगारों के पुनर्वास हेतु कोई कदम उठाए गए हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन इंडस्ट्रीस से डिसइनवेस्टमेंट हो रहा है, उसके बारे में प्रश्न किया है। यद्यपि इसमें इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं निकालता। लेकिन फिर भी आपने जो बात कही है, इसमें पहली बात यह है कि हमने जो भी डिसइनवेस्टमेंट किया है, जिसे भी आज तक किया है उसमें इस बात का सबसे पहले ध्यान रखा गया है कि वहां से कोई भी वर्कर निकाला न जाए और न केवल निकाला जाए बल्कि पूरे प्रावधान किए हैं। हमारे पास इस प्रकार की अभी रिपोर्ट नहीं है कि कहां कितने लोगों को उस इंडस्ट्री रो निकाला गया। लेकिन हमारी जो बहुत सारी अनस्कील्ड लेबर है, उसे स्कील्ड करने के लिए अनेकों योजनाएं सरकार बना रही है। अगर किसी प्रकार से भी कहीं कोई उद्योग–धंधों में बदलाव आता है तो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी के अनुरूप वहां के कर्मचारी कैसे तैयार हो सकें, इस बात की पूरी परियोजना इस बार बन रही है। हम चाहते हैं कि ज्यों ही किसी दूसरे में अपग्रेडेशन ऑफ टैक्नोलॉजी हो तो वह साल भर पहले से शुरू हो जाए। हमने इंडस्ट्री के लोगों से और एम्प्लाइज आर्गेनाइजेशन से भी बात की है। आपका यह प्रश्न मूल रूप से अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के ऊपर है, उस पर आप प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री के. मुरधीधरन : महोदय, उत्तर से यह पता चलता है कि द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की न्यूनतम सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण विधान की पहले ही सिफारिश की हुई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का देश में असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने का कोई प्रस्ताव है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, पहले से ही कानून पास है कि जो भी कर्मचारी किसी भी क्षेत्र में काम करता है, चाहे वह संगठित क्षेत्र में काम करता है या असंगठित क्षेत्र में काम करता है उसे मिनिमम वेजिज मिले। हम समय–समय पर उसमें बढ़ोत्तरी करते रहते हैं और समय–समय पर इसके लिए अनेकों व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं। उनके रहने–सहने, शिक्षा, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उसके मिनिमम वेज़िज में बढ़ोत्तरी करते रहते हैं। जहां तक लेबर–कमीशन की बात है उस पर बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है और हमने 28–29 सितम्बर 2002 को इंडियन–लेबर–कांफ्रेंस की हैं उसमें एक दिन लेबर–कमीशन के ऊपर चर्चा की और एक नेशनल सेमिनार 7–8 नवम्बर को असंगठित क्षेत्र पर किया कि उनके लिए किस तरह के कानून बनाएं। लेबर कमीशन ने इस बारे में अम्ब्रेला–लैजिसलेशन की बात की है। दो दिन के सेमिनार में हमने इस बात की भी चर्चा की है कि उनके लिए किस प्रकार का बिल लाएं। हमने बहुत सारे एनजीओज से, लेबर ऑरगेनाइजेशन्स से, एम्प्लाएज ऑरगेनाइजेशन से भी चर्चा की है। साथ ही जो लेबर इंस्टीटयूशन्स हैं यूनिवर्सिटीज हैं उनके लोगों से भी इस बारे में बात की है और मुझे पूरा विश्वास है कि बजट सेशन तक काम पूरा हो जाएगा और बजट सेशन में अम्ब्रेला लेजिसलेशन हम असंगठित मजदूरों के लिए लेकर आयेंगे।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आपके जन्म दिन पर सुखद और समृद्ध जीवन की हार्दिक बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद क्या आपका प्रश्न पूरा हो गया?

(व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा : हमारे भी यही उद्गार है।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने नियोक्ताओं को बहुत शक्तियां और स्वतंत्रता दी है। आयोग ने

वर्तमान सरकार के अनुदेशों के अनुसार ही रिपोर्ट तैयार की है जिनमें से कुछ अनुदेशों की व्याख्या वित्त मंत्री द्वारा गत बजट में की गई थी। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है (क) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के संबंध में 7 और 8 नवम्बर को असंगठित क्षेत्र के संबंध में हुए राष्ट्रीय सेमिनार में किए गए प्रस्ताव और सिफारिशें क्या हैं। और (ख) क्या सरकार हमारे देश के कृषि मजदूरों के कल्याण हेतु व्यापक कानून लाने पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, लेबर कमीशन ने जो अपनी सिफारिशें दी हैं उसमें कहा है कि असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन व्यापक विधान शामिल हैं। आयोग ने रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र के कर्मकार (नियोजन एवं कल्याण विधेयक) दिया है। इन सिफारिशों पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, श्रमिक संघों, नियोजक संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों आदि के परामर्श से इन सिफारिशों की गहन जांच–पड़ताल की गयी है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र पर 7–8 नवम्बर, 2002 को विज्ञान भवन में एक दो–दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। सामाजिक संरक्षण, कौशल विकास और कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक विधान किस प्रकार बनाएं जाएं, यह सेमिनार की कार्यसूची में विस्तार से था। इस सेमिनार का उद्घाटन योजना आयोग के उपाध्यक्ष माननीय के.सी. पंत ने किया और इसमें श्रमिक संघों, नियोजकों, गैर–सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों तथा अन्य सामाजिक भागीदारों व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। इन मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए तीन समूहों का गठन किया गया था।

जहां तक सामाजिक संरक्षण की बात है तो प्रतिनिधियों की यह आम राय थी कि सामाजिक सुरक्षा में चिकित्सा देखरेख, प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी बीमा लाभ और शिक्षा के अवसर शामिल होने चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की उच्चतम सीमा, अवसीमा में संशोधन किए जाने की जरूरत है और लाभों के पैकेज असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को इसके दायरे में लेने के लिए खोले जाने चाहिए। मौजूदा सामाजिक कल्याण स्कीमों के दायरे के विस्तार के लिए केन्द्रीय कल्याण निधि के गठन की भी सिफारिश की गयी। जहां तक कौशल विकास की बात है तो असंगठित क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने तथा इस बढ़ते श्रम बल की रोजगारपरकता को टिकाऊ बनाने के लिए कौशल विकास की जरूरत है।

मैं इस बारे में यह भी कहना चाहता हूं कि देश में स्किल्ड लेबर केवल 6 परसैंट है। यह एक बहुत बड़ा कारण है। स्किल्ड लेबर न होने के कारण हमारी उत्पादकता जिस ढंग की एक वर्कर की होनी चाहिए, नहीं हो पाती और उसके हिसाब से उन्हें जो वेतन मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। यह महसूस किया गया कि प्रशिक्षण और कौशल विकास हेतु सकल घरेलू उत्पाद का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने तथा नियोक्ताओं, कर्मचारियों तथा सरकार के अंशदान पर आधारित कौशल विकास निधि के सृजन से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। ऐसे सुझाव भी दिए गए कि विभिन्न प्रकार के कौशलों के आधुनिकीकरण तथा मौजूदा कौशल विकास संस्थानों के अधिकतम उपयोग हेतु श्रम बाजार सूचना प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जाए और उनका विकास किया जाए। सक्षमता मानदंडों का विकास किया जाए तथा प्रमाणीकरण की पद्धति शुरू की जाए। व्यापक विधान के बारे में सेमिनार में जो चर्चा हुई उसमें कहा गया कि श्रम कानूनों का यौक्तिकीकरण, सरलीकरण तथा समेकन की आवश्यकता के मद्देनजर, व्यापक विधान लाया जाना व्यावहारिक माना गया। ऐसी सिफारिश की गई है और यह सुझाव दिया गया कि विधान ऐसा हो जिस में न्यूनतम कल्याणकारी प्रावधानों के अलावा, खास कर न्यूनतम मजदूरी, कार्य घंटे, सामूहिक सौदेकारिता आदि के संदर्भ में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सेवा शर्तों के विनियमन की व्यवस्था हो। असंगठित क्षेत्र से संबंधित सिफारिश में असंगठित क्षेत्र के लिए व्यापक विधान शामिल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप केवल दो–तीन मुख्य सिफारिशें बता दीजिए। सभी सिफारिशें बताने की जरूरत नहीं है।

डा. साहिब सिंह वर्मा : माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि वे सिफारिशें क्या थीं और मैं पूरे सवांल का जवाब देना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : जो दो–तीन सिफारिशें बता दीं, वे ठीक है।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैंने पूछा था कि क्या सरकार कृषि मजदूरों संबंधी सिफारिशें लागू करने के बारे में गम्भीर है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, आर्थिक विकास के लिए श्रम पूंजी, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। श्रम,

मानव संसाधन से आता है और अत्याधिक जनसंख्या होने से भारत मानव संसाधनों से भरपूर है। जिन बदली हुई परिस्थितियों में हम अपने को देखते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम समय और उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ बदलें। सरकार के व्यापक विधेयक अथवा बहुप्रयोजन कानून का प्रारूप करने से पहले, क्या सरकार इस सभा के सभी वर्गों और समाज के सभी वर्गों से परामर्श करेगी ताकि तैयार और प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक में समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रख सकेगा और यह विधान एक तरफा विधान नहीं होगा?

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत अच्छा है। लेबर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सभी माननीय सदस्यों को मैंने एक पत्र लिखा था जिस में लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य भी शामिल हैं। इसके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को भी पत्र लिखा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब भी आया है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में तय करेंगे और जांच करेंगे। यह बात बिल्कुल सही है कि यह किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है क्योंकि सब की सहमति से इसे पास करना है और एक राय से पास करना है। इसलिए इसमें सब की सहमति हो, सब अपने विचार दे सकें। असंगठित क्षेत्र में कुल मिला कर करीब 40 करोड़ की वर्क फोर्स है। 40 करोड में से केवल 7 परसैंट लोग अभी तक ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में है और 93 परसैंट लोग अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में हैं। हमने छोटे–मोटे कानून बना कर कहीं–कहीं उन्हें प्रोटैक्शन दिया है–कही माइन्स वर्कर्स को दिया है, कहीं बीड़ी वर्कर्स को दिया है। इस तरह से कुछ वर्कर्स को दिया है। कृषि श्रमिकों के बारे में बहुत कोशिश की गई कि उन्हें प्रोटैक्शन मिले। सभी राज्यों से कहा गया कि वे इस बारे में अपना कानून बनाएं। कुल मिलाकर दो राज्यों केवल केरल और त्रिपुरा ने कानून बनाया। दो में से एक राज्य ने कानून बनाने के बाद अभी तक उसे रखा है। दूसरे राज्य ने न उसे लागू करने का प्रयास किया है लेकिन वह भी उसमें अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने पहल की है। यद्यपि उन्होंने 22 लाख वर्कर्स इसमें शामिल किये हैं लेकिन पैसा कैसे इकट्ठा करें, कैसे किसानों के पास गांव में जायें और कहें कि मजदूरों को पैसा दो लेकिन उनके सामने बड़ी दिक्कत आ रही है। इसमें सब की राय होनी चाहिये, सब के साथ चर्चा होनी चाहिये। मैंने सभी पौलिटिकल लीडर्स के साथ चर्चा की है, जितने लीडर्स हैं, उनसे बात की है। जितने लेबर आर्गनाइजेशन्स, एम्पलाइज आर्गनाइजेशन्स और एन.जी.ओज़ हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर चुका हूं। मैंने माननीय सदस्यों से बात की है। वे सहमति दें, इस पर विचार करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज देश में लेबर रिफार्म्स की बात की जाती है। कुछ कहते हैं हम इनका विरोध करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम मजदूरों के खिलाफ काम करने लग जायें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास मजदूरों के खिलाफ कोई योजना नहीं। हमारे पास भारत में काफी लेबर फोर्स है।

[अनुवाद]

वर्तमान श्रम कानूनों के साथ उस श्रम शक्ति को बनाए रखना वास्तव में कठिन हो गया है। यह वास्तव में कठिन हो गया है और करोड़ों लोग बेकार हैं। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां उनको भी कुछ काम मिल सकें। और जहां हम निवेश आकर्षित कर सके यह भी जरूरी है। इस सब के लिए हमें नए श्रम कानूनों की जरूरत है। हमें श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाना है। इसकी सिफारिश श्रम आयोग की रिपोर्ट में भी की गई है। हमें इन सभी कानूनों को तर्कसंगत बनाना है। और इसके लिए मुझे विभिन्न राज़नीतिक दलों के सभी सदस्यों की सहायता और सहयोग की जरूरत है।

[हिन्दी]

हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब सब के साथ चर्चा पूरी हो जायेगी, तब एक बिल बजट सैशन में लायेंगे, उस समय सब के जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने स्किल्ड लेबर की बात कहीं, यह ठीक कहा कि समय बदलता जा रहा है, टैक्नौलौजी बदल रही है। हमारे यहां जिस मशीन पर 50 आदमी काम करते हैं, दूसरे देशों में उस मशीन पर केवल दो आदमी काम कर रहे हैं। इस कारण यह है कि हमारे पास आदमी ज्यादा हैं। लेकिन उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। हमने सब राज्यों से कहा कि स्किल डैवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्किल्ड लेबर के लिये 1000 आई. टी. आई. खोले। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों में सहयोग मिलेगा क्योंकि बिना राज्य सरकारों के सहयोग के यह प्रोग्राम चलाना संभव नहीं।

[अनुवाद]

जहां तक केन्द्रीय श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का संबंध है, पचास श्रम कानूनों में से 21 श्रम कानूनों का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं। अतः इस सब

के लिए हमें सभी राज्यों और सदस्यों के समर्थन और सहयोग की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने एक सेमिनार भी किया था और मुझे उनका पत्र भी मिला था। उनकी फाइलों और भाषणों से लेखा–जोखा बढ़िया लगता है लेकिन मैं खुद मजदूरों के बीच में काम करता हूं। जहां संगठित मजदूर हैं, वे परेशान हो गये हैं। वैश्वीकरण के कारण लाभ वाले कारखाने सरकार ने बेच दिये, यह एन डी ए सरकार की नीति है, जो अनुचित है गलत है लेकिन मालिक लोग मजदूरों का मानते ही नहीं। जैसा मंत्री जी ने कहा कि उत्पादन बढ़ाओ, यह दृष्टिकोण तो ठीक है लेकिन मजदूरों को कोई पूछना नहीं। इसमें असंगठित मजदूरों का सवाल कहां उठता है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अवैध क्षेत्र में खनन कार्य बंद कर दिया जाये। यदि वह बंद हो जाता है तो राजस्थान के लाखों मजदूर बेकार हो जायेंगे। कहां तो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो रही है लेकिन यहां रोजगारी खत्म हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि जायज एवं नाजायज तरीके से जो खनन कार्य हो रहा है, उसे बंद किया जाये, क्या सरकार इस पर विचार करके रोकने एवं सदन को आश्वासन देगी कि अरावली क्षेत्रों में खनन जो जायज है बंद नहीं होने देंगे और श्रमिकों को बेरोजगार नहीं होने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मीणा जी, प्रश्न बहुत संक्षिप्त होना चाहिये।

श्री भेरूलाल मीणा : श्रमिकों की सुरक्षा के लिये जो समझौता उपक्रमों से हुआ है, उसके लिये जो नीति तय की गई है, क्या उसकी एक कॉपी मिलेगी, श्रमिक प्रतिनिधियों को दी जाएगी।

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न किया है, उसका इस प्रश्न से सीधा–साधा कोई संबंध नहीं लेकिन अरावली पवर्तमाला के बारे में जो स्पैसिफाइड प्रश्न किया है कि वहां खनन कार्य बंद हो रहा है, मैं इस मामले का अध्ययन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसमें हमारा मंत्रालय क्या कर सकता है।

जहां तक माननीय सदस्य ने श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी आदेश की कॉपी मांगी है, मैं कोशिश करूंगा कि यदि मेरे माध्यम से सहयोग हो सकता है तो करूंगा। वैसे इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री मोहन रावले : सर अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में लेबर लॉज एप्लाई करने चाहिए, हम इससे सहमत हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर विक्टिमाइज हो जाए। आपने कहा है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने आपके साथ बातचीत की है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मुम्बई में हमारे शिवसेना नेता श्री उद्धव जी ठाकरे के इनिशिएटिव लेने से सारे पक्षों ने एक मोर्चा निकाला था, जिसमें पांच लाख लोगों ने भाग लिया था और उनका कहना था यह अन्यायकारक है, जैसे एक हजार मजदूर होंगे तो कभी भी ये लोग कंपनी बंद कर सकते हैं। ऐसा अन्यायकारक लॉ बना रहे हैं, क्या वह आप दूर करने वाले हैं। मैं भूल गया आज आपका जन्मदिन है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप और ऊंचे पद पर चढ़ जाएं, मैं ऐसी कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहें तो उतना लम्बा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मोहन रावले : मुम्बई में जो मोर्चा निकला था, क्या आप उनकी भावनाओं से परिचित हैं और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने क्या बातचीत की, यह भी बतायें, चूंकि उनका विरोध है।

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, इस विषय पर लेबर कमीशन ने काफी विस्तार से अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट में कुछ कहा है। जहां तक आपका कहना है कि पांच लाख लोगों ने रैली की थी और उसमें जो उनकी भावनाएं थीं, मैंने उन्हें ध्यान से देखा है और उनकी भावनाओं की पूरी तरह से कद्र की जायेगी। लेकिन आपका यह कहना कि लेबर ऑर्गेनाइजेशंस से बात नहीं हो रही है। उस पर मेरा कहना है कि मैं सभी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस से बात कर रहा हूं। शिवसेना के ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के लिए हमने पेशकश की है। आप लोगों को मैंने चिट्ठी लिखी है, आपको भी चिट्ठी लिखी है कि आप आकर उसके बारे में बातचीत करें। मैंने जैसा कहा कि जो भी बात हो वह आम सहमति से हो। माननीय प्रधान मंत्री जी का कहना है कि हम जो भी बात करेंगे उसमें अगर आम सहमति बन सके तो यह सबसे अच्छी बात है और हम आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। आपने कहा हम आर्गेनाइज्ड सैक्टर की कॉस्ट पर अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए कोई बात न करे। ऐसा होने का कोई सवाल नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर

की कॉस्ट पर अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर को छोड़ने की बात नहीं है। हां, यह सही है कि मैंने यह कहा है कि ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें सस्टेन करना वास्तव में बहुत मुश्किल हो गया है और उसमें लेबर लॉज अकेला कारण नहीं है। उसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन उन्हें सस्टेन करने के लिए किस प्रकार से वे रह सकें, हम एक ऐसा वातावरण बनायें, जिसमें वे रह सके और जो दूसरे करोड़ों हाथ बेकार हैं, उन्हें भी काम मिल सके, ऐसी योजना बनानी आवश्यक है।

अध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आज भी ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में जो लोग काम करते हैं, वे सारे सोशल सिक्युरिटी नैट में शामिल नहीं हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम सीधे-सीधे लॉज इम्पलीमैन्ट नहीं करते, यह राज्यों के माध्यम से होता है। मुझे जानकारी मिली है कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वे लेबर सोशल सिक्युरिटी नैट में नहीं हैं। मैंने यूनियंस से बात की। हम कम से कम यह देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं सभी श्रम संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया यह जरूर देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, जिसके लिए वे लड़ाई लड़ रहे हैं। वे कितने लोगों के लिए लड रहे हैं, कितने लोग आज उसमें शामिल हो रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि जितनी भी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें से कुछ को छोड़कर अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनके बारे में किसी को खास चिंता नहीं है. ..*(व्यवधान)* कुछ को छोड़कर मैंने कहा। एन.जी.ओज. छोटे-मोटे काम कर रहे हैं। वरना जहां गेट मीटिंग हो जाए, हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं। वे अपना भाषण दें और लोग साथ हो जाएं। दो-चार, पांच-पांच लोग जहां काम करते हैं...*(व्यवधान)* उन्हें जाकर कान्टैक्ट करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके लिए कुछ काम करना, वह वाकई मुश्किल काम है। . ..*(व्यवधान)*

श्री भेरूलाल मीणा : आपने श्री मोहन रावले जी के सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने एक हजार से नीचे वाले कानून के लिए क्या किया।

डा. साहिब सिंह वर्मा : माननीय सदस्य ने एक हजार लेबर की बात की है, उसके बारे में एक चर्चा चली थी। उसके बारे में लेबर कमीशन ने कहा कि तीन सौ व्यक्तियों तक रहना चाहिए। अब हम क्या प्रस्ताव लेकर आयेंगे? जैसा मैंने आपको कहा कि सबकी सहमति से ही हम प्रस्ताव लेकर आयेंगे। अभी उसके बारे में पार्टी लेवल या मंत्रालय लेवल पर ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)* अब 1000 लोगों तक को मंजूरी मिल जायेगी, ऐसा अभी तक तय नहीं हुआ है।

श्री हन्नान मोल्लाह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ट्रेड यूनियन के नेता की तरह भाषण दिया है। इनका काम योजना को लागू करना है न कि भाषण देना है। मैं सोचता हूं कि वे इसे लागू करेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से प्रश्न पूछिये।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, असंगठित क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र 'कृषि श्रम' है। वहां लगभग 12 करोड़ से 13 करोड़ कृषि श्रमिक है। उनके लिए कोई केन्द्रीय विधान नहीं है। अन्तिम बीस वर्षों में लगभग दस श्रम मंत्री सदन में आए और गए किंतु कोई मंत्री कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक केन्द्रीय विधान तैयार करने में सफल नहीं हुआ है। भारत में इन 13 करोड़ लोगों के पास सौ दिन का काम भी नहीं है और मजदूरी नहीं मिल रही है। उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप कृषि श्रमिकों को शहरों में असंगठित क्षेत्र के साथ नहीं जोड़ सकते। कृषि श्रम क्षेत्र अलग हैं। कृषि श्रमिक अलग परिस्थितियों में रह रहे हैं। उनका पंजीकरण खंड स्तर अथवा पंचायत स्तर पर होना चाहिए। इसे शहर में नहीं किया जाना चाहिए। अतः कृषि श्रमिकों के लिए अलग कानून की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री अगले सत्र में कृषि श्रमिकों के लिए अलग से केन्द्रीय कानून बनाने जा रहे हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही दुख की बात है कि देश की आजादी को 55 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के बारे में एक भी अच्छा कानून बनकर नहीं आया है। मैंने जैसा कहा कि छोटे-छोटे कानून बीड़ी वर्कर्स या श्रमिकों के लिए बने हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए या एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जितनी भी पोलिटिकल पार्टी के लोग यहां बैठे हैं, उनमें से ऐसी कोई भी पोलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो इन 55 सालों में सरकार में न रही हो। सभी पार्टीज सरकारों में रही हैं। उसके बावजूद भी अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना। एन.डी.ए. की सरकार ने....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनका उत्तर सुनिये।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : कोई कानून नहीं बना, यह तो माननीय सदस्य ने भी कहा है लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में बताइये।...*(व्यवधान)*

डा. साहिब सिंह वर्मा : आप सुनने की हिम्मत करिये। ....*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा : यह मौका आप ही के हाथ में है। ...*(व्यवधान)* उसे पूरा सपोर्ट किया जायेगा या नहीं... *(व्यवधान)*

डा. साहिब सिंह वर्मा : आपका कहना यह है कि एग्रीकल्चर आनआर्गनाइज्ड सैक्टर में आता ही नहीं है। वह आनआर्गनाइज्ड सैक्टर में ही आता है। किसी दूसरे में वह आ ही नहीं सकता।. ..*(व्यवधान)* अब एक हिस्से को अलग करके हम कानून बना दें, तो वह अलग बात है लेकिन वह असंगठित क्षेत्र में है। खुद किसान अभी तक संगठित नहीं हुए। यह तो लेबर की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप सुन तो लें।...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि पहली बार देश में कृषि मजदूरों के लिए खासकर 1.7.2001 से हमने 50 चुनिंदा जिलों में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। उसके तहत रोज एक रूपया कृषि मजदूर को और दो रुपये सरकार को, यह नहीं कि अकेले कृषि मजदूर को ही देना है, सरकार को भी दो रुपये रोज देने हैं। इस तरह उनको अनेक तरह के बेनीफिट दिये जाते हैं जैसे पेंशन या किसी मजदूर की अगर बीच में डैथ हो जाती है, तो उसको भी पैसा देने का इसमें प्रावधान है। इस प्रकार की योजना पहली बार एन.डी.ए. की सरकार ने प्रारंभ की है। मैं यह चाह रहा था कि माननीय सदस्य कोई ऐसा सवाल करते कि 50 जिलों में आपने इतना शानदार काम किया है तो बाकी के सारे जिलों में आप इसे कब तक लागू करेंगे तो कोई बात होती।...*(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि आपको उनकी चिंता है लेकिन आपको शायद यह नहीं पता कि हमने कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई है।...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : हमें मालूम है लेकिन उसका इम्प्लीमैंट नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

डा. साहिब सिंह वर्मा : उनको मालूम तो है लेकिन यह नहीं चाहते कि वह आगे बढ़े।...*(व्यवधान)* उस योजना को आगे बढ़ाने की किसी की कोई रूचि नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : हम कहना चाहते हैं कि 550 जिलों में आपने 50 जिले किस तरह चुने हैं? कैसे वहां इम्प्लीमैंट हो रहा है? मैं ट्रेड यूनियन में काम कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि यह पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देखकर अपना उत्तर पूरा कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमने जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई है, वह कृषि मजदूरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत फायदा होगा। इसके अलावा हमने इन्हीं लोगों के लिए, जो कृषक लोग हैं, जिनके पास समय तो पूरा है, वे लोग कुछ दिन खेती में काम करते हैं, फिर वे खाली रह जाते हैं, उसके लिए हमने स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई, उनके लिए हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, जिसमें कृषक खाली समय में मजदूरी भी कर लें, ताकि उनकी इनकम में उन्हें कुछ फायदा हो। हमने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी बनाई। अनेकों योजनाएं इस सरकार ने आने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बनाई। हमारी यह पूरी कोशिश है कि बजट सैशन में अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के ऊपर एक अम्ब्रेला लैजिस्लेशन हम बनायें और उसमें हमें आपका सहयोग मिले।

भारतीय पर्यटन का प्रचार

***183. श्री रामदास रुपला गावीत** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय पर्यटन के सकारात्मक पहलुओं के प्रचार हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए किन–किन देशों की पहचान की गई है?

[अनुवाद]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) भारतीय पर्यटन के विभिन्न पहलुओं का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और यह विभिन्न देशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। प्रमुख बाजारों में देश के पर्यटन उत्पादों का, प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देने के माध्यम से, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करके, ब्रोशरों, सी डी रोम्स के माध्यम से सूचना का प्रचार–प्रसार करके, आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया व्यक्तियों को आमंत्रित करके, वेब मार्केटिंग, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों आदि का आयोजन करके, संवर्धन करके की विपणन नीति है। वर्ष 2002–03 के दौरान, इन कार्यकलापों को करने के लिए 51 करोड़ रुपए का योजना बजट प्रावधान उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री रामदास रुपला गावीत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग "ग" का उत्तर सीधे न देकर विभिन्न देश बताये हैं। उन देशों के नाम क्या हैं, जिनमें पर्यटन कार्यालय स्थित हैं और पिछले तीन वर्षों में विदेशों में प्रचार पर कितनी धनराशि खर्च की गई है।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास तेरह कार्यालय हैं और वे केन्द्र व्यावहारिक रूप से सभी देशों को कवर करते हैं। एक कार्यालय लंदन में है जो यूनाइटेड किंगडम को कवर करता है। चार कार्यालय सभी पश्चिम यूरोपीय देशों को कवर करते हैं। एक कार्यालय पेरिस में है, दूसरा केन्द्र फ्रैंकफुर्ट में है। तीसरा कार्यालय मिलान में है और चौथा कार्यालय एम्सटर्डम में है। ये कार्यालय सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करते हैं। इसी प्रकार पूरब में एक कार्यालय टोक्यों, एक कार्यालय सिडनी में है, और एक कार्यालय सिंगापुर में भी है। पश्चिम एशिया में भी दुबई और जोहान्सबर्ग में कार्यालय है। अतः कुल कार्यालयों की संख्या तेरह है और हम कुल मिलाकर लगभग 51 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हमने विभिन्न विश्व मार्टों में भी भाग लिया है। उदाहरणार्थ हाल ही में लंदन मार्ट का आयोजन किया गया था जिसमें 185 देशों ने भाग लिया था 5000 कंपनियों ने भाग लिया था। हमने भी भाग लिया था। भारत के पर्यटन उत्पादों का प्रचार करने और भारत में आने के लिए अधिकाधिक पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए हम इन मार्टों का लाभ उठाते हैं। यही हमारी नीति है।

[हिन्दी]

श्री रामदास रुपला गावीत : मेरा सप्लीमेंटरी है, गत तीन वर्षों में विदेशी पर्यटकों से भारत में आने पर कितनी मुद्रा अर्जित की गई और सबसे अधिक पर्यटन किन–किन देशों से आये? क्या भारत में आतंकवादी घटनाओं के कारण चालू वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है? मैं एक और पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में अजन्ता–एलोरा और सिन्धुदुर्ग जैसे विख्यात मोनूमेंट्स के बारे में पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : एक वर्ष में औसतन 2.6 मिलियन विदेशी पर्यटक आते हैं। सितम्बर में हमले और बाद में अन्य गतिविधियों के कारण पर्यटन में चार प्रतिशत तक कमी आई। यह कमी सारे विश्व में आई और यह कमी अन्य देशों की तरह हमारे यहां इतनी अधिक नहीं थी। तथापि, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अक्तूबर माह में हमने इस ओर ध्यान दिया है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 16.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा आय के मामले में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह महत्वपूर्ण है। यह अक्तूबर माह में 29% यह प्रवृत्ति नवम्बर मास में भी देखी जा सकती है।

महोदय, जहाँ तक आतंकवादी गतिविधियों के दुष्प्रभावों की बात है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों को शिक्षित किया जाये। हमने उन सभी देशों में विशेष अभियान चलाया है जो हमें ऐसा नहीं करने के लिए सलाह देने हेतु टिप्पणियों कर रहे है क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति की सही जानकारी नहीं है। हमने सर्वेक्षण कराये हैं। यह सर्वेक्षण स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा भी कराये गये हैं। यह पाया गया है कि एक भी विदेशी पर्यटक को भारत में सुरक्षा के कारण धमकी मिली थी। हम उन देशों पर यह कहकर प्रभाव डाल रहे हैं कि यदि वे इस तरह की सलाहकार टिप्पणियों दे रहे हैं तो वे निश्चित तौर पर आतंकवादियों के इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति में आतंकवादी यह सोचते हैं कि यदि वे कही भी बम्ब विस्फोट करते हैं तो वे उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में वे देश आतंकवाद का उद्देश्य पूर्ण कर रहे हैं। यदि वे वास्तव में आतंकवाद को हतोत्साहित करना चाहते

हैं तो उन्हें इस तरह की गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। उनसे हमारा यही अनुरोध है।

हम भारत में पर्यटन के संबंध में अन्य देशों को जागरूक कर रहे हैं। मैं लंदन में रहा था। हमने उन्हें सारी स्थिति बतायी और उन्हें उन पर्यटकों के वक्तव्य भी दिये जो यहाँ आये और सबने एक मत होकर कहा कि वे स्वयं को भारत में न्यूयॉर्क स्ट्रीट के फोक्स एवेन्यू से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। यह वास्तविक स्थिति है...*(व्यवधान)*

दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ अधिकांश पर्यटन कहाँ से आते हैं। हमारे यहां अधिकतम पर्यटक ब्रिटेन से आते हैं। 16 प्रतिशत विदेशी पर्यटक ब्रिटेन से आते हैं और बाकी पश्चिमी यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। अब हमने जापान, चीन, कोरिया, कनोंडिया, वियतनाम और थाइलैंड जैसे देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 'लुक ईस्ट' प्रचार शुरू किया है। इस नीति के तहत हमने चीन से समझौता किया है। मैं स्वयं चीन और जापान गया हूँ। हमने वहां मथुरा कला और अजन्ता व एलौरा की कला पर एक बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की है। जिसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। वे वहां बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने जापान और लंदन में अजंता और एलौरा में हाल में हुए महान कार्यों के बारे में प्रदर्शन कराया है। वहा पर बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं।

महोदय, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि शायद माननीय सदस्य द्वारा भी देखा गया होगा कि हम विश्व को यह बताना चाहते हैं और इसे विश्व में भी स्वीकार किया गया है कि अभी अजंता और एलौरा में सुधार किये गये हैं। यह माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रथम प्रश्न का भाग है। इसके अलावा हम धौलावीरा से वर्तमान समय तक के विकास की व्याख्या के लिए प्रलेखन–सह–सूचना–सहव्याख्यान केन्द्र भी स्थापित कर रहे हैं। इन सभी केन्द्रों में हम संस्कृति, पर्यटन और स्वच्छ जन जीवन केन्द्र भी बना रहे हैं। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ऐसा केन्द्र होगा। हरियाणा राज्य के कुरूक्षेत्र और दिल्ली के लाल किले में काफी कार्य किया जा चुका है। यह सब संस्कृति और पर्यटन के केन्द्र हैं और यह भारतीय विरासत और इन्हें बनाने वाले भारतीय मानस की शक्तियों, और भारतीय जीवन की स्वच्छ और गौरवान्वित तस्वीर प्रस्तुत करेंगे और जो उन्हें आकर्षित करेंगी।

महोदय, अगला प्रश्न सिंधुदुर्ग किले से संबंधित है। हमने तटों पर स्थित किलों के पुनरूद्धार की एक योजना बनाई है। यह महान किला छत्रपति शिवाजी द्वारा बनवाया गया। पिछले 50 वर्षों से इसे नजर अंदाज किया जा रहा है। मैंने इस साल के लिए न्यूनतम एक करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की है और यदि उनकी पुर्नोदार, देखरेख और प्राचीन वैभव को बनाये रखने के लिए जरूरी होगा तो हम और धन राशि देंगे। हम किले के रास्ते को सुधारे जाने की भी व्यवस्था करेंगे। इससे उन किलों की भी देखरेख होगी जोकि तटीय क्षेत्रों में है। मैं आश्वस्त हूं कि यह देश के पश्चिमी भाग के पर्यटन में एक नयी शुरूआत है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन उद्योग बहुत संवेदनशील उद्योग है। साथ ही साथ यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एक प्रमुख स्त्रोत भी है। दुर्भाग्य से भारत एक विशाल देश होने के बावजूद भी विश्व पर्यटन के नक्शे पर, अगर देखा जाए, हमारा हिस्सा समूचे विश्व के पर्यटन में लगभग दो या तीन प्रतिशत से अधिक नहीं बनता। 98 प्रतिशत पर्यटक भारत न आकर के निकट के अन्य देशों में चले जाते हैं और उसके कुछ कारण हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता और प्रश्न बहुत लम्बा नहीं करना चाहता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात यह है कि क्या इस बात की कोई जांच पड़ताल, सर्वेक्षण, कोई आकलन या कोई मूल्यांकन किया गया कि वे कौन से कारण हैं कि हमारे पास भारत में इतनी विशाल सम्पदा होने के बावजूद भी कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं, कला है, वन्य प्राणी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी विश्व पर्यटन में हमारा हिस्सा इतना छोटा क्यों है? दूसरे, जिन कार्यालयों को आपने अन्य देशों के अंदर स्थापित किया है, उनमें से कुछ कार्यालयों में मेरे परिचित या मेरे मित्र लोग कार्यरत हैं। मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं क्योंकि शायद आपके पास सीधी जानकारी न आती हो, इन कार्यालयों की कार्य–प्रणाली है कि अधिकांश लोग वहां जाकर सिर्फ ऐशो–आराम करते हैं। वास्तव में उन्हें जिस कार्य के लिए वहां भेजा गया है, वे उस कार्य में बहुत कम समय लगाते हैं और वे इतने कम्पीटेंट भी नहीं हैं। सिफारिशी लोग वहां पहुंचे हुए हैं और इसलिए पर्यटन के जो जानकार हैं, वो बुनियादी पर्यटन को समझते हैं, जो प्रोफैशनल्स हैं, उस कार्य में उनको न लगाकर स्थिति यह है कि हमें पर्यटन में जो हिस्सा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इन कार्यालयों की कार्य–प्रणाली की कोई समीक्षा की गई थी कि कितने लोगों की आवश्यकता थी, कितना उन्होंने काम किया, उन प्रत्येक कार्यालयों में कितना एड किया

और उन्होंने कितना आउटपुट दिया और हर साल कितना एडीशनल आउटपुट बढ़ा या घटा? इस संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया? यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले और इस चुनौती का सामना करने के लिए कौन सी रणनीति बनाई है?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

श्री जगमोहन : मैं उनके महत्वपूर्ण उत्तर ही दूंगा।

पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है वह है, इतनी महान विरासत के बावजूद भी हमारा पर्यटन पिछले पचास वर्षों में क्यों नहीं बढ़ पाया है? क्या यह सही है। विश्व पर्यटन में हमारी भागीदारी मात्र 0.38 प्रतिशत है। जहां तक विदेशी मुद्रा की बात है हमें मात्र 14,000 करोड़ रु. की आय होती है। अब भी यह प्रतिशत इतना कम क्यों है?

माननीय सदस्य खजुराहो से हैं। मैं पहले उत्तर में ही यह बता चुका हूं कि कमियों को ठीक करने के लिए मैंने स्थल पर प्रभावी प्रबंधन और संस्कृति, पर्यटन, स्वच्छ जनजीवन के लिए समन्वित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। अब, सबसे बड़ी दिक्कत का हमें सामना करना पड़ रहा है वह उसकी सफाई है। यहाँ तक कि खजुराहो की अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक भी नागरिक कानूनों के उल्लंघन से दुकानों से घिरे हैं। यहां तक जामा मस्जिद भी जहां हजारों लोग आते हैं, घिरी हुई है। जहां कहीं भी जाते हैं यह दिक्कत आती है।

इसी कारण हमने अजंता और एलोरा में ध्यान रखा है। सभी बस्तियों और स्टाल पुनर्स्थापित कर दिये गये हैं। सुन्दर स्थलों पर नयी दुकानों और अन्य चीजें बना दी गयी हैं। अजंता के चारों और स्वच्छ वातावरण बनाया गया है। जैसा कि दूसरी शताब्दी ई.पू. में था। उसके साढ़े तीन कि.मी. के क्षेत्र में कोई वाहन नहीं है। जन सुविधाओं सहित प्रत्येक चीज का पर्यावरण की दृष्टि से ध्यान रखा गया है। यूरो मानक वाली बसें वहां हैं इसके अतिरिक्त अन्य बसें वहाँ नहीं जाती हैं। उसके पास भी कोई साधन नहीं जाता है। उन स्थलों के प्रबंधन की नयी व्यवस्था कर दी गई है। नयी टिकट व्यवस्था शुरू की गई है। नये प्रकृति चित्र भी बनाये गये हैं। पर्यटक झोपड़ियां बनाई गई हैं। टी–प्वाइंट से गुफाओं तक की यात्रा आप पर्यावरण के अनुकूल बसों और उन वाहनों में कर सकते हैं जो या तो बैट्री चालित हैं या फिर यूरो–दो मानक स्तर की हैं।

अन्य प्रश्न जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है वह यह है कि कभी–कभी विदेशी पर्यटन कार्यालय सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। मैं यह शिकायत स्वीकार करता हूं। यह प्रबंधन की आम समस्या है। जिससे न सिर्फ पर्यटन कार्यालय ही पीड़ित है वरन् अन्य कार्यालय भी पीड़ित हैं। यह ऐसा विषय है जहां हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हम इस विभाग को पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं।

इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमने ऐसे पांच कार्यालय बंद कर दिये हैं जो कि ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिए हम जहां भी जरूरत है उन्हें पुनः व्यवस्थित और उनका उन्नयन कर रहे हैं। नये कार्यालय खोलने के बारे में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमारे पास बीजिंग और कुआलालम्पुर में भी नये कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

इसलिए हम लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया गया है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी पहले ही 15 अगस्त को घोषणा कर चुके हैं कि पर्यटन हमारी पहली प्राथमिकता होगी क्योंकि यह रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम है। प्रत्येक एक मिलियन रुपया जो हम पर्यटन में निवेश करते हैं। उस पर हमें 47 नौकरियां मिलती हैं। इसकी तुलना में उद्योग में 12 नौकरी के अवसर होते हैं। इसी कारण अब हमने अपनी योजना की धनराशि बढ़ा दी है। इस साल का बजट पिछले साल से डेढ़ गुणा ज्यादा है। हमारी दसवीं योजना की धनराशि नौवीं पंचवर्षीय योजना से पांच गुणा ज्यादा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अजंता–एलोरा गुफायें हैं। इसके विकास के लिए जब आप मुख्यमंत्री थे, तब सैकेंड फेस प्रपोजल दिया गया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके विभाग ने एक अच्छा प्रपोजल तैयार करके NTPC के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। जापान सरकार ने भी इसको मान्य किया है और सुनने में आया है कि MoU जनवरी महीने में साइन होने वाला है। मैं मंत्री महोदय को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा, अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए, चिकलठाणा एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 430 करोड़ रुपए की मान्यता मिली है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी से बात करके एलोरा की गुफाओं में एक बहुत बडा फंग्शन करने की डेट दिलवा दीजिए। इस काम को करने के लिए बजट

कम है, लेकिन जापान सरकार से सहायता मिल रही है। अगर तारीख मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, माननीय सदस्य ने पर्यटन विभाग द्वारा किये गये कार्य के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने स्वयं देखा है क्योंकि वह कार्य इनके संसदीय क्षेत्र में किया गया है। यदि कोई भी माननीय सदस्य रूचि रखता है तो मैं उन्हें एक फिल्म दिखाना चाहूंगा कि पर्यटन विभाग द्वारा अजंता में नमूने के तौर पर क्या किया गया है और अन्य स्थानों पर बतौर नमूने क्या किया जा रहा है। इससे किये गये कार्य की विस्तृत जानकारी मिल जायेगी। उन सभी प्रश्नों के जवाब, जोकि माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जा रहे हैं इस फिल्म को दिखाकर दिये जा सकते हैं।...*(व्यवधान)*

वहाँ कुछ अन्य सवाल भी उठाये गए थे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सिद्धांतत दूसरे चरण को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। जो हम एलीफेन्टा और अन्य क्षेत्रों में विस्तार से करने जा रहे हैं। जब मैं अजंता और एलौरा की बात करता हूं तो इसका यह मतलब सिर्फ अजंता या एलौरा से नहीं है; इसका मतलब संपूर्ण क्षेत्र है जो अजंता और एलौरा के इर्द–गिर्द फैला है।

अजंता और एलौरा के बारे में मैंने कहा है कि वह सिर्फ एक केन्द्र बिन्दु है। इसमें दौलताबाद बीवी का मकबरा और कुछ अन्य जगह भी होंगे। यह सभी स्थल वास्तव में लिये जायेंगे. ..*(व्यवधान)*

श्री के. मलयसामी : महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें पूरक प्रश्न पूछने का भी मौका दिया जाना चाहिए।. ..*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, पर्यटन विस्तृत विषय है। हमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों आप सभी इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं और मैं इसकी अनुमति देता हूं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि इस विषय पर कई माननीय सदस्यों को बोलना है तो वे कोई और चर्चा कर सकते हैं यह मात्र प्रश्नकाल है। वे इस पर मात्र आधे–घण्टे की चर्चा कर सकते हैं और मैं इसकी अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है भारतीय पर्यटन के विभिन्न पहलुओं का संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2002 – 2003 के दौरान विभिन्न कार्यकलापों को करने के लिए 51 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध है। इसका मैं स्वागत करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा, विदेशी पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में आए, ऐसे सुप्रसिद्ध देश में जो पर्यटक स्थल हैं वहां इनफ्रास्ट्रक्चर और यातायात के साधनों की और ध्यान देना आवश्यक है। महोदय, हिमाचल प्रदेश में लाखों की संख्या में हर वर्ष विदेशी पर्यटक आते हैं, इसलिए वहां तीन हवाई पट्टियां भी उपलब्ध हैं। हमारे बार–बार आग्रह करने पर और मंत्री जी के प्रयासों से कुल्लू में पुनः दो वर्ष पहले सिविल एविएशन ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स शुरू की थीं। खेद का विषय है कि ये कुछ दिन पूर्व इसलिए बंद कर दी गई, उन्होंने कहा कि डोरनियर खराब है, उसे ग्राउंड कर दिया गया। दो दिन पूर्व ही स्थाई रूप से इंडियन एयरलाइंस की उड़ाने बंद कर दी गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या वह इस बारे में सिक्वि एविएशन मिनिस्टर से बात करेंगे कि वहां के महत्व को देखते हुए जल्दी से जल्दी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स शुरू की जाए। हम कहां तो यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक एटीआर–50 की उडान शुरू होगी और कहां पूर्णतया बंद कर दी गई। इसकी वजह से विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या को बहुत गहरा धक्का पहुंचेगा। क्या इस बारे में मंत्री जी सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात करेंगे?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें दो बातें कहीं गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश के आम पर्यटन विकास के बारे में कही गई है और दूसरी नागर विमानन से संबंधित समस्या के बारे में कही गई है।

जहाँ तक प्रश्न के प्रथम भाग का सवाल है, तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। मैं इसके राज्यवार ब्यौरे के

विस्तार में नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं इसका क्षेत्रवार ब्यौरा बताने जा रहा हूँ। उपची–मनाली रोड से लेह तक एक बहुत बड़ी परियोजना शुरु की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत बौद्ध मठों और वहाँ के सभी सुन्दर प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। हममें से कुछ लोगो को यह पता होगा कि उस क्षेत्र में 572 प्राकृतिक सौन्दर्य स्थल हैं और सभी को इस परियोजना के अंतर्गत लाया जाएगा। लोग इस क्षेत्र में लेह तक साहसिक पर्यटन तथा स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन का मजा ले सकेंगे।

केवल लेह के लिए ही 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। माननीय सदस्य के क्षेत्र के लिए इस वर्ष में 4–5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। उपची–मनाली रेंज से लेह के अलावा एक अन्य रोड भी है वह है शिमला–लेह रोड।

जहाँ तक नागर–विमानन संबंधी–समस्या का सवाल है, तो मैं निश्चित रूप से इस समस्या पर नागर विमानन मंत्री से चर्चा करूँगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए उनसे निरंतर संपर्क में है कि उसे विमान द्वारा जोड़ा जाए। हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे उसे विमान द्वारा जोड़े जाने के कार्य में भी प्रगति होनी चाहिए। यदि विमान द्वारा यह संपर्क स्थापित हो जाता है, तो इसका पूरा–पूरा लाभ मिल सकेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे प्रश्न पर चलूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसे किसी अन्य नियम के अन्तर्गत उठाने की अनुमति देने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिए। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि माननीय सदस्य को किसी अन्य नियम के तहत इस विषय को उठाने की इच्छा है, तो मैं इस पर अनुमति देने के लिए तैयार हूँ। हमने इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न करने के लिए 20 मिनट का समय दिया है, जबकि आमतौर पर केवल दो ही पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम लोग अगले प्रश्न पर चलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग चर्चा की माँग कर सकते हैं। यदि कार्य मंत्रणा समिति इस पर निर्णय करती है, तो मैं इसकी अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। आप आधे घंटे की चर्चा की भी मांग कर सकते हैं। मैं इसकी अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री के. मलयसामी : महोदय, क्या आप इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देंगे?....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाँ, इसकी अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इसकी समुचित सूचना दीजिए।

अब हम प्रश्न सं. 184 लेते हैं। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। श्री चाडा सुरेश रेड्डी।

...(व्यवधान)

कर्नाटक द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए पानी छोड़ा जाना

+

***184. श्री चाडा सुरेश रेड्डी :**

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को आंध्र प्रदेश द्वारा कृषि मोर्चे पर सामना किए जा रहे जल संकट से उबारने हेतु अलमाटी बांध से पानी छोड़ने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सिंचाई हेतु अत्यधिक जलाभाव का सामना कर रहे आंध्र प्रदेश के लिए कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्र सरकार को कृषि क्षेत्र में आंध्र प्रदेश द्वारा सामना की जा रही जल से कमी को उबरने के लिए अलमट्टी बांध से जल छोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण तथा वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, तैयारी, कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण, राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से तथा अपनी–अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार ऐसी अनुमोदित निर्माणाधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं तथा जो परियोजनाएं निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं, उनको पूर्ण करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही हैं। निर्माणाधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1996–97 से आंध्र प्रदेश के लिए 630.61 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

श्री चाडा सुरेश रेड्डी : महोदय, देश के किसी–न–किसी भाग में सूखे या बाढ़ की स्थिति का होना एक नियमित घटना है। इस परिप्रेक्ष्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए देश की नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाए। इसकी मांग आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू द्वारा भी की गई है। कर्नाटक का अलमाटी बांध अक्सर पानी से लबालब भरा होता है; इससे आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों को पानी छोड़कर वहाँ आसानी से पानी की आपूर्ति की जा सकती है। क्या केन्द्र सरकार अपने मधुर संबंधों का प्रयोग कर स्थायी रूप से ऐसा कोई समझौता कर सकती है जिससे कि अलमाटी बांध का पानी आंध्र प्रदेश के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

श्री अर्जुनचरण सेठी : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार ने अलमाटी बांध से पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है। जहाँ तक कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण का सवाल है, तो जिन राज्यों से नदियाँ निकलती हैं वहाँ पानी का अभाव होने की स्थिति में पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार को निर्देश देने का कोई प्रावधान नहीं है। जहाँ तक नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का सवाल है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही सभा में कहा है कि इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने इसका समर्थन किया है और हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम निश्चय ही इसको मूर्त रूप देने में पर्याप्त प्राथमिकता देंगे।

श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या सरकार आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित किसानों को उदारतापूर्वक सहायता करेगी जिससे कि वे आगामी वर्षों के दौरान भयंकर सूखे की स्थिति से उत्पन्न प्रकृति के कहर से बर्बाद न हों?

श्री अर्जुनचरण सेठी : हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष पूरे देश में मानसून की स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश विशेष रूप से मानसून की असफलता की मार झेल रहा है। जहाँ तक अलमाटी बांध से पानी छोड़ने का सवाल है, मैं समझता हूँ, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस संबंध में कर्नाटक के मुख्य मंत्री से पहले ही अनुरोध किया है। हमें आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है। जब कभी हमें इस तरह का कोई संवाद प्राप्त होगा, हम निश्चय ही कर्नाटक सरकार से आंध्र प्रदेश को पानी छोड़ने का अनुरोध करेंगे–क्योंकि बारिश न होने से यह राज्य प्रभावित है।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, दूसरे सदस्य अपना पूरक प्रश्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें श्री पलानीमनिक्कम के बाद अनुमति दूंगा।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि कर्नाटक से पानी छोड़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं जिससे कि कावेरी डेल्टा, विशेषकर तंजावुर जिले में लगी खरीफ फसलों को बचाया जा सके।

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदय, यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

श्री अर्जुनचरण सेठी : महोदय, तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही राज्य मानसून की असफलता से परेशानी में हैं... *(व्यवधान)* कृपया मुझे इसे पूरा करने दीजिए। आंध्र प्रदेश सरकार भी परेशानी में है ...*(व्यवधान)* न केवल इन्हीं तीनों राज्यों में, बल्कि अन्य राज्यों में भी मानसून की असफलता से पानी की कमी हो गई है। इस पूरे प्रकरण पर अदालत में विचार किया जा रहा है। इस मामले पर सी आर ए – कावेरी नदी प्राधिकरण भी विचार कर रहा है। अब चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो मैं इस बारे में यहाँ बात नहीं करना चाहूँगा। हम इस बात से निश्चय ही चिंतित हैं कि इन राज्यों की स्थिति दुःखद है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुकेन्दर रेड्डी, कृपया आप अपना पूरक प्रश्न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : अध्यक्ष जी, देश के अंदर पानी के वास्ते गड़बड़ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कावेरी जल के बारे में तीन जजमेंट देने के बाद भी कर्नाटक सरकार उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अलमाटी बांध में जो कृष्णा वाटर है वह वाटर आंध्र प्रदेश को देने के वास्ते मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि

[अनुवाद]

क्या सरकार का विचार जल नीति के उल्लंघनों की जाँच–पड़ताल करने के लिए एक राष्ट्रीय जल आयोग गठित करने का है। जिससे कि सरकारों और लोगों की कतिपय जवाबदेही तय की जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी राज्य के लोग पड़ोसी राज्य की हठ धर्मिता का शिकार न हों।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी कि सूखे या पेयजल की कमी से जूझ रहे पड़ोसी राज्यों की मानवीय आधार पर उपेक्षा न हो और जब कभी भी आपात स्थिति हो, तो उन्हें बाँधों, नदी घाटी आदि से पानी छोड़ने के लिए विचार किया जाए।

[हिन्दी]

कश्मीर की प्रॉबलम खत्म होती मालूम नहीं होती है, लेकिन पानी के लिए अन्तर्राज्यीय युद्ध संभव है। इसलिए जल्दी नेशनल वाटर कमीशन बनाकर इस प्राबलम को खत्म करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री अर्जुनचरण सेठी : महोदय, जहाँ तक जल बंटवारे के बारे में अन्तर्राज्यीय विवादों का सवाल है, मैंने पहले भी कहा है कि नदियों को एक दूसरे से जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यदि यह क्रियान्वित हो जाता है, तो निश्चय ही पूरी समस्या खत्म हो जाएगी।

जहाँ तक कावेरी से जुड़ा प्रश्न है, तो हमने हाल ही में सी आर. ए. की बैठक बुलाई थी, किंतु गण पूर्ति के अभाव में बैठक हो नहीं सकी। हम सी आर ए की बैठक फिर बुलाने पर विचार कर रहे हैं। जहाँ इस विषय पर आगे विचार किया जा सके।

श्री के. मलयसामी : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के मेरे माननीय मित्र चाहते थे कि पानी शीघ्र छोड़ा जाए, किंतु मंत्री जी नदियों को एक–दूसरे से जोड़ने की सलाह दे रहे हैं जिसमें दशकों लगेंगे। माननीय सदस्य शीघ्र हल चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप उन्हें शीघ्र राहत दे सकते हैं? प्रश्न यह है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"वर्ल्ड टूरीज्म मार्ट" की बैठक

*185. **डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति** :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लंदन में "वर्ल्ड टुरीज्म मार्ट" (डब्ल्यू.टी.एम.) की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों/अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "वर्ल्ड टुरीज्म मार्ट" में कई नई नीतियों की रूपरेखा तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों का आगमन बढ़ाने हेतु क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री द्वारा किया गया और इसमें पर्यटन विभाग, विभिन्न राज्य सरकारों से प्रतिनिधि तथा यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधिक समूह सम्मिलित थे।

(ग) और (घ) इस मार्ट के दौरान भारत के पर्यटन उत्पादों को ब्रांड नाम "इन्क्रेडिबल इंडिया" के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख बाजारों में पुनः अवस्थित किया गया। इस अवसर का उपयोग, भारत के पर्यटन उत्पादों के उन्नयन एवं संवर्धन हेतु प्रारंभ की गई विभिन्न प्रकार की शुरूआतों से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग को अवगत कराने के लिए भी किया गया।

(ङ) प्रमुख बाजारों में भारत के संवर्धन हेतु विपणन रणनीति में, प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देना, मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, ब्रोशर, सीडी रोम्स द्वारा सूचना का आदान–प्रदान, आतिथ्य सत्कार कार्यक्रम के अन्तर्गत मीडिया से जुड़ी हस्तियों को आमंत्रित करना, वेब मार्केटिंग, कार्यशालाएं एवं सेमिनार आदि आयोजित करना, शामिल है।

[हिन्दी]

पूर्वी भारत में फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु योजना

*186. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर पूर्वी भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पूर्वी भारत तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों के अलावा असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के सभी जिलों में कार्यान्वयन हेतु एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु खेतों पर जल प्रबंध" मार्च, 2002 के दौरान शुरू की गई है। इस स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखा जाएगा।

स्कीम के घटक इस प्रकार हैं:–

- व्यक्तियों/कृषक समूहों को पम्प सैट युक्त उथले नलकूपों की स्थापना हेतु सहायता।
- कृषक समूहों को सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई बिन्दुओं (एल आई पी) के लिए सहायता।
- किसानों को व्यक्तिगत तौर पर इलैक्ट्रिक/डीजल वाटर पंपिंग सैटों के लिए सहायता।
- केवल पठारीय क्षेत्र में कुएं खोदने के लिए सहायता।

यह स्कीम पश्चात्त ऋण सहायता स्कीम है और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पूर्वी भारत में स्थित दस राज्यों में राज्य सरकारों के समन्वय से किया जाएगा। यह स्कीम मार्च, 2002 के दौरान शुरू की गई है और दसवीं योजना की संपूर्ण अवधि के दौरान जारी रहेगी।

स्कीम का वित्त पोषण 20:50:30 आधार पर किया जाएगा; अर्थात औसत इकाई लागत का 20% लाभानुभोगियों का अंशदान होगा, औसत इकाई लागत का 50% वाणिज्यिक/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण के रूप में तथा शेष 20% सहायता भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।

(ग) इस स्कीम के कार्यान्वयन से तथा किसानों के पास सिंचाई हेतु पानी की निश्चित उपलब्धता के परिणामस्वरूप इन राज्यों में विशेषकर रबी/ग्रीष्म चावल की अतिरिक्त उत्पादकता 3 टन प्रति हैक्टेयर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा खरीफ मौसम के दौरान एक टन प्रति हैक्टेयर अतिरिक्त उपज प्राप्त होने की आशा है।

[अनुवाद]

टूरिस्ट एयर टैक्सी

*187. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन क्षमता का विकास और उसका दोहन करने हेतु 'टूरिस्ट एयर टैक्सी' शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों का निजीकरण

*188. **श्री ए. ब्रह्मनैया :**

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उनके मंत्रालय से विमानपत्तनों के निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विमानपत्तनों के निजीकरण के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों (एस. पी. वी.) का निर्माण किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे विशेष प्रयोजन वाहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वित्तीय संस्थानों ने विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए ऐसे विशेष प्रयोजन वाहनों हेतु निवेशकों से धनराशि लगाए जाने की सिफारिश की है;

(ङ) इस उद्देश्य हेतु किन–किन विमानपत्तनों का चयन किया गया है;

(च) क्या उक्त निजीकरण से अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(छ) उक्त कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नई नियुक्तियां अभी भी की जा रही है जबकि लगभग 30% फालतू कर्मचारियों की पहचान की गई है, और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो अन्य बातों के साथ–साथ हवाईअड्डों की रिस्ट्रक्चरिंग की प्रगति की मॉनिटरिंग करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस उद्देश्य के लिए दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता हवाईअड्डों को चुना गया है।

(च) और (छ) जी, नहीं। रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों की वैध शिकायतों पर उपयुक्त सुनवाई की जाएगी।

(ज) और (झ) प्रचालन संबंधी जरूरतों के कारण केवल जटिल तथा अनिवार्य क्षेत्रों में नई भर्ती की जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अभी तक फालतू कर्मचारियों की कोई पहचान नहीं की गई है।

पर्यावरणीय और वानिकी कानूनों का उल्लंघन

*189. **डा. मन्दा जगन्नाथ :**

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिछले एक वर्ष के दौरान और उसके बाद पर्यावरण और वानिकी कानूनों का उल्लंघन करने पर कुछ राज्यों और कंपनियों पर कोई जुर्माना लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, चट्टानों आदि पर विज्ञापन लिखने के लिए कुछ कंपनियों पर भी कोई जुर्माना लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगा है और ये मामले किस–किस राज्य और कंपनी से संबद्ध हैं और ऐसे प्रत्येक मामले में उनके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई और पारिस्थितिकी को पुनः बहाल करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार को पूरे मामले की जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने अपने 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में दिनांक 26.9.2002 के 2002 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 780 के द्वारा अंतरिम आदेश में क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को एक करोड़ रुपये और विभिन्न कंपनियों, जिन्होंने रोहतांग पास की पहाड़ियों पर विज्ञापन लगाए हैं, जिनमें मल्होत्रा बुक डिपो, कोका कोला, पेप्सी कोला, ग्रासिम, फेना, भारतीय स्टेट बैंक, स्लीपवैल और एमरॉन, शामिल है, को एक करोड़ रुपए के भुगतान के निर्देश दिए हैं।

(घ) से (च) उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय उच्च शक्ति समिति के क्षेत्रों को हुई हानि के मरम्मत संबंधी कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है।

संरक्षित स्मारक

*190. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**

श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर मध्य प्रदेश और बिहार में, केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित घोषित किए गए पुरातन स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्मारकों को केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित घोषित किए जाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उन स्मारकों के उचित संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को, विशेषकर मध्य प्रदेश और बिहार को, स्मारक–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) देश में पहले ही 3606 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। हाल में स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए नई पहलें की गई हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान, और स्मारकों/स्थलों के संरक्षण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कई अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। स्मारकों स्थलों का ब्यौरा, जहाँ अधिसूचनाएं पूरी की गई हैं। संलग्न विवरण–I पर दिया गया है। उन स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा, जहाँ संरक्षण प्रस्तावों पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है, और जो विचाराधीन है, क्रमशः संलग्न विवरण II तथा III पर दिया गया है।

(ख) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन, कोई संरचना, इमारत या स्मारक, या कोई स्तूप या नजरबन्दी का स्थान, या कोई गुफा, शैल मूर्ति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्म, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक अथवा कलात्मक रूचि का है और जो सौ वर्ष से कम समय का नहीं है तथा जिसमें (1) किसी प्राचीन स्मारक के अवशेष (2) किसी प्राचीन स्मारक का स्थल शामिल है, उन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/स्थल के रूप में घोषित किए जाने पर विचार किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए, पुरातत्वीय सिद्धांतों के अनुसार दिन प्रति दिन के रखरखाव, संरचनात्मक मरम्मतें, रसायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास द्वारा पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आबंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया है तथा तीन वर्षों के दौरान संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संबंध में स्मारक वार ब्यौरा संलग्न विवरण–V में दिया गया है।

विवरण-I

उन स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा, जहां संरक्षण प्रक्रिया 2000–2002 के दौरान पूरी हो गई

क्र. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	अधिसूचना की तारीख/वर्ष	प्रक्रिया पूरी की गई
1	2	3	4
1.	मोहम्मद खान बंगश नवाव का मकबरा, फर्रूखाबाद, उ.प्र.	26.2.2000	पूरी की गई
2.	श्री आपात सहायेश्वर मंदिर तथा गेटवे एवं घोड़े, सेंथामंगलम, तमिलनाडु	26.2.2000	–वही–
3.	सुवर्णेश्वर मंदिर, हल्सी, कर्नाटक	22.12.2000	–वही–
4.	रामलिंगेश्वर मंदिर, हल्सी, कर्नाटक	22.12.2000	–वही–

1	2	3	4
5.	भू–वराह मंदिर, हल्सी, कर्नाटक	22.12.2000	–वही–
6	कालमेश्वर मंदिर, हल्सी, कर्नाटक	22.12.2000	–वही–
7.	शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक की मज़ार, दिल्ली	12.12.2000	–वही–
8.	किला दीवार तथा स्मारक, लाल किला, दिल्ली	31.7.2002	–वही–
9.	सलीमगढ़ किला, दिल्ली	13.9.2002	–वही–
10.	शाहजहांनाबाद की नगर दीवार	13.9.2002	–वही–

विवरण-II

उन स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा, जहाँ वर्ष 2000–2002 के दौरान संरक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

क्र. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	तारीख/प्रक्रिया शुरू की गई
1.	करेंसी बिल्डिंग, कलकत्ता	3.7.2002
2.	एशियाटिक सोसाइटी बिल्डिंग, कलकत्ता	3.7.2002
3.	प्राचीन बौद्ध स्तूप स्थल, कंगनहल्ली, कर्नाटक	14.9.2002
4.	अरूणाचलेश्वर मन्दिर, तिरूवन्नामलई, तमिलनाडु	21.9.2002
5.	इन्स्टीट्यूट डि चन्दनगर	29.10.2002
6.	ग्वालियर का किला	29.10.2002
7.	पाताल भुवनेश्वर, उत्तरांचल	29.10.2002
8.	नाभा हाउस, कुरूक्षेत्र	29.10.2002
9.	बेथ–एल–सिनगॉग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	9.11.2002
10.	मेगन डेविड़, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	9.11.2002
11.	भीमगढ किला, रियासी, जम्मू व कश्मीर	9.11.2002
12.	तामलुक राजवटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	20.11.2002

विवरण-III

उन स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा, जहां संरक्षण प्रक्रिया 2000–2002 के दौरान विचाराधीन है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप (सं. रा. क्षेत्र)

1. ओल्ड बिल्डिंग, रास द्वीप

असम

2. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिल्चर

बिहार

3. ऋषि राजनाराय बसु का घर, देवधर, बिहार
4. एल. एस. कॉलेज, मुजफ्फरपुर, बिहार
5. बोधगया मंदिर, बिहार

दिल्ली

6. सीरी फोर्ट दीवार एवं इससे लगा ऐतिहासिक टीला
7. स्वामी श्रद्धानंद बलिदान भवन, दिल्ली
8. रोशनआरा रोड़ स्थित भवन जहां स्वामी विवेकानन्द ठहरे थे, दिल्ली
9. कुली खान का मकबरा, महरौली, नई दिल्ली
10. किला राय पिथौरा एवं सीरी फोर्ट दीवार, दिल्ली

गोवा

11. महादेव मंदिर, तामदीसुरला, गोवा

गुजरात

12. भाउ ताम्बेकरवाला, वड़ोदरा

हरियाणा

13. मकबरा समूह, झज्जर
14. प्राचीन स्मारक, बारेशाम करनाल
15. पृथ्वीराज चौहान का नीमराना महल, हरियाणा
16. तौरू के मकबरे, जिला गुडगांव, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

17. बौद्ध मठ, लहालंग, जिला लाहुल–स्पीती
18. हितेश्वरी देवी मंदिर, शिव मंदिर तथा चार लघु मंदिर, हाटकोटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश
19. बालकेश्वर महादेव मंदिर, शिमला, हिमाचल प्रदेश
20. नाडंग स्थित बौद्ध मंदिर, लाहुल–स्पीती
21. बौद्ध मठ नाका, जिला किन्नौर, हि. प्र.
22. दुर्गा मंदिर, जिला कांगड़ा, हि. प्र.
23. शिव मंदिर, जुब्बल, शिमला, हि. प्र.
24. चन्द्रशेखर मंदिर, चम्बा, हि. प्र.
25. खज्जी नागा मंदिर, खज्जर, जिला चम्बा, हि. प्र.
26. लक्ष्मी नारायण मंदिर, उदयपुर, चंबा, हि. प्र.
27. शिव शक्ति देवी मंदिर, चम्बा, हि. प्र.
28. थुंग्यार गुम्फा, कार्ला, जिला किन्नौर, हि. प्र.
29. शिव मंदिर, महाकाल मंदिर एवं भूतनाथ मंदिर, मंडी, हि. प्र.
30. स्मारक, पंगी घाटी चंबा, हि. प्र.
31. शिव मंदिर, जोगिन्दर नगर, मंडी, हि. प्र.
32. बारसेला स्मारक, जिला मंडी, हि. प्र.

जम्मू-कश्मीर

33. प्राचीन न्यारमा मठ, लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर
34. हरी परभात श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर
35. चिकतन तथा अन्य गुफाएं एवं मठ, जिला कारगिल, जम्मू एवं कश्मीर

कर्नाटक

36. स्मारक टीपू सुल्तान, श्रीरंगपतनम
37. अनेगुंडी पुल तथा अन्य संबंधित प्राचीन स्मारक, हम्पी
38. माता मणिकेश्वरी पहाड़ी मानिकगिरि, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक
39. श्री सोमेश्वर तथा चन्द्रशेखर का मंदिर, हसन, कर्नाटक
40. मुलतगी ग्राम के चालुक्य राजवंश काल के स्मारक, कर्नाटक
41. चित्तूर ग्राम स्थित रामनाथेश्वर तथा अन्य मंदिर, जिला शिमोगा, कर्नाटक
42. प्राचीन चालुक्य मंदिर, बादामी, बागलकोट जिला, कर्नाटक
43. विरूपक्ष मंदिर, कर्नाटक

केरल

44. श्री तिरूवंकीडम महाश्रीषु मंदिर, चोडिस्सरी जिला त्रिचूर, केरल
45. श्री वडकुन्नाथा मंदिर, थंपोमोन, जिला पथनामथिला, केरल
46. श्री रामा स्वामी मंदिर, वल्लारकेड, त्रिसूर

मध्य प्रदेश

47. प्रागैतिहासिक शैकाश्रय, भीमबेटका, जिला रायसेन
48. गौहर महल, भोपाल, म प्र
49. मार्शल का घर, सांची, रायसेन, म प्र
50. टाउन हाल बिल्डिंग, शिवपुरी, म प्र

महाराष्ट्र

51. अंबरनाथ शिव मंदिर, मुम्बई के निकट
52. हरीश्वरा मंदिर, कुडाल, संगम, जिला सोलापुर
53. सपोरा ग्राम का बौद्ध स्तूप, जिला थाणे
54. अहमदनगर किला
55. गांधी आश्रम, सोलापुर
56. आगा खां महल, पुणे

उड़ीसा

57. खंडगिरि एवं उदयगिरि की प्राचीन गुफाएं, कटक के निकट
58. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म स्थान अर्थात कटक स्थित जानकी नाथ भवन

पंजाब

59. माता जयंती देवी मंदिर, रोपड़, पंजाब

60. रणजीत सिंह किला, फिल्लौर, पंजाब

61. दुर्गीयाना मंदिर, अमृतसर, पंजाब

राजस्थान

62. प्रिमोडिअल बेदी के शैल अवशेष, अलवर, राजस्थान

63. महाराणा प्रताप की समाधि, राजस्थान

64. प्राचीन स्थल ओझियाना, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

65. रक्त तलई, चेतक समाधि, हल्दी घाटी, बादशाही गेट, राजस्थान

66. बादशाही बाग, राजसमंद, राजस्थान

67. रमकपुर जैन मंदिर परिसर

तमिलनाडु

68. तिरूमंगेश्वर मंदिर, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु

69. कैलाशनाथ मंदिर, तिरपतुर, तिरूचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु

70. उत्खनित अवशेष, बौद्ध विहार और मंदिर, पल्लवेनेश्वरम
धाम जिला, तमिलनाडु

71. कन्या कुमारी जिला में स्मारक, तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

72. उत्खनित स्तूपों के आस–पास भूमि क्षेत्र तथा चौखडी स्तूप, सारनाथ, उत्तर प्रदेश

73. उरई के टीले, सदर बस्ती, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश

74. स्मारकें कसना, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

75. पन्त सदन, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का घर

76. अष्ठ सखी कुण्ड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, जिला मथुरा

पश्चिम बंगाल

77. क्लाइव हाउस, डमडम

78. शिव मंदिर परिसर, श्री बबनीपाड़ा, कोलकाता

79. मुख्य द्वार नौबत खाना, हंगेश्वरी व बासुदेव मंदिर, हुगली

80. हेस्टिम हाउस, बारासात

81. ख्वाजा अनवर बर्थ (नवाब बाड़ी महल) बर्दमान

82. इमामबाड़ा, पीली मस्जिद, त्रिपौलिया गेट, दक्षिण गेट, हजारदुआरी परिसर

83. कविगुरू रवीन्द्रनाथ ठाकुर का एस्टेट, कोलकाता

विवरण-IV

मध्य प्रदेश तथा बिहार सहित राज्यों को किए गए आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	123.40	136.29	141.39
2.	असम	62.06	120.18	99.58
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.75	05.00	01.80
4.	बिहार	115.70	134.00	86.48
5.	छत्तीसगढ़	–	–	16.70
6.	दिल्ली	300.49	219.96	277.14
7.	दमन और दीव	20.25	15.00	23.61
8.	गोआ	47.35	39.77	50.61
9.	गुजरात	79.63	100.67	99.59
10.	हरियाणा	63.22	60.00	91.85
11.	हिमाचल प्रदेश	105.75	80.00	91.11
12.	जम्मू–कश्मीर	96.00	112.60	145.03
13.	झारखण्ड	–	–	04.33

1	2	3	4	5
14.	कर्नाटक	252.12	248.13	476.19
15.	केरल	50.68	79.50	74.12
16.	मध्य प्रदेश	189.00	01.64	250.51
17.	महाराष्ट्र	139.00	153.00	828.49
18.	मणिपुर	03.94	0.50	01.42
19.	मेघालय	–	02.00	04.94
20.	नागालैंड	02.66	03.00	05.67
21.	उड़ीसा	108.00	80.00	112.87
22.	पांडिचेरी (सं.रा.क्षेत्र)	01.80	15.00	03.30
23.	पंजाब	39.04	23.00	57.92
24.	राजस्थान	161.00	174.69	235.00
25.	सिक्किम	30.20	20.00	27.60
26.	तमिलनाडु	110.57	110.80	187.79
27.	त्रिपुरा	21.21	05.00	17.05
28.	उत्तर प्रदेश	370.00	297.11	385.13
29.	उत्तरांचल	–	–	36.52
30.	पश्चिमी बंगाल	100.00	80.70	146.13
	योग	2593.82	2317.54	3980.87

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षित प्रत्येक स्मारक/स्थल को आबंटित धनराशि का ब्यौरा

(लाखों में)

क्र. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान/जिला/ राज्य	पिछले तीन वर्षों (1999–2001) के दौरान धनराशि का आबंटन
1	2	3	4
1.	प्राचीन स्थल लोथल	जिला अहमदाबाद, गुजरात	5.09 रु.
2.	मोहम्मद खान बंगश नवाब का मकबरा	जिला फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश	शून्य
3.	श्री अपथसहायेश्वर मंदिर तथा गेट वे तथा घोड़े	सैंथामंगलम, यूलूनदुरपेट तालुक, विल्लूपुरम जिला, तमिलनाडु	4.76 रु.
4.	सुवर्णेश्वर मंदिर	हलशी, खानपुर तालुक, वेलगांव जिला, कर्नाटक	शून्य
5.	रामलिंगेश्वर मंदिर	हलशी, खानपुर तालुक, वेलगांव जिला, कर्नाटक	शून्य
6.	भू–वाराह मंदिर	हलशी, खानपुर तालुक, वेलगांव जिला, कर्नाटक	4.95 रु.
7.	कालमेश्वर मंदिर	हलशी, खानपुर तालुक, वेलगांव जिला, कर्नाटक	शून्य
8.	शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक की मज़ार	चिन्नोर्ड बस्ती (कदम शरीफ) नवी करीम, पहाड़ गंज, दिल्ली	3.31 रु.

कृषि भूमि का कम होना

***191. श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवासीय और औद्योगिक कार्यों हेतु भूमि के दोहन के कारण कृषि भूमि धीरे–धीरे कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि भूमि के अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाने पर रोक लगाने के लिए कोई विधान लाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) भू–उपयोग सांख्यिकी के आंकड़ों से पता चलता है कि निवल बुवाई क्षेत्र वर्ष 1980–81 के 140.27 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर वर्ष 1998–99 में 142.60 मिलियन हैक्टेयर हो गया है। इसी

अवधि के दौरान आवासी और औद्योगिक प्रयोजनों सहित गैर–कृषि उपयोगों के अंतर्गत क्षेत्र 19.86 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 22.81 मिलियन हैक्टेयर हो गया है। इससे स्पष्ट है कि निवल बुवाई क्षेत्र में कमी नहीं आई है। बल्कि पिछले दो दशकों में इसमें 2.33 मिलियन हैक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान गैर–कृषि उपयोगों के अंतर्गत क्षेत्र में भी संलग्न विवरण के अनुसार 3.15 मिलियन हैक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि कुछ कृषि भूमि का उपयोग गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए किया गया है। तथापि, परती भूमि और अन्य अवक्रमित भूमि सुधार द्वारा एक बहुत बड़े क्षेत्र को खेती के अधीन भी लाया गया है, जिसके कारण निवल बुवाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

चूंकि भूमि राज्य का विषय है अतः कृष्य भूमि को अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग को रोकने का काम राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। कुछ राज्यों ने अपने राज्य भू–उपयोग बोर्डों के जरिए अपनी सरकारों के संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए हैं कि उपजाऊ कृषि भूमि का उपयोग गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए न हो और यदि ऐसा करना आवश्यक हो जाता है तो अंतरित भूमि के बदले में उतनी ही भूमि कृषि उपयोग हेतु देने के प्रयास किए जाएं। भारत सरकार राज्य भू–उपयोग बोर्डों का समर्थ करती है।

विवरण

वर्ष 1980–81 एवं 1998–99 हेतु भारत में विभिन्न उपयोगों द्वारा कृषि भूमि का वितरण

(क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर में)

क्र.सं.	क्षेत्र का वर्गीकरण	1980–81	1998–99
1	2	3	4
1.	भौगोलिक क्षेत्र	328.73	328.73
2.	भू–उपयोग सांख्यिकी के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्र (i) से (v)	304.15	306.04
(i)	वन	67.47	68.87
(ii)	कृषि हेतु उपलब्ध नहीं (क+ख)	19.66	22.81
	(क) गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्र	(6.4)	(7.4)
	(ख) बंजर और अकृष्य भूमि	19.96	19.55
		(6.6)	(6.4)
(iii)	परती भूमि को छोड़कर अन्य अकृष्य भूमि (क+ख+ग)	11.97	11.10
		(3.9)	(3.6)
	(क) स्थायी चारागाह एवं अन्य चारा भूमि		
	(ख) विविध फसलों और झाड़ियों के अंतर्गत भूमि जिसे निवल बुवाई क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।	3.60 (1.2)	3.60 (1.2)
	(ग) कृष्य परती भूमि	16.74	13.97
		(5.5)	(4.6)
(iv)	परती भूमि (क+ख)	9.92	9.91
	(क) वर्तमान परती भूमि के अलावा परती भूमि	(3.3)	(3.2)
	(ख) वर्तमान परती भूमि	14.83	13.53
		(4.9)	(4.4)
(v)	निवल बुवाई क्षेत्र (vi-vii)	140.27	142.60
		(46.0)	(46,6)
(vi)	कुल फसल क्षेत्र (सकल फसल क्षेत्र)	172.63	192.62
(vii)	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	32.63	50.02
(viii)	फसल गहनता*	123.3	135.10
3.	असिंचित क्षेत्र	38.72	57.03
4.	सकल सिंचित क्षेत्र	49.78	75.55

* फसल गहनता सकल फसली क्षेत्र और निवल बुवाई क्षेत्र का प्रतिशत है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रिपोर्ट किए गए क्षेत्र के प्रतिशत का उल्लेख करते हैं।

[हिन्दी]

अतिरिक्त खाद्यान्न

***192. प्रो. दुखा भगत :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान निर्यात हेतु खाद्यान्न की कितनी अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध थी;

(ख) क्या इन खाद्यान्नों की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का उत्पादन सुनिश्चित करने और किसानों को प्रासंगिक तकनीक की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) कृषि उत्पादों का निर्यात अधिकतम करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) केन्द्रीय पूल से निर्यात के लिए वर्ष 2001–02 के दौरान 50 लाख मी. टन गेहूं और 30 लाख मी. टन चावल दिये गये।

(ख) और (ग) सरकार ने केन्द्रीय पूल से निर्यात के लिए चावल और गेहूं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य अभिकरणों और निजी निर्यातकों को देने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी। निर्यातकों को लदान के पहले निर्यात के लायक स्टाफ की पहचान करने/चुनने की अनुमति दी जाती है। भारतीय खाद्य निगम से उठाये गये उसी किस्म के चावल और गेहूं का निर्यात किया जाना अपेक्षित है।

(घ) सरकार ने उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न के उत्पादन और किसानों को संगत तकनीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। किये गए उपायों में पनधारा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, नई प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रवर्धन पर जोर देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय करना, भंडारण/शीतागार क्षमता बढ़ाने के लिए ऋण से जुड़ी हुई राजसहायता स्कीम, पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, मण्डी सूचना नेटवर्क और राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम शामिल है। सरकार ने नवंबर, 2002 से राज्यों को सहायता देने के लिए परंपरागत योजनापरक दृष्टिकोण से हटकर वृहत् प्रबंधन प्रणाली अपनायी है। कार्य योजनाओं के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों ने सहयोग और बढ़ावा देने के लिए वृहत प्रबंधन प्रणाली में 27 स्कीमों को एक में समेकित किया गया है। यह स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए उनके द्वारा सामना की जा रही विशेष समस्याओं के समाधान करने, विभिन्न स्कीमों में अंतर्निहित विषयों के परस्पर आच्छादन से बचने में राज्यों को लचीलापन प्रदान करता है तथा इसका लक्ष्य कृषि में समग्र विकास करना है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन सहित मूल्य नीति के जरिये उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन करती है।

(ङ) कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:–

(i) कृषि निर्यात क्षेत्रों (जोन) की स्थापना।

(ii) अच्छी गुणवत्ता की पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु छोटी और बड़ी नर्सरियां लगाने, प्रदर्शनी प्रशिक्षणों और प्रचार के जरिये किसानों की तकनीकी जानकारी के उन्नयन, पुराने बागानों के सुधार, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधारना और कृषकों को प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना।

(iii) उन्नत पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण और प्रसंस्करण इकाईयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देना।

(iv) क्रेता–विक्रेता बैठकों जैसे प्रवर्धनात्मक अभियानों को प्रबंध करना तथा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(v) डाटा बेस के विकास और मंडी सूचना के प्रसार में सहायता प्रदान करना।

(vi) गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों के परिक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, संदूषण समाप्त करने और कवक एवं बैक्टेरिया से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सहायता देना।

(vii) अध्ययन दौरे, मेले में सहभागिता आदि जैसे निर्यात से संबंधित कार्यकलापों हेतु मंडी विकास सहायता।

(viii) भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से गेहूं, गेहूं उत्पादों और चावल के निर्यात के लिए विपणन और परिवहन के कारण विश्व व्यापार संगठन को स्वीकार्य कुछ लागत की क्षतिपूर्ति।

बाल श्रम

*193. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**

श्री शिवाजी माने :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है, जिन्होंने बाल श्रमिकों को काम पर लगाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (ग) रेलवे, बड़े पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व केन्द्र पर है। अन्य सभी मामलों में, अधिनियम के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर है। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसी कोई घटना इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाई गई है।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिक

*194. **श्री रामजी लाल सुमन :**

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश श्रमिक कृषि से अपना जीविकोपार्जन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो नौवें दशक में कुल कितने श्रमिक थे और इस समय कुल कितने श्रमिक हैं तथा इनमें कुल कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या इन श्रमिकों को पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है;

(घ) यदि हां, तो एक वर्ष में औसतन कितने दिवसों तक उन्हें रोजगार मिलता है और उन प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत उन्हें पूरे वर्ष रोजगार मिल सके; और

(ङ) ऐसे श्रमिकों की औसत राष्ट्रीय आय की तुलना में अनुमानित वार्षिक आय कितनी है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (ङ) रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बल के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष 1993–94 और 1999–2000 के दौरान उनके द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार कृषि में लगे कर्मकारों की प्रतिशतता क्रमशः लगभग 65 प्रतिशत और 60 प्रतिशत थी। देश में वर्ष 1999–2000 में कुल 397 मिलियन कर्मकारों में से एक वर्ष में 183 दिनों से कम कार्य करने वाले कर्मकारों की संख्या लगभग 31 मिलियन थी। सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाएं चलाई हैं ताकि कृषि कार्य में मंदी वाले मौसमों या सूखे जैसी स्थितियों में रोजगार की अत्यन्त कमी होने पर मजदूरीशुदा रोजगार प्रदान किया जा सके। कुछ अन्य स्कीमों में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि शामिल हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में नियोजित प्रति कर्मकार वार्षिक औसत मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों में 7704/– रुपए और शहरी क्षेत्रों में 11748/– रु. थी।

सर्कसों से जानवरों को छुड़ाना

*195. **श्रीमती मेनका गांधी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सर्कसों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने जानवरों की ऐसी पांच प्रजातियों की अभी तक सुपुर्दगी नहीं दी है, जिनके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उन पशुओं का प्रदर्शन न करने के लिए आदेश दिया गया है;

(ख) सरकार द्वारा उनका लाइसेंस रद्द करने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में ऐसी प्रजातियों की संख्या कितनी है जिनका इन सर्कसों में अभी भी उपयोग किया जा रहा है;

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान और उसके बाद ऐसी प्रजातियों के कितने जानवर मर गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी प्रजातियों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) भारत सरकार ने दिनांक 14.10.1998 की अपनी अधिसूचना सं. जी एस आर 619 ई के द्वारा जानवरों की पांच प्रजातियों के करतब दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया। जिन सर्कसों ने इन पांच प्रजातियों का अभ्यर्पण नहीं किया उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख), (ग) और (ङ) स्वामित्व प्रमाण पत्र को रद्द करने की शक्ति राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डनों के पास निहित है। अतः भारत सरकार ने राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डनों से अनुरोध किया है कि वे इन पांच प्रजातियों के संबंध में सर्कसों

को जारी किए गए स्वामित्व प्रमाण पत्रों को रद्द कर दें। भारत सरकार द्वारा स्थापित 5 बचाव केन्द्रों से अब तक 234 जानवरों की जब्ती और पुनर्वास किया गया है। लगभग 337 और जानवर इन सर्कसों के पास हैं।

(घ) जिन 234 जानवरों का पुनर्वास किया गया उनमें से 7 जानवरों की पिछले एक वर्ष के दौरान (1.11.2001 से 30.10.2002) मृत्यु हो गई।

विवरण

सर्कसों के नाम, जिन्होंने अपने जानवर सुपुर्द नहीं किए हैं।

क्र. सं.	सर्कस का नाम	नियंत्रणाधीन जानवर				
		बाघ	शेर	तेंदुआ	रीछ	बंदर
1	2	3	4	5	6	7
1.	अमर सर्कस	–	4	–	–	–
2.	रॉयल सर्कस	–	8	–	–	–
3.	दी ग्रेट रॉयल सर्कस	12	15	–	–	–
4.	अपोलो सर्कस	–	3	–	–	–
5.	न्यू ग्रांड सर्कस	–	19	–	–	–
6.	आर्यन सर्कस	–	1	–	–	–
7.	प्रभात सर्कस	–	6	–	–	–
8.	न्यू साई बाबा सर्कस	–	3	–	–	–
9.	एरीना सर्कस	1	3	–	–	–
10.	राज लक्ष्मी सर्कस	2	16	–	–	–
11.	ग्रेट प्रभात सर्कस	–	25	–	–	–
12.	गोल्डन जुबली सर्कस	–	2	–	–	–
13.	दी एम्पायर सर्कस	–	6	–	–	–
14.	माहीदा सर्कस	–	2	–	–	–
15.	जेमिनी सर्कस	5	25	2	4	–
16.	किंग भारत सर्कस	–	4	–	–	–
17.	जुम्बो सर्कस	2	22	–	2	–
18.	नटराज सर्कस	16	250	–	–	–
19.	दी ग्रेट बाम्बे सर्कस	–	4	–	–	–
20.	न्यू कमल सर्कस	–	4	–	–	–
21.	मून लाइट सर्कस	–	17	–	1	–
22.	ओलम्पिक सर्कस	15	6	–	2	1
23.	एम्पायर सर्कस	20	15	–	1	–
24.	सम्राट सर्कस	4	9	2	1	–
	जोड़	77	244	4	11	1

कावेरी जल विवाद

*196. **श्री एन. एन. कृष्णदास :**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे संबंधी विवाद के समाधान हेतु गठित कावेरी नदी प्राधिकरण की स्थापना के बाद इसकी कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं;

(ख) कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद के मुद्दों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद के स्थायी समाधान ढूंढने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी) : (क) से (ग) कावेरी नदी प्राधिकरण को केवल कावेरी जल विवाद अधिकरण के दिनांक 25 जून, 1991 के अंतरिम आदेश और उसके बाद के संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने का कार्य सौंपा गया है और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के बीच जल बंटवारे से संबंधित विवाद को निपटाने का कार्य इस प्राधिकरण का नहीं है। कावेरी नदी प्राधिकरण ने अब तक छह बैठकें की हैं। केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के बीच के कावेरी जल विवाद के निर्णय के लिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत जून, 1990 में कावेरी जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस अधिकरण ने 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है तथा कावेरी जल विवाद के निर्णय के लिए नियमित सुनवाइयां की हैं।

खाद्य प्रसंस्करण हेतु अवसंरचनात्मक सहायता

***197. श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में कई प्रकार के फलों, सब्जियों, औषधियों पौधों और जड़ी–बूटियों का उत्पादन होता है जो कि वर्तमान में उपेक्षित है और इनका उत्पादन ग्रामीण प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था के अभाव के कारण बर्बाद हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस हेतु नाबार्ड, कपार्ट और खाद्य प्रसंस्करण सेवाओं, बैंकों आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं और निकायों के माध्यम से अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अंतर्गत, कृषि आधारित उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों नामशः सब्जियां, फल प्रसंस्करण उद्योग, हर्बल कास्मेटिक्स, औषधीय पादप आधारित उद्योगों आदि के संवर्धन हेतु उड़ीसा सहित देश भर में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, 10 लाख रुपये तक की लागत की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25%, मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किया जाता है। 10 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक की लागत की परियोजना के लिए मार्जिन मनी की दर, 10 लाख रुपये का 25% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। कमजोर वर्गों के लिए मार्जिन मनी 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए 30% की दर पर दी जाती है और शेष राशि (25 लाख रुपये तक) के लिए यह 10% है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

भारत सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के संवर्धन हेतु 14 मई, 2001 को एक पैकेज की घोषणा भी की है। पैकेज की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ–साथ खादी हेतु पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प अथवा खादी संस्थानों का विपणन विकास सहायता (एमडीए), खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, उत्पादों की गुणवत्ता के सुधार पर बल, पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग आदि शामिल हैं।

इस पैकेज के अतिरिक्त, मंत्रालयों की ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर आई) योजना, निदानात्मक अध्ययनों कुशलता उन्नयनीकरण और सामान्य सुविधाओं के उन्नयनीकरण के लिए ग्रामीण औद्योगिक समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना नाबार्ड, सिडबी, के.वी.आई.सी. आदि के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

***198. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विशेषकर, कोलकाता के विमानपत्तनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस प्रयोजनार्थ एक विमानपत्तन विकास केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) देश में हवाई अड्डों का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसे प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। कोलकाता स्थित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एन. एस. सी. बी. आई.) देश के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता पर पूंजीगत कार्यों (कैपीटलवर्क्स) पर होने वाला व्यय 74.29 करोड़ रुपए है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता के आधारभूत संरचना के विकास कार्य के लिए 295.24 करोड़ रुपए का प्रावधान दसवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। सरकार ने निजी सैक्टर की भागीदारी

से कोलकाता सहित चार मैट्रो हवाई अड्डों के निजीकरण का फैसला किया है ताकि हवाई अड्डे को विश्वस्तरीय बनाया जा सके।

(ग) और (घ) किसी अलग हवाई अड्डा विकास केन्द्र की स्थापना की कोई योजना नहीं है परंतु हवाई अड्डों की योजना तथा विकास की बेहतर जानकारी देने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण में एक कक्ष स्थापित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

जैव संवर्द्धित बीजों के उपयोग पर प्रतिबंध

*199. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री अबुल हसनत खां :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन देशों ने जैव संवर्द्धित बीजों के वाणिज्यिक उत्पाद की स्वीकृति दी है और उनके क्या अनुभव रहे;

(ख) क्या सरकार को बाबा आमटे के आनंदवन सहित देश के विभिन्न भागों में जैव संवर्द्धित बीजों की असफलता की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(घ) क्या उक्त बीजों की असफलता के बावजूद उनकी खेती की अनुमति देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जैव संवर्द्धित अवयवों और उत्पादों को जारी करने संबंधी स्वीकृति देने हेतु 'एवेन्टिस' सहित कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उसका ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस संबंध में 'नान्जींग इंस्टीटयूट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज' (एन. आई. ई. एस.) की अध्ययन रिपोर्ट की जांच कर ली गई है;

(ज) यदि हां, तो इससे पर्यावरण को कितनी हानि होने की आशंका है; और

(झ) देश में ऐसे बीजों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) यू. एस. ए, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेन्टीना, मैक्सिको, चीन, आस्ट्रेलिया और भारत ने आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बीजों के वाणिज्यिक रूप से जारी करना अनुमोदित किया है। विश्व में ट्रांसजैनिक फसलों का क्षेत्र 1996 के 1.7 मिलीयन हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में तीस से भी अधिक गुना बढ़कर 2001 में 52.6 मिलीयन हैक्टेयर हो गया है।

(ख) से (घ) बी टी काटन पहली और एकमात्र ट्रांसजैनिक फसल है जिसे जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा भारत में वाणिज्यिक कृषि के लिए अनुमोदित किया गया है। हाइब्रीड़ की तीन अनुमोदित किस्मों (बी टी मैक 162, बी टी मैक 184, बी टी मैक 12) की इस समय छह राज्यों नामतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खेती की जा रही है। इस मंत्रालय द्वारा गठित एक उप–समिति ने हाल ही में ऐसे कुछ खेतों की मानीटरिंग की है जहां इन हाइब्रीड किस्मों की खेती की जा रही है। समिति ने बी टी कॉटन के निष्पादन को संतोषजनक पाया है।

(ङ) और (च) मैसर्स प्रोएग्रो पी जी एस इण्डिया लि. गुडगांव जो बेअर क्राप साइंस, जर्मनी (पहले एवेंटिस क्राप साइंस एस ए, फ्रांस नामक कम्पनी का एक भाग) की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कम्पनी ने ट्रांसजैनिक सरसों की वाणिज्यिक खेती के लिए जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के अनुमोदन का अनुरोध किया है। जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने 7 नवम्बर 2002 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और आंकड़ों की और जांच करने के लिए निर्णय को अगली तारीख तक स्थगित रखा।

(छ) से (झ) रिपोर्ट का प्रकाशन ग्रीनपीस नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार रिपोर्ट के निष्कर्षों को चीन के वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

विदेशों में रह रहे भारतीय उत्प्रवासी

*200. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों में क्षेत्र–वार कितने भारतीय उत्प्रवासी रह रहे हैं;

(ख) उनके द्वारा वार्षिक रूप में कितनी विदेशी मुद्रा का योगदान किया जाता है;

(ग) क्या कुछ देशों की परिस्थितियां भारतीय कामगारों के विरूद्ध हो गई हैं और उनके लिए वहां की कार्य स्थिति कठिन होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) वर्ष 2001 तथा 2002 (30 सितम्बर, 2002 तक) के दौरान रोजगार शुरू करने हेतु उत्प्रवास जांच के लिए अपेक्षित जिन भारतीय उत्प्रवासियों को उत्प्रवास संरक्षियों के आठ कार्यालयों द्वारा अनुमति प्रदान की गई उनका देश–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान भारतीय उत्प्रवासियों से प्राप्त विदेशी मुद्रा की धनराशि 12,125 मिलियन अमरीकी डालर अर्थात् 57,821 करोड़ रुपये हैं।

(ग) किसी भी देश ने भारतीय श्रमबल के प्रति विरोध प्रकट नही किया है और भारतीय कामगारों के लिए कार्य–परिस्थितियों कठिन नहीं हो रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2001 तथा 2002 (30 सितम्बर, 2002 तक) के दौरान उत्प्रवास संरक्षियों के आठ कार्यालयों द्वारा उत्प्रवास जांच की अपेक्षा वाले भारतीय उत्प्रवासियों को प्रदान की गई उत्प्रवास अनुमति का देश–वार ब्यौरा

क्रम संख्या	देश	वर्ष 2001 के दौरान अनुमति प्रदान किए गए उत्प्रवासियों की संख्या	वर्ष 2002 (30.9.2002 तक अनंतिम) के दौरान अनुमति प्रदान किए गए उत्प्रवासियों की संख्या
1	2	3	4
1.	बहरीन	16382	15011
2.	कुवैत	39751	35184
3.	ओमान	30985	32501
4.	सऊदी अरब	78048	77233
5.	संयुक्त अरब अमीरात	53673	68849
6.	सिंगापुर	27886	18602
7.	मलेशिया	6131	7024
8.	लीबिया	334	464
9.	कतर	13829	10141
10.	अन्य	11645	9628
	कुल	278664	274637

नदियों का राष्ट्रीयकरण

***201. श्री जी. गंगा रेड्डी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने नदी जल के बंटवारे संबंधी विवाद के दीर्घकालिक समाधान के रूप में सभी अंतर्राज्जीय नदियों के राष्ट्रीयकरण हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है कि विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गए पंचाट का सम्मान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) तथापि, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी प्राधिकरण (सी.आर.ए.) की अधिसूचना को निष्प्रभावी घोषित करने के लिए तथा कावेरी जल विवाद अधिकरण द्वारा दिनांक 25.6.91 को पारित अंतरिम आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी मामलों के वास्ते पर्याप्त प्रावधान करते हुए केन्द्र सरकार को या तो मौजूदा कावेरी नदी प्राधिकरण के स्थानापत्र/स्थान पर एक नई स्कीम अथवा एक अतिरिक्त स्कीम बनाने के लिए निदेश देने के वास्ते कर्नाटक राज्य और केन्द्र सरकार के विरूद्ध जुलाई, 2002 को माननीय उच्चतम न्यायालय

में 2002 का मूल वाद सं. 3 दायर किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उक्त वाद में की गई अपेक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री को पत्र लिखते रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा तमिलनाडु के मेत्तूर जलाशय में जल की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक राज्य को उसके जलाशयों से जल छोड़ने का निर्देश देने के वास्ते जुलाई, 2002 तथा इसके पश्चात उक्त वाद में दायर आवेदनों में अनेक आदेश जारी किए हैं। कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कावेरी नदी प्राधिकरण ने जुलाई, 2002 से आज तक 3 बैठकें आयोजित की हैं। अधिकरणों द्वारा विवादों के समयबद्ध निर्णय के लिए अन्तर्राज्जीय जल विवाद अधिनियम 1956 में 28 मार्च, 2002 को संशोधित किया गया है। इस संशोधित अधिनियम के अनुसार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात अधिकरण के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के समान शक्ति होगी।

एन.सी.एल.आई. पंजीकरण प्रार्थनापत्र की स्थिति

1983. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोई भी बहुराज्जीय सहकारी समिति को बहुराज्जीय सहकारिता अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अनुसार चार माह में पंजीकृत हो जाना चाहिए और नेशनल कोऑपरेटिव लाइफ इन्श्योरेन्स लिमिटेड ने केन्द्रीय पंजीयक को पंजीकरण के लिए 18 मई 2002 को आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो एन.सी.एल.आई. के पंजीकरण की तिथि और उसकी पंजीकरण संख्या क्या है;

(ग) एन. सी. एल. आई. के आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय सहकारी जीवन बीमा लि. के प्रवर्त्तकों ने अपने दिनांक 18.5.2002 के पत्र द्वारा पुराने बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत इसका पंजीकरण कराने के लिए उस विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव की जांच के उपरांत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया और तदनुसार इस विभाग के दिनांक 27.8.02 के पत्र द्वारा इस प्रस्ताव को मूल रूप में राष्ट्रीय सहकारी जीवन बीमा लि. के प्रवर्त्तकों को लौटा दिया गया। इसे यह देखते हुए उपयुक्त समझा गया कि नया बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 19.8.2002 से लागू किया गया था। राष्ट्रीय सहकारी जीवन बीमा लि. के प्रवर्त्तकों ने अपने इस प्रस्ताव को अपने दिनांक 7.9.2002 के पत्र द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जो इस विभाग में 21.10.2002 को प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव की फिर से जांच की गई और यह पाया गया कि पंजीकरण के आवेदन पत्र पर सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 6 में अपेक्षानुसार सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। अतः इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसका पंजीकरण नहीं किया जा सकता। तथापि, पंजीकरण को अंतिम रूप से अस्वीकार करने से पहले आवेदकों को 10.12.2002 को सुनवाई का मौका दिया गया है।

केन्द्रीय भण्डार में नियुक्ति

1984. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार के चेयरमैन ने पिछले दो वर्षों से कोलकाता में कुछ लोगों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर रखा है जबकि वहां केन्द्रीय भण्डार की कोई शाखा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भण्डार के चेयरमैन के विरूद्ध इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि बहु–राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत केन्द्रीय भण्डार के पंजीकरण के परिणाम स्वरूप तथा पूर्वी क्षेत्र में शाखा खोलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए केन्द्रीय भण्डार की एक शाखा खोलने हेतु उचित स्थान के लिए विशेष दायित्व के साथ ठेके के आधार पर एक कर्मचारी को लगाने और टेलीफोन कनैक्शन लगाने, बैंक खाता खोलने तथा वाणिज्यिक टैक्स नं. आदि जैसी

आवश्यक अवसंरचनाओं के विकास के वास्ते विभिन्न विभागों के साथ संपर्क करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खनिजों का उत्खनन

1985. श्री अनन्त नायक : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम किन–किन राज्यों में खनिजों का उत्खनन कर रहा है;

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा उत्खनन किये गये खजिनों का उन राज्यों में राज्यवार और खजिनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निगम ने केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के साथ खनिजों के उत्खनन के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) एन एम डी सी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खनिजों का उत्खनन कर रहा है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

1. कर्नाटक	दौणिमलई आयरन और माइन्स, जिला–बेल्लारी	लौह अयस्क
2. कर्नाटक	कुमारस्वामी आयरन और माइन्स, जिला–बेल्लारी	लौह अयस्क
3. छत्तीसगढ़	बैलाडिला डिपोजित 14, 11 सी और 5	लौह अयस्क
4. मध्य प्रदेश	पन्ना डायमण्ड माइन्स, पन्ना जिला	डायमण्ड
5. उत्तर प्रदेश	लालापुर सिलिका सैंड परियोजना, इलाहाबाद	सिलिका सैंड

(ग) खनिज निक्षेपों के उत्खनन के लिए एन एम डी सी संबंधित राज्य सरकारों के साथ पट्टागत समझौते कर रही हैं।

(घ) मौजूदा खनन पट्टों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र. सं.	खनिज का नाम और स्थान	खनन पट्टा क्षेत्र
1	2	3
छत्तीसगढ़		
1.	बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप–14	322,368 एच ए
2.	बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप–11 सी	506.742 एच ए
3.	बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप–5	540.04 एच ए
4.	बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप–10	309.34 एच ए
5.	बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप–10 (फ्लोट अयस्क)	142.59 एच ए
6.	बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप–11	874.927 एच ए
7.	बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप–3	3308.40 एच ए
कर्नाटक		
8.	दौणिमलई (लौह अयस्क)	608 एच ए
9.	कुमार स्वामी बी और सी ब्लॉक (लौह अयस्क)	647.50 एच ए
राजस्थान		
11.	चावन्डिया लाईम पत्थर	3.353 एसक्यूकेएम
जम्मू और कश्मीर		
12.	पंथाल मैग्नेसाइट	4.853 एसक्यूकेएम
उत्तर प्रदेश		
13.	लालापुर सिलिका सैंड	33.58 एच ए
मध्य प्रदेश		
14.	मझगांव प्रमुख पट्टा (हीरा)	126.266 एच ए
	पूरक पट्टा	450.235 एच ए

गेहूं से इतर अनाजों की मांग और आपूर्ति

1986. श्री सईदुज्जमा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों और कस्बों में गेहूं से इतर अनाज जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि की आटे के रूप में बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये उत्पाद उचित दामों पर तत्काल उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करायेगी कि लघु क्षेत्र

के कृषि – ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली और अन्यत्र सरकारी और अर्द्धसरकारी विक्रय केन्द्रों पर यह उपलब्ध हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी संबंधित विभागों से एकत्र की जा रही है। उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

कृतक-बल की रिपोर्ट

1987. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा मार्च, 2000 में औषधीय पौधों के संरक्षण और उनके सतत् प्रयोग के संबंध में प्रस्तुत की गई कृतक–बल की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत उपयोग संबंधी कृतक बल की मुख्य सिफारिशों के सारांश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सिफारिशों को विभिन्न संगठनों द्वारा एक समयावधि में कार्यान्वित किया जाता है। कृतक बल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख हेतु पणधारियों की सहभागिता से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पौध बोर्ड का गठन किया गया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

औषधीय पौधों संबंधी कृतक बल की मुख्य सिफारिशें

(i) औषधीय पौधों के विपणन और व्यापार को निश्चित रूप देने तथा इसे संगठित करने हेतु एक "राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड" की स्थापना की जानी चाहिए। बोर्ड में विभिन्न पणधारियों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।

(ii) देश के सभी पारिस्थितिक प्रणालियों, वन प्रकारों और उप–प्रकारों को कवर करते हुए 200 औषधीय पौध संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना करना आवश्यक होगा।

(iii) संकटापन्न या दुर्लभ या संकटस्थ के रूप में वर्गीकृत करीब 100 औषधीय पौधे देश के सुस्थापित बागानों में उगाया जाना चाहिए। इस तरह के बागान मुख्यतया कृषि, बागवानी, वन विभागों और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित होते हैं।

(iv) केन्द्रीय औषधीय और सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली और उष्ण कटिबंधीय वानस्पतिक उद्यान और अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम के जरिये सृजित तीन जीन बैंकों द्वारा सभी औषधीय पौधों के जर्मप्लाज्म का उचित ढंग से भंडारण किया जाना चाहिए।

(v) भेषजशालाओं और निर्यात हेतु कच्ची औषधियों की वाणिज्यिक आपूर्ति के लिए वन क्षेत्रों में 200 "वनस्पति वन" (प्रत्येक का क्षेत्र लगभग 5000 हैक्टेयर हो) स्थापित करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

(vi) वन विभागों द्वारा औषधीय पौधों से समृद्ध क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक 'प्रबंधन योजना" तैयार की जानी चाहिए।

(vii) वन विभागों द्वारा जंगलों में प्राप्त औषधीय पौधों का निष्कर्षण और परिवहन प्रभावी ढंग से विनियमित किया जाना चाहिए।

(viii) औषधीय पौधों की खेती में रूचि रखने वाले लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें बीज और पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त लगभग 50 गैर सरकारी संगठनों (जिनमें कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल हैं) की पहचान की जानी चाहिए।

(ix) पच्चीस ऐसी प्रजातियों, जिसकी मांग अधिक है, को खेती के लिए बढ़ावा दिया जाये। संविदा और जैव कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(x) ग्रामीण विकास स्कीमों के अंतर्गत प्रत्येक "विकास बैंक" में जड़ी–बूटी बागानों की स्थापना की जानी चाहिए।

(xi) सभी प्रयासों को इस प्रकार से समन्वित किया जाय

कि घरेलू आवश्यकता पूरी करने के बाद वर्ष 2005 तक 3000 करोड़ रु. अर्जित करने के लिए तथा 2010 ईसवी तक 10000 करोड़ रू. अर्जित करने के लिए जड़ी–बूटी वाले उत्पादों का निर्यात सुनिश्चित किया जा सके।

राजस्थान में भेड़ और बकरी पालन

1988. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत भेड़ और बकरी पालन है;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान में एक लंबे समय से पड़ रहे सूखे को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना या रणनीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) कपड़ा मंत्रालय दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए ऊन के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन तैयार कर रहा है। कृषि मंत्रालय पशुपालन और डेयरी विभाग दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए भेड़ तथा बकरी सहित पशुधन की लुप्तप्राय नस्लों के संरक्षण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार कर रहा है।

(ग) भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर ने 16.50 लाख भेडों को कवर करने के लिए 29 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं तथा राजस्थान राज्य सरकार को 574.25 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास कार्यक्रम के तहत राजस्थान सरकार को क्रमशः 42.37 लाख रुपए तथा 41.51 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

राजस्थान सरकार ने 2002–2003 के दौरान सूखे की स्थिति को देखते हुए टीकों की लागत कम कर दी है। राजस्थान सरकार ने भेड़ प्रजनकों तथा विस्तार कार्यक्रम, भेड़ प्रजनन फार्मों के सुदृढ़ीकरण, उपकरणों के निर्माण तथा मरम्मत, भेड़ स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण और भेड़ नस्ल सुधार के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 325 लाख रुपए का परिव्यय रखा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भागीरथी नदी द्वारा अपरदन

1989. श्री महबूब जाहेदी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में समुद्रगढ़ के नजदीक नालोआद्वीप और कालना के बीच बन्देल–कटवा रेलवे लाइन भागीरथी नदी द्वारा किए जा रहे अपरदन से खतरे का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी भागीरथी रेलवे लाइन से 30 मी. की दूरी पर बह रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या भागीरथी ने फरक्का बांध के बन जाने के बाद अपने बहाव की दिशा बदल ली है; और

(घ) यदि हां, तो क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर इस नदी द्वारा किए जा रहे अपरदन को रोकने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम बनाने की इच्छा जतायी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) फरक्का बराज का निर्माण 1974 में किया गया था और उक्त कटाव 1983 में शुरू हुआ था। ऐसी स्थिति में 200 कि.मी. प्रति प्रवाह पर हुए बांध के निर्माण को इस कटाव का कारण नहीं कहा जा सकता।

(घ) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विशेष होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा उनके अपने संसाधनों और उनकी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की होती है।

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने 11.30 करोड़ रुपये की एक स्कीम तैयार की थी और इस संबंध में पूर्वी रेलवे के साथ पत्राचार किया जा रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002–03 के दौरान कुल 3.26 करोड़ रुपये की लागत से रिपेलिंग स्परों के निर्माण के रूप में कटाव रोधी उपायों को भी स्वीकृति दी गई है।

बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का विकास

1990. श्री किरीट सोमैया : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के सौन्दर्यीकरण और विकास के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग, भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला

1991. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए नयी प्रयोगशालाएं स्थापित करने और वर्तमान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान प्रयोगशालाएं किन–किन स्थानों पर हैं और नयी प्रयोगशालाओं को किन–किन स्थलों पर स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और उसमें केन्द्र सरकार का अंशदान कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) सी फूड के परीक्षण के लिए केन्द्रीय मात्सियकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित मौजूदा प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त भारत सरकार, वाणिज्य विभाग ने कलकत्ता, भुवनेश्वर, चेन्नई, मंगलौर (कर्नाटक), मुम्बई, कोचीन और वैरावल (गुजरात) में विभिन्न सरकारी एजेंसियों की सात मौजूदा प्रयोगशालाओं पर स्थापित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर निर्यात के लिए सी फूड के परीक्षण के नवीनतम उपकरणों को खरीदने का निर्णय लिया है। यह उपकरण उन दो नए स्थानों अर्थात् भीमावरम और नैल्लोर (आन्ध्र प्रदेश) में भी लगाए जाएंगे जहां प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम, भीमावरम, नैल्लौर और काकीनाडा में एंटीबायटिक अवशेष परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है। जैसा कि उपरोक्त (ख) के उत्तर में बताया गया है कि भीमावरम और नैल्लौर में केन्द्रीय सहायता से प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ऐसी कोई भी सूचना किसी भी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) सात स्थानों पर मौजूदा प्रयोगशालाओं का संवर्धन करने और दो नई प्रयोशालाओं की स्थापना संबंधी समग्र प्रस्ताव की लागत अनुमानतः 18.50 करोड़ रुपए होगी। भारतीय सी फूड निर्यातक संघ ने परियोजना में 3.00 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान करने का वचन दिया है। शेष खर्च वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन सूची में शामिल करना

1992. श्री रामानन्द सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के क्या नाम हैं जिन्हें केन्द्रीय पर्यटन सूची में शामिल कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार चित्रकूट, भरूत गुप्त गोदावरी, सती अनुसइया, सरभंगाश्रम और धरकुडी आश्रम को भी उक्त सूची में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) केन्द्रीय पर्यटन सूची को कायम रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर राडार स्क्रीनों का काम न करना

1993. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्रीमती प्रभा राव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के हवाई यातायात नियंत्रण केन्द्र के सात में से तीन राडार डिस्प्ले स्क्रीन पिछले कई माह से खराब पड़े हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप अधिकारियों को उड़ानों के प्रबंधन में अत्यधिक कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि हां, तो काम न कर रहे स्क्रीनों की मरम्मत या उन्हें बदलने में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं। नई दिल्ली स्थिति इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एयर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल में सभी आपरेशनल पोजीशनों पर राडार डिस्प्ले सुचारू रूप से काम कर रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

झारखण्ड के हिरानी जलप्रभात पर पर्यटन केन्द्र

1994. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का झारखण्ड में सिंहभूम जिले के बांधीगांव के हिरानी प्रखण्ड के हिरानी जलप्रभात के पास एक पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटक केन्द्रों का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। अब, पर्यटन विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ परामर्श करके, केवल अभिनिर्धारित पर्यटन परिपथों और गंतव्य स्थलों के एकीकृत विकास के लिए परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सुविधायें

1995. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान लगाए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इन उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ग) राज्यवार कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं; और

(घ) कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बी.आई.एफ. आर. को सौंपा गया है और इसके क्या कारण हैं तथा उनमें से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. वणमुगम) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं। अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों को उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस लेने के दायरे से बाहर रखा गया है। इसे देखते हुए, यूनिटों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। वैसे उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1998–99 के अनुसार खाद्य तथा पेय क्षेत्र में कुल फैक्टरियों की संख्या 23,831 थी।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के जरिए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना शामिल है, हेतु वित्तीय सहायता देता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड के यहां उपलब्ध सूचना के अनुसार अपनी स्थापना से लेकर 31 अक्तूबर, 2002 तक रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत इस बोर्ड के पास 174 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पंजीकृत किया गया।

इनमें से 46 मामलों को न बनाए रखने योग्य के रूप में खारिज किया गया, 60 मामलों में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए, 12 मामलों को गैर रूग्ण घोषित करने के बाद और एक मामले में निवल मूल्य धनात्मक हो जाने के कारण उन पर कार्यवाही बंद कर दी गई। शेष मामलों में पुनरूत्थान स्कीम मंजूर की गई, बंद करने की सिफारिश की गई, बंद हो गई, अब रूग्ण नहीं है, दिवालिया हो गए, तथा पुनः खोले गए अथवा स्थगन कार्यवाही वाले हैं।

घरेलू क्षेत्र में विदेशी विमान कंपनियां

1996. श्रीमती प्रभा राव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी विमान कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या घरेलू क्षेत्र में विदेशी विमान कंपनियों के प्रवेश से इंडियन एयरलाइन्स और घरेलू निजी विमान कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो घरेलू विमान कंपनियों के लिए किये गये सुरक्षात्मक उपाय क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ऋणों की वसूली

1997. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई. सी.) उन ऋणों की प्रभावी वसूली के लिए जिम्मेदार है जो कि बैंकों द्वारा इसकी सिफारिशों पर गैर–सरकारी संगठनों को दिए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के.वी.आई.सी. के खराब प्रदर्शन के बावजूद इसे और सहायता अनुदान दे रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) जी, नहीं। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के.वी.आई.सी. द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली के लिए उत्तरदायी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार खादी और ग्रामोद्योगों के विकास और संवर्द्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋणों और अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 31.3.2002 तक के. वी. आई. सी. 14.42 लाख रोजगार के अवसर सृजित कर पाया है।

(घ) के. वी. आई. सी. एक वित्तीय संस्थान नहीं है। प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए "पैटर्न अप्रोच" के स्थान पर "प्रोजेक्ट अप्रोच" को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन अब बैंकों द्वारा किया जाता है जो ऋणों की वसूली के लिए उत्तरदायी हैं।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन

1998. डा. जसवंतसिह यादव : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था; और

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान कुल श्रमिक बल की तुलना में श्रमिकों के रोजगार, रोजगार सृजन और बाल श्रम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार, 1991–2001 की अवधि के दौरान देश में जनसंख्या की वार्षिक औसत दर 2.13% के लगभग थी।

(ख) रोजगार, बेरोजगारी एवं श्रम बल के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 1999–2000 में किया गया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार 1994–2000 के दौरान श्रम बल एवं कार्य बल की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 1.03% एवं 0.98% थी। वर्ष 1993–94 एवं 1999–2000 में 5–14 वर्ष की आयु सीमा के कामगारों का प्रतिशत निम्नानुसार था:–

क्षेत्र	1993–94(%)		1999–2000(%)	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
ग्रामीण	3.3	5.1	2.4	4.0
शहरी	1.6	3.6	1.2	3.1

[अनुवाद]

दालों की उपलब्धता

1999. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक नहीं है और देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लक्ष्यों के अनुसार अनुसंधान कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ख) इन मदों पर देश में एजेंसी–वार क्या अनुसंधान कार्य किये गये, चालू परियोजनाओं की संख्या क्या है और ये किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) उनके मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले; और

(घ) गेहूं, मक्का और दालों की नई विकसित किस्मों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। वर्तमान समय में दलहनों का उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। दलहनों के उत्पादन में हर वर्ष उतार–चढ़ाव आता रहा है क्योंकि दलहनों की खेती सामान्य रूप से बारानी स्थितियों के अन्तर्गत कम निवेशों से सीमान्त और साधारण भूमिओं पर होती है। दलहनों का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 1998–99 के दौरान 14.81 मीट्रिक टन तक प्राप्त हुआ। इस वर्ष यह 13.5 मीट्रिक टन तक होने का अनुमान है।

देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयोजन से दहलनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु लक्ष्य के अनुसार अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। बहु रोग रोधिता वाली तथा अच्छी उपज देने वाली कई उन्नत किस्मों को विकसित किया गया है तथा खेती के लिए उनकी सिफारिश की गई है। अरहर की कम लागत वाली संकर किस्मों को साइटोप्लास्मिक नर बन्ध्यता प्रणाली के प्रयोग से विकसित करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है।

(ख) दलहन उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कानपुर (उत्तर प्रदेश) में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, देश के राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर के सहयोग से उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहनों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दलहनों पर चार अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं (ए आई सी आर पी) स्वीकृत की है। इनमें से तीन अखिल भारतीय समन्वित चना अनुसंधान परियोजना, अखिल भारतीय समन्वित अरहर अनुसंधान परियोजना और अखिल भारतीय समन्वित मुलार्प अनुसंधान परियोजना (मूंगफली, उड़दबीन, मसूर, लैथाइरस, राजमा, मटर) अनुसंधान परियोजना, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में स्थित हैं तथा चौथी अखिल भारतीय समन्वित शुष्क फली अनुसंधान परियोजना, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में स्थित है। इन अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केन्द्र देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। इन अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केन्द्रों का देश की कृषि जलवायु संबंधी विभिन्न स्थितियों में दलहनों की स्थान विशेष से संबंधी उत्पादन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अधिदेश दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न दलहन फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा विकसित उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन कार्यक्रम, किसानों के खेतों पर आयोजित किये जाते हैं। अग्र पंक्ति के प्रदर्शनों के परिणामों से पता लगा है कि यदि किसानों द्वारा उत्पादन के उन्नत पैकेज अपनाये जाएं तो दलहनों के उत्पादन में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की जा सकती है।

गेहूं, मक्का, दलहनों की नई विकसित किस्मों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण-।।

गेहूं, मक्का और दलहनों की नई रिलीज की गई किस्में

फसल	किस्में
गेहूं	पी बी डब्ल्यू 396, पी बी डब्ल्यू 442, मालव रत्ना, के 9644, मालवीय गेहूं 510, एच डी–2733, कौशम्बी (एच डब्ल्यू 2045), आदित्य, जी डब्ल्यू 322, वी एल–804
मक्का	अमर (डी–941), पूसा जल्दी तैयार होने वाली संकर किस्म मक्का–3, विवेक संकर किस्म–9, जे के एम एच–175, कोहिनूर, जे एच 3459, अरावली मक्का–1, सीडटी–740, नर्मदा मोती।
चना	जी सी पी 101 (गुजरात चना–1), पूसा 1003 (काबुली), बी डी जी–72 (पूसा प्रगति), बी जी 1053 (पूसा चमत्कार), जे जी–11, के ए के 2, जी सी पी 105, एस ए के आई 9516
अरहर	एम ए–3 (मालवीय विकल्प)
मूंग	एच यू एम–1, पी बी एम 2, पूसा 9531, पूसा बोल्ड–1 (विशाल), गंगा–8
उड़द	टी यू 94–2, आई पी यू 94–1 (उत्तर), के यू 92–1 (आजाद उड़द–1), आर बी यू 38 (बर्खा), डब्ल्यू बी जी 26, शेखर–2 (के यू–300)
मसूर	जे एल 3, आई पी एल 81 (नूरी)
फील्डपी	एच यू डी पी 15 (मालवीय मटर 15), डी डी आर 23, पूसा पन्ना (डी डी आर–27)
मोठ	आर एम ओ–225, आर एम ओ–96, काजरी मोठ–1
कुल्थी	ए के–21, पैयूर–2
ग्वार	आर जी सी–1002, आर जी सी–986

जैव उर्वरक

2000. श्री मोहन रावले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव उर्वरको के घटकों के संबंध में कोई मानदंड या मानक तय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जैव उर्वरकों के प्रयोग में क्या प्रगति हुई है और किसानों में इसका कितना प्रचार किया जा रहा है;

(घ) मिट्टी में सूक्ष्म पोषक उर्वरकों की स्थिति क्या है;

(ङ) मिट्टी में सूक्ष्म पोषकों के समाप्त होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) किसानों को गुणवत्ता वाले उत्पादन मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो ने 4 महत्वपूर्ण जैव उर्वरकों के विनिर्देश अधिसूचित किए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं:–

राइजोबियम	–	आई. एस 8268:2000
एजोटोबैक्टर	–	आई. एस. 9138:2000
फॉस्फेट सौलुबिलाईजिंग	–	आई. एस. 14807:2000
बैक्टरियस इनोकुलेन्ट एसोस्पाईरिलम	–	आई. एस. 14806:2000

(ग) सरकार ने जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग पर एक राष्ट्रीय परियोजना क्रियान्वित की है जिसके अंतर्गत जैव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना के लिए धन दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा जैव–उर्वरकों का विस्तार और प्रवर्धन तथा किसानों के खेतों पर क्षेत्रीय प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व वाले उर्वरकों जैविक खादों और जैव उर्वरकों सहित रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित उचित अनुप्रयोग को बढ़ावा दे रही है। यह फसलों द्वारा उपयोग के

लिए मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित पापद पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

(च) उर्वरकों की गुणवत्ता अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के जरिये सुनिश्चित की जा रही है और जैव उर्वरकों की गुणवत्ता का लगातार मानीटरन राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय और राज्य जैव उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं के जरिये किया जा रहा है और राज्य सरकारें अपराधियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

[हिन्दी]

के.वी.आई.सी. के बिक्री केन्द्र

2001. श्री रामरती बिन्द : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई. सी.) के बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इन बिक्री केन्द्रों द्वारा पिछले दो माह में बेचे गए उत्पादों का कुल मूल्य कितना है; और

(ग) दिल्ली के के. वी. आई. सी. की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) दिल्ली में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के दो मुख्य विक्रय केन्द्र, नामशः खादी ग्रामोद्योग भवन और ग्रामशिल्प हैं। खादी ग्रामोद्योग भवन दिल्ली में स्थित अन्य तीन शाखा केन्द्रों के माध्यम से भी अपने विक्रय का परिचालन कर रहा है।

(ख) सितम्बर, 2002 से अक्तूबर, 2002 के दौरान विक्रय किए गए सामान का मूल्य निम्नोक्त है:–

(रुपये लाख में)

विक्रय केन्द्र	सितम्बर	अक्तूबर
खादी ग्रामोद्योग भवन	63.90	293.94
ग्रामशिल्प	10.99	31.70

(ग) वित्तीय वर्ष 2001–02 के लिए सूचित किए गए व्यापार परिणाम के अनुसार, खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली ने 30.05 लाख रु. का अधिशेष सृजित किया है, जबकि ग्रामशिल्प ने 7.55 लाख रुपये का घाटा उठाया है।

[अनुवाद]

समुद्रतटीय पर्यटन

2002. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा गोआ में मंगलौर तक के कोंकण समुद्र तट पर समुद्रतटीय पर्यटन का एक प्रारूप प्रस्ताव केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के अनुरोध पर भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह पैकेज मंगलौर से आगे वर्तमान पारिस्थितिकीय पर्यटन परियोजना में जुड़ जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक मंजूर और लागू कर दिया जाएगा?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) पर्यटक रूचि के स्थलों के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वे दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में वार्षिक आधार पर 6 यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित करेगा एवं उनका विकास करेगा। इन परिपथों को, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों एवं भारत सरकार के संबंधित विभागों के साथ सघन समन्वय एवं भागीदारी करके अन्तिम रूप दिया जायेगा एवं विकसित किया जायेगा। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, प्रत्येक वर्ष समग्र विकास के लिए एक प्रमुख गन्तव्य अभिनिर्धारित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2002–2003 के दौरान, पर्यटन विभाग ने गोवा को गन्तव्य विकास के लिए अभिनिर्धारित किया है। वर्ष 2002–03 के दौरान यात्रा परिपथ के विकास हेतु अभिनिर्धारित पश्चिमी परिपथ (कोंकण रिवेरा परिपथ) गोवा–तटीय कर्नाटक–बेकल को भी कवर करता है। राज्य सरकारों से इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।

क्रय मैनुअल

2003. श्री रामजी मांझी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने 1989 में टाइपराइटर, डुपलीकेटिंग मशीन, एयर–कंडीशनर, फर्नीचर, कंप्यूटर स्टेशनरी (लेखन सामग्री) और इसी प्रकार की अन्य मदों/वस्तुओं को खरीदने हेतु क्रय मैनुअल तैयार करने की सिफारिश की थी।;

(ख) यदि हां, तो क्या मैनअुल तैयार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 50,000/– रु. से अधिक की खरीद खुली निविदा के माध्यम से की जानी है, जिसके न होने की स्थिति में उसके कारणों को लिखित रूप से रिकार्ड किया जाना अनिवार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई ऐसी खरीदों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की मंत्रिमंडल को की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 28.12.1983 के का. ज्ञा. सं. डी एस टी/17/3/1/83 के माध्यम से वैज्ञानिक विभागों के अधिकार बढ़ा दिए हैं तथा उन्हें इस शर्त पर डी जी एस एंड डी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है, कि संबंधित संस्था भण्डारण सामग्री की स्वयं खरीद तथा उनके निपटान के संबंध में बढ़ाए गए अधिकारों के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाएं।

जहां तक परिषद का संबंध है, 1986 में डा. ए एम माइकल, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अध्यक्षता में भंडारण सामग्री की खरीद के संबंध में उपयुक्त संशोधित प्रक्रिया अपनाने, वर्तमान क्रय प्रक्रिया की जांच करने तथा यदि कोई समस्या है, तो उनकी पहचान करने के लिए समिति गठित की गई। समिति ने 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की प्रमुख सिफारिशें शासी निकाय की मार्च, 1989 में आयोजित हुई बैठक में मान ली गई तथा उन्हें लागू कर दिया गया। सिफारिशों का विवरण भा.कृ.अ.प. की सभी घटक इकाइयों को जून, 1989 में भेजा गया (प्रति विवरण के रूप में संलग्न है)

(ख) और (ग) जहां तक क्रम मैनुअल तैयार करने का संबंध है, एन आई एफ एम, फरीदाबाद को इस उद्देश्य से 2001 में परामर्शदात्री का कार्य सौंपा गया था। एन आई एफ एम ने क्रय मैनुअल का मसौदा प्रस्तुत कर दिया था। परिषद में इसकी समीक्षा के उपरान्त कुछ सुझाव दिए गए थे। एन आई एफ एम से क्रय मैनुअल की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) लिखित में बताई गई विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त 50,000/– रु. से अधिक का क्रय 27 मई, 1999 तक खुली निविदा आमंत्रित करके किया जाना था। यह क्रय सीमा 28 मई, 1999 को भारत सरकार ने संशोधित कर दी है। जी एफ आर में दिए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार 2 लाख रु. से कम की अनुमानित लागत वाले मांग पत्रों के मामले में आमतौर पर सीमित निविदा प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। दो लाख रु. या इससे अधिक किंतु 5 लाख रु. से कम कीमत के क्रय के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापन के रूप में निविदा दी जा सकती है। पांच लाख रु. या इससे अधिक की कीमत के क्रय के लिए इंडियन ट्रेड जर्नल के अतिरिक्त खुली निविदा राष्ट्रीय दैनिक में भी दी जा सकती है।

(ङ) परिषद के सभी घटक एककों के लिए, जिनकी संख्या 100 से अधिक है, जी एफ आर के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना वांछित है। बिना खुली निविदा के पिछले तीन वर्षों के दौरान 50,000/–रु. से अधिक की राशि के क्रय का विवरण, यदि है तो, सभी घटक एककों से सूचना एकत्र करने के बाद ही दिया जा सकता है।

विवरण

सूची III का अनुबंध 9

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

फा.सं. 18(2)/85–समन्वय (एएंडए) दिनांक 14 जून, 1989

सेवा में,

सभी अनुसंधान संस्थानों/निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों इत्यादि के निदेशक।

विषय : भा.कृ.अ.प. मुख्यालय तथा इसके अनुसंधान संस्थानों में भंडारण सामग्री की खरीद तथा उसे सूचीबद्ध करने की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा।

महोदय,

वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की मंत्रिमंडल को की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 28.12.1983 के का. ज्ञा. सं. डी एस टी/17/3/1/83 के माध्यम से वैज्ञानिक विभागों के अधिकार बढ़ा दिए हैं तथा उन्हें इस शर्त पर डी जी एस एंड डी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है कि संबंधित संस्था भंडारण सामग्री की स्वयं खरीद तथा उसके निपटान के संबंध में बढ़ाए गए अधिकारों के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाए।

2. उपरोक्त के मद्देनजर उपयुक्त संशोधित भंडारण सामग्री क्रय प्रक्रिया अपनाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. ए एम माइकल की अध्यक्षता में डी जी एस एंड डी के माध्यम से सामग्री की वर्तमान प्रतिप्राप्ति प्रणाली के अंतर्गत विलम्ब तथा अधिक लागत की दृष्टि से आने वाली समस्याओं की पहचान करने, यदि है तो, तथा परिषद और इसके संस्थानों द्वारा अपनाए जाने के लिए स्टोर तथा क्रय मैनुअल तैयार करने सहित भंडारण सामग्री की खरीद तथा उसे सूचीबद्ध करने के वैकल्पिक तरीके सुझाने के लिए समिति गठित की गई। उपरोक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी तथा मार्च, 1989 में आयोजित परिषद की शासी निकाय की बैठक में चर्चा के उपरांत इसे अनुमोदित कर दिया गया।

3. परिषद के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित समिति की प्रमुख सिफारिशें परिषद तथा इसके अनुसंधान संस्थानों की सूचना, दिशानिर्देशों तथा अनुपालन हेतु अनंबंध में संलग्न हैं परंतु ये सिफारिशें निम्न शर्तों पर आधारित हैं:

(क) सामान्य वित्तीय नियमावली के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए।

(ख) निविदा मंगाने के समय स्टोर/उपकरणों इत्यादि, यहां तक कि अति परिष्कृत समान के लिए विस्तृत विवरण दिया जाए।

(ग) स्टोरों के निरीक्षण किए जाएं

4. शासी निकाय के अनुमोदन के आधार पर भंडारण सामग्री की प्रतिप्राप्ति तथा उनके रख–रखाव की विस्तृत प्रक्रिया स्टोर तथा क्रय मैनुअल में दी जाएगी।

5. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

आपका
ह./
(जी.एस.श्रीवास्तव)
सचिव

अनुबंध

1. संस्थान टंकण मशीनों, डुप्लिकेशन मशीनों, एयरकंडिशनरों तथा फर्नीचर से संबंधित आपूर्ति के लिए आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की दर संविदा को जारी रखेंगे। स्टोरों की अन्य मदों के लिए संस्थान आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की दरों पर संविदाएं प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा वे इस संबंध में कोडल क्रय प्रक्रिया के पालन के बिना ही अपने विवेक से संविदा वाली फर्मों से सीधे संपर्क कर सकते हैं किंतु यह सलाह अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाती है:–

(i) सामान की आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित उन्हीं दर संबंधी नियम–शर्तों पर की जाएगी जो उनके मांगकर्त्ता अधिकारियों के लिए पूर्व सामान सुपुर्दगी के निरीक्षण की आवश्यकता के अलावा है। संबंधित संस्थान आवश्यक व्यवस्था करेगा तथा निर्धारित नियमों के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित होने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। इस निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वे अपेक्षित विशेषज्ञता रखने वाले अपने कर्मचारियों की सेवाएं ले सकता है अथवा बाहरी स्रोतों (अन्य संस्थानों, राज्य सरकार के विभागों, विश्वविद्यालयों या अन्य सरकारी उपक्रमों आदि) से जो भी उपलब्ध हो सके, सहायता ली जा सकती है।

(ii) आपूर्ति करने वाली एजेंसी इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि हमारे आदेश प्रपत्र पर उल्लेखित सामान की आपूर्ति, एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित दरों की शर्तों–नियमों पर ही होगी तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहने के लिए संबंधित संस्थान की आपूर्ति करने वाली एजेंसी से उपयुक्त लिखित संविदा होती है।

(iii) समान प्राप्त होने पर अथवा प्रेषण संबंधी प्रमाण पर अन्यथा सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(iv) इस तरह का क्रय संबंधी किया गया व्यय आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से किए जाने वाले ऐसे क्रय संबंधी व्यय से अधिक नहीं होता है।

2. सामान्य तरह की मदों के लिए संस्थानों को स्वयं अग्रणी आपूर्तिकर्त्ताओं/निर्माताओं के साथ दर निर्धारण अस्थाई संविदा पर लेनी चाहिए। ऐसी दर अस्थाई संविदाओं की अवधि सामान्यतया एक वर्ष की हो जिसे पारस्परिक समझौते से एक वर्ष और आगे बढ़ाया जा सकता है, किन्तु यह परिषद के हित में होना चाहिए। समय पर आपूर्ति, बढ़िया सामग्री, सुपुर्दगी पूर्व निरीक्षण तथा जहां आवश्यक हो क्रय उपरान्त रखरखाव भी सुनिश्चित कराने के लिए दर संविदाओं को अंतिम रूप देते समय उपयुक्त सावधानी बरती जाए।

3. मांगकर्त्ता अधिकारियों द्वारा मालिकाना तरह की विशिष्ट रूप से प्रमाणित की गई वस्तुओं के मामले में एकल निविदा पद्धति अपनाई जाए अथवा जब क्रयकर्ता एजेंसी को पता हो कि उस अपेक्षित स्टोर वस्तु की निर्माता केवल एक विशेष फर्म है, तब भी यही पद्धति अपनाई जाए। ब्रांड नाम से ली गई क्रय सामग्री को मालिकाना तरह की वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है।

4. आदितः बातचीत पद्धति केवल अपवादी परिस्थितियों में ही अपनाई जाए जैसे:–

(i) जहां प्रतिस्पर्द्धा न हो।

(ii) जहां निविदा में दी गई दरें ज्ञात बाजार मूल्यों की तुलना में अधिक लग रही हो।

(iii) जहां यह लगता हो कि आपूर्तिकर्त्ताओं ने दर सूची देने से पहले कोई पुल बनाया है तथा बातचीत से मूल्य कम किए जा सकते हैं।

निविदा के उपरान्त अपनी दरें भेजने वाली सभी फर्मों के साथ बातचीत की जानी चाहिए, न कि एक या दो फर्मों के साथ।

5. स्टेशनरी का सामान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोरों या सुपर बाजारों या परिषद के हित में किसी अन्य सामान्य क्रय प्रक्रिया के अनुसार खरीदा जाए।

6. भंडारण सामग्री तथा उपकरणों की खरीद से पहले सामान्यतया सामग्री प्राप्ति के 24 घंटों के अंदर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान की जांच की जाए। इलैक्ट्रीकल सामग्री, मशीनी उपकरणों तथा रेफ्रीजरेशन सामग्री की जांच सक्षम तकनीकीविदों द्वारा की जाए। अति परिष्कृत उपकरणों की जांच/प्रयोगात्मक जांच मांगपत्र देने वाले द्वारा संबंधित विशेषज्ञों की सहायता से की जानी चाहिए। सामान्य उपयोग तथा बार-बार उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे विम, डस्टर, शीशे तथा स्टेशनरी के सामान की जांच इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से स्टोर अधिकारी द्वारा की जाए। सामान का निरीक्षण करने वाले अधिकारी को सभी निरीक्षणों की रिपोर्ट रखनी होगी तथा इसे प्रमाणित करना होगा। इसके साथ ही संबंधित प्रभागाध्यक्ष/परियोजना अध्यक्ष आकस्मिक जांच करके जांच रिपोर्टों को प्रतिहस्ताक्षति करें।

7. निविदा/कोटेशन मंगाने के समय वांछित सामग्री का विस्तृत विवरण उसी समय ही दिया जाना चाहिए तथा उस विवरण के अनुसार ही सबसे कम दर वाली कोटेशन को स्वीकृति दी जानी चाहिए।

8. जहां पर अधिकारियों की कमी नहीं है, स्टोर संबंधी विभिन्न कार्यों जैसे (i) खरीद और (ii) रखरखाव, लेखा-जोखा रखने तथा वितरण का कार्य अलग-अलग एककों/अधिकारियों द्वारा किया जाए।

9. उपरोक्त प्रक्रिया निम्नलिखित शर्तों पर आधारित होगी:

(क) सामान्य वित्तीय नियमावली के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए।

(ख) स्टोर/उपकरण इत्यादि के अति परिष्कृत सामान सहित सभी मदों का विस्तृत विवरण निविदा मंगाने के समय दिया जाए।

(ग) स्टोरों के निरीक्षण का उपयुक्त प्रबन्ध किया जाए।

[हिन्दी]

सिद्धमुख सिंचाई परियोजना

2004. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिद्धमुख सिंचाई परियोजना पिछले काफी वर्षों से सरकार के पास लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक मंजूर और पूर्ण हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग में दिसंबर, 1999 में प्राप्त सिंधमुख सिंचाई परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट पर इसके तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के पश्चात तकनीकी-सलाहकार समिति द्वारा 3 अगस्त, 2001 को आयोजित इसकी 77वीं बैठक में विचार किया गया। इस परियोजना रिपोर्ट को राज्य वित्त विभाग की स्वीकृति, भाखड़ा मुख्य लाइन की 12500 क्यूसेक की मूल क्षमता को पुनः स्थापित करने, भूजल स्तर की गहन निगरानी, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति इत्यादि जैसी टिप्पणियों की अनुपालना के अधीन 220.86 करोड़ रुपये (जनवरी, 2000 का मूल्य स्तर) के लिए स्वीकार्य पाया गया। तकनीकी सलाहकार समिति/योजना आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार से अनुपालना अभी प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2003-04 में पूरा होने वाली परियोजना में राजस्थान के हनुमानगढ़ और चुरू जिलों के 38 गांवों को लाभ पहुंचाने की योजना है।

मुंबई में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र

2005. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नवी मुंबई में माथेरान पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) जन प्रतिनिधियों, गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी. ओज.) और आम आदमी द्वारा दिए गए सुझावों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सुझावों का गहराई से अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए उक्त परियोजना में खास परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार ने माथेरान और उसके आस–पास के क्षेत्र को पारि–संवेदी क्षेत्र घोषित करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दिनांक 6 फरवरी, 2002 की एस ओ 167 (ई) के तहत एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

(ग) और (घ) जनता, जनप्रतिनिधियों, गैर–सरकारी संगठनों, महाराष्ट्र सरकार और अन्य स्टेक होल्डरों से अनेक सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इन आपत्तियों और सुझावों में अन्य बातों के साथ–साथ परि–संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए भूगौलिक क्षेत्र, क्षेत्रीकरण और प्रत्येक क्षेत्र के भीतर स्वीकार्य और विनियमित किए जाने वाले कार्यों से संबंधित विभिन्न मामले शामिल हैं। सरकार ने सुझावों और आपत्तियों की प्रारंभिक जांच के बाद इसे इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के पास आगे जांच करने और इन पर सिफारिशें देने के लिए भेज दिया है। विशेषज्ञ समिति ने प्राप्त सुझावों और आपत्तियों की जांच की और महाराष्ट्र सरकार गैर–सरकारी संगठनों और जन प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श किया। समिति ने दिनांक 11 और 12 नवम्बर, 2002 को माथेरान और इसके आस–पास के क्षेत्रों का दौरा भी किया।

(ङ) और (च) मसौदा अधिसूचना पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों तथा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान मे रखकर सरकार अधिसूचना को अंतिम रूप देगी।

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादन में गिरावट

2006. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001–02 के दौरान कृषि दर 6.11% तक बढ़ी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अवधि के दौरान गन्ना उत्पादन 2% से अधिक तक गिरा है;

(ग) यदि हां, तो गन्ना उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का गन्ना उत्पादन में गिरावट के लिए उत्तरदायी नीति संबंधी कमियों/चूकों को सुधारने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। जून 2002 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी वर्ष 2001–02 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के संशोधित आकलनों के अनुसार (1993–94 मूल्यों पर) इस क्षेत्र की वृद्धि दर जिसमें कृषि, पशुपालन, वानिकी तथा मात्स्यिकी शामिल है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2001–02 में 5.7% थी।

(ख) जी, हां। जून, 2002 में किए गए फसल उत्पादन के आकलनों के अनुसार, गन्ना उत्पादन पिछले वर्ष में 2992 लाख मी. टन की तुलना में वर्ष 2001–02 के लिए 2922 लाख मी. टन था जो वर्ष 2001–02 में विकास में (–) 2.3 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

(ग) से (ङ) हालांकि पिछले वर्षों में गन्ने के उत्पादन में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति बरकरार रही है फिर भी वर्ष 2000–01 में उत्पादन में मामूली कमी प्राकृतिक कृषि जलवायु घटकों में परिवर्तनों, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है, के कारण हैं। गन्ना की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पांडिचेरी में गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों के सतत विकास संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1995–96 में शुरु की गई थी। स्कीम का मुख्य जोर फील्ड प्रदर्शनों, कृषक प्रशिक्षण, कृषि उपस्करों की आपूर्ति, बीज उत्पादन बढ़ाने तथा प्रबंध उपाय आदि के माध्यम से किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी के अंतरण पर है। स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार वांछित घटकों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को और अधिक लचीलापन देने के लिए उपर्युक्त स्कीम को वृहत् प्रबंधन प्रणाली में मिला दिया गया है।

खादी का विकास

2007. श्री जार्ज ईडन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी के विकास के लिए पिछले वित्तीय वर्ष और उसके बाद राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान खादी उद्योग के लिए कुल कितनी छूट दी गई?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी): (क) सरकार द्वारा के.वी.आई.सी. को पिछले वित्तीय वर्ष (2001–2002) तथा चालू वित्तीय वर्ष के बी. ई. अर्थात् 2002–2003 में प्लान हैंड के तहत क्रमशः 182.18 करोड़ रु. तथा 392.00 करोड़ रु. के फण्डस संवितरित किए गए हैं। के. वी. आई. सी. द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष (31.10.2002 तक) में खादी के विकास हेतु राज्य–वार किए गए फण्डस का संवितरण संलग्न विवरण–I में दर्शाया गया है।

(ख) वर्ष 2001–2002 तथा 2002–03 (अक्तूबर, 2002 तक) खादी उद्योगों को प्रदान की गई राज्य–वार छूट संलग्न विवरण–II में दर्शायी गई हैं।

विवरण-I

खादी के विकास हेतु के वी आई सी द्वारा किया गया राज्य–वार संवितरण

रुपये लाखों में

सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001–2002		2002–03 (31.10.2003 तक)	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
1.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0.00	0.00	–	0
2.	दिल्ली	259.35	0.00	271.78	0
3.	हरियाणा	500.55	0.00	278.06	0
4.	हिमाचल प्रदेश	346.91	5.00	100.19	0
5.	जम्मू–कश्मीर	81.13	41.56	84.50	0
6.	पंजाब	359.75	9.62	166.94	18.64
7.	राजस्थान	607.89	20.09	455.11	108.96
पूर्वी क्षेत्र					
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (सं. रा. क्षे.)	0.00	0.00	0	0
9.	बिहार	338.27	91.16	195.80	0
10.	झारखंड	110.91	5.00	147.29	0
11.	उड़ीसा	43.68	0.00	28.80	0
12.	सिक्किम	0.00	0.00	4.01	0
13.	पश्चिमी बंगाल	304.54	52.34	279.37	2.42

1	2	3	4	5	6
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
14.	अरूणाचल प्रदेश	10.94	0.00	9.93	0
15.	असम	76.08	67.42	48.95	29.18
16.	मणिपुर	16.39	3.95	16.49	0
17.	मेघालय	0.61	1.35	6.72	0
18.	मिजोरम	1.15	0.00	3.80	0
19.	नागालैंड	8.24	18.52	12.66	0
20.	त्रिपुरा	3.47	0.00	18.85	0
दक्षिण क्षेत्र					
21.	आंध्र प्रदेश	176.78	0.00	155.62	0
22.	कर्नाटक	296.26	294.03	332.59	28.49
23.	केरल	390.94	26.78	427.36	0
24.	लक्षद्वीप (स.रा.क्षे.)	0.00	0.00	0	0
25.	पांडिचेरी	6.68	0.00	0	0
26.	तमिलनाडु	1877.19	31.54	887.01	8.68
पश्चिम क्षेत्र					
27.	दादरा और नागर हवेली	0.18	0.00	0.42	0
28.	दमन और द्वीव (सं.रा.क्षे.)	0.00	0.00	0	0
29.	गोवा	0.00	0.00	15.63	0
30.	गुजरात	1202.51	0.00	773.77	26.98
31.	महाराष्ट्र	351.89	0.00	299.18	18.69
केन्द्रीय क्षेत्र					
32.	छत्तीसगढ	17.55	5.00	14.90	0
33.	मध्य प्रदेश	228.24	0.00	88.55	0
34.	उत्तर प्रदेश	2836.86	80.35	2102.81	6.21
35.	उत्तरांचल	789.28	0.00	201.34	0
	विभागीय	1037.94	0.00	233.88	0
	कुल योग	12282.16	753.71	7662.84	248.25

विवरण-II

खादी विक्रय छूट के अंतर्गत किया गया
राज्य–वार संवितरण

रु. लाखों में

विषय	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001–02	2002–03 (31.10.2002 तक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	136.76	120.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0.12
3.	असम	54.16	40.88
4.	बिहार	260.60	124.07
5.	गोवा	0	3.60
6.	गुजरात	537.02	715.35
7.	हरियाणा	371.44	294.60
8.	हिमाचल प्रदेश	217.67	132.67
9.	जम्मू–कश्मीर	56.49	74.36
10.	कर्नाटक	231.24	395.89
11.	केरल	260.85	317.37
12.	मध्य प्रदेश	164.08	105.43
13.	महाराष्ट्र	65.71	174.64
14.	मणिपुर	3.86	5.18
15.	मेघालय	0.61	0.32
16.	मिजोरम	0.10	0
17.	नागालैंड	5.54	7.97
18.	उड़ीसा	32.41	5.12
19.	पंजाब	179.33	111.19
20.	राजस्थान	494.13	519.36
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	777.32	1070.69
23.	त्रिपुरा	1.67	2.62
24.	उत्तर प्रदेश	1837.03	2410.60
25.	पश्चिमी बंगाल	193.88	210.81
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0
28.	दादरा और नागर हवेली	0.18	0
29.	दिल्ली	216.65	239.58
30.	लक्षद्वीप	0	0
31.	पांडिचेरी	2.52	0
32.	छत्तीसगढ़	15.21	19.40
33.	झारखंड	110.27	143.73
34.	उत्तरांचल	776.57	265.74
	कुल	7003.82	7511.70

फसल बीमा योजना के लिए कारपस निधि

2008. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50:50 के आधार पर केन्द्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अंशदान वाली फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपदा के समय होने वाली हानि को पूरा करने के लिए कारपस निधि बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निधि के 2000–01 से शुरू करके प्रतिवर्ष किए गए उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कारपस निधि के 'कार्यान्वयन अभिकरण' के तौर पर कार्य करने के लिए लगाए गए संगठन/संस्थान के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। कारपस निधि से उपयोग की गई वर्ष–वार धनराशि इस प्रकार है:–

वर्ष	उपयोग की गई धनराशि (लाख रुपये में)
2000–01	शून्य
2001–02	5142.92
2002–03 (अद्यतन)	1680.14

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय साधारण बीमा निगम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयक अभिकरण होने के नाते कारपस निधि का रखरखाव तथा प्रचालन कर रहा है।

पर्यटन महानिदेशक का पद समाप्त करना

2009. श्री अम्बरीश : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पर्यटन महानिदेशक का पद समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हाँ।

(ख) पर्यटन विभाग के कार्यों, कार्यकलापों और ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए, व्यय सुधार आगोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि पर्यटन विभाग एक छोटा सा विभाग होने के नाते इसमें सचिव एवं महानिदेशक, पर्यटन के पद की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि महानिदेशक, पर्यटन का पद सचिव के पद के साथ मिला दिया जाए और महानिदेशक (पर्यटन) का पद समाप्त कर दिया जाए। पर्यटन विभाग, व्यय सुधार आयोग की इस सिफारिश से सहमत हो गया और तदनुसार, महानिदेशक (पर्यटन) का पद 5.11.2002 (अपराह्न) से समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

ग और घ समूह के कर्मचारियों की नियुक्ति

2010. डा. बलिराम : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में समूह ग और घ के पद पर अस्थायी आधार पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन कर्मचारियों में से प्रत्येक को दिए गए मासिक वेतन का उल्लेख करते हुए प्रत्येक कर्मचारी की सेवा में बिना अवरोध तथा अवरोध सहित कुल सेवा अवधि कितनी है; और

(ग) उपर्युक्त पदों को स्थायी आधार पर भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) अस्थाई आधार पर समूह ग में 242 कर्मचारी लगाए गए और समूह घ में कोई भी कर्मचारी नहीं लगाया गया। तदर्थ आधार पर समूह ग में 86 तथा समूह घ में 28 कर्मचारी लगाए गए।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार अस्थाई व्यक्तियों की दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी करने पर उनकी स्थाई नियुक्ति पर विचार किया जाता है। जहां तक तदर्थ आधार पर नियुक्ति का प्रश्न है, अतिरिक्त निर्माण गतिविधियों की आवश्यकता के अनुसार ही यह नियुक्तियां की जाती हैं तथा कार्यों के पूरा होने पर इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।

दंड के लंबित मामले

2011. श्री सुरेश चन्देल : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग उद्योग आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध बड़े दंडों के मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या जिन अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए था, उन्हें आयोग द्वारा पदोन्नति कर दिया गया है और इस प्रकार उन्हें पुरस्कृत किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) बड़े दण्ड देने के लिए 17 मामलों जिनमें 13

अधिकारी भी शामिल हैं, अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है। इनमें से 7 मामलों में दण्ड लगा कर पूरा कर लिया गया है तथा शेष 10 मामलों में विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

2012. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के 5000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना है;

(ग) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों के शेष कर्मचारियों को नियमित रूप से उनका वेतन मिल रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो उनका वेतन किस माह से बकाया है;

(ङ) क्या मार्च, 2002 तक हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वालों के सभी संवैधानिक बकायों का भुगतान कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो संवैधानिक बकायों का भुगतान करने की समय–सीमा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल) की वित्तीय स्थिति अस्थिर बनी हुई है और अभी भी इसे हानि हो रही है।

(ख) वर्ष 2002–2003 के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वी आर एस) के अंतर्गत 5000 कर्मचारियों को पृथक करने की योजना की तुलना में केवल 3154 कर्मचारियों ने ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का विकल्प चुना है जिनमें से आज तक 808 कर्मचारी पृथक किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) एच एस सी एल के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है। विभिन्न इकाइयों में बकाया वेतन और मजदूरी 1 माह से लेकर 37 माह तक बकाया है।

(ङ) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत मार्च, 2002 तक पृथक हुए सभी कर्मचारियों को अनुग्रह राशि और उपदान का भुगतान कर दिया गया है। पृथक हुए 30 कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान अभी तक किया जाना है और 880 कर्मचारियों को आंशिक रूप से भुगतान कर दिया गया है। परिवार पेंशन का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आर पी एफ सी) द्वारा विनियमित किया जाता है। आज की स्थिति के अनुसार परिवार पेंशन के निपटान हेतु 2850 आवेदन आर पी एफ सी को भेजने के लिए लंबित हैं जिनके संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

(च) उम्मीद है कि भविष्य निधि में देय राशियों का भुगतान दिसंबर, 2002 तक कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में प्रदूषण

2013. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली चार महानगरों में सर्वाधिक प्रदूषित महानगर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य महानगरों की तुलना में दिल्ली में प्रतिवर्ष दीपावली पर अधिक प्रदूषण होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस वर्ष दीपावली पर अन्य दिनों और अन्य महानगरों की तुलना में दिल्ली में अधिक प्रदूषण हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) महानगरों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किए गए परिवेशी वायु गुणता मूल्यांकन के आधार पर यह देखा गया है कि दिल्ली में निलंबित विविक्त पदार्थ (एस पी एम) अधिक है। प्राकृतिक धूलभरी दशाओं और वाहनजनित प्रदूषण के कारण ऐसा होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली में, आम दिनों का एस पी एम स्तर 769 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होता है, इसकी तुलना में यह स्तर दीपावली के दौरान बढ़ कर 1030 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। कोलकाता के मामले में, आम दिनों में एस पी एम स्तर 216 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की तुलना में दीपावली के दौरान बढ़ कर 296 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर हो गया।

(ङ) प्रदूषण नियंत्रण हेतु उठाए गए कदमों में शामिल हैं:–

- बहु–प्रतिरूपी (मल्टी मॉडल) सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की योजना बनाई गई है और 2.10.1998 से दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा दिल्ली मॉस रेपिड ट्रांस सिस्टम के संशोधित चरण–। पर कार्य किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, सी एन जी से चलने वाली बसों को छोड़कर आठ वर्ष से पुरानी स्टेज कैरेज की बसों और कांट्रेक्ट कैरेज की बसों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- 1.4.2000 से, वर्ष 1990 के पूर्व की आटो और टैक्सियों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उनके स्थान पर स्वच्छ ईंधन से चलने वाले नए वाहन लाए जा रहे हैं।
- केवल उन निजी और व्यापारिक वाहनों को पंजीकरण करना जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों का समय–समय पर अनुपालन करते हैं।
- 1.4.2000 से केवल उन निजी गैर–व्यापारिक वाहनों (कारों) का पंजीकरण किया जा रहा है जो यूरो–।।/भारत स्टेज–।। उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप हैं।
- दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा गश्ती प्रवर्तन दलों के माध्यम से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की नियमित जांच की जाती है।
- यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए भीड–भाड़ वाली सड़कों पर फ्लाई ओवर बनाना।
- पटाखों और लाउड स्पीकरों के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं।

[अनुवाद]

नर्मदा बांध परियोजना

2014. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बांध परियोजना के निर्माण और इसकी ऊंचाई बढ़ाने के विरूद्ध लगातार विरोधों और धरनों से इसकी निर्माण लागत कई गुना बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरी करने की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर किए जाने की संभावना है और इसकी ऊंचाई कितनी होगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा वर्ष 1994 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका वर्ष 1994 की रिट याचिका (सिविल) सं. 319 जिसका निर्णय अक्तूबर, 2000 में ही दिया जा सका था। दायर करने के कारण सरदार सरोवर बांध का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ था।

(ख) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1987 (वर्ष 1986–87 के मूल्य स्तर पर) में सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण की मूल लागत 6406.04 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई थी। वर्ष 1991–92 के मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमानित लागत 13,180.62 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1996–97/चालू मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमानित लागत का संशोधन किया जा रहा है।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के अक्तूबर, 2000 के निर्णय के बाद, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने जून, 2003 तक सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई को +110 मीटर तक और ऊपर उठाने तथा जून, 2005 तक 138.68 मीटर (पूर्ण जलाशय स्तर) तक ऊंचा करने के लिए नवंबर, 2000 में एक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया था। बांध की वर्तमान ऊँचाई (30–46 ब्लाकों) + 95.00 मीटर ई एल तक है। बांध के अन्य ब्लाक ऊँचाई के विभिन्न स्तरों पर है। बांध को और अधिक ऊंचा

उठाने का कार्य बांध की ऊंचाई के विभिन्न स्तरों पर पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय करने एवं परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के साथ–साथ किया जा रहा है।

सिंचाई की संभावना

2015. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002–03 के अंत तक कुल कितनी सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की संभावना है; और

(ख) इसमें प्रमुख और लघु सिंचाई परियोजनाओं का हिस्सा कितना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002–03 के लिए सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में पशुपालन तथा बागवानी विकास

2016. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पशुपालन तथा बागवानी विकास से संबंधित कौन से प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं और इनके लम्बन में क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) बिहार राज्य में पशुपालन और बागवानी विकास के संबंध में वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

हज तीर्थयात्रियों को लाना-ले-जाना

2017. डा. बी. बी. रमैया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितने हज तीर्थयात्रियों के हज तीर्थ स्थल की यात्रा करने की संभावना है;

(ख) हज तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए किस तारीख तक उड़ान शुरू होने की संभावना है;

(ग) ये हज उड़ानें किन स्थानों से प्रारम्भ होगी; और

(घ) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 2003 में लगभग 72,000 तीर्थयात्रियों की हज यात्रा करने की संभावना है।

(ख) हज के लिए उड़ानें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरू, कोझिकोड, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, गया (कोलकाता से जोड़ने के लिए) तथा श्रीनगर से प्रचालित की जाएगी। एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा सऊदी अरब एयरलाइनें दिनांक 4.1.2003 से हज यात्रियों को भारत से जेद्दाह लाना–ले जाना आरंभ करेगी।

बी. टी. प्रौद्योगिकी की असफलता

2018. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरीफ फसल के दौरान पहली बार व्यावसायिक स्तर पर गैर–संवर्धित सूती पौधे के लिए प्रयोग में ली गई बी. टी. प्रौद्योगिकी असफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्यवार इस खरीफ फसल के दौरान कितने एकड क्षेत्र में बी. टी. कपास पौधों को उगाया गया था; और

(घ) इस खरीफ मौसम के दौरान उत्पादित बी.टी. कपास पौधे का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खरीफ, 2002 के दौरान बी. टी. कपास के अंतर्गत राज्यवार क्षेत्र का अनुमान निम्नवत है:–

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

गुजरात	22918
मध्य प्रदेश	3676
महाराष्ट्र	30227
आंध्र प्रदेश	9192
कर्नाटक	5463
तमिलनाडु	1485

(घ) खरीफ, 2002 के दौरान बी.टी. कपास फसल की कटाई पूरी नहीं हुई है।

केन्द्रीय भण्डार और एन. सी. सी. एफ. में भ्रष्टाचार

2019. श्री रघुनाथ झा :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार और एन. सी. सी. एफ. विनिर्माताओं से लेखन सामग्री, उपभोक्ता और परचून सामग्री खरीदने की बजाए, अधिक मूल्य पर अन्य एजेंन्सियों से खरीद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक इन समितियों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को रोकने में विफल हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय भण्डार और एन. सी. सी. एफ. ने सूचित किया है कि उनकी क्रय नीति के अनुसार वे लेखन सामग्री, उपभोक्ता और परचून सामग्री सीधे ही विनिर्माताओं से खरीद रहे हैं। जहां विनिर्माता सीधे सौदा करने से मना करते हैं, केवल उन मामलों में ही ये सामग्री को उनके द्वारा प्राधिकृत विक्रेताओं से खरीदते हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-विविधता

2020. डा. वी. सरोजा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संपन्न/समृद्ध जैव–विविधता का वाणिज्यिक रूप से दोहन करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उसके विनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अन्तर्गत जैव–विविधता के वाणिज्यिक दोहन पर प्रतिबंध है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जैवविविधता के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- स्व स्थाने संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और जीवमण्डल रिजर्वों को शामिल करके संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क स्थापित करना।
- गहन संरक्षण और प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमियों का अभिनिर्धारण
- स्थान बाह्य संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान, वन्य प्राणी उद्यान, जीन बैंक स्थापित करना।
- बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, आर्द्रभूमि, जीव मण्डल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों का विकास और संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास परि–विकास नामक विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता देना।
- वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्य जीवों के परिरक्षण के लिए क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना।
- संरक्षित क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों आदि के पारि–प्रणाली संबंधी कार्यों और वैज्ञानिक प्रबंधन को समझने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता देना।

कृषि से जुड़े श्रमिकों को सहायता

2021. श्री भान सिंह भौरा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस वर्ष के दौरान कई राज्यों में भयंकर सूखे के कारण सबसे अधिक प्रभावित [illegible] कृषि से जुड़े श्रमिक थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्यवार क्या उपाय किये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन में 18.72% नुकसान होने का अनुमान है। इस संबंध में आवश्यक उपाय करने की जिम्मेवारी प्रथमतः संबंधित राज्य सरकारों की है, केन्द्रीय सरकार केवल राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। वर्ष 2002–03 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त अग्रिम तौर पर जारी करने के अलावा उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सूखे से प्रभावित राज्यों के लिए संबंधित राज्यों के आपदा राहत कोष में बकाया राशि के समायोजन की शर्त पर 1999.14 करोड़ रूपये की कुल सहायता अनुमोदित की है, (विवरण–I) इसके अतिरिक्त, राहत रोजगार के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित राज्यों को 19.25 लाख मी. टन खाद्यान्न आबंटित किया गया (विवरण–II)।

विवरण-I

सूखा प्रभावित राज्यों द्वारा की गई मांग एवं उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	राज्य द्वारा की गई मांग	आपदा राहत कोष में उपलब्ध बकाया राशि के समायोजन की शर्त पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1210.90	174.61
2.	छत्तीसगढ़	880.66	92.73
3.	हरियाणा	1895.98	109.65
4.	हिमाचल प्रदेश	155.86	39.45
5.	झारखण्ड	1467.25	42.06
6.	कर्नाटक	1562.85	221.46
7.	मध्य प्रदेश	790.38	125.89
8.	महाराष्ट्र	1730.61	20.00
9.	उड़ीसा	871.40	120.18
10.	पंजाब	3529.44	125.41
11.	राजस्थान	7519.76	207.68
12.	तमिलनाडु	1545.76	228.30
13.	उत्तरांचल	401.81	10.62
14.	उत्तर प्रदेश	7539.79	481.10
	कुल	31102.45	1999.14

विवरण-II

सूखा प्रभावित राज्यों द्वारा की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के "विशेष घटक" के अन्तर्गत अनुमोदित खाद्यान्न की मात्रा

(लाख मी. टन)

	राज्य	(अनुमोदित मात्रा) (सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक)
1.	आंध्र प्रदेश	3.00
2.	छत्तीसगढ़	0.50
3.	हरियाणा	0.25
4.	हिमाचल प्रदेश	0.10
5.	झारखण्ड	0.40
6.	कर्नाटक	2.00
7.	मध्य प्रदेश	1.00
8.	उड़ीसा	2.00
9.	राजस्थान	7.00
10.	तमिलनाडु	0.50
11.	उत्तरांचल	0.50
12.	उत्तर प्रदेश	2.00
	कुल	19.25

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी विमानपत्तन पर चोरी

2022. योगी आदित्यनाथ :

श्री वाई. जी. महाजन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हाल ही में इंदिरा गांधी विमानपत्तन से लाखों रुपये मूल्य के उपस्करों की चोरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए अभी तक किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) ऐसी कोई घटना सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जलचर के प्रोत्साहन हेतु नीति

2023. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में जलचर प्रसंस्करण और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु व्यापक नीति/रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में विशेषकर आंध्र प्रदेश में जलचर उद्योग अपने उत्पादों के निर्यात की मांग में गिरावट के कारण संकट का सामना कर रहा है; और

(घ) देश में जलचर खाद्य उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का उपशमन करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार ने देश में जलकृषि उत्पादन तथा जलकृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीति विकसित की है। देश में जलकृषि के विकास के लिए मुख्य जोर राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए ताजे जल और खारे जल में जलकृषि कार्यक्रमों पर दिया जा रहा है। इन उत्पादों के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का सुधार करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा बहुत से कार्य प्रारंभ किए गए हैं।

(ग) झींगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विशेषकर जापान, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में बेची जाने वाली उच्च कीमत की जींस है। जलकृषि उद्योग में विशेषकर आंध्र प्रदेश में 2001–2002 के दौरान झींगा की कीमतों में कमी के कारण कुछ समस्याएं सामने आई हैं, तथापि, इस वर्ष स्थिति में सुधार हुआ है। इस संकट के मुख्य कारणों में से एक कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान जापानी बाजार में मंदी है। यूरोपीय संघ में निर्यातक एन्टीबायोटिक अवशेष के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के लिए झींगा निर्यात बढ़ा है तथा भारत चालू वर्ष के दौरान अमेरिका को झींगा आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

(घ) देश में जलकृषि खाद्य उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू किए गए उपायों में शामिल हैं, मछली उतारने के केन्द्रों तथा मत्स्यन बंदरगाहों की स्वास्थ्यकर दशाओं में सुधार करना, एन्टीबायोटिक जांच प्रयोगशालाओं, संचल प्रयोगशालाओं तथा पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, जल जीवों के निर्यात के लिए समूह विकास क्षेत्रों की स्थापना करना तथा पारिस्थितिकी अनुकूल और सतत कृषि व्यवसायों के पहलुओं पर जलकृषि किसानों के लिए जागरूकता सृजन कैम्पों की स्थापना करना।

[हिन्दी]

दिल्ली और गोरखपुर के मध्य सीधी उड़ान सेवा

2024. श्री राजनारायण पासी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और गोरखपुर के मध्य सीधी उड़ान शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्प्रवास कानून

2025. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कौन से उत्प्रवास कानून विद्यमान हैं;

(ख) उन विभिन्न श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उत्प्रवास जांच से मुक्त रखा गया है;

(ग) क्या दोषपूर्ण उत्प्रवास जांचों के कारण मानवों की तस्करी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किन निवारक कदमों का प्रस्ताव किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) वर्तमान में, विदेशी भर्ती अधिनियम, 1874 और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 नामक दो उत्प्रवास कानून है। प्रशासनिक कानून समीक्षा आयोग ने विदेशी भर्ती अधिनियम, 1874 को निरस्त करने की सिफारिश की है।

(ख) उत्प्रवास जांच से छूट प्राप्त व्यक्तियों की 17 श्रेणियां हैं (विवरण)।

(ग) और (घ) त्रुटिपूर्ण उत्प्रवास जांच मानवों की तस्करी का कारण नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को गैर–कानूनी उत्प्रवास को प्रेरित करने वाले बेईमान तत्वों की गतिविधियों पर सख्त चौकसी रखने के लिए थाना स्तर पर दिशा–निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

उन व्यक्तियों/कर्मकारों के वर्गों की सूची जिनके मामले में उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं हैं।

1. होटलों, रेस्तरां, चाय की दुकानों या सार्वजनिक सैरगाहों आदि में प्रबन्धकीय हैसियत में विदेश जाने वाले वे व्यक्ति जिनके पास इन क्षेत्रों में विशिष्ट डिग्री हो।
2. सभी सरकारी राजपत्रित अधिकारी।
3. सभी आयकर दाता (कृषि आयकर दाता सहित) अपनी व्यक्तिगत हैसियत में आयकर निर्धारण का प्रमाण तथा पिछले तीन साल के लिए आयकर की वास्तविक अदायगी के प्रमाण पर जोर दिया जाए न कि केवल अग्रिम कर की अदायगी के प्रमाण पर।
4. सभी व्यावसायिक डिग्री प्राप्त व्यक्ति जैसे एम. बी. बी. एस. अथवा आयुर्वेद या होम्योपैथी में डिग्रीधारी डॉक्टर, मान्यताप्राप्त पत्रकार, इंजीनियर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, कास्ट एकाउन्टेंट्स लैक्चरर्स, अध्यापक, वैज्ञानिक, अधिवक्ता आदि।
5. (2) से (4) में वर्गीकृत व्यक्तियों के पति/पत्नी और आश्रित बच्चे।
6. वे सभी व्यक्ति जो तीन वर्ष से ज्यादा से विदेश में रह रहे है। (तीन वर्ष की अवधि चाहें वह लगातार हो या विच्छिन्न हो। तथा पति/पत्नी और ऐसे व्यक्तियों के बच्चे।
7. वे सभी भारतीय नाविक जिनके पास भारतीय या विदेशी निरंतर सेवा प्रमाण पत्र (सी.डी.एस.) है और जिनके पास भारतीय या विदेशी जहाजरानी कम्पनियों से रोजगार के प्रस्ताव हैं तथा समुद्री कैडेट।
8. सभी राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारक।
9. ऐसे माता–पिता के आश्रित बच्चे, जिनके पासपोर्ट ई. सी. एन. आर. के रूप में वर्गीकृत हैं। ऐसे बच्चों के मामलों में उनके द्वारा 24 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ई. सी.एन.आर. वर्गीकरण सीमित किया जाए।
10. ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्थायी अप्रवासी वीजा हो जैसे इंग्लैण्ड, अमरीका और आस्ट्रेलिया में।
11. ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्नातक का उच्चतर डिग्री हो।

12. पोलीटेक्निक जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा धारक व्यक्ति।

13. ऐसी नर्सें जिनके पास भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 के अधीन मामला प्राप्त अर्हता हो।

14. 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति।

15. पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने वाले सभी यात्री।

16. यूरोप किसी देश को जाने वाले सभी यात्री (राष्ट्रकुल देशों, उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जापान को छोड़कर)।

17. सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी

2026. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी (के आई ओ सी एल) अगले दो वर्ष तक ही खनन कार्य जारी रख सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी के कामगारों को निकट भविष्य में वैकल्पिक नौकरी देने/पुनर्वास प्रदान करने का है; और

(घ) कंपनी के कितने कर्मचारियों ने पहले ही पिछले तीन वर्षों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) दिनांक 30.10.2002 के अपने निर्णय में भारत के उच्चतम न्यायालय ने के आई ओ सी एल को कुद्रेमुख में 31.12.2005 तक खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी है।

(ग) के आई ओ सी एल कंपनी के प्रचालन के संबंध में कर्मचारियों के कार्य/पुनर्वास सहित भविष्य की कार्रवाई के बारे में कंपनी द्वारा उपयुक्त समय पर विभिन्न विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की संख्या	कार्यपालक	पर्यवेक्षक	गैर–कार्यपालक	कुल
1999–2000	5	–	18	23
2000–2001	18	8	48	74
2001–2002	–	–	–	–
2002–2003 (30.09.2002 तक)	24	7	43	74
कुल	47	15	109	171

संपर्क नहर परियोजना

2027. श्री अमर राय प्रधान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिमासों में कलकत्ता पत्तन की रक्षा करने के लिए पानी के बहाव को बढ़ाने हेतु प्रस्तावित मानस–संकोष–तीस्ता–गया को जोड़ने हेतु सम्पर्क नहर परियोजना हेतु प्रयोगशाला जांच के आधार पर भू–तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट में पर्यावरण संबंधी कारणों से इस परियोजना का समर्थन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्पर्क नहर के लिए कोई तकनीकी – आर्थिक सर्वेक्षण किया गया;

(ङ) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(च) इस कार्य के कब तक शुरू होने के और पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा संपर्क नहर परियोजना का भूतकनीकी अन्वेषण संबंधी कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा संपर्क नहर परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। तथापि, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण मानस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले मानस से संकोष तक संपर्क नहर के 114 कि.मी. के खण्ड में तथा रैदक रिजर्व बन, बक्सा टाइगर रिजर्व एवं गोबुरबासरा रिजर्व बन के अंतर्गत आने वाले संकोष से तीस्ता तक 24 कि.मी. के खण्ड में कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

(ङ) पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1994–95 के मूल्य स्तर पर संपर्क नहर परियोजना की अस्थायी अनुमानित लागत 11,670.00 करोड़ रुपये है।

(च) क्रियान्वयन संबंधी समग्र कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सहयोग और उनसे बातचीत/अन्तर्राज्जीय समझौते पर निर्भर करता है जोकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रारंभ करने की पहली आवश्यकता है।

[हिन्दी]

सरस्वती नदी और सिन्धु सभ्यता

2028. श्री जय प्रकाश : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जुलाई, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में "सिन्धु सभ्यता को सरस्वती से जोड़ने की मुहिम को झटका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्यों पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हाँ। तथापि, सरकार मीडिया द्वारा दिए गए कल्पित समाचार से सहमत नहीं है।

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय नदी न्यायाधिकरण

2029. श्री श्रीनिवास पाटील :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नदी विवादों को हल करने के लिए किसी अन्तराज्यीय नदी न्यायाधिकरण का गठन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) संशोधित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) के अनुसार "जब किसी जल विवाद के संबंध में किसी भी राज्य सरकार से धारा 3 के अंतर्गत कोई अनुरोध प्राप्त होता है और केन्द्र सरकार की यह राय हो कि वह जल विवाद बातचीत के द्वारा हल नहीं किया जा सकता तो केन्द्र सरकार जल विवादों के अधिनिर्णय के लिए ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जल विवाद अधिकरण का गठन करेगी।" तद्नुसार, केन्द्र सरकार विशिष्ट विवादों के अधिनिर्णय के लिए अधिकरण का गठन करती है।

केन्द्र सरकार को गोवा और कर्नाटक राज्यों से उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत महादायी/मंडोवी नदी जल के बंटवारे तथा क्रमशः जुलाई, 2002 और सितंबर, 2002 में अधिनिर्णय तथा निर्णय के लिए कृष्णा नदी के अधिशेष जल के बंटवारे के संबंध में विवादों का अधिकरणों को भेजने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। केन्द्र सरकार ने बातचीत के द्वारा

विवादों के निर्णय के लिए कदम उठाए हैं और इसमें सफलता न मिलने पर उनके अधिनिर्णय के लिए जल विवाद अधिकरणों का गठन किया जायेगा।

उत्प्रवास शुल्क में वृद्धि

2030. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्प्रवास शुल्क में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही दिनांक 18 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 713(अ) द्वारा 01 नवम्बर, 2002 से उत्प्रवास शुल्क 100/– रुपये से बढ़ाकर 200/– रुपये कर दिया है।

केरल में मत्स्यन बंदरगाह का आधुनिकीकरण

2031. श्री पी. सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या इस संबंध में कोइलांडी थकै, थोट्टापल्ली में मत्स्यन बंदरगाहों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। केरल सरकार ने मुनक्कककाडावू, चेट्टीयूवाई, धर्माडोम, चेरुवायूर, वल्लाईल, थोट्टापल्ली, नीलेसवरम और न्यू माहे पर मछली उतारने वाले केन्द्रों और नीनदाकारा, पुथीअप्पा, चोम्बल, गोपलाबे, आझीक्कल और मुनमबम पर मत्स्यन बंदरगाहों की मरम्मत और नवीकरण का प्रस्ताव रखा है।

(ख) और (ग) केवल थोट्टापल्ली में मछली उतारने वाले केन्द्र की मरम्मत और नवीकरण के लिए राज्य सरकार ने कुल 20.00 लाख रुपए की लागत का प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव एकदम प्रारंभिक चरण में है और राज्य बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के बारे में राज्य सरकार ने पुष्टि नहीं की है।

मारीजौना के चिकित्सीय गुणों पर अनुसंधान

2032. श्री वाई. वी. राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपतृण "मारीजौना" के चिकित्सीय गुणों पर कोई अनुसंधान किया है जिसमें मधुमेह और अन्य रोगों का उपचार करने के गुण हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई अनुसंधान किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस पौधे पर कोई अनुसंधान नहीं किया है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे स्टेशनों पर विमान टिकट आरक्षण कार्यालय

2033. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग कार्यालयों की स्थापना करने हेतु इंडियन एयरलाइंस और अन्य गैर सरकारी एयरलाइनों को अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लंबित जल विद्युत परियोजनाएं

2034. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ विद्युत परियोजनाएं विशेषकर जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य–वार और परियोजना–वार ब्यौरा और उनकी क्षमता कितनी है; और

(ग) उपर्युक्त लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी हां।

(ख) मंजूरी के लिए लम्बित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) परियोजना के संबंध में निर्णय सामान्यतया पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर ले लिया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
	अरूणाचल प्रदेश/असम	
1.	नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि. द्वारा लोअर सबन्सेरी हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट, जिला लोअर सबन्सेरी	2000
	जम्मू-कश्मीर	
2.	नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि. द्वारा जिला कठुआ में सेवा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट चरण–।।	120
	महाराष्ट्र	
3.	सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिला पुणे की नीरा देवधर सिंचाई परियोजना	7

[हिन्दी]

परिसीमन अधिनियम का कार्यान्वयन

2035. श्रीमती रीना चौधरी :

श्री शीशराम सिंह रवि :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में परिसीमन अधिनियम को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम को कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है और ऐसे अधिनियम द्वारा किसानों को क्या सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) देश में किन–किन राज्यों में अब तक परिसीमन अधिनियम कार्यान्वित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भूमि राज्य का विषय है। अतः परिसीमन अधिनियम का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सहित राज्यों द्वारा अपने–अपने राज्य में लागू भूमि परिसीमन अधिनियम द्वारा अधिशासित होता है। उत्तर प्रदेश में भूमि परिसीमन समय–समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश भूमि परिसीमन अधिनियम द्वारा अधिशासित होता है।

(ग) कृषि जोत परिसीमन अधिनियम आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, दादरा और नागर हवेली और पांडिचेरी में क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

सहकारी समितियों के लिए विशिष्ट जोन स्थापित करना

2036. श्री चिंतामन वनगा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों के पुनरूद्धार हेतु विशिष्ट जोन की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की बैठक भी इस संबंध में बुलाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा भविष्य निधि का जमा न किया जाना

2037. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री सुन्दर लाल तिवारी :

श्री भान सिंह भौरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उन गैर सरकारी कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जाती है जो सरकारी खजाने में कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि जमा नहीं करती;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) कितनी कम्पनियों के विरूद्ध अब तक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में कई साल से पी.एफ. की रकम जमा नहीं कराई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) कामगारों की मजदूरी से कांटे गए भविष्य निधि अंशदान के कर्मचारियों के हिस्से को जमा न कराने वाले चूककर्ता नियोजकों के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के पास मामले दायर किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारंभ की गयी जांच–पड़तालों का ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	कार्यभार	निपटाए गए
1999–2000	25551	16874
2000–2001	33210	21925
2001–2002	44549	28721*

*अनंतिम

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार चूककर्ताओं के विरूद्ध की गयी कार्रवाई निम्नवत् है:

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान धारा 14 के अंतर्गत चलाए गए अभियोजन 6712
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत शिकायतें 487
3. धारा 8 च के अंतर्गत कार्रवाई (बैंक खाते तथा तीसरे पक्षकार के देयों की कुर्की) 8301
4. धारा 8 ख से 8 छ के अंतर्गत कार्रवाई
   (क) चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की 775
   (ख) गिरफ्तारी तथा नजरबंदी 145

(घ) से (च) मैसर्स प्रेसीजन गेज एंड टूल्स, नौएडा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7–क के अंतर्गत जांच–पड़ताल शुरू की गयी है। धारा 7–क के अंतर्गत कार्यवाहियां स्थगित करने के लिए प्रतिष्ठान ने माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय की शरण ली थी। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है, अतः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आगे जांच–पड़ताल कर रहा है। नियोजकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।

गैर-सरकारी और विदेशी क्षेत्र के बैंक

2038. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–सरकारी और विदेशी क्षेत्र के बैंक कामगारों को प्रतिपूर्ति का भुगतान किए बिना कानून में उल्लिखित कार्य करने के घंटों की अपेक्षा प्रतिदिन कामगारों से अधिक काम ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रथा को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) बैंकों के कार्य के घन्टे दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित किए जाते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। तथापि, जब कभी औद्योगिक विवाद उठता है, केन्द्र सरकार के सुलह अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947 के अधीन इसका समाधान किया जाता है। पक्षों के मत भिन्न होने की स्थिति में, इन अधिकारियों द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ विवाद को न्याय निर्णयन अथवा अन्यथा संदर्भित करने के संबंध में एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

मंदिर का अधिग्रहण

2039. श्री सी. श्रीनिवासन :

श्री अम्बरीश :

डा. वी. सरोजा :

श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पर्यटन क्षमता के बेहतर संरक्षण और विकास हेतु तमिलनाडु में तिरूवन्नामले स्थित अरूणाचलेश्वर मंदिर समेत देश में कुछ प्राचीन मंदिरों के प्रबंधन का अधिग्रहण करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को प्रस्तावित प्रस्ताव के विरूद्ध जनता और कुछ राज्यों से तीव्र प्रतिरोध की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का देश के प्राचीन मंदिरों जिनमें पूजा होती है, के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) के तहत 21.9.2002 को केवल प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें उसने अरूणाचलेश्वर मंदिर की संरचनात्मक मरम्मतों, रासायनिक परिरक्षण, पर्यावरण संबंधी विकास की देखभाल किए जाने के अपने इरादा को व्यक्त किया है और जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जनता और राज्य सरकार से प्राप्त अभिवेदनों की केन्द्र सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

नियुक्ति में अनियमितताएं

2040. डा. राम चन्द्र डोम : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 2002 के द इंडियन एक्सप्रेस में डेली वेजर्स रन एपेक्स एयरपोर्ट बॉडी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई कर्मचारियों को आवश्यक आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी किए बिना पद पर बने रहने दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या एक कार्यालय आदेश जारी करके नियुक्ति की तिथि में संशोधन करके कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करना यद्यपि उनका साक्षात्कार बाद में हुआ जैसी कतिपय अनियमितताएं उनके ध्यान में आयी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) में अध्यक्ष का पद 1 जनवरी 2000 से खाली है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद के चयन तथा नियुक्ति के लिए कार्यवाही समय पर शुरू कर दी गई थी किंतु दिल्ली उच्च न्यायालय की लैटर्स पेटेंट अपील सं. 234/2001 में दिए गए आदेशों के अनुपालन में कुछ अपेक्षाओं के पूरा करने के कारण देरी हुई। सदस्य (प्रचालन) का पद अक्तूबर 2001 से खाली है। लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई. एस.बी.) से नामों का एक पैनल प्राप्त हुआ है। जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो सक्षम प्राधिकारी को इस संदर्भ में सूचित किया जाएगा। जहां तक सदस्य (कार्मिक व प्रशा.), सदस्य (वित्त) तथा सदस्य (योजना) का संबंध है, वर्तमान पद धारियों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए लोक उद्यम बोर्ड के साथ विचार विमर्श कर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। वर्तमान सदस्य (कार्मिक व प्रशा.) के वर्तमान पदधारी के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुरोध भेजा गया है तथा शेष पदों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का पुनर्गठन

2041. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को मुनाफे योग्य बनाने हेतु सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जलाशयों का स्तर

2042. श्री अधीर चौधरी :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 सितम्बर, 2002 के "दि स्टेटसमैन" में "वाटर लेविल्स ऑफ सेवन्टी मेजर रिजर्वायर्स डिप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जल आयोग की अद्यतन स्थिति में सत्तर जलाशयों में जल स्तर में कमी का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों के सहयोग से जलाशयों में जलस्तर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग पूरे देश में फैले 70 महत्वपूर्ण जलाशयों की भण्डारण स्थिति की मानीटरी कर रहा है। 22.11.2002 की स्थिति के अनुसार इन जलाशयों में सब जगह भण्डारण 59.04 बिलियन घन मीटर था जोकि पिछले वर्ष की 80.32 बिलियन घन मीटर की स्थिति तथा पिछले 10 वर्षों की औसत भण्डारण स्थिति अर्थात 92.98 बिलियन घन मीटर से कम था। राज्य सरकारों को उपलब्ध जल का विवेकपूर्वक उपयोग एवं जल का उचित आबंटन करने की सलाह दी गई है ताकि जलाशयों में अधिकतम जल स्तर बनाए रखा जा सके।

[हिन्दी]

बांधों की सुरक्षा

2043. श्री रामदास आठवले : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक उन बांधों का ब्यौरा क्या है जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उन बांधों के रखरखाव और नवीकरण के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वर्ष–वार, कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी बांध खतरनाक नहीं है। तथापि, 14 राज्य सरकारों ने 183 ऐसे बांधों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जिनकी स्थिति कुछ खराब है और जिनके लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त "बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्स्थापना परियोजना" के अंतर्गत उनके द्वारा स्थायी सुधारात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1991–1999 के दौरान चार राज्यों, नामतः मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु को बांधों के पुनरूद्धार और पुनर्स्थापना हेतु 422.95 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

पुराने विमान

2044. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अक्तूबर, 2002 तक कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई;

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या अनेक दुर्घटनाएं पुराने विमानों के कारण हुई;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकारी विमान कंपनियों के अधिकतर विमान पुराने हैं जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है;

(च) क्या इस समस्या पर नियंत्रण करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन पुराने विमानों को सेवा में रखने के बारे में कोई नियम है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान (नवम्बर, 1999 से अक्तूबर, 2002 तक) कुल 15 भारतीय सिविल पंजीकृत विमानों की दुर्घटनाएं हुई। विमान दुर्घटनाओं तथा उसकी जांच का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। इन दुर्घटनाओं की जांच–पड़ताल से यह साबित नहीं होता कि विमान पुराने होने के कारण यह दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ङ) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) विमान तब तक प्रचालित नहीं किया जा सकता है, जब तक इनका इनके निर्माता तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित अनुरक्षण निर्देशों के अनुसार रख–रखाव किया जा सकता है।

विवरण

नवम्बर, 1999 से अक्तूबर, 2002 तक हुई भारतीय सिविल पंजीकृत विमानों की दुर्घटनाएं

क्र. सं.	दिनांक/स्थान	विमान	प्रचालक	मृतकों की संख्या	विमान को हानि	जांच के परिणाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	17.4.2000 मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)	बेल–206 बी जेट रेन्जर वीटी–ईटीएम	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	शून्य	नष्ट हो गया	इंजन में खराबी के कारण की गई ऑटो–रोटेटिव (स्वघूर्णन) लैंडिंग के बाद पड़ाव पर पहुंचने से पहले उठे हुए बांध से टकरा जाने के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पंखे के 3 पर टूट जाने/ढीले होने तथा इंजन के खराब हो जाने के कारण यह दुर्घटना हुई।
2.	17.7.2000 पटना (बिहार)	बी737–200 वीटी–ईजीडी	एलायंस एयर	60	नष्ट हो गया	कर्मीदल द्वारा विमान से नियंत्रण – खो जाने से दुर्घटना हुई। ऊंचाई पर उड़ने के कारण कर्मीदल ने सही एप्रोच प्रोसीजर नहीं अपनाया। उन्होंने इंजन को आइडियल थस्ट पर रखा तथा वायु गति को सामान्यतः निर्धारित वैल्यू से कम कर दिया। कर्मीदल ने विमान हाई पिच एटीटयूड पर रखा तथा रेपिड रोल रिवर्सल्स एक्सक्यूट किए। इसके परिणामस्वरूप एक्चुएशन की स्टिक शेकर में स्थिर की वारनिंग हुई और एप्रोचिंग स्थिरता की इंडिकेशन हुई। ऐसे में कर्मीदल ने स्टाल रिकवरी प्रोसिजर पर जाने के बजाए उचित प्रोसिजर अपनाया। इसका परिणाम हुआ कि एयरक्राफ्ट वास्तव में स्थिर हो गया। इससे विमान से नियंत्रण खो गया तथा वह जमीन से टकरा गया।
3.	29.7.2000 (हिमाचल प्रदेश मंडी के पास)	सुपर किंग एयर बी–200 वीटी–ईआईई	एरियल सर्विसेज प्रा. लि.	5	नष्ट हो गया।	पहाड़ी क्षेत्र में इंस्ट्रूमेंट मौसम संबंधी स्थिति में न्यूनतम सेक्टर एल्टीटयूड से नीचे ले जाने के के कारण पायलट से दुर्घटना हुई। वायु यातायात नियंत्रक चंडीगढ़ द्वारा न्यूनतम सेक्टर एल्टीटयूड से नीचे जा कर इन्स्ट्रूमेंट फलाइंग रूल्स उड़ान की अनुमति देने के कारण दुर्घटना हुई।

1	2	3	4	5	6	7
4.	21.11.2000 पुणे के पास	माइक्रोलाइट एयर क्राफ्ट वीटी–यूएनसी	गोल्डन ग्लादोस कंट्री क्लब कामसेट जिला, पुणे	01	नष्ट हो गया।	माइक्रोलाइट फोटोग्राफ ले रहा था तथा पुणे जिले में इन्दरी नदी के वादीवाला बांध के ऊपर काफी नीचे उड़ रहा था। माइक्रोलाइट का बांया पहिया पानी से छू गया। तथा झील में गिर गया। इस दुर्घटना में पायलट की मृत्यु डुबने से हो गई, जबकि उड़ान में बैठा एक यात्री बच गया।
5.	02.01.2001 मसूरी के पास (उत्तर प्रदेश)	बेल–206 एल 4 वीटी एसपीए	स्पैन एयर	5	नष्ट हो गया।	देहरादून के मार्ग में हथीपों में पहाड़ी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर ने एक घाटी में प्रवेश किया एवं दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
6.	26.3.2001 ओझार के पास, नासिक जिला	पाइपर एजटी वीटी–एएआई	अहमदाबाद विमानन अकादमी	शून्य	बुरी तरह क्षतिग्रस्त	उड़ानगत टैंकों में ईंधन खत्म हो जाने के कारण ईंधन की कमी से दोनों इंजन उड़ान के दौरान बंद हो गए तथा फोर्स लैडिंग के दौरान विमान के जमीन से टकरा जाने के कारण दुर्घटना हुई।
7.	8.5.2001 रूपा के समीप सेसा (अरूणाचल प्रदेश)	डॉफिन हेली कॉप्टर वीटी–ईएलए	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड	07	नष्ट हो गया।	पायलट जब हेलीकॉप्टर पहाड़ी तराई में उड़ान भर रहे थे तथा खराब मौसम के दौरान ऊंची पहाड़ियों के बीच प्रवेश करने से आस–पास के क्षेत्र से उनका दृश्य संबंध समाप्त हो गया तथा ऊंची ढलान पर टकरा गया।
8.	13.5.2001 चिटगांव (बंगलादेश)	पाइपर एरोस्टार एयर क्राफ्ट वीटी–एकेएस	कारसन एविएशन	शून्य	बुरी तरह क्षतिग्रस्त	उड़ान कर्मीदल द्वारा उड़ान मैनुअल के भाग 4 के अनुमोदित आपात प्रक्रियाओ का अनुपालन न करने के कारण दोनों इंजनों में ईंधन समाप्त हो जाने के परिणाम–स्वरूप दुर्घटना हुई।
9.	7.7.2001 अमरनाथ (जम्मू एवं कश्मीर)	चीता हेली कॉप्टर वीटी–ईयूवाई	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	शून्य	नष्ट हो गया।	हेलीकॉप्टर जब उतरने ही वाला था तो संभवतः डाउन ड्राफ्ट एक्सपी–रियन्स्ड के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
10.	30.9.2001 मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)	किंग एंयर सी 90 ए वीटी–ईईएफ	जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड	08	नष्ट हो गया।	पायलट जब क्रूज़ अल्टीटयूड पर सक्रिय तूफान में से उडान पर था तो वह घने बादलों से टकराया

1	2	3	4	5	6	7
						तथा संभवतः उसने असामान्य रूप से कलाबाजी खाई और नीचे की ओर गिरा तथा एरोडायनामिक ओवरलोड के कारण विमान के अंदरूनी ढांचे में क्षति पहुंची जिसके परिणामस्वरूप विमान पूरी तरह अनियंत्रित हो गया और भूमि पर धड़ाम से गिरने की वजह से विमान में सभी सवार मर गए।
11.	29.11.2001 तिरूवनन्तपुरम (केरल)	स्वाति वीटी–एसटीओ	केरल विमानन प्रशिक्षण केन्द्र	शून्य	नष्ट हो गया।	दुर्घटना की प्रारंभिक सूचना से पता चलता है कि विमान तिरूवनन्त–पुरम हवाईअड्डे पर सर्किट तथा अवतरण के दौरान नारियल के पेड़ से टकराया तथा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना निरीक्षक ने दुर्घटना की रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।
12.	20.01.2002 मनाली (हिमाचल प्रदेश) के निकट	लामा एसए हेलीकॉप्टर वीटी–एचएचएस	हिमालयन हेली सर्विसेज (प्रा.) लि.	शून्य	नष्ट हो गया।	हेलीकॉप्टर हेलिसकिंग उड़ान पर था। जब पहाड़ी की चोटी पर उतरने की सफल कोशिश कर रहा था हेलीकॉप्टर नीचे आया तथा उसका टेल गार्ड जमीन से टकराया। उसके बाद वह औधे मुंह गिरा।
13.	21.02.2002 इंदौर (मध्य प्रदेश) के निकट	बेल 430 वीटी–एमपीएस	मध्य प्रदेश सरकार	शून्य	बुरी तरह से क्षतिग्रस्त।	रिपोर्ट के अनुसार एक इन–फ्लाइट इंजन खराब हो जाने तथा दूसरे इंजन द्वारा पर्याप्त पावर उत्पन्न न करने के बाद हेलीकॉप्टर का पायलट ऑटो रोटेटिव अवतरण कर रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान, हेलीकॉप्टर ने पलटा खाया तथा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
14.	03.03.2002 विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के निकट कैकालूर	बेल 206 हेलीकॉप्टर वीटी–डीएपी	डेक्कन एविएशन	03	नष्ट हो गया।	सरकार द्वारा अभी तक जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई है।
15.	22.09.2002 पुणे (महाराष्ट्र) के निकट लोनावाला	इक्वुरियल हेलीकॉप्टर वीटी–आरएलए	मिलियन एयर	05	नष्ट हो गया।	हेलीकॉप्टर एम्बी वैली (लोनावाला के निकट) से जुहू के लिए निजी उड़ान पर था। उड़ान भरने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें पांचों सवार मर गए। हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी थी। दुर्घटना निरीक्षक ने रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन

2045. श्री अनन्त नायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात संयंत्र में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान संयंत्रवार क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा विक्रेय इस्पात के उत्पादन के संबंध में लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(हजार टन)

इस्पात संयंत्र	1999–2000		2000–01		2001–02	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
भिलाई इस्पात संयंत्र	3270	3411	3500	3307	3450	3383
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1532	1402	1520	1496	1510	1527
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1238	1170	1490	1294	1450	1354
बोकारो इस्पात संयंत्र	3210	3246	3430	3313	3310	3200
सेल–4 संयंत्र	9250	9229	9940	9410	9720	9464
मिश्र इस्पात संयंत्र	70	83	90	70	85	84
सेलम इस्पात संयंत्र	120	148	120	129	105	63
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	60	69	65	85	90	87
सेल	9500	9530	10215	9703	10000	9697
इस्को	242	250	305	277	297	302
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	2305	2382	2217	2507	2411	2757

विमानों पर प्रतिबंधित वस्तुएं

2046. श्री नरेश पुगलिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी. सी. ए. एस.) ने उन प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची जारी की है जिन्हें विमानों से ले जाना मना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 2002 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लिस्ट आफ बेन्ड आइटम्स स्टम्प्स एयरपोर्ट स्टाफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं कि सूची में शामिल प्रतिबंधित वस्तुओं के नाम सुरक्षाकर्मियों को आसानी से समझ में आ सकें?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। जुलाई, 2002 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने सिविल इंडियन एयरपोर्ट से चलने वाली उड़ानें और विदेशी एयरपोर्टों से चलने वाली इंडियन सिविल रजिस्टर्ड विमानों में चढ़ने वाले यात्रियों के हाथ के सामान की ऐसे 84 सामानों की सूची जारी की थी जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची की समीक्षा की गई तथा सितम्बर, 2002 में जारी किए गए संशोधित आदेश के अनुसार इन वस्तुओं की संख्या को कम करके 64 कर दिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं की प्रकृति को अच्छी तरह समझाने के लिए एक विस्तृत नोट एयरपोर्ट सुरक्षा यूनिट (एपीएसयू) को परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति

2047. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री मानसिंह पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा मछली पकड़ने वाली कितनी नौकाएं उपलब्ध कराई गई हैं, और वर्तमान में कितने ट्रालर्स उपलब्ध हैं; और

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुवारों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) 1976 में ईईजेड की घोषणा से भारत के आसपास के समुद्र में, जो 200 नौचालन मील तक फैला हुआ है, समुद्री जीवन संसाधनों की खोज, उपभोग तथा उपभोग को सुविधाजनक बनाया गया है और जिससे देश को संसाधनों के सदुपयोग तथा उन्हें ठोस वैज्ञानिक आधार पर प्रबंधित करने के लिए व्यापक अवसर और चुनौतियां प्रदान की गयी हैं।

(ख) प्रचालन के लिए अनुमत गहरे समुद्री मत्स्यन यानों तथा पूर्णतया भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों के तहत इस समय प्रचालित यानों की संख्या 85 है। संयुक्त उपक्रम के तहत अनुमत टूना लांग लाइनर सहित यानों की मूल संख्या 42 है।

(ग) सरकार ने नौवहन विकास निधि समिति के जरिए आयात या स्वदेशी निर्माण के द्वारा गहरे समुद्री मत्स्यन यान की अधिप्राप्ति के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र में प्रचालन के दौरान ईंधन लेने के लिए समुद्र बंकर व्यवस्था के लिए भी गहरे समुद्री मत्स्यन यानों को अनुमति दी गयी है। गहरे समुद्री मत्स्यन क्षेत्र को अपने मूल्यवर्धित फिश कैचों के निर्यात के बदले स्पेयर तथा गीयर जैसी आयात सुविधाएं भी प्रदान की गयी हैं। गहरे समुद्री यानों को उतारने तथा ठहरने की सुविधाओं के संबंध बुनियादी समर्थन दिया जाता है।

पर्यटन क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश

2048. श्री रामशकल : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी कम्पनियों ने होटल और पर्यटन उद्योग में निवेश करने हेतु केन्द्र सरकार को आवेदन दिया है;

(ख) सम्भावित निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) मौजूदा नीति के अनुसार होटल एवं पर्यटन क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर शत–प्रतिशत की अनुमति है। जनवरी, 1999 से अगस्त 2002 के दौरान, सरकार द्वारा, 181 वित्तीय प्रस्तावों, जिनमें 1402.48 करोड़ रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल है, का अनुमोदन किया गया था। इस अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जनवरी 1999 से अगस्त 2002 के दौरान होटल एवं पर्यटन क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु, अनुमोदित राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्तीय अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (रुपयों में)	कुल प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	0.30	0.02
2.	गुजरात	2	0.25	0.02
3.	हिमाचल प्रदेश	2	0.35	0.02

1	2	3	4	5
4.	कर्नाटक	6	10.83	0.77
5.	केरल	16	137.55	9.81
6.	महाराष्ट्र	41	328.06	23.39
7.	उड़ीसा	1	84.40	6.02
8.	राजस्थान	2	23.59	1.68
9.	तमिलनाडु	30	388.94	27.73
10.	उत्तर प्रदेश	1	0.80	0.06
11.	पश्चिमी बंगाल	3	30.85	2.20
12.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0.00	0.00
13.	चण्डीगढ़	1	0.16	0.01
14.	दिल्ली	45	383.09	27.31
15.	गोवा	14	6.97	0.50
16.	मिजोरम	1	1.52	0.11
17.	पांडिचेरी	2	0.16	0.01
18.	न दर्शाए गए राज्य	12	4.66	0.33
	कुल	181	1,402.48	

आम का उत्पादन

2049. श्री रतिलाल कलोदास वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आम के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन–कौन से हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में आम के उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आम उत्पादकों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) देश में प्रमुख आम उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु है, जिनमें कुल उत्पादन के 76% आम का उत्पादन होता है।

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आम के उत्पादन का विवरण निम्नवत है:–

वर्ष	उत्पादन (000' मी. टन)
1998–99	9781.8
1999–2000	10503.5
2000–01	10237.0

(ग) कृषि में वृहत् प्रबंधन – कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों में मदद/सहायता नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन किसानों को आम सहित फलों के विकास हेतु सहायता दी जाती है। यह स्कीम राज्यों को उनके द्वारा अनुभूत जरूरतों के अनुसार अपने कार्यकलापों के प्राथमिकीकरण में लचीलापन प्रदान करती है। नर्सरियों के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता की पौध रोपण सामग्रियों की आपूर्ति, उन्नत किस्मों से क्षेत्र कवरेज, किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रसार, रोग पुर्वानुमान एककों, पौध स्वास्थ्य क्लीनिक, पत्ता/उत्तक विश्लेषण प्रयोगशालाओं, उत्पाद का खेत पर रख–रखाव तथा यंत्रीकरण जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन जैस कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

बालक श्रम अधिनियम में संशोधन

2050. श्री रामनायडू दग्गुबाटि :

श्री के. येरननायडू :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बालकों की आयु सीमा 14 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने हेतु बालक श्रम अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि अनिवार्य शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत बच्चों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल श्रम को समाप्त करने और उनके लिए उच्च माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भारत सरकार कार्यमुक्त कराए गए बच्चों के लाभार्थ दो योजनाओं, यथा–राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं के तहत विशिष्ट विद्यालय/केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषाहार आदि की व्यवस्था है। अब तक, बाल श्रम बहुल 13 राज्यों के 100 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की संस्वीकृति दी गई है जिनके दायरे में 2.11 लाख बच्चों को लाया जाना है। उपलब्ध सूचनानुसार, लगभग 1.45 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा आधारित विद्यालयों की मुख्यधारा में लाया जा चुका है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत अनुसंधान केन्द्र/परियोजनाएं

2051. श्री रामदास आठवले : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों, विशेषकर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों मे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में चलाई जा रही परियोजनाओं और अनुसंधान केन्द्रों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उनको केन्द्रवार और परियोजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई और उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में इन केन्द्रों से कृषि उत्पादन किस सीमा तक प्रभावित हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विस्तृत ब्यौरा विवरण–। में दिए गए हैं।

(ग) विस्तृत ब्यौरा विवरण–।। में दिए गए हैं।

(घ) विस्तृत ब्यौरा विवरण–।।। में दिए गए हैं।

विवरण-।

पिछले तीन सालों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाए जा रहे अनुसंधान केन्द्रों और परियोजनाओं के साथ–साथ उन्हें आबंटित की गई राशि तथा खर्च की गई राशि का विवरण :

(रु. लाख में)

क्र. सं.	अनुसंधान केन्द्रों/ कृषि विज्ञान केन्द्रों के नाम एवं पते	आबंटित राशि				खर्च की गई राशि			
		1999–00	2000–01	2001–02	कुल	1999–00	2000–01	2001–02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश									
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र एम आर ओ आफिस के पीछे, कोठा मदनपुर महबूबनगर (आ.प्र.)	7.33	10.55	18.10	35.98	7.33	10.55	18.10	35.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र गड्डीपल्ली–508201 नालगौंडा (आ.प्र.)	9.09	31.37	34.35	74.81	9.09	31.37	34.35	74.81
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र मैसर्स भाग्यतुला चैरीटेबल ट्रस्ट, येल्ला–मनचिली, विशाखापटनम–506101 (आ.प्र.)	32.60	14.80	33.55	80.95	32.60	14.80	33.55	80.95
4.	कृषि विज्ञान केन्द्र मलयाल, फार्म, गांव–मलयाल, – वारंगल–506101 (आ. प्र.)	17.29	15.17	16.35	48.81	17.29	15.17	16.35	48.81
	कुल	66.31	71.89	102.35	240.55	66.31	71.89	102.35	240.55
छत्तीसगढ़									
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र सरगुजा	20.23	14.95	26.55	61.73	20.23	14.95	26.55	61.73
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र पशुपालन विज्ञान गोकुलन, जी ई रोड़ अंजीरा दुर्ग–491001	15.41	18.45	24.55	58.41	15.41	18.45	24.55	58.41
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र वाया दिमरापाल, जगदलपुर बस्तर–494001	0	10.00	14.55	24.55	0	10.00	14.55	24.55
	कुल	35.64	43.40	65.65	144.69	35.64	43.40	65.65	144.60
गुजरात									
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र क्षेत्रीय हिल मिलेट अनुसंधान केन्द्र, वघई डंगस–(गुजरात)	27.10	19.05	34.50	80.65	27.10	19.05	34.50	80.65
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र पी ओ अमबेती आश्रम, वलसाड (गुजरात)	6.77	11.80	17.90	36.47	6.77	11.80	17.90	36.47
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र, भडौच	7.60	9.50	10.40	27.50	7.60	9.50	10-40	27.50
4.	कृषि विज्ञान केन्द्र मंगल भारती गोलागमांडी, बडोदरा	6.07	9.30	10.50	25.87	6.07	9.30	10.50	25.87
	कुल	47.54	49.65	73.30	170.49	47.54	49.65	73.30	170.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश									
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र पी ओ सुल्तानपुर, बालू चम्बा–176314	58.67	34.34	27.75	120.76	58.67	34.34	27.75	120.76
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र शर्वो रिकोंग पीओ, किन्नौर	25.49	27.83	28.30	81.62	25.49	27.83	28.30	81.62
	कुल	84.16	62.17	56.05	202.38	84.16	62.17	56.05	202.38
झारखंड									
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची	120.00	115.00	105.00	340.00	82.92	85.19	105.00	273.11
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र पी ओ–जगन्नाथपुर प. सिंहभूम–833203	15.39	19.10	16.45	50.94	15.39	19.10	16.45	50.94
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र पी ओ–मौराबादी रांची–834008	8.75	7.05	11.85	27.65	8.75	7.05	11.85	27.65
	कुल	144.14	141.15	133.30	418.59	144.14	141.15	133.30	418.59
मध्य प्रदेश									
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, चंदनगांव, छिंदवाडा–480001	19.96	20.45	24.82	65.23	19.96	20.45	24.82	65.23
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र जे एन के वी वी फार्म झबुआ–457661	17.04	12.49	18.88	48.41	17.04	12.49	18.88	48.41
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र गोवियाना साईट पोस्ट बाक्स–7, सिद्धी–486661	17.17	19.45	23.07	59.69	17.17	19.45	23.07	59.69
4.	कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि महाविद्यालय वारवाडी फार्म, पूर्वी निमार (खंडवा)	13.48	18.45	18.81	50.74	13.48	18.45	18.81	50.74
5.	कृषि विज्ञान केन्द्र कथी बाग, राजगढ़	0	13.45	15.18	28.63	0	13.45	15.18	28.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	कृषि विज्ञान केन्द्र बड़ागांव ब्लाक कोरनापुर पी ओ पाला बालघाट – 481115	33.84	19.05	7.41	60.30	33.84	19.05	7.41	60.30
7.	कृषि विज्ञान केन्द्र जोरा कालूकेडा रतलाम–457340	8.64	17.62	26.05	52.31	8.64	17.62	26.05	52.31
	कुल	110.13	120.96	134.22	365.31	110.13	120.96	134.22	365.31
महाराष्ट्र									
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र मैसर्स सतपुरा विकास मंडल पाल रावेर, जलगांव–425508	17.19	20.55	24.55	62.29	17.19	20.55	24.55	62.29
	कुल	17.19	20.55	24.55	62.29	17.19	20.55	24.55	62.29
मेघालय									
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. का अनुसंधान परिसर	302.09	319.82	553.93	1175.84	302.09	319.82	553.93	1175.84
	कुल	302.09	319.82	553.93	1175.84	302.09	319.82	553.93	1175.84
उड़ीसा									
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र सेमिलीगुडा, पोस्ट बाक्स–10, सुनाबेडा–763002 कोरापुट	18.17	17.73	25.55	61.45	18.17	17.73	25.55	61.45
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, जुडिया फार्म पी ओ क्योनझर	17.73	16.99	24.55	59.27	17.73	16.99	24.55	59.27
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र पी ओ देवाग वाया सिंगिला बलियापाल बालासोर 758026	22.07	19.675	25.55	67.295	22.07	19.675	25.55	67.295
4.	कृषि विज्ञान केन्द्र क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र एन ए आर पी कैम्पस, भोवानी पटना, कालाहांडी	18.96	18.45	31.55	68.96	18.96	18.45	31.55	68.96
	कुल	76.93	72.845	107.20	256.975	76.93	72.845	107.20	256.975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान									
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र बडत माट के नजदीक शास्त्री कॉलोनी डुंगरपुर–314001	22.22	36.15	25.40	83.77	22.22	36.15	25.40	83.77
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र भोरवाट कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा–327001	25.07	19.90	25.30	70.27	25.07	19.90	25.30	70.27
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र बडगांव, उदयपुर–313001	22.06	21.80	27.40	71.26	22.06	21.80	27.40	71.26
	कुल	69.35	77.85	78.10	225.30	69.35	77.85	78.10	225.30

विवरण-।।

उपलब्धियों का विवरण

इन केन्द्रों द्वारा प्राप्त समेकित उपलब्धियों इस प्रकार हैं:–

कृषि अनुसंधान केन्द्र

महाराष्ट्र और अन्य राज्यों तथा देश के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दक्षतापूर्वक उपयोग और संरक्षण में इन केन्द्रों ने काफी सहायता प्रदान की है। जल, उर्वरक, जुताई और अन्य कृषि निवेशों की निवेश–प्रयोग दक्षता में काफी सुधार आया है और उत्पाद की प्रति इकाई कृषि लागत में कमी आई है। इन गतिविधियों से वर्षा, भूतल जल और भूमिगत जल संसाधनों के साथ–साथ भूमिगत जल को पुनः चार्ज कराने के दक्ष उपयोग में सहायता प्रदान की है। महाराष्ट्र में ड्रिप एवं माइक्रो स्प्रिंकलर प्रौद्योगिकी से बागवानी और अन्य शाकीय फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में बहुत सहायता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार, उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में वैकल्पिक कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधन तथा जैव विभिन्नता के संरक्षण, कृषि उत्पादकता सुधारने और उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में जनजातियों के जीवन पालन प्रणालियों को समर्थन देने के लिए बढ़े हुए अवसरों का प्रदान करने में सहायता की है।

तीन सौ से अधिक मत्स्य पालन करने वाले किसानों को लघु पैमाने की मत्स्य सवर्धन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उनके तालाबों से पैदावार 200 से 1000 कि. प्रति हैक्टर तक बढ़ गई।

कृषि विज्ञान केन्द्र

विगत तीन वर्षों के दौरान कुल 43 हजार पाठ्यक्रमों का 10.36 लाख किसानों और खेतीहर महिलाओं, 9000 पाठ्यक्रम 1.7 लाख ग्रामीण युवाओं और 4.4 हजार पाठ्यक्रम 1.05 लाख सेवा कालीन कार्मिकों के लाभ के लिए आयोजित किये गये। 61833 किसानों के लाभ के लिए अग्र पंक्ति प्रदर्शन आयोजित किये थे। फलों/सब्जियों/शोभाकारी पौधों/जंगली प्रजातियों की पौध के अलावा 4613.7 टन खाद्यान्नों, 474.2 टन तिलहनों, 958.7 टन दालों, 218 टन शाकीय बीजों का उत्पादन किया था।

एन. ई. एच. क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. अनुसंधान परिसर

* पर्वतीय जल संभरों में मृदा और जल संरक्षण क्रियाओं से अपवाह 42 से 14 प्रतिशत और मृदा हानि 1 से 2 टन/है. घट गई।

* बदलती कृषि की वैकल्पिक कृषि प्रणालियां, उत्तर पूर्व क्षेत्र में विकसित की गई थीं जिसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई क्षेत्र में उच्चतर उत्पादन हुआ और मृदा तथा जल संसाधनों का संरक्षण हुआ। ये प्रौद्योगिकियां मैदानों में बाढ़ों के नियमन में और पहाड़ों में फसल मात्रा और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करती है।

* पुष्प विज्ञान, जैविक कृषि, खरगोश और सुअर पालन तथा अन्य वाणिज्यिक कृषि गतिविधियां वैज्ञानिक पृष्ठभूमि सहित प्रदान की गई हैं।

* फसलों के कीटनाशियों और एन ई एच क्षेत्र के पशु धन के रोग नियंत्रण के लिए विधियां निकाली गई हैं।

* एग्रीसिल्वीकल्चर, एग्रीसिल्वी–बागवानी, कृषि, बागवानी, सिल्वी–घरागाह प्रणालियों जैसी विभिन्न कृषि वानिकी प्रणालियां एन ई एच क्षेत्र के लिए विकसित और मूल्यांकित की गई है।

भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची

* भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची में अन्तः फसल प्रणाली के अन्तर्गत लाख की खेती पर अध्ययन किए गए। छोटा नागपुर पठार में ढालू अवक्रमित उपरांऊ भूमि पर छितरे पलास के पेड़ों पर लाख संवर्धन के साथ विभिन्न कृषि वाली फसलों के समाकलन के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का संस्थान के फार्म में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया तथा 4–5 क्विं. कच्ची लाख की सामान्य उपज के अतिरिक्त बारानी दशाओं के अंतर्गत अन्तःफसल के रूप में उगाने से रागी, उपरांऊं धान और सोयाबीन के मामले में भूमि की उत्पादकता में लगभग क्रमशः की वृद्धि हुई। इस प्रौद्योगिकी को न केवल उत्पादकता में वृद्धि करने, बल्कि मृदा उर्वरता को सुधारने तथा भूक्षरण से सुरक्षा करने के लिए भी उपयुक्त पाया गया।

* भालिया और गावांग के मिश्रित रोपण में हल्दी की परपोषी पौधों के बीच में उगाकर अन्तःफसलों के उपयोग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया तथा इसे लाख की सामान्य फसल 20,000–25,000 रु./है. वर्ष से लगभग 6000–7000 रु./है. का अतिरिक्त राजस्व मिला।

* भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची में लाख–कीट नाशीजीव प्रबन्धन के लिए एक दक्ष और देशी युक्ति विकसित की गई। वयस्क कीटों की आकार प्रवणता और प्रकाश युक्त व्यवहार का उपयोग करके लाख के केरिया लाका (केर) कीट के परभक्षियों, लाभकारी और हानिकर परजीवियों को अलग करने के लिए एक सरल युक्ति विकसित की गई है। प्रयुक्त लाखपूर को एक डिब्बे में रखते हैं तथा इस पर लगी एक यूनिट लाभकारी परजीवियों नामतः ब्रकोन ग्रीनी, ऐपेन्टेलस टैकार्डी, प्रीस्टोमेरस सल्की और ब्रेकीमेरिया टैकार्डी को अपने अपने लाख से जुड़े परभक्षियों, हानिकर और लाभकारी परजीवियों की मिश्रित संख्या से एक एकल चैम्बर में क्रमशः 69,60,100 और प्रतिशत तक छांटने में सक्षम है। इन कीटों को उपयोगी परजीवियों (जैवकीय नियंत्रण कारक) की प्राकृतिक संख्या को बढ़ाने तथा लाख से जुड़े परभक्षियों को रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। इस युक्ति में स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग होता है तथा यह बहुत ही सस्ती है और इसे जोड़ना आसान है। इसको चलाने के लिए किसी कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। किसान स्वयं प्राकृतिक कीट नियंत्रण के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। एक बहुत बडे डिब्बे में एक से ज्यादा यूनिट लगाई जा सकती है।

* लाख कीट की शीघ्र उगने वाली एक ट्विवोल्टाइन प्रजाति को सरल (जिला–मयूरभंज, उड़ीसा) से कुसुम (स्क्लीकेरा ओलियोसा) पर जंगली रूप में उगते हुए खोजा गया। यह कीट अपने जन्म स्थान पर 350 से 355 दिनांक में तथा रांची में 370 से 380 दिनों मे तीन पीढ़ियां पूरी करता है बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस परपोषी पर मौजूद लाख को कीट में अभी तक इसकी दो पीढ़ियां रिकार्ड की गई हैं। अध्ययनों से पता चला है कि यह नया कीट ट्विवोल्टाइन कीटों से रूपात्मक पारिस्थितिक और जैवकीय रूप से भिन्न है, जैसा कि मैसूर (कर्नाटक) और आमार्सी (पश्चिम बंगाल) से जैलारी और रेनट्री पर पहले से प्रतिवेदित किया गया है। इसलिए, यह परम्परागत लाख परपोषी से ट्विवोल्टाइन लाख कीट का पहला रिकार्ड है। प्रति वर्ष अपनी उच्च बहुलता (इस परपोषी पर परम्परागत लाख कीट की अपेक्षा नौ गुना अधिक) रखने के कारण यह कीट न केवल लाख के तीव्र उत्पादन के लिए वादा रखता है, बल्कि ज्यादातर हानिकर कीटों के विपरीत अच्छा कार्य भी करता है तथा उनके द्वारा की जाने वाली हानि से बचाता है।

* लकड़ी के लिए एक त्वरित के साथ स्पिरित रहित विलायकों में बिना वैक्स वाली लाख पर आधारित एक सस्ती वार्निश विकसित की गई है। इसकी परत ताप प्रतिरोधी और जल प्रतिरोधी है। इसका प्रयोग या तो ब्रुश से या छिड़काव द्वारा किया सकता है। स्पिरिट रहित विलायक में 10–15 प्रतिशत सिंथेटिक से परिशोधित लाख आधारित टीन मेटल की तली को लेप चढ़ाने के लिए मेटल रोग को भी विकसित किया गया है।

विवरण-III

कथित अवधि के दौरान देश में कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले केन्द्रों का विवरण

फसल विज्ञान

क्षेत्र में हुए अनसंधान प्रयासों से क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुधरी किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है तथा किसानों की आय बढ़ने से उन्हें लाभ हुआ है किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रजनक बीजों का उत्पादन किया गया है। रोग तथा नाशीजीव नियंत्रण, मधुमक्खी पालन तथा नाशीजीवनाशक अपशिष्ट पदार्थों पर जागरूकता लाने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से किसान लाभ उठा सकते हैं।

मानव संसाधन प्रबन्ध

मूंगफली तथा अरहर की खेती को लोकप्रिय बनाने में प्रौद्योगिकियों का बहुत बड़ा हाथ है। विकसित की गई कृषि–वानिकी प्रणालियों से झूम क्षेती के स्थान पर अन्य तरीके से खेती करने से ढाल वाली भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। संतरे के पुराने फलोद्यानों के नवीकरण

से लाभ हुआ है। सुअर पालन, खरगोश पालन तथा मत्स्य पालन प्रौद्योगिकियों से रोजगार उपलब्ध कराने तथा अधिक आय प्राप्त करने में सहायता मिली है।

पशु विज्ञान

– पशुधन की दो दुर्लभ प्रजातियों, याक तथा मिथुन की संख्या में लगातार कमी हो रही है। इस गिरावट को रोकने में रा. अ. के. (याक) रा.अ.के. (मिथुन) तथा रा.अ.के. (सुअर) में हुए अध्ययनों से सहायता मिलेगी।

– गुवाहाटी का रा.अ.के. (सुअर) देश में सुअर अनुसंधान का मुख्यालय है। स्थानीय किसानों द्वारा अपनाई जा रही सुअर पालन की वर्तमान प्रणालियों में सुधार लाने के लिए उत्तर–पूर्वी क्षेत्र को सम्पर्ण देश के अनुसंधान आंकडों से लाभ होगा।

– सुधरे हुए आहार, पुनरोत्पादन एवं स्वास्थ्य प्रबंध क्रियाओं के माध्यम से मिथुन तथा याक पालने की प्रौद्योगिकी में सुधार लाने में अनुसंधान कार्यों से पर्याप्त सहायता मिली है।

– याक, मिथुन, तथा सुअर की सुधरी हुई उत्पादन क्रियाओं के माध्यम से कृषकों को सीधे लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त उन्हें अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों में प्रशिक्षित किया जाता है। इनमें हैं–सुअर पालन तथा मुर्गी पालन उत्पादन को याक तथा मिथुन पालन से समेकित करना।

अभियांत्रिकी

– उत्तर–पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के सभी केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय जनसंख्या को उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों में शामिल है– कारगर तथा लाभप्रद उन्नत कृषि औजारों तथा उपकरणों, फसल कटाई के बाद के उपकरणों, नवीकरणीय ऊर्जा गैजेटों के उपयुक्त डिजाइन तैयार करना तथा क्षेत्र में विभिन्न फसल उत्पादन कार्यकलापों के लिए कृषि में प्लास्टिक का उपयोग। इनके व्यापक प्रयोग से किसानों को उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन की लागत कम करने में सहायता मिलेगी। केन्द्र द्वारा विकसित एवं पहचाने गये आवश्यकता पर आधारित फार्म के औजार और उपकरण, कटाई के उपरांत के उपकरण, सौर जुगत, बायोगैस पाचित्र, पादप गृह आदि का निर्माण करके किसानों को उनकी आपूर्ति की गई थी ताकि वे अपने फार्म परिचालनों को यंत्रचालित कर सकें। इससे किसानों के बीच उन्नत उपकरणों के बारे में अच्छी जागरूकता पैदा हुई है तथा ऐसी मशीनरी की मांग बढ़ रही है।

– गुड़ बनाने में निर्मलीकारकों के प्रयोग के प्रदर्शन ने दर्शाया कि गुड़ की गुणवत्ता सुधरी थी तथा किसान अब गुड़ बनाने में निर्मलीकारकों के प्रयोग को अपना रहे हैं।

मात्स्यिकी

– प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता के कारण इस क्षेत्र के जलजीव पालने वाले किसान मछली उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम है।

– हैचरी की स्थापना से चोकलेट माहसीर के जीरे को स्थानीय मछली पालन किसानों को उपलब्ध किया जा सकता है। तथा संरक्षण हेतु स्थानीय जलाशयों में रैचिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

शिक्षा

– अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ने ग्रामीण परिवारों में आहार–संबंधी सलाह देने के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में एक पौषणिक मार्गदर्शन को सफलतापूर्वक विकसित किया है तथा विटामिन 'ए' और लौह से भरपूर खाद्य उत्पादों के रूप में मध्यस्थताएं भी मुहैया की है।

– शिशु देख–रेख और ग्रामीण बच्चों की वृद्धि के मानदण्ड तथा ग्रामीण बच्चों के लिए लागत प्रभावी फार्म शिशु सदनों का विकास करना।

– महिलाओं की कड़ी मेहनत को कम करने हेतु फार्म एवं गृह कार्यकलापों के लिए मित्र एवं लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को विकसित करना।

– आर्थिक कार्यकलापों के लिए कृषि एवं पशु आधारित प्राकृतिक रंजकों और रेशों की पहचान की गई है।

विस्तार

– वर्ष 2000–2001 के दौरान 8869 किसानों के लाभार्थ 375 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, 4931 ग्रामीण युवाओं के लिए 224 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था तथा 728 सेवारत कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए 24 कार्यक्रम चलाये गये थे। वर्ष के दौरान तिलहनी फसलों के लिए 606 तथा दलहनी फसलों के लिए 581 अग्रपंक्ति प्रदर्शन क्रमशः 108 हैक्टर और 104 हैक्टर क्षेत्र को शामिल करके किए गए थे।

– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र की भी स्थापना की है तथा कुल 48 सेवारत विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गेहूं

2052. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकसित किए गए गेहूं की चार किस्मों के नाम क्या हैं;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उच्च पैदावार देने वाली गेहूं की विकसित की गई किस्मों का राज्य–वार और जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेहूं की इस विकसित किस्म की पैदावार गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस गेहूं की प्रति एकड़ पैदावार कितने क्विंटल है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा भारत के पूर्वी क्षेत्र में खेती के लिए वर्तमान में गेहूं की चार किस्मों के नाम निम्नवत हैं: एच डी 2733, एच यू डब्ल्यू 468, पी बी डब्ल्यू 443 तथा पी बी डब्ल्यू 343। इन किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अन्य किस्मों/चैक की तुलना में इन किस्मों से अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा पूर्वी क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश, (पूर्वी भाग), बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखण्ड तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानी क्षेत्र शामिल हैं, के लिए गेहूं की चार किस्मों का विवरण निम्नवत है:

क्रम सं.	किस्म	रिलीज का वर्ष	उत्पादन परिस्थिति	औसत पैदावार (कि./एकड़)	महत्वपूर्ण विशेषताएं
1	2	3	4	5	6
(क) हाल ही में जारी की गई चार किस्में :					
1.	एच. यू.डब्ल्यू 468	1999	सिंचित समय पर बुआई	18.0	रतुआ रोग तथा पत्ती अंगमारी रोग की प्रतिरोधी/करनाल बंट तथा खुला कंडुवा के प्रतिवहनीय
2.	पी.बी.डब्ल्यू 443	1999	सिंचित समय पर बुआई	18.0	रतुआ रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधी तथा फालीयर ब्लाइट के प्रति वहनीय/ चपाती के लिए ऐम्बर ग्रेन उपयुक्त
3.	एच.डी. 2733	2001	सिंचित समय पर बुआई	19.2	भूरा रतुआ तथा पत्ती अंगमारी के प्रति उच्च प्रतिरोधी/ऐम्बर, मध्यम मोटे तथा सख्त दाने चपाती एवं ब्रेड बनाने के लिए उपयुक्त
4.	पी.बी.डब्ल्यू. 343	2001	सिंचित समय पर बुआई	17.6	रतुआ रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधिता तथा व्यापक रूप से अंगीकृत की जाने वाली किस्म परवर्ती ऊष्मा दबाव सहनीय
(ख) अन्य किस्में/चैक :					
1.	ए.पी. 1731	1995	सिंचित समय पर बुआई	14.4	भूरा रतुआ की प्रतिरोधी, चमकदार ऐम्बर दाने

1	2	3	4	5	6
2.	के 9107 (देवा)	1996	सिंचित समय पर बुआई	16.8	रतुआ की प्रतिरोधी तथा पत्ती अंगमारी सहनीय
3.	एच.पी. 1761 (जगदीश)	1997	सिंचित समय पर बुआई	14.0	पर्ण रतुआ के प्रति उच्च प्रतिरोधी तथा पर्ण अंगमारी सहनीय, ऐम्बर सख्त दाने
4.	एन.डब्ल्यू 1012	1998	सिंचित समय पर बुआई	17.2	पर्ण रतुआ तथा फालीयर ब्लाइट की प्रतिरोधी तथा करनाल बंट एवं खुला कंडुवा सहनीय

[अनुवाद]

कृषि विपणन में सुधार हेतु विश्व बैंक सहायता

2053. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रज्यों के नाम क्या है जिन्होंने शीतगारों, ग्रेडिंग केन्द्रों और कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करके कृषि विपणन में सुधार करने के लिए विश्व बैंक सहायता मांगी है, और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए कर्नाटक सरकार ने भी कोई प्रस्ताव भेजा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) विश्व बैंक से सहायता की मांग करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से "महाराष्ट्र बागवानी उत्पाद विपणन अवसंरचना परियोजना" पर एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। परियोजना के घटकों में कृषक मंडी संग्रहण केन्द्र, टर्मिनल मंडी, कार्गो हेन्डलिंग केन्द्र, मंडी सूचना नेटवर्क ग्रामीण सड़कें, शीतागार श्रृंखला और पुष्पोत्पादन परियोजना शामिल हैं।

(ख) इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

मजदूर संघों का सत्यापन

2054. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के विभिन्न मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करने हेतु क्या मापदण्ड हैं;

(ग) क्या समय–समय पर नियमित सत्यापन कराया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) श्रमिक संघों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती। तथापि, पक्षों के अनुरोध पर श्रम मंत्रालय अनुशासन संहिता के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठान में काय्र कर रहे श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापद करता है।

(ख) श्रमिक संघों को मान्यता देने के मानदण्ड उद्योग में अनुशासन संहिता में दिए गए हैं जिसका पाठ संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंकों के मामले के अलावा श्रमिक संघों की सदस्यता के सत्यापद के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र में कोई कानून नहीं है। तथापि, अनुशासन संहिता के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंको के अलावा, अन्य प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे श्रमिक संघ का कार्यकाल 2 वर्ष है।

विवरण

श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करने के मानदण्ड

1. जहां एक से अधिक संघ हों, वहां मान्यता का दावा करने वाला संघ पंजीकरण के बाद कम से कम एक वर्ष कार्य भर चुका हो। जहां केवल एक संघ है, वहां यह शर्त लागू नहीं होगी।

2. संबंधित प्रतिष्ठान के कम से कम 15 प्रतिशत कामगार संघ के सदस्य होने चाहिए। केवल उन कामगारों की सदस्यता की गणना की जाएगी जिन्होंने मान्यता मिलने से पहले के छः महीनों की अवधि के दौरान कम से कम तीन माह के लिए अपने अंशदान का भुगतान किया हो।

3. कोई संघ किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी उद्योग के लिए प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है यदि उसके पास उस क्षेत्र के उस उद्योग के कामगारों की कम से कम 25 प्रतिशत सदस्यता हो।

4. जब किसी संघ को मान्यता प्रदान की गयी हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

5. जहां किसी उद्योग प्रतिष्ठान में बहुत से संघ हों वहां सर्वाधिक सदस्यता वाले संघ को मान्यता दी जानी चाहिए।

6. किसी क्षेत्र में किसी उद्योग के प्रतिनिधि संघ के पास उस उद्योग के सभी प्रतिष्ठानों के कामगारों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा किंतु यदि किसी प्रतिष्ठान विशेष के श्रमिक संघ में उस प्रतिष्ठान के 50 प्रतिशत या अधिक कामगारों की सदस्यता हो, उसके पास पूर्णतः स्थानीय हित के मामलों जैसे स्वयं की सदस्यता से जुड़ी शिकायतों के संबंध में कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। अन्य सभी सदस्य जो उस संघ के माध्यम से कार्य कर सकते हैं या समस्याओं के निराकरण के लिए सीधे कार्रवाई कर सकते हैं।

7. उन श्रमिक संघ परिसंघों के मामले में जो चारों केन्द्रीय श्रम संगठनों में से किसी एक से भी सम्बद्ध नहीं हैं, मान्यता प्रदान करने के मामले पर अलग से कार्रवाई करनी होगी।

8. केवल वे श्रमिक संघ मान्यता प्राप्त करने के पात्र होंगे उसने अनुशासन संहिता का पालन किया हो।

[अनुवाद]

बिलों की उगाही न किए जाने के कारण हानि

2055. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996–2000 के दौरान ड्रक एयर के भारतीय वायु क्षेत्र की सीमा से अधिक उड़ान भरने के कारण बिलों की उगाही न हो पाने से सरकार को 54.14 लाख रुपये का नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं। प्राधिकरण ने ड्रक एयर के वर्ष 1996 से 2000 की समयावधि से संबंधित ओवर फ्लाइंग चार्जों के बिलों की उगाही कर ली थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन

2056. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राज्य के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के अनेक प्रस्तावों का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) 5 सितम्बर, 2002 को दिल्ली में राज्य के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें अवसंरचना विकास, संवर्धन और विपणन के लिए नीतिगत शुरूआतों और राष्ट्रीय पर्यटन नीति–2002 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

(ग) और (घ) संविधान की समवर्ती सूची में पर्यटन को शामिल करने संबंधी सुझाव के प्रस्ताव को आठ राज्यों ने समर्थन नहीं किया है।

एअर इंडिया के कर्मचारियों को निःशुल्क टिकट

2057. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को निःशुल्क टिकट देने की अपनी नीति को हतोत्साहित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को अपने

कर्मचारियों और उनके परिवारों को निःशुल्क टिकट देने के कारण कुल कितनी वार्षिक हानि हुई?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को फ्री टिकट देने की कोई पॉलिसी नहीं है। फिर भी, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को उनके पैसेज रेगुलेशन्स के तहत फ्री/रियायती यात्रा सुविधाएं दी जाती हैं। यात्रा रेगुलेशन्स के अनुसार "लोड के मुताबिक" ही कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से यह सुविधा दी जाती है और इससे कोई वित्तीय हानि नहीं होती है।

चाय बागान श्रमिकों द्वारा हड़ताल

2058. डा. जयन्त रंगपी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चाय बागानों में काम करने वाले अनेक श्रमिक वर्तमान त्यौहारों के मौसम में पर्याप्त बोनस का भुगतान न किए जाने के कारण हड़ताल पर है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सब्जी और जड़ी-बूटी संबंधी पादपों का विकास

2059. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जड़ी–बूटी संबंधी पादपों के विकास एवं खेती और सब्जी के विकास हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत चार वर्षों अर्थात् 1 अप्रैल, 1998 से आज तक प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य के लिए राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान योजना–वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीधे उनके मंत्रालय /राज्य सरकारों, विशेषकर राजस्थान/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कौन–कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) कृषि मंत्रालय में नौवीं योजना के दौरान (i) सब्जियों के समेकित विकास तथा (ii) औषधीय एवं सुगंधित पौधों के समेकित विकास से संबंधित स्कीमें कार्यान्वित की हैं। अक्तूबर, 2000 से इन स्कीमों का विलय केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "कृषि का वृहत प्रबंध–कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता" में कर दिया गया है।

(ख) वृहत प्रबंध स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को 90% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें 80% सहायता अनुदान तथा 20% ऋण के रूप में होती है।

(ग) वर्ष 1998–99 से उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित राज्यवार धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–। में दिया गया है।

(घ) वृहत प्रबंध स्कीम के अंतर्गत सब्जियों एवं औषधीय तथा सुगंधित पौधों के विकास संबंधी कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन में शामिल अभिकरणों की सूची संलग्न विवरण–।। में दी गई है। राजस्थान में राजस्थान राज्य कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर विकासात्मक कार्यक्रमों में लगा है।

विवरण-।

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आबंटित धनराशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998–99		1999–2000		2000–01			2001–02
		औ. एवं सु. पौधे	सब्जियां	औ. एवं सु. पौधे	सब्जियां	औ. एवं सु. पौधे	सब्जियां	वृहत प्रबंध	वृहत प्रबंध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7.50	6.00	4.50	18.00	0.28	0.00	4500.00	4500.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	3.00	0.00	13.50	0.00	0.00	700.00	700.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	4.50	3.00	4.50	12.00	0.28	0.00	1160.00	1200.00
4.	बिहार	3.00	12.00	3.00	30.00	0.28	0.00	1319.00	4000.00
5.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1500.00
6.	गोवा	0.00	3.00	0.00	13.50	0.00	0.00	180.00	200.00
7.	गुजरात	4.50	4.50	4.50	18.00	0.28	0.00	3000.00	4000.00
8.	हरियाणा	6.00	6.00	3.00	18.00	0.28	0.00	1500.00	1800.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4.50	3.00	1.50	13.50	0.35	0.00	1500.00	1800.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	3.00	0.00	13.50	0.00	0.00	1500.00	1800.00
11.	कर्नाटक	9.00	6.00	12.00	27.00	0.35	0.00	6500.00	6500.00
12.	केरल	9.00	4.50	12.00	49.50	0.35	0.00	4000.00	4000.00
13.	मध्य प्रदेश	6.00	12.00	6.00	36.00	0.32	0.00	4442.00	5000.00
14.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1558.00	1700.00
15.	महाराष्ट्र	7.50	4.50	7.50	18.00	0.35	0.00	10000.00	10000.00
16.	मणिपुर	0.00	3.00	0.00	13.50	0.00	0.00	1000.00	1000.00
17.	मेघालय	0.00	3.00	0.00	13.50	0.00	0.00	950.00	1000.00
18.	मिजोरम	0.00	3.00	0.00	13.50	0.00	0.00	645.00	900.00
19.	नागालैण्ड	0.00	3.00	0.00	13.50	0.00	0.00	1200.00	1200.00
20.	उड़ीसा	3.00	9.00	3.00	36.00	0.31	0.00	3500.00	3300.00
21.	पंजाब	4.50	6.00	4.50	18.00	0.31	0.00	2500.00	2300.00
22.	राजस्थान	7.50	6.00	7.50	18.00	0.35	0.00	7000.00	8000.00
23.	सिक्किम	6.00	6.00	9.00	18.00	0.32	0.00	5000.00	5000.00
24.	तमिलनाडु	0.00	4.50	0.00	18.00	0.00	0.00	800.00	800.00
25.	त्रिपुरा	3.00	15.00	4.50	30.00	0.28	0.00	7580.00	7600.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	1400.00
27.	उत्तरांचल	4.50	7.50	3.00	22.50	0.35	0.00	1200.00	2500.00
28.	पश्चिमी बंगाल	0.00	3.00	0.00	13.50	0.00	0.00	800.00	800.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	1.50	0.00	4.50	0.00	0.00	180.00	200.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	1.50	0.00	6.00	0.00	0.00	80.00	100.00
31.	दादरा और नागर हवेली	0.00	1.50	0.00	6.00	0.00	0.00	250.00	300.00
32.	दमण और द्वीव	0.00	1.50	0.00	4.50	0.00	0.00	80.00	100.00
33.	दिल्ली	0.00	3.00	0.00	14.50	0.00	0.00	300.00	300.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	200.00
35.	पांडिचेरी	0.00	1.50	0.00	6.00	0.00	0.00	200.00	300.00
	कुल	90.00	150.00	90.00	550.00	5.04	0.00	77064.00	86000.00

विवरण-II

सब्जियों तथा औषधियों एवं सुगंधित पौधों के विकास के लिए कार्यक्रम तथा इसमें शामिल अभिकरण

	कार्यक्रम का नाम	शामिल अभिक्रम
क.	**सब्जियां**	
1.	रोपण सामग्री तथा बीज उत्पादन	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान, राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, राज्य कृषि विश्वविद्यालय
2.	बीज ग्राम अवधारणा	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान
3.	उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान
4.	प्रौद्योगिकी अंतरण	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान
5.	खेतों पर फसलोपरान्त रख–रखाव	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान
6.	सूचना प्रणाली का विकास	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान
ख.	**औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास**	
1.	सुगंधित पौधों के लिए गुणवत्ता रोपण सामग्री का विकास	राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
2.	आसवन एकक	
3.	जड़ी बूटी उद्यान स्थापना	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
4.	जड़ी बूटी उद्यान से सम्बद्ध नर्सरी की स्थापना	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
5.	किसानों के खेतों पर प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन केन्द्रों की स्थापना	राज्य सरकारें
6.	क्षेत्रीय विश्लेषण प्रयोगशालाएं	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
7.	क्षेत्र विस्तार	राज्य सरकारें

अनाधुनिकृत विमानपत्तन

2060. श्री राम टहल चौधरी :

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक विमानपत्तन अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन्हें नवीनतम आधुनिक अवसंरचना से सुसज्जित करने और अद्यतन बनाने हेतु क्या योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(घ) इन्हें कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किए गए विमानपत्तनों के नाम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सभी हवाई अड्डों पर अपनी प्रचालन संबंधी आवश्यकता के मुताबिक उपयुक्त उपस्कर हैं।

(ग) और (घ) हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित उपस्करों के संस्थापन/बदलने से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। जिसके दिसंबर 2002 से अक्तूबर 2004 के बीच पूरा होने की संभावना है।

अगरतला, भावनगर, भुवनेश्वर, बड़ौदा, डिब्रूगढ़, दीमापुर, जम्मू, लीलाबाड़ी, मदुरै, सिल्चर तथा वाराणसी हवाई अड्डों पर उपकरण अवतरण प्रणाली, अहमदाबाद, अगाती, बारापानी, बेल्लारी, बड़ौदा, चेन्नई, देहरादून, डिब्रूगढ़, गुवाहटी, हैदराबाद, जैसलमेर, जोधपुर, जमशेदपुर, कटिहार, कांचीपुरम, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मैंगलौर, मोगा, मुम्बई, पोर्टब्लेयर, रायपुर, त्रिची, उदयपुर, विजयवाड़ा तथा विशाखापट्टनम हवाई अड्डों पर डोल्पर वैरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलोर, पटना, त्रिवेन्द्रम तथा वाराणसी हवाई अड्डों पर स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली, बेलगाम, भुवनेश्वर, चेन्नई, दीमापुर, लखनऊ, पटना, रायपुर तथा वाराणसी हवाई अड्डों पर दूरी मापक उपस्कर, अहमदाबाद, चैन्नई, कोलकाता, नागपुर, त्रिवेन्द्रम तथा वाराणसी हवाई अड्डों पर फ्लाइट डाटा प्रासैसिंग सिस्टम लगाए गए हैं।

(ङ) विभिन्न उपस्करों के संस्थापन/बदलने संबंधी कार्य को पिछले दो वर्षों अर्थात् 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान इम्फाल कोलकाता, गुवाहाटी, अमृतसर, भोपाल, लखनऊ, उदयपुर हवाई अड्डों पर उपकरण अवतरण प्रणाली, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पूना, वाराणसी, हवाई अड्डों स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (ए.एम.एस.एस,) जम्मू, जामनगर, पूना हवाई अड्डों पर उच्च आवृत्ति सर्वपरास, औरंगाबाद, जामनगर, पूना, उदयपुर हवाई अड्डों पर दूरी मापक उपस्कर (डीएमई), मैंगलौर, वाराणसी हवाई अड्डों पर एम. एस. एस. आर. की व्यवस्था की गई है। कोलकाता आदि हवाई अड्डों पर आटोमैटिक डिपेन्डेन्ट सर्विलेन्स लगाने का कार्य आरंभ किया गया है। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों के दौरान अधिकांश हवाई अड्डों पर अद्यतन मेटल डिटेक्टर तथा एक्स–रे मशीनें भी सुलभ कराई गई हैं।

इंटरनेट के माध्यम से विमान टिकटों की बुकिंग

2061. डा. अशोक पटेल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस से यात्रा करने के इच्छुक यात्री इंटरनेट के माध्यम से विश्व में कहीं भी अपना टिकट बुक करा सकेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) इंटरनेट द्वारा बुकिंग की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

* इंटरनेट के माध्यम से डी–4 (प्रस्थान तिथि से 4 दिन पूर्व) से डी–90 (प्रस्थान से 90 दिन पूर्व) के बीच बुकिंग करने की अनुमति है तथा यह केवल समय सीमा आधार पर होगी।

* सभी बुकिंग पूरा किराया देने के तथा पक्के तौर पर स्थान मिलने के आधार पर की जाती हैं

* रियायती प्रमोशनल किराए की अनुमति नहीं है।

* डोर्नियर उड़ानों तथा लेह पोर्टब्लेयर तथा अगरतला की उड़ानों को छोड़कर अन्य सभी अंतरदेशीय सेक्टरों के लिए बुकिंग की अनुमति है।

* एक समय में अधिकतम चार यात्रियों को बुक किया जा सकता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक

2062. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण ने अक्तूबर, 2002 को दूरसंचार उद्योगों सहित सरकारी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) अक्तूबर, 1996 की तुलना में इनमें कितनी वृद्धि/कमी किए जाने की संभावना है;

(घ) देश में बेरोजगारी को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) बेरोजगारी बढ़ाने में विनिवेश किस प्रकार उत्तरदायी रहा है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (ईएमआई) के एक हिस्से के रूप में तिमाही आधार पर संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक एवं निजी दोनों) में सूचना एकत्रित करता है। रोजगार बाजार सूचना के आंकड़ों में केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों के आंकड़े शामिल हैं जिनका आधार स्थिर है। प्राप्त सूचना के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र में जून 1996 एवं जून, 2000 (अद्यतन उपलब्ध) अनुमानित रोजगार क्रमशः 193.9 लाख तथा 192.3 लाख के लगभग था।

(घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ङ) विनिवेश संबंधी सरकार के समस्त निर्णयों का संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के कर्मचारियों के रोजगार पर स्वतः प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। जब कम्पनी के प्रबंधन एवं नियंत्रण के साथ किसी नीतिगत विक्रय का निर्णय लिया जाता है। तो कर्मचारियों संबंधी मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस संबंध में विक्रय की निबंधन एवं शर्तों में उपयुक्त प्रावधान किए जाते हैं।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार की योजना

2063. श्री पी. आर. खुंटे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के उद्देश्य से कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार करने हेतु विशेष योजना तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) और अधिक रोजगार सृजन के लिए सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से देशभर में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 10 लाख रुपये तक तथा 10 लाख रुपये से अधिक परियोजना लागत पर 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता दी जाती है और 25 लाख रूपये की परियोजना लागत पर मार्जिन मनी 25% की दर से अथवा 10 लाख रुपये तथा परियोजना की शेष लागत का 10% दिया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों/अल्पसंख्यक समुदाय के लाभानुभोगियों/संस्थाओं एवं पर्वतीय सीमा व जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के लिए मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 30% परंतु इस राशि से अधिक तथा 25 लाख रूपये तक यह परियोजना लागत का 10% है।

इस कार्यक्रम को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात 31.3.2007 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दसवीं योजना के लिए 1250 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से 2.0 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरकार ने वर्ष 2001 में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एक विशेष पैकेज घोषित किया था, जो विभिन्न चरणों

में कार्यान्वयनाधीन है। इस पैकेज में अन्य बातों के अलावा खादी की कताई करने वाले कारीगरों के लिए बीमा कवच, छूट तथा मण्डी विकास सहायता के बीच विकल्प पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधाओं के सृजन, विपणन को प्रोत्साहन देने के उपायों, ब्राण्ड निर्माण तथा कलस्टर विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रचार एवं विज्ञापन के माध्यम से विपणन आदि का प्रावधान है, ताकि यह क्षेत्र ग्रामीण रोजगार सृजन के उद्देश्य को प्राप्त करके ग्रामीण लोगों के जीवनस्तर में सुधार कर सके।

कृषि आधारित उद्योगों में खाद्य तथा गैर खाद्य दोनों प्रकार की वस्तुएं आती हैं। सरकार अपनी प्लान स्कीमों के अंतर्गत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

2064. श्री अनादि साहू : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिचौलिया पद्धति ने फल उत्पादकों के लिए बाधाएं पैदा कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशिष्ट फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों ने बिचौलियों की भूमिका सीमित करने के लिए कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम बनाए हैं। बहरहाल, विनियमित मंडियों से सीमित उद्देश्य पूरा हुआ है। भारत सरकार ने किसानों के लाभ के लिए सीधे विपणन, संविदा कृषि आदि के प्रवर्धन हेतु राज्यों को राज्य कृषि उत्पाद मंडी अधिनियमों में संशोधन सहित विभिन्न सुधार उपायों का सुझाव दिया है।

(ख) और (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम में शामिल नहीं की गई जिंसों के लिए पहले से ही मंडी हस्तक्षेप स्कीम नामक एक स्कीम है जिसके अधीन ऐसी बागवानी और कृषि फसलों को, जो जल्द खराब हो जाती हैं, को शामिल किया जाता है। बम्पर फसल की स्थिति में जब फसलें बड़ी मात्रा में मंडियों में पहुंचती हैं और मूल्य आर्थिक स्तर से नीचे आ जाते हैं, बागवानी और कृषि फसलों के उत्पादकों को मजबूरी में बिक्री करने से बचाने के लिए राज्य सरकारों, जो क्रियान्वयन में 50% क्षति (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%) यदि कोई हो, को वहन करने के लिए तैयार हैं, के अनुरोध पर किसी खास जिंस के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित की जाती है। मंडी हस्तक्षेप स्कीम के अधीन कवर की गई फसलों में प्याज, आलू, माल्टा, किन्नू, गलगल, मिर्च, अदरक, सेब, ऑयलपाम, सुपारी आदि शामिल हैं।

सांस्कृतिक मेले और त्यौहार

2065. श्री जे. एस. बराड़ :

श्री के. पी. सिंह देव :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत और विदेशों में सांस्कृतिक मेले और त्यौहारों का आयोजन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आयोजित किए गए ऐसे मेलों और त्यौहारों का ब्यौरा क्या है, और उन पर कितना खर्च हुआ;

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता/अनुदानों का, राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे भारत के रूचिकर स्थानों की तरफ पर्यटकों का झुकाव कितना बढ़ा है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) जी, हां। पर्यटन विभाग, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपने मेलों एवं उत्सवों के आयोजन के लिए, भारत के राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मेलों और उत्सवों, जिनके लिए पिछले दो वर्षों में वित्तीय सहायता दी गई, का ब्यौरा विवरण–। एवं ।। के रूप में संलग्न है। विदेशों में सांस्कृतिक मेले एवं उत्सवों का आयोजन किया जाता है, लेकिन यह पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित नहीं किए जाते। ये कार्यालय केवल इनमें भागीदारी करते हैं।

(घ) देश में पर्यटन के संवर्धन के लिए भारत के विभिन्न राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इन स्थानों पर पर्यटकों के आगमन एवं विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि अथवा गिरावट प्रत्यक्ष रूप में मेलों और उत्सवों पर ही निर्भर नहीं कर सकती, क्योंकि पर्यटन विभिन्न अन्य कारकों, जैसे बचाव एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इत्यादि से भी प्रकाशित होता है।

विवरण-I

वर्ष 2000–01 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मेलों तथा उत्सवों का नाम	स्वीकृत राशि
1.	बिहार	बुद्ध महोत्सव	7.50
		राजगीर उत्सव	0.77
		सोनपुर मेला	1.25
2.	चण्डीगढ़	फैस्टिवल ऑफ गार्डन्स	1.78
		चण्डीगढ़ कार्निवल	1.50
3.	दिल्ली	कुतुब उत्सव	1.42
4.	हरियाणा	सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला	25.00
5.	हिमाचल प्रदेश	कुल्ल दशहरा	5.00
6.	उत्तरांचल	अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह	0.61
7.	उत्तर प्रदेश	बुद्ध महोत्सव	5.00
8.	राजस्थान	पुष्कर उत्सव	3.45
		मरूस्थल उत्सव	3.45
9.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	द्वीपसमूह उत्सव	1.78
10.	आन्ध्र प्रदेश	लुम्बिनी उत्सव	3.20
11.	गोवा	शिग्मो उत्सव	5.50
12.	मध्य प्रदेश	ओरछा उत्सव	5.00
13.	महाराष्ट्र	एल्लोरा उत्सव	2.40
14.	पांडिचेरी	योग उत्सव	1.36
15.	मेघालय	वांगला ड्रम उत्सव	0.57
16.	त्रिपुरा	उत्सव (2)	5.4
17.	सिक्किम	उत्सव	3.00
18.	जम्मू–कश्मीर	सिंधु दर्शन उत्सव	25.00
		जोड़	109.94

विवरण-।।

वर्ष 2001–2002 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य का नाम	मेलों एवं उत्सवों के नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	बिहार	बुद्ध महोत्सव 1999	1.35
2.	चण्डीगढ़	कार्निवल उत्सव	3.50
		रोज गार्डन में गार्डन उत्सव	4.50
3.	दिल्ली	कुतुब उत्सव	1.42
		गार्डन उत्सव	4.13
		चौंदवीं का चांद उत्सव	1.02
4.	हरियाणा	सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला	25.00
		कुरूक्षेत्र उत्सव	2.50
		आम उत्सव	1.32
5.	हिमाचल प्रदेश	ग्रीष्म उत्सव	3.00
		कुल्लू दशहरा	4.55
6.	उड़ीसा	बीच उत्सव	3.40
		कोर्णाक उत्सव	3.40
7.	पंजाब	फूड उत्सव	4.25
		क्राफ्ट मेला	4.25
8.	उत्तर प्रदेश	आयुर्वेद उत्सव	2.25
		वाराणसी और इलाहाबाद में गंगा वाटर रैली	1.50
9.	राजस्थान	मुम्बई में हैंडिक्राफ्ट एवं फूड उत्सव	2.50
		बड़ौदा में हैंडिक्राफ्ट एवं फूड उत्सव	2.50
10.	पश्चिमी बंगाल	डी जी एच सी द्वारा तीस्ता चाय एवं पर्यटन उत्सव	3.75
		पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीस्ता चाय एवं पर्यटन उत्सव	4.18
		दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उत्सव	2.50
11.	छत्तीसगढ़	राजीम एवं दशहरा उत्सव	10.00

1	2	3	4
12.	दादरा और नागर हवेली	तरपा एवं पतंग उत्सव	3.70
13.	गोवा	शिग्मो एवं कार्निवल उत्सव	4.75
14.	केरल	हाथी एवं मालाबार उत्सव	5.12
15.	महाराष्ट्र	एल्लोरा उत्सव	2.60
		एलिफेंटा उत्सव	3.62
16.	मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय लोक उत्सव	10.00
17.	तमिलनाडु	नृत्य उत्सव माम्मलापुरम एवं नाटयांजलि उत्सव	3.74
18.	त्रिपुरा	ओरंगा एवं पर्यटन उत्सव	5.00
		पिल्क उत्सव	3.9
19.	असम	रंगोली उत्सव	2.25
		चाय उत्सव	2.25
20.	मिजोरम	कूट उत्सव 2001	3.4
		कूट उत्सव 2002	5.00
21.	नागालैण्ड	होरनीबिल उत्सव	2.81
		मोन्या उत्सव 2002	5.00
	जोड़		159.91

उड़ीसा में स्मारकों का रख-रखाव

2066. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर, कोर्णाक स्थित सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर स्थित भगवान लिंगराज मंदिर की ठीक ढंग से न हो रहे रख–रखाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस विश्व प्रसिद्ध स्मारकों के उचित संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आबंटन किया गया?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारक–जगन्नाथ मंदिर, पुरी, सूर्य मंदिर, कोर्णाक तथा भगवान लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर भली भांति परिरक्षित हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मंदिरों के रखरखाव तथा संरक्षण पर किया गया व्यय इस प्रकार है:–

वर्ष	जगन्नाथ मंदिर, पुरी	सूर्य मंदिर, कोणार्क	लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर
1999–2000	11,51,709	13,59,241	4,78,048
2000–2001	11,12,087	28,02,581	2,11,367
2001–2002	23,27,210	23,03,832	11,63,440

कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) के निवेश का पुनर्गठन

2067. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) की आय को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए इसके निवेश के पुनर्गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि उपभोक्ताओं को अपनी बचतों पर अधिक लाभ मिलता रहे?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) निवेश पद्धति/दिशा–निर्देशों में संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है। कर्मचारी भविष्य निधि का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कामगारों से संबंधित निधियों का अभिरक्षक है और वह निधियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इन पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

फ्रैंकफर्ट स्थित पर्यटन कार्यालय में घोटाला

2068. श्री सुन्दर लाल तिवारी :

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री अखिलेश यादव :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 सितम्बर, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में "फ्रैंकफर्ट में भारतीय पर्यटन कार्यालय ने फर्जी नियुक्तियों पर करोड़ों फूंके" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा क्या–क्या आपत्तियां उठायी गयी हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) कौन–कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इस विषय पर अब तक कोई ऑडिट पैरा नहीं उठाया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय वन सेवा अधिकारियों की आय से अधिक सम्पत्ति

2069. श्री महेश्वर सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम वन विभाग के कुछ अति वरिष्ठ आई. एफ.एस. अधिकारियों के विरुद्ध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखने की कोई जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध और क्या कार्रवाई, यदि कोई हो, की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) सिक्किम काडर के भरतीय वन सेवा के कुछ अधिकारियों के ख़िलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई थीं जिसे तदनुपरान्त राज्य सरकार को अन्वेषण/रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया था। जांच के उपरान्त सिक्किम सरकार ने सूचित किया है कि इन अधिकारियों के पास उनकी आय के ज्ञात साधनों से अधिक परिसम्पत्तियां नहीं हैं।

[हिन्दी]

डेयरी उद्योग को बढ़ावा

2070. श्री हरिभाई चौधरी :

श्री मानसिंह पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषतः महिलाओं के लिए देश के जनजातीय क्षेत्रों में डेयरी उद्योग और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कृषि क्षेत्र की योजनाएं जनजातीय किसानों को कोई लाभ प्रदान नहीं कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग के पास महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, विभाग आदिवासी क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। योजना में सहकारिताओं के जरिए डेयरी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की व्यवस्था है जिसमें महिलाएं भी सदस्य बनने की पात्र होती हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला तथा बाल विकास विभाग आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्र में गरीबों, सम्पत्तिहीन तथा सीमांत महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए महिला डेयरी तथा अन्य परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों सहित पूरे देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है जिसमें कृषि तथा ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ धन उपलब्ध कराया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों की महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए 30 प्रतिशत से और 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के बीच की परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत सहायता राशि प्रदान की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भी जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत विभिन्न राज्यों को अनुदान उपलब्ध कराता है। विशेष केन्द्रीय सहायता प्रमुख रूप से कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, भू–संरक्षण, पशुपालन इत्यादि क्षेत्रों में परिवारोन्मुख आय सृजित करने वाली योजनाओं के लिए है। यह सभी योजनाएं महिलाओं तथा जनजातीय किसानों को लाभ पहुंचाती हैं।

[अनुवाद]

सरकारी संस्थाओं में नामांकन

2071. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत ऐसी कौन–कौन सी सरकारी संस्थाएं/उपक्रम कार्यरत हैं, जिनमें गैर–सरकारी व्यक्तियों को नामित किया गया है;

(ख) इन संस्थाओं में नामित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या ऐसी संस्थाओं/उपक्रमों में गुजरात से कभी कोई व्यक्ति नामित किया गया है; और .

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा इस्पात की आपूर्ति

2072. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कतिपय राज्यों के इस्पात पाइपों की आपूर्ति और मांग को पूरा करने हेतु अनसेक्योरड लिमिट फैसिलिटी के अंतर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) से कितने गैर सरकारी इस्पात उद्योगों ने इस्पात प्राप्त किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस सुविधा के अंतर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा इन गैर सरकारी इस्पात उद्योगों के लिए कुल कितने इस्पात की आपूर्ति की गयी; और

(ग) उन गैर–सरकारी इस्पात उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को बकाया धनराशि का भुगतान करना है और तत्संबंधी धन–राशियां कितनी हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) इस्पात सामग्री के मूल्य एवं वितरण कार्य को 17.1.92 से नियंत्रण समाप्त किए जाने के फलस्वरूप ग्राहकों द्वारा "एंड यूज डिक्लेरेशन" प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अतः ग्राहकों द्वारा अधिप्राप्त सामग्री का "एंड यूज" निर्धारित करना संभव नहीं है।

ग्राहकों के साथ किए गए कारोबार का ब्यौरा उपलब्ध करवाना कंपनी के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

[हिन्दी]

वर्ष 1998 से चालू नयी विमान सेवाएं

2073. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 से कितनी नयी विमान सेवाएं आरंभ की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कौन–कौन से स्थानों पर नये हज टर्मिनल स्थापित किए गए हैं;

(ग) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) मंत्रालय के पास हज टर्मिनल की स्थापना के कितने प्रस्ताव अब भी लंबित हैं; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 1998 से अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेक्टरों पर इंडियन एयरलाइन्स, एलाइंस एयर तथा एयर इंडिया द्वारा कुल 57 नई विमान सेवाएं प्रारंभ की गई हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1999 में 6.50 करोड़ रुपये की लागत पर हज प्रचालन के लिए एक नया हज टर्मिनल बनाया गया।

(घ) और (ङ) इस समय सरकार के पास केवल पूरी तरह इसी प्रकार का हज टर्मिनल बनाने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विमान सेवाओं का घटिया स्तर

2074. श्री जयभान सिंह पवैया :

श्री शिवराजसिंह चौहान :

श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विमान सेवाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा हमारी विमान सेवाओं के स्तर को अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के बराबर लाने के लिए कोई योजना तैयार की जानी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) भारत में हवाई सेवाएं अंतरराष्ट्रीय मानदण्डों के समरूप है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अतिक्रमित वन भूमि पर पुनः दावा

2075. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक में हिस्सेदारी आधार पर अतिक्रमित वन भूमि के पुनः दावे में अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के संबंध में कोई योजना कार्यान्वित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी अनुसचित जनजातियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है; और

(ग) राज्य के रायचूर जिले की अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले कितने व्यक्ति इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एक नये प्रतियोगी बाजार की स्थापना

2076. श्री पदमसेन चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नये प्रतियोगी बाजार की स्थापना करके और वर्तमान कृषि विपणन परिसरों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार करने के संबंध मे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर्मंत्रालयी–कार्य दल ने दिनांक 28 जून, 2002 की अपनी रिपोर्ट में प्रत्यक्ष विपणन एवं ठेके पर खेती को प्रोत्साहन देने तथा निजी व सहकारी क्षेत्रों में कृषि मण्डियों के विकास के लिए कृषि मण्डियों से संबंधित राज्य अधिनियम में सुधार करने का सुझाव दिया है। कार्यदल द्वारा की गई संस्तुतियों पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 27.9.02 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ विचार–विमर्श किया गया। सुधारों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना बनाने के हेतु केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्यों के मंत्रियों की एक स्थायी समिति का गठन दिनांक 13.11.02 को किया गया है।

मण्डियों के आधारभूत ढांचे के विकास संबंधी परियोजनाओं में निजी तथा सहकारी क्षेत्र के निवेश को आकृष्ट करने तथा मौजूदा मण्डियों के आधुनिकीकरण के लिए कृषि विपणन संरचना के

विकास/सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम का निरूपण किया गया है। योजना आयोग ने दसवीं योजनावधि के दौरान इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए "सिद्धान्ततः" मंजूरी दे दी है।

[अनुवाद]

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

2077. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में चलायी जा रही/प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं, पनधारा परियोजनाओं का आज की तिथि तक ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) उड़ीसा कालाहांडी, बोलंगीर एवं कोरापुट (के.बी.के. जिलों) जिलों में सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जल विभाजक परियोजनाओं के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

(रुपये करोड़ में/क्षमता हजार हे. में)

क्रम संख्या	परियोजनाओं का नाम	जिस योजना में शुरू की गई	स्वीकृत स्थिति	नवीनतम अनुमानित लागत	3/2000 तक व्यय	चरम क्षमता	3/2002 तक सृजित क्षमता
कालाहांडी जिला							
1.	उपरी इंद्रावती सिंचाई (वृहद)	वा. यो. 1978–80	पी.सी	718.800	406.440	218.60	78.11
2.	उपरी जोंक (मध्यम)	वा.यो. 1978–80	पी.सी.	91.45	97.10	16.40	9.46
3.	निचली इंद्रा (वृहद)	IX	पी.सी.	211.700	37.990	38.87	0.00
बोलंगीर जिला							
1.	हरिहर जोर (मध्यम)	वा.यो. 1978–80	पी.सी.	65.47	77.54	13.70	9.95
2.	तीतलागढ.–।। (मध्यम)	VII	पी.सी.	26.700	7.470	2.60	0.60
3.	निचली सुकतल (वृहद)	IX	पी.सी.	217.130	16.220	29.84	0.00
कोरपुट जिला							
1.	उपरी कोलाब सिंचाई (वृहद)	1975	पी.सी.	304.660	298.240	88.76	84.44
2.	बड़ानाला (मध्यम)	VI	पी.सी.	105.88	109.31	13.74	8.80
3.	तेलंगीर (मध्यम)	IX	टी.ए.सी.	88.61	11.65	13.78	0.00

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता

2078. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा और गड़ोथ तहसीलों में जल संचयन और बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की है;

(ख) क्या सरकार को उक्त वित्तीय सहायता के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार धनराशि के आबंटन पर निगरानी रखने के लिए एक समिति के गठन पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। मध्य प्रदेश के मन्दसौर ज़िले की गड़ोथ और भानपुरा तहसील में जल संग्रहण और बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एशियन ब्राउन हेज का असर

2079. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.एन.ई.पी. द्वारा प्रकाशित समाचार के अनुसार 'एशियन ब्राउन हेज' के असर के बारे में बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस एशियन ब्राउन हेज के प्रभाव की जांच की और भारतीय पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का भी आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नगरों में प्रदूषण और हानिकारक रिसाव के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने क्या–क्या सुझाव दिये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) 'इन्डियन ओशन रिसर्च एक्सपैरीमैंट (इन्डोक्स)' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अध्ययन से हिन्द महासागर के ऊपर धुन्ध का पता चला है। एशियाई क्षेत्र एवं इसके चारों ओर के समुद्रों के ऊपर यह धुन्ध वायुमंडल का स्थायी भाग नहीं है। यह केवल जनवरी–मार्च की अवधि में ही होती है अर्थात् ऐसे मौसम में जब वर्ष 1999 में इन्डोक्स द्वारा प्रेक्षण किया गए थे। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने इन्डोक्स पर आधारित "दि एशियन ब्राऊन क्लाऊड : क्लाईमेंट एंड अदर एनवायरमैंटल इम्पैक्ट्स" शीर्षक से एक रिपोर्ट निकाली है। यू एन ई पी द्वारा उक्त रिपोर्ट को जारी किए जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति में क्षेत्रीय एवं विश्व दोनों स्तरों पर इस धुन्ध के प्रभावों की एक खतरनाक तस्वीर पेश की है। तथापि इसमें पेश की गई अधिकतर चिन्ताओं को विश्वसनीय माडलिंग अध्ययनों या प्रयोगात्मक प्रेक्षणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका है।

(ग) से (ङ) वायुमण्डल एवं समुद्रविज्ञान केन्द्र भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के प्रोफेसर जे. श्रीनिवासन और सुलोचना गाडगिल ने दिनांक 10 सितम्बर 2002 के करंट साईंस, खण्ड 83, संख्या 5 में 'एशियन ब्राऊन क्लाऊड–फैक्ट एंड फैनटिसी' नामक शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट और इसकी प्रेस विज्ञप्ति का विश्लेषण किया है। दोनों वैज्ञानिकों ने यह पाया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की प्रेस विज्ञप्ति एक तरफ तो प्रेक्षणों एवं वैज्ञानिक रूप से तर्कसंगत परिणामों का मिश्रण है और दूसरी ओर न्यून वैज्ञानिक आधार पर सनसनीखेज वक्तव्य हैं और तदनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विद्यमान कानून और नीतिगत ढांचे के साथ–साथ लोगों में जागरूकता पैदा करने सहित पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के संबंध में उठाए गए अनेक उपाय भारत के प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त है।

समूचे दक्षिण एशिया में धुंध का प्रदूषण

2080. श्री के. येरननायडू : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशिया पर फैली धुंध प्रदूषण की विशाल चादर भारत तक आने वाले सूर्य के प्रकाश को 10 प्रतिशत तक कम कर देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धुंध का क्षेत्र की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति/धुंध के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार की गयी कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (घ) "इन्डियन ओशन रिसर्च एक्सपैरीमैट (इन्डोक्स)" नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अध्ययन से हिन्द महासागर के ऊपर धुन्ध का पता चला है। एशियाई क्षेत्र एवं इसके चारों ओर के समुद्रों के ऊपर यह धुंध वायुमंडल का स्थायी भाग नहीं है। यह केवल जनवरी–मार्च की अवधि में होती है अर्थात ऐसे मौसम में जब वर्ष 1999 में इन्डोक्स द्वारा प्रेक्षण किए गए थे। हमारे देश की वर्षा और/या कृषि पर इस धुन्ध के प्रभाव को देखने के लिए निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी) ने इन्डोक्स पर आधारित "दि एशियन ब्राऊन क्लाऊड : क्लाइमेट एंड अदर

एनवायरमैंटल इम्पैक्ट्स" शीर्षक से एक रिपोर्ट निकाली है। यू एन ई पी द्वारा उक्त रिपोर्ट को जारी किए जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति में क्षेत्रीय एवं विश्व दोनों स्तरों पर इस धुंध के प्रभावों की एक खतरनाक तस्वीर पेश की है। तथापि इसमें पेश की गई अधिकतर चिन्ताओं को विश्वसनीय माडलिंग अध्ययनों या प्रयोगात्मक प्रेक्षणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका है। विद्यमान कानून और नीतिगत ढांचे के साथ–साथ पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के संबंध में उठाए गए अनेक उपाय देश में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग

2081. श्री अखिलेश यादव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बंद होने के कगार पर खड़े चीनी उद्योग को पुनः चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने बीमार चीनी मिलों के पुनरूद्धार हेतु उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं;

(i) गन्ना विकास, आधुनिकीकरण तथा विद्यमान क्षमता में विस्तार के लिए चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दर पर ऋण देना।

(ii) बीमार सहकारी चीनी मिलों के मामलों की जांच के लिए तथा कार्यक्षमता व्यवहार्य एककों के लिए पुनरूद्धार पैकेज की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(iii) सहकारी क्षेत्र की कार्यक्षमता वाले व्यवहार्य बीमार मिलों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 को संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से विभिन्न उद्देश्यों के लिए निम्नानुसार ऋण मंजूर किए हैं:

(करोड़ रुपये)

स्कीम	चीनी मिलों की संख्या	मंजूर राशि	वितरित राशि
आधुनिकीकरण/ पुनर्स्थापना	91	502.39	445.98
गन्ना विकास	164	165.58	93.48

[अनुवाद]

वर्षा वन

2082. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डिब्रूगढ़ असम में वर्षा वन होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस वर्षा वन के परिरक्षण और संरक्षण के लिए किसी परियोजना की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) डिब्रूगढ़ असम में वन "ट्रापिकल वैट एक्सग्रीन फारेस्ट्स" की श्रेणी में आते हैं। इन वनों का संरक्षण, कार्य योजनाओं में निर्धारित वैज्ञानिक प्रबंधन तरीकों से किया जा रहा है। असम के वन सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

विशाखापत्तनम विमानपत्तन का विकास

2083. श्री. बी. वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तन विमानपत्तन का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इसकी धावनपट्टी का कब तक विस्तार किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सरकार ने 191.52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रक्षा मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विशाखापत्तनम हवाई अड्डा के विकास के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है। विकास कार्य की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है और इसके कार्य को दिए जाने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेस्ट हाउस

2084. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेस्ट हाउस का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार गुजरात के बलसाड जिले के राजमार्ग पर रेस्ट हाउसों का निर्माण करने पर भी विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो इनके निर्माण कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास, सुविधाएं यथा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर विश्राम गृह सहित, यात्रियों को दी जाने वाली मार्गस्थ सुविधाएं, मुहैया कराने की योजना उपलब्ध है। पर्यटन विभाग उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास एवं पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास की योजनाओं के अंतर्गत मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

2085. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के वित्त पोषण/स्थापना के लिए कोई योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता के अनुदान के लिए गैर सरकारी संगठनों का चयन करने के क्या मानदंड हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के तहत सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्योगों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण और विस्तार शामिल है, के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। गैर सरकारी संगठनों के वास्ते अलग से कोई स्कीम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यदि प्रस्ताव तकनीकी एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो तो वित्तीय सहायता दी जाती है।

थेर कुमलई पर बांध का निर्माण

2086. श्री एस. मुरूगेसन : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा वन के परिरक्षण और राज्य में जल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तमिलनाडु की कोर्टालम हिल्स में –"थेर कुमलई" पर एक बांध के निर्माण के संबंध में मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय संसद सदस्य ने अपने दिनांक 9.5.2002 के पत्र द्वारा तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय क्षेत्र में कोर्टालम पर बांध के निर्माण के वास्ते वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण तथा वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, तैयारी, क्रियान्वयन एवं वित्त–पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।

द्वारकाजी मंदिर का रखरखाव

2087. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में द्वारकाजी मंदिर न्यासियों की उपेक्षा के कारण खस्ता हालत में है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस ऐतिहासिक मंदिर के रखरखाव के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या मंदिर और इसके आस–पास के क्षेत्र के रखरखाव के लिये कोई योजनाएं बनाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका जो एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है, अच्छी हालत में है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका के रख–रखाव एवं संरक्षण पर किया गया व्यय निम्नप्रकार है:–

वर्ष	रुपए (लाखों में)
1999–2000	1.70
2000–2001	3.97
2001–2002	3.90

(ग) और (घ) द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका का रखरखाव एवं संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है।

संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगारों का सृजन

2088. श्री खारबेल स्वाइं : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के कारण संगठित क्षेत्र में कितनी नौकरियां समाप्त हुईं,

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र में कितनी नौकरियों का सृजन हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में और नौकरियों के सृजन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) हो सकता है कि वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण पुराने उद्योगों के कुछ रोजगार अवसरों में कमी हुई हो किन्तु साथ ही कई नए क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कुल मिलाकर, मार्च 1998 तथा मार्च, 2000 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार देश में संगठित क्षेत्र में अनुमानित रोजगार क्रमशः 281.66 लाख तथा 279.60 लाख था।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार असंगठित क्षेत्र में अनुमानित रोजगार जो कि 1993–94 में 34.71 करोड था 1999–2000 में बढ़कर लगभग 39.60 करोड़ हो गया।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10 वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणावत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

हरियाणा में ई. एण्ड एफ का संरक्षण

2089. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद हरियाणा के रिज क्षेत्र में अरावली पर्वतीय वन क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हो रही है तथा भूमिगत जल को अवैध तरीके से निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली–हरियाणा सीमा से पांच किलोमीटर के क्षेत्र विशेषकर सूरजकुंड और बड़खल झील क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद बारूद से विस्फोट करके भूमि को समतल करने के वास्ते खनन और अन्य गतिविधियां चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिये और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को पूरी तरह लागू करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) राज्य सरकार ने आई ए सं. 1785 में सिविल रिट याचिका संख्या 4677/85 में उच्चतम न्यायालय के 6.5.2002 के आदेश के अनुपालन में दिल्ली हरियाणा सीमा के 5 कि.मी. भीतर पड़ने वाले रिज के हरियाणा की तरफ खनन कार्यकलापों और जल–पम्पन पर प्रतिबंध लगाया है 1985 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677 – एम सी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई 9 अगस्त, 2002 और 21 अक्तूबर, 2002 की रिपोर्टों के अनुसार सूरज कुण्ड और बड़खल झील के आसपास के क्षेत्रों में खनन सहित कई कार्यकलाप किए गए हैं। जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप नहीं है। भौम जल के अवैध पम्पन के बारे में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास कोई विशेष सूचना नहीं है। राज्य सरकार इस क्षेत्र की

पारिस्थितिकी के बारे में चिन्तित है और उसके द्वारा हरियाणा राज्य के भीतर सम्पूर्ण अरावली पहाड़ियों के पुनरूद्धार के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वर्ष 1996–97 और 1997–98 में सूरजकुण्ड और बड़खल क्षेत्र के आसपास हरित पट्टी (ग्रीन बैल्ट) में रोपण कार्य किया गया। इसके महत्वपूर्ण परिणाम हुए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट से यह पता चला है कि हरियाणा के कुल हरित क्षेत्र में वर्ष 1997 के मूल्यांकन के मुकाबले 360 वर्ग कि. मी. की वृद्धि हुई है उच्चतम न्यायालय ने अपने 25.11.02 के आदेश के तहत राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।

[अनुवाद]

दीमापुर-गुवाहाटी नियमित उड़ान सेवा

2090. श्री के. ए. सांगतम : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2003 तक दीमापुर और गुवाहटी के बीच 50 सीटों वाली ए. टी. आर. 42–320 दैनिक विमान सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) एलायंस एयर ने दिसम्बर/जनवरी से आगे चार ए.टी.आर. 42–320 विमानों की ड्राई लीजिंग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए है। प्रचालन के कार्यक्रम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, चार विमान प्रचालकों की प्रारंभिक योजना में दीमापुर और गुवाहाटी के बीच उड़ान सेवा शामिल है।

मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्र

2091. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में और मात्स्यिकी बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्र की स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा और स्थान क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मात्स्यिकी बंदरगाहों/मछली उतारने के केन्द्र के रख रखाव हेतु किसी नई योजना को स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार का समूचे देश में और अधिक मात्स्यिकी बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत समुद्रीय राज्यों की सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा पोर्ट ट्रस्टों को सहायता देने का प्रस्ताव है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मात्स्यिकी बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के विकास के लिए यथानिर्दिष्ट राज्य–वार स्थान का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मात्स्यिकी बंदरगाह के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थान	मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थान
1	2	3	4
1.	गुजरात	1. ओखा, 2. ढोलाई 3. उमेरगांव	
2.	उड़ीसा	1. चांदीपुर, 2. बाहाबलपुर	1. बाराकुडी, 2 चन्द्रपुर, 3. बालूगांव
3.	तमिलनाडु	1. रामेश्वरम, 2. पुमपर 3. पाझायार, 4. मल्लीपत्तनम	
4.	केरल	1. थलाई, 2. थोटापल्ली, 3 कोईलैंडी 4. केसरागोड, 5. अर्थांगुल 6. चेटूवाई 7. चेरायूवार्थर–नीलेश्वरम, 8. वर्काला 9. चेथी, 10 अंधाकरनाझी, 11. चेलनम 12. पारापानगदी 13. वाटाकारा	1. चेम्पू 2. काजीभरम, 3. वेटूर, 4. पुथेनथूरा 5. पारावूर 6. पाथीयमकारा 7. वाडाकल 8. ईडाकाज़ीयूर 9. नाटीका 10. मुजीपीलंगद 11. मटूल, 12. पलकोदी

1	2	3	4
		14. कोरापुझा, 15. थानूर, 16. मंजेश्वरम 17. बेपोर स्टेज–2	
5.	महाराष्ट्र	1. अगरधंधा, 2. देवगद, 3. जीवाना 4. कारांजा, 5. दाबोल, 6. जैगद 7. बोराया 8. अरनाला, 9. विजयदुर्ग	1. वरसोवा, 2. गोराई 3. मद 4. मनोरी 5. अरनगल भाटी 6. खरधंधा 7. वरली कोलीवाड़ा 8. धानु और डाक्ती धानायू 9. वसाई 10. उत्तन 11. जाई 12. केलवा 13. डिगोद 14. केलवाने 15. वरसोली 16, तुलसुंडे 17. वड़ोदा 18. नावानगर 19. रानपार पवास 20. बरौंदी 21. जाकीमियां 22. नावाबाग 23. निवाती कोचरा 24. शिरोड़ा, 25. मिथाभव, 26- डांडी मलवन
6.	कर्नाटक	1. अलवीकोदी	1. हंगाराकट्टा
7.	गोवा	1. वास्को बे (मोरमुगांव पोर्ट–ट्रस्ट)	–
8.	दमण और दीव	1. वानाकाबारा 2. नानी दमन	1. गोगला
9.	आन्ध्र प्रदेश	1. निजामपत्तनम स्टेज–2 2. बियापुथीपा/एंथरवेदीपालेम	1. बरूआ कोथरू 2. मयपाडु 3. मंचीनीलापेटा/ नुयुलारेवयू 4. चिंतापली 5. मुक्कुम, 6. पुडीमाडाका 7. पेरूपलेम, 8. गोंडीसामुद्रम 9. इसकापल्लीपाटापुपालेम 10. थाडीचेरापालेम 11. द एटीमोगा 12. मयनावाणी लंका 13. वोदारीवू 14. कोथापत्तनम, 15. लक्ष्मीपुरम पालेपालेम 16. गुंडायापालेम 17. बांद्रायूवानीपेटा/ कलिंगापत्तनम 18. वोदालारयू
10.	पांडिचेरी	1. काराईकल 2. माहे	
11.	पश्चिमी बंगाल		1. माया गोलीनी घाट 2, जलवा कुथी
12.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	1. डेरी फार्म (जंगलीघाट)
13	लक्षद्वीप	–	कावाराथी

[हिन्दी]

जलपरियोजनाओं को मंजूरी

2092. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्रीमती निवेदिता माने :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अगस्त, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में "30 जलपरियोजनायें लंबित" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जी, हां। अंतर्राज्यीय पहलुओं को शामिल करते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 6085 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 33 बहु–उद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदित/स्वीकृत/वापस किया गया। इन परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्परता से अनुपालना पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

विरासत स्थल के रूप में हम्पी

2093. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने हम्पी को ऐसे विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने हम्पी सहित विरासत स्थलों की सुरक्षा और संरक्षा के लिये उठाये गये कदमों के संबंध में यूनेस्को समिति को रिपोर्ट सौंपी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व दाय समिति द्वारा हम्पी को, स्थल पर, उन दो पुलों के निर्माण के कारण खतरे वाला स्थल घोषित किया गया है जिन्हें संभावित खतरा के रूप में महसूस किया गया जिससे विश्व दाय स्थल की प्रमाणिकता और अखंडता खतरे में पड़ गई है।

(ग) विश्व दाय समिति को, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा हम्पी में कार्यान्वित किए जा रहे सुधारात्मक उपायों के बारे में सूचित किया गया है।

मक्का अनुसंधान निदेशालय, पूसा के उद्देश्य

2094. डा. रमेश चंद तोमर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई. सी. ए. आर. के अंतर्गत मक्का अनुसंधान निदेशालय, पूसा की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य है और इसकी स्थापना किस तिथि को की गई;

(ख) क्या डी.एम.आर. में किया गया निवेश इसकी उपलब्धियों के अनुरूप हैं;

(ग) यदि हां, तो इसकी शुरूआत से वास्तविक और वित्तीय संदर्भ में वर्षवार कार्य–निष्पादन क्या रहा है,

(घ) क्या सरकार का विचार लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहने के मद्देनजर इस निदेशालय को बंद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) मक्का अनुसंधान निदेशालय की स्थापना जनवरी, 1994 में की गई थी। मक्का अनुसंधान निदेशालय की स्थापना करने के उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है;

(i) उपज घटकों, जैव और अजैव दबावों तथा गुणवत्ता विशेषताओं के लिए उपयुक्त दाताओं की पहचान करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मक्का तथा मक्का से सम्बद्ध फसलों के क्रियाशील जननद्रव्य का संग्रह, अर्जन, मूल्यांकन, सूची, सम्पोषित तथा बांटना। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगी केन्द्रों को वितरण करते हुए नये आनुवांशिक भण्डारों का विकास करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से आनुवांशिक विविधता को गतिशील बनाना।

(ii) जननद्रव्य वृद्धि पर मूलभूत, नीति संबंधी तथा व्यावहारिक अनुसंधान चलाना तथा गुणवत्ता सुधार, जैव एवं अजैव दबावों के प्रति सहिष्णु, विशेषीकृत अन्तिम उपभोक्ता, कटाई उपरांत होने वाली हानियों का प्रबन्धन तथा मूल्यवर्धन के लिए उत्कृष्ट किस्मों की पहचान और विकास करना।

(iii) अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान परियोजना के विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान कार्यक्रम को समन्वित करना, मक्का उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण देना तथा खेत प्रदर्शनों का आयोजन करना।

(iv) डेटा विश्लेषण, प्रलेखन तथा सूचना देने के लिए अनिवार्य सुविधा के रूप में कार्य करना।

(ख) जी, हां।

(ग) मक्का अनुसंधान निदेशालय में किये गये निवेश इसकी स्थापना से ही प्राप्त उपलब्धियों के अनुरूप थे। नौवीं योजना के दौरान अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना में योजना के अंतर्गत व्यय 1153.00 लाख रुपये था तथा मक्का अनुसंधान निदेशालय में 916.00 लाख रुपये था। वर्षवार व्यय का ब्यौरा विवरण–। में दिया गया है।

नौवीं योजना की अवधि के दौरान मक्का अनुसंधान निदेशालय और अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान परियोजना के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप नौवीं योजना के प्रारंभ में अर्थात् वर्ष 1997–98 में मक्का का उत्पादन 10.82 मिलियन टन था जो वर्ष 2001–02 में बढ़कर 13.50 मिलियन टन हो गया।

इस अवधि के दौरान क्वालिटी प्रोटीन मक्का, बेबी कार्न, स्वीट कार्न और पोप कार्न किस्मों सहित देश के विभिन्न कृषि–जलवायवीय क्षेत्रों के लिए मक्का की अनेक किस्में जारी की गई थीं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण किस्में/संकर किस्में विवरण–।। में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

नौवीं योजना के दौरान बजट आबंटन/व्यय

मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी.एम.आर.)

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	बजट आबंटन (संशोधित आकलन)	व्यय
1	2	3	4
1.	1997–98	2.40	1.57
2.	1998–99	1.07	1.06
3.	1999–2000	1.20	1.22
4.	2000–01	1.66	1.26
5.	2001–02	4.06	4.05
	कुल	10.39	9.16

अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान परियोजना

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	बजट आबंटन (संशोधित आकलन)	व्यय
1.	1997–98	–*	1.41
2.	1998–99	2.30	2.30
3.	1999–2000	2.30	2.33
4.	2000–01	2.45	2.87
5.	2001–02	2.62	2.62
	कुल	9.67	11.53

* डी.एम.आर. के बजट के अन्तर्गत सम्मिलित बजट

विवरण-II

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के माध्यम से
नौवीं योजना के दौरान जारी की गई तथा अधिसूचित की गई मक्का की महत्वपूर्ण किस्में

किस्म/संकर का नाम	जारी करने का वर्ष	पकने की अवधि	अनुकूलन का सिफारिश किया गया क्षेत्र
1	2	3	4
सार्वजनिक क्षेत्र			
शक्ति–1 (कम्पोजिट)	1997	मध्यम	पूरे देश में उगाने के लिए उच्च लाइसिन एवं ट्रिपटोफैन वाली मक्का सामान्य लगने के साथ इसके इंडोस्पर्म सख्त होते हैं। यह शिशुओं आदिवासियों आदि को पोष्टिक आहार मुहैया कराने के अतिरिक्त बाल आहार जैसे औद्योगिक उत्पादों को बनाने में भी सहायक होगी।
प्रकाश	1997	अगेती	बेबी कार्न के लिए उपयुक्त बारानी स्थिति के तहत पूरे देश के लिए सिफारिश की गई।
पूसा अगेती संकर मक्का–1	1997	अगेती	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में कम उर्वरक स्तरों पर अच्छा प्रदर्शन किया।
पूसा अगेती संकर मक्का–2	1997	अगेती	आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में कम उर्वरक स्तरों पर अच्छा प्रदर्शन किया।

1	2	3	4
हिम–129	1997	अगेती (85–90 दिन)	हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश एवं पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्र
विवेक संकर–4	1999	अगेती	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश
अमर (डी–941) कम्पोजिट	2000	अगेती	खरीफ मौसम के लिए महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए जारी की गई
जे एच – 3459	2000	अगेती सिंगल क्रास	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई
पूसा अगेती संकर मक्का–3 (ए एच 58)	2000	अगेती सिंगल क्रास	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए जारी की गई
विवेक मक्का संकर–9	2000	अगेती सिंगल क्रास	जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लिए जारी की गई।
पूसा अगेती संकर मक्का–3	2001	अगेती (80–85 दिन)	आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए सिंगल क्रास संकर जारी की गई।
शक्तिमान –1	2001	पूरे मौसम के लिए	गुणवत्ता प्रोटीन मक्का जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जारी किया गया
शक्तिमान–2	2001	पूरे मौसम के लिए	बिहार
राज्यों द्वारा जारी की गई			
जवाहर–12 कम्पोजिट	1999	पूरे मौसम के लिए	राजस्थान
एच एच एम –1	2000	पूरे मौसम के लिए (100–110)	हरियाणा
एच एच एम – 2	2000	पूरे मौसम के लिए	हरियाणा
विवेक–5	2000	अगेती	उत्तर प्रदेश
अरावली मक्का–1 (कम्पोजिट)	2001	पूरे मौसम के लिए	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
विवेक संकर–5	2001	अगेती	उत्तर प्रदेश
गुजरात मक्का–4 (कम्पोजिट)	2001	अगेती	गुजरात

1	2	3	4
एन ए सी–6004 (कम्पोजिट)	2001	पूरे मौसम के लिए	कर्नाटक
बेबी कार्न			
सी ओ – बी सी –1	1999	बेबी कार्न	तमिलनाडु
निजी क्षेत्र			
3058 (वाई–1402 के)	1997	पूरे मौसम के लिए (100–110 दिन)	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
प्रो–311 (4640)	1997	पूरे मौसम के लिए	बारानी स्थितियों में जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में
बायो–9681	1997	पूरे मौसम के लिए	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, राजस्थान गुजरात
एक्स–1382 (3054)	1997	पूरे मौसम के लिए	जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश (बजौरा, कांगड़ा, धौलाकुआं) और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में
प्रो–312 (4682)	1999	पूरे मौसम के लिए	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु
एम एम एच–69	1997	मध्यम (90–100 दिन)	आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र
के एच – 9451	1997	मध्यम	आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र
एम एम एच–133	1997	अगेती	जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली महाराष्ट्र
एक्स–1123 जी (3342)	1999	अगेती	पूरे देश में
एक्स–1174 डब्ल्यू वी (32 ए 09)	1999	अगेती	पूरे देश में
जे के एम एच – 175 (4)	2000	अगेती	खरीफ मौसम में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई

1	2	3	4
कोहिनूर	2000	अगेती	खरीफ मौसम में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई।
सीड टैक–2324	2001	पूरे मौसम के लिए	पूरे देश में पूरे मौसम के लिए

आई. आई. एस. सी. ओ. के अंतर्गत कोयला खानें

2095. श्री विकास चौधरी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (आई. आई. एस.सी.ओ.) तीन रक्षित खानों का रख–रखाव कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कोयला खानों के कर्मचारी राष्ट्रीय कोयला वेतन बोर्ड के अंतर्गत प्रशासित होते हैं या नहीं;

(ग) क्या चसुआला, जीतपुर और रामनगर कोयला खानों के कर्मचारियों के लिये छठे राष्ट्रीय कोयला वेतन बोर्ड की रिपोर्ट लागू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) इन कोयला खानों के कामगार राष्ट्रीय कोयला वेतन बोर्ड (एन सी डब्ल्यू) द्वारा प्रशासित होते हैं तथा वे इस समय एन सी डब्ल्यू करार–5 के लाभों को प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को) रूग्ण कंपनी है तथा जून 1994 से औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) के अधीन है। सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, बी आई एफ आर के अधीन कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन संशोधित करने की अनुमति नहीं है तथा इस्को की कोयला खानों में राष्ट्रीय कोयला वेतन करार–6 कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

कन्नूर और कुशीनगर में विमानपत्तन

2096. श्री कोडीकुनील सुरेश :

श्री जय प्रकाश :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार केरल से कन्नूर में विमानपत्तन और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना करने के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को शुरू करने में देरी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कन्नूर में प्रस्तावित विमानपत्तन हेतु भूमि अधिग्रहण के लिये केरल सरकार से संपर्क किया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) केरल राज्य सरकार ने केरल में कन्नूर नामक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव किया था। भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है। एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है जिसमें नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा केरल राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल है जिसका उद्देश्य आर्थिक साध्यता और पड़ोसी हवाई अड्डों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित एक और विस्तृत अध्ययन करना है। इस समय, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नाम का स्थान पर एक अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अपहृत एअर बस की बिक्री

2097. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की एयरबस 300 जिसको दिसम्बर, 1999 में अपहृत करके कंधार में ले जाया गया था, मुंबई में एक विमान केन्द्र में खड़ी है;

(ख) क्या इस विमान की बिक्री के लिए विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त बोलियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विमान की बिक्री में देरी के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) इंडियन एयरलाइंस की एयरबस ए–300 जिसका दिसम्बर 1999 में अपहृण करके कंधार ले जाया गया था, इस समय मुम्बई में हैंगर में खड़ी हैं।

(ख) जी, हां। पहली निविदा 27 मार्च, 2000 को जारी की गई थी। निविदा पुनः आमंत्रित की गई जिसको जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई 2000 थी।

(ग) मैसर्स एविएशन सिस्टिम, संयुक्त राज्य अमरीका की एकमात्र बोलीकर्ता था, जिसने 23,75,000.00 अमेरिका डालर का प्रस्ताव रखा।

(घ) इस विमान की बिक्री में देरी के कारण निम्नानुसार हैं:–

– यह विमान 5 फरवरी, 2000 को सी.बी.आई. द्वारा जब्त कर लिया गया था तथा एक हल्फनामा के आधार पर छोड़ा गया तथा सुरक्षित हिरासत में रखा गया तथा जब भी इसकी आवश्यकता हो जांच–पड़ताल के लिए प्रस्तुत किया जाए। हल्फनामें को 31 जनवरी, 2001 को पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया।

– 25 अप्रैल, 2001 को मैसर्स एविएशन सिस्टम, यू. एस.ए. ने विमान खरीदने से इन्कार कर दिया।

– 5 दिसम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि:

- विमान के कलपुर्जों का अन्य विमानों में उपयोग किया जाए।
- मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से इसके आवरण को बिक्री के लिए प्रस्तुत किए जाए।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण

2098. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण कितना भूमि क्षेत्र जल प्लवित हो जाता है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिये केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा वर्ष 1980 में अविभाजित बिहार में 4.26 मि. हेक्टे. क्षेत्र को बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में आंका गया था। बिहार सरकार ने योजना आयोग द्वारा दसवीं योजना के लिए गठित बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यदल को संशोधित रूप से राज्य में 6.88 मि. हेक्टे. क्षेत्र में बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में सूचित किया है। वर्ष 1953–2002 के दौरान राज्य में औसतन लगभग 1.35 मि. हेक्टे. क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है जो वर्ष 1971 में अधिकतम 4.26 मि. हेक्टे. था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से बिहार में बाढ़ नियंत्रण संबंधी कोई व्यापक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बिहार सरकार से गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में प्राप्त 10 स्कीमों में से दो स्कीमों को राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है क्योंकि उसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार स्वयं सक्षम है। अन्य स्कीमों के संबंध में राज्य सरकार को टिप्पणियां भेज दी गई हैं जिसमें से एक स्कीम को छोड़कर शेष के उत्तर की प्रतीक्षा है।

रोजगार के अवसर

2099. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दिये गये आश्वासन के अनुसार और नौकरियों के सृजन हेतु कोई विशिष्ट नीति/योजना बनाने पर विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान

केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, दसवीं योजना में प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन हेतु कार्यनीतियां एवं कार्यक्रम सुझाने के लिए डा. एस. पी. गुप्ता, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया। दसवीं योजना में यथालक्षित अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करते समय मई, 2002 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

मछुआरों के लिए विकास परियोजना

2100. श्री महबूब जाहेदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मछली पकड़ने वाली नौकाओं की सहायता से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से हमारे देश में मछुआरों की आजीविका संकट में पड़ गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 21 प्रजाति की मछलियों के पकड़ने पर प्रतिबंध के कारण मछुआरों की स्थिति और भी बदतर हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास समुद्र तटों विशेषकर जम्बू द्वीप में मछली पकड़ने और उन्हें सुखाने के लिए मछुआरों हेतु अस्थाई आवास इकाइयों का निर्माण कराने के संबंध में कोई विकास योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

मुंबई में कच्छ वनस्पति का विनाश

2101. श्री किरीट सोमैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में मुंबई में कुछ कच्छ वनस्पति स्थलों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो दौरे के उद्देश्य क्या है; तथा इस संबंध में किये गये आंकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुंबई में कच्छ वनस्पति के विनाश के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मुंबई में कच्छ वनस्पति की संरक्षा हेतु क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) प्राप्त हुई शिकायत के अनुसरण में सरकार ने मैसर्स ऊषा मधु डिवेलपमेंट को–आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. मुम्बई द्वारा कच्छ वनस्पति के विनाश की दी गई सूचना की सत्यता जानने के लिए मुंबई में मालाड क्रीक के पास गांव पहाड़ी गोरेगांव (पश्चिम) के सर्वे सं. 161 सी टी एस नं. 1 का स्थल दौरा करने के लिए एक दल भेजा था। दल के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला है कि उस स्थान पर कच्छ वनस्पति का विनाश हुआ है। परंतु दल ने बताया है कि विनाश का समय/अवधि जिस दौरान यह विनाश हुआ है, बताना कठिन होगा। इसलिए निष्कर्ष तभी निकालना संभव होगा जब 1991 से आज तक संदर्भाधीन मामले में स्थल संबंधित सेटेलाइट इमेजरीज के संदर्भ में मामले की जांच की जाए, इसके अतिरिक्त स्थल के लिए हाई टाइड लाइन के सीमांकन की सत्यता की भी जांच करने की आवश्यकता होगी।

(ङ) तटीय पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सी आर जैड) अधिसूचना, 1991 जारी की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कच्छ वनस्पति को नष्ट करने पर रोक है। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 तथा महाराष्ट्र राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना की मानीटरिंग और कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है सरकार ने कच्छ वनस्पति और प्रवालभित्ति के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक स्कीम शुरू की है। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति समिति की सिफारिशों के आधार पर महाराष्ट्र में नौ कच्छ वनस्पति क्षेत्र नामतः अचरा/रत्नागिरी, देवगढ़, विजय दुर्ग, वेल्दुर कुन्डलिका और रेवदन्दा, मुम्बरा–दिवा, वेतरना नदी, वसई–मनोरी क्रीक, श्रीवर्धन–वराल–तुरूम्बदी और कल्सुरी को गहन संरक्षण के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इनमें मुंबई का क्षेत्र शामिल है।

[हिन्दी]

श्रमिक कल्याण बोर्ड

2102. श्री रामदास रुपला गावीत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के अन्य राज्यों में ऐसे ही श्रमिक कल्याण बोर्डों का गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सरकार द्वारा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1996 अधिनियमित किया गया है। अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सभी राज्यों को अपने–अपने राज्यों मे कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत हाल ही में निर्माण कर्मकारों के लिए एक कल्याण बोर्ड अर्थात 'दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' गठित किया गया है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु सरकारों ने भी ऐसे बोर्ड पहले ही गठित कर लिये हैं। सरकार अधिनियम के शीघ्र अनुपालन के लिए सभी राज्य सरकारों से लगातार आग्रह कर रही हैं।

[अनुवाद]

लंबित फसल बीमा दावों का निपटान

2103. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/बैंकों के पास फसल बीमा के कुल लंबित दावों का वर्षवार ब्यौरा आंकड़े क्या हैं और इसमें कुल कितनी धनराशि अंतरग्रस्त है; और

(ख) सरकार द्वारा फसल बीमा के लंबित दावों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम. ए. आई. एस.) का कार्यान्वयन रबी 1999–2000 से किया गया। फसल मौसम – वार प्रदत्त एवं भुगतान योग्य (लंबित) दावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) स्कीम के अनुसार दावों का निपटान कार्यान्वयन एजेंन्सी अर्थात भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा किया जाएगा। सरकार दावों के शीघ्र निपटान के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम पर जोर दे रही है। भारतीय साधारण बीमा निगम ने निम्नलिखित कार्रवाई भी की है:–

(i) जोखिम के सही कवरेज, बीमा प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत करने एवं कार्यान्वयन एजेन्सी को घोषणा भेजते समय त्रुटियों से बचने के संबंध में दिशा–निर्देश।

(ii) अन्तिम उपज संबंधी आंकड़े कटाई के एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की एजेन्सियों को दिशा–निर्देश।

(iii) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की देयताओं की प्रतिपूर्ति हेतु यथा समय बजट प्रावधान करना।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना– विभिन्न मौसमों के दौरान दावों की स्थिति

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	रबी 1999–2000		खरीफ 2000		रबी 2000–01		खरीफ 2001		रबी 2001–02	
		प्रदत्त दावे	भुगतान योग्य दावे	प्रदत्त दावे	भुगतान योग्य दावे	प्रदत्त दावे	भुगतान योग्य दावे	प्रदत्त दावे	भुगतान योग्य दावे	प्रदत्त दावे	भुगतान योग्य दावे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	एन.पी.		2926.27	0.00	565.38	22.18	872298	41.34	116.04	0.00
2.	असम	0.00	0.50	0.00	0.75	0.00	0.17	0.00	1.60	0.00	12.11
3.	बिहार	एन.पी.		481.25	0.00	60.07	0.00	175.95	0.00	120.35	0.00
4.	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश का भाग		8004.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	गोआ	0.1	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	218.02	0.00	77040.19	0.00	273.14	0.00	1447.65	13407.07	0.00	46.16
7.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	झारखण्ड	एन.पी.		बिहार का भाग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	कर्नाटक	एन.पी.		213.02	0.00	113.92	0.00	11739.06	99.41	0.00	1634.82
10.	केरल	29.54	0.00	242.88	0.00	7.52	0.00	0.00	108.71	0.00	7.21
11.	मध्य प्रदेश	11.33	0	8195.15	12.65	1577.12	0.00	3324.33	0.00	0.00	1904.38
12.	महाराष्ट्र	508.32	0.00	14082.94	0.00	2669.26	23.45	0.00	7188.28	0.00	212.39
13.	मेघालय	एन.पी.		0.14	0.00	4.07	0.00	0.03	0.00	6.56	0.00
14.	उड़ीसा	0.17	0	10561.63	0.00	153.56	0.00	73.43	152.46	0.00	108.19
15.	सिक्किम	एन.पी.		एन.पी.		एन.पी.		एन.पी.		0.00	0.00
16.	तमिलनाडु	एन.पी.		0.66	0.00	50.29	0.00	81.03	0.00	1546.36	35.20
17.	उत्तर प्रदेश	एन.पी.		528.06	0.00	257.63	0.00	314.72	0.00	0.00	0.00
18.	पश्चिमी बंगाल	एन.पी.		एन.पी.		73.50	0.00	1.35	0.00	0.00	333.33
19.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	एन.पी.		0.36	0	एन.पी.		0.25	0.00	0.00	341.33
20.	पाण्डिचेरी	1.27	0.00	0.00	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
	कुल	768.76	0.50	122277.47	13.40	5904.12	45.80	25882.83	20998.87	1791.11	4648.43

लम्बित रहने के कारण :

1. दावे/प्रीमियम सब्सिडी का राज्य सरकार का अंश प्राप्त नहीं हुआ।
2. गुजरात–खरीफ 2001 दावे (13407.07 लाख रुपये) की मंजूरी प्रतीक्षित है।
3. कर्नाटक – रबी 2001–02 के दावे (1634.82 लाख रुपये) विचाराधीन/जांच की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफ्रीकी हाथी दांत की बिक्री

2104. श्री अम्बरीश : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में चिली के संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीवजंतुओं की प्रजातियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के सम्मेलन में कुछ अफ्रीकी देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाथी दांत की भारी मात्रा में बिक्री की अनुमति देने का निर्णय किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का संकटग्रस्त भारतीय जीवजन्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) 3 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2002 को सेन्टिआगो (चिली) में हुए संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि (सी आई टी ई एस) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के सम्मेलन की 12वीं बैठक में, बोट्स्वाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका को हाथी दांत की कुछ मात्रा को विक्रय करने की अनुमति

प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन यह अनुमति, केवल सरकारी अभिरक्षा में रखे हुए सांविधिक रूप से हाथी दांत के प्राप्त स्टाक की एक ही बार की बिक्री के लिए है। इसके अतिरिक्त आयात व निर्यात करने वाले देशों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद ही बिक्री होगी और किसी भी दशा में मई 2004 से पहले नहीं की जा सकेगी। इस तरह, हाथी अथवा भारत के कोई अन्य संकटापन्न जीव जन्तु पर प्रस्तावित बिक्री के प्रमुख प्रभाव की कोई आशंका नहीं है।

लुप्त प्राय गिबन्स

2105. श्री ए. ब्रह्मनैया :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध शिकार के कारण देश में हूलॉक गिबन्स लुप्त प्राय होने के संकट का सामना कर रहे हैं जैसा कि 13 नवम्बर, 2002 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हूलॉक गिबन्स को लुप्त होने से बचाने हेतु क्या ठोस कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय राशि

2106. श्री सुरेश चन्देल : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग में 6 सितम्बर, 1999 से 1 अक्तूबर, 2001 के बीच कोई केयर टेकर था;

(ख) यदि हां, तो सी. एफ. सी. कार्यक्रम, सर्वोदय ब्रांड, बायोमैनोर प्रशिक्षण, विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और अन्य योजनाओं पर कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, जारी की गई और व्यय की गई;

(ग) महामना मालवीय मिशन, क्षेत्रीय रूप से उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकी, विष्णुपुर, गुमला और रांची के खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिए स्वीकृत परियोजनाएं और कार्यक्रम कौन से हैं;

(घ) क्या स्वीकृत, जारी और व्यय धनराशि सरकार के निर्देशानुसार थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम की धारा 6ए(बी) के अंतर्गत कार्रवाई करने वाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) जी, नहीं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के. वी.आई.सी.) अधिनियम के पैरा 13 (1) के उपबंधों के अनुसार आयोग का कार्यकाल 4 सितम्बर, 1999 को समाप्त होने के उपरांत, डा. महेश शर्मा 1 अक्तूबर, 2001 तक निर्देशक पद पर कार्यरत थे और इस तारीख को सरकार ने उनके अध्यक्ष, के.वी.आई.सी. के रूप में पुनः नामांकन किए जाने के संबंध में नई अधिसूचना जारी करनी पड़ी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) उचित ग्रामीण प्रौद्योगिकी (आर. सी. ए. आर. टी.) के लिए क्षेत्रीय केन्द्र, विष्णुपुर जो कि महामना मालवीय मिशन की एक यूनिट है, का प्रोग्रेटिंग बायोमैनोर प्रोग्राम के लिए जोनल पायलट सेन्टर के रूप में पता लगाया गया है। इस अभिकरण को वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रदर्शन, डिस्पले तथा बायोमैनोर कार्यक्रम की प्रदर्शनी जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए रु. 1,70,800/– की धनराशि प्रदान की गई है। इस सेन्टर को 5 जागरूकता कार्यक्रम तथा 2 उद्यमिता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 57,400/– की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई है।

(घ) और (ङ) फण्ड्स को के. वी. आई. सी. अधिनियम में निर्धारित के. वी. आई. सी. नियमों की व्यवस्था के अनुसार रिलीज किया गया है। फंड का स्त्रोत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता था।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

एन.डी.डी.बी. द्वारा मदर डेयरी के फलों और सब्जियों संबंधी परियोजना

2107. श्री साईदुज्जमा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मदर डेयरी की उन फलों और सब्जियों की दुकानों के कार्यकरण की जांच के लिए समिति गठित करने का है जिनकी उपयोगिता कुप्रबंधन के कारण समाप्त हो

गई है और अपनी निवेश नीति के अंग के रूप में इनका निजीकरण और दूध के कारोबार सहित मदर डेयरी/एन.डी.डी.बी. के अन्य कार्यकलापों की जांच करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं

2108. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है;

(ख) क्या कर्नाटक में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत किसी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अंतर्गत 150 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत कर्नाटक की क्रियान्वित की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रुपये में)			
		1999–2000	2000–01	2001–02	कुल
1.	यू. के. पी. चरण–I (iv)	100.000	100.000	200.000	400.000
2.	मलप्रभा (iii)	13.500	–	10.000	23.500
3.	हिरेहल्ला (vi)	8.000	8.000	10.000	26.000
4	घटप्रभा (v)	20.000	45.000	5.000	70.000
5.	करंजा (v)	15.640	18.000	10.000	43.640
6.	यू. के. पी. चरण–II (ix)	–	–	250.000	250.000
7.	गंडोरीनाला (viii)	–	–	7.5000	7.5000
	कुल	157.140	171.000	492.500	820.640

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा

2109. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन को सुरक्षा हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कब तक सौंप दिया जाएगा;

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत किन अन्य विमानपत्तनों को लाया जायेगा; और

(ग) इस समस्त प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपे जाने की कोई तारीख अभी तक नियत नहीं की गई है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को चरणबद्ध ढंग से हवाई अड्डों पर तैनात किया जा रहा है। शेष बचे 22 प्रचालनरत हवाई अड्डों को अभी कवर किया जाना है जिसमें जामनगर, पोरबंदर, भावनगर, इंदौर, दीमापुर, तिरूपति, सिल्चर, इम्फाल, जबलपुर, श्रीनगर, देहरादून, कांगडा, लेह, केशोद, डांडला, दिल्ली, जम्मू, अगाती, लिंगपुई, दीऊ, जैसलमेर, पुट्टापरती शामिल हैं।

गया में भारतीय पर्यटन विकास निगम के अतिथिगृह/विश्रामगृह

2110. श्री रामजी मांझी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गया में बौद्ध पर्यटकों के लिए

भारतीय पर्यटन विकास निगम के अतिथिगृह/विश्रामगृह बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय पर्यटन विकास निगम का गया में कोई अतिथि गृह/विश्राम गृह बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रिक्तियों का भरा जाना

2111. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तिथि के अनुसार उनके मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियां भर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं, धान की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता

2112. श्री भान सिंह भौरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान गेहूं, धान की प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादकता राज्यवार कितनी है;

(ख) गत वर्ष इन फसलों की प्रति हैक्टेयर लागत राज्यवार कितनी रही;

(ग) चालू वर्ष के लिए इन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है;

(घ) क्या इस वर्ष घोषित न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य, पंजाब के मामले में वास्तविक रूप से हुए व्यय से कम है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998–99, 1999–2000 एवं 2000–01, जिनके संबंध में गेहूं तथा धान की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता के राज्यवार अनुमान उपलब्ध हैं, का ब्यौरा विवरण–। में दिया गया है।

(ख) से (ङ) वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान गेहूं की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत एवं वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान धान की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत का राज्यवार ब्यौरा विवरण–।। में दिया गया है। धान के मामले में वर्ष 2002–03 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य किस्म के लिए 530 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड–ए किस्म के लिए 560 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 20 रुपये प्रति क्विंटल विशेष सूखा राहत मूल्य भी अनुमत्य है। वर्ष 2002–03 के दौरान बेचे जाने वाले फसल वर्ष 2001–02 के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 620 रुपये प्रति क्विंटल है।

विवरण-।

वर्ष 1998–99 से 2000–01 के दौरान चावल तथा गेहूं की उत्पादकता

(किलोग्राम/हैक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य	चावल			गेहूं		
		1998–99	1999–2000	2000–01	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2752	2650	2842	500	667	585
2.	असम	1345	1459	1495	1010	1289	1219

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	1331	1450	1475	2076	2186	2134
4.	झारखण्ड #			1111			1626
5.	गुजरात	1633	1482	1553	2427	2116	2268
6.	हरियाणा	2239	2385	2559	3916	4165	4109
7.	हिमाचल प्रदेश	1435	1501	1533	1700	1574	1554
8.	जम्मू–कश्मीर	2179	1561	1700	1519	1768	524
9.	कर्नाटक	2563	2564	2520	816	833	917
10.	केरल	2061	2204	2162	नगण्य	नगण्य	नगण्य
11.	मध्य प्रदेश	924	1191	574	1788	1863	1446
12.	छत्तीसगढ़#			900			994
13.	महाराष्ट्र	1664	1684	1285	1289	1369	1256
14.	उड़ीसा	1212	1127	1041	1189	1305	1466
15.	पंजाब	3152	3347	3506	4332	4696	4563
16.	राजस्थान	1222	1262	936	2487	2540	2405
17.	तमिलनाडु	3579	3481	3415	नगण्य	नगण्य	नगण्य
18.	उत्तर प्रदेश	1936	2176	1976	2518	2764	2720
19.	उत्तरांचल			1988			1885
20.	पश्चिम बंगाल	2255	2237	2287	2117	2336	2485
21.	अन्य	1758	1848	1853	1450	1673	631
	अखिल भारत	1921	1986	1913	2590	2778	2743

नए बने राज्यों के लिए अलग अनुमान 2000–01 से ही उपलब्ध है।

विवरण-।।

फसल	राज्य	उत्पादन लागत (रुपये/क्विंटल)	
		2000–01	2001–02
1	2	3	4
गेहूं	बिहार	503	531
	हरियाणा	418	441
	मध्य प्रदेश	536	568
	पंजाब	423	454
	राजस्थान	454	509
	उत्तर प्रदेश	427	453

1	2	3	4
धान	आन्ध्र प्रदेश	491	534
	असम	487	512
	हरियाणा	554	585
	मध्य प्रदेश	506	518
	पंजाब	421	440
	तमिलनाडु	505	573
	उत्तर प्रदेश	406	423
	पश्चिम बंगाल	500	546

नोट : ये आकडे गेहूं तथा धान दोनों की सी–2 लागत से संबंधित हैं। सी–2 लागत में किसान द्वारा उत्पादन के लिए नकद तथा वस्तु रूप में किए गए समस्त वास्तविक व्यय, अपने स्वामित्व की पूंजीगत परिसम्पतियों (भूमि को छोड़कर) के मूल्य पर ब्याज, अपने स्वामित्व की भूमि (भूमि राजस्व का निवल) का किराएदारी मूल्य तथा हस्तगत पट्टे के लिए दिया गया किराया एवं पारिवारिक मजदूरी की परिगणित लागत शामिल है।

राज्य कृषि उद्योग निगम को सहायता

2113. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रहे विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों को इस संकट से उबारने के लिए कोई वित्तीय पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के पक्ष में इन नियमों की इक्विटी में अपना हिस्सा क्रमिक रूप से कम करती रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन निगमों को और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य कृषि उद्योग निगमों (एस. ए. आई. सी. के सहायतार्थ कोई वित्तीय पैकेज तैयार नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य कृषि उद्योग निगमों को चलाने में राज्य सरकारों को अधिक महत्व देने तथा राज्य कृषि उद्योग निगमों के मामलों पर उनके अधिक नियंत्रण को प्रयोग में लाने के लिए, भारत सरकार ने राज्य कृषि उद्योग निगमों (एस. ए. आई. सी.) में रखे गए केन्द्रीय सरकार के शेयरों के विनिवेश के लिए 27.9.1995 को राज्य सरकारों को दिशा–निर्देश जारी किए थे। ये दिशा–निर्देश वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के परामर्श से जारी किए गए थे तथा इनमें निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

(i) यदि राज्य कृषि उद्योग निगम का निवल मूल्य धनात्मक है, तो भारत सरकार नवीनतम उपलब्ध लेखा परीक्षित तुलन पत्र के आधार पर शेयरों के अंकित मूल्य से 25 प्रतिशत कम मूल्य पर राज्य सरकारों को शेयर देने के संबंध में विचार करने की इच्छुक होगी।

(ii) यदि राज्य कृषि उद्योग निगम का निवल मूल्य ऋणात्मक है, तो भारत सरकार शेयरों के मूल्य के लिए 1000 रुपये की नाम मात्र की क्षतिपूर्ति के वास्ते अपने पण को देने की इच्छुक होगी।

भारत सरकार ने अब तक गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के पक्ष में पांच राज्य कृषि उद्योग निगमों में अपने शेयर का विनिवेश किया है।

(ङ) उनको प्रतिस्पर्धी बनाने के उपाय करना संबंधित राज्य सरकारों तथा कृषि उद्योग निगमों का कार्य है।

कृषि संबंधी फिक्की कृतक बल

2114. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी फिक्की कृतक बल ने भारतीय कृषि को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम को रद्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक सिफारिश पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त संयंत्र समिति को बंद किया जाना

2115. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने दो वर्ष पूर्व संयुक्त संयंत्र समिति को बंद किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों एवं इस्पात उद्योग के पूर्ण विनियंत्रीकरण के बाद भी संयुक्त संयंत्र समिति को बंद न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर इस्पात मंत्रालय को पता चला है कि नियंत्रण समाप्त करने के बाद भी आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण और मंत्रालय को अन्य प्रकार की सहायता देने की दृष्टि से संयुक्त संयंत्र समिति के मुख्य कार्य अब भी बने हुए हैं और उसका कोई विकल्प नहीं है। इन मुख्य कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए संगठन का आकार समुचित रूप से कम करने और पुनर्गठित करने की योजना है।

वर्षा जल का भंडारण

2116. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगातार हो रही भू–जल स्तर में कमी को रोकने हेतु वर्षा जल भंडारण को अनिवार्य बनाने वाले राज्य कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार घरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने की लागत को वहन करने हेतु वित्तीय ऋण/अग्रिम/सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण संबद्ध राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वह वर्षा जल भंडारण को अनिवार्य बनाने के लिए कार्रवाई करें। जल संसाधन मंत्रालय में उपबंध सूचना के अनुसार, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 100 वर्ग मीटर और इससे अधिक के प्लाटों पर सभी नए भवनों के लिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिनाडु के चेन्नई महानगर क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के नए भवनों के लिए और हरियाणा सरकार द्वारा फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक माप वाले मकानों के लिए वर्षा जल सहित बेकार बहने वाले जल के भंडारण के द्वारा वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू की है। अब तक, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) जल संचयन तकनीकों के बारे में सामान्य रूप से लोगों तथा सरकारी और गैर–सरकारी अभिकरणों को निशुल्क तकनीकी जानकारी मुहैया करा रहा है। इस प्रयोजन के लिए न तो कोई अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं और न ही विचाराधीन हैं।

सर्कसों में जानवरों का पुनर्वास

2117. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि छोटे नगरों एवं गांवों में छोटी सर्कस कंपनियां अभी भी वन्य जीवों को अपने कार्यक्रमों में प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आए ऐसे मामलों को ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) सर्कसों द्वारा वन्य जीवों की पांच प्रजातियों के करतब दिखाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए प्रतिबन्ध के अनुसरण में भारत सरकार ने राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों से यह अनुरोध किया है कि वे इन पांच प्रजातियों के संबंध में सर्कसों को जारी किए गए स्वामित्व प्रमाण पत्र रद्द कर दें। 22 सर्कसों से इन प्रजातियों के 234 जानवर अब तक जब्त किए गए हैं और भारत सरकार द्वारा स्थापित 5 बचाव केन्द्रों में उनका पुनर्वास किया गया। इस बचाव केन्द्रों में पुनर्वासित जानवरों के भरण–पोषण और स्वास्थ्य परिचर्या के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को 248 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

फूड पार्कों की स्थापना

2118. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने अगले छह माह में कोई ठोस प्रगति न होने पर राज्यों को फूड पार्क स्थापित करने एवं उनके संचालन हेतु आबंटित धन को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार फूड पार्क योजना को दसवी योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है और इस प्रयोजन से 250 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक योजना को कार्यान्वित न करने वाले राज्य कौन से हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन. टी. वणमुगम) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य पार्क स्कीम के कार्यान्वयन पर निगरानी रख रहा है। दो कार्यान्वयन एजेन्सियों को आबंटित निधियां वापिस लेने का निर्णय लिया गया है। एक के द्वारा बराबर का अंशदान न कर पाने और भू–स्तर पर कोई विकास न होने के कारण और दूसरे के द्वारा खाद्य पार्क की स्थापना हेतु अनुमोदित स्थान की जगह किसी अन्य स्थान की सिफारिश करने के कारण।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के लिए दसवीं योजना हेतु आबंटित 650 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 250 करोड़ रुपये की राशि बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी स्कीम के लिए प्रस्तावित की गई है। 'खाद्य पार्कों की स्थापना' इस स्कीम का एक भाग है।

(घ) स्कीम में राज्यों को प्रत्यक्ष सहायता देने का प्रावधान नहीं है।

विदेशों में रोड शो का आयोजन

2119. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को आश्वस्त करने हेतु कि भारत एक सुरक्षित गंतव्य है, यूनाइटेड किंग्डम, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप एवं अमेरिका में रोड शो आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन शो को कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रस्तावित अन्य कदम क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) वर्तमान में, रोड शो आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पर्यटन सर्जक बाजारों में भारत के पर्यटन उत्पादों का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है एवं बाजार रणनीति में, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देना, मेलों एवं प्रदर्शनियों में सहभागिता, ब्रोशरों, सीडी रोम्स के माध्यम से सूचना का प्रचार–प्रसार, आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया हस्तियों को आमंत्रित करना; वेब मार्केटिंग, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना, इत्यादि शामिल हैं।

विनष्ट बांस के वनों का पुनःस्थापन

2120. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में विनष्ट बांस के वनों को पुनः स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान और उसके बाद इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में मध्य प्रदेश सहित विनष्ट बांस के पुनः स्थापन के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, बांस का रोपण एक सतत् घटक के रूप में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की पुनःरचित योजना के तहत रहा है जिसे वन विकास अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं।

(घ) राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई केवल बांस के रोपण के लिए गैर इमारती वन उत्पाद स्कीम के अंतर्गत जिसे अन्य वनीकरण स्कीमों के साथ 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम में मिला दिया गया है, कुल 22 परियोजनाओं को 9वीं योजना के अंतिम तीन वर्षों में 21.06 करोड़ रुपए के परिव्यय से 30579 हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लिए स्वीकृति दी गई है। पिछले तीन वर्षों (1999–2000 से 2001–02) तक के दौरान निधियों का आबंटन और रिलीजें दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गैर इमारती वन उत्पाद स्कीम के तहत बांस रोपण परियोजना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान (1999–2000 से 2001–02 तक) राज्यवार वित्तीय ब्यौरे का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटन	(रिलीज़)
1.	आंध्र प्रदेश	258.40	210.00
2.	असम	72.90	50.00
3.	बिहार	102.63	30.00
4.	छत्तीसगढ़	143.23	110.52
5.	गोवा	16.84	11.83
6.	गुजरात	119.70	95.00
7.	हरियाणा	34.85	34.85
8.	हिमाचल प्रदेश	17.85	17.85
9.	जम्मू–कश्मीर	120.25	45.00
10.	केरल	100.50	70.00
11.	मध्य प्रदेश	163.50	99.48
12.	महाराष्ट्र	49.42	44.00
13.	मणिपुर	104.30	73.37
14.	मेघालय	24.75	15.00
15.	मिजोरम	101.64	101.64
16.	नागालैंड	148.20	70.00
17.	उड़ीसा	1704.40	84.02
18.	राजस्थान	82.50	79.50
19.	सिक्किम	95.92	95.92
20.	त्रिपुरा	47.80	22.32
21.	उत्तर प्रदेश	90.50	37.87
22.	पश्चिमी बंगाल	39.60	35.00
	कुल	2105.68	1433.17

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विमान सेवा संपर्क

2121. योगी आदित्यनाथ : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पर्यटन एवं व्यापार की संभावनाओं के दोहन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों को विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी तथा आगरा पहले से ही इंडियन एयरलाइन्स/निजी अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा जुड़े हैं। अन्य बड़े शहरों में हवाई सेवाएं शुरू करने के संबंध में एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय से किसी भी स्टेशन पर प्रचालन कर सकती हैं बशर्ते उसमें सरकार द्वारा जारी रूट डिस्पर्सल दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया हो।

[अनुवाद]

पशु कल्याण से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

2122. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एस पी सी ए चेन्नई सहित पशु कल्याण से जुड़े कुछ गैर–सरकारी संगठनों को धन जारी करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पशु कल्याण से जुड़े प्रत्येक गैर–सरकारी संगठन का अब तक कितना धन जारी किया गया है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उपरोक्त कुछ गैर–सरकारी संगठन निजी कार्यकलाप में संलिप्त हैं और काली सूची में शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) ऐसे गैर–सरकारी संगठनों को धनराशि जारी की जाती है जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

जीव–जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण समिति (एस पी सी ए) चैन्नई को 1000 कुत्तों के बन्ध्यीकरण के लिए 14.6.2001 को 3,40,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। 1,70,000 रुपये की पहली किस्त 26.6.2001 को जारी की गई थी भारतीय जीव – जन्तु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के अनुशंसात्मक निरीक्षण के आधार पर 1,70,000 रुपये की दूसरी किस्त मंजूर की गई थी।

(ग) संगठनों के नाम पर जारी धनराशि को दर्शाने वाला योजनावार विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) एस पी सी ए, चैन्नई की वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल होने की सूचना मिली जिसके कारण इसका नाम काली सूची में डाल दिया गया। तथापि, हाल ही में जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड ने इसका नाम काली सूची से हटाने और वित्तीय सहायता की बहाली के लिए सिफारिश की है।

कुत्ताघरों, आपरेशन थियेटरों, पशुचिकित्सा सुविधाओं, अन्य कर्मचारियों और सुविधाओं तथा एक बड़ी वैन की दृष्टि से विकसित अवसंरचना की उपलब्धता को देखते हुए जीव–जन्तु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमित पैमाने पर सहायता देना उपयुक्त समझा गया।

यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है कि क्या सूचित किया गया कार्यकलाप जीव–जन्तु कल्याण के प्राथमिक उद्देश्य को बिना हानि पहुंचाए आय एवं व्यय के बीच के घाटे को पूरा करने के लिए है या नहीं।

एक अन्य जीव–जन्तु कल्याण संगठन नामतः क्रूसेडर्स फॉर द राइट्स ऑफ एलीमल्स (सी आर ए), बंगलौर का नाम भी काली सूची में डालने का आदेश दिया गया। उसके बाद से उक्त गैर–सरकारी संगठन को कोई सहायता नहीं दी गई है।

विवरण

आश्रय योजना के लिए 1 अप्रैल 2002 से स्वीकृत/जारी निधियां

क्र. सं.	संगठन का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	श्री भगवान महावीर जैन गौशाला ट्रस्ट, राजस्थान	5,13,000.00
2.	सर्किल ऑफ एनीमल लवर, नई दिल्ली	1,65,500.00
3.	वड़ोदरा एस पी सी ए, गुजरात	403,711.00
4.	पी एफ ए, उड़ीसा	8,77,500..00
5.	अनाथ गौ आश्रम भटिंडा, पंजाब	2,72,250.00
6.	पी एफ ए सिरोही, राजस्थान	9,55,159,00
7.	पी एफ ए, रोहतक, हरियाणा	11,25,000.00
8.	श्री गोपाल गौशाला पटराम, पटियाला, पंजाब	8,55,950.00
9.	विवेकानन्द आदर्श सेवाश्रम, मिदनापुर पश्चिम बंगाल	9,55,094.00
10.	श्री राम गौशाला ट्रस्ट, जोधपुर, राजस्थान	6,54,210.00
11.	बोम्बे एस पी सी ए, पारेल, मुम्बई	2,98,350.00
12.	श्री अंजार पंजारापोली अंजार, कच्छ गुजरात	4,13,240.00
13.	श्री कपिल कृष्ण गौशाला, राजस्थान	6,44,440.00
14.	दुश्कल गौ सेवा समिति, सुमेरपुरा, राजस्थान	7,20,000.00
15.	पी एफ ए आगरा	11,16,000.00
16.	श्री ग्रामोद्योग संस्थान, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	9,57,565.00
17.	देयोदया पशु संस्थान केन्द्रा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश	7,20,000.00
18.	अशुराली विवेकानन्द स्मृति संघ, पश्चिम बंगाल	9,23,649.00
19.	अखिल भारतीय महर्षि दयानन्द गौशाला, रोहतक	7,25.125.00
20.	दयोदया पशु सेवा समिति, मध्य प्रदेश	10,68,750.00
21.	चंडीगढ़ एनीमल वेलफेयर एंड ईको डवलपमेंट सोसाईटी, चंडीगढ़	9,15,750.00
	कुल	1,52,80,203.00

क ख ग योजना के लिए 1 अप्रैल 2002 से स्वीकृत/जारी निधियां

क्र. सं.	संगठन का नाम	स्वीकृत राशि
1.	पी एफ ए, जालंधर	36,000.00
2.	एस पी सी ए, चंडीगढ़	57,000.00
3.	डी आई वाई ए, बैंगलौर	6,80,000.00
4.	पी एफ ए, गोवा	10,20,000.00
5.	फ्रैन्डिकोस एस ई सी ए, नई दिल्ली	5,10,000.00
6.	केनाइन वेलफेयर सोसाईटी, राजस्थान	59,500.00
7.	एनीमल केयर लैंड, आंध्र प्रदेश	85,000.00
8.	एस पी सी ए, बड़ोदरा, गुजरात	1,70,000.00
9.	लव एन केयर फोर एनीमलस, कलकत्ता	1,70,000.00
10.	सर्किल आफ एनीमल लवर्स, साकेत, नई दिल्ली	2,00,000.00
11.	डा. पेटस क्रेच एनीमल वेलफेयर, लखनऊ	17,000.00
12.	ब्लू क्रौस सोसाईटी आफ पुणे	4,25.000.00
13.	संजय गांधी केयर सेंटर, नई दिल्ली	4,08,000.00
14.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	3,40,000.00
15.	पी एफ ए, कोलकाता	2,00,000.00
16.	लव एन केयर एनीमल्स, कलकत्ता	1,70,000.00
17.	पी एफ ए, राऊरकेला	95,000.00
18.	एस पी सी ए, विपेरी हाई रोड, चेन्नई	1,70,000.00
	कुल	48,12,500.00

एम्बूलैंस योजना के लिए 1 अप्रैल 2002 से स्वीकृत/जारी निधियां

क्र. सं.	संगठन का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	श्री दयालु गऊ जीव जन परमार्थ सेवा संस्थान खेराप्रा, राजस्थान	4,13,000.00
2.	अरली बर्ड, गुवाहाटी, असम	2,65,915.00
3.	विवेकानन्द आदर्श सेवाश्रम, पश्चिम बंगाल	4,40,000.00
4.	पी एफ ए, इम्फाल, पश्चिम मणिपुर	3,15,345.00
5.	श्री कृष्णा गौसेवा संस्थान, राजस्थान	3,43,511.00
	कुल	17,77,771.00

संरक्षित स्मारकों के आस - पास निर्माण

2123. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में संरक्षित स्मारकों के आस–पास किए जा रहे निर्माण की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार अवैध कब्जाधारियों को अनधिकृत निर्माणों को हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं तथा संबंधित जिला कलेक्टर से इन्हें गिरा देने के लिए कहा गया है।

निवारक उपायों के रूप में, संरक्षित स्मारकों के इर्द–गिर्द पुरातत्वीय क्षेत्र की चार दीवारी की जा रही है।

हवाई अड्डों की सुरक्षा में कनाडा से सहायता

2124. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कनाडा सरकार से सहायता मांगी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में अन्य बातों के साथ–साथ हवाई अड्डों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) निगरानी और चारदीवारी की पैट्रोलिंग;

(ii) पहुंच नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक कड़ा करना और विमान पर चढ़ने से पूर्व पुख्ता सुरक्षा जांच;

(iii) के. औ. सु. बल., क्विक रिएक्शन टीम (क्यूआरटी) और स्काई मार्शलों की तैनाती;

(iv) बैगेज की स्क्रिनिंग।

इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हेतु पुनरोद्धार पैकेज

2125. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के पुनरोद्धार की अद्यतन स्थिति क्या है जैसाकि सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के जन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया था;

(ख) इस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसको कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के निर्देशानुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) ने सरकार के अनुमोदन के आधार पर इस्को के लिए एक पुनर्वास प्रस्ताव प्रचालन एजेंसी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) को प्रस्तुत किया है। इस समय यह योजना आई डी बी आई के विचाराधीन है।

(ख) सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को) के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज मंजूर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कुल्टी कारखाने, जिसे बंद किया जाना है, में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) के निधियन के लिए अनुदान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, बर्नपुर कारखाने में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, खानों और कोयला खदानों के साथ – साथ इन इकाइयों में पूंजीगत व्यय के निधियन के लिए धन जुटाने हेतु सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। तथापि, यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछला बकाया माफ करने और आगामी पांच वर्षों के लिए बिक्री कर (बिना किसी मौद्रिक अधिकतम सीमा के), विद्युत शुल्क, रॉयल्टी और उपकर तथा नगर पालिका कर से छूट देने के संबंध में अपनी मंजूरी देने की शर्त पर है।

आंध्र प्रदेश में लंबित सिंचाई परियोजनाएं

2126. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देन में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) गोदावरी नदी पर बनी ''दयाधुला'' उद्वह सिंचाई योजना को कब तक मंजूरी दी जाएगी; और

(ग) योजना को मंजूरी देने में तेजी लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) लंबित सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न करने के कारण हैं।

(ख) दयाधुला लिफ्ट सिंचाई स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्परता से अनुपालना पर निर्भर करती है।

भविष्य निधि पर ब्याज दर

2127. श्री अधीर चौधरी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कर अधिवक्ता मंच ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2002–2003 हेतु भविष्य निधि पर 10.5% की ब्याज दर बनाये रखने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा वर्ष 2002–2003 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं हेतु 9.5% की ब्याज दर बनाए रखने की सिफारिश की गई है।

शीत गृहों की कमी

2128. श्री ए. नरेन्द्र :

श्रीमती हेमा गमांग :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा एवं उन क्षेत्रों में, जहां अनन्नास, नारंगी, तरबूज इत्यादि का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, कार्यरत शीतगृहों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में, विशेषकर इन राज्यों में शीतगृहों की भारी कमी है;

(ग) वर्ष 2001–2002 एवं 2002–2003 के दौरान आज तक देश में विशेषकर इन राज्यों में स्थापित शीतगृहों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर इन राज्यों में नए शीतगृह स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार देश में शीतागारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण–। संलग्न है।

(ख) शीतागारों एवं भंडारों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने, फरवरी, 1999 में कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों के दौरान 12 लाख मीटरी टन की क्षमता के सृजन/विस्तार तथा साथ ही बंद पड़े 8 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले शीतागारों का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण हेतु चिन्हित किया था। समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड "बागवानी उत्पादों हेतु शीतागारों तथा भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम" नामक एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत तब से 604 शीतागारों की परियोजनाओं की संस्वीकृति सहित 27.37 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया गया है।

(ग) वर्ष 2001–02 तथा वर्ष 2002–03 (31.10.2002 तक) के दौरान देश में स्थापित शीतागारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण–।। संलग्न है।

(घ) से (च) शीतागार क्षमता के निर्माण में सहायता करने वाली उपर्युक्त राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीम परियोजना आधारित है। देश के किसी भी भाग के उद्यमी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।

विवरण-।

31.12.2001 की स्थिति के अनुसार देश में शीताकारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शीतागारों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	200
3.	अरूणाचल प्रदेश	00
4.	असम	13
5.	बिहार	203
6.	चण्डीगढ़	05
7.	दिल्ली	92
8.	गुजरात	327
9.	गोआ	23
10.	हरियाणा	201
11.	हिमाचल प्रदेश	17
12.	जम्मू–कश्मीर	18
13.	झारखण्ड	20
14.	केरल	163
15.	कर्नाटक	102
16.	लक्षद्वीप	01
17.	महाराष्ट्र	385
18.	मध्य प्रदेश	186
19.	मणिपुर	00
20.	मेघालय	00
21.	मिजोरम	00
22.	नागालैण्ड	01

1	2	3
23.	उड़ीसा	75
24.	पाण्डिचेरी	05
25.	पंजाब	390
26.	राजस्थान	87
27.	सिक्किम	00
28.	तमिलनाडु	111
29.	त्रिपुरा	04
30.	उत्तर प्रदेश	1129
31.	पश्चिमी बंगाल	386
	कुल	4146

विवरण-।।

वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 (31.10.2002 तक) के दौरान देश में स्थापित शीतागारों की क्षमता सहित संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001–02 के दौरान संस्वीकृत शीतागार परियोजनाओं की संख्या	2002–03 के दौरान संस्वीकृत शीतागार परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	पंजाब	9 (31054 मी. टन)	1 (5169 मी. टन)
2.	हरियाणा	17 (63548 मी. टन)	1 (3359 मी. टन)
3.	तमिलनाडु	5 (12137 मी. टन)	2 (9947 मी. टन)
4.	हिमाचल प्रदेश	2 (2392 मी. टन)	1 (6000 मी. टन)
5.	उत्तर प्रदेश	82 (442096 मी. टन)	14 (99144 मी. टन)
6.	उत्तरांचल	1 (4067 मी. टन)	1 (4011 मी. टन)
7.	महाराष्ट्र	14 (36774 मी. टन)	15 (34341 मी. टन)
8.	राजस्थान	5 (14144 मी. टन)	6 (16239 मी. टन)
9.	कर्नाटक	7 (36309 मी. टन)	3 (3125 मी. टन)
10.	गुजरात	15 (41173 मी. टन)	16 (47216 मी. टन)
11.	उड़ीसा	1(3604 मी. टन)	4 (21176 मी. टन)
12.	मध्य प्रदेश	3 (15723 मी. टन)	8 (17472 मी. टन)
13.	छत्तीसगढ़	12 (74480 मी. टन)	4 (30300 मी. टन)
14.	पश्चिमी बंगाल	21 (48140 मी. टन)	6 (28915 मी. टन)
15.	आन्ध्र प्रदेश	9 (34680 मी. टन)	4 (15200 मी. टन)

1	2	3	4
16.	असम	6 (28400 मी. टन)	3 (14500 मी. टन)
17.	बिहार	20 (86723 मी. टन)	3 (13359 मी. टन)
18.	झारखण्ड	1 (5000 मी. टन)	2 (9318 मी. टन)
19.	दिल्ली	4 (12260 मी. टन)	----
20.	केरल	2 (500 मी. टन)	----
21.	त्रिपुरा	----	1 (5000 मी. टन)

[हिन्दी]

रेशम की लोकप्रिय किस्मों हेतु ठेके पर कृषि

2129. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरह रेशम की लोकप्रिय किस्मों को बढ़ावा देने हेतु ठेके पर कृषि शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन–किन राज्यों में ठेके पर रेशम की कृषि की जा रही है;

(ग) क्या रेशम उत्पादकों ने ठेके पर रेशम की कृषि का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कोई वाणिज्यिक कार्यक्षेत्र नहीं है किंतु यह राष्ट्रीय टेक्सटाइल नीति 2000 के तहत उत्पादकों एवं उद्योग के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रोत्साहित करेगा, तथा इस संबंध में ठेके पर कृषि में शामिल निगमों एवं बड़े करघों को सुविधा प्रदान करता है ताकि किसानों को लाभकारी एवं स्थायी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

(ख) अब तक, कोई इकाई किसानों के साथ किसी ठेके पर कृषि व्यवस्था में शामिल नहीं हुई है।

(ग) और (घ) किसी निर्माता द्वारा विरोध का कोई मामला सामने नहीं आया है। तथापि, किसान ठेके पर कृषि की बाधाओं से आशंकित हैं। राज्य सरकारों को उस पद्धति की जांच एवं स्पष्टीकरण हेतु विस्तार, सुविधा एवं सलाह प्रदान की जा रही हैं, जिसमें उत्पादकों एवं उद्योगों के बीच के संबंध दोनों के लिए लाभप्रद हो सकें।

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा आयुर्वेदिक केन्द्र बंद किया जाना

2130. श्री नरेश पुगलिया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अपनी वैकल्पिक चिकित्सा इकाई (आयुर्वेदिक क्लिनिक) बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उसमें कितने चिकित्सक और अन्य कर्मी कार्यरत थे;

(घ) क्या वहां कार्यरत सभी चिकित्सकों और अन्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आयुर्वेदिक क्लिनिक में कार्यरत चिकित्सकों और अन्यों को कितने मुआवजे, यदि कोई है, का भुगतान किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। वैकल्पिक मेडिकल–क्लिनिक जिसमें आयुर्वेदिक क्लिनिक जिन्हें परीक्षण आधार पर शुरू किया गया था उन्हें बंद कर दिया गया क्योंकि प्रशासनिक रूप से इन क्लिनिकों में योग्य पैरा मेडिकल कर्मचारी न मिल पाने के कारण इन्हें चलाना बहुत मुश्किल हो गया था।

(ग) इन मेडिकल क्लिनिकों में केवल तीन डॉक्टर (एक आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर और होम्योपैथी) के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए एक व्यक्ति और एक स्टोरकीपर इन वैकल्पिक क्लिनिकों में काम करते थे।

(घ) और (ङ) जी, हां। किसी भी व्यवसायी को मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि ये पूरी तरह से कांट्रेक्ट आधार पर थे।

बीड़ी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी

2131. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलग – अलग राज्यों में बीड़ी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग– अलग है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश भर में बीड़ी कामगारों के लिए मजदूरी में एकरूपता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, संशोधन और प्रर्वतन करती हैं। बीड़ी बनाना राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन है। विभिन्न राज्यों में सामाजिक आर्थिक और कृषि–जलवायु स्थितियों में भिन्नता, निर्वाह व्यय, उत्पादकता, भुगतान क्षमता और मजदूरी दरों को प्रभावित करने वाली स्थानीय दशाओं के कारण न्यूनतम मजदूरी में असमानता है।

(ग) मजदूरी में असमानता को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियों का गठन करने के लिए 1987 में दिशानिर्देश जारी किए थे। इन समितियों ने अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें एक ही क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में असमानता में कमी, अन्तर्राज्यीय समन्वय परिषद का गठन, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/संशोधन करते समय पड़ोसी राज्यों से परामर्श किया जाना आदि शामिल है। केन्द्र सरकार ने एक ही क्षेत्र के राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में समानता का पता लगाने के लिए सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों की समितियों का गठन करने का राज्य सरकारों को फरवरी, 1999 में सुझाव भी दिया था। केन्द्र सरकार ने 1996 में राष्ट्रीय फ्लोर स्तर मजदूरी की अवधारणा भी आरंभ की थी और सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी फ्लोर स्तर मजदूरी से कम न हो। आरंभ में यह राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (1991) की सिफारिशों के आधार पर 35/– रु. प्रतिदिन निर्धारित की गयी थी और जिसे कीमतों के स्तर में वृद्धि के अनुसार समय समय पर संशोधित किया गया। राष्ट्रीय फ्लोर स्तर मजदूरी में संशोधन करके इसे 1.9.2002 से 50/–रु.. प्रतिदिन कर दिया गया है।

[हिन्दी]

ट्रैक्टरों की खरीद

2132. श्री रामरती बिन्द : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर खरीदने वाले अधिकतर किसान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि देश मे खास तौर से उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा ब्याज और किस्तें न दे पाने के बारे में बैंकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों को कवर करते हुए कराए गए एक सामान्य अध्ययन में यह बताया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा ट्रैक्टर ऋण के अंतर्गत वसूली सामान्यतः बेहतर रही है। निवेश पर हुई आय की दर भी पर्याप्त पाई गई है।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान केन्द्र का खोला जाना

2133. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार और जिले–वार कितने कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं;

(ख) क्या देश में वर्ष 2002–2003 के दौरान कृषि अनुसंधान केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) जिलों में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने के वर्तमान मानदंड क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अक्तूबर, 2002 तक सरकार द्वारा झारखंड में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोले जाने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं और कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) डेयर/भा. कृ. अ. प. का दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के दौरान निम्नलिखित नई पहल/परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है बशर्ते योजना आयोग की स्वीकृति हो:

(i) कृषि उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

(ii) जैविक खेती पर नेटवर्क परियोजना

(iii) पराजीनी पर नेटवर्क

(iv) भारतीय पशुचिकित्सालय टाइप कल्चर का राष्ट्रीय ब्यूरो पर संस्थान

(v) कीटों के बायोसिस्टमैटिक पर नेटवर्क

(vi) कृषि विस्तार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

(घ) देश में जिले स्तर पर कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि देश के प्रत्येक शेष जिला में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ङ) झारखण्ड राज्य में अनुमोदित तथा चालू परियोजनाओं को विवरण में भी दिया गया है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और उनके क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र की राज्यवार सूची:–

राज्य का नाम	संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का नाम	स्थान
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पोर्ट ब्लेयर
आन्ध्र प्रदेश	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	राजमुन्द्री
	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी	हैदराबाद
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद
	राष्ट्रीय तेल–ताड़ अनुसंधान केन्द्र	पेदावेगी
	राष्ट्रीय मांस, अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद
	तिलहन अनुसंधान परियोजना निदेशालय	हैदराबाद
	मुर्गी पालन अनुसंधान परियोजना निदेशालय	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – शुष्क क्षेत्र कृषि	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – ज्वार	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – तम्बाकू	राजामुन्द्री
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना–कृषि मौसम विज्ञान	हैदराबाद
	नेटवर्क – आर्थिक पक्षी विज्ञान	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – सूरजमुखी, कुसुम, अलसी	हैदराबाद

1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	**क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र**	
	केन्द्रीय अंतः स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	एलूरू
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान	विजयवाड़ा
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान–ओ. आर. पी . केन्द्र	कांकिपडु
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	गूंटूर
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	काकीनाडा
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	विशाखापतनम
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	काकीनाडा
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	विशाखापतनम
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	गूंटूर
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	जींदांगी
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	कुंडकूर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	हैदराबाद
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	हैदराबाद
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कावूर
	मक्का की बिन– मौसम नर्सरी से संबंधित निदेशालय	हैदराबाद
अरूणाचल प्रदेश	राष्ट्रीय यॉक अनुसंधान केन्द्र	दीरांग
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	उ. पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. का अनुसंधान परिसर	बासर
असम	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र	खानपाड़ा गुवाहाटी
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान का बारानी निम्न भूमि चावल, का अनुसंधान केन्द्र	गेरूआ
	केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	सोरभोग
	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	गुवाहाटी
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कोहिकुच्ची
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	जोरहाट
बिहार	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. का अनुसंधान परिसर	पटना
	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र	मुजफ्फरपुर

1	2	3
बिहार	राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केन्द्र	दरभंगा
	अ.भा.स.अ.प.–जल प्रबंध	पटना
	अ.भा.स.अ.प.–भूजल का इष्टतम उपयोग	पटना
	अ.भा.स.अ.प.–दियारा भूमि का प्रबंध	पटना
	जल प्रबंध परियोजना निदेशालय	पटना
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	पटना
	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर (फसल अनुसंधान केन्द्र)	पूसा
	गन्ना प्रजनन संस्थान	मोतीपुर
चण्डीगढ़ (यू.टी.)	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	चण्डीगढ़
गोवा	गोवा के लिए भा. कृ. अ. प. का अनुसंधान परिसर	गोवा
गुजरात	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र	जूनागढ़
	राष्ट्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौधे अनुसंधान केन्द्र	आनन्द
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना–मूंगफली	जूनागढ़
	अ.भा.स.अ.प.–पान	आनन्द
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	भुज
	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	वडोदरा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	सूरत
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	वेरावल
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	वेरावल
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	वलसाड
	केन्द्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान	आनन्द
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान	गोधरा
हरियाणा	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	हिसार
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	करनाल
	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	करनाल
	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (रा. डे. अ. सं. का हिस्सा)	करनाल
	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र	हिसार

1	2	3
हरियाणा	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	करनाल
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना–ब्लड प्रोटेस्टा	हिसार
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना– भैंस	हिसार
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – मधुमक्खी	हिसार
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – लवण प्रभावित मिट्टियों और खारे पानी का उपयोग प्रबंध	करनाल
	देशी दुग्ध उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता	करनाल
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंतः स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसधान संस्थान	करनाल
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	हिसार
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	सिरसा
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	सिरसा
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	रोहतक
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	करनाल
	गन्ना प्रजनन संस्थान	करनाल
हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिमला
	राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र	सोलन
	अ.भा.सं.अ.प.–सूक्ष्म जैविकीय विघटन	पालमपुर
	अ.भा.स.अ.प. – खुम्बी	सोलन
	अ.भा.सं.अ.प.–आलू	शिमला
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	कुफी
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	गर्सा, कुल्लु
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	कुल्लु
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कटराइन
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	टुटीकंड़ी, शिमला
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अमरतारा, शिमला
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	पालमपुर

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	पालमपुर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो	शिमला
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	शिमला
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	लाहोलस्पीति
जम्मू–कश्मीर	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान	श्रीनगर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	सापोर, श्रीनगर
	राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो	श्रीनगर
झारखण्ड	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान	रांची
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. अनुसंधान परिसर (एच. ए. एंड एफ. कार्यक्रम)	रांची
	केन्द्रीय बारानी उपरांऊ भूमि चावल अनुसंधान केन्द्र	हजारीबाग
	केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान–औ. आर. पी. केन्द्र	रांची
	राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो	रांची
कर्नाटक	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान	बंगलौर
	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र	पुत्तुर
	जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय	बंगलौर
	पशु रोग एवं निगरानी प्रबोधन परियोजना निदेशालय	बंगलौर
	अ.भा.स.अ.प.–उष्ण कटिबंधीय फल	बंगलौर
	अ.भा.स.अ.प.–काजू	विट्ठल
	अ.भा.स.अ.प.–गौण अनाज	बंगलौर
	नेटवर्क–कृषि एकोलोजी	बंगलौर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंतः स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	बंगलौर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	धारवाड
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	करवाड़
	केन्द्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर

1	2	3
कर्नाटक	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	हेरेहल्ली
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	विट्ठल
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कीडी
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	बेल्लारी
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	हंसुर
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	चेथाली
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	हैब्बल
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	बंगलौर
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	जामखंडी
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	हैसुर
केरल	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	कोचीन
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	कोचीन
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कासरगोड
	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	तिरूवन्तपुरम
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	कालिकट
	अ.भा.स.अ.प.–ताड़	कासरगोड
	अ.भा.अ.स.प.–मसालें	कालिकट
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान	
	केन्द्रीय अंतः स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	एलापुजाह
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान – ओ. आर. पी. केन्द्र	कोलमपरमबी
	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	नराक्कल
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	कालिकट
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	विंहिंज़म
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कयानगुलम
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कन्नारा
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कन्नाड़ा

1	2	3
केरल	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	अपनगला
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	त्रिचूर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कन्नानौर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	अगाली
लक्षद्वीप	**क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र**	
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मिनीकॉय
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	मिनीकॉय
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	भोपाल
	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान	भोपाल
	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र	इंदौर
	राष्ट्रीय सरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र	जबलपुर
	अ.भा.स.अ.प.–कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.–फार्म उपस्कर मशीनरी	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.–मानव अभियांत्रिकी एवं सुरक्षा अध्ययन	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.–सूक्ष्म गौण पोषण	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.–पावर टिलर	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.–नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.–मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.–सोयाबीन	इंदौर
	अ.भा.स.अ.प.–पशु ऊर्जा का उपयोग	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.–खरपतवार नियंत्रण	जबलपुर
	अ.भा.स.अ.प.–तिल एवं रामतिल	जे.एन.के.वि.वि. जबलपुर
	अ.भा.स.अ.प.–दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.–जैविक नाईट्रोजन स्थिरीकरण	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.–भारतीय मृदा का टिल्लेज प्रबंध	भोपाल
	आर एन ए एम – VI	भोपाल
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंतः स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	होशंगाबाद

1	2	3
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान	अकोला
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान–ओ.आर.पी.केन्द्र	बालघाट
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	पावरखेडा
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	होशंगाबाद
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	ग्वालियर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	दतिया
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	इंदौर
	उच्च पशु रोग सुरक्षा प्रयोगशाला	भोपाल
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो	आई जी के वी अम्बिकानगर
महाराष्ट्र	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	नागपुर
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	मुंबई
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर
	राष्ट्रीय निम्बू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र	नागपुर
	राष्ट्रीय द्राक्ष अनुसंधान केन्द्र	पुणे
	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र	पुणे
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	मुंबई
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान–ओ.आर.पी. केन्द्र	बान्द्रा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	नागपुर
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	मुंबई
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मुंबई
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पुणे
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	शोलापुर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो	अकोला
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो	अमरावती
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर
मणिपुर	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	इम्फाल
	उ. पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. का अनुसंधान परिसर	इम्फाल

1	2	3
मिजोरम	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. का अनुसंधान परिसर	कोलासेब
	पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, सी. ए. यू.	शैलेष
मेघालय	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. का अनुसंधान परिसर	बड़ापानी
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिलांग
	उ. पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	पश्चिमी गारो पहाडियां
	राष्ट्रीय पादम आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	शिलांग
	गृह विज्ञान महाविद्यालय, सी. ए. यू.	तूरा
नागालैण्ड	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र	झरनापानी
	उ. पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	खन्नाखुरू
नई दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि संबंधी सूक्ष्मजीव ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्री डी. एन. ए. फिंगर प्रिंटिंग अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	मक्का अनुसंधान परियोजना निदेशालय	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प. –कृषि उप–उत्पाद	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प. –कृषि जल निकासी	नई दिल्ली
	अ.भा.सं.अ.प.–सक्षम भूमि के लिए अभियांत्रिकी नापतोल एवं जल प्रबंध	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.–पुष्प विज्ञान	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.–सूत्रकृमि	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.–कीटनाशी अपशिष्ट	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.–बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.–कम प्रयोग और कम दोहित पौधे	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.–गृह विज्ञान	नई दिल्ली

1	2	3
नई दिल्ली	समेकित कृषि विज्ञान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय बीज परियोजना	नई दिल्ली
	नेटवर्क स्कीम – पशु आनुवांशिक संसाधन	नई दिल्ली
	नेटवर्क स्कीम–भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी	नई दिल्ली
	कृषि मानव संसाधन विकास (डब्ल्यू. बी.)	नई दिल्ली
	इंडो–इज़रायल प्रदर्शन परियोजना (भा.कृ.अ.संस्थान)	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.)	नई दिल्ली
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	इसापुर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नई दिल्ली
उड़ीसा	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	भुवनेश्वर
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	कटक
	कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	भुवनेश्वर
	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र	भुवनेश्वर
	अ.भा.स.अ.प.–कंद वर्गीय फसलें	भुवनेश्वर
	खारे जल में पदार्थ अपघटन की प्रक्रिया एवं उपयोग पर ओ. आर. पी.	भुवनेश्वर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	बुर्ला
	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	पुरी
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	बगरा
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कोरापुट
	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	कटक
पंजाब	केन्द्रीय कटाई के पश्चात की अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	लुधियाना
	अ.भा.स.अ.प.–कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	लुधियाना
	अ.भा.स.अ.प.–कटाई एवं कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	लुधियाना
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	लुधियाना
	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	नाभादा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	लुधियाना
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	जालंधर

1	2	3
राजस्थान	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जोधपुर
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	अंविकानगर
	राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर
	राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसों अनुसंधान केन्द्र	भरतपुर
	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र	अजमेर
	अ.भा.स.अ.प.–भेड़	अविकानगर
	अ.भा.स.अ.प.–बाजरा	जोधपुर
	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर
	अ.भा.स.अ.प.–शुष्क क्षेत्र फल	बीकानेर
	अ.भा.स.अ.प.–तोरिया एवं सरसों	भरतपुर
	अ.भा.स.अ.प–शुष्क दालें	सी.ए.जैड.आर.आई, जोधपुर
	नेटवर्क–कृंतक नियंत्रण	जोधपुर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	पाली
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जैसलमेर
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	श्री गंगानगर
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कोटा
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केन्द्र	अविकानगर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	आर.ए.यू. मंडौर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	उदयपुर
सिक्किम	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र	ताडोंग
	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भा. कृ. अ. प. का अनुसंधान परिसर	गंगटोक
तमिलनाडु	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	चेन्नई
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कोयम्बटूर
	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र	तिरूचिरापल्ली
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंतः स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर

1	2	3
तमिलनाडु	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मंडपम
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	तुतीकोरिन
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	चेन्नई
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	उदगमंडलम
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	कोडीकनाल
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	उदगमंडलम
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	वेदासुंडर
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	वेलिंग्टन
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अदुतुरइ
	अ.भा.स.अ.प.–कपास	कोयम्बटूर
त्रिपुरा	**क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र**	
	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	लम्बूथेरा
उत्तर प्रदेश	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	मखदूम
	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान	लखनऊ
	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान	कानपुर
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	लखनऊ
	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान	वाराणसी
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	लखनऊ
	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का हिस्सा)	इज्जतनगर
	फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय	मोदीपुरम
	मवेशी अनुसंधान परियोजना निदेशालय	मेरठ
	खुरपका एवं मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय	इज्जतनगर
	अ.भा.स.अ.प.–चना	कानपुर
	अ.भा.स.अ.प.–गैस्टोइनटैस्टीनल पेरासाइट्स	इज्जतनगर
	अ.भा.स.अ.प.–बकरी	मखदूम
	अ.भा.स.अ.प.–हीमोरहैजिक सेप्टिसीमिया	इज्जतनगर
	अ.भा.स.अ.प.–गुड एवं खांडसारी	लखनऊ
	अ.भा.स.अ.प.–सूअर	इज्जतनगर
	अ.भा.स.अ.प.–अरहर	कानपुर

1	2	3
उत्तर प्रदेश	अ.भा.स.अ.प.–दालें (मूलांप)	कानपुर
	अ.भा.स.अ.प.–गन्ना	लखनऊ
	अ.भा.स.अ.प.–सब्जी अनुसंधान	वाराणसी
	अ.भा.स.अ.प.–दियाराभूमि सुधार प्रबंध	मोदीपुरम
	अ.भा.स.अ.प.–उपोष्ण फल	लखनऊ
	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र	झांसी
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	झांसी
	नेटवर्क स्कीम – फसल आधारित पशु उत्पादन प्रणाली	झांसी
	अ.भा.स.अ.प.–कृषि वानिकी	झांसी
	अ.भा.स.अ.प.–चारा फसलें	झांसी
	अ.भा.स.अ.प.–अलसी	कानपुर
	सब्जी बीज परियोजना (राष्ट्रीय बीज परियोजना)	वाराणसी
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंतः स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	इलाहाबाद
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान–ओ. आर. पी. केन्द्र	इलाहाबाद
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	चिन्हट
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	मोदीपुरम
	केन्द्रीय पटसन एवं संबंद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	प्रतापगढ़
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	आगरा
उत्तरांचल	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	देहरादून
	खुरपका एवं मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय	मुक्तेश्वर
	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अल्मोड़ा
	राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र	भीमताल (नैनीताल)
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र	चम्पावत
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	भुवाली
	केन्द्रीय शीतोष बागवानी संस्थान	मुक्तेश्वर
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	मुक्तेश्वर
पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय अंतः स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर
	केन्द्रीय पटसन एवं संबंद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर
	राष्ट्रीय पटसन एवं संबंद्ध रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	कोलकाता
	अ.भा.स.अ.प.–पटसन एवं संबद्ध रेशा	बैरकपुर
	अ.भा.स.अ.प.–सफेद सूंडी	दुर्गापुर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	

1	2	3
पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय अंतः स्थली प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	मालदा
	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	कोलकाता
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	रहारा
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	कल्याणी
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान–ओ.आर.पी. केन्द्र	कोलकाता
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	कोलकाता
	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	ककद्वीप
	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान	मालदा
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान स्थान	जलपाईगुडी
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	बुदबुद
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान सं संस्थान	केनिंग टाऊन
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	दिनहाटा
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कलिमपोंग
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	कोलकाता
	भारतीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	कोलकाता
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	कल्याणी
	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान संस्थान	दार्जलिंग

कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

1. आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय
राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030, आन्ध्र प्रदेश
2. असम कृषि विश्वविद्यालय
जोरहाट (असम)–785003
3. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
मोहनपुर (पश्चिमी बंगाल) – 741252
4. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
रांची (बिहार)–834006
5. चन्द्र आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
कानपुर (उत्तर प्रदेश)–208002
6. चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
हिसार (हरियाणा)–125004
7. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ
अकोला (महाराष्ट्र)–444104
8. डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं
वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, जिला सोलन
(हिमाचल प्रदेश)–173230
9. गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
पंतनगर (उत्तरांचल)–263145
10. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय
सरदार कुषि नगर, जिला बनासकंठा
(गुजरात)–385506
11. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)–176062
12. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर (मध्य प्रदेश) – 482004
13. महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय
उदयपुर – 313001, राजस्थान
14. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
इम्फाल–795004 (मणिपुर)
15. इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
रायपुर–492012 (मध्य प्रदेश)
16. केरल कृषि विश्वविद्यालय
त्रिचुर–680656 (केरल)

17. कोंकण कृषि विद्यापीठ
रतनागिरी–415712 (महाराष्ट्र)

18. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
राहुरी–413722 (महाराष्ट्र)

19. मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय
परभणी–431402 (महाराष्ट्र)

20. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
फैजाबाद–224229 (उत्तर प्रदेश)

21. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भुवनेश्वर–751003 (उड़ीसा)

22. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
लुधियाना–141004 (पंजाब)

23. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
बीकानेर–334002 (राजस्थान)

24. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
समस्तीपुर–848125 (बिहार)

25. शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
श्रीनगर–191121 (जम्मू–कश्मीर)

26. शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
जम्मू–180004 (जम्मू–कश्मीर)

27. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय
कोयम्बटूर–641003 (तमिलनाडु)

28. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
चेन्नई–600051 (तमिलनाडु)

29. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
बंगलौर–560065 (कर्नाटक)

30. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
धारवाड़–580005 (कर्नाटक)

31. पश्चिम बंगाल कृषि एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय
कोलकाता–700037 (पश्चिमी बंगाल)

कृषि विज्ञान केन्द्रों (के. वी. के.) की सूची

क्रम सं.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम व पता	संयोजक का नाम	स्थापना वर्ष
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार (1)			
1.	प्रशिक्षक संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर–744101 (अंडमान और निकोबार)	निदेशक केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर – 744101 (अंडमान और निकोबार)	1992 आई
आंध्र प्रदेश (16)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एम.आर.ओ. आफिस के पीछे, कोठा मदनपुर महबूबनगर (आंध्र प्रदेश)	निदेशक यूथ फॉर एक्शन 1–8–702/26/1, पदमा कालोनी हैदराबाद–500044 (आन्ध्र प्रदेश)	1992 एन
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र गद्दीपल्ली–508201, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश	सचिव श्री अरविन्दो ग्राम विकास संस्थान गद्दीपल्ली–508201 आंध्र प्रदेश	1983 एन
3.	प्रशिक्षण संयोगक कृषि विज्ञान केन्द्र पू. गोदावरी–533105 (आं. प्र.)	निदेशक श्री अरविन्दो ग्राम विकास संस्थान राजमुन्द्री–500044 (आन्ध्र प्रदेश)	1992 आई

1	2	3	4
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र क्रीडा, हैयातनगर, रंगा रेड्डी (आं. प्र.)	निदेशक क्रीडा परिसर, सैदाबाद पो.आ. संतोषनगर, हैदराबाद (आं.प्र.)	1976 आई
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र आर.ए.एस.एस. वनस्थली गांव, करकनबाड़ी, चित्तूर–517501 (आं. प्र.)	अध्यक्ष रायल सीमा सेवा समिति, 9, पुराना हुजूर कार्यालय बिल्डिंग, तिरूपति (आं. प्र.)	1992 एन
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र जमीकुंटा, करीमनगर–505112 (आं. प्र.)	निदेशक ग्राम नव निर्माण समिति, मकान सं. 1–9– 639/1, विद्यानगर, हैदराबाद, (आं. प्र.)	1992 एन
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो.ओ. बगवनापल्ली, कुरनूल–508201 (आं. प्र.)	सचिव श्री हनुमंतराय, शैक्षिक तथा धर्मार्थ सोसायटी रेड्डाकाति पब्लिक स्कूल इल्लूरू, कोथापेट कुरनूल (आं. प्र.)	1989 एन
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत भाग्यतुला धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा येलामंचिली, विशाखापटनम–531005 (आं. प्र.)	सचिव, भाग्यतुला धर्मार्थ ट्रस्ट, येलामंचिली, विशाखापटनम–531005 आंध्र प्रदेश	1995 एन
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो. बा. 214, जहीराबाद, मेडक–502220 (आं. प्र.)	अध्यक्ष, दक्कन विकास सोसायटी ए–5, मीरा अपार्टमेंट, बशीरबाग हैदराबाद (आं. प्र.)	1992 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक एन.जी. रंगा कृषि विज्ञान केन्द्र विनय आश्रम, काबूर, गुंटूर (आं.प्र.)	अध्यक्ष विनयाश्रम, काबूर, गुंटूर आंध्र प्रदेश	1992 एन
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र ओ.सी.एम.एस. बिल्डिंग, कमला नगर, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–50030	1983 एस
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र रामकृष्ण मंदिर के सामने, यू.एम.डी.आई. रयालम भीमावरम, पश्चिमी गोदावरी–535208 (आंध्र प्रदेश)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1995 एस
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कृ.वि.के. मलयाल फार्म, गांव मलयाल, वारंगल– (आंध्र प्रदेश)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1984 एस

1	2	3	4
14.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द कृषि अनुसंधान केन्द्र, अमदालवलसा श्रीकाकुलम–532423 (आं. प्र.)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1984 एस
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रस्ताकुंताबाई, विजयनगरम–535523 (आं. प्र.)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1992 एस
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नन्दयाल, एम.सी. फार्म–डाकखाना, कुरनूल–518503 (आं. प्र.)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1992 एस
अरूणाचल प्रदेश (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बसार, पं. सियांग–791101, (अरूणाचल प्रदेश)	निदेशक उ. पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, उमरोई रोड, बड़ापानी–793101 (मेघालय)	1979 आई
असम (4)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नापाम, सोनितपुर तेजपुर, मार्फत पो. बा. 51, तेजपुर मुख्य पोस्ट आफिस (असम)	कुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहट, असम–785013	1979 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अरूणाचल सिलचर–788025, कछार, (असम)	कुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहट, असम–785013	1994 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र खुआनटेल गोलाघाट–785601, असम	कुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहट, असम–785013	1993 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र गोसाई गांव–783360 जिला–कोकराझार (असम)	कुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहट, असम–785013	1985 एस
बिहार (16)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मुगेर, पो. ओ. शंकरपुर, मुंगेर – 811201 (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1979 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र दरभंगा (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1996 एस

1	2	3	4
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र हाजीपुर फार्म, वैशाली (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1996 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो. ओ. मेघोल, खोदावनपुर, बेगूसराय, (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1992 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अगवानपुर सहरसा – 859901 (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर – 848125 (बिहार)	1979 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पी.ओ. हरनौत, जिला – नालंदा–848125 (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1992 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो. आ. विजयनगर बांका–813101 (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1983 एस
8.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बाढ़ जिला – पटना, (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1992 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र शेखपुरा, बिहार	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1996 एस
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सरइया फार्म, मुजफ्फरपुर (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1997 एस
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र एस.सी.ए.डी.ए. पो.ओ. आरा, भोजपुर–802301 (बिहार)	अध्यक्ष सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी, सोन भवन, पटना (बिहार)	1993 ओ
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जहानाबाद (बिहार)	अध्यक्ष, सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी सोन भवन, पटना (बिहार)	1979 ओ
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो. ओ. सोखोदेवरा, नवादा–805106 (बिहार)	महासचिव ग्राम निर्माण मंडल आश्रम सोखोदेवरा, नवादा–805106 (बिहार)	1979 एन
14.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वनवासी सेवा केन्द्र, पो. आ. अधोरा, भबुआ–82116 (बिहार)	अध्यक्ष, वनवासी सेवा केन्द्र, अधोरा, भबुआ–821116 (बिहार)	1992 एन

1	2	3	4
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शर्मा भारती, खादीग्राम, पो. आ. जमुई–811313 (बिहार)	चेयरमैन खादी ग्रामोद्योग संघ, खादी ग्राम, जुमई–811313 (बिहार	1994 एन
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वी पी ओ बसैठ, चांदपुरा, मधुबनी – 847102 (बिहार)	चेयरमैन एस. के. चौधरी शिक्षा ट्रस्ट नई दिल्ली	1994 एन
छत्तीसगढ़ (4)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र, सरकंडा फार्म, बिलासपुर–495001	कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	1984 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सरगुजा	कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	1994 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन विज्ञान, गोकुलन, जी.ई. रोड़ अंजोरा, दुर्ग–491001	कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	1992 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वाया डीमरापाल जगदलपुर, बस्तर–494001	कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	1992 एस
दिल्ली (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, उजवा, नई दिल्ली	निदेशक एन एच आर डी एफ, जनकपुरी नई दिल्ली	1995 ओ
गोवा (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आई सी ए आर कॉपलैक्स, ईला, ओल्ड गोवा–403202	निदेशक आई सी ए आर रिसर्च काम्पलैक्स ईला, ओल्ड गोवा–403202 गोवा	1984 आई
गुजरात (10)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, दीसा, बनासकांठा–385535	कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)	1976 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय पर्वतीय मोटे अनाज अनुसंधान केन्द्र, बघाई, डेंग (गुजरात)	कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय अहमदाबाद (गुजरात)	1985 एस

1	2	3	4
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, देवगढ़बरैया, दहोड–389380	कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)	1976 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, देवराज (सोजितरा), जिला – खेड़ा–387240 (गुजरात)	कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)	1985 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रंधेजा, गांधीनगर–383630	कुलपति गुजरात, विद्यापीठ अहमदाबाद (गुजरात)	1977 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो. ओ. अम्बेटी आश्रम, वलसाड (गुजरात)	कुलपति गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद (गुजरात)	1992 ओ
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भड़ोच	चेयरमैन भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पुणे	1994 एन
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मंगल भारतीय गोलागामडी, गोलगामण्डी बड़ोदरा, (गुजरात)	चेयरमैन, मंगल भारती, बहादुरपुर, बड़ौदा–391125	1994 एन
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, समोदा, सिद्धपुरा, मेहसाना–384130	निदेशक सरस्वती ग्राम विद्यापीठ, समोदा, मेहसाना	1992 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मुंद्रा, कच्छ–370130	चेयरमैन ग्रामीण कृषि अनुसंधान तथा विकास सोसायटी, जुहू, मुम्बई	1992 एन
हरियाणा (12)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सीमा थियेटर कमर्शियल काम्पलैक्स, कोर्ट रोड़, पानीपत	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1993 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पी.ओ. पेवड़ा, कैथल–132027 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मकान नं. 2131, अर्बन एस्टेट, जिंद–126102 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, प्लाट नं. 82, आटोमार्किट, सांदलपुर, हिसार–125052 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1989 एस

1	2	3	4
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, 430/13, शहरी सम्पदा, कुरूक्षेत्र– 132118 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मकान नं. 604, सैक्टर–16 ए, फरीदाबाद – 121001 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मकान नं. 269–4, माडल टाउन, यमुनानगर – 135001 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सैक्टर–14 मकान नं. 449, सोनीपत–131001 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वयिद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नं. 2, राजेन्द्र पार्क, महेश नगर अम्बाला कैन्ट, अम्बाला (हरियाणा)	अध्यक्ष सोसायटी फॉर क्रियेशन ऑफ हैवन ऑन अर्थ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	1993 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल–132001 (हरियाणा)	निदेशक राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल–132001 (हरियाणा)	1976 आई
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत श्रीभगवत भारती आश्रम, रामपुरा, रिवाड़ी–123401 (हरियाणा)	सचिव भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रिवाडी–123401	1983 एन
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शिकोहपुर, गुडगांवा–122001	निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली–110012	1983 आई
हिमाचल प्रदेश (8)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि अनुसंधान केन्द्र बजौरा, कुल्लू–175125 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1993 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर–सुल्तानपुर बालू, चम्बा–176314 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1991 एस

1	2	3	4
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रामपुर ऊना–174303 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1991 एस
4.	प्रक्षिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मंडी (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1993 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र धौला कुंआ, सिरमौर–173001 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1982 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बारा हमीरपुर–177044 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1982 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शारबो एट रेकोंग पिओ, किन्नौर–171107 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति वाई. एस. पी. यू. एच एंड एफ, सोलन (हिमाचल प्रदेश)	1995 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पैट्रोल पम्प के निकट रोहरू, शिमला	कुलपति वाई. एस. पी. यू. एच. एंड एफ, सोलन (हिमाचल प्रदेश)	1995 एस
जम्मू-कश्मीर (4)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, आर. एस. पुरा, जम्मू–181102 (जम्मू–कश्मीर)	कुलपति एस.के. कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	1992 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लेह (जम्मू–कश्मीर)	कुलपति एस.के. कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1989 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मलंगपुरा, अनंतनाग (जम्मू–कश्मीर)	कुलपति एस.के. कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1983 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कालीबाड़ी, कठुआ–184104 (जम्मू–कश्मीर)	सचिव शिव ग्रामोद्योग मंडल, कठुआ, (जम्मू–कश्मीर)	1983 एस
झारखंड (5)			
1.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो. आ. जगन्नाथपुर, पं. सिंहभूम–833203	कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची, (बिहार)–834006	1983 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो. आ. सुजानी पो. आ. घोरलैश, देवधरा–814152 (बिहार)	महासचिव संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, देवधर–814152 (बिहार)	1985 एन

1	2	3	4
3.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो. आ. मोराबादी, रांची–834008 (बिहार)	सचिव कृषि विज्ञान केन्द्र, राम किशन आश्रम मोराबादी, रांची	1977 एन
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, होली क्रास, वी टी आई हजारीबाग–825301	निदेशिका, होली क्रास, वी टी आई, हजारीबाग–825301 (बिहार	1984 ओ
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सिन्दरी, धनबाद–828122 (बिहार)	चेयरमैन, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन नई दिल्ली	1984 एन
	कर्नाटक		
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, रायचूर (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़	1994 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, हेगारी, बेल्लारी (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़	1994 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत हनुमान मत्ती जिला–धारवाड़ (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़	1977 एस
4	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, जानवाडा, बीदर (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़	1985 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कन्डीन, हसन (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	1992 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, रायचूर मुदीगैरे–577132 चिकमंगलूर (कर्नाटक)	कुलपति कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर	1985 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनिकोप्पल–571213 जिला कुर्ग (कर्नाटक)	निदेशक, आई. आई. एच. आर.–255, अपर पैलेस, आर्घड, बंगलौर–560079 (कर्नाटक)	1976 आई

1	2	3	4
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सूट्टूर, मैसूर (कर्नाटक)	अध्यक्ष जे.एस.एस. ग्रामीण विकास फाउंडेशन, मैसूर	1994 एन
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चिक्काबालापुर, कोलार (कर्नाटक)	अध्यक्ष कर्नाटक कल्याण सोसायटी, चिकाबलापुर (कोलार)	1994 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, टुकन्टी गोहक बेलगांव–591319 (कर्नाटक)	अध्यक्ष बेलगांव समन्वित ग्रामीण विकास सोसायटी, बेलगांव	1994 एन
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, हुलकोटी जिला गडग	अध्यक्ष के. एच. पाटिल कृषि विज्ञान विश्व फाउन्डेशन जिला गडग–582205	1985 एन
केरल (9)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पटम्बी–679306 (केरल)	कुलपति केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी त्रिशूर–680651 (केरल)	1979 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सदानन्दपुरम, क्विलान (केरल)	कुलपति केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी त्रिशूर–680651	1994 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, अम्बालवयाल, वाईनाड–673593 (केरल)	कुलपति केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी त्रिशूर–680651 (केरल)	1984 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय रोपण फसल अनु. संस्थान, कासरगोड–671124 (केरल)	निदेशक केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड–671124	1991 आई
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मित्र निकेतन, वेल्लानाड, तिरूवनन्तपुरम (केरल)	अध्यक्ष मित्र निकेतन, वेल्लानाड–696543 तिरूवन्नतपुरम (केरल)	1979 एन
6	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चाकूपल्लम, इडुकी (केरल)	अध्यक्ष बापूजी सेवक समाज, चाकूपल्लम, इटुकी (केरल)	1994 एन
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र पाथेनामथिता (केरल)	चेयरमैन, ईसाई ग्रामीण विकास समिति, थिरूवल्ला, पाथेनामेथिता (केरल)	1994 एन
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का अनुसंधान केन्द्र नरक्कल, एरणाकुलम–682505 (केरल)	निदेशक केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान, संस्थान, कोचीन (केरल)	1976 आई

1	2	3	4
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पेरूवन्नमुझी, कालीकट – 673012 कोझिकोडे (केरल)	निदेशक भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, (क्षेत्रीय केन्द्र) कालीकट (केरल)	1991 आई
लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, किल्टन आइलैण्ड (लक्षद्वीप)	कृषि निदेशालय, संघ शासित लक्षद्वीप तथा मिनीकाय द्वीप समूह करावत्ती, लक्षद्वीप	1996 आई
मध्य प्रदेश (16)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, चन्दा गांव, छिंदवाड़ा–480001 (मध्य प्रदेश)	कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1983 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय फार्म झबुआ–457661 (मध्य प्रदेश)	कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1984 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गोवियाना साइट, पो.बा. 7, सिधि–486661 (मध्य प्रदेश)	कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1992 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बिरूलिया फार्म, शहडोल (मध्य प्रदेश)	कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1992 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय वारवाड़ी फार्म, पूर्वी–निमाड़, खंडवा, (मध्य प्रदेश)	कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1994 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, ललितपुर नाका के पास, टीकमगढ़–472001 (मध्य प्रदेश)	कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1994 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, ब्लाक आफिस कम्पाउंड, सिओनी (मध्य प्रदेश)	कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1994 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जवाहर लाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1997 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, काठी बाग राजगढ़ (मध्य प्रदेश)	कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1994 एस

1	2	3	4
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर–आरोन, गुना (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1994 एस
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बड़गांव ब्लाक–कोरनपुर, पी.ओ.–पाला, बालाघाट–481115 (मध्य प्रदेश)	कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (मध्य प्रदेश)	1992 एस
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जौरा, कालुखेड़ा, रतलाम–457340	अध्यक्ष कालुखेड़ा शिक्षा समिति, रतलाम (मध्य प्रदेश)	1994 एन
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, श्री मालवा महिला विकास समिति, पी. ओ. सिरजॉन विदिशा–464228 (मध्य प्रदेश)	अध्यक्ष मालवा महिला विकास समिति, 32, नियामतपुर, शाहजानबाद, भोपाल (मध्य प्रदेश)	1992 एन
14.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जगदलपुर बस्तर (मध्य प्रदेश)	कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (मध्य प्रदेश)	1976 एस
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मझगांव, सतना–484331 (मध्य प्रदेश)	अध्यक्ष दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली	1992 एन
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भोपाल (मध्य प्रदेश)	निदेशक सी.आई.ए.ई. (भा.कृ.अ.प.), नबीबाग बैरसिया रोड़, भोपाल–462018 (मध्य प्रदेश)	1979 आई
महाराष्ट्र (23)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र सेलसुरा, वर्धा (महाराष्ट्र)	कुलपति, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला (महाराष्ट्र)	1976 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पठान रोड़, औरंगाबाद, (महाराष्ट्र)	कुलपति, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभणी–415725 (महाराष्ट्र)	1983 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र श्रीगांव रतनागिरी, (महाराष्ट्र)	कुलपति कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली रतनागिरी (महाराष्ट्र)	1983 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, धुले–424004, महाराष्ट्र	कुलपति महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र	1983 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा वाई सी महा. ओपन विश्वविद्यालय, नासिक–422005 (महाराष्ट्र)	कुलपति वाई सी महा. ओपन विश्वविद्यालय नासिक–422005 (महाराष्ट्र)	1994 ओ

1	2	3	4
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भाग्य नगर परभणी–431401 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष जीवन ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट, परभणी (महाराष्ट्र)	1994 एन
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पी.ओ. तालासदी, कोल्हापुर–416012 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष वी आई पाटिल शिक्षा समिति, तालासंडे, कोल्हापुर–(महाराष्ट्र)	1994 एन
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जलगांव जमोद, बूलदाना – 443402 (महाराष्ट्र)	चेयरमैन सतपुड़ा शिक्षा समिति जलगांव, जमोद, बूलदाना–443402 (महाराष्ट्र)	1994 एन
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, घाटखेड़ अमरावती (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष श्रम साधना ट्रस्ट, 57, कांग्रेस नगर अमरावती,	1995 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्गापुर अमरावती (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष श्रम शाफल्य फांऊडेशन, मधुबन कालोनी कैम्प, अमरावती	1995 एन
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र एच. आई. जी. कालोनी नजदीक आई टी आई, नान्देड (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान शिक्षा संस्थान, नान्देड (महाराष्ट्र)	1994 एन
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, 51 रेलवे लाइन्स, शोलापुर–413001 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष सबरी कृषि प्रतिष्ठान शोलापुर, (महाराष्ट्र)	1994 एन
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कर्दा रिसोड, अकोला–444106 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष एस यू वी आई डी ई फाऊंडेशन रिसोड शोलापुर, (महाराष्ट्र)	1994 एन
14.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पोइप आदर्श कृषि, सिंधदुर्ग–416622 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष पोइप फलोटपदन संकर समिति सिंधदुर्ग (महाराष्ट्र)	1995 एन
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा गोखले शिक्षा समिति, कोसबाद हिल, थाणे–401703 (महाराष्ट्र)	सचिव गोखले शिक्षा समिति, डी वाई के कालेज आफ कामर्स नासिक (महाराष्ट्र)	1976 एन
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा सतपुरा विकास मंडल, पाल, रावर, जलगांव – 425508 (महाराष्ट्र)	चेयरमैन सतपुरा विकास मंडल, पाल, रावर, जलगांव–425508 (महाराष्ट्र)	1984 एन
17.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आदर्श कालोनी, ग्राम– अम्बाजोगई, जिला – बीड – 431517 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली	1992 एन
18.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कालावाडी, कराड सतारा–415110 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट कोरेगांव रोड़,, पुणे (महाराष्ट्र)	1992 एन

1	2	3	4
19.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत कृषि विकास ट्रस्ट, शारदानगर बारामती, पुणे–413115 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष कृषि विकास ट्रस्ट शारदानगर बारामती, पुणे–413115 (महाराष्ट्र)	1992 एन
20.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्रख भाबलेश्वर, श्रीरामपुर अहमदनगर–4131336 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान में परवा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, परवानगर अहमदनगर	1992 एन
21.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सी–413, बसंतदादा सहकारी साखर, कारखाना, संगली–416416 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष बसंत प्रकाश विकास प्रतिष्ठान, संगली (महाराष्ट्र)	1992 एन
22.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत मराठवाडा सेठी सहाय मंडल, पी बी नं. 225 एस पी रोड जालना–431203 (महाराष्ट्र)	सचिव मराठवाडा सेठी सहाय मंडल, पी बी नं. 45 एस पी रोड, जालना–431203 (महाराष्ट्र)	1992 एन
23.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत पी. ओ. नं. 225 नागपुर–440001 (महाराष्ट्र)	निदेशक केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, पी. ओ. नं. 225 नागपुर	1994 आई
मणिपुर (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, उ. पू. प. क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. परिसर, लम्फेड, इम्फाल–795004	निदेशक उ.पू.प. क्षेत्र के लिए भा. कृ.अ.प. परिसर, उमरोई रोड़, बारापानी–793103 (मेघालय)	1979 आई
मेघालय (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, उ. पू. प. क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. परिसर सनसनगिरी बोबासीपरा, तूरा, पश्चिमी गारो हिल्स–794005	निदेशक उ.पू.प. क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. परिसर, उमरोई रोड़, बारापानी – 793103 (मेघालय)	1979 आई
मिजोरम (2)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि राज्य विभाग, हनाथीयाल लुगलई (मिजोरम)	कृषि निदेशक मिजोरम सरकार, आईजावल (मिजोरम)	1995 ओ
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, फार्म विज्ञान केन्द्र, कोलासिब–796081 (मिजोरम)	कृषि निदेशक मिजोरम सरकार, आईजावल (मिजोरम)	1976 ओ
नागालैण्ड (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, उ. पू. प. क्षेत्र के लिए भा. कृ.अ.प. परिसर झरनापानी, मेदजिफेन	निदेशक उ. पू. प. क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. परिसर उमरोई रोड़, बारापानी – 793103 (मेघालय)	1977 आई

1	2	3	4
उड़ीसा (12)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र सेमिलिगुडा, पो. बा. 10, सूनाबेडा–763002 कोरापुट (उड़ीसा)	कुलपति ओ यू ए टी, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	1982 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रपाडा (उड़ीसा)	–वही–	1994 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र जुडिया फार्म पो. बा. कोझार (उड़ीसा)	–वही–	1982 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो. बा. देवोग वाया सिंगिला, बलियापाल, बालासौर–756026	–वही–	1983 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भंजनगर ए टी बेनकुंडा पो. बा. दीहापघाल, गंजम–768102	–वही–	1985 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गंभीरपल्ली, पो. बा. लारंभा, संबलपुर–768102	–वही–	1992 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो. बा. उदयगिरी, फूलबनी–762100	–वही–	1982 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र एन ए आर पी परिसर, भवानी पटना, कालाहांडी	–वही–	1992 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, धनकेन्नल (उड़ीसा)	निदेशक, केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक	1994 आई
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अंगुल (उड़ीसा)	–वही–	1994 आई
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कटक–763006 (उड़ीसा)	–वही–	1992 आई
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कोशल्यागंग, धौली, भुवनेश्वर–751002 (उड़ीसा)	निदेशक, केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान, कौशल्यागंग, धौली, भुवनेश्वर	1976 आई

1	2	3	4
पांडिचेरी (2)			
1	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मधुर, करइकाल (पांडिचेरी)	मुख्य सचिव, पांडिचेरी सरकार, मुख्य सचिवालय भवन, पांडिचेरी	1994 ओ
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कुसम्बापट (पांडिचेरी)	मुख्य सचिव, पांडिचेरी सरकार, मुख्य सचिवालय भवन, पांडिचेरी	1994 ओ
पंजाब (10)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, फरीदकोट–151203 (पंजाब)	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब)	1994 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, हरदोचनी रोड., ओल्ड गुरू नानक कालेज बिल्डिंग, गुरूदासपुर	–वही–	1982 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मालवा फार्म, जी. टी. रोड़, फिरोजपुर–152001 (पंजाब)	–वही–	1988 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक खेती भवन, ढाबावाली रोड़, भटिंडा–151001 (पंजाब)	–वही–	1989 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बहोवाल, होशियारपुर–146105	–वही–	1989 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पी. बी. नम्बर 22, गांव सैनी, पटियाला–147001 पंजाब	–वही–	1989 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सुल्तानपुर रोड़, नजदीक नई ग्रेन मार्किट, कपूरथला–144601	–वही–	1989 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, खेरी, संगरूर (पंजाब)	–वही–	1993 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, लांगोरिया नवानाशहर (पंजाब)	–वही–	1994 एस

1	2	3	4
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अबोहर, (पंजाब)	निदेशक फसल कटाई के बाद की अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना (पंजाब)	1992 आई
राजस्थान (31)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, टीचर्स कालोनी, गुप्तेश्वर रोड़ दौसा–303303 (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर–334001	1994 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बी–33, माननगर झुन्झुनु (राज.)	–वही–	1989 ए
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, फोडर फार्म, ग्राम–बीचवाल, बीकानेर–334020 (राज.)	–वही–	1983 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो. बा. 16, सवाईमाधोपुर–322001 (राज.)	–वही–	1992 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र ताबीजोफार्म, एन एच 08, अजमेर–305001 (राज.)	–वही–	1992 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, ओल्ड सिटी, धौलपुर (राज.)	–वही–	1992 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर सेखावटी, सीकर–332301 (राज.)	–वही–	1976 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र केशवाना, जालोर–342001 (राज)	–वही–	1985 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, विला, नवगांव, अलवर (राज.)	–वही–	1992 एस
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, किसानविद्यापीठ, नजदीक सारंग गेस्ट हाउस, कुम्हेर, भरतपुर–321001 (राज.)	–वही–	1988 एस
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो. बा. नं. 46, जैसलमेर–345001 (राज.)	–वही–	1992 एस

1	2	3	4
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, संजय कालोनी, नागौर (राज.)	–वही–	1992 एस
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेरा, दीपक भवन, डाबला रोड़, कोटपूतली–303108, जयपुर	–वही–	1989 एस
14.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक बाडट मट, शास्त्री कालोनी, डूंगरपुर–314001 (राज)	कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर	1992 एस
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरवट कृषि अनुसंधान स्टेशन, बांसवाडा–327001 (राज.)	–वही–	1983 एस
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, स्टेशन रोड, अन्टा, बारन–325202 (राज)	–वही–	1994 एस
17.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कोलार फार्म, अम्बास्वइजी गेट, पो. आ. पालडी, सिरोही–307001 (राज.)	–वही–	1989 एस
18.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तौड़गढ–312001 (राज.)	–वही–	1992 एस
19.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरखेड़ा फार्म, कोटा–324001 (राज.)	–वही–	1992 एस
20.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तरपूरा रोड़, बून्दी (राजस्थान)	–वही–	1992 एस
21.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, तलाई, पो. बा. 16, झलवार–326001 (राज)	–वही–	1992 एस
22.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, धोइन्डा, राजसमन्द–313342 (राज.)	–वही–	1994 एस
23.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान स्टेशन, अमाजिया फार्म, गांधीनगर, भीलवाड़ा–311001 (राज)	–वही–	1992 एस

1	2	3	4
24.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र वी. पी. टंकाडरा, चोमू, जयपुर (राजस्थान)	सचिव प्रगति ट्रस्ट, चोमू, जयपुर (राज)	1992 एन
25.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बनस्थली विद्यापीठ, टॉक–304022 (राज.)	सचिव बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, टॉक (राज.)	1992 ओ
26.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बडगांव, उदयपुर–313001 (राज.)	अध्यक्ष विद्या भवन सोसायटी बडगांव, उदयपुर–313001	1983 एन
27.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र सरदार शहर, चुरू–311401 (राज.)	रजिस्ट्रार गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर, चुरू	1992 एन
28.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गायत्री शांति पीठ, बाडमेर–344001 (राज.)	सचिव, सोसायटी ऑफ अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी, बाडमेर (राज.)	1992 एन
29.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सांगरिया, हनुमानगढ़ (राज.)	निदेशक केशयानन्द मेमोरियल ट्रस्ट सांगरिया, हनुमानगढ़ (राज.)	1989 एन
30.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, काजरी (भा. कृ. अ. प.) जोधपुर–342003 (राज.)	निदेशक काजरी (भा.कृ.अ.प.), जोधपुर–342003 (राज.)	1983 आई
31.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, काजरी (भा.कृ.अ.प.), पाली, मारवाड़–304401 (राज.)	–वही–	1992 आई
सिक्किम (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, उ. पू. प. क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ. प. का काम्पलैक्स, सरमसा, रानीपूल–737135 पूर्वी सिक्खिम (सिक्किम)	निदेशक उ.पू.प. क्षेत्र के लिए भा. कृ.अ.प. का काम्पलैक्स, उमरोई रोड़, बड़ापानी–793103 (मेघालय)	1982 आई
तमिलनाडु (16)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सलेम (तमिलनाडु)	कुलपति तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	1994 आई
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन (टी. एन. ए. यू.), वृधाचलम, दक्षिण अरकोट–606001 (तमिलनाडु)	–वही–	1985 एस

1	2	3	4
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कुमार पेरूमल फार्म, साइंस सुरूगमा, त्रिची–639115 (तमिलनाडु)	–वही–	1977 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कट्टूपक्कम–603203 चंगी एम जी आर जिला (तमिलनाडु)	–वही–	1985 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कांचीपुरम, वाया थेन्नी, मदुरई–626520 (तमिलनाडु)	चेयरमैन सैन्टर फार डेवलपमेंट एंड कम्यूनिकेशन ट्रस्ट, थेन्नी, मदुरई–626520	1994 एन
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत उपासी, ग्लेनव्यू, कून्नूर–643101, जिला नीलगिरी (तमिलनाडु)	सचिव उपासी, ग्लेनव्यू, कून्नूर–643101 जिला नीलगिरी (तमिलनाडु) (तमिलनाडु)	1983 एन
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम – 624302 डिन्डीगुल अन्ना तमिलनाडु	सचिव गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान गांधीग्राम–624302, डिन्डीगुल अन्ना (तमिलनाडु)	1989 ओ
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, किलनेली गांव, वेम्मबाक्कम ब्लॉक, थीरूवन्नामलाई, शम्बूवरयार (तमिलनाडु)	अध्यक्ष तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, नं. –3, क्रीसेन्ट पार्क स्ट्रीक, टी नगर, मद्रास–50017	1991 एन
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, तेनकोसी, नेल्लई कट्टाबोमैन, जिला–तिरूनेलवेली (तमिलनाडु)	अध्यक्ष आर वी एस शिक्षा ट्रस्ट, डिन्डीगुल अन्ना (तमिलनाडु)	1994 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कुन्द्राकुडी, पी एम टी जिला (तमिलनाडु)	कुलपति तमिलनाडु पशु–विज्ञान एवं पशु–चिकित्सा विश्वविद्यालय, मद्रास–600051	1996 एस
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, धर्मपुरी, (तमिलनाडु)	अध्यक्ष तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, टी नगर, मद्रास–500012	1994 एन
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र आर. वी. एस. कैम्पस, उसीलमपेट्टी, तंजावुर (तमिलनाडु)	अध्यक्ष भाकवा मेमोरियल ट्रस्ट, 596, ए–1 एवं ए–2, टीएनएचवी कालोनी, पेरियार नगर, कोथुर, मद्रास–600080	1995 एन
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अल्लीकुलम, मन्द्रादजपू, पो. आ. करियापट्टी, कमराजर–626102 (तमिलनाडु)	अध्यक्ष मेयर ट्रस्ट, मदुरई (तमिलनाडु)	1995 एन

1	2	3	4
14.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मेराडा का तलमाली केन्द्र, तलवाडी ब्लॉक, सत्यामंगलम, तालुक पेरियार–638468 (तमिलनाडु)	एक्ज्यूकेटिव निदेशक, मेराडा, डोमलर लायूट, बंगलौर–560071	1991 एन
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र वेगाईकुलम, चिदम्बरनार (तमिलनाडु)	अध्यक्ष एससीएडी चेरानदेवी, तिरूनेलवेल्ली (तमिलनाडु)	1995 एन
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सी/ओ. अविनासीलिंगम ग्रामीण केन्द्र, विवेकानन्दपुरम, करमाडई ब्लॉक, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	सचिव श्री अविनासीलिंगम उच्च शिक्षा एवं गृह विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर–641113 (तमिलनाडु)	1979 ओ
त्रिपुरा (2)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक दिव्योदया, कृषि विज्ञान केन्द्र, दिबानन्दपाली, सेन्बर, खोवली सब डिविजन, पश्चिम त्रिपुरा–799207	महासचिव श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, 23 आर. एन. मुखर्जी रोड़, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	1979 एन
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, उ.पू.प. क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का काम्पलैक्स, बीरचन्द्र मनु. दक्षिण त्रिपुरा	निदेशक उ.पू.प. क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का काम्पलैक्स, उमरोई रोड़, बड़ापानी–793103 (मेघालय)	1984 आई
उत्तर प्रदेश (28)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बचत भवन, कलैक्टरेट कम्पाउण्ड शांहजहांपुर (उ.प्र.)	कुलपति जी.बी.पंत. कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, (उ. प्र.)	1994 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चावल अनुसंधान स्टेशन, नगीना, बिजनौर–246762 (उ.प्र.)	–वही–	1992 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चन्द्र नगर, सहारनपुर (उ.प्र.)	–वही–	1992 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बदायूं–243601 (उ.प्र.)	–वही–	1992 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, 243, विकास भवन, नई कलैक्टरेट, राजनगर, गाजियाबाद–201001 (उ. प्र.)	–वही–	1992 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला पंचायत भवन, रामपुर–244901 (उ.प्र.)	–वही–	1992 एस

1	2	3	4
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र जलालपुर, मुज्जफरनगर (उ.प्र.)	–वही–	1994 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक, स्वामी कल्याण देव कृषि विज्ञान केन्द्र, हस्तिनापुर, मेरठ (उ.प्र.)	–वही–	1992 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पीलीभीत (उ.प्र.)	–वही–	1998 एस
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, फसल अनुसंधान स्टेशन, बहराइच (उ. प्र.)	कुलपति एन. डी. कृषि एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद (उ. प्र.)	1983 एस
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बलिया, पो. आ. सोहेन, बलिया–277504	–वही–	1984 एस
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो. आ. हल्धापुर, मऊ–221705 (उ. प्र.)	–वही–	1989 एस
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एस–4/50 ए, महावीर रोड, अरदली बाजार, वाराणसी–221001 (उ. प्र.)	–वही–	1989 एस
14.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बनजारियां फार्म, पो. आ. करया, बस्ती (उ.प्र.)	–वही–	1989 एस
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, भराई, पो. आ. भोजला, झांसी (उ. प्र.)	कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उ. प्र.)	1989 एस
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डेरी फार्म, पशुचिकित्सा कालेज, मथुरा–280001 (उ. प्र.)	–वही–	1984 एस
17.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र दरियापुर फार्म पी. ओ. मुशीगंज, रायबरेली–229405 (उ.प्र.)	–वही–	1984 एस
18.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, थारियो फार्म, इलाहाबाद–जी.टी. रोड़, फतेहपुर (उ. प्र.)	–वही–	1989 एस

1	2	3	4
19.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय डेरी फार्म, अलीगढ़ (उ. प्र.)	–वही–	1992 एस
20.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, लखनऊ (उ. प्र.)	निदेशक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (उ. प्र.)	1994 आई
21.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर–228118 (उ. प्र.)	सचिव कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट सुल्तानपुर–228118 (उ.प्र.)	1976 एन
22.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एटा–टुंडला रोड, अवागढ़, एटा (उ. प्र.)	प्रधानाचार्य, राजा बलवंत सिंह कालेज, बीचपुरी, आगरा (उ. प्र.)	1982 ओ
23.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जय प्रभा ग्राम गोपालग्राम खारगू, चांदपुर, गांधी पार्क, गोंडा–271001 (उ. प्र.)	अध्यक्ष, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली	1989 एन
24.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गनीवान, बांदा–210206 (उ. प्र.)	–वही–	1992 एन
25.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत इलाहाबाद कृषि अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद– 211007 (उ. प्र.)	निदेशक इलाहाबाद कृषि अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद–211007 (उ. प्र.)	1992 ओ
26.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सोहना, सिद्धार्थनगर–272193 (उ. प्र.)	सचिव लेऑड टेल एरिया देवी सोसायटी, सोहना, सिद्धार्थनगर– 272193 (उ. प्र.)	1992 एन
27.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बाराकाछा, मिर्जापुर–231001 (उ. प्र.)	कुलपति बनारस हिन्दू, विश्वविद्यालय वाराणसी–110005 (उ. प्र.)	1984 ओ
28.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, इज्जतनगर, बरेली–243122 (उ. प्र.)	निदेशक भारतीय पशुचिकित्सा अनु. संस्थान, इज्जतनगर, बरेली–243122 (उ.प्र.)	1985 आई
उत्तरांचल (2)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पी. ओ. गुलचोरा, (लोहाघाट), पिथौरागढ	कुलपति जी. बी. पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	1994 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल–249199	–वही–	1983 एस

1	2	3	4
पश्चिमी बंगाल (9)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कलिंगपोंग, दार्जलिंग–734301 (प.ब.)	कुलपति विधानचन्द कृषि विश्वविद्यालय, विद्यालय, हरिघाट मोहनपुर, नदिया (प. बं.)	1992 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत श्री रामकृष्ण आश्रम, पी. ओ. नीमपीठ आश्रम, साउथ–24 परगना, (पं.बं.)	अध्यक्ष श्री रामकृष्ण आश्रम, पी. ओ. नीमपीठ आश्रम, साउथ–24 परगना–743338	1979 एन
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कापगिरि, मिदनापुर–721505 (पं.बं.)	अध्यक्ष सेवा भारती, कापगिरि, मिदनापुर–721505	1976 एन
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्गापुर, बर्दमान–713212	अध्यक्ष हिन्दुस्तान उर्वरक कारपोरेशन लि. नई दिल्ली	1994 ओ
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीनिकेतन, वीरभूम–731236 (प. बं.)	कुलपति, विश्व – भारती शांति निकेतन, बोलपुर	1994 ओ
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पी. ओ सोनामुखी, बंकुरा–722207 (प. बं.)	कार्यपालक उपाध्यक्ष, पं. बंगाल कम्प्रिहैंसिव एरिया डवलपमेंट कारपोरेशन, 6–ए', राजा सुबोध मुलिक स्कवेयर, कोलकाता	1983 ओ
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, विवेकानन्द नगर, पुरूलिया–735219 (प. बं.)	अध्यक्ष कल्याण पी. ओ. विवेकानन्द नगर, पुरूलिया	1992 एन
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, खारा जल परीक्षण मत्स्य फार्म, पी. ओ. काकाद्वीप दक्षिण परगना–24 (प. बं.)	निदेशक केन्द्रीय अंतः स्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर–743101	1979 आई
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रामशाही, जलपाईगुड़ी–735219 (प. बं.)	कुलपति डब्ल्यू बी यू एंड एफ, कोलकाता (प. बं.)	1983 एस

आई–भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
एस–राज्य कृषि विश्वविद्यालय
एन–स्वय सेवी सगठन
ओ–अन्य, केन्द्रीय राज्य सरकारों सहित/राज्य सार्वजनिक उपक्रम, शिक्षा संस्थानों सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय

गैर सरकारी संगठनों के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों (के. वी. के.) की सूची

क्रम सं.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम व पता	मेजबान संगठन	स्थापना वर्ष
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एम. आर. ओ. आफिस के पीछे, कोठा, मदनपुर महबूबनगर (आन्ध्र प्रदेश)	कार्यपालक निदेशक यूथ फॉर एक्शन 1-8-702/26/1, पदमा कालोनी हैदराबाद-500044 (आंध्र प्रदेश)	1992 एन
2.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र गद्दीपल्ली-508201, नालगोंडा, आन्ध्र प्रदेश	सचिव श्री अरविन्दो ग्राम विकास संस्थान गद्दी पल्ली-508201 (आंध्र प्रदेश)	1983 एन
3.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र आर. ए. एस. एस. वनस्थली गांव, करकनबाडी, चित्तूर-517501 (आं. प्र.)	अध्यक्ष रायल सीमा सेवा समिति, 9, पुराना हजूर कार्यालय बिल्डिंग, तिरूपति (आं. प्र.)	1992 एन
4.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र जमीकुंटा, करीमनगर-505112 (आं. प्र.)	निदेशक ग्राम नव निर्माण समिति, मकान सं. 1-9-639/1, विद्यानगर, हैदराबाद, (आं. प्र.)	1992 एन
5.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो. ओ. बंगानापल्ली, कुरनूल (आं. प्र.) 508201	सचिव श्री हनुमंतराय, शैक्षिक तथा धर्मार्थ सोसायटी रेडाकांति पब्लिक स्कूल इल्लूरू, कोथापेट कुरनूल (आं. प्र.)	1989 एन
6.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत भाग्यतुला धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा, येलामंचिली, विशाखापटनम-531005 (आं. प्र.)	सचिव भाग्यतुला धर्मार्थ ट्रस्ट, येलामांचिली, विशाखापटनम-531005 आंध्र प्रदेश	1995 एन
7.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो.बा. 214, जहीराबाद मेडक-502220 (आं. प्र.)	अध्यक्ष दक्कन विकास सोसायटी, ए-5, मीरा अपार्टमेंट, बशीरबाग, हैदराबाद (आ. प्र.)	1992 एन
8.	प्रशिक्षण आयोजक एन.जी.रंगा कृषि विज्ञान केन्द्र विनय आश्रम, काबूर, गुंटूर (आ. प.)	अध्यक्ष विनय आश्रम, काबूर, गुंटूर आंध प्रदेश	1992 एन

1	2	3	4
	बिहार		
9.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पी. ओ. सोखोदेवरा, नवादा–805106 (बिहार)	महासचिव, ग्राम निर्माण मंडल आश्रम सोखोदेरा, नवादा–805106 (बिहार) जुमई–811313 (बिहार)	1979 एन
10.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वनवासी सेवा केन्द्र, पो. आ. अधोरा, भबुआ–82116 (बिहार)	अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग संघ, खादी ग्राम, जुमई–811313 (बिहार)	1992 एन
11.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र शर्मा भारती, खादीग्राम, पो. आ. जुमई–811313 (बिहार)	अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग संघ, खादी ग्राम, जुमई–811313 (बिहार)	1994 एन
12.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र वी पी ओ बसैठ, चांदपुरा, मधुबनी–847102 (बिहार)	अध्यक्ष एस. के. चौधरी शिक्षा ट्रस्ट, नई दिल्ली	1994 एन
	गुजरात		
13.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भड़ौच	अध्यक्ष, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे	1994 एन
14.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मंगल भारतीय गोलागामडी, गोलगामण्डी बड़ोदरा, (गुजरात)	अध्यक्ष मंगल भारती, बहादुरपुर, बड़ौदा–391125	1994 एन
15.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र समोदा, सिद्धपुरा, मेहसाणा–384130	निदेशक सरस्वती ग्राम विद्यापीठ, समोदा, मेहसाणा	1992 एन
16.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मुंद्रा, कच्छा–370130	अध्यक्ष ग्रामीण कृषि अनुसंधान तथा विकास सोसायटी, जुहू, मुम्बई	1992 एन
	हरियाणा		
17.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र नं. 2, राजेन्द्र पार्क, महेश नगर, अम्बाला कैन्ट, अम्बाला (हरियाणा)	अध्यक्ष सोसायटी फॉर क्रियेशन ऑफ हैवन ऑन अर्थ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	1993 एन

1	2	3	4
18.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत श्रीभगवत भारती आश्रम, रामपुरा, रिवाड़ी – 123401 (हरियाणा)	सचिव भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रिवाड़ी–123401	1983 एन
जम्मू और कश्मीर			
19.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कालीबाड़ी, कठुआ (जम्मू और कश्मीर) – 184104	सचिव शिव ग्रामोद्योग मंडल, कठुआ, (जम्मू एवं कश्मीर)	1993 एन
झारखंड			
20.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, पो. आ. धोरलाश, देवघर–814152 (बिहार)	महासचिव संथाल पहाड़िया सेवा मंडल देवघर–814152 (बिहार)	1985 एन
21.	मुख्य प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो. आ. मोराबादी, रांची–834008 (बिहार)	सचिव कृषि विज्ञान केन्द्र, रामकृष्णमिशन आश्रम, मोराबादी, रांची	1977 एन
22.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, होली कास, वी टी आई, हजारीबाग–825301	निदेशक होली क्रास, वी टी आई, हजारीबाग – 825301 (बिहार)	1984 एन
कर्नाटक			
23.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सूट्टूर मैसूर (कर्नाटक)	अध्यक्ष जे. एस. एस. ग्रामीण विकास फाउंडेशन, मैसूर	1994 एन
24.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चिक्का बालापुर, कोलार (कर्नाटक)	अध्यक्ष कर्नाटक कल्याण सोसायटी, चिकाबलापुर (कोलार)	1994 एन
25.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, टुकन्टी गोहक बेलगांव–591319 (कर्नाटक)	अध्यक्ष बेलगांव समन्वित ग्रामीण विकास सोसायटी, बेलगांव	1994 एन
26.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, हुलकोटी जिला–गडग (कर्नाटक)	अध्यक्ष के. एच. पाटिल कृषि विज्ञान विश्व फाउन्डेशन जिला गडग – 582205	1985 एन
केरल			
27.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मित्र निकेतन, वेल्लान्द, तिरूवन्नतपुरम (केरल)	अध्यक्ष मित्र निकेतन, वैल्लान्द – 696543 तिरूवन्नतपुरम (केरल)	1979 एन

1	2	3	4
28.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र चाकूपल्लम, इडुक्की (केरल)	अध्यक्ष, बापूजी सेवक समाज, चाकूपल्लम इटुक्की (केरल)	1994 एन
29.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पाठिनामिठ्ठा (केरल)	अध्यक्ष क्रिशचन ग्रामीण विकास समिति थिरूवल्ला, पाठिनामिठ्ठा (केरल)	1994 एन
मध्य प्रदेश			
30.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जौरा, कालुकेडा, रतलाम–457340	अध्यक्ष कालुकेडा शिक्षा समिति, रतलाम (मध्य प्रदेश)	1994 एन
31.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, श्री मालवा महिला विकास समिति, पी. ओ. सिरजॉन विदिशा–464228 (मध्य प्रदेश)	अध्यक्ष मालवा महिला विकास समिति, 32, नियामतपुर शाहजहांबाद, भोपाल (मध्य प्रदेश)	1992 एन
32.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मझगांव, सतना–484331 (मध्य प्रदेश)	अध्यक्ष दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली	1992 एन
महाराष्ट्र			
33.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भाग्य नगर परभणी – 431401 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष जीवन ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट, परभणी (महाराष्ट्र)	1994 एन
34.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पी. ओ. तालासदी, कोल्हापुर–416012 (महाराष्ट्र)	चेयरमैन डी वाई पाटिल शिक्षा समिति तालासंडे, कोल्हापुर–(महाराष्ट्र)	1994 एन
35.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जलगांव जमोद, बूलदाना–443402 (महाराष्ट्र)	चेयरमैन सतपुड़ा शिक्षा समिति जलगांव, जमोद, बूलदाना–443402	1994 एन
36.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, घाटखेड, अमरावती (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष श्रम साधना ट्रस्ट, 57, कांग्रेस नगर, अमरावती	1995 एन
37.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्गापुर, अमरावती (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष श्रम शाफल्य फाउंडेशन मधुबन कालोनी कैम्प, अमरावती	1995 एन
38.	प्रशिक्षण आायेजक कृषि विज्ञान केन्द्र एच. आई. जी. कालोनी, नजदीक आई टी आई, नांदेड़ (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान शिक्षा संस्थान, नांदेड (महाराष्ट्र)	1994 एन

1	2	3	4
39.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, 51 रेलवे लाइन्स, शोलापुर–413001 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष शबरी कृषि प्रतिष्ठान शोलापुर, महाराष्ट्र	1994 एन
40.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कर्दा रिसोड, अकोला–444106 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष एस यू वीं आई डी ई फाउंडेशन रिसोड अकोला, महाराष्ट्र	1994 एन
41.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पोईप आदर्श कृषि, सिंधुदुर्ग–416622 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष पोईप आदर्श कृषि, सिंधुदुर्ग–(महाराष्ट्र)–	1995 एन
42.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा गोखले शिक्षा समिति कोसबाद हिल, थाणे–401703 (महाराष्ट्र)	सचिव गोखले शिक्षा समिति, डी वाई के कालेज ऑफ कामर्स, नासिक (महाराष्ट्र)	1976 एन
43.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत सतपुडा विकास मंडल, पाल, रावर, जलगांव–425508 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष सतपुड़ा विकास मंडल, पाल, रावर, जलगांव–425508 (महाराष्ट्र)	1984 एन
44.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आदर्श कालोनी, ग्राम–अम्बाजोगई, जिला–बीड–431517 (महाराष्ट्र)	चेयरमैन, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीटयूट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली	1992 एन
45.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कालावाडे, कराड़ सतारा–415110 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट, कोरेगांव रोड़, पुणे (महाराष्ट्र)	1992 एन
46.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत कृषि विकास ट्रस्ट, शारदानगर बारामती, पुणे–413115 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष कृषि विकास ट्रस्ट शारदानगर बारामती, पुणे–413115 (महा.)	1992 एन
47.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र भाबलेश्वर, श्रीरामपुर अहमदनगर–4137336 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान में परवा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, परवानगर अहमदनगर	1992 एन
48.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र सी–413, बसंतदादा सहकारी साखर, कारखाना सांगली–416416 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष बसंत प्रकाश विकास प्रतिष्ठान, संगली (महाराष्ट्र)	1992 एन
49.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मराठवाड़ा, सेठी सहाय मंडल, पी बी नं. 225 एस पी रोड जलना – 431203 (महाराष्ट्र)	सचिव मराठवाड़ा सेठी सहाय मंडल पी बी. नं. 45 एस पी रोड, जलना–431203 (महाराष्ट्र)	1992 एन

1	2	3	4
राजस्थान			
50.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वी. पी. टंकाडरा, चोमू, जयपुर (राजस्थान)	सचिव प्रगति ट्रस्ट, चौमू जयपुर (राज.)	1992 एन
51.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बडगांव, उदयपुर–313001 (राज.)	अध्यक्ष विद्या भवन सोसायटी बड़गांव, उदयपुर–313001	1983 एन
52.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सरदार शहर, चुरू–311401 (राज.)	रजिस्ट्रार गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, चुरू	1992 एन
53.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गायत्री शांति पीठ, बाड़मेर–344001 (राज.)	सचिव सोसायटी ऑफ अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी, बाडमेर (राज.)	1992 एन
54.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सांगरिया, हनुमानगढ़ (राज.)	अध्यक्ष केश्यानन्द मैमोरियल ट्रस्ट, सांगरिया, हनुमानगढ़ (राज.)	1989 एन
तमिलनाडु			
55.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, धर्मपुरी, (तमिलनाडु)	अध्यक्ष तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, टी नगर, मद्रास – 500012	1994 एन
56.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र टेंकोसी, नेल्लई काट्टाबोमन्, जिला–तिरूनेलेवेली (तमिलनाडू)	अध्यक्ष आर. वी. एस. एजुकेशन ट्रस्ट, डिंडीगुल अन्ना (तमिलनाडु)	1994 एन
57.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कट्चीपुरम, वाया थेन्नी, मदुराई–626520 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष विकास एवं दूरसंचार ट्रस्ट का केंन्द्र थेनी, मदुराई–626520	1994 एन
58.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, किलनेली ग्राम, वेम्बाक्कम ब्लाक, थिरूवन्नामलाई, समबुवरयार (तमिलनाडु)	अध्यक्ष तमिलनाडु बोर्ड ऑफ रूरल डैव. नं.–13, क्रीसेंट पार्क स्ट्रीट, टी. नगर, मद्रास – 500017	1991 एन
59.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत यू. पी. ए. एस. आई., ग्लेनव्यू, कून्नूर–643101 नीलगिरी जिला (तमिलनाडु)	सचिव यू. पी. ए. एस. आई., ग्लीनव्यू, कून्नूर–643101 नीलगिरी जिला (तमिलनाडु)	1983 एन
60.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र आर वी एस कैम्पस, उसीलमपट्टी, तंजावुर (तमिलनाडु)	अध्यक्ष भाकवा मेमोरियल ट्रस्ट, 596, ए–1 एंव ए–2, टीएनएचवी कालोनी, पेरियार नगर, कोराथुर, मद्रास – 600080	1995 एन

1	2	3	4
61.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अल्लीकुलम, मुन्द्रादजपू, पो. आ. करियापट्टी, कमराज–626102 (तमिलनाडु)	अध्यक्ष मेयर्स ट्रस्ट, मदुरई (तमिलनाडु)	1995 एन
62.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मेराडा का तलमाली केन्द्र, तलवाडी ब्लॉक, सत्यामंगलम, तालुक, पेरियार – 638468 (तमिलनाडु)	एक्ज्यूकेटिव निदेशक, मेराडी, डोमलुर ले–आउट, बंगलौर–560071	1991 एन
63.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वेगाईकुलम, चिदम्बरनार (तमिलनाडु)	अध्यक्ष एससीएडी चेरानदेवी, तिरूनेलवेल्ली (तमिलनाडु)	1995 एन
त्रिपुरा			
64.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दिव्योदया, दिबानन्दपाली, सेन्बर, खोवली सब डिविजन, पश्चिम त्रिपुरा–799207	महासचिव श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, 23 आर एन. मुखजी रोड़, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	1979 एन
उत्तर प्रदेश			
65.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर–228118 (उ. प्र.)	सचिव कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट सुल्तानपुर–228118 (उ. प्र.)	1976 एन
66.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जय–प्रभा, ग्राम–गोपालाग्राम, खारगू चांदपुर, गांधी पार्क, गोंडा–271001 (उ. प्र.)	अध्यक्ष दीनदयाल अनुसंधान संस्थान रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली	1989 एन
67.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गनीवान, बांदा–210206 (उ. प्र.)	–वही– सचिव	1992 एन
68.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सोहना, सिद्धार्थनगर–272193 (उ. प्र.)	लेऑड टेल एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, सोहना, सिद्धार्थनगर–272193 (उ. प्र.)	1992 एन
पश्चिमी बंगाल			
69.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत श्री रामकृष्ण आश्रम, पी. ओ. नीमपीठ आश्रम, साउथ–24 परगना, (प.बं.)	अध्यक्ष श्री रामकृष्ण आश्रम, पी. ओ. नीमपीठ आश्रम, साउथ–24 परगना–743338	1979 एन
70.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कपगिरि, मिदनापुर–721505 (प. ब.)	अध्यक्ष सेवा भारती, कपगिरि, मिदनापुर–721505	1976 एन
71.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, विवेकानन्द नगर, पुरूलिया–735219 (प. बं.)	अध्यक्ष कल्याण पी. ओ. विवेकानन्द नगर, पुरूलिया	1992 एन

[हिन्दी]

अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के पदों को भरा जाना

2134. श्री रामदास आठवले : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कार्यरत मदर डेयरी के फल और सब्जी संयंत्रों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के श्रेणी–वार और स्थान–वार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन संयंत्रों में आरक्षण के निर्धारित मानदण्डों का पालन किस सीमा तक किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा अ.ज., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के आरक्षित किन–किन पदों को भरे जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : **(क)** मदर डेयरी खाद्य प्रसंस्करण लिमिटेड का फल एवं सब्जी एकक मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, दिल्ली में स्थित है।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारी
ए	–	01	–	69
बी	02	–	02	169
सी	03	01	01	53
डी	40	02	13	245

(ग) सरकार द्वारा आरक्षण के निर्धारित मानदंडों का पालन भरे जा रहे रिक्त पदों की संख्या, विज्ञापन के उत्तर में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों का उत्तर तथा तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जा रहा है।

(घ) जब कभी भी रिक्ती होती है तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर रोजगार कार्यालय में रिक्त पदों की सूचना भेज करके भविष्य में इन पदों को भरा जाता है तो आरक्षित श्रेणियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय मिनी किट कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2135. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खरीफ और रबी दोनों मौसमों हेतु भिन्न–भिन्न स्रोतों से कर्नाटक के किसानों को मिनी किटों के रूप में चारे के बीजों की आपूर्ति निःशुल्क की है;

(ख) यदि हां, तो किसानों द्वारा खेतों में चारा डेमोंस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए वर्ष 2001–2002 के दौरान राज्य को कितनी मिनी किटों की आपूर्ति की गई; और

(ग) वर्ष 2002–2003 के दौरान राज्य को ऐसी कितनी मिनी किटों की आपूर्ति की जानी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार को 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान निम्नलिखित संख्या में चारा किट आवंटित किए गए थे

2001–2002			2002–2003		
रबी	खरीफ	कुल	रबी	खरीफ	कुल
5,151	10,000	15,151	10,830	22,000	32,830

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन स्थलों की खोज

2136. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत मुरादाबाद और बरेली मंडल में कौन–कौन से स्मारक हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के मुदाराबाद जिले में मदरपुर में किए गए उत्खनन से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पुरातत्व स्थल का पता चला है;

(ग) इस स्थल के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए

हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस क्षेत्र में और उत्खनन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) मुरादाबाद और बरेली मंडल में संरक्षित स्मारकों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जनवरी, 2000 में की गई खुदाई से ई.पू. दूसरी सहस्राब्दि की वस्तुएं आदि मिली हैं।

(ग) और (घ) स्थल का संरक्षण करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अब तक 1,84,093 रुपए का व्यय किया गया है। निकटवर्ती क्षेत्रों में उनकी पुरातत्वीय संभाव्यता का मूल्यांकन करने के निमित्त पता लगाने के लिए और आगे कदम उठाए गए हैं।

विवरण

(क) मुरादाबाद मंडल

(i) मुरादाबाद जिला

क्र.सं.	स्थान	केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/ स्थल का नाम
1	2	3
1.	अलीपुर, तहसील चन्दौसी	अमरपति खेड़ा
2.	अलीपुर, तहसील चन्दौसी	चन्देश्वर खेड़ा
3.	बेरनी, तहसील चन्दौसी	खेड़ा अथवा टीला जिसे अवशेष अथवा महल अथवा राजा वेणा के नाम से ख्याति प्राप्त है।
4.	भेरामरतपुर, तहसील अमरोहा	विशाल टीला, एक प्राचीन मन्दिर का स्थल
5.	फिरोजपुर, तहसील संभल	पुराना किला तथा उसके स्मृति अवशेष
6.	गुमथल खेड़ा	प्राचीन टीला
7.	करवर, तहसील बिलारी	विशाल टीला
8.	संभल, तहसील संभल	जामी मस्जिद
9.	सरथल खेड़ा, तहसील चंदौरी	टीला
10.	सोनधन मुहम्मदपुर, तहसील संभल	कारवां सराय का दरवाजा
11.	सोनधन मुहम्मदपुर, तहसील संभल	कारवां सराय की मस्जिद

(ii) ज्यातिभा फूले नगर जिला

क्र.सं.	स्थान	केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/ स्थल का नाम
1.	अमरोहा, तहसील अमरोहा	कूआं या बावली जो बाह–का–कूआं नाम से मशहूर है
2.	आजमपुर, तहसील हसनपुर	तालिब खान की कब्र
3.	आजमपुर, तहसील हसनपुर	अब्दुल गफर शाह की कब्र
4.	आजमपुर, तहसील हसनपुर	अब्दुल गफर शाह के पौत्र की कब्र तथा मस्जिद

(iii) बिजनौर जिला

क्र.सं.	स्थान	केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/ स्थल का नाम
1	2	3
1.	चन्दनपुरा, तहसील नजीबाबाद	मोरधज जिसे मुनव्वर जार के नाम से भी जाना जाता है तथा ऊंचा टीला
2.	चांदपुर, तहसील चांदपुर	किला
3.	चांदपुर, तहसील चांदपुर	मस्जिद
4.	दारानगर, तहसील बिजनौर	पुराना ब्रिटिश कब्रिस्तान
5.	दौलताबाद, तहसील बिजनौर	प्राचीन स्थल

1	2	3
6	जहांनाबाद, तहसील बिजनौर	नवाब शुजत खान का मकबरा
7.	मंडावर, तहसील बिजनौर	जामी मस्जिद
8.	मंडावर, तहसील बिजनौर	कुआं
9.	नगीना, तहसील बिजनौर	पुराना पाथन किला
10.	नजीबाबाद, तहसील बिजनौर	नवाब नजीब–ऊ–दौला का कब्रिस्तान
11.	नजीबाबाद, तहसील बिजनौर	पथरगढ़
12.	–वही–, –वही–	पुराने महल का हिस्सा
13.	–वही–, –वही–	नवाब नजीब–ऊ–दौला का मकबरा
14.	टीप, तहसील बिजनौर	टीला

(ख) बरेली मंडल

(i) बरेली जिला

क्र.सं.	स्थान	केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/ स्थल का नाम
1	2	3
1.	आंवला, तहसील आंवला	बेगम मस्जिद या तीन ऊंचे गुम्बद
2.	बरेली, बकर गंज, तहसील बरेली	रोहिल्ला प्रमुख हफीज–उल–मुल्क रहमत खान का मकबरा
3.	बरेली, शाह दाना, तहसील बरेली	हरमित शाह दाना का मकबरा
4.	फतेह गंज	लाल बलुआ पत्थर का विशाल स्तम्भ चिन्ह
5.	पचोमी या वहीदपुर पचोमी, तहसील फरीदपुर	कई प्राचीन क्षतिग्रस्त टीले जिनमें से इंडो साइदियन सिक्के प्राप्त हुए हैं
6.	रामनगर, अलमपुर कोट, जगन्नाथपुरे	प्राचीन स्थल
7.	रामनगर, तहसील आंवला	किला
8.	रामनगर, तहसील आंवला	चिकातिया खेरा कहा जाने वाला टीला
9.	रामनगर, तहसील आंवला	टैन्स के दक्षिण में टीला जिसे गंधन सागर और आदिसागर के नाम से जाना जाता है
10.	रामनगर, तहसील आंवला	कटारी खेरा या कोट्टारी खेरा के नाम से विख्यात छोटी पहाड़ी
11.	रामनगर, तहसील आंवला	स्तूप टीला
12.	रामनगर, तहसील आंवला	कोनवरू ताल के निकट दो बौद्ध टीले
13	रेहतोइया, तहसील आंवला	आंवला रेलवे स्टेशन के निकट स्थान

(ii) बदायूं जिला

क्र.सं.	स्थान	केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/ स्थल का नाम
1.	बदायूं, तहसील बदायूं	इमादुल मुल्क की दरगाह उर्फ पिसान हरी–का–गुम्बज तिथि 896 एएच
2.	–वही–	जामी मस्जिद
3.	–वही–	मकबरा, मोहल्ला बेहरामपुर, इखलास खान का मकबरा
4.	–वही–	अलाऊद्दीन आलम की मा, मखदुमन जहां का मकबरा

(iii) पीलीभीत जिला

क्र.सं.	स्थान	केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/ स्थल का नाम
1.	पीलीभीत, तहसील पीलीभीत	जामी मस्जिद

डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध

2137. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 सितंबर, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'डीजल फ्यूम्स में कॉज कैंसर : यू.एस. रिपोर्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यावरण की सुरक्षा हेतु राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों/बसों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी (यू.एस.ई.पी.ए.) की रिपोर्ट के अनुसार डीजल इग्जास्ट के संपर्क में आने से कार्सिनोजनक प्रभावों की संभावना होती है। तथापि यू.एस.ई. पी.ए. का यह भी मानना है कि ये निष्कर्ष पर्याप्त अनिश्चितताओं के अधीन हैं और उन्हें जोखिम की एक निश्चित परिमाणात्मक विशेषता नहीं समझना चाहिए।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राजधानी में चल रही सभी डीजल चलित सिटी बसों को आवश्यक रूप से सीएनजी मोड में तब्दील किया जाना और राजधानी न आने वाले अन्तर्राज्यीय ट्रकों को सिटी सीमा में चलने की अनुमति नहीं है। माल वाहनों के दिन के समय चलाए जाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है।

ओपन स्काई पॉलिसी

2138. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओपन स्काई पॉलिसी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में इस मुद्दे पर मतभेद हैं, और

(ग) पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2002 से मार्च 2003 के बीच एयर इंडिया के साथ कोड शेयरिंग आधार पर ओपन स्काई पॉलिसी के संबंध में क्या आपत्तियां व्यक्त की गई हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) व्यस्ततम सीजन में होने वाली भीड़-भाड़ को देखते हुए सरकार द्वारा 1 दिसम्बर, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक यू.एस./पश्चिमी यूरोप से नामित किए गए विमानों को एयर इंडिया के साथ वाणिज्यिक करार की शर्त पर अतिरिक्त सैक्सन फ्लाइटों के प्रचालन के लिए निदेश जारी कर दिए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय का मत है कि एयर इंडिया के साथ हुए वाणिज्यिक करार से अपेक्षित परिणाम नहीं निकलेगा और न ही व्यस्ततम टूरिस्ट सीजन के दौरान फायदेमंद कारोबार होगा और न ही भारत में घूमने के लिए आएंगे। क्योंकि इसी अवधि के दौरान द्विपक्षीय करारों के बाहर अतिरिक्त सैक्सन फ्लाइटों के प्रचालन की अनुमति देने के लिए हमारा एकपक्षीय निर्णय यू.एस./यूरोपियन विमानों के लिए लाभप्रद होगा। इसलिए, वाणिज्यिक करार के उपबंध को जारी रखने की आवश्यकता महसूस की गई।

[हिन्दी]

पशु अनुसंधान केन्द्र

2139. श्री राम टहल चौधरी :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पशु अनुसंधान केन्द्रों की कमी है और विद्यमान केन्द्र सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में कितनी नस्लें विकसित की गई हैं, और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितना व्यय किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नई नस्ल विकसित नहीं की गई है, चूंकि नई नस्ल के विकास का कार्य विभिन्न चरणों में है, अतः व्यय की गई राशि को संविभाजित करना मुश्किल है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में समुद्रकटाव रोधी योजनाएं

2140. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों ने केन्द्रीय जल आयोग को राज्य में समुद्रकटाव रोधी कार्य करने हेतु वित्तीय सहायता और स्वीकृति हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) समुद्रकटाव रोधी कार्यों के निर्माण के लिए कर्नाटक, पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी से प्राप्त प्रस्तावों सहित महाराष्ट्र सरकार से 193.80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन.सी.पी.पी.) के फेज–I के तहत शामिल किया गया है। इन प्रस्तावों की जांच केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे के परामर्श से की जा रही है। अन्य तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, उड़ीसा और तमिलनाडु शामिल हैं, से प्राप्त प्रस्तावों को परियोजना के फेज–II में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा राज्यों और पांडिचेरी से प्राप्त प्रायोजित स्कीम में गंभीर समुद्रकटाव रोधी कार्यों को शुरू करने संबंधी प्रस्तावों को शामिल किए जाने की भी केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

पर्यटन को बढ़ावा

2141. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्यटन उद्योग राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है और अर्थक्षम कार्यकलापों के रूप में पर्यटन को नए सिरे से बढ़ावा देने तथा उसे सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के लिए राजस्व अर्जित करने वाला बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक पर्यटक स्थलों की पहचान करने और अपने पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से उन्हें विदेशों में बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) विश्व पर्यटन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन, 83 प्रतिशत देशों के लिए पांच प्रमुख निर्यात श्रेणियों में से एक है और इनमें से कम से कम 38 प्रतिशत देशों के लिए यह विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियां तथा अंतर्राष्ट्रीय किराया प्राप्तियां, विश्व वार माल एवं सेवाओं पर कुल निर्यात से होने वाली आय मीटे तौर पर 8 प्रतिशत तक गिनी जा सकती है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रेणियों में सबसे अधिक है।

जहां तक भारत का संबंध है, एक नई पर्यटन नीति तैयार की गई है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यटन को आर्थिक विकास के मुख्य ईंजन के रूप में स्थापित करना एवं रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास हेतु पर्यटन के प्रत्यक्ष एवं विविध प्रकार के प्रभावों को कार्यान्वित करना है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में वार्षिक रूप से 6 पर्यटन परिपथों और एक गंतव्य स्थल को अभिनिर्धारित करने एवं इन परिपथों/स्थलों में सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष में राज्य सरकारों के परामर्श से विकास के लिए निम्नलिखित 6 परिपथ अभिनिर्धारित किए गए हैं :

(i) बुद्धिस्ट परिपथ : बोधगया–राजगीर–नालंदा–वाराणसी।

(ii) हिमालयन परिपथ :

रूट I–चण्डीगढ़–बिलासपुर–कुल्लू–मनाली–रोहतांग ला–की लॉग–सरचु–उपशि–लेह।

रूट II–शिमला–संगला–काजा–चतरू–केलांग–सरचु–यशी–लेह।

(iii) मध्य परिपथ : (हेरिटेज, प्राकृतिक एवं वन्यजीव परिपथ) ग्वालियर–शिवपुरी–चंदेरी–ओरछा–खजुराहो–

झांसी–भोपाल–सांची और बुद्धिस्ट क्षेत्र के आसपास भीमबेटका–पंचमढ़ी–कान्हा जबलपुर (भेड़ाघाट)।

(iv) पश्चिमी परिपथ (कोंकण रिवियरा परिपथ) : मुम्बई–अलीबाग (मांडवा)–मुरादजंजीरा–गणपतिपुले–विजय–दुर्ग–मीतीबाद–कुंकेश्वर–मोचेत्मड–सिंधुदुर्ग–तार–करली–शिरोडा–सावंतवाड़ी–अम्बोली–गोवा–कोस्टल कर्नाटक–बेकल।

(v) दक्षिणी परिपथ (बैकवाटर एवं बीच परिपथ) : कोचीन–कुमारकोम–(बैकवाटर)–कोट्टायम–किलोन–त्रिवेन्द्रम (कोवलम)।

(vi) पारिस्थितिकीय पर्यटन परिपथ : शिलांग–गुवाहाटी–काजीरंगा–तेजपुर–भालकपुंग–त्वांग (अरुणाचल प्रदेश)–मजुली–सिबसागर–कोहिमा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पर्यटन हबों का विकास भी प्रारम्भ किया गया है, जिसमें संस्कृति, पर्यटन, स्वच्छ नागरिक जीवन, दक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन तथा स्वस्थ परिवेश आदि कारकों को समाविष्ट किया गया है।

पारि विकास योजनाएं

2142. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न अभयारण्यों के विकास तथा अभयारण्य क्षेत्रों में तथा इनके आसपास रहने वाले मानवों के हितों के संरक्षण हेतु पारि विकास योजनाएं शुरू करने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ सुझाव देने अथवा पारि विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ अभयारण्य–वार कितनी निधियां उपलब्ध कराई गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) वन्य जीवों के स्व–स्थाने संरक्षण हेतु आन्ध्र प्रदेश सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का, पारि विकास एक अभिन्न घटक है। इस घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर और उनके आसपास मानव–जन्तु अन्तरापृष्ठ से उत्पन्न, लोगों और वन्य जीवों के पारस्परिक प्रभाव को कम करने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों के प्रस्तावों के आधार पर तथा धन उपलब्ध होने की दशा में उन्हें पारि विकास के अंतर्गत कार्यकलाप करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पारि विकास कार्यकलापों के नियोजन और निष्पत्ति के लिए पारि विकास समितियां गठित करने हेतु कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में पारि विकास संबंधी कार्यकलापों को करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में 25.11.2002 तक राज्यों को दी गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(राशि लाख रु. में)

			2000–2001	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	(i) किन्नेरसानी	–	–	1.50
		(ii) महावीर हसीना वनस्थली	–	8.00	1.10
		(iii) मन्जीरा	–	5.30	0.40
		(iv) कवल	–	4.00	3.00
		(v) प्रानाहिता	–	4.30	0.92
		(vi) नेल्लापट्टु	–	4.00	1.80

1	2	3	4	5	6
		(vii) नागार्जुन सागर	25.00 8.548	23.50	–
		(viii) पापी कोन्डा	–	3.995	–
		(ix) श्री वेंकटेश्वरा	–	4.00	–
		(x) कृष्णा	–	2.00	–
		(xi) पुलीकट	–	6.65	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	(i) डी–ईरिंग	3.13	4.031	–
		(ii) मौलिंग	1.50	1.60	0.40
		(iii) पखुई	12.00	4.09	–
		(iv) इटानगर	3.35	10.00	–
		(v) कमलांग	1.60	–	–
		(vi) मेहाओ	1.80	4.00	0.30
		(vii) नामडाफा टी आर	–	4.484 5.248	–
		(viii) टेल	1.95	4.70	9.70
		(ix) ईगल नेस्ट	1.00	5.00	–
		(x) सेसा ऑर्चिड	1.00	–	–
		(xi) डिबांग	4.50	2.00	–
3.	असम	(i) डिब्रु–साईखोवा	2.85	–	–
		(ii) गरमपानी	1.45	–	–
		(iii) पोबीटारा	5.25	7.50	–
		(iv) ओरंग	5.60	4.50	–
		(v) गिब्बन	3.66	4.00	–
		(vi) नमेरी	3.50	11.05	22.30
		(vii) चक्रशिला	2.60	–	–
		(viii) बर्नाडी	3.70	2.50	–
		(ix) सुनईरूपा	4.65	–	–

1	2	3	4	5	6
		(x) लाओखोवा	4.10	4.50	–
		(xi) पानीधिंग	5.35	–	–
		(xii) बुराछपरी	5.35	2.60	–
		(xiii) काजीरंगा	–	2.16	–
		(xiv) ईस्ट करबी अंगलोंग	–	5.00	–
		(xv) पदुमनी भारजन	–	–	1.00
4.	बिहार	(i) डलमा	2.99	–	–
		(ii) गौतम बुद्ध	8.00	–	–
		(iii) बाल्मीकि टी आर	18.00	–	–
		(iv) विक्रमशिला	–	7.00	–
		(v) भीमबन्धु	–	10.70	–
		(vi) कैमूर	–	16.16	–
5.	छत्तीसगढ़	(i) पामेड	–	10.00	–
		(ii) भालरामगढ़	–	6.70	–
		iii) गुरूघासी	–	8.00	–
		(iv) तोमारपिंगला	–	–	6.10
		(v) उदान्ती	–	–	0.20
		(vi) बर्नवापारा	–	–	1.00
		(vii) गोमर्डा	–	–	1.00
6.	हिमाचल प्रदेश	(i) चैल	13.00	10.00	–
		(ii) नन्दा देवी	12.00	5.00	–
		(iii) बान्दली	15.00	19.45	–
		(iv) शिकारीदेवी	10.00	5.27	–
		(v) किन्नेर	4.00	18.00	–
		(vi) पिनवैली	8.00	13.55	–
		(vii) कैस	4.00	3.45	–

1	2	3	4	5	6
		(viii) चुरधार	–	9.95	–
		(ix) तलरा	–	4.90	–
		(x) मनाली	–	3.24	–
		(xi) रूपी भाबा	–	5.00	–
		(xii) नरगु	–	12.136	–
		(xiii) खोकन	–	2.74	–
		(xiv) माजथल	–	5.30	–
		(xv) तिरथन	–	6.73	–
		(xvi) सैन्ज	–	6.63	–
7.	झारखण्ड	(i) डलमा	–	751	–
		(ii) महुआदनार	–	5.05	–
8.	कर्नाटक	(i) भद्रा टी आर	12.00	31.50	–
		(ii) बांदीपुर टी आर	30.00 20.60	25.00	–
		(iii) कावेरी डब्ल्यू एल एस	12.00 6.00	25.00	–
		(iv) शेट्टीहेल्ली डब्ल्यू एल एस	10.00	13.82	1.625
		(v) चामाराज नगर	12.50	–	–
		(vi) दरोजी	12.50	17.70	1.386
		(vii) बन्नेरघाटा	40.00	50.00	–
		(viii) दान्देली	4.22	18.00	5.90
		(ix) तालाकावेरी	2.10	–	–
		(x) पुष्पागिरी	2.85	–	–
		(xi) भ्रमागिरी	5.75	–	–
		(xii) अंशी एन पी	20.00	28.82	11.45
		(xiii) रनेबेन्नूर	18.50	17.20	1.82
		(xiv) घटप्रभा	–	23.00	–

1	2	3	4	5	6
		(xv) गुडावी	–	11.00	–
		(xvi) श्रावती	–	15.50	1.125
		(xvii) अराबीघीटु	–	9.65	0.90
		(xviii) मलकोते	–	14.65	1.80
		(xix) अट्टीवेरी	–	15.00	2.22
		(xx) बी आर टी	–	0.96	3.50
				11.04	
				18.00	
9.	केरल	(i) परमबीकुलम	10.00	10.00	–
			6.35		
		(ii) थारेकाड	10.80	12.90	–
		(iii) इडुक्की	17.42	2.28	–
		(iv) पेप्परा	15.60	–	1.75
		(v) शेन्दुनी	7.93	–	1.75
		(vi) अरलाम	12.52	–	–
		(vii) नेरूयार	12.00	10.00	–
			6.189	13.50	
		(viii) साईलेंट वैली	10.00	10.00	–
			9.60	14.32	
		(ix) वायनाड	15.00	7.00	1.00
			5.00	7.40	
		(x) पीची वाजाहनी	15.00	7.00	0.50
				7.00	
		(xi) पारमबिकुलम	–	10.00	–
				21.90	
		(xii) ऐरावीकुलम	–	10.00	8.20
				4.97	
10.	मध्य प्रदेश	(i) कान्हा टी आर	50.00	40.00	40.00
				31.62	

1	2	3	4	5	6
		(ii) कुनोपालपुर	20.00	30.00 10.00	–
		(iii) बान्धवगढ टी आर	25.00	8.00 3.65	–
		(iv) अचनकमार	9.50	–	–
		(v) इन्द्रावती टी आर	13.30	–	–
		(vi) पन्ना बाघ रिजर्व	8.73	5.00 6.65 5.00	23.35
		(vii) माधव	–	3.414	3.40
		(viii) केरारा	–	1.64	–
		(ix) रतापानी	–	40.00	–
		(x) न्यूरादेही	–	40.00	–
		(xi) केन्धरियाल	–	7.00	–
11.	महाराष्ट्र	(i) तडोबा अंधेरी टी आर	5.00	8.00	–
		(ii) मेलघाट टी आर	15.00	15.00	72.50
		(iii) पेंच टी आर	7.00	14.50 8.90	–
		(iv) गौताला औटामघाट	–	–	0.90
		(v) यावल	–	–	0.15
		(vi) चन्दोली	–	–	0.05
		(vii) नवेगांव	–	–	1.00
		(viii) राधानगरी	–	–	0.20
		(ix) नारनाला	–	–	0.50
		(x) तन्सा	–	–	0.40
12.	मणिपुर	(i) कीबुल लामजाओ	8.675	–	7.60
		(ii) योंगोपोकपी लैक्चाओ	12.77	9.15	10.33
13.	मेघालय	(i) नौकरेक एन पी	10.00	–	8.47

1	2	3	4	5	6
		(ii) बालफकरम एन पी	7.68	10.666	1.20
		(iii) नौखिलेम	3.84	6.44	1.95
14.	मिजोरम	(i) डम्पा टी आर	10.00	15.00	32.66
			7.10	6.78	
				35.00	
		(ii) लेंगतेंग	7.00	20.00	–
			6.80	8.25	
			4.70		
		(iii) नगेंपुई	12.20	10.00	24.00
				24.85	
		(iv) खंगलंग	10.00	15.00	8.80
			8.00	6.15	
			2.40		
		(v) मुरलेन	10.00	15.00	12.05
			4.90	6.65	
		(vi) फांगपुई	10.00	18.70	26.05
				12.20	
		(vii) तवी	12.00	20.00	20.10
			7.70	13.25	
			5.25		
		(viii) थोरंगतलंग	–	–	7.80
15.	नागालैंड	(i) फाकीम	10.25	2.40	–
		(ii) इटाकी	8.00	8.05	–
		(iii) पूलीबडजे	5.00	4.55	–
		(iv) रंगपहाड	–	13.45	11.70
16.	उड़ीसा	(i) सिमलीपाल टी आर	35.00	10.00	19.25
		(ii) भित्तरकनिका	10.96	–	6.00
		(iii) सुनबेड़ा	10.20	10.00	4.50
		(iv) गहीरमाथा	–	6.00	2.00
		(v) चण्डका डम्परा	–	7.00	4.00

1	2	3	4	5	6
		(vi) चिल्का	–	9.60	2.25
		(vii) डेबरीगढ़	–	–	6.00
		(viii) सतकोसिया	–	–	2.375
17.	पंजाब	(i) बीर मोती बाग	–	2.00	–
		(ii) बीर ऐशवनेस	–	7.00	–
		(iii) हरिके	–	3.272	–
18.	राजस्थान	(i) सरिस्का	–	30.00 28.20	47.60
		(ii) भरतपुर (केवलादेव)	–	22.00	–
		(iii) माउंट आबू	–	–	0.25
		(iv) फुलवारी की नाल	–	–	2.00
		(v) दर्रा	–	–	0.125
19.	सिक्किम	(i) सिंगबा रोडोडेंड्रान	7.05	8.85	1.20
		(ii) मेनम	5.60	–	11.00
		(iii) क्योगनोसला	8.95	2.50	3.32
		(iv) फामबोंगल्लोह	8.00	6.875	6.90
		(v) बारसी रोडोडेंड्रान	–	8.00	17.00
20.	तमिलनाडु	(i) ग्रिजल्ट जाइंट स्क्विरल	6.30	–	1.00
		(ii) कुंठनकुलन	–	6.38	–
		(iii) इंदिरा गांधी एन पी	–	–	4.30
		(iv) प्वाइंट कालीमेयर	–	–	0.60
		(v) पुलीकट	–	–	2.00
		(vi) कालीकिली	–	–	2.00
		(vii) वेदनथंगल	–	–	3.00
21.	उत्तर प्रदेश	(i) दुधवा टी आर	15.00	10.90 14.165	12.75
		(ii) चन्द्रप्रभा	5.68	11.15	6.00

1	2	3	4	5	6
		(iii) बखीरा	11.90	6.90	–
		(iv) सुहागीबरवा	10.00	–	6.04
		(v) बिनोग माउंटेन	12.00	–	–
		(vi) राजाजी एन पी	13.50	–	–
		(vii) सोना नदी डब्ल्यू एल एस	10.00	8.00	–
		(viii) रानीपुर	2.00	10.00 10.00	2.20
		(ix) कैमूर	20.00	8.875	7.80
		(x) विजय सागर	3.66	6.80	5.78
		(xi) सोहेलवा	–	10.00	–
		(xii) महावीर स्वामी	–	6.00 2.00	3.4
		(xiii) पार्वती बर्ड अभयारण्य	–	8.00	–
		(xiv) कतरनिया घाट	–	16.20	–
		(xv) नवाबगंज	–	–	1.35
		(xvi) समापुर	–	–	3.80
		(xvii) सुर सरोवर	–	–	2.425
		(xviii) नेशनल चम्बल	–	–	1.20
22.	उत्तरांचल	(i) कार्बेट टी आर	–	15.00	54.50
		(ii) राजाजी एन पी	–	20.00 30.00	–
		(iii) गोबिन्द पशु विहार	–	7.00	–
		(iv) बिनोग माउंटेन	–	10.00	–
23.	पश्चिमी बंगाल	(i) सुन्दरवन टी आर	30.00 18.00	25.00 –	60.50
		(ii) जलदापाड़ा	25.00	14.016 9.05	18.20

1	2	3	4	5	6
		(iii) सेंचल	15.00	8.00 4.68	17.275
		(iv) महानन्दा	25.00	9.62 9.30	13.80
		(v) गरूमारा	25.00	14.977 11.23	21.575
		(vi) सिंगालीला	15.00	–	9.50
		(vii) न्यौरा वैली	–	6.08 5.00	6.70
		(viii) लोथियां	–	5.00	–
24.	त्रिपुरा	(i) तृष्णा रोवा सिपाहीजाला	20.00	23.346	20.85 (तृष्णा)
		(ii) गुमटी	–	10.00	–

पारिस्थितिकीय संकट का सामना कर रहे शहर

2143. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पारिस्थितिकीय संकट का सामना कर रहे शहरों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शहरों में पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाए रखने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) प्रदूषण के स्वरूप व उसकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न भागों में 24 समस्या वाले क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इन क्षेत्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पर्यावरण के सुधार के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

क्र.सं.	शहर का नाम	सर्वेक्षण किया गया	कार्य योजना की स्थिति
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	पटनचेरू–बोल्लारम	हां	क्रियान्वयनाधीन
2.	विशाखापटनम	हां	क्रियान्वयनाधीन
	असम		
3.	दिगबोई	हां	क्रियान्वयनाधीन
	दिल्ली		
4.	नजफगढ़ ड्रेन बेसिन	हां	क्रियान्वयनाधीन
	गुजरात		
5.	अंकलेश्वर	हां	क्रियान्वयनाधीन
6.	वापी	हां	क्रियान्वयनाधीन

1	2	3	4
	हिमाचल प्रदेश		
7.	काला–अंब	हां	क्रियान्वयनाधीन
8.	परवानू	हां	क्रियान्वयनाधीन
	झारखण्ड		
9.	धनबाद	हां	क्रियान्वयनाधीन
	कर्नाटक		
10.	भद्रावती	हां	क्रियान्वयनाधीन
	केरल		
11.	ग्रेटर कोचिन	हां	क्रियान्वयनाधीन
	महाराष्ट्र		
12.	चेम्बूर	हां	क्रियान्वयनाधीन
13.	तारापुर	हां	क्रियान्वयनाधीन
	मध्य प्रदेश		
14.	कोरबा	हां	क्रियान्वयनाधीन
15.	नगदा–रतलाम	हां	क्रियान्वयनाधीन
	उड़ीसा		
16.	तलचर	हां	क्रियान्वयनाधीन
	पंजाब		
17.	गोबिन्दगढ़	हां	क्रियान्वयनाधीन
	राजस्थान		
18.	जोधपुर	हां	क्रियान्वयनाधीन
19.	पान	हां	क्रियान्वयनाधीन
	तमिलनाडु		
20.	मनाली	हां	क्रियान्वयनाधीन
21.	नॉर्थ आरकॉट	हां	क्रियान्वयनाधीन
	पश्चिमी बंगाल		
22.	दुर्गापुर	हां	क्रियान्वयनाधीन
23.	हावड़ा	हां	क्रियान्वयनाधीन
	उत्तर प्रदेश		
24.	सिंगरौली	हां	क्रियान्वयनाधीन

सी.जी.आई.टी.-सह-श्रमिक न्यायालय

2144. श्री रघुनाथ झा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए सी.जी.आई.टी.–सह–श्रमिक न्यायालयों की स्थापना नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनके अभाव में औद्योगिक विवाद और श्रमिक न्यायालयों में विभिन्न मामले निपटाने हेतु लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालय गठित किए गए हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक विवादों का विलम्बन न्यायालयों की संख्या के अलावा कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में कुल 17 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। तथापि, सरकार, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी लाने के लिए समय–समय पर समुचित कदम उठा रही है। पांच और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यालयों के गठन के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मत्स्यन विकास हेतु निधियां

2145. डा. बलिराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मत्स्यन विकास हेतु उत्तर प्रदेश को निधियां आवंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप मत्स्यन उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने "ताजा जल जलकृषि का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा जल भराव क्षेत्रों, लवणीय भूमि तथा अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी संबंधी पायलट परियोजनाओं के तहत मात्स्यिकी विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को धनराशि जारी की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकार को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 907.36 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में मछली उत्पादन 1999–2000 में 1.93 लाख टन से बढ़कर 2001–2002 में 2.25 लाख टन हो गया है।

कार्यरत कृषि वैज्ञानिक

2146. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री शिवाजी माने :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में कुल कितने वैज्ञानिक लगे हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए आविष्कार/खोजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों की कुल संख्या 5324 है। उनके वेतन के अलावा अनुसंधान पर वर्ष 2000–01 और 2001–02 के दौरान क्रमशः 549 करोड़ रुपये और 684 करोड़ रुपये खर्च किया गया।

(ख) प्रमुख उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रमुख उपलब्धियां

2000-2001

देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों और उत्पादन प्रणाली के लिए विभिन्न फील्ड व बागवानी फसलों की 135 से अधिकाधिक पैदावार देने वाली और रोग रोधी किस्में/संकर विकसित की गईं। अधिक लाभकर प्रणाली सहित उपयुक्त कृषि तकनीकों के निर्माण द्वारा इसे और बढ़ावा ही मिला जो विभिन्न कृषि–जलवायवीय क्षेत्रों के लिए आर्थिक रूप से सक्षम थी। कुल 2413 टन प्रजनक बीज भी तैयार किया गया जिसमें सब्जी वाले लगभग 55 टन बीज भी शामिल हैं। फार्म मशीनरी और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के विकास खेतों में और खेतों से बाहर गुण वर्धन प्रसंस्करण और भंडारण पर अधिक बल दिया गया। महत्वपूर्ण उपलब्धियों में फार्म उपस्करों जैसे– फार्म उपस्करों, टिन प्लांट, बीज एवं उर्वरक ड्रिल, तलाऊ चावल ड्रम सीडर, न्यूमेटिक सीड प्लांटर, शुगरकेन सैट कटर प्लांटर, पोटेटो प्लांटर, यांत्रिक सब्जी रोपाई यंत्र, ऐरोब्लास्ट स्प्रेयर, नारियल और सुपारी की फसलों के लिए स्प्रेयर अटैचमेंट, ब्रूम स्प्रेयर, अरहर और सूरजमुखी थ्रेशर, सब्जी धुलाई मशीन और गन्ना ट्रेश शेडर का विकास और मूल्यांकन शामिल हैं।

पशुधन और मुर्गी पालन सुधार और प्रबंधन में पशुधन गणना डाटा बैंक को भारत के पशु आनुवंशिक स्रोतों की सूचना प्रणाली में समेकित किया गया और सीडी माध्यम पर उपलब्ध कराया गया। भारत के पशु संसाधनों और आहार पर डाटा सूचना प्रणाली विकसित की गई, माइक्रो–सेटेलाइट डीएनए मार्करों, मोनोक्लोनल एंटीबाडी किट, आहार सम्पूरक और वीर्य संरक्षण के लिए कारगर तकनीकी विकसित की गई। मत्स्य सुधार और प्रबंध के क्षेत्र में विभिन्न मछलियों के उत्पादन और संसाधन तकनीकों के अलावा भारतीय कैट फिश का अफ्रीकन कैट फिश के साथ संकरण सफलतापूर्वक कराया गया।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुदृढ़ करने के लिए 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों, 53 क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्य सौंपना, संस्थान–ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम (आई.वी.एल.पी.) का विस्तार करना परिषद के प्रमुख प्रतियलित क्षेत्र हैं। विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों की क्षमता नई शाखाओं की स्थापना और मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार करके बढाई गई। कृषि पाठ्यक्रम में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव भी शुरू किया गया।

2001-2002

देश के विविध कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्रों और उत्पादन प्रणालियों के लिए क्षेत्र–फसलों की 84 से अधिक पैदावार देने वाली और रोग रोधी किस्मों/संकर जारी किये गये और फल, सब्जियों और पुष्प विज्ञान सहित बागवानी फसलों की 78 किस्में/संकर जारी किये गये। इसे उपयुक्त कृषि तकनीकों के निर्माण द्वारा समर्थन दिया गया। विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के लिए आर्थिक रूप से सक्षम आशाजनक प्रमुख फसल आधारित फसल प्रणाली का पता लगाया गया जिसके लिए संसाधनों की उपलब्धता और इसके कारगर उपयोग को ध्यान में रखा गया। पौध आनुवंशिक संसाधनों के तहत 16,597 प्रविष्टियां एकत्रित की गईं जिनमें अनाजों, मोटे अनाजों, गौण मोटे अनाजों, स्यूडों अनाजों, दलहनों, तिलहनों, रेशों, सब्जियों, फलों, औषधीय एवं सगंधीय पादपों, मसालों और अन्य प्रविष्टियां शामिल थीं। विभिन्न फसलों के कुल 15,876 नमूने 40 देशों से तथा अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण के 50,230 नमूने प्राप्त हुए थे। संगरोध निकासी के माध्यम से 41,229 नमूनों का आयात किया गया तथा 2,693 नमूनों का निर्यात किया गया। देश की मृदा के 1 : 1 मिलियन पैमाने पर मानचित्र, 1 : 250,000 पैमाने पर राज्य के मानचित्र तथा 1 : 50,000 पैमाने पर अनेक जिलों के मृदा मानचित्र तैयार किये गये। देश की मृदा अवक्रमण के 1 : 44 मिलियन पैमाने पर भी मानचित्र तैयार किये गये। देश के 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों तथा 60 कृषि–पारिस्थितिकीय उप–क्षेत्रों के भू–आकृति–विज्ञान, मृदा, जलवायु, उगाने की अवधि, दीर्घता आदि पर आधारित चित्रण किये गये। प्रमुख फसलों के लिए जल उपयोग दक्ष सिंचाई, समय सारणियां और विधियां विकसित की गईं जिनके परिणामस्वरूप सिंचाई जल की काफी बचत हुई तथा फसलों की उपज में वृद्धि हुई। फार्म मशीनरी और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी के विकास, खेत पर, खेत के बाहर मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण तथा भंडारण पर अधिक बल दिया गया था।

पशुधन और कुक्कुट पालन सुधार एवं प्रबंधन में माइक्रोसेटेलाईट डीएनए मार्करों, मोनोक्लोनल एंडीबॉडी किट्स, आहार सम्पूरकों तथा वीर्य संरक्षण की दक्ष तकनीकें विकसित की गईं। मत्स्य सुधार और प्रबंधन के क्षेत्र में संभावित सजावटी मत्स्य प्रजातियों की पहचान करना और उनकी सूची बनाना, मत्स्य पालन प्रक्षेत्र में मत्स्य दशा का त्वरित मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य मूल्यांकन विवरणिका, एसियल कैटफिश का स्वतः स्प्रार्विंग तथा टाईगर श्रिम्प का घरेलू पालन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के 8 क्षेत्रीय समन्वयक एककों तथा 29 विस्तार शिक्षा निदेशालयों को सुदृढ़ बनाना और 4 नये कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (एटिक) आरम्भ करने का अनुमोदन राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यक्रम में नई पहलों के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय हैं।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा से जुड़ी बहुपक्षीय तथा जटिल समस्याओं जैसे–उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन को बरकरार रखना, पर्यावरण की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा खेती को अधिक लाभप्रद व्यवसाय बनाने का सामना करने के लिए फसलों, बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, पशुधन तथा मात्स्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा संबंधी कार्यों में सफलतापूर्वक उन्नति हुई है।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा

2147. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक दशक से कुल सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन में कृषि क्षेत्र के हिस्से में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकांश राज्य रोजगार सृजन हेतु कृषि पर निर्भर हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में विशेषकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में सकल घरेलू उत्पाद के लिए कृषि क्षेत्र में अनुमानित कितनी गिरावट दर्ज की गई; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन सहित कृषि का हिस्सा वर्ष 1993–94 में 28.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999–2000 में 24.0 प्रतिशत रह गया है; और वर्ष 2000–01 में यह 22.7 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित

रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल रोजगार प्राप्त पुरुषों में से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में साधारण स्तर द्वारा, रोजगार प्राप्त पुरुषों की प्रतिशतता वर्ष 1993–94 में 74.1 तथा वर्ष 1999–2000 में 71.04 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की यही प्रतिशतताएं वर्ष 1993–94 में 86.2 तथा वर्ष 1999–2000 में 85.4 थीं। वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के शेयर में कमी तथा कृषि में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की प्रतिशतता आर्थिक विकास की प्रक्रिया में होती है।

(ग) हालांकि, कृषि में अब तक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा है, वर्षों से कृषि में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के हिस्से में कमी से गैर–कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार के सृजन की संभावना का संकेत मिलता है।

(घ) वर्ष 1993–94, 1999–2000 और 2000–2001 के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के राज्य घरेलू उत्पाद में पशुपालन सहित कृषि का हिस्सा निम्नलिखित है :

वर्तमान मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से का प्रतिशत

वर्ष	तमिलनाडु	महाराष्ट्र	गुजरात	अखिल भारत
1993–1994	21.2	19.4	22.6	28.4
1999–2000	14.8	14.4	14.7	24.0
2000–2001	13.7	11.5	12.4	22.7

(ङ) देश में कृषि जिन्सों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर स्थिर पद में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के अंशदान में वृद्धि करने के लिए सरकार ने पनधारा विकास कार्यक्रमों का संवर्धन, नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने तथा बढावा देने पर बल देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय, मण्डी सूचना तंत्र, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि जैसी विभिन्न पहलें शुरू की हैं। इसके अलावा सरकार मूल्य नीति के जरिए उत्पादन बढ़ाकर किसानों को प्रोत्साहित भी करती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वयन, सार्वजनिक एजेन्सियों द्वारा खरीद आदि शामिल है। इनसे अलग सरकार ने राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2000 से परम्परागत योजनाबद्ध प्रस्ताव को बंद करके वृहत् प्रबंध प्रणाली भी शुरू की है ताकि राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर उनके समक्ष आ रही विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान देने के लिए लचीलापन प्रदान किया जा सके।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा किराये में वृद्धि

2148. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडियन एयरलाइंस ने अपने किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि की थी जिसे नवम्बर, 2002 से लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो इससे किस सीमा तक घाटा होने की सम्भावना है;

(ङ) क्या अन्य एयरलाइनों ने भी इसी तरह की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है;

(च) क्या आई.आर.ओ.ए., सेबी, टी.आर.ए.आई. आदि की तरह नागर विमानन हेतु कोई नियामक प्राधिकरण हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो एयरलाइंसों के एकाधिकार से यात्रियों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस ने पिछली बार अक्तूबर, 1998 में अंतर्देशीय नेटवर्क पर विमान यात्रा के लिए अपने किरायों में वृद्धि की थी। इसके बाद वर्ष दर वर्ष निवेश लागत में समग्र वृद्धि को ध्यान में रखकर अंतर्देशीय सेक्टरों पर विमान यात्रा किराए में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है जो 10 नवम्बर, 2002 से प्रभावी हो गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां। जेट एयरवेज तथा सहारा एयरलाइंस ने भी नवम्बर, 2002 में अपने किरायो में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

(च) और (छ) अंतर्देशीय सेक्टर में किराये नियंत्रित नहीं किए जाते। सभी एयरलाइन आपरेटर अपनी लागत निवेश तथा

प्रतिस्पर्द्धा मार्केट रुख के आधार पर कोई भी किराया वसूले जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय

2149. श्री गुर्नीपाटी रामैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का खोला जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जो नए अस्पतालों की स्थापना के लिए अनुमोदित मानकों पर आधारित है। इस समय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

एयरोब्रिजों की संख्या में वृद्धि

2150. श्रीमती प्रभा राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर एयरोब्रिजों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन विमानपत्तनों की पहचान की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता, त्रिवेन्द्रम, गया, गुवाहाटी, कालीकट, वाराणसी, अहमदाबाद और अमृतसर हवाई अड्डों पर अतिरिक्त एयरोब्रिज मुहैया कराने की योजनाएं हैं।

अदरक और हल्दी का उत्पादन

2151. श्री पी. सी. थामस :
श्रीमती हेमा गमांग :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में अदरक और हल्दी के उत्पादन का क्षेत्र-वार और मात्रा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में अदरक की फसल में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अदरक उत्पादक किसान विशेषकर केरल में अपने उत्पादों की कम कीमतों के कारण कठिनाई में हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अदरक की कीमतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव प्रति वर्ष अदरक और हल्दी की कीमत नियत करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का राज्यों में विशेषकर उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में उक्त उत्पादों की बिक्री हेतु अलग व्यापार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या सरकार की अदरक और हल्दी उत्पादन के लिए उड़ीसा के कृषि विज्ञान केन्द्र के किसानों को सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में अदरक एवं हल्दी क्रमशः 0.78 लाख हैक्टेयर (1998-1999) और 161.4 लाख हैक्टेयर (2000-2001) क्षेत्र में उगाई जाती है तथा इसी अवधि के लिए उत्पादन 2.63 लाख टन और 6.66 लाख टन है।

(ख) और (ग) अदरक की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र वर्ष 1995-1996 में 0.66 लाख हैक्टेयर से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 0.78 लाख हैक्टेयर हो गया है। इसी अवधि में उत्पादन 2.10 लाख से बढ़कर 2.63 लाख टन हो गया है।

(घ) और (ङ) देश में महत्वपूर्ण मण्डियों में अदरक के औसत वार्षिक मूल्य निम्नलिखित हैं :

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	कोजीकोडे–केरल (शुष्क)	कोलकाता–पश्चिमी बंगाल (आर्द्र)	चेन्नई–तमिलनाडु (लाल)	गुवाहाटी–असम (आर्द्र)
1999–00	6689	3013	8587	2340
2000–01	5236	2017	8323	1952
2001–02	3124	1269	5692	1305
2002–03*	2399	1224	4907	911

*अक्तूबर, 2002 तक

(च) और (छ) प्रत्येक वर्ष अदरक एवं हल्दी के मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, यदि राज्य सरकार खरीद कार्यों में 50 प्रतिशत नुकसान को वहन करने के लिए तैयार है तो परस्पर सम्मत मूल्यों पर, अदरक एवं हल्दी सहित, बागवानी जिंसों की खरीद के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर मण्डी हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित की जाती है। अदरक अथवा हिन्दी के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना को कार्यान्वित करने के लिए केरल, उड़ीसा, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ सहित किसी राज्य सरकार से अब तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ज) और (झ) उड़ीसा, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में अदरक और हल्दी की बिक्री के लिए अलग व्यापार केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। हालांकि, उड़ीसा की सरकार कृषि निर्यात जोन का सृजन करके उत्पादों की निर्यात्यता की जांच कर रही है जिसके लिए एक अध्ययन अनुमोदित किया गया है।

(ञ) और (ट) अदरक तथा हल्दी को उगाने के लिए उड़ीसा के कृषि विज्ञान केन्द्र के क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। हालांकि, "कृषि में वृहत प्रबन्ध–कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण" सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अदरक एवं हल्दी सहित मसालों के विकास के लिए रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण, क्षेत्र विस्तार, कीट एवं रोग प्रबन्ध क्षेत्र प्रदर्शन के लिए सहायता उपलब्ध है। इस योजना में आवश्यकतानुसार फसलों और हस्तक्षेप कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

घाटे वाले मार्गों पर उड़ानें

2152. श्री शिवाजी माने :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कुछ निजी विमान सेवाओं को उन मार्गों पर परिचालन करने का निर्देश देने का है जिन पर इंडियन एयरलाइंस को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय निजी विमान सेवाएं किन मार्गों पर परिचालन कर रही हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हवाई यातायात के बेहतर नियमन को प्राप्त करने के लिए रूट डिसपर्सल गाइडलाइंस निर्धारित किए हैं। सभी अनुसूचित एयरलाइनें जिसमें निजी एयरलाइनें भी शामिल हैं, सभी घरेलू मार्गों पर प्रचालन कर सकती हैं बशर्ते कि वह रूट डिसपर्सल गाइडलाइनों का अनुपालन करते हों।

(घ) जेट एयरवेज तथा सहारा एयरलाइनों द्वारा प्रचालित मार्गों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जेट एयरवेज द्वारा प्रचालित मार्ग

1. बैंगलौर–कोयम्बटूर–बैंगलौर
2. बैंगलौर–कोचीन–बैंगलौर
3. बैंगलौर–गोवा–बैंगलौर
4. बैंगलौर–मंगलौर–बैंगलौर

5. बैंगलौर–चेन्नई–बैंगलौर
6. मुम्बई–अहमदाबाद–मुम्बई
7. मुम्बई–बड़ोदरा–मुम्बई
8. मुम्बई–भुज–मुम्बई
9. मुम्बई–भोपाल–मुम्बई
10. मुम्बई–भावनगर–मुम्बई
11. मुम्बई–बैंगलौर–मुम्बई
12. मुम्बई–कालीकट–मुम्बई
13. मुम्बई–कोलकाता–मुम्बई
14. मुम्बई–कोयम्बटूर–मुम्बई
15. मुम्बई–कोचीन–मुम्बई
16. मुम्बई–दिल्ली–मुम्बई
17. मुम्बई–दीव–पोरबन्दर–मुम्बई
18. मुम्बई–गोवा–मुम्बई
19. मुम्बई–हैदराबाद–मुम्बई
20. मुम्बई–इन्दौर–मुम्बई
21. मुम्बई–मंगलौर–मुम्बई
22. मुम्बई–औरंगाबाद–मुम्बई
23. मुम्बई–जयपुर–मुम्बई
24. मुम्बई–जोधपुर–मुम्बई
25. मुम्बई–चेन्नई–मुम्बई
26. मुम्बई–नागपुर–मुम्बई
27. मुम्बई–पुणे–मुम्बई
28. मुम्बई–राजकोट–मुम्बई
29. मुम्बई–त्रिवेन्द्रम–मुम्बई
30. मुम्बई–उदयपुर–मुम्बई
31. मुम्बई–उदयपुर–जयपुर–दिल्ली
32. कोलकाता–गोवाहाटी–कोलकाता
33. कोलकाता–गोवाहाटी–इम्फाल–गोवाहाटी–कोलकाता
34. कोलकाता–गोवाहाटी–जोरहाट–गोवाहाटी–कोलकाता
35. कोलकाता–हैदराबाद–बैंगलौर–हैदराबाद–कोलकाता
36. कोलकाता–बागडोगरा–कोलकाता
37. दिल्ली–अहमदाबाद–दिल्ली
38. दिल्ली–वड़ोदरा–दिल्ली
39. दिल्ली–बैंगलौर–दिल्ली
40. दिल्ली–कोलकाता–दिल्ली
41. दिल्ली–गोवाहाटी–बागडोगरा–दिल्ली
42. दिल्ली–हैदराबाद–दिल्ली
43. दिल्ली–इन्दौर–दिल्ली
44. दिल्ली–बागडोगरा–गोवाहाटी–दिल्ली
45. दिल्ली–चंडीगढ़–दिल्ली
46. दिल्ली–जम्मू–श्रीनगर–दिल्ली
47. दिल्ली–लेह–दिल्ली
48. दिल्ली–जयपुर–उदयपुर–मुम्बई
49. दिल्ली–लखनऊ–दिल्ली
50. दिल्ली–चेन्नई–दिल्ली
51. दिल्ली–पुणे–दिल्ली
52. दिल्ली–श्रीनगर–जम्मू–दिल्ली
53. दिल्ली–उदयपुर–दिल्ली
54. दिल्ली–वाराणसी–खजुराहो–वाराणसी–दिल्ली
55. हैदराबाद–बैंगलौर–हैदराबाद
56. हैदराबाद–विजाग–हैदराबाद
57. चेन्नई–बैंगलौर–पुणे–बैंगलौर–चेन्नई
58. चेन्नई–कोलकाता–चेन्नई

59. चेन्नई–कोयम्बतूर–चेन्नई

60. चेन्नई–कोचीन–चेन्नई

61. चेन्नई–हैदराबाद–चेन्नई

62. चेन्नई–मदुरई–चेन्नई

63. चेन्नई–पोर्टब्लयेर–चेन्नई

64. चेन्नई–त्रिवेन्द्रम–चेन्नई

सहारा एयरलाइंस द्वारा प्रचालित मार्ग

1. चेन्नई–बैंगलौर–चेन्नई

2. दिल्ली–मुम्बई–दिल्ली

3. दिल्ली–बैंगलौर–दिल्ली

4. दिल्ली–कोलकाता–दिल्ली

5. दिल्ली–लखनऊ–दिल्ली

6. दिल्ली–पटना–वाराणसी–दिल्ली

7. दिल्ली–गोवा–दिल्ली

8. दिल्ली–गोवाहाटी–डिब्रूगढ़–गोवाहाटी–दिल्ली

9. दिल्ली–पुणे–दिल्ली

10. दिल्ली–चेन्नई–दिल्ली

11. मुम्बई–बैंगलौर–मुम्बई

12. मुम्बई–गोवा–मुम्बई

13. मुम्बई–कोलकाता–मुम्बई

14. मुम्बइं–लखनऊ–पटना–कोलकाता–पटना–लखनऊ–मुम्बई

15. मुम्बई–पुणे–मुम्बई

16. कोलकाता–हैदराबाद–बैंगलौर–हैदराबाद–कोलकाता

17. कोलकाता–गोवाहाटी–कोलकाता

[अनुवाद]

मुम्बई विमानपत्तन पर विशेष आर्थिक जोन

2153. श्री सुबोध मोहिते : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुम्बई विमानपत्तन को विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है जैसाकि बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के श्वेत पत्र में सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव घरेलू विमान सेवाओं पर लगाया गया अनिवार्य 15 प्रतिशत अंतर्देशीय विमान यात्रा कर को समाप्त करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में विमान यात्रा को और अधिक वहनीय बनाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) मुंबई हवाई अड्डे को विशेष आर्थिक जोन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) घरेलू एयरलाइनों ने देश में हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए और भी सुलभ बनाने के लिए रियायती दरों पर हवाई यात्रा की बहुत–सी आकर्षक योजनाओं की घोषणा की है।

धान उत्पादक भूमि पर रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग

2154. डा. बी. बी. रमैया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख धान उत्पादक भूमि का बड़ा क्षेत्र रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण बंजर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चावल अनुसंधान निदेशालय, राजेन्द्र नगर ने धान की ऐसी स्व–सहिष्णु किस्मों का विकास किया है जो उच्च उत्पादन देने के अतिरिक्त परती और बंजर भूमि पर उग सकती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के

कारण धान की भूमि का बंजर भूमि में बदलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो अभी भी कम स्तर (करीब 90 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर) पर है। तथापि अविवेकपूर्ण तथा असंतुलित अजैविक उर्वरकों का कई वर्ष उपयोग करने से मृदा की उर्वरता/स्वास्थ्य में हास हुआ है। इस प्रकार के हास को रोकने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अजैविक तथा जैविक स्रोतों दोनों के संयुक्त इस्तेमाल के जरिए समेकित पोषण प्रबन्ध की सिफारिश कर रही है।

(ख) और (ग) चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद ने चावल की किस्मों का पता लगाया है और ऐसी किस्में विकसित की हैं जो कम उत्पादक मृदाओं में उगायी जा सकती हैं जैसे :

कम फास्फोरस (पी) उर्वरता वाली मृदा--रासी आई ई टी 15353, विक्रमआर्या, सुरक्षा, आई ई टी 12067 कम जिन्क उर्वरता वाली मृदा--विकास, रासी।

लवणीयता/क्षारीयता--सी एस आर 10, सी एस आर 13, सी एस आर 27, सी एस आर 30 विकास।

इन किस्मों ने निरन्तर उच्चतर उत्पादकता दर्शायी है। सी एस आर 10 को विकल्प के रूप में अथवा लवण दबाव अथवा कमी स्तर पर आधारित मृदा सुधारों के न्यूनतम प्रयोग का इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में जारी की गई सी एस आर 30 चावल की लवण सहिष्णु बासमती टाइप किस्म है।

अपर तुंगा परियोजना

2155. श्री के. येरननायडू : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा बछावत न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन करके अपर तुंग परियोजना के निर्माण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा परियोजना पर कार्य रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। माननीय संसद सदस्य श्री कालवा श्रीनिवासुलु ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2002 के पत्र में कर्नाटक सरकार द्वारा ऊपरी तुंगा परियोजना के निर्माण के विषय में आशंका व्यक्त की है।

(ख) कर्नाटक की ऊपरी तुंगा परियोजना द्वारा 12.24 हजार मिलियन घन फीट जल का प्रस्तावित उपयोग कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निर्णय के अनुरूप है। वन और वन्य जीवन से संबंधित मुद्दों का समाधान हो जाने पर ऐसे कोई भी पर्याप्त आधार नहीं हैं जिनके अनुसार ऊपरी तुंगा परियोजना को स्वीकृति न दिए जाने को उचित ठहराया जा सके।

[हिन्दी]

जलवायु संबंधी परिवर्तनों का खतरा

2156. श्री अखिलेश यादव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जलवायु संबंधी परिवर्तनों के खतरों का सामना करने हेतु किसी योजना पर कार्य कर रही है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को लागू करने में कितना समय लगेगा और उसके परिणामस्वरूप कितना सुधार होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसी) के क्योटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत विकसित देशों की ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जनों को कम करने की अपनी विनिर्दिष्ट वचनबद्धताएं हैं। दिल्ली घोषणा, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के आठवें सम्मेलन का परिणाम है, में विशेष तौर पर विकसित देशों को अपनी वचनबद्धताएं समय से पहले कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जनों में कोई अनिवार्य कटौती करने के लिए भारत सहित विकासशील देशों पर ऐसी कोई तदनुरूप बाध्यताएं नहीं लगाई गई हैं। देश में मौजूदा कानून और नीतिगत फ्रेमवर्क के साथ-साथ पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उठाए गए अनेक उपायों से जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में शामिल हैं

जीवाश्म ईंधन का सफल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, प्रदूषण का उपशमन और वनों का संरक्षण।

जनजातीय लोगों द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण

2157. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में वन भूमि के अतिक्रमण के नाम पर जनजातीय लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को वनभूमि के विवादित दावों के बारे में जनजाति के लोगों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों की जानकारी है। इस संबंध में यह उल्लेख है कि 1980 से पूर्व के पात्र अतिक्रमणों को विनियमित किए जाने और विवादित निपटान दावों पर वन जनजाति के बीच के अन्तर संबंधों की वचनबद्धता के संदर्भ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रथम अपराध रिपोर्ट/अधिकारों पर समझौता न होने आदि के कारण जनजातियों के पात्र अतिक्रमणों के दावों के विवाद के संबंध में, बशर्ते कि अन्य सभी शर्तें पूरी होती हों, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उनके निपटान के लिए राजस्व, वन और जन जाति कल्याण विभाग को शामिल करके जिला स्तर पर आयोग/समितियां गठित करें। इसके अलावा राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे अभिनिर्धारित मामलों के अपने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करें ताकि समयबद्ध तरीके से उन पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

[अनुवाद]

मुम्बई में जलापूर्ति तथा सफाई परियोजना

2158. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई में जलापूर्ति और सफाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) के समक्ष मंजूरी हेतु प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए मध्य वैतरणा बांध परियोजना के निर्माण के वास्ते तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) इस परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणी का अनुपालन कितनी शीघ्रता से करती है।

बर्नपुर स्थित इस्पात संयंत्र

2159. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (आईआईएससीओ) के अंतर्गत बर्नपुर स्थित इस्पात संयंत्र को चलाये रखने हेतु पुररुद्धार पैकेज योजना किस चरण में है; और

(ख) उक्त इस्पात संयंत्र की वर्तमान स्थिति कैसी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) के लिए एक पुनर्वास प्रस्ताव औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की प्रचालन एजेंसी (ओए) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के पास फिलहाल जांच के लिए लंबित है।

(ख) इस्को का बर्नपुर वर्क्स अप्रचलित प्रौद्योगिकी, संयंत्र तथा उपस्करों के पुराना होने, पुरानी प्रौद्योगिकी तथा आवश्यक पूंजीगत आदानों आदि की कमी के कारण अच्छी स्थिति में नहीं है। इसका विक्रेय इस्पात का उत्पादन वर्ष 1991–92 में 387 हजार टन प्रतिवर्ष की तुलना में वर्ष 2001–2002 में कम होकर 302 हजार टन प्रतिवर्ष हो गया तथा 30.09.2002 की स्थिति के अनुसार इसकी संचित हानि 897.48 करोड़ रुपए थी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा जंक फूड उत्पादन

2160. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या खाद्य प्रसंरकरण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जंक फूड का उत्पादन कर रहे हैं जो कि हानिकारक हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों विशेषकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि के माध्यम से रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो जंक फूड उत्पादन में लगी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) खाद्य वस्तुओं का निर्माण और बिक्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों, फल उत्पाद आदेश, दूध और दूध उत्पाद आदेश, मांस उत्पाद आदेश तथा अन्य विनियामक अधिनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होती है। इन मानकों और सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन से निर्माता और विक्रेता को अनेक दण्डों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ मामलों में उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए, बिक्री के लिए अनुमय खाद्य वस्तुएं विभिन्न कानूनों और विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

[हिन्दी]

एस. पी. गुप्ता समिति की रिपोर्ट

2161. श्री चिंतामन वनगा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को योजना आयोग द्वारा गठित श्री एस. पी. गुप्ता समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट ने दसवीं योजना में कृषि उत्पादों पर लगाए गए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) यह दसवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए 50 मिलियन व्यक्तियों हेतु रोजगार के अवसर सृजित करने से लक्षित विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित है। इस समिति ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठक की तथा दसवीं योजना के दौरान उपर्युक्त रोजगार के सुजन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में उपयुक्त वृहत् और क्षेत्रीय नीतियों की सिफारिश करने की कोशिश की। इसका मूल उद्देश्य लाभकारी और उच्च गुणवत्तायुक्त रोजगार द्वारा दसवीं योजनावधि में श्रम बल में नए प्रवेशकों को शामिल करना तथा इस दशक के अंत तक बेरोजगारी समाप्त करना है।

(ग) और (घ) इस रिपोर्ट में केन्द्रीय विधान के जरिए कृषि उत्पाद की आवाजाही पर सभी प्रतिबंधों को हटाने का सुझाव दिया गया है। इसमें कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण पर सभी प्रतिबंधों लाईसेंसिंग को हटाने का भी सुझाव दिया गया है। समिति की रिपोर्ट में निहित सुझाव के क्रियान्वयन हेतु कार्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा पहले से ही शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

जादू को बढ़ावा देना

2162. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार योजनाओं और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से जादू प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है;

(ख) क्या एक सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में जादू में इस समय भारत में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो देश तथा विदेश में भारतीय जादू को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों के संवर्धन के लिए संस्कृति विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनके अलावा और अधिक ब्यौरे "समर्थन" विवरणिका से प्राप्त किए जा सकते हैं, जो संसद पुस्तकालय तथा संस्कृति विभाग की वेबसाइट "डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यूइंडिया कल्चर.आर्ग" में उपलब्ध है। व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत, जादू प्रदर्शन करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न जादूगरों को प्रदर्शन का अवसर देकर आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र जादू को प्रोत्साहित करते रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

संस्कृति विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की सूची

1. हिमालय की सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण एवं विकास
2. जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं प्रसार
3. बौद्ध/तिब्बतीय संस्कृति एवं कला का परिरक्षण एवं विकास
4. सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान योजना
5. विशेष रूप से प्रदर्शित कला योजनाओं हेतु संव्यावसायिक समूहों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता
6. शताब्दियों/वर्षगांठ समारोह हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता
7. राष्ट्रीय स्मारकों का विकास और अनुदान
8. विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां
9. प्रदर्शन, साहित्यिक एवं प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में विशिष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति पुरस्कार
10. नये क्षेत्रों में विशिष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति पुरस्कार
11. प्रदर्शन, साहित्यिक एवं दृश्य कलाओं के क्षेत्र में अति उत्कृष्ट कलाकारों को उत्कृष्ट अध्येतावृत्ति पुरस्कार
12. कुमार गंधर्व अध्येतावृत्ति
13. साहित्य, कलाओं और ऐसे ही जीवन के दूसरे क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त जो दयनीय हालत में हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता
14. सांस्कृतिक क्रिया–कलापों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान सहयोग।
15. प्रादेशिक एवं स्थानीय संग्रहालयों की पदोन्नति और सशक्तीकरण
16. बाल परिसरों सहित बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना।

[हिन्दी]

पृथ्वी के तापमान में वृद्धि

2163. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का अध्ययन करने हेतु कोई अनुसंधान कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधानों से पता चला है कि चीन से निकलने वाली कार्बन मोनोक्साइड से तापमान में विश्वव्यापी वृद्धि हुई है और चीन तथा भारत के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की 2001 में प्रकाशित तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि बीसवीं सदी के दौरान पृथ्वी का भूतल तापमान 0.6±0.2 डिग्री सेन्टीग्रेड बढ गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि पृथ्वी के तापमान में पिछले पचास वर्षों के दौरान जो उष्णता आई है उनके मुख्य कारण मानव संबंधी क्रियाकलाप हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि कार्बन मोनोक्साइड ग्रीनहाउस गैस नहीं है। इसलिए विश्वव्यापी उष्णता में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विश्वव्यापी उष्णता से निपटने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय उठाए गए हैं जिनमें जीवाश्म ईंधन का सफल उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का उपयोग, प्रदूषण निवारण और वन संरक्षण शामिल हैं।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु मानदण्ड

2164. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जा रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु क्या मापदंड हैं;

(ख) क्या कृषि संबंधी स्थायी समिति ने इस मामले पर आशंका व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) किसी संगठन को कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के मापदण्ड में खेती योग्य पर्याप्त भूमि की उपलब्धता, कृषि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पूर्व अनुभव, संगठन की व्यवहार्यता तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के दिशानिर्देशों के अनुरूप कृषि विज्ञान केन्द्र के क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने की तत्परता शामिल हैं।

(ख) से (घ) लोक सभा सचिवालय के दिशानिर्देश कृषि समिति की बैठक के कार्यवृत्त को कहीं भी संदर्भित न करने तथा इसके किसी भी रूप में इस्तेमाल न करने के लिए अनुबद्ध करते हैं।

कर्नाटक में पर्यटन कॉटेज और जंगल लॉज

2165. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में जंगल लॉज तथा रिसार्ट स्थापित करने हेतु और पजका, उडुपी में पर्यटन कॉटेज और गेस्ट हाउस का निर्माण करने हेतु कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई है/जारी की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटक रुचि के स्थलों के विकास एवं संवर्धन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके परामर्श से अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

राज्य पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कर्नाटक राज्य में पर्यटन विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, जंगल लॉज तथा रिसार्ट परियोजनाओं सहित, 65 परियोजनाओं के लिए 1635.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे।

पजका क्षेत्र में पर्यटक होम के निर्माण के लिए 49.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

चालू वर्ष, 2002–2003 के दौरान पर्यटन विभाग ने, उत्पाद/अवसंरचना और गन्तव्य विकास योजना के अन्तर्गत हम्पी, ग्रामीण पर्यटन योजना के अधीन कोक्कारे बेल्लुर और पर्यटन परिपथ योजना के एर्काकृत विकास के अन्तर्गत तटवर्ती कर्नाटक को अभिनिर्धारित किया है। इसके अलावा, बसवानगुडी, बंगलौर में बेउगले रॉक गार्डन के लिए 40.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना

2166. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औसत गुणवत्ता वाले मिलिंग कोपरा तथा बाल कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नैफेड ने बाजार से कोपरा खरीदा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से खरीद प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2002 मौसम के लिए अच्छी औसत गुणवत्ता की मिलिंग और बॉल कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 3300 रु. और 3550 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किए हैं।

(ग) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) ने अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और गोवा में मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) के अधीन कोपरा की खरीद शुरू की है।

(घ) और (ङ) केरल ने विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन 2002 मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार को खरीद शुरू करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार द्वारा नामित अभिकरण प्रक्रिया में निर्धारित विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण करने में अपनी असमर्थता के कारण खरीद शुरू नहीं कर सकी। तथापि, नैफेड को क्रेडिट लाइन उपलब्ध रहने की अवधि के दौरान कोपरा के मंडी मूल्य में सुधार हुआ और फिलहाल यह 3900/– रु. से 4050/– रु. प्रति क्विंटल के बीच है।

[हिन्दी]

श्रम कानूनों में छूट

2167. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (आईसीसीआई) ने सरकार से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के संबंध में श्रम कानूनों में छूट देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय को इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्र

2168. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सभी इस्पात संयंत्रों की श्रमशक्ति, उत्पादन, लाभ अथवा हानि का संयंत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संयंत्र में इस्पात की उत्पादन लागत कितनी थी और इसके प्रतिशत के रूप में कच्चे माल, ऊर्जा, मूल्यह्रास, ब्याज, वेतन का कितना योगदान था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संयंत्र में उत्पादकता, ऊर्जा की खपत, (कोक) कोयला की दर का ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्पादन, उत्पादन लागत, उत्पादकता, ऊर्जा की खपत और (कोक) कोयला दर के संबंध में ब्रिटेन, अमरीका, जर्मनी, रूस, जापान और चीन जैसे देशों के प्रतिशत–वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ङ) क्या गत दशक में भारत में वित्तीय निष्पादन में भारी गिरावट सहित इस्पात संयंत्रों के तकनीकी कार्य–निष्पादन में व्यापक सुधार हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक उत्पादकों के इस्पात संयंत्रों की जनशक्ति, उत्पादन लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) उत्पादन की लागत वर्गीकृत जानकारी है और इसे प्रकट करना संबंधित संगठनों के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के अलग–अलग संयंत्रों के संबंध में धमन भट्टी उत्पादकता, ऊर्जा खपत और कोक दर का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) सरकार निजी क्षेत्र के अलग–अलग संयंत्रों की जनशक्ति, वित्तीय निष्पादन, उत्पादन की लागत, प्रौद्योगिकी प्राचलों आदि से संबंधित जानकारी का प्रबोधन नहीं करती है। तथापि, भारत और विदेश के विद्युत चाप भट्टी आधारित संयंत्रों के प्रचालन प्राचल निम्नानुसार हैं :

देश	फर्नेस साइज, टन	टैप टु टैप टाइम, मिनिट	ऊर्जा खपत के डब्ल्यू एच/टन बिलैट	इलैक्ट्राड खपत कि.ग्रा./ टन बिलैट
1	2	3	4	5
जापान	80	71	378	–
जर्मनी	60	60	410	2.2
यूएसए	160	80	430	2.4

1	2	3	4	5
भारत (पुराने संयंत्र)	20–25	180	700–750	3.5–4.5
भारत (नए संयंत्र)	50–55	95–120	600–700	2.5–3.5

(ङ) और (च) पिछले दशक के दौरान धमन भट्टी उत्पादकता, ऊर्जा खपत और कोक दर में कुल मिलाकर सुधार का रुख रहा है। हाल ही के वर्षों में अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण इस्पात की खपत में ठहराव के परिणामस्वरूप इस्पात क्षेत्र की लाभप्रदता में सामान्यतः गिरावट रही है।

विवरण-I

इकाई	1999–2000			2000–01			2001–02		
	जनशक्ति	उत्पादन (हजार टन)	लाभ (+)/ हानि (–) (करोड़ रुपये)	जनशक्ति	उत्पादन (हजार टन)	लाभ (+)/ हानि (–) (करोड़ रुपये)	जनशक्ति	उत्पादन (हजार टन)	लाभ (+)/ हानि (–) (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भिलाई इस्पात संयंत्र	44730	3410.6	92	44060	3307.2	342	42158	3382.8	477
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	21039	1402.0	–651	20633	1495.8	–236	19641	1527.1	–262
राउरकेला इस्पात संयंत्र	28301	1170.3	–704	27651	1294.4	–445	26052	1353.7	–1036
बोकारो इस्पात संयंत्र	43401	3246.2	120	42597	3312.7	49	40025	3200.1	–459
मिश्र इस्पात संयंत्र	3846	83.2	–260	3793	78.6	–184	3340	84.4	–149
सेलम इस्पात संयंत्र	1550	148.4	–142	1538	129.3	–155	1466	62.5	–153
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	4679	69.1	–91	4399	85.0	–68	3325	86.7	–103
कच्चा माल प्रभाग	7014	9529.9	–84	6490	9703.0	–32	6172	9697.3	–22
केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन	*	250	–1720	224	277	–729	217	302	–1707
केन्द्रीय विपणन संगठन	3172	–	–210	3131	–	–187	3032	–	–180
लोहा तथा इस्पात अनुसंधान तथा विकास केन्द्र	865	–	–	856	–	–	827	–	–
अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र	390	–	–	383	–	–	370	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान	116	–	–	112	–	–	111	–	–
निगमित कार्यालय	737	–	–	754	–	–	769	–	–
विकास प्रभाग के ओ एल	36	–	–	35	–	–	33	–	–
पर्यावरण प्रबंधन	48	–	–	47	–	–	47	–	–
सुरक्षा	16	–	–	16	–	–	16	–	–
सेल	159940	–	–	156719	–	–	147601	–	–
इस्को	24724	–	–	23670	–	–	22767	–	–

*निजी क्षेत्र में बड़े, मध्यम तथा छोटे क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों की संख्या काफी है। गत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का उत्पादन निम्नानुसार है :

(दस लाख टन)

1999-2000	2000-2001	2001-2002
12.802	13.273	13.982

विवरण-II

उत्पादकता प्रवृत्ति

अपरिष्कृत इस्पात/टन/व्यक्ति/वर्ष

संयंत्र	1999–2000	2000–2001	2001–2002
भिलाई इस्पात संयंत्र	121	129	137
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	88	100	108
राउरकेला इस्पात संयंत्र	55	60	67
बोकारो इस्पात संयंत्र	105	115	116
सेल	96	105	111
इस्को	33	37	39

ऊर्जा खपत

(जी कैल/टी सी एस)

संयंत्र	1999–2000	2000–01	2001–02
1	2	3	4
भिलाई इस्पात संयंत्र	7.16	7.25	7.07
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	7.48	7.43	7.25
राउरकेला इस्पात संयंत्र	10.26	9.97	9.34
बोकारो इस्पात संयंत्र	8.24	8.09	7.96
सेल 4 संयंत्र	7.96	7.90	7.69
इस्को	10.46	9.67	9.37

कोक दर

कि.ग्रा./टी एच एम

संयंत्र	1999–2000	2000–01	2001–02
भिलाई इस्पात संयंत्र	534	544	524
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	587	586	580
राउरकेला इस्पात संयंत्र	668	656	647
बोकारो इस्पात संयंत्र	548	552	549
सेल 4 संयंत्र	564	568	557
इस्को	752	760	784

बीड़ी कामगारों को आवास ऋण

2169. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी कामगारों के लिए नई आवास नीति के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि से आवास ऋण प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) ऐसे ऋणों के लिए कितनी ब्याज दर वसूल किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है, ने 22.10.2002 को आयोजित अपनी 88वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए एक आवास योजना शुरू करने का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है। तथापि, बीडी कामगारों को आवास ऋण दिये जाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण कृषि क्षेत्र का विकास

2170. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कृषि के आधुनिक तौर–तरीकों, समेकित कीट प्रबंधन, उपचार और ग्रेडिंग तकनीकी, उपज–पश्चात उत्पाद प्रबंधन तथा वैश्विक बाजारों तथा किसानों को नीलामी केन्द्रों पर विद्यमान कीमतों संबंधी ऑन लाइन जानकारी देने हेतु ग्रामीण और कृषि क्षेत्र संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी शुरू करने का है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ग्रामीण कृषि क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने हेतु अन्य नवीन प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से गैर–सरकारी संगठनों और स्वयं सहायक समूहों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) किसानों एवं कृषियिदों को कृषि संबंधी जानकारी "ऑन लाइन" उपलब्ध कराने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए हैं :

(i) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला मुख्यालय को जोड़ते हुए निकनेट आधारित कृषि सूचना विज्ञान एवं संचार नेटवर्क।

(ii) कृषि उपज मण्डियों से मूल्यों एवं आवक संबंधी जानकारी के सृजन एवं पारेषण में सुविधा हेतु कृषि विपणन आसूचना प्रणाली।

(iii) कीटनाशियों का कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण, कीटनाशियों के पंजीकरण हेतु एक पैकेज तथा कीटों व रोगों के कारण फसल उत्पादन को होने वाले नुकसान से किसानों की सुरक्षा के लिए जानकारी का प्रचार–प्रसार।

(iv) तीन वेबसाइटें शुरू की गई हैं :

(डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू एग्रीकाप.एनआईसी.आईएन,

डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू डेयर.एनआईसी.आईएन,

डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एनआईसी.आईएन/डाहेड)

कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में व्यापक जानकारी देने के लिए उक्त वेबसाइटों को कृषि से संबंधित अन्य संस्थाओं/संगठनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से जोड दिया गया है।

(घ) कृषि विस्तार में सार्वजनिक–निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए दसवीं योजना के दौरान नई ईजाद प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार में गैर–सरकारी संगठनों एवं स्वयं सेवा समूहों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

जल संसाधन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2171. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2002 तक राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(ख) क्या विश्व बैंक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और जापान की वित्तीय सहायता से कई परियोजनाएं चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक की किसी परियोजना को कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) विगत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त की गई बाह्य सहायता की राशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। संलग्न विवरण में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार ऐसी बहुत सी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं जो बाह्य सहायता से चल रही हैं।

(ग) और (घ) कर्नाटक में केवल एक ही निर्माणाधीन जल संसाधन परियोजना है जिसे बाह्य सहायता प्राप्त हो रही है। 80 मिलियन एसडीआर की विश्व बैंक की सहायता के लिए "कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना" नामक इस परियोजना के लिए दिनांक 6.6.2002 को हस्ताक्षर किये गये थे। इस परियोजना को दिनांक 31.1.2009 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

विवरण

वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान बाह्य सहायता प्राप्त निर्माणाधीन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण

(क) विश्व बैंक

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम	समझौता/पूरा होने की तारीख	मिलियन अमरीकी डालर/एसडीआर में सहायता की राशि	वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान मिलियन अमरीकी डालर में प्राप्त (संवितरित) सहायता राशि		स्थिति
				2000–2001	2001–2002	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश सिंचाई/ परियोजना–III सीआर 2952–आईएन एलएन–4166–आईएन	03.06.1997/ 31.01.2003	325 अमरीकी डालर क्रेडिट 150.00 अमरीकी डालर ऋण 175.00 अमरीकी डालर	27.10	23.14	यह परियोजना निर्माणाधीन है और इसे 31.1.2003 के बाद दो वर्ष के लिए आगे बढाने की सिफारिश की गई है।
2.	आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक) एलएन–4360–आईएन	30.01.1999/ 31.03.2004	142 अमरीकी डालर	12.63	10.62	आईआरडीबी के ऋण से निर्माणाधीन
3.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना सीआर–2592–आईएन	24.6.94/ 31.12.2001	258 अमरीकी डालर	41.50	52.93	पूरी कर ली गई है

1	2	3	4	5	6	7
4.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	06.06.2002/ 31.01.2009	80 एसडीआर	0.00	0.00	निर्माणाधीन
5.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना सीआर–2801–आईएन	05.01.1996/ 31.3.2004	290.90 एसडीआर	29.26	16.63	निर्माणाधीन
6.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना सीआर–3603–आईएन	15.3.2002/ 31.3.2004	110 एसडीआर	0.00	5.00	निर्माणाधीन 27.3.2002 से क्रेडिट प्रभावी
7.	यूपी जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना सीआर–3603–आईएन	08.3.2002/ 31.10.2007	117 एसडीआर	0.00	5.00	22.3.2002 से प्रभावी चालू क्रेडिट
8.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना सीआर–2745–आईएन	22.09.1995/ 31.03.2003	282.90 अमरीकी डालर	32.34	20.36	20 मिलियन एसडीआर रद्द कर दिया गया है
9.	जल विज्ञान परियोजना बहु–राज्यीय	22.9.1995/ 31.03.2003	75.1 एसडीआर	15.79	9.55	निर्माणाधीन
		उप जोड़		158.62	143.23	

(ख) यूरोपियन आर्थिक समुदाय

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	समझौता/पूरा होने की तारीख	सहायता की राशि मिलियन यूरो	प्राप्त सहायता (आहरण) (मिलियन यूरो)		स्थिति
				2000–2001	2001–2002	
1	2	3	4	5	6	7
1	केरल लघु सिंचाई परियोजना (केरल)	21.5.1992/ 31.12.2000	11.80 ई.सी.यू.	0.62	0.00	पूरा कर दिया गया है
2.	सिंघमुख एवं नोहर सिंचाई परियोजना (राजस्थान)	7.6.1993/ 31.12.2001	45.00 ई.सी.यू.	0.00	5.715	पूरा कर दिया गया है
3.	उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)	3.7.1995/ 31.12.2004	10.70 ई.सी.यू.	0.64	0.00	निर्माणाधीन
4.	टैंक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण (पांडिचेरी)	21.2.1997/ 21.2.2003	6.65 ई.सी.यू.	0.00	0.817	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
5.	क्षारीय भूमि सुधार परियोजना चरण–II (महाराष्ट्र)	11.7.1995/ 31.12.2005	15.50 ई.सी.यू.	0.00	1.229	निर्माणाधीन
		उप जोड़		1.26	7.761	

(ग) द्विपक्षीय परियोजना

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्त पोषण करने वाले अभिकरण	समझौता/पूरा करने की तारीख	मिलियन डी.सी. में सहायता राशि	प्राप्त सहायता (आपहरण) (मिलियन डीसी)		स्थिति
					2000–2001	2001–2002	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राजस्थान कृषि जल निकास परियोजना (राजस्थान)	सीआईडीए, कनाडा	13.3.1990/ 31.12.2000	14.99 सीएडी	0.062	0.00	पूरा कर दिया गया है
		उप जोड़			0.062	0.00	
2.	हाइड्रोप्लस फ्यूजगेट प्रणाली (गुजरात)	फ्रांस	17.5.1999/ 31.12.2001	34.74 एफएफ	3.53	2.28	पूरा कर दिया गया है
3.	भूजल अन्वेषण परियोजना (मणिपुर)	फ्रांस	23.11.1998/ 31.12.2001	4.62 एफएफ	3.09	0.62	पूरा कर दिया गया है
		उप जोड़			6.62	2.90	
4.	के सी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण (आन्ध्र प्रदेश)	जेबीआईसी, जापान	25.01.1996/ 26.3.2003	16049.00 येन	1483.64	2225.07	निर्माणाधीन
5.	राजघाट नहर परियोजना (मध्य प्रदेश)	जेबीआईसी, जापान	25.02.1997/ 31.03.2004	13222.00 येन	1377.51	1921.77	निर्माणाधीन
6.	रेंगाली सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)	जेबीआईसी, जापान	12.12.1997/ 05.2.2003	7760.00 येन	900.10	839.28	निर्माणाधीन
		उप जोड़			3761.25	4986.12	
7.	महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना (महाराष्ट्र)	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	21.12.1998/ 31.12.2006	45.00 डीएम	0.37	1.96	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	लिफ्ट सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	19.02.1993/ 30.6.2003	55.00 डीएम	2.68	2.02	निर्माणाधीन
		उप जोड़			3.05	3.98	
9.	आंध्र प्रदेश–कुआं सिंचाई परियोजना (आन्ध्र प्रदेश)	नीदरलैंड्स	14.11.1994/ 31.03.2003	26.847 एनएलजी	0.45	0.93	निर्माणाधीन
10.	सामुदायिक सिंचाई परियोजना (केरल)	नीदरलैंड्स	17.12.1993/ 31.3.2002	2.328 एनएलजी	0.046	0.00	पूरा कर दिया गया है
11.	बुंदेलखण्ड जल संसाधन प्रबंधन परियोजना (उत्तर प्रदेश)	नीदरलैंड्स	12.06.1996 31.05.2001	2.79 एनएलजी	0.00	0.00	पूरा कर दिया गया है
		उप जोड़		0.596	0.93		

कृषि जलवायु जोन के लिए कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन

2172. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक कृषि जलवायु जोन में कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु एक दीर्घकालीन उचित रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कोई अध्ययन कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या अध्ययन पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस अध्ययन के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) सरकार ने प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधिक यंत्रीकरण नीति निरूपति करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान को "प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए दीर्घावधिक यंत्रीकरण नीति" संबंधी अध्ययन करने का दायित्व सौंपा है। यह अध्ययन जून, 2003 तक पूरा हो जाने की आशा है।

वन भूमि अभिलेखों का रख-रखाव

2173. श्री अम्बरीश :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वन भूमि संबंधी अभिलेखों का उचित ढंग से रख–रखाव नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा अभिलेखों को अव्यवस्थित ढंग से रखना, वन क्षरण और अतिक्रमणकारियों द्वारा वन भूमि को खाली न करने के क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में वन भूमि के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(च) इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927/राज्य वन अधिनियमों के अंतर्गत

विधिवत् सर्वेक्षण और सीमांकन करने के बाद राज्य सरकारों द्वारा वन भूमियों को उनके राजपत्रों में वन भूमियों के रूप में अधिसूचित किया जाता है और उनके द्वारा रिकार्ड भी रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वन भूमियों से संबंधित रिकार्ड का रख–रखाव केवल राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में वन भूमि के रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मजदूरों के लिए साक्षरता अभियान

2174. श्री रामदास रुपला गावीत : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के लिए साक्षरता अभियान शुरू करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सरकारी और गैर–सरकारी मजदूरों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (श्रम मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन) आम श्रमिक वर्ग और खासकर खान तथा बागान क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए कार्यात्मक वयस्क साक्षरता कार्यक्रम चलाता रहा है।

(ख) कार्यात्मक वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों का मूल लक्ष्य है–विशेष कार्यक्रमों के जरिए श्रमिकों की साक्षरता संबंधी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष आवश्यकताओं को पूरा करना ताकि श्रमिक लिखित शब्दों को पढ सकें और अपने जीवन में एक निश्चित स्तर की साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता हालिस कर सकें। इन कार्यक्रमों के तहत प्रतिदिन एक घंटे तथा सप्ताह में पांच दिन के हिसाब से छह महीने की कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

(ग) सामान्यतः, कार्यात्मक वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों के तहत संगठित, असंगठित/ग्रामीण क्षेत्रों तथा बागान और खनन क्षेत्रों के सभी निरक्षर श्रमिक आते हैं।

(घ) 1979–80 से प्रारम्भ कार्यात्मक व्यस्क साक्षरता कार्यक्रमों से मार्च, 2002 तक 2,58,596 निरक्षर श्रमिक लाभान्वित हो चुके हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पुलिस गार्डों के लिए भुगतान न किया जाना

2175. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अक्तूबर, 2001 की तिथि के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के विभिन्न विमानपत्तनों पर पुलिस गार्डों की तैनाती पर व्यय हुए 2.32 करोड़ रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रतिपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) पुलिस गार्डों के बिलों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है और बिलों का निपटान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दावों के सत्यापन के बाद किया जाता है। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को कुल 2.32 करोड़ रुपए के बकायों की तुलना में 92.00 लाख रुपए दिए गए हैं।

विमानपत्तनों में फ्लाईट सिमुलेटर्स

2176. योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के कतिपय विमानपत्तनों पर फ्लाईट सिमुलेटर्स लगाने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इन फ्लाईट सिमुलेटर्स को लगाने के उद्देश्य सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनको सभी विमानपत्तनों पर कब तक लगा दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सरकार के अधीन कोई ऐसा प्रस्ताव

विचाराधीन नहीं है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस ने केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में प्रशिक्षण के उद्देश्य से निम्नलिखित सिमुलेटर्स स्थापित किये हैं :

बी–737	1
ए–320	2
ए–300	1

[अनुवाद]

नए बूचड़खाने

2177. श्रीमती मेनका गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने नए बूचड़खानों को लाइसेंस दिया गया है;

(ख) इन बूचड़खानों के नाम क्या हैं और ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ग) इन बूचड़खानों के मालिकों के नाम क्या हैं; और

(घ) इन बूचड़खानों की क्षमता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) यह राज्य का विषय है। बूचड़खानों को लाइसेंस देने का काम संबंधित निगमों का है जो राज्य स्तर पर शहरी विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

उड़ीसा में पशुपालन और डेयरी विकास योजना

2178. श्री भर्तृहरि महताब : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन पशुपालन और डेयरी विकास योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें लागू किया जा रहा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कटक, खुर्धा और पुरी जिलों में पशु नस्लों के संरक्षण, विकास और पशु रोगों के उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के नाम नीचे दिए गए हैं :

(1) नौवीं योजना के दौरान पशुधन रोगों का क्रमबद्ध नियंत्रण

(2) पशु रोग निगरानी

(3) व्यावसायिक दक्षता विकास

(4) राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना

(5) राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम

(6) एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

(ख) पशुपालन और डेयरी विभाग केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को निधियां जारी करता है। निधियां जिलावार नहीं बल्कि राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के अनुसार जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य को पशुपालन क्षेत्र के लिए जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। कटक, खुर्दा तथा पुरी के जिले में कोई एकीकृत डेयरी विकास परियोजना नहीं है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय राशि (किसी भी योजना के तहत जिलावार निधियां जारी नहीं की जातीं)		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	नौवीं योजना के दौरान पशुधन रोगों का क्रमबद्ध नियंत्रण	–	18.00	–
2.	पशु रोग निगरानी	–	–	2.00

1	2	3	4	5
3.	व्यावसायिक दक्षता विकास	2.75	–	1.50
4.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	23.33	11.67	20.00
5.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	–	2.75	2.54

राजमहल से मालदा तक गंगा के मार्ग में परिवर्तन

2179. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा का राजमहल से मालदा तक मार्ग में परिवर्तन से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले पर भविष्य में दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा किन निवारणात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र ने राजमहल और फरक्का बैराज परियोजना के मध्य नदी की प्रवाह स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए फरक्का बैराज परियोजना के मालदा जिले की ऊपरी धारा में उपग्रह से गंगा के प्राप्त चित्रों को देखने के बाद यह पाया कि दायें किनारे का चैनल, जो राजमहल के अनुप्रवाह के प्रवाह को अनिवार्य रूप से केन्द्रीकृत कर रहा है, धीरे–धीरे विकसित हो रहा है और आने वाले वर्षों में इसके पूरी तरह से विकसित हो जाने की संभावना है तथा वह अधिकांश निस्सरण को अपने साथ बहा ले जायेगा जिससे मालदा जिले में पंचनंदपुर क्षेत्र के समीप बायें किनारे पर इसका प्रभाव कम हो जायेगा। उन्होंने तलकर्षण की आवश्यकता अथवा क्षमता के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चैनल के मुहाने का चैनल विकास और जल सर्वेक्षण पर दो अथवा दो से अधिक मौसमों का प्रेक्षणों एवं बाढ़ मौसम के बाद चैनल से सटे एक अथवा दो स्थानों का निर्धारण करने का सुझाव दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तन अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार

2180. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अमृतसर विमानपत्तन पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा विदेशी यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार और तंग किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विचार और शिकायतों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) दोषी कर्मचारियों को अनुशासित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) विमानपत्तन पर यात्री सुविधाओं की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) अमृतसर एयरपोर्ट पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विदेशी यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार तथा उन्हें तंग किए जाने के संबंध में हाल में कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, एयरपोर्ट पर सुझाव/शिकायत पेटिका रखी गई न इसके अलावा यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एयरपोर्ट पर लोक शिकायत अधिकारियों को तैनात किया गया है।

(ग) किसी प्रकार की चूक, लापरवाही आदि के मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाई की जाती है।

(घ) अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक है।

स्टेनलेस स्टील का उत्पादन

2181. श्री अनन्त नायक : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टेनलेस स्टील का प्रतिवर्ष उत्पादन करने वाले निजी और सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन इस्पात संयंत्रों का वार्षिक कारोबार कितना है;

(ग) क्या इन संयंत्रों में से कोई संयंत्र स्टेनलेस स्टील का सीधे निर्यात कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) वर्ष 2001–2002 में बेदाग इस्पात का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा किए गए उत्पादन, कारोबार और प्रत्यक्ष निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इस संबंध में सरकार निजी क्षेत्र की इकाइयों से संबंधित ब्यौरा नहीं रखती है।

इकाई	उत्पादन (टन)	कारोबार (करोड़ रुपये)	निर्यात टन
मिश्र इस्पात संयंत्र	4694	199.20	–
सेलम इस्पात संयंत्र	33529	334.58	4855
विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	463	262.80	–

सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाएं

2182. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 1999–2000 की अपनी रिपोर्ट सं. 6 में कहा है कि योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत नयी योजनाओं, यथा सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाना, श्रमिक सहकारिता के लिए जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना, सहकारिता के माध्यम से मत्स्य पालन हेतु जलाशयों का विकास और ऊन परिष्कृत करने वाले तथा औद्योगिक सहकारिता का विकास करने वाली योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा योजना आयोग द्वारा व्यक्त की गयी आपत्तियों को शीघ्र दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है और योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति हेतु इस मामले पर जोरदार प्रयास करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नौवीं योजना में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित नई स्कीमें हटा दी गईं क्योंकि योजना आयोग ने इन्हें इस आधार पर मंजूरी नहीं दी कि ये गतिविधियां अन्य विभागों जैसे पशुपालन एवं डेयरी तथा मात्स्यिकी, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय आदि की स्कीमों में पहले से ही शामिल हैं। इन स्कीमों के हटाए जाने से सहकारी क्षेत्र के विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता ऊपर उल्लिखित विभागों/मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस विभाग द्वारा प्रस्तावित पुनःरचित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अन्तर्गत मिलती रहेगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन के बाद सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों में से कुछ गतिविधियां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित की जाएंगी।

नेक्रोसिस रोग से प्रभावित सूर्यमुखी की फसल

2183. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में सूर्यमुखी की फसल नेक्रोसिस रोग से अत्यधिक प्रभावित हुई है;

(ख) क्या इस रोग ने राज्य में उक्त फसल को चार वर्ष पूर्व भी प्रभावित किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस संबंध में किन उपचारात्मक कदमों पर विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1999–2000 के दौरान कर्नाटक के रायचूर, बेलगांव तथा चित्रदुर्ग जिलों से नेक्रोसिस रोग की सूचना दी गई थी। हालांकि, इस वर्ष इस रोग की किसी गंभीर घटना की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) वर्ष 1997 में, बीजापुर, बेलगांव, गदाग, बागलकोट, गुलबर्गा और कोप्पाल जिलों से नेक्रोसिस रोग की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद की सिफारिशों पर, राज्य सरकारों को निम्नलिखित रोग प्रबंध पद्धतियों का अनुसरण करने की सलाह दी गई थी।

(क) बुआई-पूर्व की पद्धतियां

(i) खेतों में तथा खेतों के चारों और खरपतवारों एवं स्वयं बोई गई फसलों को हटाना।

(ii) बार्डर फसल के रूप में सौरघम (3 से 4 पंक्तियां) बोना।

(iii) फसल की प्रारंभिक अवस्था में कीट वैक्टरों से फसल को बचाने के लिए 5 ग्राम इमिडा–क्लोपरिड/कि.ग्रा. बीज के हिसाब से बीजों का उपचार करना।

(ख) बुआई के बाद की पद्धतियां

(i) विकास अवधि के दौरान प्लाटों को खरपतवार मुक्त रखना।

(ii) रोग की घटना के लिए बार–बार (प्रत्येक एक दिन छोड़कर) खेतों की मानिटरिंग करना।

(iii) जब कभी दिखाई दें, खेतों में संक्रमित पौधों को उखाड़ना तथा मिट्टी में दबाकर नष्ट करना।

(iv) कीट वैक्टरों को नियंत्रित करने के लिए 15 दिन पुरानी पौधों से शुरू करके 50 प्रतिशत पुष्पण अवस्था तक 15 दिनों के अंतराल पर फॉस्फेमिडान (0.1 प्रतिशत) अथवा इमिडा–क्लोपरिड (0.1 प्रतिशत) अथवा मेटासिस्टॉक्स (0.2 प्रतिशत) जैसे व्यवस्थित कीटनाशियों सहित प्रोफिलैक्टिक छिड़काव (3 से 4) करना।

उपर्युक्त के अलावा, कर्नाटक सरकार ने कृषि विश्व–विद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा इस रोग की पहचान करवाने की कार्यवाही की थी। रोग की विरलता का पता लगाने के लिए रोग प्रभावित क्षेत्रों में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। किसानों को इस रोग तथा नियंत्रण उपायों के बारे में समाचार–पत्रों तथा पुस्तिकाओं के जरिए सूचना दी गई।

केन्द्रीय श्रम आयोग का कार्यकरण

2184. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय श्रम आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण को सुधारने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बर्खास्त और अस्थाई बैंक कर्मचारियों को पूरे देश में क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों रो उचित न्याय नहीं मिल पाया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का उक्त कार्यालयों को किस प्रकार सक्रिय बनाने का विचार है; और

(ङ) इन क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों की निष्क्रियता और पहल करने में कमी के संदर्भ में इन्हें रखने के उद्देश्य क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) बाल श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के तहत कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों के निष्पादन का मासिक आधार पर अनुवीक्षण किया जाता है और किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं तथा समुचित सलाह दी जाती है।

(ग) और (घ) औद्योगिक विवाद प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालयों द्वारा देश भर के बर्खास्त तथा अस्थाई बैंक कर्मियों की शिकायतों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत संराधन अधिकारी के रूप में घोषित मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) संगठन के अधिकारी बैंक कर्मियों द्वारा अपनी यूनियनों के माध्यम से सामूहिक रूप से उठाए गए औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करते हैं। किसी कर्मकार विशेष की सेवा समाप्ति संबंधी औद्योगिक विवादों पर संराधन अधिकारी सुलह कार्रवाई करते हैं। सुलह प्रक्रिया के दौरान यदि सहमति हो जाये तो वह विवादों से संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होती है। अन्यथा, संराधन अधिकारी केन्द्र सरकार को विफलता रिपोर्ट भेज देते हैं जिसमें यह सिफारिश भी की जाती है कि विवादों को न्यायानिर्णयन हेतु भेजा जाए या नहीं।

(ङ) उपर्युक्त ग तथा घ के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सुवर्णरेखा अन्तरराज्यीय परियोजना

2185. श्री के. पी. सिंह देव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्णरेखा अन्तरराज्य परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के किस तिथि तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) सुवर्णरेखा अंतर्राज्यीय परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (वर्ष)	दसवीं योजना परिव्यय	2002–03 के लिए परिव्यय	3/2002 तक व्यय
1.	सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना, झारखड	1428.82 (1990)	205.73	53.00	855.59
2.	सुवर्णरेखा, सिंचाई परियोजना, उड़ीसा	1013.68 (1993)	100.30	30.00	452.84
3.	सुवर्णरेखा बैराज परियोजना, पश्चिम बंगाल	595.34 (1996)	375.00	6.00	33.92

सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, क्रियान्वयन एवं उनका वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है तथा परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा उसको दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

सिंगापुर में पर्यटन को प्रोत्साहन

2186. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर पर्यटन बोर्ड ने दोनों देशों के पर्यटन स्थलों के संयुक्त प्रोत्साहन के लिए भारत के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने की इच्छा जाहिर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने अभी तक सिंगापुर पर्यटन बोर्ड से ऐसा कोई प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा प्रभावित राज्यों को विशेष सहायता

2187. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री सुरेश कुरुप :
श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई
श्री के. मुरलीधरन :
श्री के. करुणाकरण :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए और केन्द्रीय सहायता देने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) क्या सूखा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अब तक उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेष सूखा राहत सहायता हेतु केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान सरकारों से केन्द्र सरकार ने कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) कब तक सहायता जारी किए जाने की सभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार अन्य सूखा प्रभावित राज्यों के लिए भी उक्त विशेष सहायता जारी करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ज) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसान रबी फसल उगाने में गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (झ) सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता

कोष से सहायता हेतु आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्ञापन प्रस्तुत किए थे। उच्चाधिकार प्राप्त समिति में जम्मू–कश्मीर तथा केरल को छोड़कर सूखा प्रभावित राज्यों को संबंधित राज्य के आपदा राहत कोष में उपलब्ध बकाया राशि के समायोजन की शर्त पर उक्त सभी राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से 1999.14 करोड़ रुपये की कुल सहायता अनुमोदित की है। संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। इसके अलावा, सूखा प्रभावित राज्यों को राहत रोजगार हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के "विशेष घटक" के अन्तर्गत अब तक 19.25 लाख मी. टन खाद्यान्न आवंटित किया जा चुका है (विवरण–II)। जम्मू–कश्मीर के दौरे पर गए केन्द्रीय दल की रिपोर्ट विचाराधीन है और सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही केरल जाएगा। रबी मौसम में बुआई तथा खेती शुरू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण-I

सूखा प्रभावित राज्यों द्वारा की गई मांग एवं उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	राज्य द्वारा की गई मांग	आपदा राहत कोष में उपलब्ध बकाया राशि के समायोजन की शर्त पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1210.90	174.61
2.	छत्तीसगढ़	880.66	92.73
3.	हरियाणा	1895.98	109.65
4.	हिमाचल प्रदेश	155.86	39.45
5.	झारखण्ड	1467.25	42.06
6.	कर्नाटक	1562.85	221.46
7.	मध्य प्रदेश	790.38	125.89
8.	महाराष्ट्र	1730.61	20.00
9.	उड़ीसा	871.40	120.18
10.	पंजाब	3529.44	125.41
11.	राजस्थान	7519.76	207.68
12.	तमिलनाडु	1545.76	228.30
13.	उत्तरांचल	401.81	10.62
14.	उत्तर प्रदेश	7539.79	481.10
	कुल	31102.45	1999.14

विवरण-II

सूखा प्रभावित राज्यों द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के "विशेष घटक" के अन्तर्गत अनुमोदित खाद्यान्न की मात्रा

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित मात्रा (सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.00
2.	छत्तीसगढ़	0.50
3.	हरियाणा	0.25
4.	हिमाचल प्रदेश	0.10
5.	झारखण्ड	0.40
6.	कर्नाटक	2.00
7.	मध्य प्रदेश	1.00
8.	उड़ीसा	2.00
9.	राजस्थान	7.00
10.	तमिलनाडु	0.50
11.	उत्तरांचल	0.50
12.	उत्तर प्रदेश	2.00
	कुल	19.25

ग्रामीण भारत में तकनीकी शिक्षा

2188. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में तकनीकी शिक्षा में अग्रणी गांवों को नकद पुरस्कार देने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गांवों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) तकनीकी शिक्षा से संबद्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, तकनीकी शिक्षा में अग्रणी गांवों को नकद पुरस्कार देने या गांवों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोई अनुदान देने की योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नागा संस्कृति को पुनर्जीवित करना

2189. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागा जाति की समृद्ध और पारंपरिक विरासत, संस्कृति और रीति-रिवाज बड़ी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन-कौन हैं; और

(ग) नागा संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) नागा जाति की समृद्ध पारंपरिक विरासत और संस्कृति तेजी से विलुप्त नहीं हो रही है। नागा समाज में भी अन्य समुदायों/जनजातियों/नृजातीय समूहों की भांति आधुनिकीकरण तथा विकासात्मक कार्यकलापों और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के विस्तार के प्रभाव के कारण संस्कृति-संक्रमण की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) भारत सरकार ने दिमापुर, नागालैंड में उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की है, जिसे जनजातीय और लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन और परिरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, भारत सरकार, जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के विस्तार प्रसार और परिरक्षण की अपनी स्कीम के तहत जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के परिरक्षण और विस्तार प्रसार में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों तथा संस्थानों आदि को आवर्ती या गैर-आवर्ती आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुम्बई में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को जोड़ना

2190. श्री किरीट सोमैया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने उनके मंत्रालय से मुंबई में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के बीच शटल बस सेवा शुरू करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) मुंबई में सिटी साइड पर यात्रियों के लिए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों के बीच पहले से ही कोच सर्विस चल रही है।

पर्यटन विकास हेतु राज्यों को धनराशि

2191. श्रीमती प्रभा राव : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गयी है :

(ख) क्या राज्यों ने उन्हें आवंटित धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में राशि का उपयोग नहीं किया और यह अप्रयुक्त राशि कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान 239.00 करोड़ रुपये की राशि की 967 परियोजनाएं स्वीकृत कीं। देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए इस संस्वीकृति में से सभी राज्यों को 112.41 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं में से 252 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं और इन परियोजनाओं में धन का उपयोग कर लिया गया है। शेष 715 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में किसान सहायता केन्द्र

2192. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में चल रहे किसान सहायता केन्द्रों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान में ऐसे और केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य के किन–किन जिलों में ऐसे केन्द्रों को खोलने जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऐसे केन्द्र कब तक राज्य में काम करने लगेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) इस मंत्रालय के किसी कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में ऐसा कोई केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने किसानों और अन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकीय उत्पादों, नैदानिक सेवाओं और प्रौद्योगिकी सूचना की उपलब्धता के लिए एकल खिड़की (सिंगल विंडोव) समर्थन प्रणाली सृजित करने के लिए 31 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है, श्रीगंगानगर में एक क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केन्द्र की पुनर्स्थापना की है, तीन कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, और महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्व विश्वविद्यालय, उदयपुर प्रत्येक में एक–एक और चार संस्थान–राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम केन्द्रों की स्थापना की है। राजस्थान राज्य में भा.कृ.अ.प. द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची विवरण–I में दी गई है।

इसके अलावा, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय में 4271 किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है जहां किसानों की समस्याएं सुलझाई जाएंगी और कृषि के बारे में उन्हें तकनीकी जानकारी दी जाएगी। कृषि विभाग द्वारा राजस्थान राज्य में स्थापित किसान सेवा केन्द्रों की जिला–वार सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय और राज्य सरकार के पास राजस्थान में नया कृषक सेवा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राजस्थान राज्य में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

1.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शिक्षक कालोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा–303303 (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1994 एस
2.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बी–33 मान नगर, झुनझून (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1989 एस
3.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चारा फार्म गांव, बीचवाल बीकानेर–334002 (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1983 एस

4.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पोस्ट बाक्स सं. 16 सवाई माधोपुर–322001 (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1992 एस
5.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र तावीजी फार्म, रारा 08. अजमेर–305001 (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1992 एस
6.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पुराना शहर, धौलपुर (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1992 एस
7.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर शेखवटी, सीकर–332301	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1976 एस
8.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, केशवाना, जालौर–342001 (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1985 एस
9.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव नवगांव, अलवर (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1992 एस
10.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, किसान विद्यापीठ सरांग गेस्ट हाऊस के नजदीक कुमहेर, भरतपुर–321001 (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1988 एस
11.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो. बा. सं. 46, जैसलमेर–345001 (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1992 एस
12.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, संजय कालोनी, नागौर (राज.)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1992 एस
13.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेरा दिपक, भवन, दाबला रोड, काटपुतली–303108, जयपुर	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर–334001	1989 एस
14.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बदत माट के पास शास्त्री कालोनी, दुंगरपुर–314001 (राज.)	कुलपति उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय	1992 एस

15.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरवत एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बांसवारा–327001 (राज.)	कुलपति उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय	1983 एस
16.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, स्टेशन रोड, अंत बरान–325202 (राज.)	कुलपति उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय	1994 एस
17.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कोलर फार्म अम्बासदिजी गेट, पो. आ. पालरी सिरोही–307001 (राज.)	कुलपति उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय	1989 एस
18.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तौड़गढ़–312001 (राज.)	कुलपति उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय	1992 एस
19.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरखेरा फार्म, कोटा–324001 (राज.)	कुलपति उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय	1992 एस
20.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, छितरपुरा रोड, बूंदी (राज.)	कुलपति उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय	1992 एस
21.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, तलाई, पो. बा. 16, झालवर–326001 (राज.)	कुलपति उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय	1992 एस
22.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, धोईंदा, राजास्मंद–313342 (राज.)	कुलपति उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय	1994 एस
23.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, अमाझिया फार्म, गांधीनगर, भिलवाड़ा–311001 (राज.)	कुलपति उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय	1992 एस
24.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वी.पी. तनकाद्रा, चौमू, जयपुर (राज.)	सचिव प्रगति न्यास चौमू, जयपुर (राज.)	1992 एन
25.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वनास्थली विद्यापीठ, टोंक–304022 (राज.)	सचिव वनास्थली विद्यापीठ वनास्थली, टोंक (राज.)	1992 ओ

26.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बड़गांव, उदयपुर–313001 (राज.)	अध्यक्ष विद्या भवन सोसायटी बडगांव, उदयपुर–313001	1983 एन
27.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सरदार शहर, चुरू–311401 (राज.)	रजिस्ट्रार गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर, चूरू	1992 एन
28.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गायत्री शांति पीठ बारमेड़–344001 (राज.)	सचिव ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन्नयन समिति बारमेड़ (राज.)	1992
29.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, संगारिया, हनुमानगढ़ (राज.)	अध्यक्ष केश्यानंद मेमोरियल ट्रस्ट संगारिया, हनुमानगढ़ (राज.)	1989 एन
30.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सी.ए.जेड.आर.आई. (भा.कृ.अ.प.) जोधपुर–342003 (राज.)	निदेशक सी.ए.जेड.आर.आई. (भा.कृ.अ.प.) जोधपुर–342003 (राज.)	1983 आई
31.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र सी.ए.जेड.आर.आई. (भा.कृ.अ.प.) पाली, मारवाड़–304401 (राज.)	निदेशक सी.ए.जेड.आर.आई (भा.कृ.अ.प.) जोधपुर–342003 (राज.)	1992 आई

विवरण-II

राज्य कृषि विभाग द्वारा राजस्थान में स्थापित किसान सेवा केन्द्रों की जिलावार सूची

क्र.सं.	जिला	किसान सेवा केन्द्र की सं.
1	2	3
1.	जयपुर	223
2.	दौसा	125
3.	अजमेर	177
4.	सीकर	118
5.	झुनझून	98
6.	भरतपुर	174
7.	अलवर	276
8.	धौलपुर	89
9.	सवाई माधोपुर	103
10.	करौली	121
11.	कोटा	30
12.	बरान	81
13.	झालवाड़	122
14.	टोंक	152
15.	बूंदी	47
16.	भीलपाड़ा	232
17.	चित्तौड़गढ़	234
18.	राजस्मंद	144
19.	उदयपुर	338

1	2	3
20.	डुंगरपुर	177
21.	बांसवाड़ा	148
22.	जोधपुर	63
23.	पाली	152
24.	नागौर	163
25.	जालौरं	89
26.	सिरोही	71
27.	बरमेड	37
28.	जैसलमेर	7
29.	गंगानगर	232
30.	हनुमानगढ़	176
31.	बीकानेर	65
32.	चूरू	7
	कुल	4271

[अनुवाद]

कयर को प्रोत्साहन

2193. श्री पी. सी. थामस : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संग्रहित स्टॉक को समाप्त करने हेतु और पूरे देश में कयर यॉर्न और कयर उत्पादों की खपत को बढ़ाने के लिए कयर सहकारिता समितियों और राज्य कॉयर विकास निगम को समर्थ बनाने के लिए सहकारिता क्षेत्र/राज्य क्षेत्र में कयर तथा कयर उत्पादों की बिक्री के लिए योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार केरल को 50 प्रतिशत छूट के रूप में सरकार को वर्ष 94–95 के लिए 34597 रु., वर्ष 97–98 के लिए 34076875 रु., वर्ष 98–99 के लिए 31607303 रु. और वर्ष 99.00 के लिए 46885137 रु. देने हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उक्त भुगतान की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कयर एवं कयर उत्पादों पर छूट के लिए बजटीय समर्थन योजना आयोग द्वारा लगाई गई सीमा के आधार पर सीमित किए जाने का विचार था। इसलिए राज्य सरकारों के साथ छूट दावों के कोई बकाया नहीं होने चाहिए थे। इसके अतिरिक्त, 1997–98 के दौरान संशोधित अनुमान (आर.ई.) स्तर पर 3 करोड़ रु. की अतिरिक्त छूट स्वीकार की गई, जो छूट दावों की अदायगी के लिए एक बार का उपाय था। इसे देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अतिरिक्त वित्तीय समर्थन नहीं दिया जा सकता है। छूट योजना को अब 2000–2001 से बाजार विकास सहायता योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

पशुधन की रक्षा के लिए कानून

2194. श्री सुरेश चन्देल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में पशुधन की निरंतर हो रही क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पशुधन की रक्षा के लिए कोई नीति और कानून बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) पशुधन संगणना आकलन के अनुसार पशुधन संख्या में कोई कमी नहीं आई है। आंकडे इस प्रकार हैं :

वर्ष	संख्या मिलियन में
1982	419.59
1987	445.29
1992	470.86
1997	479.93 (अनन्तिम)

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

क्योटो प्रोटोकॉल का लाभ

2195. श्री अखिलेश यादव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय विभागों में समन्वयन के अभाव में भारत क्योटो प्रोटोकॉल का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होगा, जैसाकि 29 सितम्बर, 2002 के "हिन्दुस्तान" (हिन्दी संस्करण) में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) अड़चनों को दूर करने और प्रोटोकॉल का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्योटो प्रोटोकॉल का पक्षकार है तथा बॉन करार, मारकेश समझौता और दिल्ली घोषणा के अनुसार प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन तथा इसे लागू कराने में शीघ्रता चाहता है। भारत सरकार के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन के विषय पर नोडल प्राधिकरण है और यह अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि मंत्रालयों सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों विभागों के साथ निकट समन्वय के साथ कार्य करता है। विभिन्न सरकारी विभागों के बीच अच्छे समन्वय का उदाहरण 23 अक्तूबर से पहली नवम्बर 2002 के बीच नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों की आठवीं बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन है जिसमें सभी विभागों/मंत्रालयों ने मुख्य और गौण विषयों में भाग लिया। कान्फ्रेंस से विश्व पर्यावरणीय स्टेट्समैनशिप में देश के प्रोफाइल में वृद्धि हुई है। इसमें न केवल इस तरह के महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित करने के साहस का बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसरण में अपनी भूमिका बनाए रखने की क्षमता का भी परिचय दिया गया है। सम्मेलन ने स्वच्छ विकास कार्यतंत्र के कार्यकारी बोर्ड के प्रक्रिया नियमों के साथ-साथ लघु स्तरीय स्वच्छ विकास कार्यतंत्र परियोजना की सरलीकृत कार्य प्रणालियों और कार्य पद्धतियों को अपनाया जो भारत सहित विकासशील देशों के हित में होंगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन का विकास

2196. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन की भरपूर संभावना वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर थार क्षेत्र के बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सात राज्यों में, पर्यटन के विकास हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो अब तक अपेक्षित रहे हैं, पर्यटन के विकास हेतु कोई कार्यदल गठित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ गठित कार्यदल में कौन-कौन से लोग होंगे और इस कार्यदल के अंतर्गत कौन-कौन से मुख्य पहलुओं को लाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने दसवीं योजना के दौरान ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके, प्रत्येक वर्ष देश में 10 ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को लिया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन

2197. श्री चिंतामन वनगा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण का अध्ययन कराने के लिए श्री आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। समिति में गैर–सरकारी संगठनों से दो सदस्य, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के एक कुलपति, एक सहायक महानिदेशक तथा सदस्य सचिव के रूप में एक क्षेत्रीय समन्वयक को शामिल किया जाता है।

(ग) और (घ) समिति की रिपोर्ट सितम्बर, 2002 में प्राप्त हुई। सिफारिशों सहित मुद्दों और समस्याओं की जांच की गई तथा इन्हें वर्गीकृत किया गया।

हैदराबाद कार्गो काम्पलेक्स को आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम को सौंपना

2198. श्री के. येरननायडू : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद हवाई अड्डे के न्यू पेरिशेबल कार्गो काम्पलेक्स को आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को सौंपे जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। कस्टम और केन्द्रीय एक्साइज कमिशनर ने हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिनांक 14.8.2001 से आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम को पेरिशेबल कार्गो सेंटर को सौंपे जाने का अनुमोदन कर दिया है।

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के किराए में कटौती

2199. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर बिजनेस/एक्जीक्युटिव/क्लब क्लास के किरायों में लगभग 40 फीसदी की कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन एयरलाइनों द्वारा घोषित या संभावित नए किरायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस की योजना सस्ते टिकटों पर बिना अतिरिक्त सुविधाओं वाली उड़ानों को परिचालित करने की है;

(घ) ऐसी उड़ानों को कब तक परिचालित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) किन–किन मार्गों पर ये उड़ानें परिचालित की जायेंगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

नीम का प्रयोग

2200. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नीम का औषधीय और शृंगार प्रसाधन के लिए पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त तथा अन्य क्षेत्रों में नीम का उपयोग बढ़ाने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) समुचित रूप से नीम का पेड़ लगाने और उसके विकास हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, हां। नीम को औषधी, सौन्दर्य प्रसाधन तथा अन्य प्रयोगों के लिए देश में पूरी तरह काम में नहीं लाया गया है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (एएफआरआई) तथा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् देहरादून (आईसीएफआरई) द्वारा वानिकी सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए नीम के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (एएफआरआई) तथा

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् देहरादून (आईसीएफआरई) द्वारा नीम के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

1. दिशा–निर्देश तैयार करने व अन्तर्राष्ट्रीय नीम प्रोविनैंस ट्रायल्स के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए 1993 और 2001 में जोधपुर में अन्तर्राष्ट्रीय नीम नेटवर्क की बैठकें आयोजित की गईं।

2. 1993 में जोधपुर मरुस्थलीय क्षेत्रों में नीम के सत्त के प्रयोग द्वारा टिड्डियों के समूहों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए गए।

3. नीम और उसके प्रयोग की प्रचार तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए 300 किसानों के लिए जोधपुर में छः प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए गए।

4. एफएओ नीम नेटवर्क 1995 के अन्तर्गत नीम से संबंधित 18 अन्तर्राष्ट्रीय प्रोविनैंसिज के फील्ड ट्रायल्स जोधपुर, जयपुर, जबलपुर और कोयम्बतूर में आयोजित किए गए।

5 सारे देश से एकत्र किए गए 39 बीज स्रोतों से नीम के प्रोविनैंस ट्रायल्स 1992 में तेल और अजादिराक्टिन तत्वों के मूल्यांकन के लिए किए गए।

6. देश के विभिन्न भागों में नीम के कैंडीडेट प्लस के पांच सौ सैंतीस वृक्षों की पहचान की गई है।

7. अच्छी क्वालिटी के नीम बीजों के स्रोत के रूप में जोधपुर और जयपुर में बारह हैक्टेयर पौध बीज उद्यान लगाए गए हैं।

8. पौधरोपण तकनीकों के प्रदर्शन के लिए जयपुर, जोधपुर, हिम्मत नगर और पाली में स्थापित 15 हैक्टेयर क्षेत्र में नीम का आदर्श पौधरोपण।

9. किसानों में वितरण के लिए एएफआरआई, जोधपुर द्वारा तीन लाख नीम के पौधे लगाए गए हैं।

10. उत्तम किस्म के आनुवांशिकी विशेषताओं वाले नीम के पौधों के व्यापक संवर्धन के लिए एएफआरआई, जोधपुर नीम के क्लोन प्रसार तकनीकों का मानकीकरण किया गया है।

11. आईसीएफआरई द्वारा 24–25 सितंबर, 1998 को देहरादून में "ग्रामीण एवं शहरी वानिकी उद्योग" सहित लोगों में नीम वृक्षों को लोकप्रिय बनाने पर एक राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित किया गया।

शीतागार

2201. श्री रघुनाथ झा :
श्री रामजी मांझी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश शीतागारों को किसी ऐसे विशेष उत्पादों के लिए बनाया जाता है जो केवल सीमित अवधि के लिए ही उनमें रखे जाते हैं;

(ख) क्या वर्तमान में विभिन्न चैम्बरों वाले शीतागारों में परिवर्तन कर उनकी क्षमता के अनुकूल उन्हें सालों भर काम में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने शीतागारों की वास्तविक आवश्यकता और उनकी संख्या और बढ़ाए जाने की जरूरतों का मूल्यांकन कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (च) यह सच है कि 9.6.2000 से पहले तक देश में अधिकांश शीतागार केवल एकल चैम्बर एवं विशेष उत्पाद हेतु थे। तथापि, तब से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अपनी स्कीम "बागानी उत्पादों हेतु शीतागारों तथा भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम" के अंतर्गत बहु–चैम्बर, बहु–उद्देश्यीय शीतागारों के निर्माण हेतु पार्श्वांत पूंजी (बैक–एन्डेड) निवेश राजसहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 31.10.2002 तक 27.37 लाख मीटरी टन की नई क्षमता वाली 604 परियोजनाओं को 192.81 करोड़ रुपये की धनराशि की पार्श्वांत पूंजी (बैंक–एन्डेड) निवेश राजसहायता प्रदान की है।

शीतागारों एवं भंडारों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति

ने, फरवरी, 1999 में कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों के दौरान 12 लाख मीटरी टन की क्षमता के सृजन/विस्तार तथा साथ ही बंद पड़े हुए 8 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले शीतागारों के पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण हेतु चिन्हित किया है। समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की उपर्युक्त स्कीम बनाई गई थी जो कार्यान्वयनाधीन है।

विमानपत्तनों पर खाली भूमि/जमीन

2202. श्री रामजी मांझी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 2002 (वाणिज्यिक) की अपनी रिपोर्ट सं. 4 में अगस्त, 1996 के बाद से मुम्बई विमानपत्तन की विभिन्न पाकेटों में 19553 वर्ग मीटर भूमि के 14 प्लाटों के खाली पड़े होने के तथ्य का खुलासा किया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्लाटों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या अभी तक किसी की जिम्मेदारी तथा जवाबदेही निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि भूमि का उपयोग केवल विमानन से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, एयरलाइनों/कार्गो आपरेटरों की मांग के आधार पर इन प्लाटों के उपयोग संबंधी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, चूंकि हवाईअड्डों पर भूमि सीमित है, इसलिए इसका उपयोग अधिक से अधिक करना पड़ता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

औषधीय और जड़ी-बूटीय पौधे

2203. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरराष्ट्रीय जड़ी–बूटी औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन उद्योगों को औषधों और जड़ी–बूटीय पौधों की आपूर्ति करने वाले किसानों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को अच्छी और जल्दी उगाने वाली किस्मों के पौधों के लिए आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग के प्रोत्साहन और अर्न्राष्ट्रीय बाजार में इनकी बिक्री और उत्पादन को बढ़ाने में मदद करने वाली एजेंसियों और संस्थाओं के क्या नाम हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) औषधीय पौधों के संरक्षण एवं सतत उपयोग के संबंध में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल के अनुसार औषधीय पौधों के क्षेत्र से संबंधित किसान जंगलों से सामग्री की उपलब्धता में कमी, अत्यधिक कटाई, परिपक्वता काल के बारे में जागरूकता के अभाव, अपर्याप्त भण्डारण सुविधाओं, विपणन एवं व्यापार के बारे में जानकारी का अभाव, खराब विपणन सुविधाओं, गुणवत्ता मानदण्डों के अभाव तथा पणधारियों के बीच खराब समन्वय जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

(ग) अधिक उपज लेने और अधिक आय प्राप्त करने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित अभिकरण कार्यरत हैं :

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत आणन्द, गुजरात स्थित औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र।

(ii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत केन्द्रीय औषधीय एवं सुगन्धित पौध संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(iii) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संबंधित विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

(iv) राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

[हिन्दी]

ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन

2204. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के सेन्टर फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने गत कुछ वर्षों के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण रूप से कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो उन उपायों का ब्यौरा क्या है जिनसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा योजनावार कितना व्यय किया गया है; और

(घ) उक्त व्यय में से कितना धन विदेशों से प्राप्त हुआ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) यूएसए के पेव सेंटर आन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ने अक्तूबर, 2002 में ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और टर्की : विकासशील देशों में क्लाइमेट चेंज मिटीगेशन नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में भारत सहित छह विकासशील देशों में जलवायु उपशमन की स्थिति दर्शाई गई है और इसमें यह कहा गया है कि पर्यावरणीय हितकारी नीतियों और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से इन देशों ने पिछले दशक में कार्बनडायक्साइड के उत्सर्जनों में महत्वपूर्ण कमी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि यह प्रयास न किए गए होते तो संदर्भाधीन छह देशों के उत्सर्जन उनके आज के उत्सर्जनों से 19 प्रतिशत और अधिक होते। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है—ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, पावर सैक्टर में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, ईंधन के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग, वनीकरण और वनों का संरक्षण, कोयले का दक्ष प्रयोग, गैस की लो को कम करना, तेल और पावर क्षेत्र में हीट रिकवरी सिस्टम की स्थापना करना, ईंधन दक्ष सिंचाई पंप सेटों का मानकीकरण और बेहतर कल्टीवर पद्धतियां हैं। ऐसी कोई एक अथवा अधिक विशिष्ट स्कीमें नहीं हैं जिसके व्यय को ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के साथ जोड़ा जा सके।

[अनुवाद]

ओजोन के नष्ट होने का खतरा

2205. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् ओजोन के नष्ट होने के खतरे पर सरकार द्वारा राज्यवार कितने जागरूकता शिविर लगाए गए;

(ख) अगले छह महीनों में सरकार की इस मामले में क्या योजना है;

(ग) क्या किसी गैर–सरकारी संगठन ने ओजोन और इसके नष्ट होने के मामले में और अधिक जागरूकता लाने हेतु सरकार से कार्रवाई का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 22 राज्यों और 5 संघ शासित क्षेत्रों में ओजोन परत को होने वाले खतरों के संबध में 27 जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया है।

(ख) शेष 5 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में अगले छह माह में जागरूकता कैम्प लगाने की योजना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन

2206. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 के दौरान कृषि जैव प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कितना वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिए सभी अनुसंधान संस्थान अनुदान का लाभ ले रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक प्रौद्योगिकी कुशलतापूर्वक तैयार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पादप जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली में 100.00 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय (2002–03) तथा राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली में 70.00 लाख रुपये के परिव्यय (2002–03) के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में केवल कृषि जैव–प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, खाद्य, चारा, रेशे एवं बागवानी फसलों तथा पशु एवं मात्स्यिकी सुधार तथा प्रबंधन वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान भी कृषि जैव–प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में लगे हुए हैं, जिसके लिए आवश्यकता पर आधारित अनुदान विभिन्न संस्थानों को मुहैया किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पादप, पशु विज्ञान और मात्स्यिकी से सम्बन्धित जैव–प्रौद्योगिकीय पहलुओं पर वैज्ञानिकों को देश तथा विदेश दोनों जगह प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उनकी सक्षमता को बढ़ाया जा सके तथा उनके तकनीकी कौशल को अद्यतन किया जा सके। ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे।

पशुओं की दौड़

2207. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पशुओं की दौड़ें आयोजित करने पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पशुओं की दौड़ें आयोजित की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) पशुओं की दौड़ों पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत अनिवार्यतः प्रतिबंध नहीं है।

(ख) ये पशु दौड़ें पंजाब और महाराष्ट्र में यदा–कदा होती रहती हैं।

(ग) राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि जब कभी भी क्रूरता से संबंधित मामले, जिनमें पशुओं को अनावश्यक कष्ट अथवा पीडा पहुंचाई गई हो, उनके ध्यान में आते हैं तो वे आवश्यक कार्यवाही करें।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

2208. श्री अनन्त नायक : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र ने राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए कोई कदम उटाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां कर रहा है जैसे पेयजल उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, अवसंरचना और आर्थिक विकास करना। 1974–75 से 2001–02 तक इन गतिविधियों पर व्यय की गई कुल राशि 7,94,63,116 रुपए है।

बाघ अभयारण्य

2209. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन–किन क्षेत्रों का चयन किया गया है,

(ग) क्या सरकार देश के वर्तमान बाघ अभयारण्यों की

आवश्यक गतिविधियों के वित्त पोषण करने की स्थिति में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार नए अभयारण्यों की किस तरह देखभाल करेगी; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ वित्तपोषण पैटर्न का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बाघ रिजर्व क्षेत्र को 4914 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव है और निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(1)	अन्नामलय–पारम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य–केरल–तमिलनाडु	1430 वर्ग किलोमीटर
(2)	सतकोसिया गोर्गी एंड बेसीपाडा वन्यजीव अभयारण्य–उड़ीसा	988 वर्ग किलोमीटर
(3)	उदन्ती वन्यजीव अभयारण्य– छत्तीसगढ़	1580 वर्ग किलोमीटर
(4)	अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य– छत्तीसगढ़	552 वर्ग किलोमीटर
(5)	चन्दोली वन्यजीव अभयारण्य-- महाराष्ट्र	364 वर्ग किलोमीटर

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बाघ परियोजना, जो कि मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, के अन्तर्गत बाघ रिजर्वों को बजट आवंटन के आधार पर पर्याप्त राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है जिसमें कार्य की अनावर्ती मदों पर (100%) और आवर्ती मदों पर (50%) राशि की सहायता दी जाती है। बाघ रिजर्वों की मांग का निर्धारण उनकी कार्यप्रचालन की वार्षिक योजना की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद किया जाता है और किसी आकस्मिक आवश्यकता को राज्य सरकार के प्रस्ताव और फील्ड निर्धारण के आधार पर पूरा किया जाता है।

फसल प्रणाली का विविधिकरण

2210. श्री के. पी. सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सूखा प्रभावित राज्यों और विशेषकर उड़ीसा की फसल प्रणाली विविधिकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से केन्द्र को मिले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नीति के तौर पर सरकार अनाज फसलों की बार–बार खेती के परिणामस्वरूप मृदा स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए फसल विविधिकरण पर जोर देती रही है। ऐसा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ–साथ कृषि में सततता को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। सूखे के कारण विविधिकरण के बारे में उड़ीसा अथवा अन्य किसी राज्य से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नॉन कोकिंग कोल पर आयात शुल्क में कटौती

2211. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने धातुई प्रयोजन हेतु आयातित नॉन कोकिंग कोल को कोकिंग कोल की कीमतों के समतुल्य लाने के लिए नॉन कोकिंग कोल के आयात शुल्क में कटौती करने हेतु वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) कोल आधारित स्पॉन्ज आयरन प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। अकोककर कोयला आधारित स्पंज लोहा इकाइयों और तप्त धातु के उत्पादन हेतु कोरेक्स प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। घरेलू अकोककर कोयले की

गुणवत्ता निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है और यह डीआरआई और कोरेक्स संयंत्रों के लिए अनुपयुक्त है। अतः इस्पात मंत्रालय ने सिफारिश की है कि स्पंज लोहे और तप्त धातु के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले अकोककर कोयले पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए। इस उपाय से अकोककर कोयले पर शुल्क 12 प्रतिशत से कम राखांश वाले कोककर कोयले पर शुल्क के बराबर हो जाएगा।

(ग) वित्त मंत्रालय ने कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कोयला आधारित स्पंज आयरन संयंत्र स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर प्रारंभिक चरण में विचार किया जा रहा है लेकिन अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

बाढ़ प्रवण नदी बेसिन

2212. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम में बाढ़ प्रवण नदी बेसिन और नदियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषतः असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, बिहार के भारत नेपाल सीमा और पश्चिमी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, माल्दा और मुर्शिदाबाद जैसे बाढ़ प्रवण जिलों में बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो दसवीं योजना में इस उद्देश्य के लिए कितना व्यय होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1972 में गठित गंगा बाढ़ आयोग और वर्ष 1982 में गठित ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने क्रमशः गंगा और ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिनों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। गंगा बेसिन के लिए मास्टर योजना में अन्य बातों के साथ-साथ बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्य शामिल हैं जबकि असम राज्य ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन द्वारा तैयार की गई योजना के अन्तर्गत आता है। इन मास्टर योजनाओं द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में बाढ़ प्रवण बेसिनों तथा नदियों की पहचान की गई है।

(ख) और (ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन एवं प्रचालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता स्वभावतः तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक है।

तथापि, केन्द्र सरकार ने देश में बाढ़ से संबंधित समस्याओं का अध्ययन एवं जांच करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियों के गठन के अतिरिक्त जीएफसीसी और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के गठन के साथ-साथ वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का भी गठन किया था जिसने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वयन हेतु अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के लिए सिफारिशें की हैं।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है जो देश में 159 स्थानों पर बाढ़ पूर्वानुमान बताने का काम करती है और उसके अंतर्गत बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम राज्य भी आते हैं। इसके अतिरिक्त "भारत और नेपाल की साझी नदियों पर बाढ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली" नामक एक स्कीम सन् 1989 से प्रचालन में है। यह स्कीम नेपाल से निकलने वाली नदियों के संबंध में बिहार राज्य में पूर्वानुमान मुहैया कराती है।

भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जल आप्लावन की समस्याओं से निपटने के लिए भारत और नेपाल के बीच जल आप्लावन संबंधी एक स्थायी समिति भी सन् 1986 से कार्य कर रही है। अभी तक बारह बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें बहुत से मुद्दों का समाधान किया गया है।

बाढ़ मैदान जोनिंग हेतु माडल बिल का एक मसौदा भी तैयार किया गया था और उसे राज्य सरकारों को भेज दिया गया था।

भारत सरकार भी विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती रही है। पश्चिमी बंगाल समेत गंगा बेसिन राज्यो में महत्वपूर्ण कटाव रोधी कार्य करने तथा असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली बाढ प्रबंधन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए 10वीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 342 करोड रुपये का परिव्यय करने का प्रस्ताव है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 820(अ) जो 2 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कृत्यों का निष्पादन करने के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6163/2002]

(2) पर्यारण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 10 की उपधारा(1) के अंतर्गत, जारी, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 727(अ) जो 11 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 83(अ) में संशोधन करना है।

(दो) का.आ. 1200(अ) जो 14 नवंबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 83(अ) में संशोधन करना है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6164/2002]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 11 की उपधारा(1) के अंतर्गत जारी, निम्नलिखित अधिसचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का.आ. 728(अ) जो 11 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 84(अ) में संशोधन करना है।

(दो) का.आ. 1199(अ) जो 14 नवंबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 84(अ) में संशोधन करना है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6165/2002]

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अंतर्गत जारी, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 729(अ) जो 11 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शक्तियों के प्रत्योजन के बारे में है।

(दो) का.आ. 730(अ) जो 11 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट सहित परिसंकटमय अपशिष्ट, जैव–चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय रसायन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से संबंधित मानकों और नियमों के उल्लंघन के लिए किसी उद्योग अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को दिशानिर्देश जारी करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6166/2002]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा(3) के अंतर्गत, जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 536(अ) जो 20 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 दिसबर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ 884(अ)

में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6167/2002]

(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38क के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 जो 26 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 267(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001 जो 26 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 268(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पशुओं का परिवहन (संशोधन) नियम, 2001 जो 26 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 269(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (बूचड़खाना) नियम, 2001 जो 26 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 270(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की स्थापना और उनका विनियमन) नियम, 2001 जो 26 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 271(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पशु जन्म नियंत्रण (श्वान) नियम, 2001 जो 24 दिसंबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1256(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) संशोधन नियम, 2001 जो 8 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 35(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) (संशोधन) नियम, 1998 जो 28 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पशुओं का प्रजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 जो 15 दिसंबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1074(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) पशुओं का प्रजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 2001 जो 15 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 134(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6168/2002]

(8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2002 जो 11 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1088(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2002 जो 17 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 371(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6169/2002]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केंद्रीय बौध अध्ययन संस्थान, लेह–लद्दाख के

वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय बौध अध्ययन संस्थान, लेह–लद्दाख के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय बौध अध्ययन संस्थान, लेह–लद्दाख के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6170/2002]

(3) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6171/2002]

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 172, 173, 174, 175/176, 182, 183 और 184 तथा जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के क्रमशः 78वें, 79वें, 80वें, 81वें, 85वें, 87वें, 88वें और 89वें सत्रों में स्वीकृत सिफारिशों संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6172/2002]

(2) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 44 के अंतर्गत उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2002 जो 18 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 713(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6172क/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6173/2002]

(ख) (एक) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998–1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998–1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर

रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6174/2002]

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा(2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2002 जो 22 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 296 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6175/2002]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 1997–1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 1997–1998 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6176/2002]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6177/2002]

(ग) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1992–1993 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीस कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1992–1993 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6178/2002]

(घ) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6179/2002]

(ङ) (एक) पश्चिम बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996–1997 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996–1997 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6180/2002]

(च) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अकोला के वर्ष 1998–1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, अकोला का वर्ष 1998–1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6181/2002]

(छ) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अकोला के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, कारपोरेशन लिमिटेड, अकोला का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6182/2002]

(ज) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अकोला के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अकोला का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6183/2002]

(3) (एक) नेशनल ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6184/2002]

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 29 नवंबर, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 नवंबर, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में जब मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया, तो उन्होंने मुझसे शून्य काल के दौरान यह मुद्दा उठाने के लिए कहा। दलगत भावना से ऊपर उठकर समूची संसद ने सीमापार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक स्वर से एक बार नहीं दो–दो बार सरकार को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया। जहां तक आतंकवाद से लड़ने का सवाल है, इस सभा में कोई मतभेद नहीं है। इस सभा के नेता माननीय प्रधान मंत्री ने कल शिमला में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने मुंबई में 13 दिसंबर, 2001 से पहले कहा था कि संसद पर हमला हो सकता है और संसद पर हमला हुआ था बाद में वे इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके कि अग्रिम सूचना होने के बावजूद आसूचना एजेंसियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं।

अक्षरधाम और रघुनाथ मंदिर की घटनाओं के बाद ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस पर बहस हो रही है...*(व्यवधान)* यह क्या हो रहा है? क्या यह मामला 'शून्य काल' के दौरान उठाए जाने वाला है?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'शून्य काल' के शुरू में यह मामला उठाया था। उनसे कहा गया था कि वे इसे 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारे प्रधान मंत्री ने शिमला में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थीं। पहली बात पिछली केंद्र सरकारों पर आरोप था। श्री वाजपेयी ने कहा कि पिछली केंद्र सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सुरक्षा की अनदेखी की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वर्ष 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षणों की तैयारी की जा रही थी, तब भी सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की थी।

दूसरी बात, उन्होंने यह भी जोड़ी कि आतंकवादी और मंदिरों को निशाना बना सकते हैं। यदि यह आम आदमी की स्वाभाविक समझ हो तो मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन जब प्रधान मंत्री कहते हैं कि आतंकवादी और मंदिरों पर हमले कर सकते हैं और आगे यह भी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने विश्व दबाव में सुरक्षा के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तो यह बहुत गंभीर आरोप है कि देश की सुरक्षा पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया जिस तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए था। जबकि, प्रधानमंत्री, जो कि उस समय विपक्ष के नेता थे, ने इसी सदन में कहा था कि कैसे 1971, 1965 एवं 1948 के युद्ध में भी भारत की जनता और सरकार एक साथ थी। ...*(व्यवधान)*

आतंकवाद से लड़ने का काम अकेले श्री लाल कृष्ण आडवाणी अथवा श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : यह केवल श्री प्रियरंजन दासमुंशी का भी काम नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सारा देश राजनीतिक दलों की संबद्धता से परे आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले एक सप्ताह से, हमारे उप प्रधान मंत्री सभा में विचारों को बांटने के बजाय रक्षा को एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : आप उसकी अनुमति दे रहे हैं जिसके बारे में गुजरात में चुनाव के दौरान बातें की गई थीं। क्या किसी चुनाव अभियान में दिए गए वक्तव्य का स्पष्टीकरण संसद में दिया जाना चाहिए?...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कृपया मुझे श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा इस्लामिक सेंटर में दिए गए भाषण में किए गए प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह विपक्ष के लिए नहीं है। सरकार एक मत से नहीं बोल रही है। रक्षा मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि सेना की तैनाती से घुसपैठ में कमी आई है, जबकि विदेश मंत्रालय...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : वह क्या चर्चा कर रहे हैं? प्रत्येक मंत्रालय?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम संसद में बस मूकदर्शक बन कर बैठे रहने के लिए नहीं आए हैं। यदि सरकार अपने आप अपनी स्थिति ठीक नहीं कर सकती तो वह हम पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि घुसपैठ बढ़ी है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठ में कमी आई है, गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि चौथे युद्ध का समय आ गया है, और प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों ने रक्षा के क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाया था। हमारी स्थिति क्या

है? यह इतने हल्के ढंग से लिया जाने वाला मामला नहीं है ...*(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिए था। यह कोई हल्का मामला नहीं है। यह भारत की सुरक्षा से संबंधित मामला है। वह रक्षा के मामले में पहले की सरकारों पर आरोप नहीं लगा सकते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : जो कुछ भी उन्होंने कहा है कि पहले की सरकारें रक्षा के मामले में गंभीर नहीं थीं, वह बिलकुल सही है। यह वाद-विवाद करने का कोई ठीक तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह सभा चुनावी अभियानों के दौरान दिए गए सभी वक्तव्यों पर विचार नहीं कर सकती है। मेरे विचार से उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : हमें श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा इस्लामिक सेंटर में दिए गए भाषण एवं श्री वघेला के समाचारपत्रों में दिए गए वक्तव्यों के प्रश्न को उठाने की अनुमति दी .जाए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम श्रीमती सोनिया गांधी के भाषण को सभा पटल पर रखेंगे। प्रधान मंत्री यहां आ कर यह कहें कि कैसे ऑक्सफार्ड में श्रीमती सोनिया गांधी के भाषण ने भारतीय हितों को बाधा पहुंचाई है।...*(व्यवधान)* मैं सदन के नेता को यहां आने और मामले को स्पष्ट करने की मांग करता हूं।...*(व्यवधान)* यह जाने बिना कि उन्होंने क्या कहा और ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज में क्या हुआ, वे हर दिन विहिप की सलाह पर बयान दे रहे हैं*...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, श्री दासमुंशी का पूरा भाषण...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय प्रधान मंत्री जी का शिमला में दिया गया भाषण चुनाव अभियान के दौरान नहीं दिया गया था।...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। मुद्दा यह है कि अभी सदन का सत्र चल रहा है। क्या सदन के नेता के द्वारा सभा के बाहर कोई महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है जबकि सभा का सत्र चल रहा हो?...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यह घोषणा क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : दूसरे, चुनाव अभियान के बहाने देश में क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)* हम धर्म के आधार पर दिए गए भाषण का सख्त विरोध करते हैं और हम यह मांग करते हैं कि प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री यहां आएं और मुद्दों को स्पष्ट करें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास 24 माननीय सदस्यों की सूची है। अब मैं श्री हन्नान मोल्लाह को बुलाता हूं। उन्होंने नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष जी, हम लोग यह मांग करते हैं कि प्रधान मंत्री जी इस संबंध में बयान दें...*(व्यवधान)* इसमें कुछ भी गलत नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न काल में यह आश्वासन दिया था कि वह 'शून्य काल' के दौरान मामले को उठा सकते हैं। इसलिए, मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। अब, मैं उन सदस्यों को बुला रहा हूं जिन्होंने नोटिस दिया है। श्री हन्नान मोल्लाह।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम सभा को विश्वास में लिए बिना सत्तारूढ दल को वाहवाही लूटने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह संस्कृति नहीं है। सत्तारूढ़ दल को सभा की उपेक्षा करते हुए वाहवाही लूटने का अधिकार नहीं है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' है। आपने मामले को उठाया है। संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं। मैं सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आपको आश्वासन दिया गया था और आप पहले ही इस विषय को उठा चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे इस संस्था के साथ दूसरे देश की संस्था जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यह सर्वोच्च संस्था है। प्रधान मंत्री संसद के बाहर कुछ घोषणा करेंगे, रक्षा मंत्री सभा के बाहर कुछ और कहेंगे और सभा ऐसे ही बैठी रहेगी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही मामले को उठा चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं और उन्होंने इस पर गौर किया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रधान मंत्री को सभा में आकर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह आश्वासन नहीं दे सकता कि वह यहां कब तक आने वाले हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष जी, सोनिया गांधी जी ने ऑक्सफोर्ड में जो बयान दिया है, उसे सदन के पटल पर रखवाकर बहस कराई जाए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से भाजपा के नेताओं ने जो वातावरण बना रखा है, उन्हें इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और उनके बयान पर यहां बहस करानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या प्रधान मंत्री ने हमले के संबंध में सामूहिक प्रयास किए बिना राज्य सरकार के साथ सूचना का आदान-प्रदान किया था?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : हम लोग जानना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी इस तरह से गैर जिम्मेदार बयान किस आधार पर दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने माननीय अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद मामले को उठाया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : परंतु सरकार चुपचाप बैठी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। मुझे सभा का संचालन करना है। लगभग 24 माननीय सदस्यों ने 'शून्य काल' में अपने मुद्दों को उठाने के लिए नोटिस दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रधान मंत्री ने इन बातों को मुख्य मंत्री को बताया है। और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?...*(व्यवधान)* यह एक गंभीर मामला है। यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री यह अवश्य सुनिश्चित करें कि क्या उन्होंने अपने विचारों को राज्य सरकार के साथ बांटा है जबकि सभा का सत्र चल रहा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : हम लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं आप कृपया प्रधान मंत्री जी को बुलाएं।...*(व्यवधान)* कौन-कौन से मंदिर निशाने पर हैं? संसद पर हमला कब होने वाला है? वह यह बयान दे रहे हैं। इस तरीके से गैरजिम्मेदार वक्तव्य और बयान दिए जा रहे हैं। हम लोग आश्वासन चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जायसवाल जी, क्या आप कृपया अपना आसन ग्रहण करेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उन्होंने कहा है कि बहुत से मंदिरों पर हमला होने वाला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, क्या आप कृपया अपना आसन ग्रहण करेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या का समाधान होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जायसवाल जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रधान मंत्री जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी विदेश में जाकर भाषण देती हैं तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, क्या आप कृपया अपना आसन ग्रहण करेंगे? यह क्या है? श्री रघुनाथ झा, क्या आप कृपया मुझे भी कुछ कहने देंगे?

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ऑक्सफोर्ड में जो बयान दिया है, आप उसे मंगवाइए और सदन के पटल पर रखिए।...*(व्यवधान)* उसके बाद आप उस पर बहस कराइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिक मामला नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में अब कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। मुझे माननीय सदस्यों के द्वारा दी गई नोटिसों के साथ आगे बढ़ना है। चौबीस सदस्यों ने नोटिस दिया है, जिसमें आपके दल के कुछ सदस्य भी हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने पहले ही यह कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह कृपया अब बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जीरो आवर में जवाब नहीं दिला सकता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह कृपया अब आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जायसवाल, क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, क्या आप मुझे सभा की कार्यवाही चलाने देंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, मैंने आपको बताया था कि यह 'शून्य काल' नहीं है। आपको जो कहना था आपने पहले ही कह दिया है। माननीय मंत्री ने पहले ही उसे सुन लिया है। यदि माननीय मंत्री उत्तर नहीं दे रहे हैं तो अध्यक्षपीठ उनको ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। चौबीस सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, क्या आप बैठेंगे। क्या आप मेरी बात सुनेंगे। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह 'शून्य काल' है।

मैं एक–एक करके बुला रहा हूं। क्या आप मेरे साथ सहयोग करेंगे?

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वोत्तर राज्य, त्रिपुरा के सामने आ रही गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि राज्य में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा में उग्रवादी गतिविधियां कई गुणा बढ़ गई हैं। एक इंडिजेनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा (आईएनपीटी) है जो एक पुराना उग्रवादी संगठन है। यह एक आतंकवादी संगठन, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) का मुखौटा है।

महोदय, आप जानते हैं कि गत कुछ महीनों से उग्रवादियों को बांग्लादेश से प्रशिक्षण मिल रहा है। उनका मुख्यालय ढाका में है। ये बांग्लादेश त्रिगांव की पहाडियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। त्रिपुरा में आत्मसमर्पण करने वाली दो महिला उग्रवादियों ने उद्घाटित किया है कि वहां प्रशिक्षण चल रहा है और चुनाव से पूर्व वे उग्रवादी व्यापक रूप से आएंगे और त्रिपुरा के लोकतांत्रिक लोगों पर हमला करेंगे। पहले ही दर्जनों लोग मारे गए हैं। हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। श्री विजय कुमार रनखल ने जिनेवा में एक सम्मेलन में भाषण दिया था कि वे स्वतंत्र त्रिपुरा राज्य के लिए लड़ रहे हैं और अपना आत्म निर्णय का अधिकार चाहते हैं। यह बिलकुल राष्ट्र विरोधी कार्य है। लेकिन वहां यही स्थिति व्याप्त है। यदि राज्य की रक्षा नहीं की जाती तो उससे वहां गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वहां के मुख्य मंत्री यहां आए और उन्होंने सीमाओं और त्रिपुरा को उग्रवादी ताकतों के हमले से बचाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की। लेकिन केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया उचित नहीं रही। इसलिए मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार को राज्य में पर्याप्त सुरक्षा बल भेजने चाहिए जिससे कि उग्रवादी गतिविधियां रोकी जा सकें और राज्य के लोगों की सुरक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसान इस बात से परेशान हैं कि गन्ने का रेट तय नहीं किया जा रहा है। अखबार में इस बात की खबर छपी है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि किस तरीके से उच्चतम न्यायालय के आदेश को मिसइंटरप्रेट करके उत्तर प्रदेश की सरकार को बरगलाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राजाज्ञा जारी की थी, उस राजाज्ञा को वापस करा लिया गया। इसके अंदर उद्योगपतियों की और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों की सीधे–सीधे साजिश पता लग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उनकी मिली–जुली साजिश है। उच्चतम न्यायालय के केवल आधे आदेश को, जो उसका अंतरिम आदेश था, उसके आधार पर प्लीड किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी राजाज्ञा वापस ले ली। परंतु 31 जनवरी, 2001 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कर दिया है कि राज्य सरकारों को गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का पूरा–पूरा अख्तियार है। इस विषय पर उत्तर प्रदेश के काश्तकारों के अधिकारों को बेच दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह तत्काल हस्तक्षेप करे और उत्तर प्रदेश के करोडों गन्ना किसानों की जिंदगी को बचाने के लिए कोशिश करे।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में चित्रकूट क्षेत्र, रीवा जिले के सिरमौन और त्यौंचर क्षेत्र में डकैती और अपहरण

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। अभी चित्रकूट ग्राम्य विश्वविद्यालय के दो छात्रों का अपहरण होने के बाद जो उपद्रव हुआ, उसके बाद अभी 26 तारीख को सिरमौर में एक गुप्ता का अपहरण हो गया और 28 तारीख को पूर्व विधायक श्री रामलखन सिंह के बेटे का अपहरण हो गया।

हमने बार–बार मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और गृह सचिव को पत्र लिखे, लेकिन उस क्षेत्र में डाकू समस्या हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार से संपर्क करके अगर उनके पास फोर्स कम है तो केंद्र सरकार केंद्रीय रिजर्व बल और फोर्स की व्यवस्था करके जो भिंड मुरैना जैसा डाकू क्षेत्र होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश से लगे चित्रकूट, सिरमौर और त्यौंचर में डाकू समस्या निदान के लिए भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार से मिलकर प्रयास करे।

अपराह्न 12.25 बजे

[अनुवाद]

कोलकाता और गंगटोक में केंद्रीय सरकार मुद्रणालय को बंद करने के कथित निर्णय के बारे में

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता, उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व का मामला उठा रहा हूं। केंद्रीय सरकार के छपे हुए फार्मों की भारी कमी है। एक बहुत अधिक बिकने वाला बंगाली समाचार पत्र, आनंद बाजार पत्रिका ने आज यह समाचार प्रकाशित किया है। पूर्वी क्षेत्र में ऐसे तीन मुद्रणालय हैं दो कलकत्ता में और एक गंगटोक में है। उसमें यह बताया गया है कि वे अप्रैल, 2003 तक बंद होने जा रहे हैं।

महोदय, पहले ही केंद्रीय सरकार के मुद्रित फार्मों की भारी कमी है। उस दिन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों पर यहां चर्चा की गई थी। पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार द्वारा एक के बाद एक इकाई को बंद किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्होंने मुद्रित फार्मों की आपूर्ति हेतु क्या व्यवस्था की है? बहुत से कानूनों और नियमों में यह प्रावधान है कि लोगों द्वारा निर्धारित फार्मों पर कार्यवाही की जाती है और उन निर्धारित फार्मों के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं आपके माध्यम से यह मामला सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं श्री पांजा का यह महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए धन्यवाद करता हूं।

यह केवल फार्मों की उपलब्धता का मामला नहीं है बल्कि सरकारी मुद्रण कार्य बाहर से कराया जा रहा है जबकि सरकारी प्रेसों को बिना काम के रखा जा रहा है और अब उन्होंने उन्हें बंद करने का निर्णय किया है। वहां पर आश्चर्यजनक प्रबंधन है। कर्मचारियों की नौकरी जा रही है। सरकारी प्रेसों को बंद किया जा रहा है। और वे बाहरी प्रेसों से कार्य करा रहे हैं। फार्म भी उपलब्ध नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उनके साथ संबद्ध हो रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह गंभीर मामला है, इसे हल्के, रूप में नहीं लिया जा सकता। यह फार्मों के मुद्रण का प्रश्न नहीं है उसमें प्रेस शामिल हैं और वे बहुत अच्छी तरह चलने वाली प्रेस हैं। परंतु मुद्रण कार्य बाहर निजी लोगों द्वारा किया जा रहा है और तब इन प्रेसों को रुग्ण बनाया जा रहा है और एक–एक करके बंद किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें और इसे 'शून्य काल' का सामान्य मामला न समझें। मैं माननीय मंत्री से इसमें हस्तक्षेप करने की ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं। यह सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का समय है। सभी मंत्री बाहर हैं परंतु सरकार को यहां कुछ करना चाहिए और इस संबंध में कुछ करवाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं मामले पर विचार करूंगा क्योंकि कार्य नियमों के आवंटन के अधीन मैं अन्य मंत्रालयों के मामलों पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं हूं। किंतु निश्चित रूप से मैं पूरी गंभीरता से इसे संबंधित मंत्रालय के साथ उठाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, 20 नवम्बर, 2002 को देश के प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में

आश्वासन दिया था कि नेशनल रिवर ग्रिड का गठन और इंटर लिंकिंग आफ रिवर किया जाएगा। यह बहुत स्वागत योग्य बात है। मैं इसमें एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा। कुछ राज्यों में इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट के मामले चल रहे हैं। कई जगह पर डैड लाइन तय की गई है कि जनवरी तक फलां–फलां रिवर की कम्प्लीशन होनी चाहिए। पंजाब इसमें एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, जिसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए।

[अनुवाद]

सिंधु जल संधि के दौरान पंजाब की छः पश्चिमी नदियों में से तीन यानी झेलम, चेनाब और सिंधु पाकिस्तान के पास रह गईं और अन्य तीन यानी रावी, व्यास और सतलज भारत के पास थीं। अब मूल बात यह है कि

[हिन्दी]

अन्य राज्यों को भी पानी की जरूरत है, यह बात ठीक है। सरकार नेशनल रिवर ग्रिड बनाने की योजना पर विचार कर रही है, तो उसे विपक्ष को और सभी सांसदों को भी विश्वास में लेकर इस संबंध में एक कंप्रीहेंसिव प्लान बनाना चाहिए। जैसे सतलुज–व्यास लिंक नहर का मामला है। प्रधान मंत्री जी के 20 नवंबर के बयान के बाद सतलुज–व्यास लिंक नहर का मुद्दा सुपरसीड हो गया है। दूसरी तरफ पंजाब को कहा जा रहा है कि 15 जनवरी तक वह सतलुज–व्यास लिंक नहर का निर्माण करे। ये दोनों तर्क एक साथ समझ में नहीं आते, क्योंकि यह विवादित मुद्दा है। इसलिए जो डैड लाइन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, अगर सरकार दरियाओं को लिंक करना चाहती है तो यह मामला सुपरसीड हो जाता है। इसलिए इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मिग–21 विमानों की दुर्घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। समाचार पत्रों में तरह–तरह के समाचार आ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के अंदर 53 मिग–21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, 30 पायलटों की मृत्यु हुई है, 16 नागरिकों की जानें गई हैं, काफी जानमाल का भी नुकसान हुआ है और 1 अरब 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 1998–99 में दस मिग–21, 1999–2000 में 13 मिग–21, 2000–01 में 12 मिग–21, 2001–02 में सात मिग–21 और चालू वित्त वर्ष में 11 मिग–21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जो कि चिंतनीय विषय है। सरकार देश में जगह–जगह होने वाली इन दुर्घटनाओं को रोकने पर विचार करे और ए. जे.टी. विमान, जो भारतीय वायु सेना को मिलने हैं, उनका सौदा शीघ्र फाइनल करे। इस समय विमानों और पायलटों की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ रहा है और इंजनों के फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लोग बड़े चिंतित हैं। इसलिए सरकार इसकी अविलंब जांच करे और इसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महेश्वर सिंह, आप स्वयं को इनके साथ संबद्ध करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने महत्वपूर्ण विषय उठाया है, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए एक बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हाल ही में 14 नवंबर को बागडोगरा से उड़ान भरने के उपरांत आधे घंटे में ही मिग–21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें 39 वर्षीय हिमाचल का एकमात्र प्रथम पायलट देश ने खो दिया। इस प्रकार की दुर्घटना में जहां राष्ट्र को करोड़ों की संपत्ति खोनी पड़ती है, वहां यह जानना आवश्यक है कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं? चूंकि जो जानकारी आई है, वह यह है अधिकांश मिग–21 अपनी आयु पूरी कर चुके हैं और घटिया उपकरण उनमें लगे हुए हैं, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त गुढ़े (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में जो बाल–विवाह होते थे, अभी उन बाल–विवाहों का सिलसिला महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है और फिलहाल 19–20 और 21 नवंबर को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 26 बाल–विवाह हुए जिसमें नौ साल की बच्ची और बारह साल का बच्चा तथा बारह साल की बच्ची और पद्रह साल का बच्चा, ऐसे 26 बाल–विवाह पुलिस कमिश्नर के एरिया में संपन्न हुए। अभी तक वहां पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस देखती रह गई और तीन दिन बड़ी मात्रा में यह प्रोग्राम चलता रहा। राजस्थान से काठवाड़ी समाज के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने यह प्रोग्राम वहां पर आयोजित किया। राजस्थान में बाल–विवाह पर पाबंदी है, पूरे देश में पाबंदी है और महाराष्ट्र में काठियावाडी समाज के लोग

महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वहां पर 26 बाल–विवाह हुए हैं लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अमरावती के पुलिस कमिश्नर ने यह मंजूर किया है कि वहां इस तरह की शादियां हुई हैं लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनके पानी की व्यवस्था और बाकी सब व्यवस्था भी वहां इन्होंने की। महाराष्ट्र में कानून की स्थिति गंभीर है और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में लगातार हो रही हैं। सारे न्यूज–पेपर्स में यह बात आई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनन्त गुढ़े आपने पहले ही अपनी बात बता दी है।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गुढ़े : मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती कर रहा हूं कि जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि आगे चलकर इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में बार–बार न हों क्योंकि आज वहां बाल–विवाह हो रहा है, कल वहां कुछ और घटना हो सकती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं पर सरकार रोक लगाए।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं वह है 'निजीकरण के प्रतिकूल प्रभावों पर चिंता' जो कि 'दि हिंदू' में कल प्रकाशित हुई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति द्वारा जिन क्षेत्र में अ.जा. और अ.ज.जा. के कर्मचारियों के विधिक और संवैधानिक संरक्षण के संबंध में एक सुझाव दिया गया है। समिति ने यह सिफारिश भी की है कि कर्मचारियों के विधिक और संवैधानिक संरक्षण और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों हेतु आरक्षण नीति जारी रखने के संबंध में विनिवेश के समय ही निजी उद्यमियों के साथ समझौते में एक खंड अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं संविधान का अनुच्छेद 15(4) उद्धृत करना चाहती हूं।

"इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निकरित नहीं करेगी।"

मैं चाहती हूं कि सरकार हम वैश्वीकरण और निजीकरण के युग में निजी क्षेत्र में अ.जा. और अ.जा.जा. के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति जारी रखने हेतु एक कानून बनाए और उसे लागू करे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : नाम नहीं है तो फिर लिस्ट एग्जास्ट होने के बाद मौका मिलेगा।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी पंजाब लोक सेवा आयोग और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के कारनामों को आपने अखबारों में पढ़ा है और टेलीविजन पर देखा है कि किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार किया गया है।

उसी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो लड़के योग्य हैं, जिन्होंने ज्यादा नंबर पाए हैं, उनका चयन न करके स्केलिंग पद्धति लागू करके नंबर कम किए जा रहे हैं। जिन लड़कों को ज्यादा नंबर मिले हैं, उनके नंबर कम किए जा रहे हैं और जिनको कम नंबर मिले हैं, उनके नंबर ज्यादा किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लड़कों ने परीक्षाएं दी हैं, उनको जीरो नंबर दिए जा रहे हैं। मनमाने ढंग से परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन परीक्षाओं के परीक्षाफल को घोषित करने पर रोक लगा दी है। इन परीक्षाओं में जो लड़के बैठे थे, वे दो महीने से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि 1998 से अब तक के परीक्षा परिणामों की सीबीआई से जांच कराई जाए और आयोग के अध्यक्ष व परीक्षा नियंत्रक द्वारा किए जा रहे कामों की जांच कराई जाए।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सदन का ध्यान

एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। इस देश में छः लाख से अधिक आंगनवाड़ी हैं और आंगनवाड़ियों में 12 लाख से अधिक महिलाएं कर्मचारी और सहायकों के रूप में कार्य कर रही हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायक समाज की महती सेवा कर रहे हैं। यह योजना माताओं, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास के लिए बनी है।

[अनुवाद]

तो इसमें किशोर लड़कियों को भी शामिल किया जा रहा है। इन कामगारों और हैल्परों को दिया गया मानदेय बहुत ही कम है।

अंतिम बजट सत्र के दौरान सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि मानदेय दोगुना किया जाएगा अथवा कम से कम इसमें वृद्धि तो की ही जाएगी। यद्यपि बजट सत्र से अब तक अनेक माह बीत चुके हैं फिर भी इस घोषणा को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से इस मामले की जांच कराने और भूतलक्षी प्रभाव से शीघ्रातिशीघ्र इसे पूरा करने का अनुरोध करती हूं।

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र इटावा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके माध्यम से सदन में उठाना चाहता हूं। चंबल नदी पर सहसो पुल पिछले 12 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। नदी में पुल से संबंधित खम्भे आधे–अधूरे खड़े हुए हैं, मशीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। पहले के निर्धारित बजट में और आज के बजट में महंगाई बढ़ने की वजह से बहुत अंतर आ गया। पिछली बार भी मैंने यह मुद्दा उठाया है। पुल बनाने का काम बंद हो गया है। यह पुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। बीहड़ का इलाका है। तमाम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग यहां इधर से उधर आते जाते हैं तथा बरसात में यह रास्ता बिलकुल बंद हो जाता है। इस वजह से बीमार लोग अस्पताल न पहुंच पाने की स्थिति में मर जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए 55 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हिन्दी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम हिन्दी पखवाड़ा भी मनाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हिन्दी में काम करने वालों को आज भी तिरस्कृत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और यहां तक कि प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वायु सेना के एक अधिकारी, श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता द्वारा हिन्दी में काम करने की वजह से उनकी पदोन्नति रोक दी गई है और नौकरी से निकाल दिया गया। इस अधिकारी को तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय, श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी द्वारा हिन्दी में काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया था। यह केवल एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, राष्ट्रभाषा हिन्दी के सम्मान का प्रश्न है। आजादी के 55 वर्षों के बाद पांच प्रतिशत लोग इंग्लिश जानते हैं लेकिन दो प्रतिशत नौकरशाह प्रशासन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजी में कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह से हिन्दी को हतोत्साहित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हिन्दी का जो उचित स्थान है, वह व्यवहारिक रूप में मिले और इस बात के लिए संपूर्ण सदन और सरकार प्रयत्न करे।

श्री धर्म राज सिंह पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी चौहान जी की बातों का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने एसोसिएट करने के लिए आउट किया है।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुंबई, दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं भी चौहान जी की बातों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में 19 सरकारी चीनी मिलों ने निर्यात के नाम पर, सरकारी चीनी का जो कोटा होता है वह मंडियों में बेच कर आर्थिक नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही साथ सरकारी

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रेवेन्यू को भी नुकसान पहुंचाया है। अब तक ये चीनी मिलें देश को 20 करोड़ के उप्पाद–शुल्क तथा महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को 60 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा चुकी हैं। राज्यों की चीनी मिलों को लोकल कोआपरेटिव बैंकों के अलावा नाबार्ड और औद्योगिक बैंकों से क्रेडिट मिलता है, परंतु यह क्रेडिट देश के निर्यात को बढ़ाने में उपयोग करने की बजाय देश की मंडी में ही चीनी बेच कर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अब तक 80 करोड़ रुपये का नुकसान 19 चीनी मिलों ने किया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि इन 19 चीनी मिलों ने किसानों को 60 करोड़ का जो चूना लगाया है और जो 20 करोड़ का रेवेन्यू डूबा है, इसके लिए मैं सीबीआई से जांच की मांग करता हूं और आपके माध्यम से रिकवेस्ट करूंगा कि इन चीनी मिलों की सीबीआई से इंक्वायरी करवाई जाए तथा इसके बोर्ड को तुरंत बर्खास्त करके उसके ऊपर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाए।

अपराह्न 12.42 बजे

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन पूरी की गई परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा आयोजित उद्घाटन समारोहों में स्थानीय सांसदों को सम्मिलित न किए जाने के बारे में

श्रीमती हेमा गंमाग (कोरापुट) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खेद का विषय है कि मेरे संसदीय क्षेत्र कोरापुट, उड़ीसा और जयपुर शहर में जो एमपी लैंड का पैसा दिया हुआ है, दस लाख रुपये की लागत से 1994–95 में एक कल्याण मंडल का उद्घाटन 16.11.2002 को हुआ। इसकी कोई सूचना सांसद को नहीं दी गई और न ही मुझे बोला गया। इसका राज्य के चार मंत्रियों और विधायक द्वारा इनागरेशन किया गया। मैंने पहले भी इस प्रश्न को उठाया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए और दोबारा मेरे द्वारा उद्घाटन कराया जाए, यही मेरी मांग है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के साथ अपने को संबद्ध करने हेतु खड़ी हुई हूं।

[हिन्दी]

हम लोग एमपी लैंड देते हैं, लेकिन कोई अन्य उसका लाभ उठा लेता है।

[अनुवाद]

अधिकारी इसकी अनुमति कैसे दे रहे हैं जब तक वे सत्ता पक्ष के साथ हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सी. कुप्पुसामी (मदास उत्तर) : महोदय, तमिलनाडु में यही हो रहा है। राज्य सरकार के मंत्री संबंधित संसद सदस्य को शामिल किए बिना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास की धनराशि से बनाए गए भवनों और परियोजनाओं का जाकर उद्घाटन करते हैं। परियोजना के पूरा हो जाने के बाद स्थानीय प्राधिकारी संसद सदस्य को सूचित नहीं करते। जब संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत वित्त पोषित परियोजना के पूरा होने पर उद्घाटन की तारीख निर्धारित करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से पूछता है तो वे ऐसा करने से इनकार कर देते हैं और उद्घाटन हेतु राज्य मंत्रियों के अनुदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। वे पट्टिका पर और भवन के द्वार/प्रवेश द्वार पर संसद सदस्य का नाम उत्कीर्ण करने से इनकार कर देते हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, यदि सभा के विनिर्णय के बावजूद निर्माण कार्य पूरा कराने वाले संसद सदस्यों का नाम उन भवनों पर नहीं है तो इसके लिए राज्य के प्राधिकारियों को जुर्माना देना होगा। संबंधित मंत्री और अन्य लोगों को जुर्माना देना होगा...*(व्यवधान)* उन्हें संसद सदस्यों का संरक्षण करना होगा, क्योंकि यह हमारे विशेषाधिकारों में से एक है...*(व्यवधान)* यह हमारे विशेषाधिकारों का अतिक्रमण है।

[हिन्दी]

इस पर हमारी प्रिविलेज बनती है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती हेमा गमांग : मुख्य मंत्री का नाम दिया है, लेकिन एम.पी. का कोई जिक्र नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, श्री टी. आर. बालू बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास धनराशि के बारे में बोल रहा हूं। मैंने वेलाचेरी बस स्टैंड के निर्माण हेतु दस लाख से अधिक रुपये मंजूर किए हैं। इस धनराशि का उपयोग पिछले छह अथवा सात माह से किया जा रहा है। मेरे मतदाता यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय में गए हैं कि मेरा नाम बस स्टैंड की पट्टिका पर उत्कीर्ण हो। छह अथवा सात महीने से भी अधिक समय गुजरने के बाद मेरे मतदाता यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय गए हैं कि मेरा नाम वहां उत्कीर्ण हो। अतः कृपया यह सुनिश्चित करने हेतु हस्तक्षेप करें कि संसद के सभी सदस्यों के नाम उचित रूप से लिखे जाएं।...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : यदि यही स्थिति है जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं तो संसद सदस्य क्या करेंगे? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार, आपने अपने वरिष्ठ मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य देखा है। कृपया उत्तर दीजिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विजय गोयल संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास के मामले की जांच कर रहे हैं। मैं उनसे माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री की शिकायतों पर गौर करने के लिए कहूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह दिल्ली के मामलों पर ही गौर कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार : वह संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रभारी मंत्री हैं। मैं उनसे इसकी जांच करने और जो भी संभव हो आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे बोलने हेतु अनुमति देने का धन्यवाद। हमें अपने दर्जियों को कृतज्ञता के साथ याद रखना चाहिए। वास्तव में वे लोगों को आधुनिक व्यक्ति बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। व्यक्ति दर्जियों की हस्तकौशल के कारण आकर्षक बनता है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता और ब्रह्मांड सुंदरी प्रतियोगिता में भी दर्जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं...*(व्यवधान)* वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश, हम उतनी गंभीरता से उनकी शिकायतों पर विचार नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए।

मैं भारत सरकार से दर्जी कल्याण निधि के लिए विधान बनाने हेतु अनुरोध करता हूं। वे प्रशासित कार्य कर रहे है। मेरे बंधु माननीय मंत्री श्री टी. आर. बालू भी दर्जियों के कारण ही सुंदर लगते हैं। दर्जी लोग इस संबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि मंत्रीगण अच्छे लगें और अगर वे ऐसा न करें तो वे कुछ और ही लगेंगे।

दर्जियों की कारीगरी पर विचार कीजिए। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के मंत्री इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और दर्जी कल्याण निधि हेतु विधान लाएंगे और अन्य शिकायतों पर भी गौर फरमाएंगे मैं इस संबंध में पुरजोर कार्रवाई की मांग करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, संथाली भाषा हमारे देश के एक करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। यह प्राचीनतम भाषा में से एक है। संथाली भाषा की अपेक्षा कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और उन्हें मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली आदि के समान संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यद्यपि संथाली भाषा एक समृद्ध भाषा है और प्राचीन भाषाओं में से एक है फिर भी यह भाषा मान्यता प्राप्त नहीं है और इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने पहले ही इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु सिफारिश की है और पश्चिम बंगाल विधान सभा ने संविधान की आठवीं अनुसूची में इसे शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित

किया था। मेरी मांग है कि भारत सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए विधान लाना चाहिए ताकि संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

श्री एम. चिन्नासामी (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व का एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। कुछ दिन पूर्व दिल्ली के निकट संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद में फिर रैगिंग की एक ऐसी घृण्य तसवीर प्रस्तुत की गई। मुझे विश्वास है कि यह बात मेडिकल कालेज तक ही सीमित नहीं है। यह तो देश भर के अनेक कालेजों में आम बात हो गई है।

महोदय, वरिष्ठ छात्रों द्वारा नए छात्रों का अपमान और उत्पीड़न किया जाता है। इस घटना से अनिवार्यतः नए छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने जैसे दुखद घटना घटती है। हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने आग्रह किया है कि यदि कोई शिक्षण संस्था रैगिंग रोकने में विफल रहती है तो विश्वविद्यालयों से इसकी संबद्धता और वित्तीय सहायता वापिस ली जा सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स में 29.11.02 को एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि संतोष मेडिकल कालेज में दो नए छात्र बधिर हो गए। संतोष मेडिकल कालेज में वरिष्ठ छात्रों द्वारा की गई रैगिंग से दो नए छात्र बधिर हो गए वरिष्ठ छात्रों द्वारा नए छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई।

इसलिए, मैं भारत सरकार से ऐसे किसी विशेष कालेज की मान्यता समाप्त करने और वित्तीय सहायता रोकने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को यहां उठाना चाहता हूं। अभी-अभी माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया जिस में झुग्गी-झोंपड़ी में बसने वाले लोगों, खास तौर पर दिल्ली में जिन को हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती थी, उसकी आवश्यकता को खारिज करने का फैसला दिया है। यह फैसला इस संदर्भ में दिया गया है कि इसका दुरुपयोग होता है। मैं यहां चिंता प्रकट करना चाहता हूं लेकिन माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहता हूं। न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन के पास जमीन नहीं है और वे अनधिकृत रूप में झोंपड़ी बना कर रहते हैं। प्रक्रिया यह है कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं तथा आपका संरक्षण चाहता हूं। देश के करोड़ों लोग जो गरीब हैं, उनके लिए सरकार एक कानून लेकर आए और उसे यहां सर्वसम्मति से पारित किया जाए। ऐसे गरीब लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना अनिवार्य है।...*(व्यवधान)* मैं ऐसा कानून बनाने की आप से मांग करता हूं। मैं इस बारे में सरकार से प्रतिक्रिया चाहता हूं कि जिन बेघर लोगों के ऊपर संकट आया है, उसका हल सरकार करना चाहती है या नहीं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, आप पहले ही कह चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सरकार इसे संज्ञान में ले।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस बारे में चिंता प्रकट करना चाहती है तो कर सकती है।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, 17 नवंबर की अर्द्धरात्रि को मेरे संसदीय क्षेत्र के सीमावर्ती जिला किन्नौर, जो एक जनजातीय क्षेत्र है, हजारों मीटर की बुलंदी पर स्थित गांव रकछम में भीषण अग्निकांड से 135 जनजातीय परिवार बेघर हो गए। मैं मुख्य मंत्री के साथ 22 नवंबर को इस गांव में गया था। ये लोग केवल अपनी जान बचा सके। वहां सारे के सारे अन्न भंडार जल गए और पशुधन को बहुत भारी क्षति पहुंची। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इससे 6 करोड़ 31 लाख 52 हजार 100 रुपये की क्षति हुई है। वहां किसी वक्त भी बर्फ पड़ सकती है जिससे इन लोगों की जान को बहुत खतरा है। प्रधान मंत्री महोदय और विशेष कर जनजातीय कार्य मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इन्हें संरक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था करें। ये लोग जल्दी अपने घर नहीं बना पाएंगे और हिमाचल सरकार अपने सीमित साधनों से 35 हजार रुपये प्रति परिवार से अधिक नहीं दे सकती है। अतः इनके लिए सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए ताकि आने वाली बर्फ पड़ने से पहले वहां के बूढ़े और बच्चे सामुदायिक भवन में अपनी जान बचा सकें। उन्हें आने वाले समय में उदारता

के साथ विशेष ग्रांट दी जाए ताकि जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्र के लोग अपने जान–माल की रक्षा कर सकें।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में विशेष कर जलगांव और कोंकण में केले का उत्पादन अधिक होता है। वहां केले के दाम मिट्टी के दाम से भी कम हैं। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से एक सिफारिश की है कि उन्हें सबसिडी दी जाए और केले का तुरंत निर्यात किया जाए। इस ओर तुरंत ध्यान दिया जाए। यही मेरी विनती है।

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया, गोरखपुर कारखाने के प्रबंधनतंत्र ने कर्मचारियों के लिए वी.आर.एस. का परिपत्र जारी किया है जिसमें तमाम तरह की विसंगतियां हैं। उस कारखाने के 450 कर्मचारी नवयुवक हैं जिसमें 200 कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं जिनकी नियुक्ति बैकलॉग के आधार पर हुई थी। जो परिपत्र जारी किया गया है उसमें लिखा है कि जिनकी नौकरी की आयु 30 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें लाभ मिलेगा लेकिन जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें अन्यत्र समायोजित करने का काम किया जाए। इसके अलावा वी.आर.एस. खुला रखा जाए कि जो उसे लेना चाहें लें और जो न लेना चाहें न लें परिपत्र में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी वी.आर.एस. लेगा, उसका पैसा उसे तब दिया जाएगा जब वह मकान खाली कर देगा। मेरी सरकार से मांग है कि उन्हें इसके बाद एक माह का समय दिया जाए।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान दिनांक 01.12.2002 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी इस खबर की ओर दिलाना चाहता हूं : 'दि ग्रेट इंडियन बैंक रॉबरी'।

उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये चंद उद्योगपतियों के एन.पी.ए. हैं। हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को जिस तरह से लूटा जा रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। स्वयं हमारे वित्त मंत्री जी ने भी इस राशि के बारे में कहा है : 'यह ऋण नहीं बल्कि यह लूट है'।

उपाध्यक्ष जी, यह उनका बयान है। केंद्र शासन ने जो प्रयास किए हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। केंद्र शासन ने चंद राज्यों में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं। डी.आर.टी. में 56,988 मामले दर्ज हैं जिनसे एक लाख आठ हजार छः सौ पचपन करोड़ रुपये वसूलने हैं लेकिन मार्च, 2002 तक मात्र 4736 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? उन चंद उद्योगपतियों में से 1012 करोड़ रुपये लॉयड ग्रुप के नाम, 846 करोड़ रुपये मॉडर्न ग्रुप के नाम और 705 करोड़ रुपये परस रामपुरिया ग्रुप के नाम वसूलने हैं। यह लंबी सूची है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन चंद उद्योगपतियों के एन.पी.एज. जब्त किए जाएं और देश की जनता का पैसा राष्ट्रीयकृत बैंकों को वापस दिलवाया जाए। अगर यह राशि वसूल की जाती है तो इससे दो साल के लिए रक्षा बजट बन सकता है या हम इस देश में हर प्रदेश में एक एक्सप्रैस हाईवे बना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो और माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर चर्चा करें जिससे इस समस्या का हल निकले और कोई कानून बनाया जा सके ताकि हमारा पैसा राष्ट्रीयकृत बैंकों में आ सके।

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को इस बात से संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा कही हुई बात के साथ संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री लक्ष्मण सिंह जी के साथ एसोसिएट करने के लिए श्री शिवराज सिंह जी, आपको बधाई।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी एक दिन मैंने देश में चाय और कॉफी उत्पादकों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया था। वाणिज्य मंत्री ने चाय और कॉफी उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं पर गौर फरमाने हेतु एक कृतिक बल गठित किया है। कृतिक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार का कर्तव्य है कि वह इस मुद्दे पर सभा को विश्वास में ले।

आज शून्य काल के दौरान श्री दासमुंशी ने ठीक ही कहा था कि यह सरकार कितनी कठोर है। जब सदन का सत्र चल रहा हो तो लाखों कृषि कामगारों और किसानों से संबंधित इस प्रकार की मांगें और मालिकाना संबंधी मांगें सभा के समक्ष रखी जाएं ताकि प्रत्येक सदस्य इन रिपोर्टों को पढ़

सके। कृतिक बल की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पुनर्वास प्रस्ताव हैं और जब इन प्रस्तावों को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाएगा तो इससे न केवल सहायता ही मिलेगी बल्कि इससे कामगारों और किसानों का पुनर्वास भी होगा।

अतः आपके माध्यम से महोदय, मैं पूरी निष्ठता के साथ सरकार से सभा के समक्ष कृतिक बल की रिपोर्ट रखने का अनुरोध करता हूं ताकि सदस्य इस रिपोर्ट को पढ़ सकें और यदि आवश्यक हो तो वे उचित सुझाव दे सकें।

अपराह्न 1.00 बजे

महोदय, किसान बहुत दुःखी हैं। मंत्री जी ने बहुत कुछ करने का वचन दिया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। कोई बैंक किसानों विशेषकर कॉफी उत्पादकों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दे रहा है और चाय उद्योग भी अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। लगभग 24000 चाय श्रमिक परेशान हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और चाय बागानों के मालिकों ने चाय बागान छोड़ दिए हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार को बिना किसी विलम्ब के कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। अंतर मंत्रालयीन कृतिक बल की रिपोर्ट इस अगस्त सभा के समक्ष रखी जाए ताकि सदन के सदस्य उस रिपोर्ट को पढ़ सकें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह मामला संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया गया था और इस पर इस सदन में चर्चा भी की गई थी किंतु अब तक कुछ नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी अपने को श्री चेन्नितला से संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनूसूचित जाति एवं जनजाति को 22.5 टक्का रिजर्वेशन केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है। इससे दूसरी ऊंची जाति के लोगों में बहुत बार असंतोष भी पैदा होता है कि हमें कुछ मिल रहा है। अभी ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस पर हमारी मांग है कि ब्राह्मण समाज का परिमाण तीन परसेंट है, इसलिए उन्हें तीन परसेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इससे ज्यादा जिन विभागों में ये लोग हैं उन्हें निकाल देना चाहिए।

हमारी दूसरी मांग यह है कि 1950 में एस.सी. को 22.5 परसेंट रिजर्वेशन इसलिए मिला क्योंकि उनकी पापुलेशन इतनी थी। हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के 22.5 परसेंट रिजर्वेशन को छोड़कर जो शेष 77.5 परसेंट बचता है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी 15 परसेंट है, उन्हें इसी परिमाण से इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिस जाति का कितना परिमाण है, उस जाति को उसी परिमाण में 77.5 परसेंट में से रिजर्वेशन देने के बारे में केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। दलित और आदिवासियों को बहुत कुछ मिल रहा है। इसलिए लोगों की समझ ठीक नहीं है। हमारी मांग है कि 22.5 परसेंट रिजर्वेशन को छोड़कर शेष 77.5 में से हर जाति को उसकी पापुलेशन के मुताबिक रिजर्वेशन देना चाहिए। अब इस मसले को हल करने की आवश्यकता है। हमारा निवेदन है कि भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु रसोई गैस को बदले जाने योग्य सिलिंडरों का उपयोग कर ऑटो ईंधन के रूप में इसके इस्तेमाल को शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. नरेन्द्र (मेडक) : महोदय, आटोमोबाइल्स के लिए रसोई गैस की आपूर्ति या तो वितरण केंद्रों अथवा बदलने योग्य सिलेंडरों के माध्यम से की जा सकती है। चूंकि वितरण केंद्रों को स्थापित करना बहुत महंगा है और इसे स्थापित करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है, इसलिए रसोई गैस को वाहन ईंधन के रूप में शुरू करने के लिए बदलने योग्य सिलिंडरों

के प्रयोग की अनुमति देना बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि बदलने योग्य सिलिंडरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान एसोसिएशन और कतिपय निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पहले ही विकसित किया जा चुका है। उद्योग द्वारा दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए विनिर्मित कनवर्जन किटों का वैधानिक प्रमाणन प्राधिकरण अर्थात वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा परीक्षण और सत्यापित किया जा चुका है। परिवहन विभाग के तत्वावधान में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई प्रायोगिक परियोजना सफल रही है।

मैं सरकार से संबद्ध प्राधिकरण को बदलने योग्य सिलिंडरों का प्रयोग करके रसोई गैस को वाहन ईंधन के रूप में शुरू करने की योजना को कार्यान्वित करने के अनुदेश देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह वाहन प्रदूषण को कम करने का एक व्यावहारिक तरीका है।

[हिन्दी]

(दो) किसानों के हितार्थ एक व्यापक फसल बीमा योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : महोदय, हमारे देश का किसान प्राकृतिक विपत्तियों से परेशान रहता है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओला, कभी पाला किसानों की फसलों को नष्ट कर जाता है और किसान कर्ज का बोझ जीवन भर ढोता रहता है। प्राकृतिक विपत्ति में राहत देने हेतु भारत सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की है। इस योजना में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इसके स्थान पर एक उपयुक्त और ऐसी व्यापक बीमा योजना, जिसमें प्रीमियम में रियायतें दी गई हों, जो संपूर्ण देश में लागू हो और जिसमें सभी प्रकार की फसलों को शामिल किया गया हो, तैयार करे और उसमें ऐसे किसानों, जिनकी फसलें भारी वर्षा, बाढ़ अथवा सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बार-बार नष्ट हो जाती हैं, की दशा सुधारने के लिए प्रतिकर का निर्धारण करते समय गांव को इकाई माना जाए।

भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करे, जिससे किसानों की दशा में सुधार हो सके।

(तीन) छावनी क्षेत्र विशेषकर मध्य प्रदेश के सागर तथा महू से लोगों को हटाए जाने संबंधी निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, देश के विभिन्न नगरों में जहां-जहां छावनियां हैं, वहां उन क्षेत्रों के साथ बड़ी मात्रा में खाली जमीन भी है। इन स्थानों में मुख्यतः बैंगलोर, हैदराबाद, पूना, नागपुर, सागर व महू के सेना क्षेत्र हैं। खाली जमीनों पर किसी प्रकार का सुरक्षित क्षेत्र संबंधी उल्लेख या बोर्ड न होने से उन स्थानों के निवासियों, कृषकों या मजदूरों आदि ने कब्जा कर लिया, कालोनियां बन गईं, जल, बिजली आदि सुविधाएं भी मिल गईं। कृषकों द्वारा खेत बना लिए गए। वर्षों से यह क्रम चल रहा है तथा वहां कोई रोक-टोक नहीं थी, किंतु अब सागर व महू नामक स्थान पर कब्जा हटाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, इससे नागरिक व कृषक परेशान हैं। कृषकों ने पक्के कुएं बनवा लिए, ट्यूबवैल लगा लिए, नागरिकों की कालोनियां भी हैं। यह सब वर्षों से चला आ रहा है। आज भी सेना क्षेत्र के किसी छावनी से लगी हुई भूमि का संभवतः कोई उपयोग नहीं है।

अतः मेरी रक्षा मंत्री जी से मांग है कि उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई के पूर्व पूरी तरह मामले को देखें, संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दें, जिससे हजारों लोग बिना किसी उपयुक्त कारण के वहां से न हटाए जाएं।

अतः सरकार किसी निर्णय के कार्यान्वयन के पहले पूरा विचार करे।

(चार) धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के दूरदर्शन प्रसारण केंद्र को आकाशवाणी भवन में स्थानांतरित करने तथा वहां से मेट्रो चैनल के प्रसारण को शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास रूपला गावीत (धुले) : महोदय, मेरे ससदीय क्षेत्र धुले (महाराष्ट्र) में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र वर्ष, 1984 में प्रारंभ हुआ था, जिसकी प्रसारण क्षमता 25 किमी. है। अभी यहां पर मैट्रो चैनल प्रसारण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद इसके उपकरण भी आ चुके हैं, लेकिन यह दूरदर्शन केंद्र एक किराए की बिल्डिंग में स्थित है तथा यहा पर जगह का भी अभाव है, बिल्डिंग भी काफी पुरानी हो चुकी है और इस पर बार-बार मरम्मत करने पर काफी धनराशि खर्च की जाती है, इसलिए यदि दूरदर्शन प्रसारण और आकाशवाणी केंद्र एक ही भवन में यानी आकाशवाणी भवन धुले में रहे तो इससे सरकार के खर्च में भी बचत होगी और विभाग के कर्मचारियों को और आम नागरिकों को इससे सुविधा भी होगी।

अतः मैं आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि दूरदर्शन प्रसारण केंद्र धुले कार्यालय को वहां स्थित आकाशवाणी भवन के प्रांगण में शिफ्ट

[श्री रामदास रूपला गावीत]

करने तथा मैट्रो चैनल का प्रसारण अविलंब शुरू करने हेतु उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(पांच) मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सतनामी समुदाय को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति के अनुसूची क्रमांक 14 पर चमार–चमारी, अहिरवार, मोची, रैदास, भंगी–मेहतर, रामनामी, सूर्यवंशी आदि जाति के साथ सतनामी जाति का उल्लेख है, जिस पर सतनामी जाति के लोगों की मांग है कि सतनामी जाति को इस अनुसूची क्रमांक 14 से पृथक कर अनुसूचित जाति के अनुसूची क्रमांक 14(अ) में सतनामी जाति का उललेख किया जाए। इस बाबत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सतनामी जाति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सतनामी जाति को अनुसूची क्रमांक 14 से अलग कर अनुसूची क्रमांक 14(अ) में दर्ज किया जाए, जिससे उक्त सतनामी जाति गौरवान्वित हो सके।

(छह) इलाहाबाद तथा देहरादून, बरास्ता लखनऊ और हरिद्वार के बीच हरिप्रयाग एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि इलाहाबाद से देहरादून वाया लखनऊ एवं हरिद्वार के बीच एक एक्सप्रेस रेल सेवा चालू की जाए। इससे दो तीर्थ स्थल प्रयाग और हरिद्वार को जोड़ा जा सकेगा। इन दोनों तीर्थ स्थलों पर जाने वाले लोगों को बसों से जाना पडता है और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस रेल सेवा के शुरू हो जाने से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एवं उत्तरांचल की राजधानी देहरादून के बीच एक संपर्क हो जाएगा और दोनों राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। इस मार्ग पर जो गाड़ियां आती हैं, वह हावड़ा से आती हैं, जो पहले से भरी होती हैं। जिसके कारण इस मार्ग पर इन स्थानों पर यात्रा करने में कई दिक्कतों का सामना करना पडता है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि इलाहाबाद और देहरादून वाया लखनऊ एवं हरिद्वार के बीच हरिप्रयाग एक्सप्रेस रेल सेवा जल्द शुरू की जाए।

(सात) पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर के जल वितरण संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : मैं संसद में बाड़मेर–जैसलमेर और जोधपुर जिले के एक भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं सरकार का ध्यान बीकानेर और जैसलमेर जिले की इंदिरा गांधी नहर योजना द्वारा पानी की प्राप्ति और वितरण की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान के 16 जिलों और पंजाब व हरियाणा के किसानों ने इंदिरा गांधी नहर के साथ–साथ खेती के लिए जमीनें खरीदी थीं। लेकिन राजस्थान को उसके पानी का हिस्सा न मिलने से किसान पिछले 3–4 सालों से सिंचाई के लिए पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। जिस कारण वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03 में फसलें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने पर बर्बाद हो गई। राजस्थान में लगातार चौथे वर्ष सूखा पड़ने से सिंचाई और पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है। पानी की अत्यधिक कमी का कारण कि राजस्थान का 8.6 (एमएएफ) अर्थात 52.7 प्रतिशत राजस्थान का भाग जिसके बारे में 31.12.1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की बैठक में प्रधान मंत्री के सामने जो माना था, वह नहीं दिया गया। इस संदर्भ में क्लाज 1 रावी व्यास समझौता 1981 का अवलोकन करें। 20–30 जुलाई 1992 और 6 अप्रैल, 1992 में तीन मुख्य मंत्रियों की मीटिंग जो कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, जिसको भारत सरकार के पास अंतिम फैसले के लिए भेजा था, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अतः मैं प्रधान मंत्री से निम्न पर हस्तक्षेप करने के लिए प्रार्थना करता हूं :

1. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की बैठक शीघ्र बुलाकर इस लंबे समय से लंबित पड़ी समस्या का समाधान करें।
2. 1981 के समझौते के अनुसार रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल से राजस्थान राज्य का पानी का 8.6 एमएएफ भाग दिया जाए।
3. राजस्थान में फसलों को क्षति के लिए काफी पानी की मांग है, उसे तुरंत छोड़ा जाए।

[अनुवाद]

(आठ) उड़ीसा में ढेंकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय प्राचीन मंदिरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, मैं 12वीं और 13वीं शताब्दी के पांच प्राचीन मंदिरों की केंद्रीय सुरक्षा के लिए भारत सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित करता हूं अर्थात

(i) कामाख्यानगर में कपिलेश्वर महादेव मंदिर हतुआरी।

(ii) सदर सब डिविजन में चंद्रशेखर ज्यू कपिलेश

(iii) सदर सब डिविजन में अन्नकोटेश्वर ललदेईपुर

(iv) कामाख्यानगर सब डिविजन में आस्था शंभू मंदिर कुआलो और

(v) कामाख्यानगर सब डिविजन में ब्रह्मनिबेद नदी पर रॉक अनंतशयन विष्णु।

ये सभी मंदिर मेरे गृह जिला और ढेंकानाल संसदीय क्षेत्र में स्थित हैं। धन की कमी के कारण उड़ीसा सरकार इन मंदिरों के अनुरक्षण संबंधी समुचित ध्यान दे पाने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकार मंदिर परिसर का भूमि को हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गई है और राज्य द्वारा पहले ही छह वर्ष पूर्व इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। अतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इन मंदिरों को अपने अधिग्रहण में लेने में कोई कठिनाई नहीं है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि सरकार द्वारा उपर्युक्त दर्शाए गए मंदिरों को तत्काल अपने अधिग्रहण में लिया जाए तथा सरकार और विलंब किए बिना इन मंदिरों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए शीघ्र कदम उठाए।

(नौ) कर्नाटक में तंबाकू की अनधिकृत खेती को रोकने की आवश्यकता

श्री वाई. वी. राव (गुंटूर) : कर्नाटक के लिए वर्ष 2001–02 के लिए 42 मिलियन किग्रा. तंबाकू की फसल निर्धारित की गई थी। फिर भी 20 मिलियन किग्रा. अनधिकृत तंबाकू का उत्पादन किया जा रहा था और दिनांक 2.11.2002 को तंबाकू बोर्ड की बैठक में 60 मिलियन किग्रा. तंबाकू और 23000 अनधिकृत गांठ को नियमित करने का प्रस्ताव लाया गया था। फिर भी तथापि कोई निर्णय नहीं किया गया और मामले की दिनांक 23.11.2002 को निर्धारित बोर्ड की अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 23.11.2002 तक प्रतीक्षा करने की बजाय तंबाकू बोर्ड ने दिनांक 8.11.2002 को कर्नाटक में तंबाकू की मात्रा बढ़ाने का प्रशासनिक निर्णय ले लिया। फिर दिनांक 23.11.2002 को बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने प्रशासनिक निर्णय का अनुसमर्थन किया।

मैं माननीय वाणिज्य मंत्री महोदय से मामले की जांच करने और अनधिकृत फसल का नियंत्रण सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं अन्यथा वैध रूप से खेती कर रहे किसानों को भारी नुकसान होगा। मैं मंत्री महोदय से मामले की यह जांच करने का अनुरोध करता हूं कि क्या मध्य फसल के मौसम में फसल की मात्रा को नियमों में संशोधन किए बिना परिवर्तित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश विशेषकर आगरा क्षेत्र में जल संसाधनों के संरक्षण हेतु समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, देश में जल की उपलब्धता का संकट गहराता जा रहा है। वैसे तो सारे देश में ही जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा के भू–भाग के जल का स्तर काफी नीचे चला गया है। गत वर्षों में नलकूपों द्वारा सिंचाई के लिए योजनाओं को प्रोत्साहन तो दिया गया किंतु भूमि के भीतर जल पहुंचाने की योजनाओं की अनदेखी हुई जिसका परिणाम जल अभाव के रूप में हमारे सामने है। प्राकृतिक स्रोतों से देश में जल की उपलब्धता बरकरार है परंतु उसके उपयोग में आज समस्या पैदा हो गई है। भूमि जल स्तर ऊपर उठा लाने के लिए वर्षा के जल को बहने से रोकना की सर्वश्रेष्ठ उपाय है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि जल संचय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना क्रियान्वयन करने का निर्णय करे। जल संसाधन विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिल कर देश में तालाबों के निर्माण को प्रोत्साहन दें। एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार एक हेक्टेयर भूमि के तालाबों में मछली पालन से 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये

[श्री रामजीलाल सुमन]

तक का लाभ कमाया जा सकता है। देश में कच्चे तालाबों के निर्माण से ग्रामीण लोगों को आय का साधन भी मिलेगा और देश में भूमि में जल का स्तर भी ऊपर आने से जल की उपलब्धता बढ़ेगी।

(ग्यारह) कपास के आयात पर शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त गुढ़े (अमरावती) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश कपास की खेती के लिए मशहूर हैं। यहां कपास की फसल काफी अच्छी मात्रा में होती है। इसके बावजूद यहां के किसानों की स्थिति ठीक नहीं है।

महाराष्ट्र में एकाधिकार योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष तक किसानों को 2100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्राप्त होती थी, इस वर्ष इस दर को घटाकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस वजह से बाजार में मंदी छा गई है। इस मंदी का विशेष कारण यह भी है कि हमारे देश में दूसरे देशों से कपास काफी बड़ी मात्रा में आयात हो रहा है। इस कपास के आयात पर सिर्फ 5 प्रतिशत आयात कर है। इस आयात की वजह से हमारे किसानों की दशा खराब हो रही है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कपास के आयात पर आयात कर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाए ताकि यहां के कपास के किसानों को अच्छा मार्केट उपलब्ध हो सके।

(बारह) उत्तर प्रदेश में मऊ जंक्शन से नई दिल्ली, बरास्ता आजमगढ़ के बीच प्रस्तावित रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आजमगढ से नई दिल्ली तक चलने वाली नई ट्रेन के बारे में दिलाना चाहता हूं। आजमगढ एक साधारण रेलवे स्टेशन है। यहां से नई ट्रेन चलाने हेतु कोई आवश्यक सुविधाएं जैसे–कोचों में पानी भरने, सफाई, धुलाई, कंप्रेशर मशीन, यांत्रिक दोष के निवारण की सुविधा (टीएक्सआर), टीटीई स्टाफ, समुचित रेल ट्रेक, यार्ड आदि नहीं हैं, जबकि यहां से मात्र 43 किमी. दूर मऊ जंक्शन स्थित है, जहां पर नई ट्रेन संचालन की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। मऊ जंक्शन गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, दोहरीघाट आदि रेल मार्गों से जुड़ा है और मऊ शहर बनारसी साड़ी उत्पादन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र होने से क्षेत्रीय आबादी का ज्यादा आवागमन है। उक्त ट्रेन को मऊ जंक्शन से चलाने पर अधिक आबादी लाभान्वित होगी तथा रेलवे को वाणिज्यिक लाभ में वृद्धि होगी।

क्षेत्रीय जनता की वर्षों से मांग रही है कि मऊ जंक्शन से प्रारंभ करके वाया आजमगढ़, नई दिल्ली तक कोई ट्रेन चलाई जाए। ऐसी स्थिति में आजमगढ़ के बजाय नई ट्रेन को मऊ जंक्शन से प्रारंभ करके वाया आजमगढ़–नई दिल्ली चलाना जनहित में होगा।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि आजमगढ़ से प्रस्तावित ट्रेन को मऊ जंक्शन से प्रारंभ किया जाए।

[अनुवाद]

(तेरह) तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एम्प्लाईज पेंशन फंड ट्रस्ट को भारतीय जीवन बीमा निगम की वार्षिक योजना से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, मैं तमिलनाडु में 1,25,000 परिवहन कर्मचारियों के संबंध में नियम 377 के अधीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने हेतु अवसर देने के लिए आपका आभारी हूं।

तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम कर्मचारी पेंशन निधिन्यास का गठन कर्मचारियों को सीधे पेंशन संबंधी लाभ प्रदान कराने को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम वार्षिक वृत्ति योजना से छूट के लिए वित्त मंत्रालय को भी एक पत्र लिखा है।

पेंशन योजना दिनांक 1.9.1998 की भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित की जानी है। पेंशन का भुगतान करने के लिए गठित पेंशन न्यास को आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना है। चूंकि जीवन बीमा निगम वार्षिक वृत्ति योजना बहुत महंगी है, इसलिए न्यास पेंशन लाभार्थियों की सीधे भुगतान करना चाहता है।

मैं भारत सरकार, विशेषकर माननीय वित्त मंत्री महोदय से इस न्यास के आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत भाग–ख अनुसूची–IV के नियम II के अंतर्गत नाबार्ड, सिडबी और राष्ट्रीय आवास बोर्ड की तरह जीवन बीमा निगम से वार्षिक वृत्ति योजना लेने पर छूट देने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) पृथक बोडोलैंड राज्य का गठन किए जाने का आवश्यकता

श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : कई दशकों पुराने ज्वलंत 'बोडोलैंड मुद्दे' को शांतिपूर्ण राजनीतिक संवाद और विचार विमर्श द्वारा सुलझाने के लिए बोडोलैंड आंदोलन नेताओं की पूर्ण इच्छा और राजनीतिक सूझबूझ के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात् 1960 और 1970 के दशक में असम के मैदानी क्षेत्रों के उन कबिलाई बोडो लोगों को छोड़कर जो सबसे बड़ी इंडो–मंगोलोइड जनजाति है, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी कबिलाई लोगों को उनके मूल प्रदेशों और क्षेत्रों में उनकी अंतरजीविता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के उपाय के तौर पर पहले ही अलग प्रांतीय राज्यों अथवा अलग स्वायत्त जिलों के अंदर अपने आत्मनिर्णय के इष्टतम अधिकार दिए जा चुके हैं। लेकिन केवल असम के इस अभागे वास्तविक देशी इंडो–मंगोलोइड बोडो जनजाति समूह को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक उपबंधों के न्यूनतम लाभ भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

इसलिए, मैं भारत सरकार से इस संबंध में ठोस राजनीतिक निर्णय लेने और शांति बहाल करने, सामान्य जनजीवन और अनुरक्षक माहौल के महान हितों के लिए कई दशकों पुरानी "बोडोलैंड उलझन" का स्थाई और सम्मान्य राजनीतिक हल निकालने का आग्रह करता हूं ताकि बोडोलैंड क्षेत्र और साथ ही समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र दोनों में चहुंमुखी प्रगति और विकास को आगे बढ़ाया जा सके।

(पंद्रह) पश्चिमी बंगाल में अंदल और चितरंजन के बीच यात्री रेलगाड़ी की सेवा पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री महोदय का ध्यान अंदल और चितरंजन रेलवे स्टेशन के बीच वाया तोपांसी, इखरा, जमूरिया, बाराबंकी तथा सीतारामपुर से होते हुए कोल्फील्ड और अंबिका एक्सप्रेस तथा शाम के समय ब्लैक–डायमंड एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने वाली एक सवारी गाड़ी चलाने की ओर दिलाना चाहूंगा। पूर्व में स्वतंत्रता से पहले से उपर्युक्त स्टेशनों से होते हुए इस मार्ग पर अंदल रेलवे स्टेशन से वैद्यनाथन के बीच एक पैसेंजर रेलगाड़ी चलाई जा रही थी, लेकिन बिना किसी कारण के यह पैसेंजर सेवा बंद कर दी गई। आज भी इस मार्ग पर प्रतिदिन मालगाड़ी चलाई जा रही है। इस रेल मार्ग पर कोलकाता/हावड़ा आने और जाने के लिए यात्रियों के लिए एक पैसेंजर रेलगाड़ी चलाए जाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि आसनसोल और रानीगंज रेलवे स्टेशन इस क्षेत्र से बीस से तीस किलोमीटर दूर हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से उपर्युक्त पैसेंजर रेलगाड़ी पुनः शुरू करने का आग्रह करता हूं।

अपराह्न 2.28 बजे

[अनुवाद]

जैव विविधता विधेयक

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

आज मुझे इसी विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्तुत करते हुए गर्व है जिसका ध्येय हमारी समृद्ध और विविध पारिस्थितिक प्रणाली की बेजोड़ शक्ति प्रदान करना है। इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारा प्रयास संपूर्ण विश्व प्राणिजात और वनस्पति जात को 7 से 8 प्रतिशत करना है और इसीलिए हम विश्व के विविधताओं वाले देशों में से हैं।

जैव विविधता, पृथ्वी पर जीवन की किस्में जैसा कि हम सभी जानते हैं यह हमारे दैनिक जीवन और आजीविका का अनिवार्य अंग है। ये उन संसाधनों का निर्माण करती है जिन पर मानव जाति, समुदाय, राष्ट्र और भविष्य की पीढ़ियां निर्भर करती हैं। जैव विविधता पारिस्थितिकीय संतुलन और जीवन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जरूरी है।

इसीलिए जैव विविधता को संरक्षण के लिए 1992 में विश्व स्तर पर जैव विविधता संबंधी सम्मेलन आयोजित किया जाए, इस बात को लेकर चिंता जताई गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य था–जैव विविधता का संरक्षण और इसके अवलंबनीय उपयोग तथा इससे उत्पन्न फायदों का बराबर उपयोग। इसके साथ ही इसे सम्मेलन में राज्यों को उनके अपने जैव

[श्री टी. आर. बालू]

विविध संसाधनों पर प्रभुतासंपन्न अधिकारों के सिद्धांत का आश्वासन भी दिया गया। भारत जैव विविधता सम्मेलन का एक दल है।

समझौते के अनुसार सीबीडी अंतर्पीढ़ी इक्विटी के सिद्धांत पर आधारित है इसकी ऐसी विशेषता है जो इसे पोषकों के विकास संबंधी अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से अलग करती है।

भूतकाल में भी देश के जैविक संसाधनों को आम आदमी की विरासत मानकर इन्हें अन्य देशों को दिया जाता था। भूतकाल में स्थानीय और स्वदेशी समुदायों का ज्ञान, ध्यान और आचरण भी बाहरी लोगों को मुक्त रूप से बताया जाता था। परंतु सीबीडी के बाद के दौर में यह स्थिति बदल गई।

सीबीडी के पास यह प्राधिकार भी है कि वह अन्य पार्टियों तक पारस्परिक शर्तों तथा संसाधन प्रदान करने वाले देश की पूर्व रजामंदी की रचना आनुवांशिक साधनों को पहुंचाए ताकि वे उनका पर्यावरणीय ढंग से सुरक्षित उपयोग कर सकें। प्राप्त करने वाले देश को हस्तांतरित किए गए आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और बराबर बंटवारा मिले। सुविधाओं तक पहुंच मात्र राष्ट्रीय अधिनियम और/या विनियम द्वारा ही हो सकती है।

इस पृष्ठभूमि में हमने जैव विविधता अधिनियम तैयार किया है। मुझे इस सभा में यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम विश्व के कुछ देशों में से एक हैं और उन बारह विविधताओं वाले देशों में प्रथम हैं जिसने यह अधिनियम तैयार किया है।

प्रस्तावित विधान में सबसे पहले आनुवांशिक संसाधनों और विदेशी वैयक्तिकों, संस्थाओं अथवा कंपनियों से जुड़ा ज्ञान तथा देश और उसके लोगों को समान भागीदारी से उत्पन्न होने वाले फायदों से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया गया है। जैव विविधता विधेयक में प्रस्ताव है :

(i) जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत होने वाले फायदों में और जैव संसाधनों से सहयुक्त संबंधित ज्ञान में साम्यापूर्ण हिस्सा सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए देश के जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना;

(ii) जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय उपयोग करना;

(iii) जैव विविधता से संबंधित समुदायों के ज्ञान का ध्यान रखना और उसका संरक्षण करना;

(iv) स्थानीय लोगों के साथ जैव संसाधनों के संरक्षकों और जैव संसाधनों के उपयोग से संबंधित ज्ञान और जानकारी के धारकों के रूप में फायदों में हिस्सा सुनिश्चित करना;

(v) जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन्हें जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करके संरक्षण करना और उनका विकास करना;

(vi) संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण और उनका पुनर्वास;

(vii) इस अधिनियम के कार्यान्वयन की विस्तृत स्कीम में समितियों का गठन करके स्वशासी संस्थाओं को अंतर्वलित करना।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संसद की विभागीय स्थाई समिति ने उलझन वाले मुद्दों पर ध्यान दिया है और स्थानीय लोगों तथा जैविक विविधता के पोषकों और इसको बनाए रखने वाले लोगों तथा भारतीय शोधार्थियों के हितों के रक्षार्थ आवश्यक सुरक्षोपाय किए हैं। इस समिति की डेढ़ वर्ष की अवधि में विधेयक के प्रावधानों पर विचार करने और उसके दृष्टिकोणों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न दावेदारों के साथ 26 बैठकें हुईं। समिति की बैठकों के दौरान उसे विभिन्न संगठनों, वैयक्तियों और संस्थानों द्वारा विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर सुझावों वाले 35 ज्ञापन पत्र मिले हैं।

समिति ने लाभों की समान भागीदारी के उपबंधों तथा केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन की भूमिका को मजबूत करते समय उसने पेनल्टी, अपीलों और अपराधों के संज्ञान के विद्यमान उपबंधों में भी फेर बदल किया। मूल्य वर्धित उत्पादकों को विधेयक की सीमा से मुक्त रखा और 'वाणिज्यिक उपयोग' की व्याख्या की। और यह कहा कि यह भारतीय उद्योग के हितों की संरक्षक है।

कुछ अनुवर्ती और प्रारूप के संशोधन जरूरी हैं जो सरकारी संशोधन की सूचना में शामिल कर लिए गए हैं।

जैव विविधता विधेयक में जैविक चोरी रोकने और हमारे समृद्ध जैविक संसाधनों से उत्पन्न समान भागीदारी के लाभों को महसूस कराना उससे जुडे पारम्परिक ज्ञान का भी उपबंध किया गया है।

जैसा कि विधेयक में रथाई समिति की आम राय और सोचबूझ परिलक्षित हुई है। अतः मैं सभा के सभी दलों से समर्थन और आम राय का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं जैव विविधता विधेयक 2000 को विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, क्या मैं अपना भाषण पढ़ सकता हूं?

हमारा यह विश्व जैव विविधता और आनुवांशिक संपदा से समृद्ध है, जो प्रकृति की प्रयोगशाला में करोड़ों वर्षों की अवधि में तैयार हुआ है।

जैव विविधता और आनुवांशिक संपदा पर्यावरण में संतुलन बनाए रखती है और जीवन देती है। औद्योगिक क्रांति के कुछ पहलुओं मानव जाति की अति लोलुपता और लालच ने जनसामान्य की संपदा और गुणवत्ता को प्रभावित किया है और उसके दुष्प्रभाव से पर्यावरण और जीवन की अपूरणीय क्षति हो सकती है।

प्रकृति की संपदा का वगैर सोचे समझे और अत्यधिक प्रयोग रोकने के लिए विश्व के विद्वान और जनता के प्रतिनिधि विश्व में विभिन्न स्थलों पर मिले और उन्होंने ऐसी नीतियां बनाईं जिन्हें अपनाकर विभिन्न राष्ट्र जैव विविधता और आनुवांशिक संपदा का अवलंबनीय उपयोग कर सकें और उसकी सुरक्षा और संरक्षा कर सकें।

भारत, जो हमेशा व्यापक रूप से पूर्णवादी तौर पर और दूरदर्शितापूर्ण ढंग से सोचता रहा है और अब वह प्रकृति की विभिन्नता और संतुलन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बनाई गई नीतियों को लागू करने के लिए कानून बनाने के वास्ते सहमत हो गया है। सौभाग्य से हमारे देश का पर्यावरण मिट्टी, जल और भौगोलिक स्थिति जैव विविधता के मामले में बड़ा योगदान है। जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षा और उसका उचित ढंग से भारत और विश्व में प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि हम उससे फायदा ले सकें और संपूर्ण मानव जाति के लिए तकनीकी के विकास की प्रक्रिया का प्रयोग घटाया न जाए बल्कि सही और वैज्ञानिक तरीके से इसे बढाया जा सके।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह विधेयक बना है और संसद में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा उद्देश्य राष्ट्रीय जैव विविधता के प्रबंधन के लिए मशीनरी और समितियां बनाना है। इसमें उनके संचालन, अधिकार और कर्तव्य और वह धनराशि जो उन्हें दी जा सकती है, का उल्लेख हुआ है साथ ही किस तरीके से उनका लेखा जोखा रखा जाए, प्राधिकरण, बोर्डों और समितियों के कार्यकरण संचालन के लिए कितने पद सृजित किए जाएं, इस बात का भी उल्लेख हुआ है। इससे उस शोध और विकास का भी उल्लेख हुआ है जो इन क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसमें व्यक्तियों के बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए पेटेंट के संबंध में भी उल्लेख हुआ है तथा इसमें उन निकायों का भी उल्लेख हुआ है जो नई प्रौद्योगिकियां और प्रजातियां उत्पादित करने में लगे हुए हैं।

विश्व के कुछ देश आनुवांशिक संपदा और जैव विविधता में संपन्न हैं। कुछ अन्य देशों ने आनवांशिकीय तकनीकें विकसित की हैं। जो देश आनुवांशिक संपदा में संपन्न है, जरूरी नहीं कि वह आनुवांशिक विज्ञान और आनुवांशिक तकनीकी में भी संपन्न हों और जो देश आनुवांशिक ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी में आगे हैं वे आनुवांशिक संपदा में धनी नहीं हैं। भूमंडल के उत्तरी देश आनुवांशिक विज्ञान और आनुवांशिक तकनीकी में आगे हैं परंतु उनकी धरती वर्ष में अधिकतर समय बर्फ से ढकी रहती है इसलिए वे उस आनुवांशिक संपदा के विकास में समर्थ नहीं हैं जो भूमंडल के दक्षिण देशों में किया जाता है। यदि प्रकृति की संपदा से मानवता को लाभ होता है तो उन्हें उस आनुवांशिक संपदा और आनुवांशिक तकनीकी के लिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए जिसकी मानवता के हितों के लिए उन्हें आवश्यकता है। इसका उपयोग इस तरीके से किया जाए कि इसके सांझा विरासत यो मानवता का हित सधता हो। उसके साथ ही इनका दोहन नहीं किया जाना चाहिए और किसी के फायदे के लिए इनका दुरुपयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग संपूर्ण विश्व के हित में हो। यह विधेयक भारतीय हितों की सुरक्षा का एक प्रयास है साथ ही इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि देश और विश्व में सभी के हित में जो और ज्ञान की खोज करना चाहते हों उन्हें आनुवांशिकीय संपदा के लिए इनकार न किया जाए।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

स्थाई समिति ने निश्चित रूप से इस विधेयक की जांच कर ली है। सरकार द्वारा भेजे गए इस विधेयक को स्थाई समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन हम स्थाई समिति की सिफारिशों को यथावत स्वीकार नहीं करेंगे। स्थाई समिति को कतिपय क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए था और कतिपय संशोधन भी सुझाने चाहिए थे। यह कार्य नहीं किया गया है, इसलिए प्लेनेटरी में हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस विधेयक के प्रावधानों पर इस प्रकार से चर्चा करें कि इसमें कुछ सुधार किया जा चुका है। अब इन्हीं सब बातों की चर्चा करने वाला हूं।

मेरी आपत्ति स्वयं शीर्षक पर है। शीर्षक क्या है? इसे "जैव विविधता विधेयक" कहा गया है। इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था और उस विधेयक का शीर्षक भी गलत था। इस विधेयक का शीर्षक भी गलत है। किसी विधेयक के शीर्षक को क्या इंगित करना चाहिए? इसे इस बात का संकेत देना चाहिए कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से क्या करना चाहती है। किसी विधेयक की विषय सूची का सार शीर्षक में झलकना चाहिए। जैव विविधता विधेयक, 2000 से कुछ भी प्रकट नहीं होता। यह कुछ अलग होना चाहिए था। इस विधेयक का शीर्षक किस प्रकार का होना चाहिए था? मैं समझता हूं कि इसे "जैव विविधता, संरक्षण, परिरक्षण और सतत उपयोग विधेयक 2002" कहा जा सकता था।

पहले समय में, सरकार कानून बनाती थी। उनके शीर्षक सही–सही अर्थ प्रकट करते थे। उदाहरण के लिए अत्याचार निवारण विधेयक। इससे यह प्रकट होता है कि विधेयक का लक्ष्य क्या है। लेकिन इस विधेयक का शीर्षक वह अर्थ प्रकट नहीं करता। इसने केवल एक निरर्थक नाम दिया है। इससे बचा जा सकता था। मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को इस विधेयक का यह शीर्षक स्वीकार करना चाहिए : "जैव विविधता, संरक्षण, परिरक्षण और सतत उपयोग विधेयक"। यह इस विधेयक की विषय सूची के अर्थ को प्रकट करता है। यह पाठकों के समक्ष विषय सूची को प्रकट करता है और उनके समक्ष भी प्रकट करता है जो इसका उपयोग करना चाहता है जैसे प्रशासक, कानूनविद, न्यायाधीश, भारत के सभी लोगों और विदेशों के लोग ताकि वे इस विधेयक के अर्थ को जान सकें।

इस विधेयक का संबंध ऐसे विषय से है जिसे विश्व भर में महत्व प्राप्त हुआ है और वर्तमान और भविष्य में आने वाली सदियों में मानवीय गतिविधियों पर अधिकार रखेगा। इसलिए, इसके प्रारूप को बहुत सावधानीपूर्वक, सुस्पष्ट, सुबोध और परिष्कृत रूप से तैयार किया जा सकता था। इस विधेयक को पढ़ने के पश्चात व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसे गंभीरतापूर्वक तैयार नहीं किया गया है। इसे लापरवाही से तैयार किया गया है। इस विधेयक का विषय और उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और स्वीकार्य हैं। लेकिन इसका प्रारूप भद्दा है तथा स्पष्टता और सुबोधता से रहित है।

इस विधेयक के खंड 13(1) के स्पष्टीकरण में "कृषि–जैव विविधता" की परिभाषा दी गई है। प्रयोग किए गए अन्य शब्दों और वाक्यांशों की परिभाषा देते हुए इसे एक भाग के रूप में अध्याय–1 में दिया जा सकता था। यह तथ्य यह दर्शाता है कि इसे खंड 13 की विषय सूची पर निर्णय लेते समय किया गया था। वस्तुतः, अध्याय–1 और खंड 13 में कोई विरूपण अथवा परिवर्तन किए बिना इसे अध्याय–1 में स्थानांतरित किया जा सकता था।

जिस प्रकार से खंड 8 का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसका संबंध राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से है, विज्ञान सम्मत, स्पष्ट, सुबोध और ठीक नहीं है।

मैंने केवल इन दो दृष्टांतों का जिक्र किया है। इस विधेयक के शीर्षक को ढंग से तैयार नहीं किया गया है और इसका प्रारूप परिश्रमपूर्वक तैयार नहीं किया गया है। इस विधेयक के खंड–8(तीन) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय चेन्नई में होगा। इसे चेन्नई में ही क्यों होना चाहिए? मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं।

क्या चेन्नई और इसके आसपास में कई जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं? क्या यह भारत के किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो जैव विविधता और जीन संपदा से समृद्ध है? वस्तुतः जैव विविधता और जीन संपदा हिमालय, पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कुछ सीमा तक पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। कोलकाता में और गंगा बेल्ट के कुछ अन्य शहरों में ऐसी प्रयोगशालाएं और कृषि विश्वविद्यालय हैं जो जीव विज्ञान, आनुवांशिकी और ऐसे ही कई अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं।

इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। इसीलिए, कोलकाता में जैव विविधता प्राधिकरण के मुख्यालय की स्थापना करना ज्यादा अच्छा होता। इसके पास इन उद्देश्यों के लिए

आवश्यक कई अन्य सुविधाएं हैं। यह हिमालय, पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और समुद्र के पास ही स्थित है। हम तट रक्षक बल के मुख्यालय को चेन्नई में ला सकते हैं, लेकिन यह सुझाव वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण नहीं है कि राष्ट्रीय जैव विविधता के प्राधिकरण का मुख्यालय वहां होना चाहिए। यह राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है।

यदि आप व्यावहारिक और राजनैतिक प्रकृति वाली युक्तियों से और ऐसी युक्तियों से जिनका विज्ञान संबंधी तथ्यों से कोई संबंध नहीं है, के माध्यम से वैज्ञानिक विकास करना चाहते हैं तो हम अच्छे और शीघ्र परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना बेहतर है। हम यह देखकर दुविधा में पड़ गए हैं कि यह विधेयक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मुख्यालय के लिए ऐसे स्थान का सुझाव देता है जो उद्देश्यों के लिए किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं है। हम सरकार से यह आशा करते हैं कि वह राष्ट्रीय हित में, बायोमास और आनुवांशिकी के अनुसंधान और विकास के हित में कार्य करे न कि अपनी पार्टी और अपनी पार्टियों के गठबंधन के हित में जो वर्तमान सरकार का गठन करती हैं।

माननीय मंत्री जी वह बताएंगे कि मुख्यालय की स्थापना किस कारण से चेन्नई में की जानी चाहिए?

सभापति महोदय : चेन्नई भी भारत का अंग है।

श्री शिवराज वि. पाटील : हां, चेन्नई भारत का अंग है और कोलकाता भी भारत का एक अंग है, जो हिमालय के नजदीक है। चेन्नई भी भारत का ही अंग है और आप अपने तटरक्षक बल के मुख्यालय को चेन्नई में भेजकर प्रसन्न होंगे।

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर) : आप चेन्नई में इसे स्थापित किए जाने के विरोध में क्यों हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं यह बता चुका हूं। मेरा चेन्नई अथवा मंत्री जी अथवा सभापति से कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इन सब बातों का निर्णय इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यह प्राधिकरण एक अति महत्वपूर्ण प्राधिकरण बनने वाला है। यह मुंबई अथवा अन्य स्थानों पर जहां पर परमाणु विज्ञान के लिए कार्य किया गया, से अधिक महत्वपूर्ण प्राधिकरण बनने जा रहा है और इसके लिए चेन्नई आपने इसलिए नहीं चुना है क्योंकि वहां पर जीन संपदा नहीं है।

भारत में आनुवांशिक संपदा कहां है? जहां तक जीन–मॉस का संबंध है, भारत सबसे अधिक धनी देशों में से एक है। लेकिन यदि आप इस प्रयोगशाला को चेन्नई ले गए और यदि इस प्रयोगशाला को हिमालय की उलहटी अथवा पूर्वोत्तर राज्यों के निकट न ले गए तो इससे वह उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं होगा। गुवाहाटी अच्छा होगा, कोलकाता अच्छा होगा और हमारे मित्र इसे पटना में खोलकर भी बहुत प्रसन्न हुए होते। लेकिन इसे केवल चेन्नई में ले जाने से हम आश्वस्त नहीं हो जाते। चेन्नई के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। चेन्नई वह स्थान है जहां बहुत पढ़े–लिखे लोग रहते हैं और वहां पर कुछ वैज्ञानिक भी हैं लेकिन फिर भी हम यही महसूस करते हैं कि सरकार का यह निर्णय और इस बात का उल्लेख करना कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां होगा, स्वयं कानून में गलत दे रखा है।

यह कभी नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों करते हैं? यदि इसकी आवश्यकता है तो आपके पास इस निर्णय को बदलने की गुंजाइश नहीं है। यदि आप किसी अन्य स्थान पर मुख्यालय चाहते हैं तो आपको स्थाई समिति, लोक सभा, राज्य सभा के पास जाना होगा और इसके बाद इसमें परिवर्तन कराने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना होगा इस तरह का कार्य नहीं किया जाता है। यह कार्य नहीं किया जाना चाहिए था।

अध्याय 7 में केंद्र और राज्य सरकारों के कर्तव्यों का उल्लेख है। भारतीय संविधान 'केंद्रीय सरकार' शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। प्रायः हम 'केंद्र सरकार' शब्दों का उपयोग करते हैं।

समाज में ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण, जैव विविधता और आनुवांशिक संपदा का संरक्षण और परिरक्षण की समस्या पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना आर्थिक विकास का कार्य आरंभ करना चाहते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। वे वर्तमान पर अधिक और भविष्य की ओर कम ध्यान देते हैं।

ऐसे भी लोग हैं जो यह सोचते हैं कि पर्यावरण में संतुलन, विविधता और आनुवांशिक संपदा का संरक्षण और परिरक्षण करना वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है और उन्हें भावी पीढी के भविष्य को खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं है। उनके पास दीर्घकालिक योजनाएं हैं और वे अपने व्यवहार में भविष्यवादी हैं। सामान्यतः उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और धनार्जन के व्यवसाय से जुड़े लोग यह चाहते हैं कि वर्तमान की समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जाना चाहिए और भविष्य के लिए

[श्री शिवराज वि. पाटील]

वर्तमान की बलि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए और यह सोचा जाना चाहिए कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों से यथार्थवादी और व्यावहारिक ढंग से निपटना चाहिए और सनकी प्रतीत होने वाले कार्यों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सृजनात्मक ज्ञान के व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यक्ति धनार्जन को अधिक महत्व प्रदान नहीं करते, जैव विविधता और आनुवांशिक संपदा के सावधानीपूर्वक और सतत रूप से उपयोग पर बहुत अधिक बल देते हैं।

यह भी पता लगा है कि कुछ राज्य सरकारें वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने में अधिक रुचि रखती हैं और वे पर्यावरणीय चिंताओं और आने वाले समय के मुद्दों की बेड़ियों से आवृत्त नहीं होना चाहतीं। केंद्र सरकार दीर्घकालीन मुद्दों और समस्याओं तथा पर्यावरण और भावी पीढ़ियों पर ध्यान देती है।

यह पाया गया है कि कई बार इस प्रकार के मुद्दों पर उनके बीच बहुत विवाद हुए हैं। कुछ मामलों में पर्यावरण के मुद्दों को अधिक महत्व प्रदान करने वाले जनता के लोगों ने कुछ परियोजनाओं को पूरा नहीं होने दिया है।

इसीलिए, नीतियां इस प्रकार बनाई जाएं कि उनसे पर्यावरण की सुरक्षा करने की समस्या और अर्थव्यवस्था के विकास की समस्याओं के समाधान में मदद मिल सके। संतुलित रवैया अनिवार्य है। अतिवादी निर्णय लेना सरल है लेकिन संतुलित निर्णय लेना सदैव सरल नहीं होता। अतिवादी निर्णयों के जबर्दस्त समर्थक अथवा विरोधी होते हैं लेकिन संतुलित निर्णय को उत्साही समर्थक नहीं मिलते और वह बेकार हो जाता है।

खंड 36(3) (i) (ii) में अंतर्विष्ट प्रावधान इतने जटिल हैं कि उन्हें सरलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के समय सरकार की कार्यकुशलता और अनुभव की परीक्षा होगी।

राज्य सरकारों को खंड 37 (एक) के अंतर्गत क्षेत्रों को बायो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का अधिकार है। हमें आशंका है कि वे अपने कर्तव्य को काफी महत्व नहीं देंगे और इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता स्थलों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। संविधान के अंतर्गत वर्तमान में जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ऐसा करना सही है। लेकिन इससे उतने संतोषजनक परिणाम आने की संभावना नहीं है जितने कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा किए जाने पर संभावना थी।

खंड 38 में निहित प्रावधानों द्वारा केंद्र सरकार को प्रजातियों को संकटापन्न प्रजाति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। जिसे किया जाना ठीक है।

जैव विविधता किसी क्षेत्र को विरासत के रूप में घोषित करने की अपेक्षा संकटापन्न प्रजातियों को प्रजाति के रूप में घोषित करना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ऐसा महसूस किया गया है कि यदि जैव विविधता विरासत घोषित करने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो यह बेहतर होगा।

मैं सही दिशा में जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप केंद्र सरकार को संकटापन्न प्रजातियों को घोषित करने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन आप केंद्र सरकार जैव विविधता विरासत वाले क्षेत्रों को घोषित करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह कार्य राज्य सरकारों को दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकारों के इरादे अच्छे हैं। वे गरीबी कम करना, लोगों की सहायता करना, सड़कों और बांधों का निर्माण करना चाहते हैं। वे लोगों की तत्काल आवश्यकताओं और जरूरतों की पूर्ति करते हैं लेकिन इस बारे में निर्णय लेने के लिए दीर्घकालिक दूरदर्शिता की आवश्यकता है। ऐसा सभी मामलों में किया जाना संभव नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे कई मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव होता है, जिसमें केंद्र सरकार कहती है कि यह वन है और आपको इस मामले में अलग रहना चाहिए और राज्य सरकार कहती है कि हमें इस पर बांध बनाना है। आपको हमें बांध निर्माण की अनुमति देनी चाहिए। बांध किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है लेकिन जैव विविधता और आनुवांशिकीय संपदा को दस वर्षों या सैकड़ों वर्षों में भी सृजित नहीं किया जा सकता। कई मामलों में इसमें लाखों वर्ष लगते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संपदा जिसे लाखों वर्षों में सृजित नहीं किया जा सकता, इससे नष्ट हो जाएगी। एक बार नष्ट होने से यह उपलब्ध नहीं हो सकेगी। जब तक ऐसा दृष्टिकोण नहीं होगा, मुझे डर है कि जैव विविधता विरासत क्षेत्रों को सटीक तरीके से घोषित नहीं किया जा सकेगा। यदि यह सही तरीके से किया जाए तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन यह नहीं होगा। कानून ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दे रखा है। कानून के अनुसार किसी प्रजाति को संकटापन्न प्रजाति घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। जबकि यह अधिकार राज्य सरकारों के पास होना चाहिए। राज्य सरकारों के पास यह अधिकार होने

से आसानी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह इस विधेयक की सबसे बड़ी कमी है। विधेयक के क्रियान्वयन में इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी।

मुझे राज्य सरकारों की बुद्धिमत्ता या इरादों पर संदेह नहीं है लेकिन उन पर बांधों और सड़कों के निर्माण तथा अन्य चीजों का इतना दबाव है कि वे दबाव में झुक जाती हैं। उनके दबाव में आने से प्रकृति द्वारा उन्हें आपको, हमें और मनुष्यता को लाखों वर्षों में प्रदत्त संपदा नष्ट हो जाएगी। एक बार नष्ट होने पर आपको यह आसानी से उपलब्ध नहीं होगी अतः यहां आपको कुछ और अधिक सावधान होना चाहिए। खंड 41(1) में प्रावधान है :

> "प्रत्येक स्थानीय निकाय, संरक्षण के संवर्धन, पोषणीय उपयोग और जैव विविधता के दस्तावेजीकरण के प्रयोजन के लिए जिसके अंतर्गत आवासकों का भूमि की संरक्षण की प्रजाति का संरक्षण, व्यक्तियों के वर्गों और पशुधन के घरेलूकृत संवर्धकों तथा पशुओं के प्रजनन और सूक्ष्म जीवों तथा जैव विविधता से संबंधित ज्ञान को शृंखलाबद्ध करने के प्रयोजन के लिए इसके क्षेत्र के भीतर है, जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करेगा।"

आप स्थानीय निकायों को किस प्रकार के काम दे रहे हैं? असल में जैव विविधता देश में हर जगह व्याप्त है। अतः इसकी हर जगह सुरक्षा की जानी है और जैव विविधता प्रबंध समितियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे ही जैव विविधता और आनुवांशिक संपदा की सुरक्षा कर सकते हैं। जैव संपदा का उपयोग और इससे संबंधी मामलों संबंधी रिकार्ड रखने और राज्य तथा जैव विविधता बोर्डों को सलाह देने की भी उनसे अपेक्षा है।

अपराह्न 2.59 बजे

(श्री श्रीनिवास पाटील *पीठासीन* हुए)

इरादा सराहनीय है लेकिन क्या इस पर कार्रवाही हो सकती है? क्या इन समितियों के पास दृष्टि, ज्ञान, विशेषज्ञता और प्रबंधकीय तथा प्रशासनिक कौशल है? यदि इस उद्देश्य हेतु सौंपे गए कर्तव्य पूरे करने हैं, तो उन्हें उपलब्ध कराए गए कोष तथा वित्त इन कार्यों को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि सरकार ने इस पहलू की ओर ठीक तरीके से दिमाग नहीं लगाया इससे विदेशियों हेतु इस देश के जैव जगत और आनुवांशिकीय संपदा के उपयोग और लाभों में हिस्सेदारी की अनुमति मिल गई है। ऐसा करते समय उन्हें महसूस हुआ होगा कि जैव विविधता और आनुवांशिकीय संपदा की सुरक्षा और संरक्षण हेतु तंत्र विकसित करना चाहिए और इसलिए विधेयक में इन प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए था।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन इस समस्या से निपटने का यह सही तरीका नहीं है। अपेक्षा के अनुसार कार्य करने हेतु इसे अधिकार, कोष, विशेषज्ञता और तंत्र दिया जाना चाहिए। और जैसी आज स्थिति है, यह नहीं होने जा रहा है। इन चीजों को ऐसे नहीं, बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए था। यह दिखावा मात्र है जिससे कोई फायदा नहीं होगा।

इस कारण, यह कहा जा सकता है कि सरकार अपनी जैव विविधता और आनुवांशिकीय संपदा देश के बाहर के लोगों और व्यक्तियों के साथ और देशवासियों के साथ बांटने के लिए तैयार है, लेकिन यह देश में जैव सामग्री और आनुवांशिकीय संपदा की संरक्षा और संरक्षण में उतनी रुचि नहीं है और इसलिए जो कुछ किया गया है वह वाणिज्यिक और धनार्जन की दृष्टि से किया गया लगता है और देश के पर्यावरण, जैव विविधता और आनुवांशिक संपदा की संरक्षा के बजाय वाणिज्यिकीकरण और भूमंडलीकरण की मांगों को पूरा करने के लिए किया गया है।

यदि सरकार विविधता, आनुवांशिक संपदा और ज्ञान के सरक्षण द्वारा राष्ट्रीय हित की संरक्षा के लिए कुछ ठोस और वास्तविक करना चाहती है तो यह स्थानीय स्तर पर निकाय बना सकती है और उद्देश्य हासिल करने के लिए विशेषज्ञता, धनराशि और तंत्र उपलब्ध करा सकती है और इन गतिविधियों में स्थानीय निकायों का समन्वय कर सकती है। विधेयक में इन जैव विविधता समितियों को धनराशि अर्जित करने की उम्मीद की गई है। इसमें उम्मीद है कि राज्य सरकारें इस उद्देश्य के लिए उन्हें धनराशि देंगी। इसमें केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता देने की उम्मीद की गई है। उनके द्वारा एकत्रित धनराशि बहुत महत्वपूर्ण होगी। राज्य सरकार मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु उन्हें धनराशि नहीं दे रही है। इसीलिए रोजगार योजना है। राज्य सरकारों को धनराशि नहीं दी जाती है। राज्य सरकारें इस धनराशि का अन्य उद्देश्यों में उपयोग करती हैं।

वास्तव में जैव विविधता प्रबंध समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। तथापि पर्यावरण संरक्षा में प्रयुक्त शृंखला की ये सबसे कमजोर कड़ी बनने जा रही हैं। अतः पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा में ऐसे संदेह और उपेक्षापूर्ण प्रयास की सराहना करना कठिन है।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

हम सब जानते हैं कि सड़कों की सफाई के लिए ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है। उनके पास गांवों में रह रहे लोगों को पेयजल की आपूर्ति हेतु धनराशि नहीं है। और उन्हें हम इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि धनार्जन करो और इस धन को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जैव विविधता के संरक्षण में उपयोग करें। अब यह बहुत अधिक अपेक्षा कर रही है। यह तथ्य है कि गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोग हैं जो जानते हैं कि व्यक्तियों और पशुओं की सहायता हेतु जैवीय संपदा का कैसे उपयोग किया जा सकता है। वे जानते हैं कि जानवर और मनुष्य जिस बीमारी से पीड़ित है उसके लिए कौन सी जड़ी–बूटी लाभप्रद होगी। लेकिन वे इससे बाहर जाने में सक्षम नहीं हैं। वे यह विश्लेषण करने में समर्थ नहीं हैं कि जड़ी–बूटी किस तरह और क्यों लाभप्रद हैं, वे यह लिखने में असमर्थ हैं कि उस जड़ी–बूटी का उत्पादन कैसे किया जाए और प्रयोग कैसे हो और सभी मामलों में इसका उपयोग कैसे किया जाए।

यदि यह दायित्व सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर समिति को दिया जाता है जहां वैज्ञानिक नहीं जाएंगे, ग्राम पंचायतों में एक या दो वैज्ञानिक निर्वाचित हो सकते हैं और गांव में रह सकते हैं, लेकिन सभी ग्राम पंचायतों में ऐसा नहीं होगा और इसी कारण यह सर्वाधिक कमजोर कड़ी है।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकरण है, राज्य स्तरीय बोर्ड हैं और ग्राम स्तर पर ये समितियां हैं। जहां तक राष्ट्रीय प्राधिकरण का प्रश्न है, मुझे लगता है कि यह अपने कर्तव्यों को पूरा करने की स्थिति में होगी। राज्य बोर्डों द्वारा अपने दायित्व निर्वहन में मुझे थोड़ी शंका है। मुझे उन दायित्वों के निर्वहन हेतु ग्रामीण स्तर पर लोगों की क्षमता पर काफी संदेह है जो दायित्व उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध बायोमास्क और आनुवांशिकीय संपदा के संरक्षण और उपयोग और ज्ञान के लिए कानून के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए हैं।

कुछ अधिक किया जाना चाहिए था। क्या किया जा सकता था? मेरा सुझाव है कि यदि विशेषज्ञ समिति है और वह विशेषज्ञ समिति उनकी सहायता करती है–प्रशासन में नहीं कार्य में नहीं–बल्कि इसमें सहायता करती है कि ज्ञान कैसे एकत्रित किया जाए, उसे मिलाया जाए और उनका विश्लेषण किया जाए, पुस्तकबद्ध किया जाए, पुस्तकों, ऑडियो या वीडियो या किसी अन्य तरीके से उपलब्ध कराया जाए तो वह काफी लाभप्रद होगा। इस अधिनियम का इस पर असर पड़ेगा। हम निश्चित तौर पर अपने देश से अन्य देशों को जा रहे जैव संपदा और जैव सामग्री को इस तरीके से रोकेंगे कि हम अपने हितों की रक्षा कर सकेंगे। इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

इसमें पूरा संरक्षण नहीं है। लेकिन इससे बेहतर संरक्षण उपलब्ध हो सकेगा। हम जैव सामग्री की संरक्षा केवल अपने लिए नहीं अपितु समूची मानवता के लिए करना चाहते हैं। हम बाहर के वैज्ञानिकों, प्रयोगशालाओं और उद्योगों को जैव सामग्री की पहुंच देने से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें जैव सामग्री देंगे, आनुवांशिकीय सामग्री देंगे और बदले में हम उनसे कुछ लेंगे। जहां तक देश में उपलब्ध जैव विविधता का सवाल है, यह इससे अधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए यह किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश कानून में सबसे निचले स्तर पर समिति को जो दायित्व सौंपे गए हैं वह उन्हें पूरा नहीं कर सकेगी। केन्द्र सरकार ने नीतियों को तैयार करने और राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण और अन्य संगठनों को देश के वन्य और जीव जंतुओं की सुरक्षा हेतु उचित निर्देश देने के लिए तंत्र और सुविज्ञता विकसित की है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि राज्य स्तरीय जैव–विविधता बोर्डों को परामर्श और मार्ग–निर्देशन देने हेतु राज्य सरकारों के पास अपेक्षित सुविज्ञता और तंत्र उपलब्ध हैं या नहीं। इसलिए इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों की सुविज्ञता और तंत्र को दुरुस्त करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए। जैव–विविधता ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध है जो अधिक विकसित क्षेत्र नहीं हैं।

यदि हम इस विश्व में जैव–संपदा के संबंध में आज विश्व के वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो हम पाएंगे कि सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र जैव–विविधता में सम्पन्न हैं क्योंकि मानव समुदाय वहां तक नहीं पहुंचता है और उस जैव–विविधता का नुकसान नहीं किया है जो वहां उपलब्ध है। इसलिए हमारे देश में भी सर्वाधिक पिछड़े राज्य जैव–विविधता में संपन्न हैं। यदि जैव–संपदा का सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो इससे पिछड़े क्षेत्र अधिक संपन्न और विकसित हो सकते हैं। प्रकृति की उदारता का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। इसकी बर्बादी और शोषण नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि इसका सतत रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। विविधता को कम नहीं किया जाना चाहिए। असली संपदा विविधता में निहित है। एकाकी संस्कृति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। इससे उदारता में कमी आती है। विविधता को समझने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। जैव–विविधता उत्पन्न करने में वर्षों लगते हैं। राज्य सरकारों को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें बांधों और सड़कों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया

में प्रकृति ने जो उत्पन्न किया है उन्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने जो दिया है यदि वह जब्त कर दिया जाता है तो राज्य प्राकृतिक संपदा उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे। राज्यों द्वारा दिये गए निर्देशों में इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें ऐसा करना चाहिए। मेरी दृष्टि से केन्द्र सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बेहतर स्थिति में है। अतः केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

जैव–प्रौद्योगिकी मौजूदा सही और भावी सदियों पर हावी होने जा रही है। भारत में जैव–संपदा उपलब्ध है। भारत को जैव–प्रौद्योगिकरण और जैव–विज्ञान का विकास करना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु दीर्घ–कालिक योजनाओं का विकास किया जाना चाहिए। पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए। यदि अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता पड़े तो ऐसा किया जाना चाहिए। हम औद्योगिक क्रांति में असफल रहे। हमने इलेक्ट्रानिक क्रांति में कुछ योगदान किया है। लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। हमें जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में सफलता हासिल करनी है।

वास्तव में हमें इस क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहिए। व्यक्ति, संगठन, राज्य और केन्द्र को एक दूसरे के साथ सहयोग और अपने क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। यदि हम इसमें असफल हो जाते हैं तो हम भावी पीढ़ी के साथ अन्याय करेंगे।

सौभाग्यवश हम संगठनों को धीरे–धीरे मजबूत कर रहे हैं। हमारे पास भारत सरकार का एक जैव–प्रौद्योगिकी विभाग है। हमारे यहां कृषि जैव–प्रौद्योगिकी की देखभाल के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित, प्रयोगशाला है। अब इन सब चीजों का सही ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में वास्तव में हमें एक दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता है जो न तो पंचवर्षीय हो और न ही दस वर्षीय बल्कि यह 25 वर्षीय अथवा 50 वर्षीय योजना होनी चाहिए। विभाग, प्रयोगशालाएं, संस्थान स्थापित करने चाहिए और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने चाहिए ताकि हम अपने आपको देश में जैव–संपदा का प्रयोग करने के लिए तैयार कर सकें और उन्हें धनराशि भी उपलब्ध करानी चाहिए। राज्य सरकारों को इस संबंध में सहयोग के लिए अनुरोध करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे जो इस विधेयक का आधार हैं। मुझे उम्मीद है कि यह विधेयक सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, फिर भी हमें इसमें कुछ हद तक सहायता मिलेगी। हमें इसे पारित करना चाहिए और हम इसे पारित करने में सरकार के साथ सहयोग करेंगे लेकिन मैंने जो कुछ कहा है कृपया वे उस पर ध्यान दें और भविष्य में विधेयक को संशोधित करने का प्रयास करें और कम से कम यह सुनिश्चित करें कि जैव–संपदा के प्रयोग करने का उद्देश्य पूरा हो। भारत विश्व में जैव–संपदा के क्षेत्र में सबसे अमीर देशों में से एक है। जहां तक जैव–संपदा का सवाल है तो इसका स्थान विश्व में सातवां है। हमारे देश में इसका प्रयोग होना चाहिए।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गए जैव विविधता विधेयक, 2002 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह लंबे समय से प्रतीक्षित विधेयक रहा है जिसे स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इसका अध्ययन किया गया और इस पर विस्तृत चर्चा की गई और सुझाव दिये गए। आज अंततः माननीय मंत्री महोदय यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

महोदय, जैसाकि हम जानते हैं कि जब हमारे देश को 1947 में आजादी मिली और 1951 में हमारा संविधान बना और 1951 से 1975 तक पर्यावरणीय संरक्षण, वन रक्षा अथवा प्राकृतिक वासों के लिए क्रियाकलापों के मार्ग–निर्देशन के लिए कोई पर्यावरण संबंधी विधान अथवा कानून नहीं था। इसलिए पहला कानून, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में आया। उसके बाद वन्य संरक्षण अधिनियम, 1980 आठ वर्षों बाद आया। जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में आया तब तक हमने पहले ही 20 वर्ष खो दिये थे। इसका अर्थ यह है कि 1951 से 1972 तक हमने अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए 20 वर्षों का महत्वपूर्ण समय खो दिया। इसलिए आप किस पर दोषारोपण करते हैं? हम उस समय के इस देश के शासकों पर दोषारोपण करते हैं जो उन्होंने 1972 से 1980 तक कोई कानून नहीं बनाया। आठ वर्षों के बाद हमने एक दूसरा कानून वन्य संरक्षण अधिनियम, 1980 बनाया और उसके पश्चात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 बना और तत्पश्चात पब्लिक लाइबेलिटी इंश्युरेंस एक्ट 1991 बना। तत्पश्चात जैव मंडलीय अभयारण्य कार्यक्रम की शुरूआत हुई।

किसी भी सरकार अथवा पर्यावरण या वन की सुरक्षा हेतु बने किसी भी विभाग की प्रगति इतनी धीमी थी और प्रशासन इतना लापरवाह था कि इस अवधि में हमारे देश में वनों का

[श्री बिक्रम केशरी देव]

भारी विनाश हुआ, अनेक प्रजातियां संकटापन्न हो गईं, अनेक समृद्ध आश्रयस्थल समाप्त हो गए और अनेक पेड़ों का विनाश हो गया। आज भारत अभी भी विश्व के बारह बड़े जैव–विविधता वाले देशों में से एक है।

अभी तक कुल सत्तर प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है, और हमारे यहां 46000 पादप प्रजातियां लगभग 81000 पशु प्रजातियां हैं। इनके सरक्षण हेतु हमारे यहां 1.56 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले 89 राष्ट्रीय उद्यान, 497 वन्यजीव अभयारण्य, 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले 27 व्याघ्र अभयारण्य हैं। हमने अपने देश की जैव–विविधता की रक्षा हेतु यही किया है। आज इस जैवीय विविधता विधेयक के रूप में इस विभाग को अधिक अधिकार दिये गए हैं। एक जैवीय अधिकरण कर गठन किया जा रहा है और वन्य जीवों, पर्यावरण और जैव विविधता के प्रबंधन हेतु राज्य प्राधिकरणों का गठन किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से अत्यंत ही विस्तृत भूमिका अदा करेगा।

हाल ही में हमने सतत विकास हेतु जोहानिसबर्ग विश्व शिखर–सम्मेलन में भाग लिया। यह रियो–डी–जेनेरो ब्राजील शिखर–सम्मेलन के दस वर्षों बाद आयोजित हुआ था। इस सम्माननीय सभा में यह कहना दुखद है कि रियो–डी–जेनरो से जोहानिसबर्ग तक पारिस्थितिकी और जैव विविधता की रक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किये गए। अतः एक विकासशील देश के रूप में ऐसे एक विधेयक को पारित करना हमारा कर्तव्य बन गया है ताकि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित और संरक्षण कर सकें जो विलुप्त हो रहे हैं। मैं आपको साल बीज का उदारहण देना चाहता हूं साल वृक्ष मूल्यवान वृक्ष है और इससे भारी रोजगार मिलता है। इसके पत्ते और बीजों का प्रयोग क्षेत्र के गरीब आदिवासियों द्वारा किया जाता है और आज प्रवर्धन के अभाव में ये पेड़ धीरे–धीरे सूख रहे हैं। मैंने देहरादून वन संस्थान का दौरा किया था जहां एक घनमीटर लंबी और चौड़ी लकड़ी प्रदर्शन के लिए रखी हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें 18 लीटर जल है। हमारे यहां इस प्रकार के वन नीलगिरी से हिमालय और देहरादून से लेकर तराई तक थे। आज ये वन क्षेत्र वन प्रबंधन की कमी के कारण अत्यंत कम हो गए हैं।

हमारे वन और पर्यावरण का अत्यधिक दोहन हुआ है और मुझे यह बहते हुए दुख है कि इसके नियंत्रण हेतु कोई उचित प्राधिकरण नहीं था। उदाहरण के तौर पर कागज मिलों को देखें। ये मिलें हमारी सभी नदियों को प्रदूषित कर रही हैं और इसके परिणामस्वरूप जैव–विविधता का सतत विकास जिसका संरक्षण किया जाना था, वह नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में ब्राह्मणी और नागवल्ली नदियों के निकट स्थित कागज मिलें नदी प्रणाली के जल जीवों को पूरी तरह बर्बाद कर चुकी हैं। जल जीवों पर कौन निर्भर है? ये गरीब मछुआरे, गरीब ग्रामीण, गरीब किसान और सामान्यतः वे गरीब भारतीय हैं जो हमारी जनसंख्या के 60 प्रतिशत हैं और ग्रामीण भारत में रहते हैं जो देश के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर निर्भर रहते हैं जो धीरे–धीरे घट रही है। आप इसका संरक्षण कैसे करेंगे? हमें कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, हमें जैव–विविधता के लिए कुछ अधिकार देने होंगे और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना होगा। अनेक कंपनियां आ रही हैं और वे अपनी मर्जी से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही हैं। हम इसे कैसे रोकें? आज अमेरिका द्वारा हल्दी को पेटेन्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और इस भूमंडलीकरण परिदृश्य तथा डब्ल्यू टी ओ परिदृश्य में यह जैव–विविधता विधेयक हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम पूरी तरह अनियंत्रित हो जाएंगे और विकसित देश हमें पीछे छोड़ देंगे।

क्या आज विकसित देशों ने क्योटो संधि के प्रावधानों को लागू किया है? क्या उन्होंने मांट्रियल घोषणा के प्रावधानों को लागू किया है जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था? वे ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन संधियों और घोषणाओं को लागू करने की स्थिति में उनका उत्पादन घट जाएगा। हम क्योटो संधि के प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार हैं लेकिन विकसित देश इन्हें क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इसलिए जहां तक हमारे देश के हित का सवाल है तो इस प्रकार का विधेयक बहुत ही आवश्यक था। मैं इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं।

जैव–विविधता मानव जीवन प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। हम एक स्वास्थ्यकर पृथ्वी, संकट मुक्त पर्यावरण चाहते हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब वायुमंडल की ओजोन परत क्षीण हो रही है और यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो ऐसे ही कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि हमें इस पृथ्वी की रक्षा करनी है। हमारे पोषण और मानव जीवन के अस्तित्व के लिए इस प्रकार के विधेयक की सख्त आवश्यकता है। मैं एक बार फिर इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई दूंगा।

विपक्ष के माननीय सदस्य जिन्होंने विधेयक पर चर्चा की शुरूआत की है, ने चेन्नई में मुख्यालय स्थापित करने का उल्लेख किया है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। चेन्नई हमारे देश का एक भाग है। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत में स्थित राष्ट्रीय उद्यान बेहतर रख–रखाव वाले हैं विशेषकर बांदीपुर, नागरहोली, मुधुमलाई देश के अत्यंत ही बेहतर रख–रखाव वाले वन्य जीव उद्यानों में से एक हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को 1992 के रियो सम्मेलन को ध्यान में रखकर लाया गया है। मैं इस विधेयक में कतिपय संशोधन रखना चाहता था परन्तु समय समाप्त हो जाने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। तथापि, मैं अपने संशोधनों के बारे में बालूंगा।

महोदय, अपने संशोधनों पर अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं इस सम्माननीय सभा के साथ कुछ तथ्यों को बांटना चाहता हूं। यहां पहले से ही ऐसी लाखों प्रजातियां हैं जो इस धरती से लुप्त हो गई हैं। जैवीय संसाधनों में सतह पर, जल में एवं आकाश में उड़ने वाले सभी जीव जन्तु, सभी पादप एवं सभी सूक्ष्म जीव शामिल हैं। इसमें सभी जीवित प्राणी शामिल हैं इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अनुभागों के अनुसार, पृथ्वी पर दो मिलियन, कुछ के अनुसार 30 मिलियन एवं कुछ के अनुसार 50 मिलियन प्रजातियां हैं, जिसमें सभी प्रकार के पौधे, जीव–जन्तु एवं सूक्ष्म–जीव शामिल हैं। इनमें से कुछ लाख प्रजातियां हमारी उपेक्षा, अविवेकपूर्ण दोहन एवं लालच के अनुसार गायब और लुप्त हो गए हैं। यदि हम इन प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करने हेतु कानून बनाने में विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, तो 21वीं शताब्दी में, वैज्ञानिक के अनुमान के अनुसार, धरातल से 20 से 50 प्रतिशत प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। मेरा कहना है कि इनमें से अधिकांश प्रजातियां या सभी प्रजातियां मानव समाज के लिए उपयोगी हैं। प्राचीन भारत में चरक् के अनुसार, ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसका कोई औषधीय महत्व नहीं है। मानव जीवन के अस्तित्व के लिए सभी पौधे एवं सभी जीव जन्तु उपयोगी हैं। यदि हम पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, तो हमें इन प्रजातियों को भी जीवित बनाए रखना होगा। यदि वे नहीं होंगे, तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे।

महोदय, यह विधेयक मुख्यतः तीन बातों, नामतः जैव–विविधता के संरक्षण, इसके संघटक का सतत उपयोग एवं जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित एवं समान वितरण करने पर केन्द्रित है।

ये तीन प्रमुख मदें हैं। यह विधेयक केवल इन्हीं तीन पहलुओं के संबंध में सीमित है।

'संरक्षण' शब्द यहां दिया गया है। यह और भी बेहतर होता यदि यहां 'परिरक्षण' शब्द भी जोड़ा जाता। इसके संघटकों के सतत उपयोग के लिए संरक्षण और परिरक्षण आवश्यक है। इसी प्रकार, 'उपयोग से प्राप्त लाभ के समान विवरण' के बजाय 'उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित एवं समान' होना चाहिए था। 'उचित' शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अब सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय एवं धनी देश भी जड़ी–बूटी से बनी औषधियों को बनाने के लिए बहुत तत्पर है। जड़ी–बूटियां बहुत ही उपयोगी हैं। एड्स, कैंसर, अस्थमा जैसे गंभीर रोगों के निदान में जड़ी–बूटियां ऐलोपैथिक औषधियों से ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुई हैं। चीन में आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, डा. चांग। चीन के प्रत्येक अस्तपाल में, डा. चांग के अनुदेशों के अनुसार आयुर्वेदिक एवं जड़ी–बूटियों से बनी औषधियों से संबंधित आयुर्वेदिक विभाग है।

इस प्रकार, इससे संबंधित चिकित्सीय महत्व एवं ज्ञान के बारे में ग्रामीण लोग अच्छी तरह जानते हैं। उनमें से अधिकतर अशिक्षित हैं। सैकड़ों, हजारों वर्षों से, जडी–बूटियों इत्यादि से तैयार की गई औषधियों का उपयोग कर रहे हैं। तथापि वे वैज्ञानिक कारण नहीं जानते, परन्तु वे उनका उपयोग करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। अब यह आधुनिक वैज्ञानिकों का कर्त्तव्य है कि वे ग्रामीण लोगों तक जाएं और इन जडी–बूटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह एक अतिरिक्त ज्ञान है। इस प्रकार इस विधेयक के तीन उद्देश्य हैं।

पुनः सभापति महोदय, विधेयक के प्रारूपण में भाषा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जब यह अधिनियम बने, तो यह सटीक और कठोर एवं स्पष्ट होना चाहिए। कानून में, अस्पष्टता की कोई जगह नहीं है। यहां तक कि 'कॉमा' एवं 'पूर्ण विराम' के भी कानून में गंभीर परिणाम रहे हैं। इसलिए भाषा स्पष्ट, कठोर एवं सटीक होनी चाहिए।

यहां, मैं माननीय मंत्री श्री टी. आर. बालू का ध्यान विधेयक की प्रस्तावना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां, उन्होंने लिखा है और उसे मैं उद्धृत करता हूं :

[प्रो. आर. आर. प्रमाणिक]

"जैव विविधता के संरक्षण इसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करना।"

इस प्रकार, प्रस्तावना में केवल 'साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाने' लिखा है। जबकि विधेयक के उसी पृष्ठ पर, यह भी लिखा हुआ है :

"और उक्त कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, उसके अवयवों का पोषणीय उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बांटना है।"

महोदय, यहां उपर्युक्त पैरा में 'लाभों का उचित एवं साम्यापूर्ण हिस्सा बांटने' शब्द हैं परन्तु प्रस्तावना में केवल 'लाभों का साम्यापूर्ण हिस्सा बांटना' है। प्रस्तावना में 'उचित' शब्द हटा दिया गया है। प्रस्तावना में भी 'लाभों का साम्यापूर्ण हिस्सा बांटने' के पहले 'उचित; शब्द क्यों नहीं है। इसलिए, प्रस्तावना में भी 'उचित' शब्द अवश्य होना चाहिए।

इसलिए, मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक का प्रारूपण करते समय विधेयक की भाषा सटीक होनी चाहिए। बगैर सोचे समझे कुछ भी जोड़ा अथवा घटाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए, मेरा फिर से यह अनुरोध है कि प्रस्तावना में 'उचित' शब्द जोड़ा जाना चाहिए।

जहां तक मुझे स्मरण है विधेयक को रखते समय माननीय मंत्री ने संसाधनों एवं संबद्ध ज्ञान के बारे में बताया था। परन्तु प्रस्तावना में 'ज्ञान' शब्द नहीं है। इसलिए, प्रस्तावना में मैं चाहता हूं कि 'जैविक संसाधनों के उपयोग' के पश्चात 'ज्ञान' शब्द जोड़ा जाए। इस प्रकार यह 'जैविक संसाधनों एवं ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों एवं इससे संबंधित अथवा इसके अनुवर्ती मामलों का प्रावधान करना' होगा।

उन्होंने विधेयक से 'ज्ञान' शब्द को क्यों हटा दिया है?

जब माननीय सदस्य ने विधेयक को विचारार्थ रखा तो उन्होंने 'संबद्ध ज्ञान' शब्दों का प्रयोग किया था। इसलिए, यहां ज्ञान अवश्य होना चाहिए, न केवल जैविक संसाधन, बल्कि ग्रामीण लोगों से सम्बद्ध ज्ञान भी होना चाहिए। यहां केवल संसाधन ही नहीं बल्कि ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। यदि आपके पास संसाधन हैं और कोई ज्ञान नहीं है, तो यह किसी काम का नहीं है।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, यह संशोधन में है। उन्हें संशोधनों को पढ़ने दें।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : ठीक है। फिर, पृष्ठ 2 पर लघु शीर्ष में उन्होंने 'यह अधिनियम जैव विविधता अधिनियम, 2000 कहलाएगा के रूप में उल्लिखित किया' ऐसा क्यों है? इसे 2002 कहना चाहिए।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, यहां सबकुछ है। उन्हें संशोधनों को पढ़ने दीजिए। वह सिर्फ सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय कहते हैं कि संशोधनों में सभी का उल्लेख है। आप कृपया संशोधनों का संदर्भ दें।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : पुनः खण्ड 2(ग) में, विधेयक के अनुसार :

"जैवि संसाधनों से जीव–जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग... ।"

परन्तु इसका उल्लेख इस प्रकार होना चाहिए : जैविक संसाधनों का तात्पर्य सभी पौधों, सभी जन्तुओं एवं सभी सूक्ष्म जीवों से है,...' इसलिए उन्हें उस पर जोर देने के लिए 'सभी' शब्द को अवश्य जोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी को भी छोड़ा नहीं गया है।

दूसरे मुद्दे पर आते हुए मुझे यह कहना है कि विधेयक में कहीं पर उसका उल्लेख 'जैव विविधता' के रूप में किया गया है और कहीं पर इसका उल्लेख 'जैविक विविधता' इत्यादि के रूप में किया गया है। मेरा मुद्दा यह है कि केवल 'जैव' का उल्लेख करने का मतलब 'जैविक' नहीं है। क्योंकि जैव भौतिकी, जैव संसाधन, जैव–विविधता इत्यादि भी हैं। इसलिए केवल 'जैव' का उल्लेख करने का मतलब 'जैविक' नहीं है। इसलिए, मंत्रीजी को इस विधेयक में यह परिभाषित करना होगा कि 'जैव' का तात्पर्य 'जैविक' है। इस विधेयक के, खण्ड 2 में उसे यह परिभाषित करना है कि 'जैव' का तात्पर्य 'जैविक' जैसा ही है। यदि ऐसा किया जाता है, तो वह मुक्त रूप से 'जैव' शब्द का उपयोग कर सकता है। अन्यथा, इसे भ्रम होगा। उदाहरणार्थ 'खगोलीय भौतिकी', 'खगोल विज्ञान', 'खगोल शास्त्र', इत्यादि जैसे शब्द भी हैं। यदि हम इसे सिर्फ 'खगोल' कहते हैं तो क्या इसका तात्पर्य 'खगोल शास्त्र' है। इसलिए, उन्हें 'जैव' शब्द को 'जैविक' रूप में परिभाषित करना होगा।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मैं माननीय मंत्री का ध्यान खण्ड 2(ठ) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने 'अनुसंधान' शब्द को परिभाषित किया है। इसके अनुसार :

"अनुसंधान किसी जैव संसाधन का अध्ययन या क्रमबद्ध अन्वेषण या उसका प्रौद्योगिकीय उपयोजन अभिप्रेत है,..."

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल 'अध्ययन' को 'अनुसंधान' नहीं कहा जा सकता है। विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। क्या इसका तात्पर्य यह है कि क्या वह अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इसलिए, केवल अध्ययन को अनुसंधान के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसे 'अध्ययन एवं क्रमबद्ध अन्वेषण' के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए। अन्यथा, इसका मतलब यह होगा कि प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी अपना अनुसंधान कर रहे हैं। इसलिए, मेरा संशोधन यह है कि इसे 'अध्ययन एवं क्रमबद्ध अन्वेषण' लेना चाहिए।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मैंने बहुत कम समय लिया है।

सभापति महोदय : आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मैं सभा का समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। मैं गणित का विद्यार्थी हूं। मैं समय का मउत्व जानता हूं। मैं केवल मुद्दों के संबंध में ही बोल रहा हूं।

विधेयक के खण्ड 8(3) के अनुसार :

"राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय चैन्नई में होगा।"

माननीय शिवराज पाटील ने कहा है कि इसको कलकत्ता में होना बेहतर होगा। मैं पश्चिम बंगाल का हूं, परन्तु मैंने कभी भी कलकत्ता में मुख्यालय की वकालत नहीं की। मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि चेन्नई, राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण के मुख्यालय के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।

मैंने कभी भी कलकत्ता की दलील नहीं दी परन्तु श्री शिवराज पाटील की यह बात सुनने के पश्चात कि इसके लिए सर्वोत्तम स्थान कलकत्ता होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि यह दिल्ली में स्थित होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : चेन्नै सबसे आदर्श स्थान होगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। इस मुद्दे पर कोई लडाई नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : इम सभा में मेरा तर्क है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में स्थित होना चाहिए न कि चेन्नै में। दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : महोदय, मुझे एक बात कहनी है। कृपया अध्याय 3 खण्ड–8, उप–खण्ड 5 देखिए। इसमें कहा गया है 'औषधि और होम्योपैथिक की भारतीय पद्धतियां'। इसे 'भारतीय हर्बल चिकित्सा पद्धति' के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : महोदय, मैंने कितना समय लिया है?

सभापति महोदय : आपने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं। आपको 11 मिनट का समय आवंटित किया गया था। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : अध्याय 3, खण्ड 13 में कृषि जैव विविधता के बारे में बात की गई है। श्री शिवराज पाटील ने ठीक की कहा है कि यह परिभाषा के अंतर्गत खण्ड 2 में आनी चाहिए। आप यहां कृषि–जैव विविधता शब्द को परिभाषित कर रहे हैं। इसलिए, यह खण्ड 2 के अंतर्गत अपनी चाहिए।

अब अध्याय 3, उपखण्ड 16 पर आते हैं। इसमें कहा गया है :

"राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी सदस्य का अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो

[प्रो. आर. आर. प्रमाणिक]

इस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं। इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों"

इसलिए, यह शक्तियों का प्रत्यायोजन है। मैं मंत्री जी से इस भाग को हटाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाएगा। यदि यह वहां है तो कुछ अक्षम तथा अकुशल लोगों को यह शक्ति प्रत्यायोजित हो सकती है। वह सक्षम और कुशल व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए इसे प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अक्षम और अकुशल व्यक्तियों की नियुक्ति होने की सभावना रहती है।

अब मैं अध्याय 6, खण्ड 22, उप–खण्ड 4(ख) पर आता हूं। इसमें कहा गया है,

"राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच से अनधिक पदेन सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।" मेरा कहना है कि इसके बजाय इसे इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, "संबंधित और सम्बद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच से अनधिक पदेन सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।" यह संबंधित और सम्बद्ध विभाग होने चाहिए ताकि वे सक्रिय रूप से भाग ले सकें अन्यथा किसी विभाग से कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : यह सम्बद्ध और संबंधित विभाग से होना चाहिए। अन्यथा हेराफेरी से कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक निम्नतम स्तर पर रहने वाले लोगों अर्थात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिनके पास में चिकित्सीय पादप है और जिन्हें इसका ज्ञान भी है, के हितों की रक्षा के लिए है।

अब, बहुराष्ट्रीय कम्पनिया डालर लेकर आएंगी। वे इस धन का दुरुपयोग करेंगी और खूब पैसा बनाएंगी। परन्तु ये गरीब लोग अपने वैद्य दावे से वंचित हो जाएंगे। इसलिए, जनजातीय, आदिवासी, ग्रामीण लोगों, निरक्षर लोगों और निर्धन लोगों के लिए उचित तथा समान भागीदारी की रक्षा की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और धनी हो जाएगी तथा हमारे लोग और गरीब हो जाएंगे। हमें गरीब लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जैव विविधता विधेयक, 2000 पर बोलने का मौका प्रदान किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। जैसा दिखाई पड़ रहा है कि पर्यावरण रक्षा के लिए पुराने कानून थे, उनके अंदर बहुत ही कम्प्रीहैन्सिव नेचर की जरूरत थी, जिसे मंत्री जी इस बिल के माध्यम से लेकर आये हैं। कन्जर्वेशन का जो परपस है, उसको जरा बड़े आधार पर लाने के लिए मंत्री जी यह बिल लाये हैं।

इसके साथ एक बहुत बड़ी चिन्ता हमारे सामने आ रही है कि पूरी धरती का भूमंडलीकरण हो रहा है। जो मल्टी नैशनल्स कम्पनियां हैं, जिनके पास बहुत फाइनेंशियल मस्सल है, टेक्नीकल मस्सल है, वे हिन्दुस्तान के बडे जीन पूल के ऊपर निगाह गढ़ाये हुए हैं, जिसे वह एक्सप्लायड कर सकें। जो पेटेंट के कानून सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे सभी कम्पनियां जो पेटेंट हासिल कर रही हैं, वे पूरी धरती के ऊपर एक विमुक्त एकाधिकार के माध्यम से काम करना चाहती हैं। इससे बहुत बडा असर यह पड़ने वाला है कि जितने भी विकासशील देश हैं, भारत भी जिनमें से एक है, उसकी पूंजी निकलकर उन विकसित देशों के पास पहुंच जायेगी, मल्टी नैशनल्स कम्पनियों के पास पहुंच जायेगी।

जो प्रावधान आपने दिये हैं, वे बहुत इलैबोरेट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कन्जर्वेशन का जो उद्देश्य है, वह बहुत बड़ा हे। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक दुधवा नैशनल टाइगर रिजर्व पार्क और बायोस्फियर रिजर्व है। उससे हम बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। उसका जो मकसद है, उद्देश्य है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन्वाल्व है या जो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट है, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई नया डिटेल आपने दिया है कि कैसे आप इसको इम्प्रूव करेंगे। मेरा कहना है कि प्रौब्लम कन्जर्वेशन की नहीं है, प्रौब्लम तो कन्जर्वेशन की मशीनरी से है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिस परफोर्समैंस है, उसकी प्रौब्लम है।

आज हालत यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तौर–तरीका है, उसका स्थानीय जनता से कॉनफ्लिक्ट बन चुका है। इस संबंध में मेरी कितनी बार मीटिंग हुई है। कितनी बार मैं बडी अथॉरिटीज के साथ मिला हूं। मैंने उनसे कहा कि कन्जर्वेशन का जो उद्देश्य है, कम से कम जो स्थानीय जनता

है, उसको उससे मिलाइये। स्थानीय जनता से जो कॉनफ्लिक्ट बन रहा है, उसे खत्म करिये।

मुझे अफसोस है कि आज तक कुछ भी उसके बारे में नहीं किया गया। जितने सख्त कानून हुए हैं, उन सख्त कानूनों के अंदर उन्हीं ने सजा भुगती है जो जंगल के पड़ोस में रहते हैं। यह बहुत बड़ी चिन्ता है, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तरफ आप इस आब्जेक्टिव को इतना इलैबोरेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसमें इन्वाल्व है, जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी उसमें इन्वाल्व होगी, उसके बारे में आप देखें कि उसका एक अलग ही कैडर हो, जो इस परपस के लिए काम करता हो। ऐसा न हो कि हिन्दुस्तान की जो प्रशासनिक मशीनरी के जो तौर–तरीके हैं, उसका वे शिकार न जो जायें।

चूंकि आप कम्प्रीहैन्सिव बिल लाये हैं, मैं समझता हूं कि आपने बहुत सी चीजें इसमें कवर की हैं। खासकर एक बात इसमें कवर की है कि जो लोकल बाडीज हैं, जो स्थानीय जन प्रतिनिधि हैं, जो गांव या कस्बों की लोकल बाडीज हैं, उनका रोल इसमें लेने की बात है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक चिंता है कि जब आपने इस बिल को फार्मूलेट किया है, जब आप कानून पास कराने जा रहे हैं तो उसके साथ एक बड़ा इम्पोर्टैंट वर्किंग एजेंडा भी होना चाहिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। सन् 2005 के बाद डब्ल्यू.टी.ओ. का कन्जर्वेशन कम्पलीट हो जायेगा और उदारीकरण की प्रक्रिया चालू हो जायेगी। इन तीन वर्षों के अंदर लोकल बाडीज की जो मशीनरी हैं, अगर उसमें हम पीपल्स पार्टीसिपेशन बढ़ा नहीं पाये, अगर हम उनका पूरा–पूरा कन्ट्रीब्यूशन ले नहीं पाये, उनको इस परपस के लिए ट्रेंड नहीं कर पाये, अगर हम इसका महत्व उन्हें नहीं बता पाये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा।

अभी एक बात आई, आदरणीय पाटिल साहब कह रहे थे कि इसमें खाली जीन पूल ही नहीं, ह्यूमन बिहेवियर भी शामिल है। खेती एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन एंटरप्राइज है, जो इससे लगभग पूरी तौर पर जुड़ा हुआ है, जो खेती की हमारी प्रैक्टिसेज एडाप्ट की जा रही हैं, उन प्रैक्टीसिज से हमारा जीन पूल कहीं न कहीं डिप्लीट हो रहा है, यह चीज हमने अपनी आंखों के सामने देखी है कि जो हालत जंगलों की आज से 15 साल पहले थी या जो हमारे जीन पूल की हालत थी, वह आज नहीं है, जो बायोटिक प्रैशर उस पर एग्जम्प्ट हुआ है, उसकी मोनेटरिंग के लिए किस तरह से आप मैकेनिज्म खड़ा करेंगे, हांलाकि आपके पास एक्सपर्ट्स हैं। आपने यह कहा है कि हम इसमें एक्सपर्ट्स रखेंगे, लेकिन लोकल एरिया लेबल पर किस तरह से आप उस बायोटिक प्रैशर की आप मोनेटरिंग करेंगे। किस तरीके से रूरल टैक्नोलोजी आप डिलीवर करेंगे। यह एक बहुत ही कॉम्प्रीहैंसिव सबजैक्ट है कि एक बहुत ही स्टेटिक और सिंगलर एप्रोच लेकर उसके साथ में हम न्याय नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस कानून के पास होते ही हमारी सरकार के पास एक बहुत स्पष्ट और सुनिश्चित वर्किंग एजेण्डा भी होना चाहिए। उस एजेण्डे को लेकर हम कम से कम लोकल एरिया तक पहुंचें, जिन लोकल बॉडीज को हमें इन्वोल्व करना है, जिन लोकल बॉडीज की कैपेसिटी बिल्डिंग होना है, उनको फाइनैंशियल रिसोर्सेस के बारे में बताया जाना है और किस तरीके से पूरी धरती पर इस जीन पूल का कारोबार बढ़ रहा है, इससे जो मैडीशंस बनने वाली हैं या इसका जो इकोनोमिक एक्सप्लायटेशन होने वाला है, उसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी हमें देने की जरूरत है। थोड़ी देर हमें इस कानून को लाने में हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि हिन्दुस्तान में बहुत से फल, फूल और सब्जियां हैं, जिनका पेटेण्ट मल्टीनेशनल कम्पनीज ने हासिल कर लिया है। वे हमारे जीन पूल हैं, हमारी हिन्दुस्तान की धरती के जीन पूल हैं। हालांकि हमने देखा है कि बासमती के मामले में सरकार ने पैरवी की, लेकिन आखिर में यह स्थिति सामने आई, चूंकि वहां पर पैसा न होने के कारण उसकी पैरवी नहीं हो सकी और वह पेटेण्ट का अधिकार मल्टीनेशनल कम्पनी को मिल गया। जो ऐसी गलतियां हमसे हो चुकी हैं, उनके सुधार के लिए हमारे पास इस बिल में क्या प्रावधान हैं, अभी तक मुझे उसका कोई पता नहीं चला है।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब एड्रैस करें तो हमें बतायें क्योंकि संसद में हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। जो हमने पिछले पेटेण्ड कानून के माध्यम से खो दिया है, जो हमारे जीन के पेटेण्ट मल्टीनेशनल कम्पनियां हासिल कर चुकी हैं, उनके बारे में बायोडाइवर्सिटी बिल है, उसमें किस स्तर तक वे प्रभावी कार्रवाई कर सकेगा या उसके लिए कोई दूसरी एथॉरिटी आपको खडी करनी पडेगी?

सबसे बड़ी बात, चूंकि यह इतना कॉम्प्रीहेंसिव बिल है, इसकी इतनी बड़ी रेंज है, मुझे लगता है कि एजुकेशन और ओरिएंटेशन की बहुत बड़े पैमाने पर आवश्यकता होगी। क्या हमारी सरकार जो यह बायोडाइवर्सिटी एक्ट लेकर सामने आई है, क्या इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि जो समय की सीमा हमारे सामने है, उस समय सीमा के अन्दर बहुत बडे पैमाने पर जो कंजर्वेशन की थीम है या जो अपने संसाधनों को अपने तरीके से अपने हित में इस्तेमाल करने की जो हमारी

[श्री रवि प्रकाश शर्मा]

थीम है, उसे प्रोपर एजुकेशन के माध्यम से और प्रोपर ओरिएण्टेशन के मामले में पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर हर बच्चे को हम बता पाएंगे कि यह हमारी सम्पत्ति है और इस सम्पत्ति की हमें रक्षा करनी है?

आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपना भाषण छोटा करने के लिए कहा गया है क्योंकि अनुपूरक रेल बजट आ रहा है। सबसे पहले, मैं माननीय मंत्री को यह जैव विविधता विधेयक ठंडे बस्ते से बाहर निकालने के लिए बधाई देता हूं। मैं सम्माननीय साइड के सदस्यों के अच्छे विचार सुन रहा था। 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था जिसने सभी देशों को जैव विविधता के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इसलिए, किसी भी तरह से किसी ने 1950 अथवा 1951 में इसके बारे में नहीं सोचा होगा। संयोगवश भारत का संविधान 1950 में अंगीकार किया था 1951 में नहीं।

इसलिए, हम 42 वर्ष पहले रियो सम्मेलन की आशा नहीं कर सकते थे। किन्तु यह 1997 से लटक रहा है जब जानेमाने पूर्व पर्यावरण मंत्री जी सैफुद्दीन सोज यह विधेयक लाये थे और इसे 13 मई, 2000 को तेरहवीं लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी इसे ठंडे बस्ते से बाहार क्यों निकालना चाहते हैं। क्या यह जानु क्षेप प्रतिक्रिया है अथवा क्या यह संयुक्त राष्ट्र अथवा विश्व व्यापार संगठन से दबाव है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने रामसे आयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत ट्रिप्स पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए, ये कुछ बातें हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि वह हमें विश्वास में लेना चाहेंगे। इसका एक कारण है जिसके लिए मैं अपने आपको विश्वास में लेने की बात कर रहा हूं। यदि मुझे विस्तार से बोलना होता तो मैं सभी खण्डों पर बोलता। परंतु चूंकि मुझे संक्षेप में बोलने के लिए कहा गया है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा।

मूल विधेयक में गोपनीयता के संबंध में कार्य खण्ड नहीं था। यह सरकार अपने को स्मार्ट सरकार कहने में गर्व महसूस करती है। स्मार्ट सरकार का अर्थ है साधारण, नैतिकतावादी, सुलभ, जवाबदेह तथा पारदर्शी। मुझे पता नहीं कि हमें राज्यों से अथवा अपने नागरिकों से अथवा स्थानीय निकायों से गोपनीय बनाने हेतु एक नये खण्ड पर विचार क्यों किया गया। मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे।

मैं अपने दल के उप नेता श्री शिवराज पाटील से सहमत हूं। मैं वकील नहीं हूं। मैं साधारण कार्यकर्त्ता हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। परन्तु मेरी समझ में यह बहुत खराब प्रारूपित और जल्दबाजी में लाया गया विधेयक है। इसमें काफी दोष हैं। अन्यथा, दो वर्षों के पश्चात माननीय मंत्री 61 संशोधन नहीं लाते। यह कल संसदीय पत्रों के साथ हमारे पास भेजा गया था और इसलिए हमारे पास अपने संशोधन प्रस्तुत करने का समय भी नहीं था। अतः हम अपने संशोधन नहीं ला सकते। यहां 61 संशोधन हैं। हो सकता है उनमें से कुछ को स्थायी समिति की सिफारिशें शामिल हों। यह खण्ड 57 में है। मैं एक बार फिर श्री शिवराज पाटील को बधाई देता हूं क्योंकि वह स्थायी समिति के प्रवर्तक थे। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने स्थायी समिति के कुछ प्रावधानों को मान लिया है। परन्तु काफी विसंगतियां अभी भी बनी हुई हैं।

एक परामर्श के सम्बन्ध में है। व्यापक परामर्श के बारे में उल्लेख किया गया है। परन्तु मैं चाहूंगा कि मेरी बात गलत साबित हो। कृषि मंत्रालय से परामर्श नहीं किया गया। शायद कुछ व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत हैसियत से स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए। यह कहा जाता है कि काफी संख्या में लोग स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए। यह पृष्ठ 15–17 पर है। आई.ए.आर.आई. से कोई अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उपस्थित हुआ है। कृषि मंत्रालय, जो कि जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, से परामर्श नहीं किया गया। मेरा यहीं कहना है। मैं चाहूंगा कि मैं गलत साबित हो जाऊं।

श्री बी. के. देव इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि वन अनुसंधान संस्थान और इस क्षेत्र में भारत सरकार के अन्य अनेक संस्थानों से परामर्श नहीं किया गया ।

इसके बाद मछली और मत्स्यन को यहां स्थान नहीं मिला। यह कृषि का अन्य महत्वपूर्ण भाग है जिसमें समुद्र और उभयचर जीवन शामिल हैं। मैं नामावली में जाना नहीं चाहता। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के विवरण में जैव विविधता के बारे में काफी कुछ दिया गया है, तथापि आक्सफोर्ड शब्दकोष में जैव विविधता की कोई परिभाषा नहीं है। यह नयी शब्दावली है। जैसा कि ठीक-ही कहा गया है जैव विविधता और अन्य

चीजों को जानबूझकर क्यों अस्पष्ट छोड़ा गया? जैव संसाधनों को नष्ट करने वाले कानूनों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने की बात क्यों नहीं की गई? पर्यावरण मंत्रालय के एक पूर्व सचिव डा. एम.के. रंजीत सिंह ने इसे जैव अवक्रमणीय कानून कहा है।

शायद जैव संसाधनों को नष्ट करने वाले कानून जैव विविधता, जो कि पहले ही समाप्त हो चुकी है, के विनाश को रोकने की बजाय जैव विविधता के विनाश के लिए जिम्मेदार होने वाले हैं। यहां दो या तीन बातें हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को विश्वास में लें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्य सरकारें, विभाग और निगम छोटे वन्य उत्पाद यथा इमारती लकड़ी, बांस सोयल सीड्स, सोयल लीव्स इत्यादि को स्वयं निकाल सकते हैं क्योंकि कुछ राज्य जैसे हमारा राज्य, राज्य जैव विविधता बोर्डों अथवा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन के बिना ही इन चीजों से अपने साधन जुटा रहे हैं और वाणिज्यिक तथा सामुदायिक प्रयोजनों के लिए वन रायल्टी प्राप्त करते हैं। यदि माननीय मंत्री यह बात स्पष्ट करें तो मैं आभारी रहूंगा।

दूसरे, जहां तक सुरक्षित वनों और संरक्षित वन के उपयोग का संबंध है, जो 1927 के वन संरक्षण अधिनियम में है–ब्रिटिश भारत से बाहर बहुत से पुराने राज्यों में 545 विभिन्न वन अधिनियम थे जो कि लागू थे–यह उसे कैसे प्रभावित करेगा? क्या यह वन विभाग, जो कि पूरी तरह जिला वनाधिकारी के अधीन है, और जैसा कि माननीय सभापति महोदय आपको पता है कि कार्य योजनाओं तथा योजनाओं से शासित किया जाएगा? माननीय सभापति महोदय आप महाराष्ट्र में प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। क्या हमें जिला अधिकारी अथवा राज्य जैव विविधता बोर्ड अथवा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित तथा समन्वित किया जाएगा? खण्ड 18 और खण्ड 23(ख) थोड़ा अस्पष्ट हैं। यहां द्विभाजन है। इसमें थोड़ा सा भ्रम है।

मैंने मत्स्यन के बारे में उल्लेख किया है। संशोधन संख्या 27 में वे गुप्तता और गोपनीयता की बात करते हैं। इस पर हमें विश्वास में लिया जा सकता था। यह कोई रक्षा संबंधी गोपनीय अथवा ऐसी कोई गोपनीय बात नहीं है। आजकल सब कुछ वेबसाइट में उपलब्ध है। इसलिए, गुप्तता और गोपनीयता क्यों होनी चाहिए? जैव–विविधता के 'संवर्धन' से उनका क्या तात्पर्य है? 'संवर्धन' जैसी कोई चीज नहीं है। पर्यावरण के संवर्धन के बजाय इसमें करनी होगी वृद्धि अथवा इसे जैव अवक्रमणीय वस्तु को पर्यावरण के बेहतर रूप में परिवर्तन करना होगा अथवा इसे पर्यावरण का संशोधित रूप होना चाहिए। संशोधन संख्या 38 में केन्द्र सरकार से निदेशों की बात की गई है। जब तक केन्द्र सरकार के निदेशों को लागू करने और उनका पालन करने की कोई समय सीमा नहीं होगी तब तक यह उपयोगी नहीं होगा। संविधान के अंतर्गत केन्द्र सरकार को राज्यों या राज्य के किसी अधिकारी को निदेश देने के अवशिष्ट अधिकार हैं। जब तक कोई समय सीमा या समयावधि नहीं होगी तब तक इस प्रकार के निदेश निरर्थक होंगे। यह निरुद्देश्य होगा। पर्यावरण और संपूर्ण जैव मण्डल या पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति होती रहेगी।

मैं उनको संशोधन संख्या 54 के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा संशोधन है। इसमें कहा गया है।

> "इस अधिनियम के उपबंध, वन और वन्य जीव से प्रभाव अन्य संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधिनियमों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।"

अन्यथा इससे समस्या और बिगड़ गई होती। यहां वन अधिनियम 1972, पर्यावरण अधिनियम 1980 और वन संरक्षण अधिनियम आदि जैसे विभिन्न अधिनियम जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसी संसद ने इन कानूनों को पारित किया है। इसके पास निर्दिष्ट अधिकार हैं। वहां समन्वय का अभाव है। एक पक्ष को यह नहीं पता दूसरा क्या कार्य कर रहा है। क्या मंत्री महोदय इस पर स्पष्टीकरण देंगे?

यह जैव–विविधता विधान भारत की 'ट्रिप्स' और विश्व व्यापार संगठन के प्रति वचनबद्धता परिलक्षित करता है। इसलिए हमारे मन में जो आशंका व्याप्त है। वह है जैव चोरी के मामले में हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। इस संबंध में मुझे आशा है कि मंत्री महोदय जो कि अत्यन्त स्पष्टवादी व्यक्ति हैं हमारी शंकाओं को दूर करेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

जैव चोरी क्या है? आई.पी.आर. के अंतर्गत और विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कुछ बातें विहित की गई हैं। इसका अर्थ है :

> "बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रणाली के अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वदेशी उत्पादों से लेकर संसाधनों और ज्ञान के एकाधिकार के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी प्रणाली विकसित होगी जिसमें परिणामस्वरूप लोगों को उसी जैव विविधता और

[श्री के. पी. सिंह देव]

ज्ञान के प्रयोग के लिए रायल्टी देनी होगी जो पहले उन्हीं से चुराई गई थी। इसके उदाहरण नीम, हल्दी और बासमती हैं।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, बायोडायवर्सिटी बिल बहुत देर से आया है। सन् 1992 में रिओ डी जिनेरियो में कन्वेंशन हुआ, फिर 1993 में कागज–पत्र बने और संकल्प व्यक्त किया गया कि जो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता हमारे देश में है, उसका संरक्षण, संवर्द्धन और इस्तेमाल सब ठीक होना चाहिए।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में दावा किया है कि 12 देशों में एक देश हिन्दुस्तान भी है, जहां बायोडायवर्सिटी के मामले में हम लोग काफी धनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दुनिया में इसमें सबसे पीछे हैं। हमारे वेद–पुराण एवं शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियां हैं, जो दुनिया की 2.4 फीसदी जमीन है, उसमें 70 फीसदी जमीन में सर्वे करने से अभी तक 46000 पौधे और 81,000 जीवाणुओं का पता चला है। हमारे वेद–पुराण 84 लाख कहते हैं। अभी इन्हें 81,000 का पता चला है, 83 लाख 19 हजार कहां छूटे हुए हैं। इसकी कब छानबीन एवं जांच कराएंगे या देखेंगे। अब नये–नये अनुसंधान मल्टीनेशनल वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पुराना शास्त्र–पुराण कह रहा है, उसमें 84 लाख योनियों की चर्चा है–"योनी बहुमत लक्ष चौरासी" और "ईश्वर अंश जीव अविनाशी," ये रामचरित मानस के वचन हैं। अभी तक एक लाख 25 हजार योनियों का पता चला है जबकि लोग बताते हैं कि लाखों–करोडों स्पीशिज हैं। हमारे यहां जैसे भेड़ है। इस तरह का स्पीशिज हमारे यहां तीन तरह का है–एक वह है जो ऊंचे पहाड़ों पर होता है, जिसका रोआं मुलायम है और दूसरा दक्षिण में जो होता है, उसका रोआ नहीं होता है। हम लोगों की तरफ जो होता है, वह कम्बल बीनने वाला रोआं होता है। भेड़ की हिन्दुस्तान में जो जाति है, उसके दो–तीन बच्चे होते हैं। एक ऐसी बकरी होती है, जिसके हर छः महीने में तीन–चार बच्चे होते हैं। उसके जैसा खाल, चमड़ा और मांस दुनिया की किसी बकरी का है ही नहीं। यहां 26 किस्म की बकरियां हैं। विदेशों की गाय का खाली दूध ही काम में आता है, उनका बछडा किसी काम काम का नहीं होता है। हमारे यहां जो गाय की किस्म है, इनमें एक गाय ऐसी है, जिसका बछड़ा भी नम्बर एक का है और दूध भी पर्याप्त होता है। एक गाय ऐसी है, जिसका बछड़ा अच्छा होगा, लेकिन दूध भी नहीं होगा और एक वह है जिसका दूध होगा लेकिन बछड़ा खराब होगा और दूसरी ऐसी है जिसका दूध भी होगा और बछड़ा भी अच्छा होगा। हमारा यह कहना है कि सभी किस्म की गायों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये खत्म हो जाएंगी। सभी चीजों में ऐसा हो रहा है–जैसे अनाज में है। अनाज दो तरह का है, इसमें भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड है। गेहूं, धान, चना और जौ–ये चार अनाज ब्रह्मा जी ने बनाये थे।

विश्वामित्र ने बैकवर्ड क्लॉस के अनाज समा, कोदो, कऊनी, चीना, उर्दी बनाए, लेकिन आज वे लुप्त हो रहे हैं। मरुआ है जो मधुमेह विनाशक माना जाता हे। इसी तरह से मक्का है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। इस तरह की जो चीजें हमारे यहां उपलब्ध हैं उनका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। सरकार इसके लिए कानून लाई है, लेकिन कानून लाने में कितना खतरा है। माननीय अरुण घोष एक विद्वान आदमी हैं। उन्होंने लिखा है कि बायोडायवर्सिटी बिल : द ग्रेट होक्स जो बायोडायवर्सिटी पर कन्वेंशन हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि

[अनुवाद]

"जैव विविधता की परम्परा का यही उद्देश्य था। देश की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण और प्रयोग के मुद्दे पर भारत में बनाए रखने जाने वाले किसी नये विधान का यही उद्देश्य और अभिप्राय होना चाहिए। लोक सभा में प्रस्तुत किया गया विधेयक प्रभावी ढंग से मूल उद्देश्यों (सी.बी.डी. द्वारा स्पष्ट रूप से एजेन्डा में रखे गए) को नकारता है। और इसका अर्थ है कि इन संसाधनों को और उससे संबंधित ज्ञान को निगमित निकाय सरकार की अनुमति से बांटती है। यह समझने के लिए अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है कि :

(क) इस विधान से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ख) आज सरकार जो दूसरों के द्वारा चलायी जा रही है, (भारत में) वह नौकरशाहों, तकनीकी विशेषज्ञ से नौकरशाह बने लोगों और लालची तथा अभिज्ञ राजनीतिज्ञों का नापाक गठबंधन है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत निजी उद्योगपतियों के हित में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) प्रस्तावित विधान की स्वाभाविक कमी होगी कि सरकारी तंत्र की मौन सहमति से समृद्ध मोनसैन्टोजेसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैव विविधता का प्रयोग करेगी।"

अपराह्न 4.0८ बजे

(डा. लक्ष्मीनाराण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

उन्होंने मोन्सेंटो कंपनी का नाम लिखा है। मैं जानना चाहता हूं कि जो आशंका व्यक्त की गयी है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? भारत बायो–डायवर्सिटी में सबसे धनी है। चरक, सश्रुत संहिता में हरड़–बहेड़ा–आंवला, अर्जुन की छाल जिससे दिल के मरीजों का इलाज होता है–उसके हमारे यहां सबसे ज्यादा पेड–पौधे होते हैं। हरड़–बहेड़ा, सिनाए, मैथी आदि का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए तथा इसका इस्तेमाल जनता तक पहुंचाना चाहिए। हम सुनते हैं कि हल्दी का मल्टी–नेशनल पेटेंट करा रही हैं। ये जो हमारी पुरानी चीजें हैं जिनका वर्णन सहस्त्र–पुराण और दूसरे ग्रंथों में हमारे ऋषि–मुनियों ने किया है और जिनका इस्तेमाल भारत के लोग आज भी गांव–गांव में हजारों वर्षों से कर रहे हैं, सरकार को उनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। नीम की छाल और पत्ती का इस्तेमाल हम हजारों वर्षों से कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ, ट्रीप्स, गैट से हमें संरक्षण कैसे मिलेगा, सरकार इस बारे में हमें आश्वस्त करे। हमें तो पूरी तरह से लगता है कि इस बिल से मल्टी–नेशनल के आने का खतरा है। इसलिए जो जैव–विविधताएं प्लान्ट्स और जानवरों की हैं उनका हमें संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। तुलसी में कितने चिकित्सीय गुण हैं यह सभी को पता है। इन सभी को सूचीबद्ध करने की आज जरूरत है, अनुसंधान करने की जरूरत है और फिर उनका प्रयोग करने की जरूरत है। उनको सभी तरीके से बचाने के तरीके इस विधेयक में पर्याप्त नहीं हैं।

आप जो नैशनल बायोडाइवर्सिटी एथॉरिटी बना रहे हैं, वह इंडीपैंडेंट नहीं है, ऑटोनमस नहीं है और डैमोक्रेटिक भी नहीं है। ऐसे में यह कैसे ठीक काम करेगा?

यहां चेन्नई का सवाल उठाया गया है। मैं इसके बारे में तीन सवाल करना चाहता हूं। क्या सभी विशेषज्ञों ने यह कहा कि इसके हैड क्वार्टर के लिए चेन्नई ठीक प्लेस है या स्वामीनाथन साहब जो पुराने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह बिल तैयार किया, उनके हिसाब से इसे चेन्नई में रखा या माननीय मंत्री जी वहां के हैं उस हिसाब से रखा। तीनों में से एक पेच जरूर है। यह भेद यहां खुलना चाहिए। भाषण हो गया कि कोलकाता में होना चाहिए। ऐसे में कोलकाता या चेन्नई में झगड़ा होगा लेकिन बीच में पाटलीपुत्र या पटना में इसकी पंचायती होगी क्योंकि यह ऐतिहासिक स्थल है। इन सब चीजों का माननीय मंत्री जी को ख्याल रखना होगा।

अंत में मैं मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं। छितौनी–बगहा रेल लाइन निर्माण के कारण क्षति हुई या रहुआ–कुतराह रेल निर्माण के कारण क्षति हुई? आपके विभाग ने रेल विभाग को क्लीयरेंस दे दिया और रेल विभाग ने उसे घेर लिया। इससे जल जमाव हो गया और बीच के सभी जंगल नष्ट हो गए। इनकी कौन रक्षा करेगा?

बाल्मिकी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी में बहुत पुरानी जड़ी–बूटियां थीं। सरकार ने उसे वैस्टिड इंटरस्ट वालों को दे दिया और कहा कि पत्थरों को तोड़ कर समेट कर बेच दो। वहां के मंत्री जी आए थे और बालू जी से मिलना चाह रहे थे लेकिन वह इस बिल को तैयार करने में लगे थे। मैं उनका लिखित रिप्रेजेंटेशन आपको भेज रहा हूं। इन दो बिन्दुओं पर विचार करके इसे संरक्षण प्रदान किया जाए। कागजों में यह बिल पास हो जाएगा लेकिन इनप्रैक्टिस हेरा–फेरी और गड़बड़ होगी जो ठीक नहीं है। ऐसा न हो कि बायोडाइवर्सिटी का बिल निरर्थक हो जाए।

यहां यह सवाल उठाया गया कि तमाम जैव विविधता को रिकॉर्ड में लाया जाए। 17 परसैंट का सर्वे पूरा हुआ है। तमाम क्षेत्र उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी का सर्वे का किया जाए। प्रोटैक्शन, कनजर्वेशन के लिए प्रयोगशाला से जमीन तक सभी लोगों और पंचायत को इसके इस्तेमाल करने का अधिकार मिले। मल्टीनेशनल से बायोडाइवर्सिटी का सरक्षण नहीं हो सकता। इस मल्टीनैशनल आंखें लगाए बैठा है। सरकार मल्टीनेशनल से बायोडाइवर्सिटी और जीन्स को बचा नहीं सकेगी। वह सदन को आश्वासन दे कि बायोडाइवर्सिटी की रक्षा मल्टीनैशनल, डब्ल्यूटीओ और ट्रिप्स एग्रीमैंट से होगी और लोगों को लाभ होगा तथा उसका संरक्षण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : धन्यवाद महोदय। मैं इस विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों का पूरा समर्थन करता हूं फिर भी मैं इस विधेयक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं संगत प्रश्न उठा रहा हूं।

हां, यह सही है कि यह बहुत पहले से लंबित है। इसे

[श्री प्रबोध पण्डा]

पहले ही बनाया जाना चाहिए था। लेकिन विधेयक व्यापक और संक्षिप्त होना चाहिए और यह स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए।

इसमें ये सारी बातें नहीं हैं। अतः मेरे विचार में यह विधेयक पर्याप्त नहीं है। हां हमारा देश विश्व के उन 12 देशों में से है जहां भारी जैव विविधता है। यही सही है कि हमारा देश परम्परागत और धार्मिक ज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध है। लेकिन वर्तमान विश्व व्यापार संगठन परिदृश्य में, तथाकथित वैश्वीकरण के वर्तमान परिदृश्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे ज्ञान, हमारे स्वदेशी उत्पादन हमारी स्वदेशी परम्पराओं और यहां तक कि हमारे अनुभवों तक को हड़प रही हैं।

अनेक माननीय सदस्यों ने हल्दी, करेला, नीम, बासमती एवं अन्य उत्पादों के पेटेंट के संबंध में कतिपय मुद्दे उठाए हैं। ये सभी देशी उत्पाद हैं। अतः ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक की अत्यधिक आवश्यकता है। इस विधेयक के उद्देश्य एवं कारण एकदम ठीक हैं। कुछ पहलुओं की दृष्टि से इस विधेयक में मूल आवश्यकता की कमियां हैं। इससे जैवीय संसाधनों के संवर्धन को प्रोत्साहन मिलता है जिस पर माननीय मंत्री महोदय को स्वयं विचार करना चाहिए।

मेरे विचार में यह विधेयक लगभग एक पुलिस कानून की तरह ही अच्छा है क्योंकि इसमें हमारे निजी लाभ हेतु संसाधनों के सर्वनाश और अंधाधुंध दोहन में लगे अबोध शिकारियों पर विनियमन और प्रतिबंध लगाने पर जोर देता है। परन्तु विभिन्न मुद्दों को भी इसमें शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में ही वैद्यों और हकीमों के हित के बारे में लिखा गया है लेकिन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक को प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित करने की बात नहीं कही गई है।

जहां तक जैव–कृषि विविधता का प्रश्न है तो इसमें कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

सदस्यों के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि सदस्यों को सहयोजित करने की गुंजाइश है लेकिन सहयोजित सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। अतः इसमें भेदभाव है। इसमें कुछ प्रथम श्रेणी के सदस्य हैं और कुछ द्वितीय श्रेणी के। यह कैसा भेदभाव? केवल यही नहीं, अनेक खंडों में अनेक शब्द बहुअर्थी एवं अस्पष्ट हैं। प्रमुख विपक्षी दल के उपनेता श्री शिवराज वि. पाटील ने अनेक बातों को सही तरीके से उठाया है और मैं उनका समर्थन करता हूं। इस महत्वपूर्ण विधेयक के अनेक खंडों में 'सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट' शब्द लिखा गया है। इस शब्द के प्रयोग पर हमें अफसोस है। अतः महोदय यह हल्के ढंग से लिखा गया है। इस विधेयक के उद्देश्य एवं कारण अत्यंत गंभीर हैं लेकिन वे इस विधेयक में अनुस्यूत नहीं हो पाए हैं।

अतः सामान्यतः, मैं आपके विचार और आपके उद्देश्य एवं कारणों का समर्थन करता हूं लेकिन यह विधेयक ठोस, स्पष्ट एवं व्यापक होना चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इस सम्माननीय सभा में इस विधेयक को लाए। यह विधेयक 1994 से लंबित है। भारत के जैव विविधता संबंधी सम्मेलन में एक पक्ष बनने के बाद इस विधेयक पर विचार शुरू हुआ। मंत्रालय ने गैर–सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के साथ अनेक बार परामर्श हुए थे। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। स्वामीनाथन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। यह अच्छी बात है कि उस विशेषज्ञ समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें भी इस विधेयक में शामिल कर ली गई हैं। लेकिन विभाग से सम्बद्ध स्थाई समिति की कुछ सिफारिशें छोड़ दी गई हैं लेकिन मैं उनके बारे में बाद में बोलूंगा।

यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक है। जैव विविधता सबकी चिन्ता का विषय है और वर्तमान में जैव–विविधता से संबंधित पहलुओं से निपटने के लिए निम्नलिखित अधिनियम हैं : भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम। इन अधिनियमों के अतिरिक्त अब यह नया विधेयक भी ऐसी गतिविधियों को नियमित करने हेतु और अधिकार देगा और अवैध शिकार और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए अधिकारियों को और अधिक शक्तियां प्रदान करेगा।

जैव–विविधता शब्द के अंतर्गत पृथ्वी के सभी प्रकार के जीव आते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मछली, कीड़े, अन्य मेरुदंडधारी जीव और फफूंदी एवं बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीव तक आते हैं। इसमें जैव विविधता के महत्व को नहीं बताया गया है; सबको इसके बारे में पता है। जैव–विविधता हम सबको प्रभावित करती है और जैव–विविधता हमारे दैनिक जीवन का अंग है। यह ऐसा स्रोत है जिस पर परिवार, समुदाय, राष्ट्र एवं भावी पीढियां निर्भर होंगी। जैव–विविधता का खाद्य, कृषि, दवा एवं उद्योग पर प्रत्यक्ष विनाशकारी प्रभाव है। मानव इतिहास में किसी भी समय लगभग

80.000 खाद्य पादपों का उपयोग होता आया है जिसमें लगभग 150 की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती रही है।

आज, केवल 20 प्रजातियां विश्व की 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। एक समय में, लगभग सभी दवाइयां जैविक संसाधनों से प्राप्त की जाती थीं। आज भी ये अत्यावश्यक बनी हुई हैं और 67 से 70 प्रतिशत तक आधुनिक दवाइयां पौधों से प्राप्त की जाती हैं। यह सब यह दर्शाता है कि जैव–विविधता कितनी महत्वपूर्ण है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जैव–विविधता हमें अन्य अनेक उत्पाद भी प्रदान करती है, जिसके बिना जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। लकड़ी, ईंधन, बांस, फूस, चारा, उद्योग के लिए कच्चा माल इसके कुछ उदाहरण हैं।

जैव–विविधता के सौंदर्यपरक और मनोरंजनात्मक मूल्य हैं। जैव–विविधता पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखती है और विकासात्मक प्रक्रिया को जारी रखती है। अनेक अनुसंधानों और अन्वेषणों के बावजूद पृथ्वी की मौजूदा प्रजातियों की सही संख्या अभी तक पता नहीं लगी है। हालांकि विश्वव्यापी विविधता मूल्यांकन 1995 का अनुमान है कि इन प्रजातियों की संख्या 13 मिलियन से 14 मिलियन होगी लेकिन यह संख्या अभी तक अज्ञात है। आज, अनुमानित 1.7 मिलियन प्रजातियों के बारे में बताया जा चुका है और कई प्रजातियों विशेषकर सूक्ष्मजीव, अकशेरू की और निचले पौधों की खोज किया जाना शेष है।

विश्व के देशों में जैव–विविधता में समान रूप से व्यवधान पैदा नहीं किया जाता है। सौभाग्यवश, हमारा देश जैव–विविधता से समृद्ध है। भारत को विश्व के मौजूदा जैव–विविधता से संपन्नतम देशों में से एक के रूप में आंका जाता है। भारत विश्व के 12 बड़े जैव–विविधता वाले देशों में से एक है। केवल 2.4 प्रतिशत भूमि क्षेत्र में ही पहले से ही भारत में विश्व में रिकार्ड की गई 7.8 प्रतिशत प्रजातियां हैं। हमारे देश में प्रजातियों के परिरक्षण और संरक्षा को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। भारतीय लोगों के बीच अधिक जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

इन सबके बीच वन परितंत्र विशेषतः शीतोष्ण अल्पाइन से लेकर उष्णकटिबंधि नम सदाहरित वनों तक जबर्दस्त परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करता है। भारत में वनों की 16 प्रमुख किस्में हैं। भारत भी कृष्ट पौधों की उत्पत्ति के आठ प्रमुख केन्द्रों में से एक है और कृषि जैव–विविधता से समृद्ध है।

यह सब यह दर्शाता है कि भारत उन देशों में से एक है जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही हमारे देश की इस जैव–विविधतापूर्ण प्रकृति का परिरक्षण करना हमारा परम कर्त्तव्य है।

महोदय, दुर्भाग्यवश जैव–विविधता के लिए हमारे देश में खतरा अब अधिक है। जनसंख्या वृद्धि; कृषि क्षेत्रों में विस्तार; पौधों और जन्तु प्रजातियों का अत्यधिक अवशोषण; इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की कटाई; जंगल की आग; अनधिकृत रूप से मछली मारना और शिकार करना; विदेशी अन्यदेशीय प्रजातियों का प्रवेश; मृदा, जल और वातावरण का प्रदूषण; जलवायु परिवर्तन आदि जैसे कारणों की वजह से अवक्रमण, प्राकृतिक वासों का विखंडन और कमी जैव–विविधता के लिए प्रमुख खतरे हैं।

जैव–विविधता के खतरों को गंभीरता से लेना जरूरी है। हमारी प्रकृति का अत्यधिक अवशोषण प्रमुख समस्याओं में से एक है, जिससे हमारे देश में समस्याएं पैदा हो रही हैं और साथ ही पारिस्थितिकीय असंतुलन बहुत सी समस्याएं पैदा कर रहा है। अतः लोग और देश हर वर्ष इस प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय इस बात से भली–भांति परिचित हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि विश्व में उष्णता बढ़ रही है। कुछ निश्चित क्षेत्रों में न वर्षा हो रही है और न धूप निकल रही है। जलवायु की स्थिति बदल रही है। इसलिए जैविक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पहलू पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है।

1994 में आयोजित जैविक विविधता संबंधी सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया था, जैसे–जैविक विविधता का संरक्षण; जैव–विविधता के संघटकों का उपयोगी इस्तेमाल; जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। इसलिए, इस सम्मेलन के आधार पर, सरकार ने यह विधेयक तैयार किया है।

मैं विभाग संबंधी स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए दो या तीन अति विशिष्ट मुद्दों/सिफारिशों की बात करूंगा। जैव–विविधता कानून की प्रमुख विशेषताओं से हम अच्छी तरह परिचित हैं। मुझे इसके चेन्नई में होने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे खुशी है कि यह चेन्नई में है।

आपको इसकी यात्रा नहीं करनी चाहिए...*(व्यवधान)*। मै इसका समर्थन कर रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चेन्नितला : मुझे आजकल चेन्नई में ज्यादा रुचि है। इसलिए, यदि यह चेन्नई में है, तो यह कदम स्वागत योग्य है...*(व्यवधान)*

प्रश्न यह नहीं है कि यह चेन्नई में है या दिल्ली में। मैं इस बात पर जोर देना चाहता था कि ये संगठन भी उचित तरीके से काम करें। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। प्रश्न यह नहीं है कि यह संगठन दिल्ली, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम अथवा किसी अन्य क्षेत्र में है, बल्कि यह है कि बेहतर समन्वय के लिए इस संगठन के सभी कार्य उचित तरीके से हों और इन प्राधिकरणों के लिए चुने गए व्यक्ति अधिक विशिष्ट हों। हम लोगों का चयन राजनीति विचार–विमर्श के आधार पर कर रहे हैं। इस प्रकार का आचरण नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी नौकरशाह नहीं चाहिए, बल्कि इनमें उच्च प्रतिष्ठा वाले वे लोग होने चाहिए जो इसके लिए अपना योगदान दे सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री महोदय इन तथ्यों पर संज्ञान लेंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं दो मुख्य मुद्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा।

इन स्थानीय निकायों के बारे में, जैसा कि हमारे उपनेता ने ठीक प्रकार से बताया है, आपने यह कार्य स्थानीय निकायों को सौंप दिया है। महोदय, हम सभी को स्थानीय निकायों की दिशा के बारे में पता है। वित्तीय प्रतिबंध प्रत्येक सरकार के लिए है। वित्तीय अधिकारों की कमी के कारण स्थानीय निकाय अब वास्तव में अक्षम हो गए हैं। फिर भी उनके पास अधिकार हैं लेकिन धन नहीं है। यदि आप इन अति महत्वपूर्ण कार्यों को स्थानीय निकायों को सौंप रहे हैं तो वे वित्तीय समस्या के कारण इस कार्य को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। इस मुद्दे का ध्यान रखे जाने की जरूरत है। परिभाषाओं के संबंध में भी, मेरा विचार यह है कि परिभाषा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसमें मूल्यवर्धित और वाणिज्यिक उपयोग को शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

गोपनीयता के संबंध में प्रश्न है कि यह गोपनीय क्यों बना है? इसके बारे में जनता को बताया जाना चाहिए। आज के समय में लोगों के पास सूचना का अधिकार है। हम सूचना और पारदर्शिता तथा इन सभी बड़े विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे विचार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस पहलू में किसी प्रकार की गोपनीयता की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से माननीय मंत्री महोदय की इन बातों की जांच करके उनमें और निश्चित संशोधन करने चाहिए। पहले से ही सभा को 60 संशोधनों को पारित करने की आवश्यकता है। यह अपने आप दर्शाता है कि विधेयक किस प्रकार से तैयार किया गया है...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री महोदय के प्रयासों की सराहना कर रहा हूं और मैं उन्हें बधाई दे रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार से विधेयक तैयार किया गया है, मैं महसूस करता हूं कि उस पर दोबारा–दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर, यह विधेयक स्वागत योग्य है। इससे निश्चय ही हमारे पारिस्थितिकीय संपत्ति के परिरक्षण को अधिक प्रेरणा मिलेगी।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनार्टक) : महोदय, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगी क्योंकि ऐसे अधिकांश मुद्दे जिन पर चर्चा किए जाने की जरूरत थी, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री प्रमोद महाजन अचानक पहुंचे हैं और मुझे उस हैडमास्टर की तरह देख रहे हैं जो अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहता है। मैं वास्तव में बहुत अधिक समय नहीं लूंगी।

मेरे विचार से यह विधेयक महिलाओं के जीवन विशेष रूप से वन और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि नौकरशाहों द्वारा इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए परिभाषाएं और प्राधिकरण बनाना तथा हमारे लिए इसे पारित करना बहुत आसान है। लेकिन जब यह बात वास्तविकता के धरातल पर आती है तो यह भिन्न होती है। मैं इसे जमीनी स्तर से शुरू करती हूं। आप उन पंचायतों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें स्थानीय बायोमास उपलब्ध कराने इत्यादि तथा और आगे भी धन उगाहने हेतु कार्य को मानीटर करने के अधिकार दिए जा रहे हैं।

महोदय, मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री महोदय हम सब की तरह इस बात से अवगत हैं कि इस स्तर की विशेषज्ञता इतनी अल्पविकसित है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार शीर्ष पर पहुंचने वाला है। थोड़े से धन के लिए कोई व्यक्ति अपना सारा सामान ले जाने की अनुमति दे देगा, और इसे बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए वह यह कहे कि उपकर और कर द्वारा प्राप्त किया गया धन स्थानीय निकायों को दिया जाये अतः इस विषय पर दोबारा नजर डालने की जरूरत है। स्थानीय

निकायों में विकास के लिए धन की आजकल इतनी अधिक कमी है कि आप उन्हें अपना सामान या यह कहिए कि उपलब्ध दुर्लभतम प्रजातियों को बेचकर धन एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

दूसरे, मैं यह भी इंगित नहीं करना चाहती कि हम अपने बहुमूल्य ज्ञान और प्राचीन पद्धतियों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं जिन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता बल्कि जो सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के द्वारा हमें मिलती रही हैं। आज यह भी खरीदी जा सकती हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूं। दूसरे दिन मैंने एक समाचार देखा कि चीन तमिलनाडु से सिल्क साड़ी के बुनकरों को अपने देश के बुनकरों को साड़ी बुनने की तकनीक सिखाने के लिए बुला रहा है ताकि वे हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इस समय ये हमारे परम्परागत कौशल हैं जिस पर हमें गर्व है और इसका संरक्षण करते हैं और यही परम्परागत औषधियों और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का है जिसके बारे में, मैं समझता हूं, इस विधेयक के नाम पर, कुछ कीमत वसूलने के लिए किसी को भी यहां आने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और यहां तक कि हमारे परम्परागत चिकित्सकों को बाहर शिक्षा देने के ले जाने की अनुमति देंगे। यहां पैटेन्ट का कोई प्रश्न नहीं है। ये लोग यह नहीं जानते हैं कि यह सब क्या है और इससे भयंकर शोषण होगा।

महोदय, मेरी दूसरी चिंता आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी है। एक बार जब आप स्वीकृति दे देते हैं, तो ये लोग अत्यंत सुदूर क्षेत्रों में जा सकते हैं और वहां जाकर अपने अनुसंधान इकाई या अध्ययन केन्द्र सहित कोई और चीज स्थापित करेंगे। इन लोगों के इन क्षेत्रों में रहने से इसका स्थानीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिसे वास्तव में पहले नहीं खोला गया था और जहां से वह जो महत्वपूर्ण समझते हैं ले जायेंगे? इस बात पर कौन नियंत्रण रखेगा कि वे क्या ले जा रहे हैं और वे किस तरह का अनुसंधान कर रहे हैं? आपने विशेष तौर पर यहां कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगी कि ये प्रयोग या यह कार्य हो किया गया वह लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होगा और और वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वहां स्थित पौधों की किस्मों और अन्य चीजों का इन कृत्रिम आविष्कारों से नुकसान नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने में आपकी क्या विशेषज्ञता है कि वहां जो कुछ हो रहा है उससे आदिवासियों और स्थानीय लोगों के जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? रासायनों और अन्य चीजों का उपयोग प्रक्रिया में किया जा सकता है जो इस पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर सकता है जहां यह बहुमूल्य यदि मैं दूसरे तरह से कहूं तो मूल रूप से अस्तित्व में है।

महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को लंबे समय से पारिस्थितिकी उद्यान के रूप में संरक्षित किया गया है जहां वृक्षों को काटने की अनुमति नहीं है और वे पेड़ जो स्वतः गिर जाते हैं उनका इस तरह से संरक्षण किया जाता है मानो उन्हें नाश होने के बाद अंततः मिट्टी में मिल जाना है। यहां तक कि गिरे हुए और सूखे पेड़ों को भी हटाया नहीं जा सकता। हम इसी तरह के संरक्षण की बात कह रहे हैं और यदि इन सब चीजों को आज सीधे बहुराष्ट्रीय कंपनियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दोहन के लिए खुला छोड दिया जाता है तो क्या होगा? इन्डोनेशिया में जो कुछ हुआ है उस पर नजर डालिए। दक्षिण अमेरिका में जो कुछ हुआ उस पर नजर डालिए। पूरे विश्व के वर्षा वनों में जो कुछ हुआ उस पर नजर डालिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास और दोहन और तेल एवं अन्य संसाधनों के लिए खोज के नाम पर कुछ अत्यधिक बहुमूल्य वन सम्पदा का विनाश किया जा रहा है और ले जाया जा रहा है।

महोदय, अन्य बात जो मैं मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं वह है स्थानीय लोगों के बीच झगडा और इस तरह के प्रयोग। हम उन्हें "कादुजन"– कह सकते हैं जिसका मतलब हमारे क्षेत्र में है जंगल में रहने वाले लोग। यहां तक कि हम उन्हें आदिवासी या गैर आदिवासी भी नहीं कर सकते हैं। वे वन में रहने वाले लोग हैं और पर्यावरण तथा इन लोगों के बीच संबंध एवं पारिस्थितिकीय संतुलन का संरक्षण आपके मंत्रालय, आपके पर्यावरणीय कानूनों का आपके नौकरशाहों द्वारा नहीं किया गया है। सभी एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वह वन अधिकारी हों या वन रक्षक। मैं नहीं जानता कि हमारे जंगलों में कितने वीरप्पन मौजूद हैं, जो आपके सभी रक्षा और संरक्षण प्रणाली के मौजूद रहने के बावजूद वन सम्पदा का दोहन कर रहे हैं और उसे ले जा रहे हैं।

महोदय, यदि मैं कहू तो इन लोगों का प्रकृति के साथ पवित्र संबध है। वे इसकी पूजा करते है, चाहे वह वृक्ष हो, सूर्य हो या वे जिसमें भी विश्वास करते हों। संरक्षण के नाम पर उन्हें बाहर धकेल दिया जाता है और उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि उनका प्रकृति के साथ विरोध है और इन लोगों को जंगल की पहुंच से वंचित किया जा रहा है, जो वहां के वास्तविक निवासी हैं और वहां पर स्थित तथाकथित

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

उद्यान और अन्य चीजें उनके लिए मानव उत्तरजीविता के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि अन्य परिस्थितियों और अन्य पर्यावरण में वे नहीं जी सकते। यहां तक कि अभी भी, उच्चतम न्यायालय से कुछ आदेश या निर्देश आए हैं कि कई हजार परिवारों को जंगल से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय उन्हें "अतिक्रमणकारी" समझता है। इन लोगों ने वहां उद्योग नहीं लगाया है और तेल के लिए छोटे-छोटे घर बनाए हैं, वे वहां हैं और वन पर्यावरण के अभिन्न हिस्सा हैं एवं वहां की हरियाली खत्म नहीं हुई है। लेकिन उनके लिए दिल्ली से आदेश जारी किया गया है कि अमुक-अमुक तारीख से उन्हें इसे खाली कर देना है और संरक्षण के नाम पर लाखों परिवारों को बाहर कर दिया गया है, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बाहर के लोगों और उन सभी दोहनकर्त्ताओं को उन क्षेत्रों में जाने दिया जा रहा है जिसकी पहुंच से इन परम्परागत वन निवासियों को वंचित किया जा रहा है, चाहे वह पूर्वोत्तर हो, पश्चिमी घाट या हिमालय के अन्य पर्वतपादीय क्षेत्र। इसलिए, मैं पूछ रहा हूं कि संतुलन अवश्य होना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं यह भी कह रहा हूं कि कानूनों में परस्पर विरोध है।

एक तरफ, तो आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हैं कि वे यहां आएं, स्थानीय निकायों को भुगतान करें और शोषण करे और वे जो चाहते हैं करें। दूसरी तरफ, जो जंगल में रह रहे हैं और जो अत्यल्प उत्पाद पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं उन्हें आज जंगल छोड़ने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वे जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे यह बात नहीं समझ में आती कि माननीय मंत्री कैसे दोनों बातें कह रहे हैं और इन दोनों कानूनों को लागू करने की बात कहते हैं क्योंकि वे परस्पर एक-दूसरे के विरोधी हैं।

महोदय, इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की तरफ से मेरी अंतिम अपील केवल यही है कि आप कृपया अपनी वन सम्पदा और अपनी जैव विविधता को न बेचें, चाहे वह समुद्र में हो, चाहे प्रयोग हेतु जानवरों की बात हो या आपकी रेल सम्पदा हो, इसे स्थानीय लोगों और उनके हितों की कीमत पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए न बेचें।

श्री एस. मुरुगेसन (तेनकासी) : महोदय, क्या मैं तमिल में बोल सकता हूं? इसके बारे में मैंने पहले ही सूचित किया है।

सभापति महोदय : कोई भाषान्तरकार उपलब्ध नहीं है। कृपया अंग्रेजी में बोलिए।

श्री एस. मुरुगेसन : महोदय, मैं इस जैव विविधता विधेयक, 2000 का पुरजोर समर्थन करता हूं। मुझे इस प्रतिष्ठित सभा को सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि भारत वृहत् विविध केन्द्र है जहां दो प्रतिशत भूमि में विश्व के 8 प्रतिशत जीव-जन्तु एवं वनस्पति विद्यमान हैं। विश्व के 18 जाने-माने वृहत् विविध केन्द्रों में से दो भारत में स्थित हैं; वे हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। हिमालयीय जैव विविधता संबंधी अनुसंधान और विकास मामलों के निपटान के लिए अल्मोड़ा में हिमालय में अनुसंधान संस्थान स्थित है। इस समय पश्चिमी घाट में ऐसा कोई अनुसंधान और विकास केन्द्र मौजूद नहीं है। यह समय की मांग है और इस क्षेत्र के हमारे दुर्लभ पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं को बचाए रखने एवं स्थानीय लोगों द्वारा सतत तरीके से उनके संरक्षण और उपयोग हेतु तरीके सुझाने की नितांत आवश्यकता है।

एक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में, विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र, तेनकासी, का अगस्थ्यार पहाड़ी हमारे क्षेत्र में अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्ण स्थान है। मैं अगस्थ्यार पहाड़ी निरूनेलवेली में स्थित है और यह बहुत महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान भी है; इसके अलावा यह एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र कोईलम के बहुत निकट भी है। इसलिए, केन्द्र सरकार ने अपनी दसवीं योजना में, वनों के संरक्षण के लिए 1.025 करोड़ रुपए आवंटित किया।

अगस्थ्यार पहाड़ियों की जैव विविधता बहुत मूल्यवान है। सम्पूर्ण पश्चिमी घाट में उपलब्ध 3500 ऊंची प्रजाति के पौधों में से करीब 2500 यहां विद्यमान हैं। इसलिए, हमारे क्षेत्र में कई क्षेत्रों में अत्यधिक औषधीय पौधे उपलब्ध हैं। अतः प्रस्तावित संस्थान के वैज्ञानिकों को यह देखना चाहिए कि उस क्षेत्र के संरक्षण के लिए उचित जैव प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। तभी केवल हमारी नदियां पनधाराएं, चारागाह वन पर्यावास और बहुमूल्य संसाधनों को प्रदूषण, अपतृणों और प्राकृतिक स्थानिकों के अवैध संकुचन से बचाया जा सकेगा।

इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, तमिलनाडु में जनजातीय लोगों के हितों के मद्देनजर तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डा. जे. जयललिता ने वन क्षेत्रों में जनजातीय समूहों और उनके पौधों की रक्षा के लिए स्व-समूह गठित किया है। मैं चेन्नई में अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु उठाए गए कदमों का भी स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपनी

बात आप दो मिनट में समाप्त करें और अपना वायदा निभाएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा।

महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री को चेन्नई में मुख्यालय स्थापित करने के लिए बधाई देना चाहूंगा। अभी, श्री पांडियन मेरे बगल में बैठे हैं। माननीय मंत्री की पूर्व में शिकायत थी कि पुलिस ने चेन्नई में उन्हें उत्पीड़ित किया और अब आज उनकी यह शिकायत है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर उनको अपना नाम अंकित करवाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसलिए, चेन्नई में मुख्यालय स्थापित करने के लिए अंतिम निर्णय लेने के पूर्व उन्हें इन दो पक्षों पर विचार करना चाहिए। वह एक मात्र संसद सदस्य हैं जिनको संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर नाम अंकित करने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में हमारी कोई समस्या नहीं है। हम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास की योजनाओं में अपना नाम अंकित करते हैं लेकिन आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मुझे गलतफहमी है, यदि उनके अनुसार, ए.आई.ए.डी.एम.के. और डी.एम.के. के सदस्यगण जैव विविधता वाली प्रजाति समझे जाएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह बड़ी विचित्र बात है कि मुख्यालय चेन्नई में स्थापित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। हमने इस सभा में कई विधेयकों पर चर्चा की है। और प्रायः सभी मामलों में किसी संस्थान का मुख्यालय दिल्ली में होता था। लेकिन अपवाद स्वरूप यहां एक विधेयक है जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रस्तावित संस्थान का मुख्यालय चेन्नई में होगा। मुझे लगता है यह संभव हो गया है क्योंकि श्री बालू इस विधान की पहल करने वाले हैं।

श्री के. मलयसामी : यह विकेन्द्रीकरण है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, अब मैं विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करूंगा।

इस विधेयक में जैव–विधता को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है,

"जैव विविधता" से सभी संसाधनों से सप्राण जीवों के बीच परिवर्तनशीलता और पारिस्थितिकी जटिलताएं जिनके वे भाग हैं अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत प्रजातियों में या प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों में विविधता भी है।"

किन्तु, अब क्लोन मानव के लिए खोज जारी है और हो सकता है कि अगले जनवरी तक विश्व में क्लोन बेबी का आगमन हो जाए। हालांकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी आने वाले दिनों में हमें अपने विचारों और खोजों का आदान–प्रदान करना होगा। यदि पाश्चात्य देश किसी विशेष राष्ट्र में क्लोनिंग की अनुमति देते हैं और वे अपने विचारों का हमारे साथ आदान–प्रदान करते हैं, तो हम भारत में भी क्लोनिंग की अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए, इसके सिद्धान्त पर ही प्रतिबंध होना चाहिए। यह एक विस्तृत परिभाषा है। इसलिए मुझे आशंका है कि बदलते परिवेश में ऐसी चीज विकसित हो सकती है।

वर्तमान परिदृश्य में किसी न किसी रूप में हम पैटेन्ट संबंधी अधिकारों के मामले में भी कतिपय कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। इस संबंध में विश्व अदालत में मामले अंकित हैं। बासमती भारतीय चावल की एक किस्म है। उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण अब हम बासमती चावल के पै टेन्ट अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : इसी तरह का मामला नीम और हल्दी के साथ भी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, अब हम अपने विचारों का आदान–प्रदान अन्य राष्ट्रों के साथ कर रहे हैं। किन्तु, अन्य राष्ट्रों के साथ विचारों के आदान–प्रदान की इस प्रक्रिया में इसे प्रथा के रूप में नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे कि हम अपने संसाधनों और बहुमूल्य सूचनाओं को अन्य राष्ट्रों में भेजते रहें और बदले में हमें कुछ नहीं मिले। हमारे देश में पौधों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि केरल के जंगलों में एक ऐसा पौधा उगता है जो कैंसर को ठीक कर सकता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ऐसा है क्या?

श्री वरकला राधाकृष्णन : हां, इससे कैंसर ठीक हो सकता है। इस पर अनुसंधान चल रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने हमें बताया है कि इससे लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। कुछ मामलों में पौधे की इस विशेष प्रजाति से कैंसर ठीक भी हो सकता है।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

इसलिए, इसकी हमें जांच करनी होगी कि क्या हम इस पर कुछ अनुसंधान कर सकते हैं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कैंसर को ठीक करने वाली एक प्रभावोत्पादक दवा तैयार हो।

केरल के वनक्षेत्र में अन्य प्रजातियां भी उपलब्ध हैं जो बहुत ही प्रभावोत्पादक और लाभदायक साबित हो सकती हैं।

सभापति महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें। आप छह मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, उन्हें बोलने दिया जाए। मैं उन्हें अपना समय भी देने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय : आपके अनुरोध पर मैं पहले ही छह मिनट का समय उन्हें दे चुका हूं।

श्री राधाकृष्णन, कृपया अब समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मेरा कहना है कि यह वैश्वीकरण ही उत्पन्न हुआ है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत नुकसान में रहा है। जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने उद्धृत किया है कि वैश्वीकरण से आम लोगों को फायदा नहीं हुआ है और केवल धनी लोग ही फायदे में रहे हैं, इसलिए इससे ऐसा नहीं होना चाहिए। आम लोगों को जिन्हें कुछ दवा मिल रही है, जिनका कुछ इलाज हो पा रहा है, उन्हें वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया से नुकसान नहीं होना चाहिए।

अतः जैव विविधता की इस प्रक्रिया से निपटते समय हमें दुगनी सावधानी बरतनी होगी और पूरी सावधानी के साथ हमें वे सभी उपाय करने होंगे जिससे कि हम इस विधान को पारित करके नुकसान में न रहें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैव विविधता के बारे में मैं अपने विचार रखता हूं। मैं अपनी बहन आल्वा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आदिम जाति के बारे में अच्छे तरीके से सोचा। हमेशा विधेयक आता है, जंगल के बारे में बातें होती हैं लेकिन उनके लिए कुछ होता नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस बारे में आल्वा बहन ने अच्छे तरीके से अपने विचार रखे हैं।

महोदय, जब कांग्रेस का राज था, उस वक्त वन विकास मंडल का कानून आया और लुटेरे अधिकारियों ने सरकार की आंखों में धूल फेंकी तथा सब जंगल काट दिए। पहले ऐसी बात थी कि 40 वर्ष से जंगल टूटने का अनुमान था। जब कानून आया तो सब जगह जंगल तोड़ दिए। वहां जो आदिम जाति का व्यक्ति है, आज उनका गुजारा नहीं होता, क्योंकि वे जंगल के ऊपर निर्भर करते थे। जंगल काटने से भूमि के ऊपर अतिक्रमण किया। जब फारिस कानून आया तो उस वक्त जो जंगल में रहता था उसे चोर ठहरा दिया गया और ये मालिक बन गए। अब स्थिति खराब हो गई है, टेलीफोन, बिजली, बांध बनाने के लिए, अन्य सुधार के कामों के लिए तथा आदिम जाति के घरों को बनाने के लिए अनुमति चाहिए। मेरा यह कहना है कि वहां के लोगों से विचार करके कानून बनना चाहिए। आदिम जाति की वहां रक्षा नहीं हो रही है, इसलिए मेरी विनती है कि स्थानीय लोगों का विचार करके इस कानून को रखना चाहिए। रघुवंश बाबू ने ठीक कहा, उन्होंने कहा कि जनता से विचार करके कानून लाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं इस बिल का कड़ा विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मैं चाहती हूं कि मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब दें। इस अधिनियम के अंतर्गत, आप उस मुद्दे पर किसी व्यक्ति विशेष को अदालत जाने का अधिकार नहीं प्रदान करते हैं जहां कानून का उल्लंघन हुआ है। अदालत जाने का अधिकार केवल केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण को ही है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। जब कोई व्यक्ति कानून से आहत महसूस करता है, तो आप उसे कैसे इस अधिकार से वंचित कर सकते हैं?

दूसरी बात है कि यदि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में ही विरोधाभास हो, तो इस पर निर्णय कौन लेगा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आठवले, कृपया बैठ जाइए। मैंने मंत्री जी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : कोई अदालत नहीं जा सकता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आठवले, आपका नाम सूची में नहीं है। आपने अपना नाम नहीं दिया है। मैंने मंत्री जी को बुलाया है। मुझे खेद है। कृपया आप बैठ जाइए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मैं इसे उद्धृत करना चाहूंगी। विधेयक के खंड 59 में कहा गया है :

> "इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान किसी न्यायालय द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।"

सभापति महोदय : श्री आठवले, आपने अपना नाम नहीं दिया है; मुझे अफसोस है, मैं अभी आपको नहीं बुला सकता हूं। मैंने उन सभी माननीय सदस्यों का नाम पुकारा है जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेने के लिए अपने–अपने नाम दिए हैं। मैं अभी आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं। कृपया बैठ जाइए। अब माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस सभा के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अधिक से अधिक जानकारी के लिए इस चर्चा में भाग लिया है और अपने–अपने विचार व्यक्त किए हैं।

विस्तार में जाने से पहले मैं न केवल इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, बल्कि दोनों सदनों की स्थायी समिति के सदस्यों, राज्य सरकारों जिन्होंने समय पर अपने विचार भेजे हैं, विशेषज्ञों, गैर–सरकारी संगठनों, केन्द्रीय मंत्रियों के विभागों और देशभर के अन्य विशेषज्ञों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

हमें समझना चाहिए कि हमारा देश एक वैश्वीकृत देश है, हमने विश्व व्यापार संगठन का समर्थन किया है। हमने ट्रिप्स समझौते का भी समर्थन किया है। वैश्वीकरण के इस परिदृश्य में हम वर्ष 1992 में रियो दि जेनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का अनिवार्य अंग रहे सी.बी.डी., जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन में एक पक्षकार हैं।

यह विधेयक राजग सरकार की रचना नहीं है। इसकी परिकल्पना वर्ष 1994 में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों द्वारा की गई थी। ये बीज उन्हीं के द्वारा बोए गए थे। कांग्रेस समर्थित पिछली सरकार ने इसका समुचित परिपोषण किया और 1997 में यह विधेयक इस सरकार से विरासत में मिला जिस सरकार में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और मैं मंत्री थे। वर्ष 1998 में, उस समय की सत्तारूढ पार्टी भाजपा और अन्नाद्रमुक की सरकार द्वारा उस विधेयक का प्रारूप परिचालित किया गया था...*(व्यवधान)* अब, मुझे अवसर मिला है, मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार मिलता है। इस सम्माननीय सदन के सदस्यों के सहयोग से यह आज पारित हो जाएगा।

मेरे कई मित्रों ने इस विधेयक का समुचित अध्ययन किया है; किन्तु इसके साथ ही वे यह भूल गए हैं कि 1980 का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, महासागर विकास अधिनियम, पशुपालन अधिनियम आदि जैसे कई अधिनियम हैं। इन सभी अधिनियमों से संरक्षण और सुरक्षा का कार्य हो सकेगा। यहां बात केवल संरक्षण, सुरक्षा और सतत प्रयोग की नहीं है, बल्कि जैव विविधता, जनन द्रव्य आदि का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को भी जैव संसाधनों और परंपरागत ज्ञान के प्रयोग से होने वाले लाभ में भागीदारी देने की बात कही गई है।

अपराह्न 5.00 बजे

प्रो. रघुवंश प्रसाद ने 'तुलसी' की बात की है। यदि कोई व्यक्ति 'तुलसी' के जननद्रव्य से उसकी एक अलग प्रजाति विकसित करना चाहता है तो उस जनन द्रव्य को प्राप्त करने के लिए उसे नेशनल बायोडायवर्सिटी ऑथोरिटी (एन.बी.ए.) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में जाना होगा जहां से उसे उसकी अनुमति मिल पाएगी। इसकी अनुमति प्रदान करने से पहले एन.बी.ए. गांव के उस व्यक्ति से परामर्श करेगा जिसे सचमुच में उस विशेष किस्म के पौधे के बारे में परंपरागत ज्ञान या अधिकार प्राप्त है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : उसे किस गांव में जाना होगा?

श्री टी. आर. बालू : इस बात के लिए वह किसी भी गांव में जाएगा जहां परंपरागत ज्ञान व्याप्त हो। उसे ग्राम प्रबंध समिति की सहमति भी लेनी होगी। इसलिए इस विधेयक में वनस्पति या प्राणिजगत के विशेष किस्म के जनन द्रव्य की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को अनुमति प्रदान करने की बात

[श्री टी. आर. बालू]

कही गई है और इससे ग्रामीण स्तर पर पूरे ग्राम्य समुदाय को लाभ मिल सकेगा। मान लीजिए, यह जनन द्रव्य किसी विशिष्ट गांव में उपलब्ध हो, तो उस व्यक्ति को ग्राम प्रबंध समिति के पास जाना होगा। यदि यह एक से अधिक राज्यों में उपलब्ध हो तो व्यक्ति को इसकी अनुमति के लिए एन. बी.ए. के पास जाना होगा। यदि यह दो या तीन से अधिक जिलों में उपलब्ध हो तो व्यक्ति को राज्य बोर्ड के पास जाना होगा। इस विधेयक पर स्थायी समिति में डेढ़ वर्षों से भी अधिक समय तक चर्चा की गई। कुछ अच्छे कारणों से इसमें विलंब हुआ। इस विधेयक में 61 संशोधन किए गए जिसके कारण इसमें विलंब हुआ। अतः इस विलंब से सभी को लाभ मिल सकेगा। यह विलंब निहायत सकारात्मक था।

मेरे एक वरिष्ठ मित्र ने हलके अंदाज में टिप्पणी की है कि एन.बी.ए. मुख्यालय चेन्नई में होना चाहिए। पहले इस मुद्दे को श्री शिवराज पाटील ने उठाया और प्रो. रघुवंश प्रसाद ने उनका समर्थन किया। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वे कुछ समय के लिए इस ओर से ध्यान हटा लें।

मंत्री ने चेन्नई में मुख्यालय स्थापित करने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया है। "जैव विविधता" शब्द का मतलब है मानव के अलावा सभी सजीव जीवों के लिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह केवल श्री स्वामीनाथन या मंत्री के कारण है...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : सबसे पहले, थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंख बंद कर लीजिए।

सभी सजीव जीव जो जीव–जन्तु और वनस्पति हो सकते हैं, जो जंगली जीव हो सकते हैं या समुद्री जानवर भी हो सकते हैं चेन्नई में पाए जाते हैं। चेन्नई के दाहिने पश्चिम बंगाल की खाड़ी है; इसके बाएं अरब सागर है; एवं इसके पीछे केप केमोरिन, हिन्द महासागर, इसके दाहिने पश्चिमी घाट है और इसकी बाईं तरफ पूर्वी घाट है। यह चार राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा और कर्नाटक से घिरा हुआ है जिनमें कृषि–जैव–विविधता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। बड़ी संख्या में वहां औषधीय पौधे हैं, यह जैव–विविधता से समृद्ध है। ऊटी और कोडइकैलाल में वृहत् जैव–विविधता मौजूद है। इसलिए, इन सभी जैव–विविधता, जीव जन्तु वनस्पति की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण, मैंने नहीं, मंत्रालय ने चेन्नई में मुख्यालय स्थापित करने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अलावा, दिल्ली सब जगहों से काफी दूर है। केवल यही नहीं, यहां कई सरकारी मुख्यालय पहले से ही स्थित हैं। लेकिन साथ ही दिल्ली में मुख्यालय स्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने एक अच्छा काम किया है।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : हमें यह देखना होगा कि हम चेन्नई में सुरक्षित हैं या नहीं। मेरा यही कहना है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, श्री चेन्नितला ने पूछा कि क्या हम चेन्नई में सुरक्षित हैं या नहीं। मैं यह कहना चाहूंगा कि कानून का अनुपालन करने वाले सभी नागरिक चेन्नई में सुरक्षित हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले मंत्री को अपना जवाब देने दें।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, इस विशिष्ट सभा के उपनेता ने उल्लेख किया है कि ग्रामीणों को इस मुद्दे से निबटने की पर्याप्त जानकारी नहीं है। बहुत आदर के साथ, मैं उनकी बातों से सहमत हूं लेकिन इसी समय मैं यह भी कहूंगा कि कोई दूसरा नहीं उनके प्रतिष्ठित नेता राजीव गांधी ही थे जो पूरी जिंदगी ग्राम पंचायतों को अधिकारिता देना चाहते थे। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमें ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न नहीं करना चाहिए?

श्री शिवराज वि. पाटील : आपका रवैया सही है। यह जानकारी गांवों में है, यह जानकारी ग्रामीणों में है और इस ज्ञान का संग्रह किया जाना चाहिए, इसका विश्लेषण और उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन वे स्वयं ऐसा सबकुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, विशेषज्ञों का एक निकाय होना चाहिए जो उनकी सहायता कर सकें। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मैं श्री शिवराज पाटील को धन्यवाद देता हूं। वस्तुतः अपने मंत्रालय के भीतर इसी बात की ओर मेरे कुछ अधिकारियों ने इंगित किया था। मैं इससे सहमत हूं। वास्तव में स्थानीय पंचायतों या ग्राम प्रबंधन समितियों की क्षमता का मजबूती के साथ विकास करना होगा क्योंकि उनके पास तकनीकी जानकारी है और उन्हीं के पास परंपरागत ज्ञान भी है लेकिन उन्हें तकनीकी और संस्थागत

सहायता की जरूरत है। इसलिए नियम बनाते समय और उनके अधिकार सम्पन्न बनाते समय, निश्चित रूप से, इन बातों पर गौर किया जा सके।

श्री बी. के. देव ने कहा है कि कई जंगलों की भूमि में परिवर्तन किया गया है। मैं विषय से ध्यान नहीं हटाना चाहता, लेकिन इसी के साथ–साथ मैं कहना चाहूंगा कि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने से पहले प्रति वर्ष 1,50,000 हेक्टेयर भूमि में परिवर्तन किया गया। अब, पिछले कई वर्षों से, प्रति वर्ष केवल 25,000 हेक्टेयर भूमि का ही गैर–वन कार्यों के लिए अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है। इसलिए, मैं अपने मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह किसी तरह की आशंका न पालें। हम इस मुद्दे पर ध्यान रखेंगे।

श्री प्रमाणिक ने "जैव–विविधता" जैसे पदावली के औचित्य पर टिप्पणी की है–महोदय, विधेयक में कहा गया है : केवल "जैवीय–विविधता" इसलिए, मैं यह नहीं समझता कि यह सही है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा ने पूछा कि क्या जैव विविधता प्रबंधन समिति के माध्यम से स्थानीय लोगों की भागीदारी सफल होगी। हां, इसे सफल होना होगा। मैं अपने मित्रों को इतना कह सकता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : आपके पास उस तरह का उचित कार्यक्रम और एजेंडा होना चाहिए।

श्री टी. आर. बालू : हमने संयुक्त वन प्रबंधन शुरू किया है। इसके अनुसार, 65,000 ग्राम समितियां हैं जो सही कार्य कर रही हैं। हमारा लक्ष्य बहुत कम समय में करीब एक लाख संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित करने का है और तीन–चार महीनों के भीतर ही हम उन्हें गठित कर देंगे। यह बल देने वाले मुख्य क्षेत्रों में से एक है और हम यह देखेंगे कि संयुक्त वन प्रबंधन समितियां मजबूत हों। उन समितियों में निश्चित रूप से आपके विचारों पर गौर किया जाएगा।

मुझे लगता है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और भारतीय जैविक सर्वेक्षण (बायोलोजीकल सर्वे आफ इंडिया) से संबंधित एक प्रश्न के अलावा डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया गया है। भारत में जीव–जन्तु और वनस्पति जगत पर अनुसंधान में लगे वह प्रमुख सरकारी गठबंधन हैं। इन संगठनों ने अब तक 48,000 वनस्पति प्रजाति और 81,000 पशु प्रजातियों से भी अधिक संख्या रिकार्ड की है। इन संबंध में अनुसंधान जारी है। इन संगठनों को भविष्य में भी मजबूत किया जाएगा।

श्री प्रबोध पाण्डा ने आशंका जाहिर की कि वैद्यों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान की कोई संभावना नहीं है। नियम बनाते समय, हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। वास्तव में वैद्य और कृषि विशेषज्ञों को पहले ही इस कानून से छूट दे दी गई है। वे कहीं भी जा सकते हैं और इस क्षेत्र में उन्हें जो चाहिए वह मिलेगा। इस बारे में कोई समस्या नहीं है। साथ ही, ग्राम समितियां यह देखने के लिए उन लोगों पर निश्चित रूप से गौर करेंगी कि उनके विचारों को भी शामिल किया जाए। उन्हें ग्राम समितियों में भी शामिल किया जाएगा।

श्री रमेश चेन्नितला ने उस स्थान से अपनी निकटता के कारण चेन्नई कार्यालय के प्रस्ताव का समर्थन किया है। वह इस प्राधिकरण का सफल कार्यकरण देखना चाहते हैं। उनकी शुभकामनाओं और सहयोग से स्वाभाविक रूप से उनके अनुमान के अनुकूल राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण निश्चय ही सही तरीके से कार्य करेगी।

मैडम मार्ग्रेट आल्वा ने कहा है कि ग्रामीणों द्वारा दुर्लभ संसाधनों को सस्ते दाम पर बेच दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ग्राम समितियों को अधिकार देते समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस पक्ष पर निश्चय ही विचार करेगी। यदि कोई विदेशी किसी विशेष क्षेत्र से जनन–द्रव्य की परंपरागत जानकारी चाहता है, तो वह शुल्क स्वरूप कोई भी राशि वसूल की जा सकती है। इसमें मुख्य बात इतनी सी है कि ग्राम समिति के परामर्श से ही किया जा सकता है। जिनके माध्यम से राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण अपनी बात रख सकेगा। नियम बनाते समय उनकी सभी बातों पर गौर किया जाएगा।

अन्ना ने परिहासपूर्ण लहजे में कुछ बात कही है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जैव–विविधता के फलों के विस्तार से आम लोग अपना उचित हिस्सा प्राप्त करने में प्रभावित नहीं होंगे। निश्चय ही इस पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री के. पी. सिंह देव ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। मुझे लगता है श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते समय उनका उत्तर दे दिया गया है। प्रस्तावित विधान विदेशियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे जैव–चोरी को कैसे रोका जाएगा, तो इसका उत्तर है, जैव–चोरी को रोकने के लिए प्रस्तावित विधान में प्रस्ताव किया गया है कि जैव संसाधनों तथा इनके ज्ञान तक अभिगम्यता शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन है जिनसे लाभ में समान साझेदारी अभिनिश्चित

[श्री टी. आर. बालू]

होती है। और साथ ही इसके लिए भारत से जैवीय सामग्री और उससे संबंधित हासिल किये गये ज्ञान पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार लेने से पूर्व उन्हें राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी होगी। यह श्री के. पी. सिंह देव द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर है।

मैं समझता हूं कि मैंने सभी बिंदुओं का उत्तर दे दिया है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : यदि किसी व्यक्ति को कानून से खतरा महसूस होता है तो न्यायालय जाने के उसके अधिकारों का क्या होगा? इसे आप केवल प्राधिकारियों पर कैसे छोड़ सकते हैं?

श्री टी. आर. बालू : राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को सिविल न्यायालय का अधिकार प्राप्त है। इसलिए किसी को न्यायालय या किसी अन्य स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। प्राधिकरण को अन्तर्भूत शक्तियां प्राप्त हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : विशेष रूप से जब कानून यह कहता है कि कोई व्यक्ति जो कार्रवाई का सहारा लेना चाहता है केवल प्राधिकरण में ही जा सकता है। और तब प्राधिकरण न्यायालय से सम्पर्क करेगा। इसका मतलब हुआ, केवल प्राधिकरण ही न्यायालय से सम्पर्क कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं।

इस देश में किसी व्यक्ति का रक्षा हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं? यह संवैधानिक अधिकार है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि केवल प्राधिकरण ही न्यायालय जा सकता है और कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है?

श्री टी. आर. बालू : हम अच्छी तरह जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 244 अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार है। यह संवैधानिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। सावधानी के लिए हमने कहा है कि सिविल न्यायालय के अधिकार इस जैव–विविधता प्राधिकरण को प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत इसे कोई नहीं रोक सकता है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, कृपया इन्हें इस बिन्दु को स्पष्ट करने दें। वे इसे स्पष्ट रूप से खंड 60 के अंतर्गत कह रहे हैं जिसे मैंने पहले पढा है कि केवल प्राधिकरण ही न्यायालय में जा सकता है और दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। यह कानून में है।

श्री टी. आर. बालू : मैं खंड 55 को पढूंगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : यह कंपनियों के बारे में है, इस पर भी मेरी आपत्ति है। किसी व्यक्ति को यह कहकर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कि जो कुछ हो रहा है वह इससे अंजान है। न्यायालय में कानून को न जानना क्षम्य नहीं है।

श्री टी. आर. बालू : कृपया खंड 55 (1) को पढें। इसमें कहा गया है :

> "जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध या उल्लंघन के किए जाने के समय उसे कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध या उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे।"

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : यदि कोई कहता है कि उसे पता नहीं था, तो क्या वह उत्तरदायी नहीं है?

श्री टी. आर. बालू : जो भी हो, राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण की शक्तियां अन्तर्निहित हैं। अधिकाधिक यदि कोई व्यक्ति जिसे इस अवसर से वंचित कर दिया गया हो तो वह संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत न्यायालय में जा सकता है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : कृपया खंड 60 पढ़ें। महोदय, उन्होंने खंड 60 के अंतर्गत मुद्दे का उत्तर नहीं दिया है।

श्री टी. आर. बालू : महोदया, कृपया संशोधन सं. 59 (ख) पढ़ें। इसमें कहा गया है :

> "(ख) ऐसे किसी फायदे के दावेदार जिसने ऐसे अपराध की और कोई परिवाद किए जाने के अपने आशय की केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप में प्राधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी या किसी न्यायालय को ...विहित रीति में तीस दिन से अन्यून की सूचना दे दी है,...परिवाद पर ही करेगा।"

अतः यह यहां दिया गया है।

महोदय, मैं सभी माननीय संदस्यों से विधेयक पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खंड-2

परिभाषाएं

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 26

"उपोत्पाद" के पश्चात "मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर" अंतःस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 2,--पंक्ति 32 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,–

(ङङ) "वाणिज्यिक उपयोग" से वाणिज्य उपयोग के लिए जैसे आनुवंशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशु-धन में सुधार करने के लिए प्रमुख औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्त और जीन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अन्तिम उपयोग अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी कृषि, बागवानी कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन या परंपरागत पद्धतियां नहीं है।" (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33

"साम्यापूर्ण" के स्थान पर "उचित और साम्यापूर्ण" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 37–

"अभाव में" के पश्चात् "संविधान के किसी अन्य उपबंध या" अंतःस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 3–

पंक्ति 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए--

(ढद) "मूल्यवर्धित" उत्पादों से ऐसे उत्पाद अभिप्रेत हैं जिनमें पौधों या पशुओं के अमान्यकरणीय और वस्तुतः अपृथक्करणीय रूप में भाग या उनके तत्व अंतर्विष्ट हो सकते हैं।" (8)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-4

अनुसंधान के परिणाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना कतिपय व्यक्तियों को अंतरित नहीं किए जाएंगे।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 29,–

"भारत का नागरिक नहीं है" के पश्चात "भारत का ऐसा नागरिक नहीं है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (30) में यथा पारिभाषित अनिवासी है" अंतः-स्थापित किया जाए। (9)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक मे जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-6

बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आवेदन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ, 4–

पंक्ति 11 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

"परन्तु यह और कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण उसको की गई अनुज्ञा हेतु आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर करेगा।" (10)

पृष्ठ 4, पंक्ति 19,–

"उपधारा (3)" के पश्चात "में निर्दिष्ट विधि" अंतःस्थापित किया जाए। (11)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया।

खंड-7

कतिपय प्रयोजनों के लिए जैव संसाधन अभिप्राप्त करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला।

सशोधन किए गए :

पृष्ठ 4, पंक्ति 23 और 24,–

"वाणिज्यिक उपयोग या जैव संरक्षण या जैव उपयोग के लिए किसी जैव संसाधन को" शब्दों के स्थान पर "वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधन या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संरक्षण और जैव उपयोग के लिए" प्रस्थापित किया जाए। (12)

पृष्ठ 4, पंक्ति 27,–

"जिनके अंतर्गत" के पश्चात "जैव विविधता के उगाने वाले और कृषक, और अंतःस्थापित किया जाए। (13)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-8

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 4 पंक्ति 31,–

"प्रयोजनों के लिए" के पश्चात "केन्द्रीय सरकार द्वारा" अंतःस्थापित किया जाए। (4)

पृ. 5, पंक्ति 2,–

"जनजाति कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक और पर्यावरण और वन" शब्दों के स्थान पर "जनजाति कार्यों से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए और पर्यावरण और वन से संबंधित" प्रतिस्थापित किया जाए। (15)

पृष्ठ 5, पंक्ति 3 और 4,–

हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता। (16)

पृष्ठ 5, पंक्ति 6,–

'पांच' के स्थान पर "सात" प्रतिस्थापित किया जाए। (17)

पृष्ठ 5,–

पंक्ति 11 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

"(vi) विज्ञान और प्रौद्यागिकी;

(vii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान;" (18)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति 17,–

"अध्यक्ष" के पश्चात "राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के" अंतःस्थापित किया जाए। (19)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 16

शक्तियों का प्रत्यायोजन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 43,–

"विवाद निपटाने" के स्थान पर "अपील करने" प्रतिस्थापित किया जाए। (20)

(श्री टी. आर बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-18

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कृत्य

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 7, पंक्ति 8,–

"साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बंटाने तक" के स्थान पर "जैव संसाधनों तक पहुंच और फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने" प्रतिस्थापित किया जाए। (21)

पृष्ठ 7, पंक्ति 17,–

"अधिसूचित" के स्थान पर "धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित" प्रतिस्थापित किया जाए। (22)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्य यह है :

"कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-19

कतिपय क्रियाकलाप करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 33,–

"भारत के बाहर" के पश्चात "धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट" अंतःस्थापित किया जाए। (23)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 19, सशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया।

खंड-20

जैव संसाधन या ज्ञान का अन्तरण

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 10,–

"जो वह आवश्यक समझे" के स्थान पर "जिन्हें वह उचित समझे" प्रतिस्थापित किया जाए। (24)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताय स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक जोड़ दिया गया।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-22

राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 9, पंक्ति 11,

"एक बोर्ड स्थापित करेगा" के स्थान पर "उस सरकार द्वारा एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (25)

पृष्ठ 9, पंक्ति 27

"संबंधित विभागों" के स्थान पर "संबद्ध विभागों" प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्तावित स्वीकृत हुआ।

खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-24

संरक्षण आदि के उद्देश्यों का उल्लघंन करने के लिए कतिपय क्रियाकलापों को निर्बंधित करने की राज्य विविधता बोर्ड की शक्ति।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10,--

पंक्ति 12 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

"(3) पूर्व–इत्तिला के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गई कोई सूचना गुप्त रखी जाएगी और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उससे कोई संबंध नहीं है, सांशय या बिना आशय के प्रकट नहीं की जाएगी।" (27)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-25

राज्य जैव विविधता बोर्ड को उपांतरणों सहित धारा 9 से धारा 17 के उपबंधों का लागू होना।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 16,–

"बोर्ड" के स्थान पर "राज्य जैव विविधता बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए। (28)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताय स्वीकृत हुआ।

खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, मंत्री जी के अलावा उस ओर से कोई भी सदस्य मत के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। प्रत्येक को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए...*(व्यवधान)*

खंड-27

राष्ट्रीय जैव विविधता का उपयोजन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 36,–

"संरक्षण" के पश्चात "और संवर्द्धन" अंतःस्थापित किया जाए। (29)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 31 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-32

राज्य जैव विविधता निधि

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 11, पंक्ति 41,–

"धारा 37 के अधीन अधिरोपित निर्बंधनों" के स्थान पर, "धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना" प्रतिस्थापित किया जाए। (30)

पृष्ठ 11, पंक्ति 43,–

"संरक्षण" के पश्चात, "और संवर्द्धन" अंतःस्थापित किया जाए। (31)

पृष्ठ 12, पंक्ति 2,–

"दिए गए आवश्यक अनुमोदन" के स्थान पर "किए गए आदेश" प्रतिस्थापित किया जाए। (32)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-34

राज्य जैव विविधता बोर्ड के लेखाओं की लेखा परीक्षा

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 9,–

"राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण" के स्थान पर "राज्य जैव विविधता बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए। (33)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 34, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 34, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-36

जैव विविधता के संरक्षण आदि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कूटनीतियों योजनाओं आदि का विकसित किया जाना।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 12, पंक्ति 16,–

"सरंक्षण" के पश्चात "और संवर्द्धन" अंतःस्थापित किया जाए। (34)

पृष्ठ 12, पंक्ति 17,–

"मानिटर करना सम्मिलित है" के स्थान पर "मानीटर करना भी है" प्रतिस्थापित किया जाए। (35)

पृष्ठ 12, पंक्ति 18,–

"प्रकृति संरक्षण के संवर्द्धन और जैव संसाधनों की प्राकृतिक बाह्य संरक्षण" के स्थान पर "के प्राकृतिक आंतरिक और बाह्य संरक्षण" प्रतिस्थापित किया जाए। (36)

पृष्ठ 12, पंक्ति 19,–

"प्रशिक्षण, लोकशिक्षा" के स्थान पर "प्रशिक्षण और लोकशिक्षा" प्रतिस्थापित किया जाए। (37)

पृष्ठ 12,–

पंक्ति 20 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

"(1क) जहां केन्द्रीय सरकार के पास इस बारे में विश्वास करने का कारण है कि ऐसे किसी क्षेत्र को जो जैव विविधता, जैव संसाधनों से समृद्ध है, और उन संसाधनों से भरपूर है, उनके अधिक उपयोग, दुरुपयोग या उनकी उपेक्षा द्वारा खतरा पैदा होता जा रहा है वहां वह संबद्ध राज्य सरकार को निदेश जारी करेगी कि वह ऐसी राज्य सरकार को कोई तकनीकी या अन्य सहायता प्रदान करते हुए तत्काल ऐसे सुधारक उपाय करे जिनको उपलब्ध कराना संभव हो या जो जरूरी हो।" (38)

पृष्ठ 12, पंक्ति 21,–

"संरक्षण" के स्थान पर, "संरक्षण, संवर्धन" प्रतिस्थापित किया जाए। (39)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38

विलुप्त हो रही जाति को अधिसूचित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 13,–

"केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात" प्रतिस्थापित किया जाए। (40)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-39

संग्रहालयों को अभिहित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 13, पंक्ति 22,–

"आविष्कार" के स्थान पर "किसी व्यक्ति द्वारा आविष्कार" प्रस्थापित किया जाए। (41)

पृष्ठ 13, पंक्ति 23,–

"और" के पश्चात "उसके द्वारा" अंतःस्थापित किया जाए। (42)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 40, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 41

जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 13,–

पंक्ति 35 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

'स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "कल्टीवर" से पौधे की ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो कृषि में पैदा होती थी और बढ़ती रहती थी या कृषि के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से उगाई गई थी;

(ख) "लोक किस्म" से पौधे की पैदा की गई किस्म अभिप्रेत है जो किसानों के बीच अनौपचारिक रूप से विकसित, उगाई और विनिमय की गई थी;

(ग) "भूमि प्रजाति" से पुरातन कल्टीवर अभिप्रेत है जो प्राचीन कृषकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उगाई जाती थी।' (43)

पृष्ठ 13, पंक्ति 41,–

"क्षेत्रों से" के पश्चात "वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए" अंत:स्थापित किया जाए। (44)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 42 और 43 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड-44

स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोजन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 14, पंक्ति 17,–

"निधिका" के पश्चात "ऐसी रीति से" अंत:स्थापित किया जाए। (45)

पृष्ठ 14, पंक्ति 20,–

"संरक्षण" के पश्चात "और संवर्धन" अंत:स्थापित किया जाए। (46)

(श्री टी. आर बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 44, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 44, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-45

जैव विविधता प्रबंध समिति की वार्षिक रिपोर्ट

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 25,–

"राज्य सरकार" के स्थान पर "संबद्ध स्थानीय निकाय" प्रतिस्थापित किया जाए। (47)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 45 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 45, संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।

खंड-46

जैव विविधता प्रबंधसमिति के लेखाओं की लेखा-परीक्षा

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 28,–

"राज्य सरकार" के स्थान पर "संबद्ध स्थानीय निकाय" प्रतिस्थापित किया जाए। (48)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 47

जैव विविधता प्रबंध समिति की वार्षिक रिपोर्ट का राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14,–

पंक्ति 30 और 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाने वाली जैव विविधता प्रबंध समितियों की वार्षिक रिपोर्टें, आदि।

"47. धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करने वाला प्रत्येक स्थानीय निकाय क्रमशः धारा 45 और धारा 46 में निर्दिष्ट और ऐसी समिति से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट और उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को जिसकी उक्त स्थानीय निकाय पर अधिकारिता हो, प्रस्तुत कराएगा।" (49)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 47, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 47, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 48 और 49 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड-50

राज्य जैव विविधता बोर्डों के बीच विवादों का निपटान

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 15, पंक्ति 16,–

"अपीलार्थी" के स्थान पर "पक्षकारों" प्रतिस्थापित किया जाए। (50)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 50, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 50, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 51 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खंड-51क

अपील

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16–

अपील पंक्ति 4 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

"51क. इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के, फायदे में हिस्सेदारी के किसी अवधारण या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के अवधारण या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त उवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा है तो वह उक्त अपील साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर फाइल किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा।" (51)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 51क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 51क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खंड-51ख

अवधारण या आदेश का निष्पादन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16–

पंक्ति 4 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

अवधारण या आदेश का निष्पादन

"52ख. इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा किया गया फायदे की हिस्सेदारी का प्रत्येक अवधारण या आदेश अथवा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड में किसी अवधारण या आदेश के विरुद्ध किसी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के किसी अधिकारी या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर, सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और उसी रूप में निष्पादनीय होगा जिसमें उस न्यायालय की डिक्री होती है।

स्पष्टीकरण–इस धारा और धारा 51क के प्रयोजनों के लिए, "राज्य जैव विविधता बोर्ड" पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी है जिसे धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन की शक्तियां और कृत्य उस उपधारा के परंतुक के अधीन प्रत्यायोजित किए गए हैं और इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से संबंधित प्रमाणपत्र, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जारी किया जाएगा।" (52)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 51ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 51ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 52 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-53

शास्तियां

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16,–

पंक्ति 10 और 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"53. (1) जो कोई धारा 3 या धारा 4 या धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और जहां कारित नुकसान दस लाख रुपए से अधिक हो वहां जुर्माना कारित नुकसान के अनुरूप होगा अथवा दोनों से दंडनीय किया जाएगा"। (53)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 53, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 53, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 54 से 56 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड-57

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 17,–

पंक्ति 3 और 4 के स्थान निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

अधिनियम का प्रभाव अन्य अधिनियमों के अतिरिक्त होगा।

"57. इस अधिनियम के उपबंध, वन और वन्यजीव से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में"। (54)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 57 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 57, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 58, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 59

अपराधों का संज्ञान

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 17,–

पंक्ति 8 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

अपराधों का संज्ञान।

"59. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान–

(क) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा; या

(ख) ऐसे किसी फायदे के दावेदार द्वारा जिसने ऐसे अपराध की और कोई परिवाद किए जाने के अपने आशय की केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को विहित रीति में तीस दिन से अन्यून की सूचना दे दी है,

किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं।" (55)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 59, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 59, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 60

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 17–

पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

"(घघ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति;"। (56)

पृष्ठ 17,–

पंक्ति 23 और 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाए–

"(च) वह प्ररूप जिसमें और प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वह समय जिस पर धारा 28 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वह तारीख जिससे पूर्व उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जाएगी;"। (57)

पृष्ठ 17,–

पंक्ति 29 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

"(जज) वह अतिरिक्त विषय जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण धारा 50 की उपधारा (6) के खंड (ज) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;

(जजज) धारा 59 के खंड (ख) के अधीन सूचना देने की रीति;"। (58)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 60, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 60, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड संख्या-61

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 18,–

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

"(ङक) धारा 23 के खंड (ग) के अधीन राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा निवर्हन किए जाने वाले अन्य कृत्य;"। (59)

पृष्ठ 18,–

पंक्ति 8 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

"(खख) धारा 34 के अधीन राज्य जैव विविधता बोर्ड के लेखा रखने और उनकी संपरीक्षा करने की रीति तथा वह तारीख जिससे पूर्व उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जाएगी;"। (60)

पृष्ठ 18,–

पंक्ति 10 और 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"(घ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय जैव विविधता निधि के प्रबंध और अभिरक्षा की रीति तथा वह प्रयोजन जिनके लिए ऐसी निधि का उपयोग किया जाएगा;

(घघ) धारा 45 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप और वह समय जिस पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(घघघ) धारा 46 के अधीन स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखा रखने और उनकी संपरीक्षा करने की रीति तथा वह तारीख जिससे पूर्व उन पर संपरीक्षा की रिपोर्ट के साथ उसके लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जाएगी;"। (61)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 61, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 61, संशोधित रूप में, विधेयक जोड़ दिया गया।

खंड 62 और 63 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड-1

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 11,–

"2000" के स्थान पर "2002" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 7,–

"इक्यावनवें" के स्थान पर "तिरपनवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उद्देशिका विधेयक में जोड़ दी गई।

पूरा नाम

संशोधन किया गया :

पूरे नाम में,–

(एक) "साम्यापूर्ण" के स्थान पर "उचित और साम्यापूर्ण" प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) "जैव संसाधनों" के स्थान पर "जैव संसाधनों और ज्ञान" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे प्रस्ताव करें कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : इस विधेयक को "बालू विविधता विधेयक" का नाम दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.43 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल)—2002-2003

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 12—अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) पर विचार करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य—सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्ष के सबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य—सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशि से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशि भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002—2003 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान की मांग राशि रु.
(1)	(2)	(3)
16	परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	7,000
	रेलवे निधियां	18,000
	जोड़	25,000

सभापति महोदय : अब श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा बोलेंगी।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, वह नहीं बोलेंगी...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : मैं बिल्कुल बोलूंगी। श्रीमान पांडियन अब आप अध्यक्षपीठ पर नहीं हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया अब बोलिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : सभापति महोदय, मैं जानती हूं कि इस सच्चाई के बावजूद कि संसदीय कार्य मंत्री मुझसे नाराज हैं, यह मात्र 25,000 रुपये के विनियोजन हेतु अनुपूरक मांग होने के कारण मैं बोलने के लिए खड़ी हूं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देती यदि वे 25000 करोड़ या कम से कम 2500 करोड़ जैसी राशि के साथ आये होते क्योंकि कई उन लंबित परियोजनाओं के लिए रेलवे और भी नीतीश कुमार ने स्वयं आश्वासन दिया है। लेकिन अब वे ऐसी चीजों में लिप्त हैं जो कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। चाहे यह नये जोन हों, चाहे ममता के इशारों पर चलने का मामला हो अथवा और कुछ ऐसा जिसे मैं नहीं जानती। लेकिन, दुर्भाग्यवश, धन उन चीजों पर लगाया जा रहा है जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वर्तमान रेल मंत्री और उनके पूर्ववर्तियों द्वारा विभिन्न बजटों में आश्वासन दिया गया।

मैं संक्षेप में ही बोलूंगी। मैं अधिक समय नहीं लूंगी और

सारी बातों के बारे में भी नहीं बोलूंगी, मैं कुछ ही विशेष मुद्दों पर चर्चा करूंगी।

एक दिन माननीय मंत्री जी बंगलौर में कर्नाटक सरकार के साथ एक ऐसे अपने ही तरह के उस के–राइड शुरू करने के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए गए थे जो कि रेलवे परियोजनाओं में निजी उद्यम की भागीदारी हेतु राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच एक पहल थी, इसके लिए सितम्बर 2000 में बातचीत आरम्भ की और इसके अन्तर्गत तत्काल प्राथमिकता हेतु कर्नाटक में चार रेल परियोजनाओं की पहचान की गई थी। उनमें एक हासन–मंगलौर रेल सम्पर्क है और अंकोला–हुबली नई लाइन भी इसी समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत आती है जिसके लिए पैसा कभी नहीं दिया गया था।

मेरे पास इन दो परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि से संबंधित चार्ट है। अंकोला–हुबली लाइन की घोषणा वर्ष (1996–97) में की गई थी और वर्ष 1996–97 में इसे स्वीकृत किया गया था। इसकी कुल लागत 997 करोड़ रूपये थी। इसके लिए पहली बार 14.6 करोड़ जारी किए; 20 करोड़ वर्ष 2001-2002 में जारी किए गए थे अन्य 20 करोड़ वर्ष 2002–2003 में जारी किए जाने हैं। 997 करोड़ रुपये में से कुल इतनी ही राशि जारी की गई है। उन्होंने बीच में ही इसे छोड़ दिया और दूसरी जगह नई लाइन आरम्भ कर दी। एक दिन कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्होंने के–राइड के लिए पहले ही 15 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया है और केन्द्र से आग्रह किया है कि औपचारिकताएं पूरी करके काम आरम्भ किया जाए।

मंत्रालय से प्राप्त पत्रों से मुझे लगता है कि इस अंकोला–हुबली लाइन का सर्वेक्षण किया गया है और कुछ 14 किलोमीटर का मिट्टी संबंधी कार्य आरम्भ किया गया है। यही सब हुआ, तब तक मानसून आरम्भ हो गया और उन्होंने कहा कि वे मानसून के बाद पुनः कार्य आरम्भ करेंगे। जो काम आरम्भ हुआ है उसे पूरा करने में कोई गम्भीरता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करती हूं कि कृपया इन क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दीजिए क्योंकि नए पत्तन तडाडी के लिए समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए गए हैं और पश्च प्रदेश हुबली से इस पत्तन के लिए फीडर लाइन है क्योंकि इससे माल की आवाजाही हो सकेगी। जब तक यह रेलवे लाइन नहीं बनेगी तब तक कर्नाटक सरकार द्वारा दक्षिण कोरिया सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में दी गई विशाल धनराशि बर्बाद होती रहेगी।

दूसरी लाइन हासन–मंगलौर रेलवे लाइन है। यह वर्ष 1994–95 में घोषित की गई थी और मैं इस सभा के समक्ष इस रेल लाइन की त्रासदी को रख रही हूं। बंगलौर से मंगलौर तक एक छोटी लाइन है। यह सबसे सुविधाजनक और नजदीकी लाइन है, जिसमें आप मंगलौर में रात को रेलगाड़ी में सोते हुए यात्रा करते हैं और सुबह बंगलौर पहुंचते हैं। कॉफी, लौह अयस्क और सभी प्रकार का सामान दूर–दराज से मंगलौर पत्तन तक आता है। मंगलौर पत्तन कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए भी कार्य करता है। यह एक महत्वपूर्ण पत्तन है। कहीं कोई लॉबी काम कर रही है। मैं खुले रूप से इस पर बात नहीं करना चाहती हूं लेकिन हम जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। इस रेलवे लाइन को बड़ी लाइन अथवा यूनीगेज में परिवर्तन के नाम पर हटा दिया गया है। उन्होंने इस लाइन को हटा दिया और इसे छोड़ दिया। हम जो कुछ था उसी से खुश थे। रेलगाड़ियां चल रही थीं। यह आश्वासन वर्ष 1994–95 में दिया गया था लेकिन इसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने लगभग 42 किलोमीटर तक कार्य किया और इसे ईश्वर की कृपा पर छोड़ दिया। मैं आंकड़े बताती हूं, अनुमान 326 करोड़ का था लेकिन 168 करोड़ व्यय किए गए, अब वर्ष 2002–03 के लिए 45 करोड़ दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह कह रही हूं कि जो कुछ उन्होंने आरम्भ किया उसे पूरा कर लिया जाए। एक दिन इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा भी हुई थी।

कृपया पुनः कहीं भी किसी नई चीज को प्रारम्भ करने और उसे अधूरा छोड़ने की बजाय उस कार्य को पूरा कीजिए जो आपने शुरू किया है ताकि उन लाइनों को पूरा किया जा सके। इससे लागत में वृद्धि होती है और स्थानीय तौर पर कुंठा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए हुबली–अंकोला क्षेत्र हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है। न तो रेलवे लाइन बनी है और न ही किसान भूमि का उपयोग कर सकते हैं। इसे अधिग्रहीत किया गया है और यह बंजर पड़ी है। हम कह रहे हैं कि आप अधूरे, अपूर्ण, उपेक्षित और विलम्बित परियोजनाओं पर ध्यान देने हेतु एक प्रकार की समिति गठित करें और सुनिश्चित करें कि ईमानदारी से कम से कम जब आप अगला बजट लायें तो आप अपने बजट का 50 प्रतिशत लम्बित कार्यों को पूरा करने हेतु आवंटित करें।

[हिन्दी]

शुरू मत करिये। शुरू किया है तो खत्म करिये। इससे एस्कलेशन भी नहीं होगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

[अनुवाद]

महोदय, बंगलोर में एक दिन एक समारोह में कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में माननीय मंत्री महोदय से सकलेशपुर–मंगलोर खंड के बारे में विशेष रूप से अनुरोध किया है। यह लगभग 142 कि.मी. लंबी है। यह अभी भी शेष है। हर वर्ष मैं रेलवे बोर्ड जाती हूं। मैं लोगों से पूछती हूं। उन्होंने कहा है कि यह 2003 में पूरी कर ली जायेगी। अब वे कहते हैं कि यह दिसम्बर 2004 में पूरी कर ली जायेगी। ये जानते हैं कि चुनाव 2004 में आयेंगे।

[हिन्दी]

कल आप कहां, हम कहां? इसके बाद कोई और आकर नई प्रायरिटी शुरू कर देगा।

[अनुवाद]

मैं केवल यह कह रही हूं कि एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। मैं उद्धृत कर रही हूं जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उस दिन कहा था :

> "मुझे यह घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि हमने गत वर्ष राज्य मंत्रिमंडल में इस परियोजना को पहले ही अनुमोदित कर दिया है और हमने चालू वर्ष में इस परियोजना में अपने निवेश के रूप में 15 करोड़ रुपए निर्धारित किये हैं। हम इस निर्माण, जो कि बहुत शीघ्र होने की आशा है, के लिए केन्द्र सरकार के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

इसीलिए, मैं आपके सामने खड़ी हुई हूं और कर्नाटक सरकार की ओर से हमारी सहायता करने की प्रार्थना कर रही हूं। क्योंकि हमारा पश्च प्रदेश पूर्णतया कट गया है। मैं कहना चाहती हूं कि मंगलोर एक सम्पन्न पत्तन था। अब समस्त यातायात का मार्ग चेन्नै से कोचीन और तूतीकोरिन की ओर परिवर्तित किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये पत्तन अब निजी निवेश हेतु अपना बढ़ा हुआ माल–यातायात दर्शा रहे हैं।

[हिन्दी]

कारगो बढ़ गया तो इनवेस्टमैंट आता है। उनको माडर्नाइज करके, प्राइवेट हैंड्स में देकर बढ़ाने के लिए है।

[अनुवाद]

मंगलोर पत्तन, जो कि सामरिक दृष्टि से सबसे अच्छे स्थान पर स्थित है, को पूरी तरह अप्रयुक्त रखा जा रहा है क्योंकि वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है और पश्चिमी घाट में विशेषकर वर्षा ऋतु में सड़क यातायात भारी मात्रा में चल नहीं सकता। यह एक बात मैं कहना चाहती हूं।

दूसरे, मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि कोंकण रेलवे का प्रश्न है। हां, यद्यपि यह निगम है परन्तु यह भी रेल मंत्रालय के अधीन है। कोंकण रेलवे बनाई गई थी और इसके साथ ही नार्थ कनारा में 'सी बर्ड' परियोजना बनाई गई। रेलवे लाइन तट के साथ–साथ चलती है परन्तु वहां पुनर्वास कालोनियां हैं, जो कि उसके बाद सी बर्ड परियोजना जो नौसेना की परियोजना है, हेतु भारी अधिग्रहण के कारण उत्पन्न हो गई हैं। जब तक इन नई पुनर्वास कालोनियों को दो अथवा तीन स्थानों पर अंडर ब्रिज अथवा सड़क सम्पर्क नहीं बनाए जाते हैं तब तक ये पुनर्वास कालोनियां पूर्णतया कटी रहेंगी। हर बार बार प्रार्थना करते रहे हैं और हमेशा खेद व्यक्त किया गया है। लोगों को अपनी मोटरबाइक अथवा जो भी उनके पास है लेकर रेलवे लाइन पार करने हेतु पुनर्वास कालोनियों, जो कि नौसेना की परियोजना के कारण बसी हैं, से होकर जाना पड़ता है।

बहुत सस्ते प्रस्ताव बनाये गए हैं परन्तु अब वे विपथन की बात कर रहे हैं जिसकी लागत करोड़ों रुपये होगी, जो कि माननीय मंत्री कभी भी स्वीकृत नहीं करेंगे। अतः हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और पुनर्वास समितियों के अनुरोधों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उनका अनुमोदन किया जाना चाहिए ताकि यह कार्य किया जा सके।

अंत में मैं समपारों तथा ऊपरी पुलों के प्रश्न का उल्लेख करना चाहती हूं। बंगलोर में शहर के बीच में रेलवे समपार हैं जहां दिन में दस से पन्द्रह बार यातायात जाम होता है। वर्षों से, पूर्व रेल मंत्री श्री सी.के. जाफर शरीफ के समय से यह प्रस्ताव आया है। हमें बताया गया था कि यह स्वीकृत हो गया है और किसी ने कहा कि

[हिन्दी]

भूमि पूजन भी हो जाएंगा लेकिन आज तक एक पत्थर उधर नहीं लगा है।

[अनुवाद]

सामान्यतः हम सबको स्थानीय लोग कोस रहे हैं। मैं स्थानीय संसद सदस्य नहीं हूं।

परन्तु हम सबको कोसा जा रहा है। एक दिन हम सबको यातायात जाम, जो कि दिन के सबसे कठिन समय में होता है, के कारण पत्थर खाने पड़ेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध कर रही हूं कि शहर के केन्द्र में इन सुविधाओं की आवश्यकता पर ध्यान दें जिनकी कमी अत्यधिक कठिनाई पैदा कर रही है। आप ऊपरि पुल बनाए अथवा अंडर ब्रिज बनाइये।

[हिन्दी]

जो भी करना है, स्टेट गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया है, कारपोरेशन ने लैंड दी है। सब कुछ है, पता नहीं काम क्यों नहीं शुरू हुआ है?

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि कृपया इस सभा में 25,000 रुपए की अनुदान की मांग न लाएं। यह संसद के एक घंटे के व्यय से बहुत कम है।

[हिन्दी]

2,500 करोड़ रुपया बजट में लेकर आते जिससे हमारा काम पूरा होता। आपको धन्यवाद देते लेकिन अब क्या होना है, पता नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय सभापति महोदय, यद्यपि आवंटन केवल 25,000 रुपए का है परन्तु यह टोकन आवंटन है। मैं बेलूर में टर्मिनल बनाने हेतु यह आवंटन करने के लिए माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करता हूं। यह बेलूर मठ जाने वाले यात्रियों की जरूरत है क्योंकि बेलूर मठ स्टेशन बेलूर मठ से दो कि.मी. दूर है।

पश्चिम बंगाल के लोगों की एक मांग थी और मैंने कोलिंग टर्मिनलों के बारे में यहां कई बार इसे उठाया है। मुम्बई में काफी कोलिंग टर्मिनल हैं परन्तु कोलकाता में केवल दो कोलिंग टर्मिनल हैं--हावड़ा और सियालदाह। शालीमार स्टेशन का विकास किया जाना था। अस्सी के दशक में शालीमार स्टेशन पर 12 प्लेटफार्मों की योजना थी, और दक्षिण--पूर्व रेलवे की सभी गाड़ियां शालीमार स्टेशन से शुरू होनी थीं और शालीमार स्टेशन पर समाप्त होनी थीं। परन्तु शालीमार कोलिंग टर्मिनल की मंजूरी के 15 वर्ष पश्चात केवल दो प्लेटफार्म बने और केवल एक गाड़ी शुरू और समाप्त होती है वह है अरण्य एक्सप्रेस। इसे पूर्णरूपेण कोलिंग टर्मिनल के रूप में विकसित नहीं किया गया।

पद्दापाकुर में अथवा सत्रागाधी में कोलिंग टर्मिनल बनाने की मांग है। मुझे बताया गया था कि रेल मंत्रालय ने राज्य सरकार को पद्दापाकुर के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए लिखा था। दमदम में भी कोलिंग टर्मिनल की आवश्यकता है। प्रति दिन सभी रेलगाड़ियां हावड़ा में आने से हावड़ा स्टेशन पर भीड़भाड़ बढ़ गई है। यह हमारा अनुभव रहा है कि रेलगाड़ियों को एक अथवा दो घंटे तक की देर हो रही है क्योंकि हावड़ा स्टेशन पर कोई क्षमता शेष नहीं है। हावड़ा स्टेशन पर डबल डिस्चार्ज प्लेटफार्म बनाने का प्रस्ताव था। यह भी नहीं किया गया। हावड़ा स्टेशन की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है और यदि वहां दो टर्मिनल हों तो ऐसा किया जा सकता है। शालीमार स्टेशन को पूर्णरूपेण कोलिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा सकता है और पद्दापाकुर या सत्रागाधी में एक अतिरिक्त टर्मिनल विकसित किया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री अगले बजट में हावडा तथा सियालदाह स्टेशनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोलकाता के लिए कम से कम तीन कोलिंग टर्मिनल निश्चित रूप से स्वीकृत करेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन का समय समाप्त हो रहा है, मैं सदन की अनुमति चाहूंगा कि जब तक चर्चा पूरी नहीं हो जाती, सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : जब तक अनुपूरक मांगें पूरी न हो जायें, तब तक समय बढा दिया जाये।

सायं 6.00 बजे

श्री बसुदेय आचार्य : जब तक सब माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे, तब तक हाउस चलेगा।

सभापति महोदय : क्या सदन इससे सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, गत सप्ताह ही रेलवे की लम्बित परियोजनाओं पर आधे घंटे की चर्चा हुई थी। पश्चिम बंगाल में काफी परियोजनाएं लंबित हैं यथा--तामलुक--दीघा परियोजना। यह परियोजना 18 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई थी।

[श्री बसुदेव आचार्य]

दीघा स्टेशन भी बनाया गया था। अब, रेल मंत्रालय इस वर्ष के अंत तक इस लाइन को कोंटाई तक पूरा करने की योजना बना रहा है जबकि दीघा तक पूरे खण्ड का कार्य पूरा करने हेतु कोई लक्षित तिथि निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे तामलुक–दीघा लाइन का केवल एक भाग 2003 तक पूरा करने की योजना बना रहा है। मेरी मांग है कि रेल मंत्रालय को तामलुक–दीघा परियोजना, जो 18 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई थी, को शीघ्र पूरा कराने हेतु एक तिथि निर्धारित करनी चाहिए। एक रेल लाइन परियोजना रेल मंत्री के राज्य में थी जो बंद कर दी गई थी। उस परियोजना को बंद करने हेतु सभा में एक विधेयक लाया गया था और यह पारित हो गया था। वह रेलवे लाइन इस्लामपुर–फतुब लाइन है। इस लाइन को पुनः चालू करने अथवा एक नई बडी लाइन का निर्णय केवल तीन वर्ष पूर्व ही स्वीकृत किया गया था। अब उस लाइन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि यह इस वर्ष में पूरी कर ली जाएगी परन्तु तामलुक–दीघा लाइन पर कार्य पूरा करने हेतु कोई लक्षित तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण लाइन, जो केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है किंतु असम के लिए भी है, वह है मयनागुड़ी जोगी घोपा बड़ी लाइन। महोदय, आपको पता है कि दोनों राज्यों यानी पं. बंगाल तथा असम से इस लाइन के संबंध में मांग की गई है। बंटवारे से पहले लोग कूचबिहार से कोलकाता तक कितने समय में आया करते थे? वे 12 घंटों में ही आया करते थे। अब धुबरी से, कूचबिहार से कोलकाता आने में न्यूनतम 30 घंटे लगते हैं। महोदय, दोनों राज्यों के लोगों की ओर से इसकी जबर्दस्त मांग है। अब पांच माह पूर्व असम तथा कूचबिहार से एक प्रतिनिधिमंडल रेल मंत्री से मिला था, मैं भी उसमें शामिल था। उस खंड के एक भाग में एक संकरी लाइन थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक माह के भीतर यह संकरी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया जाएगा।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं कैसे समाप्त कर सकता हूं? आपने पहले ही सभा का समय बढ़ा दिया है। मैं केवल पांच मिनट बोला हूं। मैं दस मिनट और बोलूंगा।

सभापति महोदय : अपने बारह मिनट बोल लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं केवल एक मुद्दे पर बोला हूं। यह मेरा दूसरा मुद्दा है। मेरे पास नौ मुद्दे हैं जिन पर मैंने बोलने के लिए नोट किया है।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : सभापति महोदय, कुल 25 हजार का मामला है, इस पर कितना बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : यह 25 हजार का मामला नहीं है, यह टोकन एलोकेशन है। इसके पीछे बहुत भारी अंक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, हम सम्पूर्ण बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं; हम केवल अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : बजट पर हम एक घंटा बोलते हैं। इसमें हमें कम से कम 15–20 मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय : आप 12 मिनट बोल चुके हैं, तीन मिनट और बोल लीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : हम 12 मिनट नहीं बोले हैं। हमें सात–साठ मिनट और दीजिए, हम जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे।

[अनुवाद]

महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजनां के दौरान रेलवे की योजना 5000 किमी. रेल लाइन बनाने की है। पश्चिम बंगाल के लोगों की मांग है कि झाड़ग्राम से पुरूलिया तक नई रेल लाइन बनाई जाए।

यह लाइन पश्चिम बंगाल के आदिवासी लोगों की आवश्यकता पूरी करेगी। यह झाड़ग्राम को पुरूलिया से जोड़ेगी। सर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया गया है और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है, लेकिन इस लाइन को मंजूरी नहीं दी गई है। रेल मंत्री को चाहिए कि अगले वर्ष के बजट में झाड़ग्राम पुरूलिया परियोजना के लिए सांकेतिक धनराशि को अवश्य मंजूरी दे।

मैं इस सभा में यह फरियाद करता रहा हूं कि एम. ई.एम.यू. रेलगाड़ियां बहुत लोकप्रिय हैं लेकिन वे कम दूरी तक

यात्रा के लिए होती हैं। रेलवे लम्बी दूरी के लिए एम.ई.एम.यू. रेलगाड़ियां चला रही है, एक एम.ई.एम.यू आंद्रा से हावड़ा तक चलाई गई है। यह पांच घंटे लेती है लेकिन इसमें प्रसाधन सुविधा नहीं है। ब्रिटिश रेलवे के पास दो तरफ की ई.एम.यू. है। एक कम दूरी के लिए तथा दूसरी लम्बी दूरी के लिए। कम दूरी तक चलने वाली ई.एम.यू. में प्रसाधन की सुविधा नहीं है, लेकिन लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में प्रसाधन सुविधा है। भारतीय रेल लम्बी दूरी की एम.ई.एम.यू. रेलगाड़ियों में प्रसाधन सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध करा सकती? डिजाइन तैयार किया जा सकता है। अन्यथा महिला यात्रियों को बिना प्रसाधन सुविधा वाली गाड़ियों में 5 घंटे तक यात्रा करना अत्यन्त कठिन है।

महोदय, धन्यवाद पठारडीही लाइन के विपथन हेतु सांकेतिक आवंटन किया गया है। 1993 में सुवर्णरेखा ट्रेन चलाई गई। यह धनबाद से झरिया–लोदना पठारडीही होकर चलती थी। अब इसके मार्ग में परिवर्तन किया गया है। झरिया अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, यह कोयला का शहर एवं व्यापार केन्द्र है। झरिया और लोदना के लोग किसी भी ट्रेन की सेवा से वंचित हो गए हैं। रेलगाड़ी के विपथन को आसान बनाने के लिए आवंटन किया गया है और इसे धनबाद से सिन्द्री तक और पठारडीही से सुदामडीही–आंद्रा–टाटानगर से लौटकर पठारडीही तक वापस आने में 45 मिनट लगेंगे। झरिया के यात्रियों को इस गाड़ी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। रेल मंत्री को उनकी रेल सेवा की मांग पर विचार करना चाहिए। अंदल से पलासथाली तक की रेल सेवा रोक दी गई है। रेल सेवा रोकने का कोई कारण नहीं है। मेरा अनुरोध है कि उस लाइन पर रेल सेवा पुनः बहाल की जाए।

महोदय, रेलवे में कार्यरत होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डाक्टरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हाल ही में मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के संबंध में एक नीति बनाई है। भारत सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति को महत्व दे रही है। रेल में 142 आयुर्वेद और होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें केवल 2,500 रुपये मिल रहे हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के डाक्टरों की सेवाएं नियमित कर दी गई हैं। उसे पता है कि अनेक कैन्टीन कामगारों जिनमें सरकारी और गैर–सरकारी दोनों हैं और जो 100 रुपये से 150 रुपये तक पाते हैं की सेवाएं नियमित कर दी गई हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कारण पार्सल पोर्टर और कमीशन बीयरर की सेवाएं नियमित कर दी गई हैं। तो ये 142 डॉक्टर जो कि मंडल अस्पताल और सेंट्रल अस्पताल में कार्यरत हैं केवल 2,500 रुपये ही क्यों पा रहे हैं?

महोदय, मेरी मांग है कि इन सभी योग्य होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाए और उनका वेतनमान एलोपैथिक डाक्टरों के समकक्ष किया जाए। राज्य सेवाओं सहित हर जगह होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक डॉक्टरों को योग्य एलोपैथिक डाक्टरों के बराबर वेतनमान मिल रहा है। लेकिन केवल रेलवे में इन डॉक्टरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए और उनका वेतन नियमित किया जाना चाहिए और उनके वेतनमान योग्य एलोपैथिक डाक्टरों के बराबर किया जाना चाहिए।

• बंदेल–कतवा रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है परन्तु आरम्भ नहीं हुआ है। इसके लिए आवंटन पहले ही किया जा चुका है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस रेलमार्ग के दोहरीकरण का कार्य तुरन्त शुरू किया जाए।

महोदय, रेलमंत्री महोदय ने बांकुरा–दामोदर नदी रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना के लिए वर्ष 2000–2001 में 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और वर्ष 2002–2003 के बजट में 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। लेकिन इस परियोजना को पूरा करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। रेना से चचाई और बांकुरा से मुकुट मनीपुर रेलमार्ग को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। रेना से चचाई मार्ग का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मार्ग के आमान परिवर्तन की एक तिथि निर्धारित की जाए जिससे कि इसे यात्रियों के लिए शुरू किया जा सके।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, सप्लीमैंट्री बजट में 25 हजार रुपये की डिमांड देखकर हमें कुछ आश्चर्य हुआ। मेरा कहना है कि मंत्री जी ने प्रस्ताव बनाया था और उन्होंने वचन दिया था कि वैशाली को रेल लाइन से जोड़ दिया जायेगा, बुद्धिस्ट सर्किट को पूरा किया जायेगा। अब हाजीपुर–वैशाली–सुगोली का सर्वेक्षण हो गया है। हमें लगा कि सप्लीमैंट्री बजट में हो जायेगा। अब शिलान्यास वगैरह होगा लेकिन वह नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य अभी तक क्यों नहीं हो रहा है?

हम कहना चाहते हैं कि हम पर जनता का बड़ा भारी

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

दबाव है। वहां आंदोलन गरमा रहा है। उसके मुताबिक अब हम बजट के दिन यहां धरना देंगे। हम आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री से और सब माननीय सदस्यों को बता देना चाहते हैं कि अब हमारे सामने लड़ने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी तरह हाजीपुर, वैशाली और सुगोली का मामला है। वैशाली जो कि ऐतिहासिक जगह है, वहां इस संबंध में 1904 से मांग हो रही है। सब लोग आश्वासन दे रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि वैशाली भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है। भगवान महावीर की जन्मभूमि है। लछवी गणतंत्र यानी जनतंत्र की जन्म भूमि है। कवि दिनकर ने कहा है कि :

"वैशाली जन का प्रतिपालक,
जन का आज विधाता,
जिसे खोजता देश आज,
उस प्रजातंत्र की माता,
रुको पथिक एक क्षण,
मिट्टी को शीश नवाओ,
राज सिद्धिओं की समाधि पर,
फूल चढ़ाते जाओ।"

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वैशाली एक ऐतिहासिक धरती है। उसको जो रेल मार्ग से जोड़ेगा, वह भी ऐतिहासिक पुरुष होगा। इसलिए हमारा ऐलान है कि यदि यह कार्य नहीं होगा तो हम बजट के दिन इस सदन के सामने, मंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने धरना देंगे। उसके बिना और कोई उपाय हमारे पास नहीं है।

सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर रेल लाइन का काम है। मुजफ्फरपुर की तरफ तो तीव्र गति से कार्य चल रहा है। कांची में हमारे यहां एन.एच. तक हो गया है, इसके लिए जनता में खुशहाली है लेकिन गंडक नदी पर ब्रिज बनाया जाए। वहां लोगों की मांग है कि इस पार से उस पार जाने के लिए ब्रिज होना चाहिए, नहीं तो कभी भी बहुत बडा एक्सीडेंट हो सकता है।

एक मोतीपुर में रेलवे स्टेशन की मांग है। मोतीपुर से महुवल के बीच की दूरी 7–8 किलोमीटर है, लोगों ने मांग की है कि मौहम्मदपुर बलवी में एक रेवले स्टेशन बना दिया जाये। भगवानपुर गुमटी, जो एन.एच. 102 पर है, उस पर आपने एक ओवरब्रिज मंजूर किया है, लेकिन भगवानपुर छूटा हुआ है, पश्चिम से जो छपरा, रेबाघाट, मुजफ्फरपुर आता है, उसी पर भगवानपुर गुमटी है, उस पर ओवरब्रिज बनना चाहिए। मोतीपुर में रेलगाड़ी रोकने की लोगों की मांग है और इंटरसिटी को कांटी में रोकने की मांग है।

बगहा छितौनी में रेलवे के चलते एक रोहाना नाला है, वह घेरा गया, उससे कम से कम एक हजार एकड़ जमीन में जल जमाव हो गया। आज पर्यावरण के बिल पर भी हमने बहस में मांग की कि रेवले को देखना चाहिए कि वहां जल जमाव न हो, नहीं तो जंगल और वाइल्ड लाइफ वहां चौपट हो जायेगा। वहां पर्यावरण खराब हो गया है।

अन्त में कुली, जो सबसे डाउन ट्रोडन हैं, उनके लिए कुछ हिफाजत का काम करिये। हम जब पटना जाते हैं तो कुली घेरकर कुछ सहूलियत, कुछ पढ़ाई–लिखाई, दवाई, आराम करने की जगह की सब मांग करते हैं। उनकी यह भी मांग है कि उन्हें चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का दर्जा दिया जाये।

ये सारे सवाल हैं, लेकिन एक नम्बर सवाल कि जो हाजीपुर रेलवे जोन हो गया, वहां पुल बन रहा है तो हमारे वैशाली को रेलवे लाइन से जोड़ने वाला क्यों छूटा हुआ है? इसलिए हाजीपुर वैशाली, सुगौली रेलवे लाइन की 324 करोड़ रुपये की योजना है, माननीय मंत्रीजी ने प्रश्नोत्तर में लिखित में बताया है कि उसका सर्वे हो गया है। खाली सर्वे हो रहा है, रेलवे लाइन नहीं बन रही है।

[अनुवाद]

जहां चाह वहां रेल। लेकिन जहां नहीं चाह वहां पड़ा रहा सर्वेक्षण।

[हिन्दी]

इसीलिए वहां विल पावर हो, हाजीपुर वैशाली सुगौली रेलवे लाइन इस साल बन जाये। उसे 1904 से 98 वर्ष हो गये, सारे बड़े लोग कहते चले आये कि वह ऐतिहासिक धरती है, इसलिए आप इतिहास गढ़ने का काम करें। नहीं तो हमारी लाचारी है, हम बार–बार चेता रहे हैं, कह रहे हैं कि बजट के दिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम सदन में धरना देंगे फिर बड़ा भारी आन्दोलन हो जायेगा, जनता में बड़ा भारी कोलाहल हो जायेगा।

इन्ही शब्दों के साथ हमारी लाइन का जल्दी से ऐलान कर दें।

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : सभापति महोदय,

आपने मुझे अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल) पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा की टिप्पणी से सहमत हूं कि माननीय रेल मंत्री को 25000 रुपये के बजाय 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान करना चाहिए था। वैसे अनेक मुद्दे लंबित हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि रेल यातायात के अन्य साधनों की तुलना में गरीबों के लिए सर्वाधिक सस्ता साधन है। गरीब लोग इसका खर्चा वहन कर सकते हैं और रेल से लम्बी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय रेल के लिए और अनुपूरक बजट लाएं।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद 100 किमी. रेल लाइन भी नहीं बनी है। यह दयनीय स्थिति है। हमारा देश विकासशील है जहां जीवन यापन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। यदि देश के प्रत्येक क्षेत्र को रेल जो कि यातायात का सर्वाधिक सस्ता साधन है, से नहीं जोड़ा गया तो गरीबों का जीना मुश्किल हो जाएगा।

इस प्रकार की एक लाइन जिस पर बहुत पहले विचार किया गया था वह गुंटूर के माचेरला से कर्नाटक के रायचूर तक की लाइन है जो गुंटूर–नालगोंडा–महबूबनगर–रायचूर होकर जाती है। ये सभी जिले पिछड़े हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे का कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं है। इस लाइन के निर्माण से लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। माचरेला और नालगोंडा की बीच तथा गडवाल और रायचूर के बीच रेलमार्ग की योजना बनाई जा चुकी है और इसे स्वीकृत भी किया जा चुका है, परन्तु मचेरला–नालगोंडा रेलमार्ग के लिए एक लाख रुपये और गडवाल–रायचूर के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इस रेलमार्ग की स्वीकृति बहुत पहले दी जा चुकी है, परन्तु यह नहीं मालूम की यह रेलमार्ग कब पूरा होगा? बरास्ता नालगोंडा और महबूबनगर जिलों से नागार्जुन सागर–मचेरला–गडवाल रेलमार्ग गुजरता है। ये दोनों जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं; क्योंकि रोजगार के अवसरों की तथा विकास की अत्यधिक कमी है। इस रेलमार्ग के निर्माण से रोजगार का सृजन होगा।

सभापति महोदय : आप अपनी बात अनुदान की अनुपूरक मांग तक ही सीमित रखिए।

डा. मन्दा जगन्नाथ : मैं दो मिनट भी नहीं बोला हूं।

सभापति महोदय : हम अनुदान की अनुपूरक मांग पर बहस कर रहे हैं पूरे बजट पर नहीं।

डा. मन्दा जगन्नाथ : मुझे मालूम है। मैंने अभी दो मिनट भी नहीं बोला है और आप मुझे अपनी बात समाप्त करने को कह रहे हैं। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। यह केवल 25,000 रुपये का बजट है, लेकिन इन बातों को कहा जाना चाहिए जिससे अगले बजट में इन्हें प्राथमिकता दी जा सके।

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने से मना नहीं कर रहा हूं।

डा. मन्दा जगन्नाथ : यदि आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊं और आप चाहते ही यही हैं।

सभापति महोदय : मैं आपसे केवल संक्षेप में बोलने को कह रहा हूं।

डा. मन्दा जगन्नाथ : जब भी मैं बोलने को खड़ा होता हूं एक या दो मिनट बाद मुझे अपनी बात समाप्त करने को कहा जाता है। मैं बोलूंगा ही नहीं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें। ऐसा करने का यह उचित तरीका नहीं है। मैं आपसे केवल संक्षेप में बोलने को कह रहा हूं।

डा. मन्दा जगन्नाथ : यदि इस लाइन को मंजूरी दी जाती है तो यह लाइन तेलंगाना के पिछड़े जिलों से होकर गुजरेगी, यह लाइन नक्सलवाद से प्रभावित उन दो जिलों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी और एक बार रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गये, तो युवकों को नक्सलवादी गतिविधियों की ओर आकर्षित होने से रोका जा सकेगा।

इन जिलों से पलायन की भी समस्या है। रोजगार के अवसर न होने के कारण हर साल दोनों जिलों से लगभग 10–15 लाख व्यक्ति देश के अन्य भागों की ओर पलायन करते हैं। यदि 292 कि.मी. विस्तार की इस प्रस्तावित लाइन को मंजूरी दे दी जाती है तो इसके निर्माण हेतु श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे; इससे लोगों को देश के अन्य भागों की ओर पलायन करने से रोका जा सकेगा। इससे किसानों को अपनी फसल के तरीके पारंपरिक तरीके से वाणिज्यिक फराल के तरीके में बदलने में सहायता मिलेगी। जो केवल वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है। यह लाइन उन्हें अपनी उपज को देश में अन्य भागों में भेजने के लिए परिवहन तंत्र भी प्रदान करेगी।

मुदखेड़–आदिलाबाद, निजामाबाद–बोलारम और करीमनगर–निजामाबाद की लाइनों के लिए बजटीय आवंटन बहुत कम

[डा. मन्दा जगन्नाथ]

था। इस वित्तीय वर्ष के लिए दक्षिण मध्य रेलवे को 280 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी और अभी तक इस पर आधी धनराशि भी खर्च नहीं की गई है। इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में केवल 4–5 महीने बचे हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि वे धनराशि कब खर्च करेंगे। जिससे इन लाइनों पर कार्य में तीव्र गति लाई जा सके।

नई लाइनों के बारे में बात करते हुए, येरां गुंटला–नांदयाल और पेड्डापल्ली–भूपालपल्ली लाइनों का कार्य शुरू किया जाना है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की भीड़ है इसलिए सड़क ऊपरि पुल आदिलाबाद, जम्मीकुंटा, चेबरोल, रायगिरि, वारंगल जिला, भीमाडोलु, टेडेपल्ली गुडम, माल्टेवाड़ा, पार्वतीपुरम, नेक्कोंडा, जडचेरला, गडवाल, महबूबनगर, येनूगोंडा में बनाने की आवश्यकता है।

महबूबनगर जिसमें जडचेरला–गोलापल्ली के बीच बोयनापल्ली पर फाटकों के बंद करने की भी समस्या है यह कस्बे के मध्य में है और यह फाटक रेलवे अधिकारियों द्वारा बंद करा दिया गया था, जिसकी वजह से दैनिक यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। माननीय रेल राज्य मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय इसके बारे में जानते थे। इन फाटकों के बंद होने के कारण काफी असुविधा हुई और माननीय मंत्री महोदय को ले जा रही रेलगाड़ी लोगों द्वारा रोक दी गई। मेरा अनुरोध है कि इन फाटकों को तत्काल खोला जाए।

डबलिंग के बारे में बात करते हुए, मैं कहूंगा कि सिकंदराबाद–गुंटाकल लाइन अति महत्वपूर्ण है। इससे चेन्नई और बंगलौर के बीच की दूरी कम होगी और दक्षिण की ओर आने जाने वाली सभी रेलगाड़ियों को इससे फायदा मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय जिस राज्य का मंत्री होगा उस राज्य से कोई नहीं बोलेगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. मन्दा जगन्नाथ : रेनीगुंटा–गुंटाकल का डबलिंग कार्य 30 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था और यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि यह कार्य तत्काल पूरा किया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि, सिकंदराबाद–गुंटाकल लाइन अति महत्वपूर्ण है और इसके कार्य को अगले बजट में शुरू करने की आवश्यकता है।

नई रेलगाड़ियों के विषय में, सिकंदराबाद से द्रोणाचलम या कुरनूल तक रेलगाड़ी चलाना बहुत ही जरूरी है। इस लाइन की दूरी बहुत कम है और इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं सिकंदराबाद–द्रोणाचलम खंड में कुरुमुकी रेलवे स्टेशन पर तेज चलने वाली यात्री रेलगाड़ी के रुकने के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। मैं काचीगुड़ा–महबूबनगर खंड के बीच सभी यात्री रेलगाड़ियों को कोदुर रेलवे स्टेशन पर रोकने का भी अनुरोध करूंगा। सिकंदराबाद–धर्मावरम एक्सप्रेस रेलगाड़ी को जडचेरला पर ठहराव दिया जाना चाहिए। अंततः स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रेलगाड़ी को मंचेरियल पर रोकना जरूरी है।

अंतिम मुद्दा सिकंदराबाद और हैदराबाद के लिए बहुत आयामी परिवहन–तंत्र के बारे में है। इसके बारे में विचार किया गया है और इसे पूरा किया जाना है। माननीय रेल राज्य मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय ने परसों उस स्थान का दौरा किया और वह कार्य की प्रगति को लेकर अप्रसन्न थे। इस पूरी व्यवस्था में अनावश्यक रूप से विलंब किया गया और यातायात के निर्बाध आवागमन को बनाने के लिए इस कार्य को तत्काल पूरा करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : सभापति महोदय, मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों की चर्चा पर अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एतमादपुर एक स्टेशन है, जहां पर अवध एक्सप्रैस नहीं रुकती है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अवध एक्सप्रैस को एतमादपुर स्टेशन पर रोका जाए। अगर इस गाड़ी को इस स्टेशन पर रोका जाता है, तो वहां के लोगों को लखनऊ आने–जाने में सुविधा होगी। टूंडला रेलवे जंक्शन है और यह स्टेशन पांच जिलों–आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, मथुरा का महत्वपूर्ण जंक्शन है। यदि नीलांचल एक्सप्रैस को टूंडला पर रोका जाता है, तो जैन धर्म के लोगों को, जिनकी आस्था शिखरजी धर्मस्थल पर जाने की होती है, उनको सुविधा हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नीलांचल एक्सप्रैस को टूंडला जंक्शन पर रोका जाए।

इसके साथ ही मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र टूंडला में एन.आर. इन्टर कालेज है, जिसमें रेलवे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। यदि इस इन्टर कालेज को डिग्री कालेज में परिवर्तित कर दिया जाए, इसमें ज्यादा खर्च नहीं है, सिर्फ

कालेज की बिल्डिंग और थोड़े रो स्टाफ को बढ़ाना होगा, तो रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को सुविधा मिल जाएगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा, भूतपूर्व डिप्टी रेलवे मिनिस्टर, श्री रोहन लाल चतुर्वेदी जी ने बहरन से एटा तक एक रेल लाइन का निर्माण करवाया था, लेकिन पिछले तीस सालों से यहीं एक गाड़ी चलती है। हम चाहते हैं कि इस लाइन के बीच रेल बस सुविधा दे दी जाए। सिर्फ यही एक लाइन है, जो उस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन है। शादी–ब्याह के कार्यक्रम और शापिंग आदि की सुविधा सिर्फ इसी एक लाइन पर निर्भर है। यहद इस लाइन पर रेल बस, जिसमें कि दो डिब्बे होते हैं, की सुविधा दे दी जाए, तो इससे केवल वहां के लोगों को ही लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि रेलवे मंत्रालय को आर्थिक लाभ भी होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बरहन से एटा तक एक रेल लाइन है, यदि इसको कासगंज तक बढ़ा दिया जाए, यह सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी है, तो एटा, बदायूं और बरेली आदि और आगरा से लेकर फिरोजाबाद, हाथरस जिलों तक के लोगों को लाभ मिलेगा।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, ताजमहल पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। जो राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आते हैं, वे ताजमहल को देखने के लिए जरूर जाते हैं। इसलिए कोई भी गाड़ी जो आगरा होते हुए जाती है और आगरा नहीं रुकती है, वह ताजमहल से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। दक्षिण भारत के लोगों के लिए, जो ताजमहल देखना चाहते हैं, चेन्नई राजधानी एक्सप्रैस है, लेकिन यह गाड़ी आगरा नहीं रुकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस गाड़ी को आगरा रोकने के लिए व्यवस्था की जाए। महोदय, दिल्ली–भोपाल शताब्दी एक्सप्रैस 200 किलोमीटर पर आगरा रुकती है, 100 किलोमीटर पर ग्वालियर रुकती है और फिर 100 किलोमीटर पर झांसी रुकती है, लेकिन दिल्ली–लखनऊ शताब्दी एक्सप्रैस को टूंडला जंक्शन पर रोका जाए, जो यहां से 200 किलोमीटर है, लेकिन यह सीधे कानपुर रुकती है, जो कि 435 किलोमीटर है। एक गाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी पर तीन जगह रुकती है और दूसरी गाड़ी एक जगह भी नहीं रुकती है। यदि इस शताब्दी को आप टूंडला रोक देते हैं, तो टूंडला जंक्शन के आसपास पांच–छः जिले हैं और खासकर आगरा मंडल के लोगों को बहुत लाभ होगा।

सभापति महोदय : आप रेल बजट के समय ये सुझाव दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, टूंडला का पूर्वी फाटक बंद रहता है। वहां डेढ़ सौ गांवों के लोगों को खड़े रहना पड़ता है। भगवतगढ़ी, बालमपुर, साहबगड़ी, भीकनपुर, बझेड़ा, लल्लू का नगला, छेंकुर का नगला, सोना का नगला, दानी का वास आदि गांवों के लोगों को इससे बड़ी असुविधा होती है। किसान ट्रेक्टर लेकर आते हैं तो उन्हें रेल का फाटक बंद होने के कारण वहां घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसलिए वहां ओवर ब्रिज अथवा अंडर ब्रिज बना दिया जाए। बरहन जलेसर रोड स्टेशन, संगम, मूरी और कटिहार एक्सप्रैस को वहां रोका जाए तो आपकी कृपा होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो मैं बार–बार आपसे चर्चा को अनुपूरक मांगों तक सीमित रखने का अनुरोध कर रहा हूं। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप उन्हें माननीय मंत्री महोदय को रेल बजट के समय दे सकते हैं। अब, श्री मलयसामी बोलेंगे।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : महोदय, मैं अन्नाद्रमुक पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। अपनी टिप्पणी और प्रस्तुति से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं पूरी तरह सचेत हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा वह तथ्यों पर आधारित होगा और नवीनतम सूचना के उचित विश्लेषण के आधार पर होगा।

महोदय, हालांकि मैं भारतीय रेल की कम ताकत और कमजोरी के बारे में जानता हूं। एक तरफ इसके सुख और दुख तथा दूसरी तरफ इसकी मुख्य विशेषताएं और गतिरोध, मैं इन सभी पहलुओं के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। क्योंकि समय की कमी है। इसलिए मैं सीधे अपनी प्रस्तुति के मुख्य विषय पर आता हूं।

मेरी समझ में आता है कि माननीय रेलमंत्री ने परियोजना के विश्लेषण के लिए जनसंख्या, भूमिक्षेत्र, ढुलाई आदि कारकों के आधार पर अपने दिशा निर्देश बनाए हैं। मैं यह भी समझता हूं कि वह बहुत कार्यकुशल और सोद्देश्यपूर्ण मंत्री हैं। लेकिन मैं एक कड़ी आपत्ति करते हुए माफी चाहूंगा कि तमिलनाडु को पूरी तरह उपेक्षित रखा गया है, उसके साथ भेदभाव किया गया है और उसकी अनदेखी की गई है। यह बात कहते हुए मैं यह वक्तव्य पूर्ण औचित्य के साथ दे रहा हूं। एक बार में तथ्य और आंकड़े दे दें तो पूरी सभा मेरी कही बात से सहमत होगी। न तो नौकरशाही और न ही राजनीतिक कार्यपालिका तमिलनाडु के साथ किए गए इस घोर अन्याय का संज्ञान लेते हुए प्रतीत होती है।

दक्षिण रेलवे के अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल आते हैं। ये पांच राज्य मिलकर दक्षिण

[श्री के. मलयसामी]

रेलवे बनता है। दक्षिण रेलवे के मीटरगेज ट्रेक पथ की कुल लंबाई 2,570 किलोमीटर है जिसमें से 2,137 किलोमीटर लंबाई तमिलनाडु में पड़ती है। मैं यहां जिस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि दक्षिण रेलवे के अंतर्गत बड़ी लाइन में परिवर्तन हेतु कुल मीटर लाइन का 80 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ तमिलनाडु में ही पड़ता है। क्या यह घोर अन्याय नहीं है। जब हम पूरे देश की स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि उत्तर भारत में पहले ही 70% लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा चुका है। जबकि केवल 30 प्रतिशत कार्य दक्षिण भारत में किया गया है। क्या यह कहना सच नहीं है कि उत्तर उन्नति कर रहा है और दक्षिण कमजोर पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? मैं इसे विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं।

अब मैं, थोड़ी देर के लिए परियोजनाओं पर विस्तार से कहूंगा। बड़ी लाइन परिवर्तन के लिए तमिलनाडु में दस परियोजनाएं हैं। ये हैं : रामेश्वरम से मदुरै, त्रिचि से मना मदुरै, चेंगलपुर से अराकोणम, त्रिचि–नागापट्टनम–कराईकल क्विलोन से विरुद्धनगर, बिल्लूपुरम से पांडिचेरी, तंजावूर से बिल्लूपुरम, कुड्डालोर से सकेम, बिल्लूपुरम से कटपड़ी और चेन्नई बीच से चेंगलपुट।

सायं 6.35 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

ऐसी दस परियोजनाएं हैं जिन्हें बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना है। इन सभी लाइनों की परियोजना लागत 2,360 करोड़ रुपये है। ये सभी परियोजनाएं अभी मंजूर नहीं की गई हैं। ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा मंजूर नहीं की गई है, मैं काफी पहले चार से पांच वर्ष पूर्व मंजूर की गईं। अभी तक इन पर क्या किया गया है? 2360 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में से अभी तक 261 करोड़ की धनराशि ही खर्च की गई है। इन वर्षों में कुल परियोजना धनराशि का कुल दस प्रतिशत खर्च की गई।

रामेश्वरम पर आते हुए मैं कहूंगा कि यह कितना महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल है और इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं। हम सबने इसकी लाइन परिवर्तन के बारे में कहा है। यदि कोई रामेश्वरम जाना चाहे तो वह बड़ी लाइन से नहीं जा सकता। भारत के माननीय राष्ट्रपति के मामले को ही ले लीजिए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम डा. ए. जी. जे. अब्दुल कलाम, रामेश्वरम से संबंध रखते हैं। यदि वह दिल्ली से बड़ी लाइन वाली रेलगाड़ी से अपने मूल निवास स्थान रामेश्वरम जाना चाहें तो वह नहीं जा सकते। यही स्थिति है।

एम.आर.टी. पर बोलते हुए मैं कहूंगा कि इरूगूर से कोयंबटूर तथा अट्टापट्टी से कोरूकुकपेट लाइनों के संबंध में कुछ कार्य हुआ है। नई लाइनों के संबंध में भी प्रगति संतोषजनक नहीं है। करूस्सलेम और नागापट्टीनम–वेलनकन्नी लाइनों पर भी कुछ अधिक नहीं किया गया है। नई परियोजनाओं के मामले अथवा डबलिंग के मामले में अथवा बड़ी लाइन परिवर्तन के मामले में कुछ नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रगति नगण्य है। दूसरे शब्दों में, यदि यह मान भी लें कि कुछ प्रगति हुई है तो यह मंथरगति से हुई है। कई मामलों में प्रगति बिलकुल भी नहीं हो रही है।

रामेश्वरम का मामला फिर से लीजिए। कुल परियोजना लागत 240 करोड़ रुपये है जबकि अभी तक खर्च की गई धनराशि 5 करोड़ रुपये है। अब फिर से 5 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। इस दर से हमें कितने वर्षों और प्रतीक्षा करनी होगी? क्या हमें अगले 25 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी? मैं इस मुद्दे पर माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार जी से स्पष्ट चाहता हूं। कृपया हमें बताएं कि यह परियोजना कब तक पूरी होगी? मैं इसकी समय सीमा के बारे में जानना चाहता हूं। यदि आप हमें यह कहें कि इस परियोजना में 25 वर्ष और लगेंगे तो मैं इसके बारे में भूल जाऊंगा क्योंकि उरा समय हममें से कई सदस्य संभवतः जीवित उपलब्ध नहीं होंगे।

मंत्री महोदय हमें बताएं कि क्या कोई भारी वित्तीय संकट है। एक प्रबंध छात्र के रूप में मेरी समझ में आता है कि किसी एक समस्या के एक से अधिक समाधान हो सकते हैं। आपने हमारे सामने कौन सा समाधान रखा है? मैं बड़ी लाइन से रामेश्वरम जाना चाहता हूं। आप इस विषय में क्या करने जा रहे हैं?

आपको कई दशकों के लंबे अंतराल के बाद तमिलनाडु से राज्य मंत्री के रूप में एक लेफ्टिनेंट लिया है। हम इस बारे में प्रसन्न हैं। वह एक युवा व ऊर्जावान व्यक्ति हैं। वह कुछ भी करने के लिए बड़ी सक्रियता से कार्य करते हैं। लेकिन उन्हें खाली हाथ भेज दिया गया। यदि कोई योद्धा युद्ध लड़ने जाता है तो उसके पास पर्याप्त आयुध और शस्त्र होने चाहिए। बिना धन के हम क्या कर सकते हैं? आपको उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप किसी नए मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री के. मलयसामी : हमारे साथ किए गए घोर अन्याय के बारे में बोलते हुए क्षेत्रीय असंतुलन की ओर ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा में कोई तर्क देने की जरूरत नहीं समझता। आपका विचार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप एक विषय को दोहरा रहे हैं।

श्री के. मलयसामी : यह क्या है महोदय? आप मेरे पड़ोसी हैं और आपको इस पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय : आप दूसरे मुद्दे पर जा सकते हैं और अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री के. मलयसामी : मंत्री महोदय, आप तमिलनाडु के साथ पूरा न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं यहां यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है। कम से कम आप अपने कार्यकाल के दौरान कृपया हमारे साथ सौतेला व्यवहार न करें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि किसी माता के तीन चार बच्चे हैं एवं उनमें से यदि एक रुग्ण अथवा अस्वस्थ हो जाता है तो माता ऐसे बच्चे के लिए क्या करेगी वह उसकी ज्यादा देखभाल करेगी।

वह रुग्ण बच्चे को इस प्रकार से ज्यादा पोषण अथवा जलपान कराएगी ताकि वह अन्य बच्चों के साथ आगे बढ़ सके। यहां, तमिलनाडु के साथ अन्याय किया गया है। यहां क्षेत्रीय असंतुलन भी है। मंत्री महोदय से यह अपेक्षा है कि वे सभी मार्गनिर्देशों एवं मानदण्डों से बाहर निकलें ताकि किए गए अन्याय एवं विद्यमान असंतुलन को दूर करने हेतु भूतलक्षी प्रभाव से कुछ ठोस कदम उठा सकें।

सभापति महोदय : इसमें कोई ठोस बात नहीं है। आप केवल दोहरा रहे हैं।

श्री के. मलयसामी : महोदय, क्या मैं सही बात नहीं कर रहा हूं?

मैं धन के अपर्याप्त आवंटन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, मेट्रो ट्रांसपोर्ट परियोजना, बड़ी परियोजनाओं में कुल आवंटित धनराशि का अधिकांश हिस्सा चला जाता है। मैं नहीं जानता कि ऐसा किस आधार पर किया जाता है। उक्त प्रयोजन पर खर्च करने के बाद 2150 करोड़ रुपए की धनराशि ही बचती है। 2150 करोड़ रुपए के आवंटन में से 40 प्रतिशत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक को चला जाता है। जो कुछ बचता है वह अन्य राज्यों को चला जाता है।

मुझे अपनी बात इस अपील के साथ समाप्त करने दीजिए कि तमिलनाडु के साथ किए गए अन्याय को शीघ्र ही दूर किया जायेगा।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु की परियोजनाओं के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की जा सकती है।

अंततः, मेरे सहयोगी चाहते थे कि मैं कुछ मुद्दों पर बोलूं।

सभापति महोदय : कोई मुद्दा नहीं है। आप केवल किए गए अन्याय की बात को दोहरा रहे हैं।

श्री के. मलयसामी : डा. सरोजा चाहती हैं कि काल्लाकुरिचि में एक रेलवे स्टेशन बने। इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों का समुचित रूप से रख–रखाव किया जाए और सलेम के लिए एक पृथक् रेल मंडल का सृजन किया जाना चाहिए। यही मेरे सहयोगियों का अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांदोकर (सेरमपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मत्री जी से अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हू। मैं बंगाल का रहने वाला हूं। मुझे आज रेलवे की अनुदान मांगों पर थोड़ी सी बात कहने का मौका मिला है लेकिन रेलें बहुत सी जगहों से जुड़ी हैं, इसलिए मैं कम समय में इस पर बोल नहीं पाऊंगा।

सभापति महोदय : आप इतने समय में अपनी बात कह सकते थे। आप अपने प्वाइंट्स जल्दी बोलिए।

श्री अकबर अली खांदोकर : सभापति महोदय, देश जल्दी चलता है लेकिन ट्रेन्स बहुत धीरे चलती हैं। मैं जब स्टुडैंट था, उस समय घड़ी देखकर कहता था कि इतने बज गए हैं और राजधानी एक्सप्रेस जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हम जब हावड़ा से दिल्ली आते हैं तो गाडी कभी दो घंटे और कभी चार घंटे लेट चलती है।

रेल मंत्री जवाब देते समय बंगाल के बंद प्रोजैक्ट्स के बारे में बताएं। रेलवे के बड़े पदाधिकारी भी यहा बैठे हैं। वे बंगाल के बंद प्रोजैक्ट्स के बारे में रेल मंत्री को बताएं। वे प्रोजैक्ट्स कब चालू होंगे, मुझे मालूम नहीं? दीघा–तामलुक रेल

[श्री अकबर अली खांदोकर]

लाइन और ब्रिज के लिए बहुत कोशिश की गई थी। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं, उस समय इस ब्रिज का काम खत्म हो गया था लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। इखलाकी–बलूरघाट रेल कब चालू होगा, मालूम नहीं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तारकेश्वर से टालीगंज डबल रेलमार्ग का काम ममता जी के वक्त में जल्दी शुरू हुआ लेकिन उनके हटने के बाद ही वह काम बंद हो गया है। कभी थोड़ा–बहुत मिट्टी पड़ जाती है। हमारे डी.एम. ने तारकेश्वर–बांकुरा रेल मार्ग के लिये पैसा दिया है, जमीन खरीदना है लेकिन काम अभी बंद हो गया है। बंगाल के सारे प्रोजैक्ट्स बंद पड़े हुए हैं। अखबारों में आया कि वहां मॉडल स्टेशन होगा लेकिन मॉडल स्टेशन बनाने के नाम पर डाकुनी, श्रीरामपुर, चिन्सुरा जैसी जगहों पर अभी तक ईंट तक नहीं पड़ा है।

चेयरमैन साहब, आजकल अखबारों में देखते हैं कि रेल एक्सीडेंट होते रहते हैं। लगता है कि अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर ट्रेन्स चलती हैं। लगता है कि किसी दिन गाड़ी बंद हो जायेगी। अभी ईस्टर्न रेलवे का बाइफरकेशन किया गया, इससे बंगाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज जनता की क्या हालत हुई है, वह मुझे नहीं, सारे देश को मालूम है। आज रेल मंत्री की अपनी कांस्टीट्यूएंसी में उनके घर तक रेल संबंध जुड़ा हुआ है। रेल अधिकारी जानते हैं। वे रेल के नियम और कानून बनाते हैं लेकिन किसी को जानकारी नहीं है।

चेयरमैन साहब, मेरी मांग है कि बंगाल के जितने प्रोजैक्ट्स हैं, जो बंद कर दिये गए हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी चालू किया जाये। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कहें कि बंगाल के किसी प्रोजैक्टस के लिये पैसे में कटौती नहीं हुई है। मेरी मांग है कि जितना पैसा लगा है, वह जायज रूप से देंगे। पिछले दिनों राजधानी एक्सप्रैस का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बंगाल और खासकर मेरी कांस्टीट्यूएंसी के 10 लोग मर गये। उस एक्सीडेंट की जांच कमिशनर, रेलवे सेफ्टी कर रहे हैं। मेरी मांग है कि इसकी जांच सी.बी.आई. से कराई जाये नहीं तो न दूध का दूध और न पानी का पानी अलग होगा। इसलिए यह जरूरी हे कि सी.बी.आई. की इंक्वायरी हो।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मुझे चार मुद्दों पर बात करनी है। मैं रेलवे के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। हालांकि इसने देश के विकास के लिए बहुत कार्य किया है फिर भी इसने हमारे देश में औद्योगिक प्रतिभा को कम किया है। इस प्रकार इसे दोनों तरह से देखा जा सकता है। यह एक विरोधाभास है।

पहले मुद्दे, जिस पर आज मेरे समक्ष कुछ विद्वान सदस्यों ने चर्चा की है, का संबंध नए फार्मूले से है जिसे वर्तमान मंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पहले रखा गया। मेरा यह सुझाव है कि इस फार्मूलों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न समितियों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि धन के आवंटन के संबंध में नए सूत्र में संशोधन किया जाना चाहिए। इस सूत्र में, जनसंख्या के संघटन के स्थान पर राज्य के पिछड़ेपन एवं उक्त राज्य से रेलवे के राजस्व अर्जन को मानदण्ड के रूप में रखा जाना चाहिए।

यदि इसे बदला जा सके तो मेरे विचार से, कई अन्य राज्य भी विकास कर सकते हैं और साथ ही, रेलवे और धन का अर्जन कर सकती है। नए सूत्र के अन्तर्गत, 2,115 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना हेतु आवंटित धन का लगभग 40 प्रतिशत का उपयोग केवल चार राज्यों द्वारा किया जा रहा है। ये चार राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। इन सबकी तुलना में उड़ीसा निम्न जनसंख्या एवं निम्न भूमि क्षेत्र दोनों के मामले में पिछड़ गया है। जबकि बजट का 8.76 प्रतिशत राज्य से आता है, हमारा प्रतिशत 7.5 प्रतिशत है।

मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। मेरे विचार से कल समाचार पत्र में एक खबर आई थी कि पिछले बजट में 5 करोड रुपए पूर्व तटीय क्षेत्र को आवंटित किए गए थे। इस संबंध में भुवनेश्वर स्थित कार्यालय में पूर्वतीय क्षेत्र को एक प्रश्न भेजा गया था। प्रश्न यह था : कितना धन व्यय किया गया था? उन्हें 15 नवम्बर तक जवाब देने के लिए कहा गया था। एक भी पैसा कम नहीं किया गया था। एक विशेष कार्याधिकारी को भी तैनात किया गया है। कई बार लोगों का स्थानांतरण किया गया। मंत्री ने सभा में यह घोषणा की है और सभा में एवं सभा के बाहर भी वायदा किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमें बताया है। यह उनकी महानता है। उन्होंने हमें यह सूचित किया है कि पूर्व तटीय क्षेत्र 1 अप्रैल से कार्य करने लगेगा। परन्तु, हमारे पास सम्पूर्ण कार्यालय नहीं है। धन खर्च नहीं किया जा रहा है। हमारे पास पर्याप्त अवसंरचना नहीं है। इसे कैसे किया जा सकता है? मैं इससे अवगत होना चाहूंगा। यदि माननीय मंत्री अपने भाषण इसमें यह कहता है जो रिकार्ड पर है, कि यह क्षेत्र 1 अप्रैल, 2003 से चालू हो जायेगा तो

मैं उनका आभारी रहूंगा। निश्चित ही इन सब बातों से माननीय मंत्री या रेलवे का संचालन करने वाले उनके दोनों सहयोगी अनजान नहीं हैं।

दूसरी बात जिसे मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि रेलवे के पास विशाल योजनाएं एवं इच्छुक ऋणदाता हैं। 150 वर्ष पहले क्या हुआ? ब्रिटेन के पास प्रचुर धन था। समाज में प्रचुर धन था। वे यह नहीं जानते थे कि धन को व्यय कहां किया जाए। भारतीय रेल का गठन किया गया था। भारी ब्याज पर रेलवे के लिए धन जुटाया गया था। इसका यहां निवेश किया गया। अब भी धन की कोई समस्या नहीं है। आप बाहर से धन प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु पिछले कई वर्षों से विरुपा महानदी पर दूसरे पुल से संबंधित कार्य को शुरू नहीं किया जा सका है। वर्ष 1998–99, तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में रेलमंत्री भी हैं– कटक में थे। उन्होंने नदी पुल का शिलान्यास किया था। निविदा प्रक्रिया जारी है। प्रश्न यह है कि क्या एशियाई विकास बैंक से धन जुटाया जाएगा या कहीं और से यह निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है और कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। मेरा माननीय मंत्री से केवल यही अनुरोध है। तलचर–कटक–पारादीप को जोड़ने के लिए विरुपा एवं महानदी के ऊपर बना द्वितीय नदी पुल आवश्यक है। यह मार्ग पूरा होने वाला है। परन्तु उक्त नदी–पुल का कार्य आरंभ नहीं किया गया है। इससे कटक स्टेशन को काफी नुकसान हो रहा है।

यह मेरे चौथे मुद्दे से संबद्ध है। पिछले 15 वर्षों में, हावड़ा एवं चेन्नई के बीच कई सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चल रही हैं। ये है : चेन्नई–डिब्रूगढ़ एक्सप्रैस रेलगाड़ी, त्रिची–हावड़ा एक्सप्रैस रेलगाड़ी, चेन्नई–गुवाहाटी एक्सप्रैस रेलगाड़ी एवं भुवनेश्वर–निजामुद्दीन एक्सप्रैस रेलगाड़ी। मैं इन चार रेलगाड़ियों का यहां उल्लेख कर रहा हूं। ये चार प्रमुख रेलगाड़ियां कटक स्टेशन से भीड़–भाड़ के कारण नहीं गुजरतीं क्योंकि महानदी–विरूपा नदी के ऊपर दूसरा रेल मार्ग नहीं है। खुर्दा रोड के मंडलीय रेल प्रबंधक का प्रमुख कार्य यह देखना है कि रोजाना 75 रेलगाड़ियां कटक से सुरक्षित गुजर सकें। जब तक, विरूपा–महानदी पर दूसरा नदी पुल नहीं बनाया जाता तब तक भीड़–भीड़ को दूर नहीं किया जा सकता। जब तक इस भीड़–भाड़ को दूर नहीं किया जाता है, हम कटक का विकास नहीं कर सकते हैं। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि उड़ीसा के लिए कटक नगर का क्या महत्व है। परन्तु कटक की उपेक्षा की जा रही है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है?

कटक भीतरी प्रदेश का द्वार मार्ग है। यह राज्य की व्यावसायिक राजधानी है। कटक को सभी प्रमुख रेलगाड़ियों से जोड़ा जाना चाहिए। पचहत्तर रेलगाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं। क्या प्रमुख सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के लिए कोई प्राथमिकता की जा सकती है कि ये कटक स्टेशन से गुजर सकें, यह भी ध्यान में रखते हुए कि यह मालगाड़ियां पारादीप तक चलाई जाएं? ये चार मुद्दे हैं जिन पर मैं मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं उनका आभारी रहूंगा यदि इन बातों का वे विनिर्दिष्ट उत्तर दें सकें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि यह सांकेतिक अनुपूरक अनुदान है। परन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यहां दिए गए सुझावों को अगले बजट में शामिल किया जाना चाहिए। जिसे अगले दो माह में तैयार किया जाना है।

प्रथमतः, मैं माननीय रेलमंत्री को उनके द्वारा बेलूर टर्मिनल बिन्दु पर विचार करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैंने इस सभा में हावड़ा का दो बार प्रतिनिधित्व किया है। मुझे स्मरण है, उन दिनों से ही मैं स्वामी विवेकानन्द बेलूर मठ की याद में इस टर्मिनल बिन्दु के लिए मांग करता रहा हूं जोकि अब एक अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ है। मुझे वस्तुतः बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री ने अंततः इस मुद्दे पर गौर किया है।

पश्चिम बंगाल में एक और ऐसा स्थान है जहां भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था। वहां जाने वाले तीर्थ यात्री हमेशा बांडेल–कटवा रेलमार्ग के दोहरीकरण की मांग करते रहे हैं। भगवान चैतन्य का नाम मेरे या किसी अन्य के द्वारा नहीं लिया जाएगा। वे तो विश्व सभ्यता एवं भारतीयों के लिए भी शांति एवं सद्भाव के इतिहास में एक सर्वव्यापी नाम है। मैं माननीय मंत्री से अगले बजट में इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि हावड़ा में इन दिनों मात्र भीड़–भाड़ की समस्या नहीं है बल्कि रेलगाड़ियों के सेटलमेंट केन्द्रों के स्थान एवं व्यवस्था की भी है। मैं बसुदेव आचार्य जी से सहमत हूं। आप आज अथवा कल सहमत हो, आपको दक्षिण–पूर्व रेलवे में सांताग्राची में अथवा हावड़ा में पद्मफकार में टर्मिनल प्वाइंट के बारे में विचार करना होगा।

इसको बांटने के मुद्दे के संबंध में मैं इस चरण में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमने चर्चा के बारे में बात की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी न किसी दिन

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

चर्चा होगी। मैं माननीय मंत्री से केवल यही अपील करता हूं कि मामले की समीक्षा करने का समय आ गया है कि धनबाद को पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में लाया जाए। धनबाद से हाजीपुर एवं धनबाद से कलकत्ता की दूरी एवं वित्तीय व्यवहारिता से संबंधित अंतर से न तो हाजीपुर एवं न ही कलकत्ता को मजबूती मिलेगी।

मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि धनबाद को पूर्वी रेल मुख्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाए।

मैं अभी राजधानी एक्सप्रैसों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से इस मामले पर विशेष चर्चा कराने का अनुरोध किया है। जब अध्यक्ष महोदय हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे तो उस समय मैं इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बहुत ही दुखद बात लाना चाहता हूं। मेरे जिले में इकलाखी–बेलूरघाट परियोजना पर बहुत पहले विचार किया गया था। इसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है. इकलाखी–गजेल परियोजना पूरी की गई थी। इसमें तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यथा माल्दा जिसका प्रतिनिधित्व श्री गनी खां चौधरी, रायगंज जिसका प्रतिनिधित्व मैं और बेलूरघाट जिसका प्रतिनिधित्व श्री रनेन बर्मन करते हैं। आते हैं। इस ऐतिहासिक योजना को पूरा कर लिया गया है। जब इस परियोजना के एक हिस्से गया इकलाखी गजेल का कार्य पूरा किया गया था तो इन तीनों संसद सदस्यों में से किसी को भी इसके उद्घाटन समारोह की सूचना या आमंत्रण नहीं दिया गया था। जब गजेल तक के रेल मार्ग को आम जनता के लिए खोला गया था तो हमें इससे अलग रखा गया, रेलवे में इस तरह की स्थिति कभी नहीं रही। लेकिन इन तीन संसद सदस्यों के मामले में ऐसा हुआ। श्री गनी खां चौधरी जिन्होंने इस परियोजना की परिकल्पना की थी, मुझे और अन्य दूसरे संसद सदस्यों को इस बारे में सूचित नहीं किया गया अथवा आमंत्रित नहीं किया गया। सामान्यतः, इस प्रकार की बातों को माननीय मंत्री जी के ध्यान में नहीं लाया जाता है. इसलिए मैं इन बातों को उनके ध्यान में लाया हूं और उन्हें रेलवे विभाग में ऐसी धांधली को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लोगों ने वास्तव में हमारी अनुपस्थिति के कारण हमारी आलोचना की है।

माननीय मंत्री जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय रायगंज की यात्रा की है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। यहां पिछले 60 वर्षों में आमान परिवर्तन परियोजना पर कोई कार्य नहीं किया गया था। वह इतने उदार थे कि हजारों लोगों की उपस्थिति में उन्होंने बरस्वे से राधिकापुर के बीच 32 किलोमीटर के आमान परिवर्तन हेतु आधारशिला रखी। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस परियोजना में गहरी रुचि लेना जारी रखें। मुझे उनसे या रेलवे अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मेरा एक मात्र अनुरोध यह है कि उन्हें 31 मार्च, 2003 तक इसे तीन हिस्सों में पूरा कर लेना चाहिए।

सायं 7.00 बजे

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि 31 मार्च, 2003 तक मिट्टी बिछाने संबंधी कार्य को पूरा कर लिया जाए और 31 मार्च, 2004 तक रेल पथ बिछाने का कार्य आरम्भ कर दिया जाए। माननीय रेल मंत्री से मेरा एक मात्र निवेदन यही है कि इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाए इससे उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी आयेगी।

माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा सुझाव यह है कि अगले बजट में माल्दा से शेष दिनाजपुर को जोड़ने वाली दूरी को कम करने पर विचार किया जाए। श्री राम विलास पासवान के समय उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर के निकट गुंजेरिया नामक स्थान से गजेल तक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण किया गया था। इससे 20 किलोमीटर तक की दूरी कम हो जाएगी और गुंजेरिया से गजेल रेल लाइन से उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। इससे स्वतः ही गजेल जो कि इकलाखी परियोजना के अन्तर्गत अब निर्मित स्टेशन है जुड़ जायेगा और रायगंज में बड़ी लाइन बिछायी जा रही है। इसलिए, यदि इस लाइन पर विचार किया जाता है तो पूरे उत्तर बंगाल को माल्दा पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग मिल जायेगा और रेलवे के सभी राष्ट्रीय सम्पर्कों का वह लाभ उठा सकेगा।

मैं तीन और मुद्दों को जोड़ना चाहता हूं। कल मैं अलीपुरद्वार नामक स्थान से दिल्ली पहुंचा हूं। माननीय मंत्री जी ने द्विशाखन करते समय अलीपुरद्वार स्थित पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के मंडल मुख्यालय का रंगिया नामक नया जोन बनाकर के द्विशाखन किया था। अलीपुरद्वार भूटान सीमा क्षेत्र में चाय क्षेत्र है। उस क्षेत्र के लोगों की समस्त अस्मिता अलीपुरद्वार स्थित मंडल मुख्यालय से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश से आये लोग यहां बस गए और राजवंशी समुदाय के मूल जातीय समुदाय अलीपुरद्वार के मंडल मुख्यालय के आर्थिक कार्यकलापों पर निर्भर है। यह द्विशाखन इस तरीके से किया गया है कि माल भाड़े आदि की पूरी क्षमता कम कर दी गई है।

मैं माननीय मंत्री जी से मंडल को बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इससे रंगिया के लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरी अपील है कि द्विशाखन के बाद कम से कम न्यू बोंगाइगांव तक को एक तरफ रखा जाए और न्यू जलपाइगुडी को कटिहार मंडल से हटाकर अलीपुरद्वार मंडल में रखा जाए ताकि अलीपुरद्वार मंडल पूर्णतः तो नहीं लेकिन कुछ सीमा तक पुनः व्यवहार्य हो सके। अन्यथा लोगों का जो क्षोभ मैंने कल वहां देखा वह बहुत गम्भीर है। वहां सड़कें अवरुद्ध थीं और कई अन्य समस्यायें थीं। वे अपने आप में बिल्कुल सही थे क्योंकि पूरी चाय की ढुलाई अलीपुरद्वार से ही की जाती है। अलीपुरद्वार से ही भूटान को पूरा व्यापार किया जाता है। यदि अलीपुरद्वार मंडल का द्विशाखन रंगिया से किया जाता है और सारा क्षेत्र उसमें मिला दिया जाता है तो यह बहुत ही बुरा होगा।

इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरी अपील है कि न्यूबोंगाईगांव तक के हिस्से को एक तरफ रखा जाए और न्यू जलपाइगुडी तक को दूसरी तरफ अलीपुरद्वार के अन्तर्गत रखा जाए और अलीपुरद्वार मंडल मुख्यालय को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जाए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि कुमारी ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान कटिहार एक्सप्रेस नामक एक रेलगाड़ी चलायी जाती थी। उन्होंने इसे हाटीबाजारी घोषित किया था और बरौनी तक इसको चलवाया था। यह एक तरह से ठीक है लेकिन अब रेलगाड़ी समय से नहीं आती है। यह हमेशा आठ से नौ घंटे देरी से आती है और रात्रि के दौरान कोई भी इसमें यात्रा नहीं करता है। मंत्रीजी स्वयं ही इस बात की जांच कर सकते हैं। रात्रि में चोरी डकैती और लूटपाट के कारण कोई भी इसमें यात्रा नहीं करता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी इच्छा से कोई भी रेलगाड़ी बरौनी से दें लेकिन इस विशेष रेलगाड़ी, जिससे बंगाल और उत्तरी बिहार के दूर--दराज के भागों के लोगों को कोलकाता जाने हेतु सुविधा प्राप्त होती है, के समय को कम किया जाए। मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि इसे बरौनी से सियालदा के बजाय पुनः कटिहार से सियालदा तक चलाया जाए।

महोदय, मेरी माननीय मंत्री जी से अंतिम अपील रोगियों के संबंध में विचार करने से संबंधित है जिसके लिए मैं कई वर्षों से कहता हुआ आ रहा हूं। वह चेन्नई या वेल्लोर या दिल्ली जैसे गन्तव्यों को पहुंचने वाली तीव्र गति की सभी रेलगाड़ियों को चुन सकते हैं। वह प्रत्येक उस रास्ते पर दो रेलगाड़ियों को चुन सकते हैं जहां हृदय, गुर्दा इत्यादि के इलाज के प्रमुख संस्थान हैं। लोग बंगलौर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, लोग दिल्ली आते हैं यहां तक लोग आंखों के लिए चेन्नई जाते हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री से सभी तीव्रगति की रेलगाड़ियों में एक सवारी डिब्बा रोगियों के लिए आरक्षित करने का अनुरोध करता हूं। इसे रोगियों हेतु सवारी डिब्बे के रूप में जाना जाएगा और ऐसा इस डिब्बे के ऊपर लिखा जा सकता है। रोगी अपने साथ एक व्यक्ति सहित इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और कम से कम रेलवे की ओर से एक चिकित्सक की व्यवस्था जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस रोगियों हेतु सवारी डिब्बे से लोगों को अच्छी सेवा मिलेगी क्योंकि मैंने देखा है कि रोगियों को अपने गतव्य स्थानों पर जाने के लिए किन--किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता। वे--निरीह महिलाएं, बूढ़े लोग और बच्चे--चिल्लाते ही रह जाते हैं। रोगियों हेतु सवारी डिब्बों का विचार मुझे तब सूझा जब मैंने इसे जापान में देखा था, जापान में 'शिंकासेन' नामक सर्वाधिक तीव्र गति की रेलगाड़ी है, कभी--कभी उसमें एक विशेष सवारी डिब्बा लगा होता है जिसमें रोगी और उसके साथ का व्यक्ति यात्रा कर सकता है। भारतीय रेल में भी हम कम से कम 10--20 लम्बी दूरी की चुनिंदा रेलगाड़ियों में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। चाहे वे पटना, सियालदा, हावड़ा बंगलौर या दिल्ली जैसे किसी भी गंतव्य की ओर जा रही हों। इन लम्बी--दूरी की रेलगाड़ियों में एक ऐसा रोगी डिब्बा होना चाहिए जिसमें रोगी, उसके साथी और चिकित्सक भी यात्रा कर सकें। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उनके लिए महान मानवीय सेवा होगी।

ये मेरे कुछ विचार हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

मैं पुनः मंत्री जी से केवल एक मात्र अपील करना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर डालखोला जो कि बिहार और बंगाल की सीमा पर है, में रेल ऊपरि पुल निर्माण की लम्बित मांग के संबंध में मेरे साथ बैठक की थी, यदि आप इसे राज्य पर छोड़ देते हैं तो यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने आरम्भ में इस परियोजना को अपनी परियोजना के रूप में स्वीकार किया था लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो राज्य सरकार के पास अध्यापकों के वेतन के लिए भी पैसा नहीं है। वे इस परियोजना का वित्तपोषण नहीं कर सकते। उत्तरबंगा उन्नयन परिषद् द्वारा पहुंच

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

मार्ग की व्यवस्था हेतु मात्र 1 करोड़ की राशि आवंटित की गई है लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ आपात बैठक बुलाई जाए और इस परियोजना पर विचार किया जाए, यदि आप राज्य सरकार पर और अधिक धन का बोझ डालोगे तो यह परियोजना कभी भी साकार नहीं होगी। कृपया इसे अपने ही साधनों से करें और इस डालखोला ऊपरि पुल परियोजना को शीघ्रता पूर्वक पूरा किया जाए क्योंकि पूर्णिया डालखोला से, कटिहार डालखोला से जुड़ा हुआ है और डालखोला बंगाल और बिहार के बीच का मुख्य व्यापार केन्द्र है।

जब किशनगंज परियोजना को पूरा किया जा रहा था तो लोगों ने आरोप लगाया कि चूंकि मंत्री किशनगंज से है और राजग सरकार से संबंधित है इसलिए उन्हें सडक ऊपरि पुल मिल गया और संसद सदस्य विपक्ष के हैं इसलिए उन्हें रेल ऊपरि पुल नहीं मिलेगा। वहां यह धारणा थी। मुझे मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है। मंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं और उन्होंने इस संबंध में बैठक की है। मैं मंत्री जी से यही अनुरोध है कि इसे शीघ्रता पूर्वक किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब श्री रामपाल सिंह अपना भाषण लेकर दें। अब हम मंत्री जी को बुलाएंगे, लोग कोआपरेट नहीं कर रहे हैं।

***श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज)** : सभापति महोदय, मैं रेल विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं रेल मंत्री जी का आभारी हू कि उन्होंने हमारे संसदीय जनपद सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में गोण्डा, गोरखपुर के रेल मार्ग का आमान परिवर्तन का शिलान्यास करके, पिछड़े क्षेत्र को जो उद्योगशून्य है, उसे गति देने का काम किया। साथ ही साथ मंत्री जी से मांग की इस वर्ष के बजट में अधिक धन देकर के इसको प्रयोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करे। इसके साथ–साथ हमारे बस्ती रेलवे स्टेशन पर वैशाली ट्रेन प्लेटफार्म नं. 1 पर लाइन न होने के कारण नहीं रुक पाती है, जिससे वृद्ध और हृदय रोग के मरीजों को पुल से होकर जाना पड़ता है। नं. 1 के प्लेटफार्म को लम्बा किया जाये जिससे वैशाली ट्रेन जो लखनऊ और उससे आगे जाती है, उससे लोगों को आने जाने में सहूलियत मिले।

बस्ती रेलवे स्टेशन पर खानपान का रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, उसे शीघ्र चालू किया जाये।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : हम करेंगे।

सभापति महोदय : दो मिनट में, भूमिका के बिना, अपनी बात खाली पाइंट्स पर रखना चाहते हैं तो रख दें।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, एक मिनट नहीं, दो मिनट में रखिये। श्री चन्द्रकान्त खैरे, हम दो मिनट में दूसरे आदमी को खड़ा कर देंगे।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रेलवे के विषय पर बोलने के लिए कहा। मैं शिवसेना पार्टी की ओर से अनुपूरक अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का बहुत–बहुत आभारी हूं कि इन्होंने गत वर्ष 44 करोड़ रुपये हमारे मराठवाड़ा रीजन के लिए ज्यादा दिये हैं। मराठावाड़ा महाराष्ट्र के जो इलाके हैं, वहां बहुत पुराने समय में निजाम गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन डाली थी। उसके बाद सरकार ने एक किलोमीटर भी नई रेलवे लाइन नहीं डाली। उसमें जो मुदखेड़–आदिलाबाद, सिकन्दराबाद–मुदखेड़, अकोला–पूर्णा और मिराज लातूर और नगर बिड़ परली पांच प्रोजैक्ट्स हैं, उनमें से आदिलाबाद दत्तात्रेय साहब के आन्ध्र प्रदेश के इलाके में है, इन इलाकों को हमें जोड़ना है। पहले हमारा इलाका आन्ध्र प्रदेश में था। श्री दत्तात्रेय साहब भी इसके लिए रेलवे लाइन के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको इसके लिए कुछ पावर यूज करनी चाहिए। इन पांचों प्रोजैक्ट्स के लिए पैसा मिला है। नगर बीड़ परली सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे प्रमोद महाजन साहब परली के हैं। मराठवाड़ा को 953 करोड़ रुपया ज्यादा मिले तो मराठवाड़ा की जनता के पूरी डिमांड्स कम्पलीट हो जाती हैं। मैं सभी आदरणीय मंत्रियों से यह विनती करूंगा कि इस बार जब बजट आये तो जैसे 117 करोड़ रुपया आपने इस साल दिया है, उससे दोगुना– तिगुना पैसा देकर 2–3 साल में इन प्रोजैक्ट्स को पूरा कर दें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन मराठवाड़ा में हम लोग काफी अर्से से डिमांड पर रहे हैं। हमारे आदरणीय स्वर्गीय गोविन्द भाई श्रोफ 93 साल के थे वे पद्मभूषण थे, वे हैदराबाद मुक्ति संग्राम के बड़े सेनानी थे।

जब मैं पिछले दिनों उन्हें अस्पताल में मिलने गया था तब उन्होंने उस वक्त भी पूछा कि रेलवे का क्या हुआ तो हम बोले प्रयत्न चालू है। इतनी डिमाण्ड लोगों में थी और आज भी है। मराठवाड़ा जो कई वर्षों से केन्द्र सरकार की ओर देख रहा है, वह मांग पूरी हो जाएगी। मेरी दो मांगें हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड है कि हमें साउथ सेंट्रल रेलवे से सेंट्रल रेलवे में डाल दीजिए। हमारी कई सालों की मांग है। नांदेड़ का डी.आर.एम. ऑफिस है, वह फुल–फ्लैज्ड नहीं है, वहां कोई नहीं रहता है, उसे फुल–फ्लैज्ड करिए। ममता जी के समय से यह मांग चली आ रही है और उन्होंने भी हां कह दिया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है; इसलिए आज मैं वही याद दिला रहा हूं। शिव सेना की ओर से नीतीश कुमार जी से हम लोग बहुत बार मिले हैं। उन्होंने कहा था रेलें चालू करने के लिए कहे कि अभी चालू करेंगे, फिर बोले कि बाद में करेंगे। फिर बोले कि अभी बिहार और बंगाल का मुद्दा चालू हो गया है, उसे जाने दीजिए और अभी कुछ नहीं बोलिए। इसलिए मैं नांदेड़ से मुम्बई एक सुपर फास्ट नंदीग्राम एक्सप्रैस चलाने की विनती कर रहा हूं क्योंकि यह कई वर्षों से चली आ रही मांग है। हमारे मराठवाड़ा से कन्सर्न जो हैड ऑफिस है और राजधानी कैपिटल मुम्बई में है और सब एमपीज, एमएलएज, सरकारी कर्मी और जनता जाती है तो एमएलएज बोलते हैं कि क्या करते हैं, एक ट्रेन भी नहीं चालू कर सकते हैं। मैं एनडीए का सदस्य हूं और बहुत धार्मिक वृत्ति का आदमी हूं। मंत्री जी, आपने बोला था कि रेलें चालू करेंगे लेकिन अभी तक नहीं हुआ।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : जल्दी होगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे : जल्दी होगा लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वह नांदेड़–मुम्बई नंदीग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रैस हफ्ते में एक ही दिन चालू होने वाली है। सप्ताह में वह ट्रेन एक दिन नहीं, पूरे सात दिन चलनी चाहिए, ऐसी मैं विनती करता हूं। मेरी एक और मांग है कि सम्भाजीनगर–तिरुपति बालाजी एक ट्रेन चालू की जाए क्योंकि पूरे आन्ध्र प्रदेश के जितने भी लोग हैं और बाकी लोग हैं, सबकी मांग है। इसलिए आप सम्भाजीनगर से तिरुपति एक ट्रेन चलाइए जो मनमाड़–औरंगाबाद–सम्भाजीनगर और नांदेड़ से होकर जाए। तिरुपति ट्रेन को मनमाड़ से चालू करिए। एक बार फिर मैं मराठवाड़ा की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आपने मुझे दो मिनट का समय दिया है और मैं इससे अधिक समय नहीं लूंगा।

माननीय मंत्री महोदय को कुछ अति महत्त्वपूर्ण बातों की जानकारी होनी चाहिए। 147 किलोमीटर येलाहंका–बंगारूपेट लाइन के छोटी लाइन से बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन के संबंध में 60 किलोमीटर तक के कार्य को पूरा किया जा चुका है और इस पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। शेष 87 किलोमीटर तक के कार्य को पूरा किया जाना है। अन्यथा, पहले खर्च की जा चुकी धनराशि से कोई फायदा नहीं होगा। यह लाइन सभी प्रकार के फलों और सब्जियों को पैदा करने वाले स्थान कोलार के लिए अति महत्वपूर्ण मदनापल्ली–तिरूपति तटीय लाइन से जुड़ेगी। यह काफी समय से लंबित पड़ी लाइन है। इस लाइन पर कार्य की शुरूआत 1995–96 में हुई थी। लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है और शेष कार्य पूरा किया जाना है। अन्यथा, इसका कोई फायदा नहीं होगा।

माननीय सदस्य श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पहले ही अन्य परियोजनाओं के बारे में बता चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से उन परियोजनाओं को पूरा करने के तरीके पता लगाने का अनुरोध करूंगा।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : बहुत–बहुत धन्यवाद, महोदय मैं अपना भाषण दो मिनट के भीतर पूरा करूंगा।

बहुत ही कम धनराशि के लिए अनुपूरक मांग की गई है। हमारी समझ में यह नहीं आता है कि दक्षिण–पूर्व रेलवे के लिए कोई राशि क्यों प्रदान नहीं की गई है। मेरे विचार से माननीय मंत्री महोदय तामलुक–दीघा परियोजना पर विचार करेंगे ताकि वह अगले बजट में इस पर कुछ कार्रवाई कर सकें। इस कार्य को वर्ष 2002 के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया गया था।

मैं यहां मिदनापुर के निकट कनसावती नदी के ऊपर दूसरे पुल के बारे में भी उल्लेख करना चाहूंगा। प्रतिदिन, भुवनेश्वर एक्सप्रेस सहित 65 से अधिक रेलगाडियां इस मार्ग

[श्री प्रबोध पण्डा]

से गुरजती हैं लेकिन वहां खड़गपुर से मिदनापुर तक कोई दूसरी लाइन नहीं है और न कोई दूसरा पुल है। माननीय मंत्री महोदय ने मौजूदा पुल के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान करने की कृपा की है। हर रोज हजारों लोग इस पुल को इस्तेमाल करके नदी पार करने के अभ्यस्त हैं। यदि आप इन लोगों के लिए पैदलपार पुल की व्यवस्था कर देंगे तो यह उनके लिए पर्याप्त होगा। इससे लोग सुरक्षित तरीके से जा सकते हैं और पुल को पार कर सकते हैं।

मैं एक अन्य मुद्दे के बारे में भी कहना चाहूंगा। माननीय रेल मंत्री इस स्थिति के बारे में भली–भांति जानते हैं और माननीय मंत्री महोदय श्री अजित सिंह भी इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के बारे में बात कर रहा हूं। यह स्थान ट्रैफिक जाम के कारण बहुत ही समस्याग्रस्त है। इसलिए कुछ सड़क ऊपरि पुलों को बनाने की जरूरत है। सड़क ऊपरि पुलों की निर्माण लागत का 25 प्रतिशत भाग देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहमत हो गया है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय स्वयं इस पर विचार करें। ऐसा करना वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा।

अंततः मैं यह कहना चाहंगा कि पूर्व रेल मंत्री ने यह घोषणा की थी कि मिदनापुर रेलवे स्टेशन एक आदर्श स्टेशन होगा। मेरा मुद्दा यह है कि अभी तक सी.एस.पी.टी.एम. मशीन का भी स्थापन नहीं किया गया है। आधारभूत संरचना तैयार कर ली गई है, मकान बना लिए गए हैं, लेकिन अभी तक सी.एस.पी.टी.एम. मशीन नहीं लगाई गई है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से संदर्भित कार्य को शीघ्रता से पूरा करने का अनुरोध करूंगा।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (वडागरा) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगी क्योंकि मुझसे पहले बोलने वाले साथी धन के आवंटन में अपनाए जाने वाले फार्मूले के बारे में पहले ही जिक्र कर चुके हैं। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि इसके कारण कई राज्यों को असुविधा हुई है। मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं कहूंगी। माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में भली–भांति जानते हैं।

मैं केरल के संसद सदस्यों की ओर से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगी क्योंकि जब भी हम उनसे मिलकर अभ्यावेदन देते हैं तो वे हमारी बातों पर बहुत ही ध्यान से विचार करते हैं। इसलिए मैं उनके सामने कोई अतिरिक्त मांग नहीं रख रही हूं। मैं सभा के सामने जो प्रस्तुत करने जा रही हूं वह यह है कि केरल में बड़ी संख्या में सड़क ऊपरि पुलों का निर्माण हो रहा है और इनमें से केवल पांच सड़क ऊपरि पुल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। अब वहां पर्याप्त धन है। पूर्व केरल निर्वाचन क्षेत्र में हैं। अब वहां पर्याप्त धन है। पूर्व केरल सरकार ने इन रेलवे ऊपरि पुलों की देख–रेख के लिए विशेष इंतजाम किए थे और केरल सड़क और सेतुनिगम गठित किया था? लेकिन, ऐसे में रेलवे प्राधिकरण, विशेष रूप से दक्षिण रेलवे का अभियांत्रिकी स्कंध परियोजनाओं को मंजूरी देने में अत्यधिक विलंब कर रहा है। उदाहरण के लिए अब तक अधिकांश सड़क ऊपरि पुलों का आधा कार्य पूरा हुआ। यह कार्य सड़क और सेतु निगम द्वारा किया जाता है। समय पर रेलवे भाग की पट्टी न हटाए जाने के कारण ऐसा हो रहा है और जिसके कारण, वास्तव में, लोगों को ट्रैफिक जाम के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि एक आयेदिन की समस्या बन चुकी है। यह एक मुद्दा है।

अब मैं रेलवे सुरक्षा कोष के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। रेलवे सुरक्षा कोष बनाया गया है। इसका अनुमानित लक्ष्य 17,000 करोड़ रुपये है और यह सुरक्षा प्रस्तावों तथा परियोजनाओं के लिए माना गया है। लेकिन अभी तक कर्मीदल रहित समपारों पर अपनी अपेक्षित रफ्तार के अनुसार कर्मियों की तैनाती नहीं की गई है।

जब कुमारी ममता बनर्जी माननीय रेल मंत्री थीं तो उन्होंने उस समय कर्मीदल रहित समपारों पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष से कर्मी तैनात करने का सुझाव दिया था। वास्तव में, कर्मीदल–रहित समपारों पर कर्मी के तैनाती के लिए विशेष कोष होने पर इस सब की आवश्यकता नहीं है।

अब, अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैंने दो प्रस्ताव रखे हैं, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से एक अंडरब्रिज और एक ऊपरि पुल के लिए। लेकिन रेलवे प्राधिकरण का कहना है कि धन राज्य अथवा नगर निगमों अथवा पंचायतों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का कारण मेरी समझ में नहीं आता। जब इस कार्य के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष वास्तव में उपलब्ध है। तो कर्मीदल–रहित समपारों पर कर्मी तैनात करने का काम इस कोष से क्यों नहीं किया जाना चाहिए? वास्तव में यह यात्रियों की सुविधाओं

से नहीं जुड़ा हुआ है, प्रस्तावित कार्य अंडर-ब्रिज और ऊपरि पुल है।

अंततः मैं अनुरोध करती हूं कि कर्मीदल रहित समपारों पर कर्मी की तैनाती जल्द-से-जल्द रेलवे सुरक्षा कोष से लिए गए धन से की जानी चाहिए।

महोदय, अन्य मुद्दों के संबंध में, मैं उन्हें अगले बजट के लिए रखूंगी जब हम विस्तार से बात करेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि उस समय माननीय मंत्री महोदय हमारी मांगों व अनुरोध पर अनुग्रहपूर्वक विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने केरल के सारे संसद सदस्यों को बुलाकर हमारी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। मैं मूर्ति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे केरल में समय-समय पर आकर हमारी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, इसमें मैं दो-तीन मुद्दों के बारे में जरूर बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि झबरीमला केरल की सबसे बड़ी पिलग्रिम सेंटर है। हर प्रदेश से वहां लोग आते हैं। उसे मद्देनजर रखते हुए रेल विभाग ने एक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण किया है। देश के अन्य प्रदेशों से भी वहां लोग आते हैं। रेल विभाग ने एक नई रेल लाइन के बारे में सर्वेक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने केबिनेट कमेटी से भी अनुमति ली है और कोट्टायम एरूमेली में एक नई रेल लाइन शुरू करने का बंदोबस्त किया है, लेकिन उसके लिए धनराशि निर्धारित नहीं की, इसलिए ज्यादा विलम्ब हो रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि कोट्टायम एरूमेली में नई रेल लाइन शुरू करने का कष्ट करें।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हम सब लोग मिले थे तो उन्होंने बताया कि किसी भी रेल लाइन के लिए धनराशि अपर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि जहां काम नहीं होते हैं, उधर का पैसा जहां काम चलते हैं वहां जाता है। एरणाकुलम से कायमकुलम तक जो रेल लाइन है, वाया कोट्टायम और अलेप्पी है, उसके लिए आपने आश्वासन दिया है। उसके बारे में आने वाले दिनों में जरूर सोचना चाहिए तथा उसे कामयाब बनाने में आप आगे आएं। पैसेंजर्स एमिनिटीस के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। हमारा जो तिरूवनंतपुरम स्टेशन है, जो हमारी कैपिटल सिटी है, उस तरफ भी काम शुरू किया गया था लेकिन वह काम बहुत धीरे चल रहा है। मुझे पता चला है कि वह सारा काम रुक गया है। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। आपको सदर्न रेलवे के द्वारा यह काम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र मवेलीकारा में मंत्री जी ने एग्री किया है कि आने वाले बजट सत्र के बाद वे आएंगे और पैसेंजर्स एमिनिटस के जो भी काम बाकी हैं, उन्हें पूरा कराने के लिए कोशिश करेंगे।

महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का कोइ भी व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा नहीं करता, सारे लोग टिकट लेकर यात्रा करते हैं। रेलवे को सबसे ज्यादा आमदनी हमारे प्रदेश से मिलती है, उसी के अनुसार हमें धनराशि निर्धारित करनी चाहिए। हमारे यहां सब लोग रिजर्वेशन करा कर, टिकट लेकर रेल में यात्रा करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा धनराशि निर्धारित करने की कोशिश करें।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देता हूं कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने आशा प्रकट की थी कि मुंबई से दिल्ली महत्वपूर्ण रेल रूट है, इसलिए इस रूट पर एक राजधानी शुरू करनी चाहिए। मुंबई से दिल्ली तक मध्य रेल लाइन के ऊपर चलने वाली गाड़ियां बिजली से चलनी चाहिए। रेलवे में बहुत सारे कुली हैं, जिन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। मनमाड़, मालेगांव, धूलिया, नरदाना और इंदौर में एक नई रेल लाइन की मंजूरी देनी चाहिए। मंत्री जी ने धूलिया में इसकी घोषणा की थी, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। सन् 2003 में नासिक, त्रियम्बकेश्वर कुम्भ मेला होने वाला है। नासिक रोड स्टेशन और ओड़ा स्टेशन का सुधार करना चाहिए तथा ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। धूलिया में गाड़ी को रोकना, लम्बी दूरी तक चलने वाली गाड़ी को रोकना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को चलाना चाहिए। मनमाड़, ऐवला और सिकंदराबाद रेल लाइन पर कुसमाड़ी गांव है। यहां 10-15 गावों की मांग है कि वहां एक नये रेल गेट की मंजूरी करनी चाहिए। पूना, नासिक रेल लाइन का सर्वे हो चुका है, उसे मंजूरी देनी चाहिए।

श्री भास्करराव पाटील (नांदेड़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि हमारे यहां आपने नंदीग्राम एक्सप्रेस शुरू करने का वायदा किया था। इसके लिए मराठवाड़ा के लोग आपसे मिले भी थे और आपने नांदेड़ से चलने वाली नंदीग्राम एक्सप्रेस के लिए कहा था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसका आप एनाउंसमेंट करें।

[श्री भास्करराव पाटील]

दूसरी बात यह है कि मुदखेड़–अजीलाबाद के ब्रॉडगेज का काम 1992 में शुरू हुआ था लेकिन जितने बजट का आवंटन होना चाहिए था और जो गति काम की होनी चाहिए थी, वह गति उसे नहीं मिली। मेरी मांग है कि उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बजट आप दें और इस काम को शीघ्र पूर्ण करा दें। पूर्णा–अकोला–खंडवा लाइन को आपने मंजूरी दी हुई है। आपने वादा किया था कि आप हमारे वहां के जो एम. पी. साहब हैं उनके साथ वहां आयेंगे और उस लाइन का शिलान्यास भी करेंगे। यह वायदा अपने तीन महीने पहले किया था और हमारा मत है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो वायदा करते हैं उसे निभाते हैं। लेकिन इन योजनाओं को देखने से लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी हमें भूल गये हैं। हमें आशा है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे मराठवाड़ा में आयेंगे और अपने वायदों को पूरा करेंगे और इस योजना का आप उद्घाटन करेंगे।

हमारी बहुत पुरानी मांग है कि उदगिल–देवघर–भौदल रेलवे का सर्वेक्षण किया जाए। हमारे औरंगाबाद के माननीय सांसद महोदय ने जैसा कहा कि वह पिछड़ा इलाका है और आपने उसके बारे में भी हमसे वादा किया था, उसका भी कार्य शीघ्र करायें। दूसरा, भौदल–बिलौली–मुतखेड़–लातूर रोड का सर्वेक्षण आपको करना है। सभी जानते हैं कि नांदेड़ में गुरू गोविन्द सिंह जी का बहुत बड़ा स्थान है जिसे सिक्ख धर्म का काशी कहा जाता है। वहां सन् 2008 में बहुत बड़ा गुरुघर का कार्यक्रम होने जा रहा है और दुनियाभर से 50 लाख सिक्ख भाई वहां आयेंगे। इसलिए मां–टेकड़ी पर एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जाए, यह हमारी मांग है। मुतखेड़–कंधार–लातूर रोड का सर्वेक्षण आपके बजट में आया हुआ है लेकिन उसके काम को गति नहीं मिली। उसको आप गति दें। मुतखेड़–लोहार–गंगापुर का भी जल्दी से जल्दी सर्वेक्षण किया जाए। हमारी नंदीग्राम एक्सप्रेस गाड़ी जल्दी–से–जल्दी शुरू की जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। उसे झंडा दिखाने के लिए भी आप खुद आएं और मराठवाड़ा के रेलवे के खास लोगों को बुलाकर एक बड़ा फंक्शन वहां किया जाए। नहीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, रेलवे की सप्लीमेंटरी डिमांड पर चर्चा हो रही है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। रेल लेट होगी तो चलेगा, लेकिन उत्तर हमें लेट नहीं चाहिए। हमारे पंढरपुर में कुरडवाडी–पंढरपुर 50 किलोमीटर का ब्रॉडगेज रेल लाइन का कार्य पूरा हुआ था और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया था लेकिन लातूर–कुरडवाडी–पंढरपुर मिराज का काम बाकी है। उसके लिए मंत्री महोदय से मांग है कि आने वाले बजट में 100 करोड़ रुपये बजट में अलॉट करने की आवश्यकता है।

के. के. एक्सप्रेस कुरडवाडी में रुकती नहीं है। माननीय दत्तात्रेय जी और नीतीश जी हमारे मित्र हैं, इसलिए के.के. एक्सप्रेस कुरडवाडी में रुकनी चाहिए। मुम्बई से औरंगाबाद, मुम्बई से कोल्हापुर, मुम्बई से अकोला शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने के बारे में सरकार अगर विचार करे, तो उससे काफी रेवेन्यू रेलवे को मिल सकता है। इसलिए, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। मुम्बई सी.एस.टी. से लेकर कल्याण तक जो ट्रेनें आती हैं, उन लोकल ट्रेनों में बहुत भीड़ होने के कारण बाहर की गाड़ियां लेट होती हैं। बाहर की गाड़ियों के लिए अलग से ट्रेक्स के लिए रेलवे ने सर्वे भी कर लिया है। उनके लिए दो नये ट्रैकों की आवश्यकता है। कुर्ला स्टेशन पर एक ब्रिज की आवश्यकता है। ईस्ट–वैस्ट ब्रिज करने की आवश्यकता है। शोलापुर से डबल लाइन की हमारी मांग बहुत पुरानी है। गुहागर– बारामती–पंढरपुर रेल लाइन का सर्वे हो चुका है। बारामती माननीय शरद पवार जी का निर्वाचन क्षेत्र है, पंढरपुर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। इसलिए गुहागर से पंढरपुर तक रेलवे लाइन का जो सर्वे हुआ है उसे मंजूरी देने की आवश्यकता है। माननीय नीतीश जी, एक बार हमने मुम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देने की प्रार्थना की थी। मुम्बई में सीएस शिवाजी महाराज के नाम से स्टेशन है। बाबा साहेब अम्बेडकर का मुम्बई से अच्छा संबंध रहा है।

मैं चाहता हूं कि मुम्बई सैंट्रल स्टेशन को बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर नामकरण करने के बारे में आप विचार करिए। मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। हमारी मांगों को आप पूरा करें। हम आपकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी मांगों का समर्थन करें। पैसा कम है। इस बात की हमें जानकारी है। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं केवल एक मुद्दे पर बोलना चाहूंगा।

तंजाबूर–विल्लूपुरम–चेन्नई वाया कुम्बकोनम–मयूरम मुख्य लाइन है और यह 100-वर्ष से अधिक पुरानी है। बड़ी लाइन

में परिवर्तन हेतु परियोजना 15 वर्षों पूर्व शुरू की गई थी। विल्लूपुरम से चेन्नई, तंजावूर से त्रिचि, और अन्य स्थानों पर लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन विल्लूपुरम से तंजावूर तक की लाइन के परिवर्तन कार्य को गंभीरता से शुरू नहीं किया गया है। तंजावूर और विल्लूपुरम में रह रहे लोग कई प्रकार से कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि वे अन्य लाइनों से नहीं जुड़ सकते हैं। नई लाइनें पाने की बजाय वे पुरानी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं।

इसलिए, मैं मंत्री महोदय से कुंबकोणम में आमान परिवर्तन कार्य को शुरू करने का आग्रह करता हूं क्योंकि वहां बहुत जल्द महानतम त्योहार आयोजित होने वाला है। उससे पहले, मैं आपसे तंजावूर–कुंबकोनम लाइन पर आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज की इस चर्चा में भाग लिया है। कई लोगों ने कई प्रश्न उठाए हैं और कुछ उनकी जिज्ञासाएं हैं। जहां तक अलग–अलग रेलवे प्रोजैक्ट्स या उनके द्वारा उठाए गए बिन्दु हैं, मैं उन सभी का अलग–अलग जवाब देना इस चर्चा को समाप्त करते हुए या चर्चा का उत्तर देते हुए सम्भव नहीं होगा। इसलिए जो भी प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, मैं उन सभी का उत्तर उन तक पहुंचाने की अवश्य कोशिश करूंगा। आप इस बात से अवगत हैं कि यह सप्लीमैंटरी डिमांड फॉर ग्रान्ट है। 23 कार्यों के लिए कुछ टोकन एमाउन्ट्स का यहां से अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इसमें दोहरीकरण की दो परियोजनाएं हैं, ट्रैफिक फैसिलिटीज की तीन हैं, रोड ओवर ब्रिज की चार हैं और अन्य प्रकार के पुल दो हैं। इसमें कम्प्यूटराइजेशन के 6 प्रोजैक्ट्स हैं, पैसेंजर एमेनिटीज से संबंधित चार हैं, वर्कशॉप से संबंधित एक है और सेल्स स्टॉक से संबंधित एक है। अगर पूरे कार्य के समूचे कॉस्ट को देखें तो रेलवे का शेयर 226 करोड़ रुपए के लगभग होगा। इसमें चूंकि चार रोड ओवर ब्रिज हैं, इसलिए जहां की सड़कें हैं राज्य सरकारों का भी इसमें अंशदान होगा लेकिन हम इसके लिए 25 हजार रुपए की टोकन एमाउंट की मांग कर रहे हैं। इस बीच में इन परियोजनाओं पर हम काम शुरू करना चाहते हैं, इसलिए अनुमति चाहते हैं। ये सब कार्य जनहित में हैं। मेरी समझ से इन मांगों पर किसी माननीय सदस्य ने कोई एतराज नहीं जताया है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। कई लोगों ने चर्चा करते समय उस पर प्रसन्नता भी जाहिर की है।

आज हमारे पास बहुत से प्रोजैक्ट्स हैं। खास तौर पर नई लाइन, गेज कनवर्जन के हैं। उसे पूरा करने के लिए जितने धन की आवश्यकता है, उसकी कमी है। यही कारण है कि बार–बार माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे राज्य में इतनी परियोजनाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कुल राशि जोड़कर प्रोजैक्ट कॉस्ट बता देते हैं और बताते हैं कि हमारे यहां इतना पैसा ही दिया है।

एक तरफ वे सही कहते हैं लेकिन अगर पूरे देश के पैमाने पर देखते हैं तो देश के सारे प्रोजैक्ट्स पूरे करने के लिए नई रेल लाइनें, आमान परिवर्तन, डब्लिंग, एम.टी.पी., रेलवे इलैक्ट्रीफिकेशन्स आदि को लें तो हमें 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक चाहिए जबकि उस हिसाब से हमारे पास धनराशि उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो राशि उपलबध है, उसे ठीक से बाँटने के लिए हमने एक फार्मूला निकाला है। आमतौर पर यह शिकायत आती है कि यदि किसी राज्य से रेल मंत्री है तो पर्याप्त पैसा वहां चला गया, बाकी जगह नहीं गया। हमने पापुलेशन, एरिया और थ्रू फार्वर्ड प्रोजैक्ट्स का मानदंड बनाया है। इसमें 70 परसेंट वेटेज प्रोजैक्टस पूरा करने के लिये, 15 परसेंट एरिया को और 15 परसेंट पापुलेशन को दिया है। इसी प्रकार से कई मांग आई हैं। हम कितना ही कम्पोनेंट लें लेकिन 70 परसेंट पैसा प्रोजैक्ट पूरा करने के लिए रखा गया है ताकि हमारे पास उपलब्ध पैसे का बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो। उस हिसाब से इस बजट को बंद किया गया है। इसलिए कोई शिकायत नहीं हो सकती कि आपने फलां परियोजना को नेग्लैक्ट किया है। यह स्वाभाविक है कि जो माननीय सदस्य जिस राज्य से आते हैं, उन्हें राज्य के रेल प्रोजैक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी है लेकिन मेरे सामने पूरे देश का चित्र है। मेरी ओर से पूरी कोशिश है कि कैसे हम समय सीमा के अंदर प्रोजैक्ट्स को पूरा करें। इसी कारण से हमने इनिशिएटिव लिया है और धनराशि को संतुलित ढंग से बांटने के लिये फार्मूला बनाया है। इसके अलावा अन्य स्रोतों से धन लाने की कोशिश हो रही है।

सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना की घोषणा की थी जो कि गोल्डन क्वायड्रेगुलर की तरह ट्रैक स्ट्रक्चर पूरा करने के लिये, जैसे कहीं दोहरीकरण, तीसरी लाइन या चौथी लाइन बिछाने के लिए, यदि कहीं इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं है तो उसे किया जाये ताकि हम मालगाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से चला सकें। हम बेहतर ट्रेक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिसके लिए 8 हजार करोड रुपये की जरूरत होगी। राष्ट्रीय रेल

[श्री नीतीश कुमार]

विकास परियोजना के अंतर्गत एक अवयव यही है कि जैसे गोल्डन क्वायड्रेगुलर को हम लोग मजबूत करेंगे जहां हमारा 65 परसेंट माल जाता है। बाहर का पैसेंजर लगभग आधा करने के लिए गोल्डन क्वायड्रेगुलर एंड इट्स डायग्नल्स को मजबूत करना स्कीम में आता है। इसके अलावा पत्तन के साथ हिंटरलैंड को जोड़ने के लिए जो बौटलनैक्स हैं, उसके लिये 3 हजार करोड़ रुपये राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना में रखे गये हैं।

इसी प्रकार मेगा ब्रिजेज हैं। ब्रह्मपुत्र प्रोजैक्ट को बनाने के लिये 1700 करोड़ रुपये, गंगा नदी पर पुल बनाने के लिये, दो कोसी नदी पर ब्रिजेज बनाने के लिये 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि चाहिए। रेलवे सिस्टम से चार ब्रिजेज निकालकर उसके लिये 3500 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। इसी प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने 15 हजार करोड़ रुपये की राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना की घोषणा की है। हम उसके लिये काम बढ़ा रहे हैं। नॉन बजटरी इनिशिएटिव लेकर उसे बाहर के कराना होगा। इसके लिये हम स्पेशल परपज व्हीकल बनाना चाहते हैं। हम बाहर से पैसा लेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक से बाचचीत हुई है। पूरी संभावना है कि वहां से मदद मिल सकती है।

उनसे हमारी निगोशिएशन हुई है, जो अंतिम स्टेज में है। वहां उन्हें इसी महीने डिसीजन लेना है। हमारी टीम उनके साथ बातचीत करके लौट आई है। वहां से भी पैसा लेने की कोशिश हो रही हैं। इसी प्रकार से दूसरी एजेन्सीज से पैसा लेने की कोशिश की जा रही है। देश के अन्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पैसा लेने के लिए मीटिंग चल रही है। इस प्रकार जो धन हमें मिलता है, उसके अलावा और धन का प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी मुम्बई में मुम्बई रेल विकास कारपोरेशन बना हुआ है। उसे वर्ल्ड बैंक से असिस्टैन्स मिली है और वह लांच हुआ है। एम.यू.टी.पी. उसका रेल कम्पोनैन्ट है। उसमें महाराष्ट्र सरकार आधा पैसा दे रही है और रेल मंत्रालय भी आधा पैसा दे रहा है और इसमें वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज लिया जा रहा है। वह काम शुरू हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का लोन स्वीकृत हो गया है। वह वित्त मंत्रालय के माध्यम से हमें मिलेगा। इस प्रकार से कई स्रोतों से धन किस प्रकार से उगाहा जा सके, कैसे मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। बड़ी–बड़ी परियोजनाओं में जैसे कश्मीर की परियोजना है, उसे पूरा करने के लिए 40 हजार करोड़ रुपया चाहिए। जम्मू–कश्मीर में ऊधमपुर से बारामूला तक की यह परियोजना है। उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। उसके लिए अलग से धन दिया जा रहा है। उस पैसे का अलग से इंतजाम हो रहा है। इसी तरह से राजस्थान के बॉर्डर्स में कुछ परियोजनाएं ऐसी थीं जिन्हें सामरिक दृष्टिकोण से बनाना बहुत जरूरी था। उनके लिए रक्षा मंत्रालय कुछ पैसा दे रहा है। इस तरह से अलग–अलग जगहों से पैसे का जुगाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें भी आगे आई हैं। जैसे झारखंड में रेल परियोजनाओं पर दो–तिहाई धन वह लगायेंगे।

सभापति महोदय, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा जी चली गई हैं। के–राइड से शेयर होल्डर्स का अभी एग्रीमैन्ट हुआ है। चार मामलों के बारे में सैद्धान्तिक सहमति है। उस पर शेयर होल्डर्स का एग्रीमैन्ट हो गया है। उसमें कर्नाटक सरकार भी धन लगायेगी, हम लोग भी धन लगायेंगे और बाहर से भी जो इंडस्ट्रीज रेल लाइन से लाभान्वित होने वाले हैं, वे भी लगा सकते हैं। इसी तरह से कर्नाटक ने तीन रेल परियोजनाओं में दो–तिहाई धन लगाने का वायदा किया है। इस तरह से राज्यों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।

अब प्राइवेट सेक्टर को लीजिए। मुंदा पोर्ट ने एक लाइन बनाई थी। उनके साथ ऑपरेशन एग्रीमैन्ट हो गया, वह लाइन बन गई है। पिपावाव पोर्ट के साथ रेल लाइन अलग से बनाने के लिए गेज कंवर्शन और थोड़ी दूर नई रेल लाइन बनाने के लिए एस.पी.वी. बना हुआ है, इसमें 50 प्रतिशत रेलवे दे रही है और 50 प्रतिशत पोर्ट वाले दे रहे हैं। इस तरह से चारों तरफ से धन का कैसे इंतजाम हो, इसके प्रयास किये जा रहे हैं। ये सारी कोशिशें इसलिए हैं ताकि हमारी जितनी भी स्वीकृत परियोजनाएं हैं, उन्हें हम एक समय सीमा में पूरा कर सकें। इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। इसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए। लेकिन धन का मामला योजना आयोग और वित्त मंत्रालय पर निर्भर करेगा। आप लोग यहां जो भाषण करते हैं कि रेलवे को ज्यादा धन मिलना चाहिए, उसमें हमें थोड़ी मदद मिलती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि रेल मत्रालय की पूरी इच्छा है कि एक समय सीमा के अन्दर हाथ में ली हुई जितनी परियोजनाएं हैं, उन्हें पूरा किया जाए। लेकिन हमारे सामने रिसोर्स कंस्ट्रेन्ट है। जैसे आप सभी जानते हैं। इसे दूर करने के लिए हाल में कई प्रयत्न किये गये हैं, जिनकी जानकारी मैंने आपको दी है। इससे कुल मिलाकर परियोजनाओं को एक समय सीमा के अंदर पूरा करने में मदद मिलेगी।

मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्यों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव मेरे कार्यकाल में नहीं होगा। जो भी धन है, उसका उचित ढंग से हर जगह एक आधार पर, मानक बनाकर हम बांटने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल के साथी नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की परियोजना एकलाखी–बलूरघाट के बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य चले गये हैं। एकलाखी–बलूरघाट को इस साल पूरा करना है। हमने बजट भाषण में कह दिया है। तामलुक–दीघा का कोन्टई तक का काम इस बार पूरा होना है। हमने टारगेट घोषित किया है। हमारा इरादा कोई भी परियोजना को छोड़ने का या उसकी प्राथमिकता को समाप्त करने का नहीं है। लेकिन जो धन का बंटवारा हुआ है, उसके हिसाब से सबको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यह परिस्थिति हमारे सामने है। जितनी भी घोषणाएं इस बार की गई हैं, उन्हें बहुत हद तक पूरा करने की दिशा में काफी कदम आगे बढ़े हैं। कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि जो जैसा आवंटित हुआ है वह खर्च नहीं हुआ है। उसकी भी पूरी मॉनीटरिंग हो रही है। यह वर्किंग सीजन है। सच पूछिये तो जबर्दस्त काम इसी समय शुरू होता है। इसकी मॉनीटरिंग की जा रही है। हमारी कोशिश होगी कि जो धन का आवंटन किया जाता है, उसे हम ठीक ढंग से खर्च भी करें।

ट्रेन चलाने के बारे में जितनी घोषणाएं थीं, ज्यादातर घोषणाओं पर अमल किया जा चुका है। पूरे साल में 16 जनशताब्दी एक्सप्रैस चलानी थीं जिनमें से 14 चला दी गई हैं। दो बची हैं और हमारी इच्छा है कि कैलेन्डर ईयर 2002 के समाप्त होने से पहले वे भी चला दी जाएं। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोशिश है, दो–चार दिन आगे–पीछे हो सकता है, अब दो ही बची हैं, वे भी चला देंगे। बाकी जिनती ट्रेनें हैं, उनको भी हम चलाएंगे और इसके अलावा भी मांग के आधार पर चलाएंगे जैसे अभी माननीय सदस्य ने नन्दीग्राम एक्सप्रैस की बात कही। हमने इस संबंध में बातचीत की है। मराठवाड़ा के सारे सांसद आए थे और उनके साथ चर्चा में हमने तय किया कि इसको चलाएंगे और वह डेली ट्रेन होगी, वीकली ट्रेन नहीं होगी। उसकी तिथि के बारे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा है कि तिथि घोषित करें। हमारी तरफ से कोशिश निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी की होगी। बीच में भी जो आश्वासन दिये गये हैं, उनको पूरा करने की कोशिश है।

जोन का जहां तक सवाल है, कुछ सदस्यों ने कहा कि नोटिफिकेशन हो गया, दो जोन्स ने 1 अक्तूबर, 2002 से काम करना प्रारंभ कर दिया। बाकी पांच जो नये जोन हैं, वे 1 अप्रैल, 2003 से काम करना शुरू कर देंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही बात को हर रोज दोहराया जाए। अब रहा सवाल कि जहां तक आपने कह दिया की ईसीआर का खर्च क्यों नहीं हो रहा है, मैं बीच में गया था। शायद यहां उसके मुख्यालय के भवन का, बाकी सब हमने कहा था कि निविदाएं आमंत्रित की जाएं, मैं उनको देख लूंगा, जल्दी से जल्दी काम शुरू हो और अधिक से अधिक धन भी खर्च किया जाए। लेकिन 1 अप्रैल को ऑपरेशनलाइज होगा, उसमें हमारी तरफ से कोई व्यवधान नहीं है, बल्कि आपको यह बताते हुए खुशी है कि बाकी सारे जो पांच जोन हैं, उनके भी ओएसडी के पद को उत्क्रमित किया जा चुका है, वह जनरल मैनेजर के रैंक के अधिकारी होंगे और उनके पदस्थापन की भी प्रक्रिया चल रही है। इसलिए बाकी जो भी काम होना है, उसके पहले वह सबकुछ किया जा रहा है। मुझे इस बीच सदन को यह रिपोर्ट करते हुए खुशी होती है कि दो नये जोन बने हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, बाहर कुछ अटकलबाजी चल रही है कि सरकार नए जोन बनाने के संबंध में पुनर्विचार करने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : बाहर क्या कहा जाता है, मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैंने वहां जाकर कह दिया था, संसद में जब भी पूछा गया, तब भी कहा है, सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। अब कौन क्या बाहर बोलता है इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है और हर बार उसका जवाब देना उचित भी नहीं है।

जो दो नये जोन बने हैं, उनके कुछ समय के जो परफॉर्मेन्स आए हैं, वे बड़े उत्साहवर्द्धक हैं। नये जोन बनाने से एफिशियेन्सी बढ़ी है, इस बात का पता चलता है। लेकिन आपने कहा कि अलग से कोई बहस होगी तो उस समय उसका कुछ उपयोग हो सके तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ बहुत ही सीमित कार्यों को हम शुरू करना चाहते थे इसके लिए हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेकर आए हैं। बाकी जितनी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, उन सबका उत्तर हम जरूर भेजेंगे।

[श्री नीतीश कुमार]

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर चूंकि सप्लीमेंट्री बजट था और इस बीच में कुछ घटनाएं हुई हैं और कई लोग मिले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं कि हमारी डिफेन्स फोर्सेज के लोगों में कुछ को परमवीर चक्र मिला है, कुछ को महावीर चक्र मिला है और कुछ को वीर चक्र मिला है, उन सबको रेलवे कॉम्प्लीमेंट्री पास देती है। वे जहां चाहे वहां रेल से जा सकते हैं। रेलवे इनको मुफ्त यात्रा के लिए पास जारी करती है। अभी इनका एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था और उन्होंने मुझे बताया कि राजधानी और शताब्दी में इनको इजाजत नहीं है। इसलिए एक निर्णय हमने लिया है कि जो हमारे डैकोरेटेड सोल्जर्स हैं, जो हमारे बहादुर लोग हैं—अधिकारी हों या जवान हों, जिन्हें परमवीर चक्र या महावीर चक्र दिया गया है, उनके अच्छे काम के लिए, बहादुरी के काम के लिए उनको राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में भी मुफ्त यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी।

दूसरा एक सुझाव खास तौर पर राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना के बाद आया था और कई क्वार्टर्स से हमने यह बात सुनी कि जो डाक्टर चलते हैं, रेलवे को चाहिए कि उनको कुछ कन्सेसन दें ताकि वे अपनी आइडेन्टिटी डिसक्लोज करें क्योंकि जरूरत पड़ने पर, वक्त—बेवक्त वे काम आते हैं। यूं तो राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेन्स में अनाउंसमेंट किया जाता है कि यदि कोई डाक्टर्स हैं तो वे आ जाएं लेकिन बाकी ट्रेनों में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमने एक और निर्णय लिया है कि जो भी डाक्टर अपनी आइडेन्टिटी को डिसक्लोज करेंगे और यह बताएंगे कि हम डाक्टर हैं और फार्म भरते वक्त यह वादा करेंगे कि यदि जरूरत पड़ेगी तो हम यात्रा के दौरान यात्रियों की मदद करेंगे, तो उन्हें 10 प्रतिशत कन्सेसन रेलवे की तरफ से प्रदान किया जाएगा। यह एक जेस्चर है। हम भी जानते हैं कि जब कोई डाक्टर यात्रा करता है और उस यात्रा में इस तरह की परिस्थिति आती है तो वह स्वयं ही मदद करता है। हमने देखा कि कई क्वार्टर्स से यह बात आई कि डाक्टर डिसक्लोज करें, इसलिए हमने ये दो निर्णय लिये थे।

मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। जहां तक परफार्मेंस का सवाल है, सप्लीमेंट्री बजट चल रहा है। जब हम नया बजट फरवरी में पेश करेंगे, तब इन सारी बातों की चर्चा होगी। लेकिन अब तक की जो परफोर्मेंस है, जहां तक फ्रेट ट्रैफिक का सवाल है, वह हमारा उत्साहजनक है। हमने जो टारगेट तय किया था कि इतना हमारी इंक्रीमेंटल लोडिंग होगा, अभी तक उस टारगेट से बेहतर हमारा प्रदर्शन है। जहां तक पैसेंजर ट्रैफिक का सवाल है, उसमें थोड़ी कमी है लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें अगर कोई कमी है तो हम दोनों को मिलाकर और इंटरनल सेविंग्स करके, हमने अब तक जो सेविंग की है यानी हमने अपने खर्चे में कमी की है, उसके चलते कुल मिलाकर ओवरहाल अब तक की रेलवे की फाइनेंशियल परफोर्मेंस को हम देखते हैं, तो वह ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने इस साल आपरेटिंग रेश्यो का जो लक्ष्य रखा था, उसको प्राप्त करने में हम कामयाब होंगे। मैंने समझा कि माननीय सदस्य को इनकी जानकारी देना आवश्यक है, इसलिए मैंने यह सब जानकारी दी है।

अब सेफ्टी के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। सेफ्टी के लिए जैसा बार—बार कहा जा रहा है कि 17 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बना हुआ है, उसका पैसा डायवर्ट तो नहीं होता। हमारा कहना है कि उसका एक नया पैसा भी डायवर्ट नहीं किया जा सकता। उस स्पेशल सेफ्टी फंड से जो आइटम लिये जाने हैं, उनको एक अलग ग्रीन बुक में छाप कर हमने सदन में प्रस्तुत कर दिया है। इसके अलावा वह पैसा दूसरे काम में खर्च नहीं हो सकता।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले सदन के संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड के दो कम्पोनेंट हैं—एक तो पैसेंजर के ऊपर सरचार्ज लगता है दूसरा भारत सरकार डिवीडेंड फ्री बजटरी सपोर्ट देती है। इन 17 हजार करोड़ रुपये में से हमने पांच हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य पैसेंजर सरचार्ज से रखा है और 12 हजार करोड़ रुपये की ग्रांट भारत सरकार से मिलेगी। हमने यह कार्य एक अक्तूबर, 2001—2002 से शुरू किया है। हमारा लक्ष्य था कि 400 करोड़ रुपये पैसेंजर सरचार्ज से आयेगा और एक हजार करोड़ रुपया भारत सरकार ने हमें सहायता दी है, यानी 1400 करोड़ रुपये हमने पिछले साल खर्च करने थे लेकिन हमें पैसेंजर सरचार्ज से 400 करोड़ रुपये की बजाय मात्र 300 करोड़ रुपये ही मिले लेकिन हमने अपनी इंटरनल सेविंग्स से इसको कम्पेनसेट किया। यही नहीं 34 करोड़ रुपये और ज्यादा खर्च किये। 1400 करोड़ रुपये की जगह 1434 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस प्रकार से इस बार भी 860 करोड़ रुपये पैसेंजर सरचार्ज का लक्ष्य निर्धारित हुआ है लेकिन अब तक की उपलब्धि को

जब हम देखते हैं, तो लगता है कि इस बार भी स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड में पैसेंजर सरचार्ज का जो कम्पोनेंट है, उसमें कमी आयेगी। लेकिन स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड से खर्च करने का हमारा जो लक्ष्य 2210 करोड़ रुपये का था, उसमें हम एक पाई की कमी नहीं होने देंगे अर्थात् हम अपनी इंटरनल सेर्विंग्स से इस काम को अवश्य करेंगे, जो कि स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड का कमिटमैंट है। इस तरह से जो सेफ्टी रिलेटिड काम है, उसमें किसी प्रकार का कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सेफ्टी के लिए सबकुछ करने की कोशिश हमारी तरफ से हो रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाये।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 2002–2003 के लिए अनुपूरक अनुदान की (रेल) मांग को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशि से अनधिक संबंधी अनुपूरक राशि भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.55 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (रेल) संख्यांक 5
विधेयक 2002*

सभापति महोदय : अब सभा मद सं. 13 पर विचार करेगी।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

सभापति महोदय : अब मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 2, दिनांक 2.12.2002 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब सदन की कार्यवाही 3 दिसम्बर, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 7.58 बजे

तत्पश्चात लोक सभा, मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2002/ 12 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/28/10/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।